सप्तम माला, खंड 29, अंक 4, बुधवार, 14 जुलाई, 1982/23 आषाढ़, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(नौवां सत्र)

सत्यमेव जयते

[खंड 29 में अंक 1 से 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 14 जुलाई, 1982/23 आषाढ़, 1904 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ (ii), पंक्ति 9 में "श्री राम लाला" के स्थान पर "श्री रामलाल" पढ़िये ।

पृष्ठ 11, पंक्ति 2 में "38" के स्थान पर "83" पढ़िये ।

पृष्ठ 60, नीचे से पंक्ति 7 में "29" के स्थान पर "929" पढ़िये

पृष्ठ 65, पंक्ति 24 में "94" के स्थान पर "934" पढ़िये ।

पृष्ठ 68, पंक्ति 10 में "98" के स्थान पर "938" पढ़िये ।

पृष्ठ 72, पंक्ति 7 में "243" के स्थान पर "943" पढ़िये ।

पृष्ठ 74, पंक्ति 5 में "94" के स्थान पर "946" पढ़िये ।

पृष्ठ 104, पंक्ति 6 में "979" के स्थान पर "976" पढ़िये ।

पृष्ठ 108, पंक्ति 16 में, "901" के स्थान पर "981" पढ़िये ।

पृष्ठ 110, पंक्ति 20 में "984" के स्थान पर "983" पढ़िये ।

पृष्ठ 148, पंक्ति 9 में "101" के स्थान पर "1021" पढ़िये ।

पृष्ठ 157, पंक्ति 26 में "1020" के स्थान पर "1030" पढ़िये ।

पृष्ठ 164, पंक्ति 26 में "1030" के स्थान पर "1036" पढ़िये ।

पृष्ठ 222, पंक्ति 2 में "1060" के स्थान पर "1090" पढ़िये ।

पृष्ठ 254, नीचे से पंक्ति 9 में "118" के स्थान पर "1128" पढ़िये

पृष्ठ 393, पंक्ति 12 में "विधयक" के स्थान पर "विधेयक" पढ़िये

पृष्ठ 438, पंक्ति 1 में "पतह" के स्थान पर "पटह" पढ़िये ।

विषय-सूची

अंक 4, बुधवार, 14 जुलाई, 1982/23 आषाढ़, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	4—24
xतारांकित प्रश्न संख्या : 82 से 85	4—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—262
xतारांकित प्रश्न संख्या : 86 से 102	24—36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 906 से 917, 919 से 932 934 से 1072 और 1074 से 1137	37—261
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	262—275
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	275—283
कार्यवाही सारांश	275
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति	284
चौवालीसवां प्रतिवेदन	284
समिति के लिए निर्वाचन	284
लाभ के पदों संबन्धी संयुक्त समिति	284
संविधान (छयालीसवां संशोधन) विधेयक	285—393
विचार करने का प्रस्ताव	
खण्ड 2 से 6 और 1	
विधेयक को, संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	

xकिसी नाम पर अंकित चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
श्री प्रणव मुखर्जी	316
श्री टी० आर० शमन्ना	331
नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक	393—438
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री गिरधारी लाल व्यास	394
श्री बापूसाहिब परुलेकर	395
श्री पी० नामग्याल	399
श्री रामावतार शास्त्री	400
श्री राम लाला राही	402
डा० वी० कुलनदईवेलु	404
श्री डी० पी० यादव	406
श्री एन० के० शेजवलकर	404
श्री मनोरंजन भक्त	409
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	410
श्री बी० शंकरानन्द	412
खण्ड 2 से 11 और 1	
विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित करने का प्रस्ताव	
श्री बी० शंकरानन्द	428
कर्ण पटह और कर्ण अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक	438—452
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री बी० शंकरानन्द	438
डा० ए० कलानिधि	439
श्री मूलचन्द डागा	441

विषय	पृष्ठ
प्रो० अजित कुमार मेहता	443
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	447
श्री बापूसाहिब परुलेकर	448
श्री रामसिंह यादव	452
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	452—485
पश्चिमी बंगाल में पटसन मिलों का बन्द होना	452
श्री नारायण चौबे	452
श्री शिवराज वी० पाटिल	453
श्री के० ए० राजन	463
श्री इन्द्रजीत गुप्त	467
श्री हन्नान मोल्लाह	484
नियम 377 के अधीन मामले	455—490
(एक) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और अन्य जिलों में सिंचाई निर्माण कार्यों को पुनः आरंभ करने की आवश्यकता	485
श्री राम प्यारे पनिका	485
(दो) उन जाली एजेन्सियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की अवश्यकता जो लोगों को विदेशों में रोजगार का लालच देकर धोखा देती पायी गई।	486
श्री चन्द्रपाल शैलानी	486
(तीन) पुरी-हावड़ा एक्सप्रेस के रेलवे सार्टिंग सेक्शन को बन्द करने का कथित प्रयास	486
श्रीमती जयन्ती पटनायक	486
(चार) उत्तर प्रदेश के कतिपय गांवों में पुलिस द्वारा महिलाओं पर अत्याचारों की कथित घटनाओं को रोकने के उपाय करने की आवश्यकता	487
श्री हरिकेश बहादुर	487

विषय	पृष्ठ
(पांच) कोचीन कार्यालय से पासपोर्ट जारी करने में होने वाला कथित विलम्ब	488
प्रो० पी० जे० कुरियन	488
(छः) राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रभावी कार्यकरण के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता	488
श्री बी० डी० सिंह	488
(सात) दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किए गए कतिपय आदेशों के कारण दिल्ली में फिल्में दिखाने के सम्बन्ध में फिल्म सोसाइटियों की समस्याएं	489
श्री के० ए० राजन	489

लोक-सभा

बुधवार, 14 जुलाई, 1982/23 आषाढ़, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

निधन सम्बन्धी उल्लेख

श्री मनीराम बागड़ी अध्यक्ष जी...

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट रुकिये। माननीय सदस्य गए मुझे सभा को एक पुराने साथी श्री द्वारिकानाथ तिवारी के दुःखद निधन की सूचना देनी है। वह 1957-62 के दौरान आसाम के कच्छार चुनाव क्षेत्र से दूसरी लोक सभा के सदस्य थे।

मजदूर संघ के नेता के रूप में उन्होंने कच्छार जिले के बागान मजदूरों को संगठित करने में बड़ी रुचि ली। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन में भी भारतीय मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया।

उनका 2 जुलाई 1982 को सिल्चर में 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

हमें इस मित्र की मृत्यु का बहुत दुख है और मुझे निश्चय है कि यह सभा मेरे साथ शोक संतप्त परिवार को अपनी शोक संवेदनायें भेजेगी।

सभा दुख प्रकट करने के लिए कुछ क्षण के लिए मौन खड़ी होगी।

तत्पश्चात सदस्यगण कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करता हूँ कि संविधान 46 वां संशोधन विधेयक 1981 पर विचार करने के प्रस्ताव पर आज प्रश्न काल तथा औपचारिक मदों के बाद मतदान किया जायेगा।

श्री राम विलास पासवान : शून्य काल के तुरन्त बाद क्यों?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कालिंग एटेंशन आप ने पीछे कर दिया, शायद आप गवर्नमेंट पार्टी को एकोमोडेट करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह कैसे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन्हें दो-तिहाई बहुतमत करना है और दो-तिहाई के बहुमत शायद बाद में नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो कल ही तय कर दिया था । बाद में हो या पहले, यह तो होना ही है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विधि के अनुसार चलिए ।

अध्यक्ष महोदय : विधि के अनुसार ही है । मैं विधि के बगैर काम नहीं करता, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा । मुझे चलने कौन देगा ।

श्री मनीराम बागड़ी : सिसवा में जो सामूहिक बलात्कार हुआ है, यह बड़े शर्म की बात है । इस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : एलाऊ तो नहीं किया । आप 388 के अन्तर्गत इसे उठा रहे हैं । आप इसे बाद में उठाइए ।

श्री मनीराम बागड़ी : मेरी बात सुनिए । यह मामूली बात नहीं है । इस से सारे देश का सिर शर्म से झुक जाता है । इससे बड़ी दुर्घटना कोई नहीं हो सकती । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये । कई बातें अहम होती हैं, इस में कोई शक की गुंजाइश नहीं है लेकिन विधि अनुसार उठा लें, तो अच्छा है । और भी विधियां हैं, जिन में इस को उठाया जा सकता है । आप ने जो यह कांड की बात कही है, इस के लिए मैंने होम मिनिस्टर साहब से बात की है और मेरा दिल बड़ा चिन्तित है, दुखी है और मेरे ख्याल से इस हाऊस में कोई मेम्बर ऐसा नहीं होगा जो इस प्रकार की घटना हो और वह महसूस न करे चाहे वह किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । जब मैं खड़ा हूं तो आपको इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए ।

और आपको मेरी बातों में व्यवधान नहीं डालना चाहिए ।

मैंने होम मिनिस्टर साहब से बात की है । इसका निराकरण सारे हाउस की तरफ से मिल कर करना है स्पेशियल्ली लेडीज हमारी माननीया हैं । मैंने हाउस की तरफ से रखा है आप कहो तो होम मिनिस्टर साहब से स्टेटमेंट करवा देता हूं । अगर डिस्कशन की बात कहो तो आज बिजनस एडवायजरी कमेटी की मीटिंग है उसमे यह सारा डिस्कशन कर सकते हैं ।

जो कुछ भी सभा को पसन्द है मैं करूंगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महिलाओं के साथ बलात्कार के सामान्य प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : हम तीनों को एक साथ लेंगे और दहेज मृत्यु पर...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उत्तर प्रदेश की सरकार तो मानने को तैयार नहीं है कि बलात्कार हुआ है । आप उसकी रिपोर्ट पर निर्भर न करें ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब डिस्कशन में आ जाएगा, उसमें सारी बात आ जाएगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम इसको देखेंगे । हमें राज्य सरकारों द्वारा भेजी गयी रिपोर्टों पर निर्भर करना चाहिए (व्यवधान) नहीं हम केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाना चाहते हैं । (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : सिसवान सामूहिक बलात्कार कोई साधारण मामला नहीं है इसका नेतृत्व मोहाना पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष द्वारा किया गया था । हम चाहते है कि प्रधान मन्त्री वहां जाएं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको पता है उसी हिसाब से सोच कर कराएंगे ।

अब श्री ए० सी० दास ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हमने बहुत सी बातों पर चर्चा की है यह एक बात करने की जगह बन गयी है । सरकार इसके लिए क्या उपाय करने का विचार कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा की मांग रखिये ।

श्री राम विलास पासवान : मैंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है कि उस पर गवर्नमेंट को सेंसर कीजिए ।

सभा को स्थगित क्यों नहीं करते ?

अध्यक्ष महोदय : आप मिल करके बात कीजिए और मुझे समझाइये ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : शून्य काल में हम इसे उठा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आप तो प्रोफेसर हैं। आप ही थोड़ा सा पढ़ा दीजिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या आप पढ़ने को तैयार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप से तो जरूर नहीं पढ़ूंगा।

यह नहीं किया जा सकता। अब श्री दास। प्रश्न सं० 82

एक माननीय सदस्य : हम सरकार की निंदा करना चाहते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि जनता शासन के दौरान ऐसा था। अब क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दास प्रश्न संख्या 82

— — — —

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्रमिकों को बाहर भेजने का देश में गिरोह

*82. श्री अनादि चरण दास

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों को मध्य पूर्व के देशों को भेजने वाला कोई गिरोह भारत में निरन्तर कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्योरा क्या ; और

(ग) इस प्रकार के गिरोहों को समाप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमन्त्री श्री धर्मवीर : (क) जी, नहीं। लेकिन समय समय पर सिद्धांत-हीन तत्वों द्वारा उत्प्रवासियों और इच्छुक उत्प्रवासियो का शोषण किए जाने तथा उन्हें धोखा दिये जाने के कुछ मामलो की सूचना सरकार को मिली है।

(ख) सितम्बर, 1981 और जून, 1982 के बीच अभिकथित शोषण और धोखा देही, अनुबन्ध को भंग करने, देय राशियों का भुगतान न करने आदि के बारे में 158 वैयक्तिक शिकायतें प्राप्त हुई है उन सभी मामलों को जांच-पड़ताल के लिए समुचित प्राधिकारियो के पास भेज दिया गया है।

(ग) श्रमिकों का शोषण किए जाने और उन्हें धोखा दिए जाने की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है या उठाए जा रहे हैं।

(1) एक पम्पलेट प्रकाशित किया गया है तथा उसे विभिन्न राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है जिसमें खाड़ी के देशों में रहने तथा करने की दशाओं का ब्यौरा दिया गया है इस पेम्पलेट में प्रत्याशित न्यूनतम मजदूरी और खाड़ी के देशों के श्रम कानूनों की विलक्षण बातों का भी उल्लेख है।

(2) प्रत्याशित उत्प्रवासियों को पी० ओ० ई० के कार्यालय में तथा पोतारोहण स्थलों पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों की एक सूची विज्ञापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है, ताकि उन्हें अपने अधिकारों तथा कृत्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।

(3) न्यायालयों द्वारा दंडित बेईमान एजेंटों के बारे में व्यापक प्रचार करने सम्बन्धी मामले की जांच की जा रही है।

(4) आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिये व्यापक प्रचार करने के बारे में भी गौर किया जा रहा है।

(5) उत्प्रवासन को विनियमित करने सम्बन्धी एक विधेयक को अन्तिम रूप देन के लिए कार्यवाही की जा रही है, ताकि उसे संसद में पेश किया जा सके। जब यह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेगा, तो उससे भारतीय एजेंटों के कार्य को विनियमित करने के लिए सरकार को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हो जाएंगे।

श्री अनादि चरण दास : यह एक माना हुआ तथ्य है कि हमारे देश में कुछ धोखाधड़ी देने वाले गिरोह कार्य कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार द्वारा काफी उपाय किये गए है। उत्प्रवास की पुनरीक्षा के लिए एक विधेयक पुनःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है। धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों द्वारा जो कदाचार किये जाते हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का मध्य पूर्व के देशों के लिए श्रमिकों की भर्ती करने के वास्ते अपना कोई संगठन अथवा एजेन्सी गठित करने का विचार है ?

श्रम मन्त्री श्री भागवत झा आजाद : आज की वर्तमान प्रणाली के अनुसार उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत कुछ ऐसी शर्तें है। जिनके अनुसार एजेन्ट अथवा फर्म स्वयं अपने माध्यम से अथवा अपने एजेन्टों के माध्यम से श्रमिकों को प्राप्त कर रही है। जब कभी हमें इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं, तब सबसे पहला काम हम यह करते हैं कि उस विशेष देश के दूतावास से सम्पर्क स्थापित करते है तथा वास्तविक स्थिति का पता लगाते हैं, तथा तदनुसार एजेन्ट अथवा नियोक्ता के विरुद्ध, जैसी भी स्थिति हो, कार्यवाही करते हैं।

श्री अनादि चरण दास : यहां यह बताया गया है कि सितम्बर, 1981 तथा जून, 1982 के बीच कथित शोषण तथा धोखाधड़ी, अनुबन्ध भंग करने, देय राशियों का भुगतान न करने आदि

के बारे में 158 वैयक्तिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।" मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि समुचित अधिकारी कौन है, जांच-पड़ताल का क्या परिणाम निकला है तथा जांच-पड़ताल करके 158 व्यक्तियों की किस प्रकार सहायता की गई तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है वैध दस्तावजों के बिना इन देशों की यात्रा करने वाले ऐसे व्यक्तियो की संख्या कितनी ही है जो जेलों में हैं ?

श्री भागवत झा आजाद: जैसा कि मैंने उत्तर में बताया है हमारे पास वैयक्तिक शिकायतें प्राप्त हुई है। इस समय इस प्रकार के मामले को पुलिस के पास जांच पड़ताल के लिए भेज देते हैं। शोषण किये जाने धोखाधड़ी तथा अन्य आरोपों की हमें 158 वैयक्तिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गम्भीर अनियमितताओं के मामले में सबसे पहले हम यह कार्य करते हैं कि जो फर्म इस प्रकार का व्यवहार करती है उनको पूर्व स्वीकृति की सूची में रख देते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि जब तक हम उनके मामलों को निपटा नहीं देते तब तक उनको निर्यात करने की आगे कोई अनुमति नहीं होती। छोटी अनियमितताओं के सम्बन्ध में, हम सम्बन्धित दूतावास से जानकारी प्राप्त करने तथा इस प्रकार के मामले में आवश्यक कार्रवाही करन को कहते हैं। वर्ष 1980-81 के दौरान पुलिस के पास 127 मामले जांच-पड़ताल के लिए भेजे गये। उनमें से कुछ को दोषी ठहराया जा चुका है तथा कुछ को नहीं। 111 मामलों की जांच-पडताल की जा रही है। इन दोनों ही मामलों में हम यह सजा दे सकते हैं कि हम फार्म को पूर्व स्वीकृति वाली सूची में रख दें। इस समय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार वे निर्यात करने के लिए स्वतन्त्र हैं और हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसका यह तात्पर्य है कि वह इन मामलों में हम कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं। अत: सबसे अधिक दण्ड यही है। छोटी अनियमितताओं के मामले में हम दूतावास से यह देखने के लिए कहते हैं कि इन मामलों को कैसे निपटाया जा सकता है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने काफी विस्तृत जवाब दिया है। मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं, जैसाकि उत्तर मे बताया गया है—

"मजदूर के शोषण तथा धोखाधड़ी को रोकने क लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(क) एक दस्तावेज जिसमें विभिन्न खाड़ी के देशों में रहने तथा कार्य करने की परिस्थितियों तथा न्यूनतम सम्भावित मजदूरी तथा उन देशों के श्रम कानूनों की प्रमुख विशेषताओं को बताया गया है, उसको प्रकाशित किया गया है तथा उसको विभिन्न राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है।"

इस सम्बन्ध में आपने पम्पलेट्स सर्कुलेशन के बारे में कहा है, लेकिन संसद सदस्यों और विधायकों को ये पम्पलेट्स नहीं मिले हैं। कोई पब्लिसिटी नहीं हुई है—इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दे।

दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में इमीग्रेशन ला क्या इस सेशन में लाने जा रहे हैं ? अन्त मैं जानना चाहता हूं...।

अध्यक्ष महोदय : एक ही प्रश्न पूछिए, आप तो पूछते जा रहे हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या यह श्रम विभाग अपने अधीन इससे सम्बन्धित किसी एम्प्लाइमेंट कारपोरेशन की स्थापना करने जा रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, ये पम्पलेट्स छपवाकर विभिन्न राज्य सरकारों को, जहां श्रमिक भाई जाते हैं बाहर, भेजे गए हैं। यदि माननीय सदस्यों को नहीं मिले हैं तो हम भिजवा देंगे। इसके अलावा जल्द से जल्द हम सम्बन्धित बिल ला रहे हैं। तीसरी बात जो उन्होंने पूछी है, इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है कि केन्द्रीय सरकार अपने स्तर पर कोई कारपोरेशन स्थापित करने नहीं जा रही है। इस समय चार राज्य सरकारों के अन्तर्गत, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा, में कारपोरेशन हैं। उनके उपर यह जिम्मेदारी है कि उनको मजबूत किया जाए, बजाए इसके कि केन्द्रीय कारपोरेशन की स्थापना करें।

श्री ई० बालानन्द : यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। माननीय श्रम मंत्री द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह बहुत ही सामान्य है। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि एक विधेयक लाया जा रहा है। यह सब ठीक है लेकिन मैं अपने माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यहां पर कितने ही प्रकार के धोखेबाज मौजूद हैं। ऐसे लोग तथा संगठन यहां मौजूद हैं, जो कि श्रमिकों को दूसरे देशों को भेज रहे हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रोजगार चाहने वालों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनको रोजगार दिला दिया जायेगा तथा वे इन लोगों से बीस हजार, पचीस हजार अथवा साठ हजार रुपये लेते और अन्त में उनको कोई रोजगार नहीं देते हैं। मैंने स्वयं इस प्रकार के बहुत से मामलों को मन्त्री-महोदय को जानकारी दी है। अतः विधेयक को अन्तिम रूप देने तक क्या सरकार इस प्रकार का कोई उपाय करेगी कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा जिसको इन धोखेबाजों के द्वारा ठगा गया है। कोई शिकायत की जाती है तो क्या उसकी जांच की जाये। तथा क्या मामलों को दर्ज करने के लिए पुलिस को कोई निश्चित अनुदेश जारी किए जायेंगे तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन लोगों को पकड़ा जाये तथा शीघ्र ही सजा दी जाए ?

श्री भागवत झा आजाद : जी हां। मैं माननीय सदस्य की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि शिकायतें की जाती हैं तथा वे मेरे पास आती है। मैंने उनकी संख्या बताई हैं। मैंने वर्ष 1980-81 में उनकी संख्या बताई है तथा क्या कार्यवाही की गई, मैंने उसको भी विवार मे बताया है। वर्ष 1981-82 में भी शिकायत की गई हैं तथा मैंने उन पर भी कार्यवाही की है। मैंने बताया है कि दो प्रकार की शिकायत होती हैं। एक सेवा की शर्तों के बारे में होती हैं, जिनसे उनको प्रलोभन दिया जाता है तथा जिनको पूरा नहीं किया जाता। ये ही प्रमुख हैं। श्री बाजपेयी जी द्वारा मेरे पास लीबिया के सम्बन्ध में एक मामला भेजा गया है। उस सम्बन्ध में हमने श्रमिकों के निर्यात को

तुरन्त रोक दिया तथा जब तक हमको रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक हम उनको अनुमति नहीं दे सकते । इसी प्रकार दो फर्मों के सम्बन्ध में रिपोर्टें मिली हैं । हमने उनको भी सूची में रखा है । महत्वपूर्ण मामलों में हम उनको पूर्व-अनुमति वाली सूचियों में रखते हैं तथा छोटे मामलों में हम एम्बेसडर को इस पर कार्यवाही करने को कहते है । हमारे पास जो रिपोर्टें आती हैं हम उनको पुलिस के पास पूरी जांच-पड़ताल के लिए भेज देते हैं। उसके बाद मामलों को न्यायालय भी भेजा जाता है तथा उसके पश्चात दोष सिद्ध भी की जाती है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इन धोखेबाजियों के बारे में मुझे भी कुछ जानकारी प्राप्त है, क्योंकि...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपका उनसे कोई सम्बन्ध नही है ?...(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : श्री स्वामी जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए । (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी कारण यह है......(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनको निर्यात करना चाहते हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सारे कम्युनिस्ट को निर्यात कर दिया जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं और उन्हें सोवियत संघ भेजा जाये न कि चीन को (**व्यवधान**)

एक मानीय सदस्य : यू० एस० ए० को क्यों नहीं ? (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : उनके बारे में क्या रहा ? (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरी ईमानदारी पर सन्देह करना एक अपराध है। कृपया इस बात को ध्यान में रखा जाये ।

अधिकतर भर्ती करने वाली एजेन्सियां बम्बई में हैं। अत: मुझको इसकी विशेष जानकारी प्राप्त है। इसके अलावा, प्राक्कलन समिति ने भी इस प्रश्न की जांच करने के लिए एक उप-समिति गठित की है। मैं उस उप-समिति का सदस्य था मैं बोल रहा हूं...(**व्यवधान**)।

एक माननीय सदस्य : क्या यह प्रश्न का एक भाग है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो अजीब तो लग सकती हैं, लेकिन वे ठोस जानकारी पर आधारित हैं । जैसाकि मन्त्री महोदय ने बताया कुछ लोगों को ले जाया जाता है उनको ठगा जाता है तथा उनको रास्ते में ही अथवा किसी अन्य स्थान पर छोड़ दिया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि कुछ देशों ने जो भारतीय श्रमिकों को रखते हैं, भारत सरकार को यह स्पष्ट कर दिया है कि कुछ निश्चित प्रकार की श्रेणी

वाले लोगों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने समाचार पत्रों के इस समाचार को पढ़ा है, उदाहरण के तौर पर साऊदी अरब ने यही स्पष्ट कर दिया है कि उनको सिक्ख अथवा सरदारों की कोई आवश्यकता नहीं है भर्ती करने वाले एजेन्टों द्वारा भी मुझको यह नहीं बताया गया है कि इस प्रकार के कदाचारों में सरकार की भी मौन स्वीकृति होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि श्रमिकों के निर्यात करने में जातियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा तथा उनको पूर्णतः गुण तथा योग्यता के आधार पर भेजा जायेगा और विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि पंजाब के सिखों को मध्य-पूर्व के देशों में उनका हिस्सा मिले।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय लोगों की केवल उस विशेष देश की आवश्यकता के अनुसार, तथा वे किस प्रकार के लोगों को चाहते हैं—कुशल अथवा अर्द्ध-कुशल अथवा किसी अन्य प्रकार के—इसके आधार पर ही बाहर भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको पकड़ा तथा भेज दिया। वहां कुछ फर्में मौजूद हैं, जो उन देशों में इस कार्य को करती हैं। उनमें से कुछ भारतीय हैं तथा कुछ विदेशी हैं।

उच्चतम न्यायालय के वर्तमान निर्देशों के अधीन जिनके अनुसार हमको चलना होता है, वे चाहे तो सीधे अथवा एजेन्टों के माध्यम से भर्ती कर सकते हैं। इस प्रकार के किसी भी श्रमिक को, जो किसी प्रकार के कार्य के विशेष अनुबन्ध के अनुसार आवश्यक नहीं होता है, नहीं भेजा जाता है। अतः इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यह बात सच है कि जब हमें कम्पनियों से कार्य की प्रकृति के अनुसार किसी विशिष्ट प्रकार के श्रमिकों को भेजने की मांग मिलती है, तब केवल उसके अनुसार ही उनको भेजा जाता है। अतः सरदारों—अथवा गैर-सरदारों के बीच किसी प्रकार के भेदभाव करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कदाचित माननीय सदस्य ही भेदभाव बदल रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सारा पंजाब ही उसके बारे में जानता है। और वे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। यदि कल को पंजाब में यह रिपोर्ट जाती है कि सरदारों की आवश्यकता नहीं है तथा सरकार इससे इन्कार करती तो वे इस सरकार के बारे में क्या सोचेंगे?

श्री भागवत झा आजाद : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि इस धोखा-घड़ी के सम्बन्ध में, मैं उनको विशेष जानकारी से अवगत होना चाहूंगा, ताकि यह मुझे मार्ग-दर्शन कर सकें, कि मैं इस सम्बन्ध—में किस प्रकार सर्वोत्तम कार्यवाही कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मार्गदर्शन किस बारे में?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस किस्म का कुछ समाचार था। लेकिन जब मैं सऊदी अरब में थी तो मुझे बताया गया कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तो फिर आप सऊदी अरब जाती रहें ताकि ऐसा न हो।

प्रो० एन० जी० रंगा : अनुबन्ध पत्र वाली आम प्रणाली के अन्तर्गत इसी प्रकार श्रमिकों का निर्यात होता था। इसके बाद एक दूसरे देश के वाही करार होते थे। उन दिनों भारत सरकार जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी, मलेशिया तथा श्रमिक जैसे देशों से हमारे श्रमिकों के लिए अच्छी आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए करार किया करती थी। कंगनी नाम की भी एक प्रणाली होती थी जिसके द्वारा तथा कथित घोटाला करने वाले अथवा बिचौलिये, जो इन लोगों की भर्ती किया करते थे...(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इनके द्वारा मेरी ओर इशारा किये जाने पर मुझे आपत्ति है।

श्री एन० जी० रंगा : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य के उनके बारे में कुछ जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह तो नहीं कहा कि "चोर की ढाड़ी में तिनका"।

श्री एन० जी० रंगा : उन कंपनियों को रजिस्टर किया जाता था और उन्हें रोजगार दिया जाता था। उनकी गतिविधियों को विनियमित किया जाता था। क्या सरकार पिछले अनुभव का अध्ययन करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में कम से कम उस कानून में जिसे ये ला रहे हैं यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यकता कदमो की व्यवस्था की जायेगी कि इस ओर बिचौलियों द्वारा तथा उस ओर हमारे श्रमिकों को लेने वाली सरकार इन श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाये ?

श्री भागवत झा आजाद : यह एक अच्छा सुझाव है कि मैं इस कंगनी प्रणाली सम्बन्धी पिछले अनुभव का अध्ययन करूं। मै यह स्वीकार करता हूं कि माननीय सदस्य ने अपनी आयु के अनुसार मेरी जानकारी की अपेक्षा अधिक तथ्य बताये हैं। उनमें से कुछ तथ्यों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं पिछले रिकार्ड को देखूंगा और निश्चय ही यह सुनिश्चित करूंगा, जैसे कि हमारी इच्छा है, कि इस देश के बिचौलिय ऐसे श्रमिकों से उचित व्यवहार करें और यहां पर तथा रोजगार देने वाले देश में उनके साथ कोई धोखाधड़ी न हो और उनकी काम की परिस्थितियां अच्छी हों।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जैसे कि मैंने सभा को पहले भी एक बार सूचित किया है, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हमारे श्रमिकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। फिर भी वास्तव में हुआ यह है कि इस प्रकार के रोजगार की मण्डियां हमारे लिए बन्द हो रही हैं और वे लोग अपने श्रमिकों के लिए फिलफिन तथा अन्य देशों की ओर देख रहे हैं। यह भी हमारे लोगों के लिए हानिकारक है, क्योंकि वे वहां अच्छा पैसा कमा सकते थे।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

* 18. श्री राम विलास पासवान :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और हाल में ही नई दिल्ली में कुवैत के एक राजनयिक को उसके निवास स्थान पर हत्या कर दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो राजधानी में कानून और व्यवस्था को बिगड़ती स्थिति को सुधारने, जनता के मस्तिष्क में सुरक्षा की भावना पैदा करने तथा कुवैत के राजनयिक के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) इस बात से इन्कार किया जाता है कि दिल्ली में विधि व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। सनसनीखेज हत्या के किसी एक मामले को वह चाहे कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण तथा खेद-जनक क्यों न हो, राजधानी में विधि व व्यवस्था को सामान्य स्थिति के बिगड़ने का द्योतक नहीं माना जा सकता।

(ख) दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। मामले को जांच पड़ताल के कार्य को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का निर्णय किया गया है। जिन क्षेत्रों में विदेशी राजनयिक रहते, वहां गश्त बढ़ा दी गई है। विभिन्न उपायों, जैसे दिल्ली पुलिस को जनशक्ति तथावाहनों को संख्या में वृद्धि करने, नये थाने तथा पुलिस चौकियां खोलने, पैदल तथा चलती-फिरती गश्त बढ़ाने, वाहनों को अकस्मात जांच करने, ज्ञात अपराधियों पर निगरानी रखने और संबेदनशील स्थलों पर पुलिस टुकड़ियां तैनात करने से दिल्ली विधि व व्यवस्था में की स्थिति में सुधार हुआ है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, जैसे डिक्शनरी में एक शब्द होता है,* के बाद कौन-सा शब्द डिक्शनरी में बनाया जायेगा ? मन्त्री जी रोज अखबार पढ़ते होंगे, कि नहीं पढ़ते हैं ?

एक माननीय सदस्य : मन्त्री होने से पढ़ना छोड़ना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह शब्द असंसदीय नहीं है। इसको हटा दीजिए।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह एक अमिश्रित असत्य है (व्यवधान) *

---

*अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री राम विलास पासवान : अन-पार्लियामैंटरी है, तो हटा दीजिए*। तो मुहावरा होता है।

हमने कहा है कि एक शब्द आता है डिक्शनरी में।

आज भी यदि आप पेपर में देखेंगे तो दिन-दहाड़े नजफगढ़ में डकैती हुई, यह आया है। रोज अखबारों में ऐसी खबरें निकल रही हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा है कि इस बात से इन्कार किया जाता है कि दिल्ली में विधि-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, इसका बेस आपके पास क्या है ?

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि विगत 2 वर्षों में कितने ऐसे हत्या, डकैती, रोबरी के मुकदमें हुए हैं जिसमें अभी तक कल्प्रिट को ट्रेस नहीं किया गया है ? भीषण से भीषण मामले हुए हैं, निरंकारी बाबा की हत्या हुई, श्री संतोष सिंह की हत्या हुई, जे० एन० यू० में एक लड़के की हत्या हुई।

क्या आपको यह भी सूचना मिली है कि दिल्ली में अब थानों में मुकदमे दर्ज नहीं किये जाते हैं और हाई आफिशियल्ज के पास और मन्त्री महोदय को लिखा जा रहा है ?

रक्षा मंत्री तथा गृह मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : आंकड़ों से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। सभा निर्णय करेगी कि क्या यह।*

जहां तक 1979 का सम्बन्ध है डकैती हत्या के यत्न, लूटमार आदि के कुल 44086 अपराध और 1981 में इन अपराधों की कुल संख्या 30,646 थी। झूठ क्या है मैं नहीं जानता, माननीय सदस्य ही बताएं कि क्या उन्होंने जो कहा है वह सच है अथवा दूसरी बात सच है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लोग अब शिकायतें करने से डरते हैं ; वे पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : यह एक हास्यास्पद स्पष्टीकरण है, जो हर बार दिया जाता है। जो स्पष्टीकरण आप देते रहते है उनमें कुछ भिन्नता तो होनी चाहिए।

जहां तक आंकडों का सम्बन्ध है उनको देखते हुए इन अपराधों में कमी हुई है। लेकिन इसके साथ ही मैं ऐसा भी नहीं कहता कि हम स्थिति से संतुष्ट हैं ; शहरों में हो रहे अपराधों की संख्या से हम सचमुच अप्रसन्न हैं। हम इन्हें जितना भी सम्भव हो कम करना चाहते हैं और देश में अपराधों को कम करने के लिए हम सभी लोगों का सहयोग चाहते हैं। अतः यह कहना गलत है कि अपराधों में वृद्धि हुई है। अपराधों में कमी हुई है। फिर भी सरकार इस बात

---

* अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

का ध्यान रखने का भरसक प्रयत्न करेगी कि अपराधों में और भी कमी है और और उनकी संख्या कम करके न होने के बराबर कर दी जाए। मेरा प्रयत्न यही है और मैं चाहता हूं कि सभा इसके लिए अपना सहयोग दे।

अध्यक्ष महोदय : ये अपराधियों के पकड़ने के बारे में कुछ सूचना चाहते थे। उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया।

श्री आर० वेंकटरामन : यह सख्या बहुत है। अतः यदि यह एक पृथक प्रश्न पूछें तो मैं अपराधियों को पकड़ने सम्बन्धी आंकड़े लेकर इन्हें उपलब्ध करा दूंगा।

श्री रामविलास पासवान : मैंने एक एग्जेम्पल भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय : एग्जेम्पल तो गलत था संतोख सिंह वाला तो वही पकड़ा गया था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : 24 जून से अपराध की दर के बारे में आपको क्या कहना है? इन्होंने इस बात का उत्तर नहीं दिया है।

प्रो० मधु दंडवते : ये एक दिन के बारे में आंकड़े पूछ सकते हैं और कह सकते हैं कि अपराध हुआ है। ये आंकड़ों को कैसे तोड़ते मरोड़ते हैं; यह इस बात का एक दूसरा उदाहरण है।

श्री राम विलास पासवान : मैंने यह भी पूछा था कि क्या यह सही है कि थाने में जब केस दर्ज नहीं किये जाते हैं और लोगों के ऊपर के अधिकारियों के पास लिखना पड़ता है, जिसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है।

राज्य सभा में 8-7-82 को प्रश्न 49 के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि जहां 1-1-81 से 30-6-81 तक 109 हत्याएं हुई थीं, वहां 1-1-82 से 30-6-82 तक 125 हत्याएं हुईं। तो मंत्री महोदय किस अरिथमेंटिक के हिसाब से कहते हैं कि अपराध घटे हैं और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।

सरकार ने भिंडर को पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया, क्योंकि उस समय कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। क्या मंत्री महोदय को संतोष है कि नये पुलिस कमिश्नर के आने के बाद से कानून और व्यवस्था की स्थिति में तुलनात्मक दृष्टि से सुधार हो रहा है; यदि हां तो कैसे?

श्री आर० वेंकटरामन : माननीय सदस्य ने कुल अपराधों के बारे में प्रश्न पूछा है, 1979 डकैती, हत्या, बलात्कार आदि आदि के अपराधों की कुल संख्या 44000 थी जो 1981 में घट कर 30,000 के लगभग हो गयी।

जहां तक हत्या का सम्बन्ध है मेरे पास 1 जनवरी, 1981 से 31, मई 1981 तथा 1 जनवरी 1982 से 31 मई, 1982 तक के आंकड़े हैं। पिछले वर्ष कि इस अवधि में 92 हत्याएं हुई और इस अवधि में भी यह संख्या 92 ही है। अतः मैं नहीं कहूंगा की बृद्धि हुई है। इन्होंने दूसरी अवधि के आंकड़े दिए हैं, जिसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। यदि ये प्रश्न पृथक पूछे तो मैं उन आंकड़ों को प्राप्त करूंगा। (व्यवधान) कृपया बैठ जाये पहले मुझे उत्तर पूरा करने दें। आप जानते है कि मैं कोई जानकारी देने में कभी भी संकोच नहीं करता। मैं पूरी से पूरी सूचना देता हूं।

सचमुच बात यह है। आप किसी एक विशेष घटना को लेकर यह नहीं कह सकते कि अपराधों में वृद्धि हो गयी है अतः प्रश्न और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गयी है। अपराध के अन्तर्गत बहुत सी बातें आती हैं और अपराधों में वृद्धि या कमी मालूम करने की दृष्टि से कुल संख्या पर विचार किया जाना चाहिए।

मेरे पास जो आंकड़े हैं वे मई के अन्त तक की अवाधि के हैं। यदि आप जून के आंकड़े चाहते हैं। तो वे मेरे पास नहीं हैं लेकिन मैं उन्हें आंकड़े अवश्य दूंगा और मैं आंकड़ों को सभा के सामने भी रखूंगा।

इनका अगला प्रश्न आयुक्त के तबादले के बारे में है। यह एक सामान्य प्रशासनिक मामला है और हम ऐसा आवश्यकता आदि की दृष्टि से कर रहे हैं। (व्यवधान) यह कहना बहुत कठिन है कि एक विशेष अधिकारी के तबादले के बाद अपराध बढ़ गये हैं या घट गए हैं क्योंकि इस वृद्धि या कमी का पता लगाने के लिए आपको कोई न कोई अवधि चुननी ही पड़ेगी।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था कि मंत्री महोदय ने राज्य सभा में जो जवाब दिया है, उसको देखते हुए वह कैसे कहते हैं कि अपराध कम हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने काम्प्रिहैंसिव जवाब दे दिया है। जिस पीरियड के आंकड़े आपने दिए हैं, उन्होंने कहा है कि वह उन्हें देख कर बता देंगे।

श्री राम विलास पासवान : यह उन्हीं का लिखित जवाब है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपकी बात से इन्कार नहीं किया है। उन्होंने इसको डेनाई नहीं किया है।

श्री राम विलास पासवान : राज्य सभा में यह उत्तर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। लेकिन...

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : इन्हें हां या नहीं करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कहा है।

(व्यवधान)

प्रो॰ मधु दंडवते : इन्हें हां अथवा नहीं कहना चाहिए । ये अन्ततः हां अथवा नहीं कहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल पटेल : यह संतोष की बात है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था का स्थिति में सुधार हो रहा है ;

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल पटेल : दिल्ली में लगातार अफवाहें फैलायी जा रही हैं कि पब्लिक बजार तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में बम रखे जा रहे हैं जिससे लोगों के मन में भय पैदा होता है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए में गृह मंत्री से जानना चाहुंगा कि क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करवायी गयी है और यदि हां तो इन जांचों के क्या परिणाम निकाले है ?

हमें बरामद किए गए बमों तथा स्थानों के बारे में बताओं लोगों कि सुरक्षा के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनके बारे में भी जानना चाहता हूं ।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : पालिका बाजार की घटना के बारे में जांच हो रही हैं और हम पूरी तरह से से जांच करने के लिए इसे केन्द्रीय जांच ब्यौरों को सौंपने जा रहे हैं ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों का जीवन सुरक्षित रहे, हमने कई सुरक्षा उपाय किए हैं।

हमने पुलिस स्टेशनों की संख्या में वृद्धि की है और पंदल गश्त तथा गाड़ी द्वारा गश्त में भी वृद्धि की है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका उत्तर पहले ही दे चुके है ।

श्री पी॰ वेंकट सुब्बय्या : हम सारे उपाय कर चुके हैं और हम सुरक्षा प्रबन्धों पर लगातार निगरानी रखे हैं ।

श्री मोहनलाल पटेल : कृपया हमें बतायें कि क्या कोई विस्फोट योग्य बम मिला या नहीं।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : पालिका बाजार में विस्फोट योग्य बम मिला था और जांच है इस मामले पर अगले प्रश्न में भी विचार किया जा रहा है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मंत्री महोदय के अनुसार दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है।

लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि संसद सदस्यों के लिए ग्रुपवाली योजना क्यों नहीं बनायी गयी मुझे इस सम्बन्ध में पत्र मिले हैं।

(व्यवधान)

कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। कानून और व्यवस्था की स्थिति किस लिए है? संसद सदस्यों के लिए ग्रुप वाली योजना क्यों नहीं लागू की जाती ?

मुझे पुलिस कार्मिकों से भी बहुत विचित्र पत्र मिल रहे हैं जिसमें वे कहते हैं कि बाहर जाते समय कमरे कैसे बंद किए जाने चाहिए और जब हम दिल्ली से बाहर जाते है तो घरों को कैसे बंद किए जाना चाहिए आदि।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी मान्यता केवल काल्पयिक है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं बहुत डरी हुई हूं। मैं यहां दिल्ली में 1952 से रह रही हूं परन्तु अब तक ऐसे कोई निदेश नहीं आये।

ऐसे निदेश अब क्यों आ रहे हैं? जब आपके अनुसार कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है तो ऐसे निदेश क्यों आ रहे हैं।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : संसद सदस्यों के लिए सामूहिक बीमा योजना जैसी कोई चीज नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बात संसद सदस्यों की तरफ आ रही है न कि सरकार की तरफ से।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई हर्ज नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं उसे समझ नहीं पाया हूँ।

अध्यक्ष महोदय : सरकार द्वारा सामूहिक बीमा योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है। क्या यह गृह मंत्रालय द्वारा आरम्भ किया गया है ?

(व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : संसद सदस्यों की सुरक्षा हेतु विभिन्न एहतियाति कदम उठाए जा रहे हैं ?

अभी एक घटना हुई है जिसमें एक संसद सदस्य के घर कुछ लोग घुस गए थे और इससे काफी चिन्ता हो गई थी। पुलिस भी उन लोगों को पकडने के लिए पर्याप्त कदम बड़ी कठिनाई से उठा सकी थी।

सामान्यत ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो प्रशासन द्वारा संसद सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उठाए जाते हैं।

जब संसद सदस्य बाहर जा रहे हों तब एक या दो संसद सदस्यों के मामले में हमारे पिछले अनुभव के आधार पर, कुछ सुरक्षात्मक उपाय करने होते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मंत्री महोदय के बदलने के पश्चात अपराधों की संख्या में कमी हुई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार बहुत जल्दी जल्दी बारम्बार मंत्री बदलती रहेगी ताकि अपराधों कि संख्या कम करके शून्य लाई जा सके ?

श्री आर० वेंकटरामन : मंत्री महोदय को बदलने के बाद यदि अपराधों की संख्या में वृद्धि हो जाये फिर क्या किया जायेगा तो ? यह भी संभव है। अतः मंत्री के साथ किसी बात को मत जोड़ों मंत्रालय के साथ जोड़ो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल आंकड़ों का नहीं है, सवाल यह है कि दिल्ली की जनता में सुरक्षा की भावना है या नहीं है ?...(व्यवधान) यह दिल्ली की जनता बोल रही।

अध्यक्ष महोदय, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली में असुरक्षा की भावना व्याप्त है, दिन दहाड़े डकैतियां हो रही हैं, औरतों की जंजीरें छीनी जा रही है और अशोक बिहार में अभी पिछले दो महीने में दो बार दिन में डकैतियां हो चुकी हैं। मैं जानता हूं कि दिल्ली में पुलिस सेट-अप बदला गया था, आपने कमिश्नर की पद्धति शुरू की, अब पुलिस किसी के लिए उत्तरदायी नहीं है दिल्ली में, पहले दिल्ली में पुलिस के साथ एरिया मैजिस्ट्रेट जुड़े हुए थे लेकिन

नयी पद्धति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए जो कुछ हुआ है क्या उसकी रोशनी में फिर से पुरानी पद्धति का अवलम्बन करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने आरम्भ में ही कहा है कि यद्यपि अपराधों की संख्या में कमी हुई है, सरकार इस स्थिति से प्रसन्न अथवा सन्तुष्ट नहीं है और वह इसमें बहुत सुधार करना चाहती है। यह एक तथ्य है कि विश्व के सभी नगरों में, विशेष रूप से महानगरों में, अपराधों में वृद्धि हो रही है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह एक विश्व व्यापी प्रवृति है।

श्री आर० वेंकटरामन : क्या आप इस सम्बन्ध में भी आंकड़े जानना चाहते हैं । यदि आपकी रुचि विश्व के कुछ प्रमुख नगरों में हुए अपराधों के आंकड़ों में हो तो मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं ।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : समाजवादी देशों में इस तरह का कोई समाचार नहीं दिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : यह स्पष्ट है कि उनकी इन आंकड़ों में रुचि नहीं है क्योंकि हमारे आंकड़े हमारे पक्ष में हैं ; इसलिए उनकी रुचि नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सुरक्षा की भावना के बारे में क्या कहना है ?

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक सुरक्षा की भावना का संबंध है सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति इस तरह बनी रहे कि लोग यह अनुभव करें कि वे बिना किसी भय और आंशिका से घूम-फिर सकते हैं उसके लिए हमें गश्त और गाड़ियों की संख्या बढ़ानी होगी, ताकि विभिन्न स्थानों पर जिन लोगों पर हमले की संभावना है। उनकी रक्षा की जा सके। फिर नगर में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां अपराध किए जाते हैं। उन इलाकों की ओर हमें अवश्य ही विशेष ध्यान देना चाहिए और वहां विशेष चौकियां स्थापित करनी चाहिए ।

हम ये विभिन्न कदम उठा रहे हैं और ये कदम उठाकर सुरक्षा का वातावरण बना सकेंगे सुरक्षा का वातावरण केवल बातों से नहीं बनाया जा सकता, अपितु वह अनेक कार्य

करके अर्थात बेहतर गश्त, बेहतर सुरक्षा असुरक्षित क्षेत्रों पर विशेष रूप से निगरानी की व्यवस्था करके बनाया जाता है ये सभी उपाय किए जा रहे हैं और यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट क्षेत्र में कोई विशेष कार्यवाही करने का सुझाव देंगे तो सरकार इसे करेंगी।

अध्यक्ष महोदय : वह पिछली नीति को अपनाने के बारे में पूछ रहे थे।

श्री आर॰ वेंकटरामन : नीति वही है। नीति में इस अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है कि हमने पुलिस गश्त या पुलिस कार्यवाही में कोई कमी नहीं की है। हमने कुछ भी नहीं बदला है।

रंगीन टी॰ वी॰ सेट बनाने के लिए लाइसेंस

***84. श्री नारायण चौबे :**
श्री माधव राव सिंधिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख रंगीन टेलीविजन सेट बनाने के लिए लाइसेंस देने का है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य इलेक्ट्रोनिक निगम तथा लघु क्षेत्र को इस प्रकार के लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप-मंत्री (श्री एम॰ एस॰ संजीवी राव) : (क) से (घ) रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों को दीर्घकालीन नीति अभी विचाराधीन हैं। तथापि, सरकार ने सुस्थापित श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेटों के विनिर्माताओं द्वारा संयोजित किए जाने के लिए रंगीन दूरदर्शन सेटों के कल-पुर्जों तथा संघटक पुर्जों के आयात को अनुमति देने का निर्णय किया है। इसके ब्यौरे सभी दूरदर्शन विनिर्माताओं को भेजे गए पत्र में दिए गए हैं। इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गयी है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 4237/82]

श्री नारायण चौबे : रंगीन टेलीविजन संसद और समाचार-पत्रों में एक लम्बी चर्चा का विषय बन गया है। विशेष रूप से हमारे मन्त्री महोदय साठे रंगीन टेलीविजन के कट्टर समर्थक रहे हैं और वह अब भी निर्भीकता से इसके लिए लड़ रहे हैं और आगामी एशियाई खेलों से उनके रंगीन टेलीविजन के मामले को बढ़ावा मिला है। अब लम्बी चर्चा के पश्चात् यह निर्णय किया

गया है कि हमें रंगीन टेलीविजन लाना चाहिए, भले ही यह अच्छा हो या खराब। हमने अब यह निर्णय लिया है। परन्तु अब यह वाद-विवाद आरम्भ हो गया है कि क्या हमें रंगीन टेलीविजन सेटों का आयात करना चाहिए अथवा उन्हें अपने देश में बनाना चाहिए। हमारे इन्जीनियर और वैज्ञानिक दावा करते हैं कि वे रंगीन टेलीविजन सैटों का इस देश में ही निर्माण कर सकते हैं। हमें यह देख कर बहुत चिन्ता हो रही है कि सरकार की हमारे राष्ट्रीय उद्योग के हित के विपरीत 4 लाख रंगीन टेलीविजन सेट आयात करने में रुचि है।

केवल इतना ही नहीं, समाचार-पत्रों में यह पहले ही आ चुका है कि देश के अन्दर कुछ बड़े स्वार्थी लोग सरकार की नीति को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार केवल रंगीन टेलीविजन सेटों के आयात के लिए ही लाइसेंस दे और सरकार देश में रंगीन सेटों के निर्माण न करने की नीति में परिवर्तन न करे। इन स्वार्थी लोगों का विदेशी कम्पनियों से सम्बन्ध है और वे यहां भी प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं।

अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि हमें रंगीन टेलीविजन लाना ही है तो आप विलम्ब क्यों कर रहे हैं। इसका उत्तर हमेशा टालमटोलम वाला रहा है। जब हम रंगीन टेलीविजन का निर्माण कर सकते हैं और इसका निर्माण एशियाई खेलों से पूर्व प्रारम्भ कर सकते हैं तो रंगीन टेलीविजन के निर्माण के लिए एक दीर्घावधि नीति क्यों नहीं बनाई जाती? क्या कारण है कि नीति सम्बन्धी निर्णय क्यों नहीं लिया गया है? यदि हम रंगीन टेलीविजन के निर्माण के सम्बन्ध में नीति निर्णय लेते हैं तो हम इसका उत्पादन कब से आरम्भ करने जा रहे हैं?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या पश्चिम-बंगाल सरकार को रंगीन टेलीविजन के निर्माण की अनुमति दी जाएगी?

श्री एम० एस० संजीवी राव : आरम्भ में माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम 4 लाख सेटों का आयात नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात, आप जैसा कि जानते हैं कि सरकार ने देश भर में रंगीन टेलीविजन का प्रसारण करने का निर्णय लिया है। सूचना और प्रसारण करने का मन्त्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं कि अधिकांश लोगों को जल सचार की उन्नत प्रणालियों द्वारा रंगीन टेलीविजन देखने की सुविधा प्राप्त हो जावे। अतः हमने यह सोचा, सरकार ने यह सोचा कि लोगों को रंगीन टेलीविजन देखने की सुविधा भी प्राप्त हो। इसीलिए हमने 1250 रुपये में रंगीन ट्यूब डिफ्लेक्शन योकों तथा कुछ आई० सी० सी० और ट्रांसिस्टरों से युक्त रंगीन पैक आयात करने के उपाय किए हैं। मैं आपको यह बता दूं कि विश्वव्यापी मन्दी के कारण तथा देशों में गहन प्रतिस्पर्धा होने के कारण हमने बड़ा सौदा किया है और सारे आयातित उपकरण केवल 1250 रुपये में प्राप्त किए हैं।

जहां तक अन्य बातों का प्रश्न है, उन्होंने देश में उत्पादन करने के बारे में पूछा है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पिलानी स्थिति प्रयोगशाला में अवश्य ही एक रंगीन टेलीविजन सैट का विकास किया गया है। परन्तु यह केवल प्रयोगशाला नमूना है और इसमें भी 1200 रुपये की आवश्यकता है। कृपया यह स्मरण रखें कि लोगों को एशियाई खेलों को दिखाने की सुविधा देने की आवश्यकता देखते हुए हमने लगभग बीस फर्मों को रंगीन टेलीविजन का निर्माण करने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : महोदय, उत्तर बहुत ही टालमटोल वाला अथवा अस्पष्ट है।

(व्यवधान)

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है, मेरे विचार में यह 5 जुलाई के न्यू दिल्ली एक्सप्रेस सर्विस में था, जिसमें हैदराबाद स्थित भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स निगम ने यह कहा है कि वे अपनी देशी तकनीकी जानकारी के आधार पर एशियाई खेलों से पहले रंगीन टेलीविजन सेटों का उत्पादन कर सकते हैं।

...(व्यवधान)...

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे यह जानना चाहते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार को रंगीन टेलीविजन के उत्पादन की अनुमति दी जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, आप केवल दो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री नारायण चौबे : लघु टेलीविजन उत्पादकों ने कहा है कि यदि उन्हें आयातित पुर्जों से रंगीन टेलीविजन सेटों के उत्पादन की अनुमति दी जाती है तो वे उन बड़े टेलीविजन उत्पादकों की अपेक्षा, जिनको टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं जो अधिक लागत पर इनका निर्माण कर सकते हैं, अधिक सस्ती लागत पर छोटे टेलीविजन सेटों का उत्पादन कर सकते हैं। इसकी लागत 5000 रुपये हो सकती है। ऐसे भी कई लघु उत्पादक हैं जो 5000 रुपए से कम पर भी इनका उत्पादन कर रहे हैं। वे कहते हैं वे अन्यों की अपेक्षा कहीं कम कीमत पर रंगीन टेलीविजन सेट बना सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा उनके मामलों पर विचार किया जाएगा अथवा नहीं ?

श्री एम० एस० संजीवी राव : अध्यक्ष महोदय, भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स निगम लिमिटेड, यदि वे अपनी तकनीकी जानकारी के आधार पर इनका उत्पादन करना चाहता है तो उनका ऐसा करने पूर्ण औचित्य है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु कृपया इस बात को याद रखिए कि यह तदर्थ एक बार की अनुमति केवल एशियाई खेलों के लिए है और यह केवल 1250 रुपए पर है।

देशी तकनीकी जानकारी के आधार पर भी ई० सी० आई० एल० को 1200 रुपए की आवश्यकता हो सकती है। कृपया एक और बुनियादी बात याद रखिए कि काले और सफेद टेलीविजन के विपरीत, जिसमें ट्यूब परस्पर परिवर्तनीय होती है, रंगीन टेलीविजन में तीन प्रणालियां होती हैं—एन० टी० एस० सी०, एस० ई० सी० ए० एम० और पी० ए० एल०। इसके अतिरिक्त तीन प्रकार की ट्यूबें होती हैं –ट्रिनट्रान, प्रीसिशन-इन-लाइन और डेल्टागन (व्यवधान) परन्तु यह बहुत ही जटिल होता है। इसलिए सरकार गहराई से अध्ययन कर रही है। जैसे ही वे रंगीन टेलीविजन का उत्पादन करेंगे तो हम यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठायेंगे कि अनुत्तरदायी माया से इसे नष्ट न किया जाए।

श्री के० ए० राजन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केरल के प्रतिष्ठित इलेक्ट्रोनिक्स यूनिट केल्ट्रान की ओर रंगीन टेलीविजन के उत्पादन का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

श्री एम० एस० संजीवी राव : हमने उन लोगों को अनुमति देने का फैसला किया है जो 5000 से अधिक टेलीविजन सेट बनाना चाहेंगे। और केल्ट्रान भी इनमें सम्मिलित है और पश्चिम बंगाल की दो फर्में टेलाराम और सोनाडायम भी सम्मिलित हैं। अतः किसी के साथ भी चाहे वह पश्चिम बंगाल हो या अन्य कोई राज्य, भेदभाव नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब रंगीन टेलीविजन के बारे में कोई बात नहीं रह गई।

(व्यवधान)

श्री जेवियर अराकल : महोदय, सरकार रंगीन टेलीविजन का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। मेरा प्रश्न एक एक-दूसरे पहलू पर है। वह यह कि देश के बहुत से भागों में काले और सफेद टेलीविजन देखने की सुविधा नहीं और टेलीविजन सेटों की भी बहुत अधिक मांग है। माननीय मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि इस उद्देश्य के लिए कुछ टेलीविजन सेटों का आयात किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि टेलीविजन के क्षेत्र में लोगों का प्रशिक्षण देने तथा मरम्मत कार्य सिखाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री एम० एस० संजीवी राव : महोदय, हम रंगीन टेलीविजन सेटों का आयात नहीं कर रहे हैं। हम तो केवल रंगीन पैक का आयात कर रहे हैं जिसमें रंगीन ट्यूब, डिफलेक्शन योक, ट्रांसिस्टर तथा आई० सी० होंगे। जहां तक तकनीकी कार्मिकों का सम्बन्ध है, हम इन रंगीन पैकों का आयात करने वाली सभी बीस कम्पनियों को ई० टी० टी० डी० सी० के माध्यम से जो प्रौद्योगिकीय ज्ञान प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहे हैं।

स्टील संयंत्रों में बिजली का संकट

***85. श्री सत्य साधन चक्रवर्ती :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि बिजली की भारी कटौती के कारण इस्पात संयंत्र संकट का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां विद्युत उपक्रमों द्वारा बिजली की सप्लाई पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण हाल में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के उत्पादन में गिरावट आई है।

(ख) विद्युत उपक्रम इन प्रतिबन्धों में कमी करने का प्रयास कर रहे हैं। स्थायी स्रोतों से बिजली की सप्लायी में वृद्धि करने के लिए अन्य ग्रिडों से भी बिजली की सप्लायी करने की व्यवस्था की जा रही है। इस्पात कारखानों ने भी अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं। इस्पात कारखानों को बिजली की सप्लायी की स्थिति पर निरन्तर नजर रखी जा रही है। आशा है वर्षा-ऋतु के आरम्भ होने से पन-बिजली के उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय मुझे खुशी है कि कम से कम इस समय मन्त्री जी ने यह स्वीकार कर लिया है कि इसमें गिरावट आई है। इससे पहले वे हमेशा इन्कार करते रहे हैं। महोदय, अपने उत्तर में मन्त्री जी ने बहुत ही कुशलता से कुछ बातों को छिपाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है "कुछ गिरावट" और इसके अलावा "हाल में"। मैं यह पूछना चाहता हूं कि "हाल में" से आपका क्या तात्पर्य है। क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार बिजली की यह कटौती तथा इस्पात की फैक्टरियों में उत्पादन में कमी ठीक नवम्बर 1981 से प्रारम्भ हो गयी थी। महोदय इसके अलावा मैं यह जानना चाहता हूं कि स्टील अथोरटी आफ इंडिया लिमिटेड को कितने उत्पादन का घाटा हुआ ? क्या यह सच है कि अकेले राऊरकेला स्टील प्लान्ट को अप्रैल, मई में 70,000 टन बिक्री योग्य इस्पात का घाटा हुआ ? यदि हां, तो किन कारणों से हुआ, क्योंकि आपने इसके उत्तर में कहा है कि आपने अपने बिजली संयंत्रों की उत्पादन क्षमता को अधिकतम कर दिया है। लेकिन बिजली संयंत्रों की क्षमता अधिकतम कर देने के बावजूद भी इसके क्या कारण हैं, जिनकी वजह से उत्पादन का स्तर निम्न ही रहा है।

श्री चरणजीत चानना : महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे "हाल में" के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कहा है। "हाल में" एक सापेक्षिक शब्द है। इसका उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग रूप में होता है। जहां तक पन-बिजली की सप्लाई का सम्बन्ध है हमें इसका सम्बन्ध वर्षा से जोड़ना होता है लेकिन "हाल में" सम्बन्धी जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वे पिछले कुछ वर्षों से हैं और वह जो भी आंकड़े चाहते हैं हम उनको उपलब्ध कराएंगे। हमारे पास कल तक के आंकड़े भी उपलब्ध है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए बिजली की कमी के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन में हुए घाटे के आंकड़ों का सम्बन्ध है वे इस प्रकार हैं :—बिजली की

कमी के कारण अप्रैल-जून 1982 के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र को 19,000 टन तथा दुर्गापुर को 30,000 टन का घाटा हुआ। वास्तव में राऊरकेला बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है तथा उसको 90,000 टन का घाटा हुआ है। बोकारो को 33,000 टन तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को 4,000 टन का घाटा हुआ है।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली की मात्रा में भारी कटौती किए जाने के कारण दामोदर घाटी क्षेत्र को जिसमें बोकारो, दुर्गापुर, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील आदि सम्मिलित हैं, उत्पादन का घाटा हुआ है तथा यह प्रतिबन्ध 24 घण्टों में 75 प्रतिशत तक था? तथा (ख) क्या यह बात सच है कि विभिन्न कठिनाइयों के कारण दुर्गापुर में 2 संयत्रों को स्थापित करने में लगभग 6 महीने का विलम्ब हो जाएगा? और महोदय अन्तिम बात मै यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्य न करने के लिए श्री लूथर को इनाम दिया गया था? कार्य न करने के लिए क्या सरकार उसको सजा देगी अथवा नहीं, क्योकि दामोदर घाटी निगम इस्पात संयंत्रों को बिजली सप्लाई करने में पूर्णतः असफल रहा है।

श्री चरणजीत चानना : दामोदर घाटी निगम की सप्लाई के सम्बन्ध में जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के भाग का सम्बन्ध है, दामोदर घाटी निगम की सप्लायी बहुत खराब थी। इस सम्बन्ध में मैं आपको सयंत्र वार आंकड़ें भी दे सकता हूं, लेकिन इस समय दामोदर घाटी निगम की सप्लायी में सुधार हुआ है।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती : दामोदर घाटी निगम को 50 मेगावाट बिजली की सप्लाई करनी थी, लेकिन वह केवल 18 मेगावाट ही सप्लायी कर सकी। मैं यह जानकारी आपके ध्यान ला रहा हूं।

श्री चरणजीत चानना : मैं आपको संयंत्र वार आंकड़े बताता हूं। उसी संगठन में बोकारो दुर्गापुर, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा ए० एस० पी० आती है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि दामोदर घाटी निगम के प्रतिबन्ध भी लगे हुए थे। मैं उनसे केवल यह चाहता हूं, कि वे नवीनतम जानकारी प्राप्त कर लें। पिछले दो सप्ताहों में स्थिति में सुधार हुआ है। अतः आपने दण्ड देने के लिए जो सुझाव दिया है, वह लागू नहीं होता है।

प्रश्नों क लिखित उत्तर

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का आधुनिकीकरण

*86. **श्री जय नारायण रोत** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी योजना अवधि के दौरान कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण पद्धति, जो कि यू० एन० डी० पी० आई० एल० ओ० की सहायता से शुरू की गयी एक परियोजना है, के अधीन छठी योजना के दौरान 15 राज्यों में सोलह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उक्त परियोजना के विस्तार के रूप में पूरे देश में 75 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।

पालिका बाजार, नई दिल्ली में मिली डाइनामाइट की छड़ें।

***87. प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्री के० लकप्पा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत ही शक्तिशाली डायनामाइट को कुछ छड़ें, जिनका उद्देश्य पालिका बाजार नई दिल्ली को उड़ाना था, हाल ही में उक्त शापिंग काम्लेक्स में मिली थी ;

(ख) क्या यह सच है कि राजधानी में अन्य स्थानों पर भी, जैसे इन्द्रप्रस्थ बिजली घर पर विस्फोटक रखे पाये गये थे; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) इस मामले में की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : (क) और (ख) 25-5-82 को कनाट प्लेस में पालिका बाजार, के कूलिंग प्लांट के पास पड़ी डाइनामाइट को 26 छड़ियां बरामद की गई थीं 127-5-82 को इन्द्रप्रस्थ एस्टेट के ताप बिजली घर के गेट नं 2 के पास पड़ी डाइनामानट को एक छड़ी मिली थी। अन्य स्थानों पर बम आदि रखाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई सभी अन्य सूचनाएं झूठी पाई गई।

(ग) और (घ) पालिका बाजार में मिले विस्फोटक पदार्थों के सम्बन्ध में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 और भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

इन्द्रप्रस्थ बिजली घर के पास बरामद हुए विस्फोटक पदार्थों के सम्बन्ध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था क्योंकि जांच से यह प्रकट हुआ था कि यह तोड़ फोड़ का मामला था।

"चाइल्ड ब्राइड बाजार फार अरबस" शीर्षक समाचार

*88. बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री सुभाष यादव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "दी हिन्दुस्तान टाइम्स' 14 जून, 1982 में चाइल्ड ब्राइड बाजार फार अरबस" (अरब लोगों के लिए बाल बधु बाजार) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारी संख्या में नादान लड़कियों की शादियां देश में आए अरबों के साथ पैसे के लिए की जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने देश में आने वाले मुख्य रूप से बम्बई और हैदराबाद आने वाले अरब लोगों को बेची जा रही नादान लड़कियों का जीवन बचाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) हैदराबाद आने वाले कुछ अरब राष्ट्रिकों को गरीब परिवारों को लालच देकर स्थानीय मुस्लिम लड़कियों से शादी करते पाया गया ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार स्थिति के प्रति पूरी तरह सजग है और ऐसे बुरे कृत्यों को रोकने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है । ये उपाय हैं ?

(1) वक्फ बोर्ड और विभिन्न सामाजिक सगठनों की सहायता से जनमत तैयार करना ।

(2) दलालों और होटल वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना जो ऐसी संदेहास्पद गतिविधियों में ग्रस्त हैं ।

(3) जो अरब राष्ट्रिक सऊदी अरेबिया सरकार द्वारा जारी किये गये पूर्वनिमित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं, उनसे शादी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त अनुरोध नामंजूर करने के लिए वक्फ-बोर्डों से कहना ।

दिल्ली में जारी सिक्के और नोट

*89. श्री गुफरान आजम : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता लगा है राजधानी में अनेक व्यक्ति जाली सिक्के और नोट बना रहे हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जहां तक राजधानी में जाली सिक्के और नोट बनाने का सम्बन्ध है, चालू वर्ष के दौरान केवल एक मामले का पता लगा है । 1981 में ऐसे किसी मामले का पता नहीं लगा । परन्तु 1982 के प्रथम पांच महीनों में जाली नोटों/सिक्कों की बरामदगी 5 मामले सूचित किये और 1981 में ऐसे 14 मामल सूचित किये गये थे ।

(ख) और (ग) 6-1-82 को एक व्यक्ति पकड़ा गया था और उसकी व्यक्तिगत तलाशी से 100/-रुपये मूल्यांक के 6 जाली नोट बरामद किये गए । आगे जांच पड़ताल से पांच और सिक्के बरामद किये गए और उनको बनाने में काम में आने वाले उपकरण तथा सामग्री भी बरामद की गई। इसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति और गिरफ्तार किया गया । इस प्रकार इस मामले में 2 गिरफ्तारियां की गई ।

(घ) थाना सीलमपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 232/235/34 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है ।

आन्ध्र प्रदेश में जमीन पर अवैध कब्जे की समस्या को हल के लिए अध्यादेश

*90. श्री धर्मवीर सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षों से सार्वजनिक और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की समस्या को हल करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक एवं श्रम न्यायालय, नई दिल्ली में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति ।

*91. श्री रेशमा मोतीराम भोये : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार औद्योगिक एवं श्रम न्यायालय, बारखम्बा रोड, नई दिल्ली के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) यह पद कब से रिक्त पड़ा हुआ है ; और

(घ) इस अधिकारी को किस तारीख तक नियुक्त किए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकार एवं श्रम न्यायालय, नई दिल्ली के पीठासीन अधिकारी का पद 5 जनवरी, 198? से रिक्त पड़ा है। नियुक्ति करने में विलम्ब का मुख्य कारण उपयुक्त न्यायिक अधिकारी को उपलब्ध न होना है। इस पद के लिए एक अधिकारी का चयन किया जा चुका है और उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव भेज दिया गया है। आशा है कि वे शीघ्र कार्यभार ग्रहण कर लेंगे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मजूरी विवाद का न्याय निर्णय ।

*92. **डा० कृपा सिंधु भाई :**
श्री सुनील मैत्रा : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ऐसे अनुदेश भेजे हैं जिनमें उन्हें निदेश दिए गए हैं कि वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों तथा उनके कर्मचारियों के बीच मंजूरी विवादों को न्याय निर्णय के लिए न भेजे ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने इसका क्या उत्तर दिया है ; और

(ग) परिपत्र जारी करने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मारुति उद्योग लिमिटेड की प्रगति

93. **श्री उत्तम राठोर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री कारों तथा अन्य छोटे वाहनों के निर्माण के सम्बन्ध में मारुति उद्योग लिमिटेड ने क्या प्रगति की है ; और

(ख) इस कम्पनी द्वारा निर्मित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों की प्राक्कलित लागत कितनी होगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड ने एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है और जापान की मैसर्स सुजुकी मोटर कम्पनी

लिमिटेड जिसके साथ मारुति उद्योग लिमिटेड ने 14 अप्रैल, 1982 को एक सूझ बूझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, के सहयोग से यात्री कारों और उनकी हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों के परिवर्तित रूपों के निर्माण हेतु सरकार की मंजूरी मांगी गई है।

(ख) इन गाड़ियों का उचित मूल्यों पर निर्माण करने का प्रस्ताव है। गाड़ियों की अनुमानित लागत निवेश के बारे में किए जाने वाले निर्णयों, उत्पादन की मात्रा और अन्य सम्बन्धित मामलों पर निर्भर करेगी।

बन्धुआ मंजूरी के कारण

*94. श्री एम० एम० लारेंस :

श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बन्धुआ मजदूर प्रणाली के प्रचलन के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार का कोई अध्ययन करने का है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) और (ख) सरकार ने बन्धुआ श्रम प्रणाली की विद्यमानता के कारणों का कोई सीधा अध्ययन नहीं किया है। तथापि श्रम मन्त्रालय ने केन्द्रीय ग्रामीण असंगठित श्रमिक स्थायी समिति की सिफारिशों पर अप्रैल, 1979 में बन्धुआ श्रमिकों संबंधी उप समिति का गठन किया ताकि बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने और उन्हें स्वतन्त्र कराने की प्रक्रिया तथा रीतियों की पुनरीक्षा की जा सके और इन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या सुधार किये जाने चाहिएं, इस बारे में सिफारिशें की जा सकें।

उप समिति ने उक्त पहलुओं की विस्तार से जांच की और नवम्बर, 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय मोटे तौर से उल्लेख किया कि बन्धुआ श्रमिक प्रणाली के मूल कारण अत्यधिक दरिद्रता, पूर्ण सम्पदाहीनता और निस्सहायता तथा कुसीदात्मक गैर-सरकारी महाजनी प्रणाली है।

श्रम मन्त्रालय ने भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान को 1978-79 में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल जिले में, और 1979-80 में बिहार के मुंगेर जिले, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले और उड़ीसा के कोरापुत जिले में बन्धुआ श्रमिक पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन अध्ययन करने का काम सौंपा। संस्थान ने सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में बन्धुआ

श्रमिक प्रणाली की विद्यमानता के निम्नलिखित कारण बताएं :—

1. ऋण और ऋण पर लगने वाला सूद ।

2. विरासत की आर्थिक प्रणाली जिसमें मृतक पिता की सभी जिम्मेदारियां बेटे पर आ जाती हैं जैसा की सभी जिम्मेदारियां बेटे पर आ जाती हैं जैसाकि मुंगेर जिले के कुछ भागों में विद्यमान है।

3. कम्यूनिटी के प्रति सेवा करने की रिवाजी वचनबद्धता (उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में नाजगी और बिहार के मुंगेर जिले में कामिया)

4. देय राशि और ऋण या पेशगी के लिए सेवा प्रस्तुत करना। (यहां उन राज्यों में प्रचलित है जहां बधुआ श्रमिक विद्यमान हैं।)

5. ग्रामीण समाज आदि में जातिय और सामतशाही ढांचा।

6. भूधृति की अजीव प्रणाली (जैसे मध्य प्रदेश में जबलपुर में मालगुजारी)।

7. लाभकारी रोजगार के व्यापक अवसरों की कमी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश तथा अन्य इलाकों के पहाड़ी क्षेत्रों में।

यह सामान्यतः महसूस किया गया है कि विवाह, अंतेष्टि, मवेशी और कृषि यंत्र खरीदने के लिए और जुर्माना देने के लिए ऋण मांगा जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एच० एम० टी० फैक्ट्री, श्रीनगर में तालाबन्दी

*95. श्री जगपाल सिंह :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एच० एम० टी० फैक्ट्री, श्रीनगर में तालाबन्दी की घोषणा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो फैक्ट्री में कितने दिन तालाबन्दी रही ;

(ग) किन परिस्थितियों में फैक्ट्री में तालाबन्दी की घोषणा की गई थी ; और

(घ) उसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ख) दो कर्मचारियों को इस बात का कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद कि क्यों न उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं क्योंकि वे कारखाने में दो बायलरों के साथ जानबूझ कर छेड़खानी करने के दोषी पाये गये थे, श्रमिक अशांति के कारण एच० एम० टी० कारखाना, श्रीनगर में 10 से 14 मई, 1982 तक 5 दिनों की अवधि के लिए तालाबन्दी रही। कार्य के अस्तव्यस्त होने के कारण उत्पादन में 30 लाख रु० की हानि होने का अनुमान है।

तस्कर एस० एन० बखिया का अगाया जेल से भाग जाना

*96. श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :
श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 मई को अगादा जेल से सब से बड़े तस्कर एस० एन० बखिया के भाग जाने के सम्बन्ध में कोई उच्च स्तरीय केन्द्रीय जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) उसे दुबारा गिरफ्तार करने के लिये सरकार द्वारा और क्या कदम उठायें गये ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) केन्द्रीय आसूचना विभाग से घटना की जांच पड़ताल करने के लिए कहा गया है। सरकार श्री बखिया को फिर से पकड़ने के सभी प्रयत्न कर रही है। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा देश में अन्य निगम स्थानों को शीघ्र ही 30 मई, 82 और उसके बाद सावधान कर दिया गया तथा देश से उसके निकलने को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त राजस्व सतर्कता निदेशालय द्वारा उनके छिपने के सभी स्थानों तथा उन स्थानों पर जहां वह और उसके साथी प्रायः जाते थे छापे मारे गये हैं और उन पर निरन्तर निगरानी रखती जा रही हैं श्री बाखिया के विरुद्ध गुजरात सरकार द्वारा पारित नजरबन्दी के आदेश के विरुद्ध उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से यदि कोई याचिका दायर की जाती है तो उस पर ध्यान देने प्रतिरोध करने के बारे उच्चतम न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय में चेतावनियां भी दी गई हैं। आबकारी तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियंत्रक अहमदाबाद द्वारा ऐसी सूचना देने पर जिससे श्री बखिया को पकड़ा जा सके 5000/रु० का नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है।

हिन्द महासागर में दो प्लाटों के लिए अनन्य खनन अधिकार।

*97. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने अनन्य खनन अधिकार प्राप्त करने के लिए हिन्द महासागर के समुद्र तल के दो प्लाटों की मांग की है ;

(ख) यदि हां तो इस मामले में योजनाओं का स्वरूप क्या है ; और

(ग) इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाये गये एक प्रस्ताव में 30 अप्रैल, 1982 को, भारत को समुद्र तल खनन में "अग्रणी निवेशक" (पायनिअर इन्वेस्टर) के रूप में मान्यता दी गई है। समुद्री कानून पर होने वाला सम्मेलन दिसम्बर 1982 में हस्ताक्षर के लिए शुरू होगा।

जब भारत सम्मेलन के कागज पर हस्ताक्षर कर चुकेगा और प्रारम्भिक आयोग (प्रिपेरेटरी कमीशन) जिसे कि सम्मेलन के लागू होने के समय तक काम करना है, स्थापित किया जा चुकेगा, तब भारत का इरादा है कि वह अग्रणी क्षेत्र के लिए प्रारम्भिक आयोग (प्रिपेरेटरी-कमीशन) के सामने अपना दावा पेश करे।

बम्बई कपड़ा मजदूरों की हड़ताल

*९८ **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बम्बई कपड़ा मजदूरों के विवाद को जो इस वर्ष जनवरी से हड़ताल पर है; हल करने तथा उसमें बीच-बचाव करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किए गए थे;

(ग) क्या महाराष्ट्र में कपड़ा मजदूरों ने आन्दोलन को तेज करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) सरकार ने बम्बई में सूती कपड़ा मिलों में चल रही हड़ताल को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में 9 जुलाई, 1982 को श्रम मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य, जिसमें सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, संलग्न विवरण में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार को आन्दोलन को तेज किए जाने के सम्बन्ध में इस प्रकार के निर्णय की जानकारी नहीं है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को देखते हुए यह आशा है कि श्रमिक बड़ी संख्या में शीघ्र ही काम पर वापस आ जाएंगे।

विवरण

सदन को मालूम है कि बम्बई की हड़ताल जो कि 60 सूती कपड़ा मिलों में से अधिकांश मिलों में गैर-कानूनी घोषित की गई है, 18 जनवरी, 1982 से जारी है। इस हड़ताल का आह्वान मान्यता न प्राप्त एक यूनियम ने किया था, हालांकि सूती कपड़ा मिलों की श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधि और प्रबन्धकों के बीच एक समझौता पहले से ही विद्यमान है और यह समझौता 31 दिसम्बर, 1984 तक वैध है। हड़ताल का आह्वान करने से पहले न राज्य सरकार से और न प्रबन्धकों से सम्पर्क स्थापित किया गया। राज्य सरकार जो कि इस स्थिति से निपटने के लिए समुचित सरकार है और केन्द्रीय सरकार दोनों ने ही इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए सतत प्रयास किए हैं। महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने यह घोषणा की है कि सामान्य स्थिति बहाल होने पर राज्य सरकार श्रमिकों की सभी वैध मांगों की जांच करेगी। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए इस रुख का पूर्णतः समर्थन किया है कि श्रमिकों की सभी वैध मांगों का हल सामान्य कानूनी तंत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए।

2. सरकार श्रमिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों से पूर्णतः अवगत है। यद्यपि कई मिलों ने अंशतः उत्पादन कार्य पुनः शुरू कर दिया है तथापि इस हड़ताल के कारण सूती कपड़े के उत्पादन में हुई हानि का भी सरकार को पता है। सरकार ने इस मामले को कभी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया और बार-बार सरकार श्रमिकों को यह बताती रही है कि जैसे ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी, उनकी उचित मांगों की जांच करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाएगी और एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उनका समाधान निकाला जाएगा।

3. केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के परिणाम-स्वरूप कई श्रमिक काम पर लौट आए हैं। यह बात पुनः सिद्ध करने की दृष्टि से कि, श्रमिकों के हितों का सरकार को जाने-माने में अधिक ध्यान है, वह अब कुछ और कदम उठाना चाहती है।

4. इस उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति गठित करने का निर्णय किया है जिसमें (1) केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों, (2) उद्योग और (3) सरकार के प्रतिनिधि होंगे। इस समिति के विचारार्थ विषय ये होंगे :—

(क) (1) कपड़ा मिल उद्योग के कर्मकारों की समस्याओं की जांच की जाए और उनके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

(2) कपड़ा मिल उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं, जिनमें उद्योग का आधुनिकीकरण तुरन्त करने की आवश्यकता भी शामिल है, की जांच की जाए और उनके बारे में रिपोर्ट की जाए।

(3) ऊपर (1) और (2) पर निर्दिष्ट सिफारिशें देश के सम्पूर्ण कपड़ा मिल उद्योग से सम्बन्धित होंगी।

(4) समिति अपनी रिपोर्ट एक वर्ष की अवधि के भीतर दे देगी और श्रमिकों से सम्बन्धित इसकी सिफारिशों को समय-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा। बम्बई सूती कपड़ा उद्योग कुछ विशेष समस्याओं का सामना करता रहा है। तदनुसार, समिति निम्नलिखित के सम्बन्ध में रिपोर्ट देगी :--

(5) (1) बदली श्रमिकों की समस्याएं (2) मकान किराया भत्ते के लिए श्रमिकों की मांग (3) सवारी भत्ते के लिए श्रमिकों की मांग। यह समिति इन मामलों के संबंध में रिपोर्ट दो मास की अवधि के भीतर दे देगी और इसकी सिफारिशें यथाशीघ्र कार्यान्वित की जाएंगी। मकान किराया भत्ते और सवारी भत्ते के बारे में समिति की सिफारिश के प्राप्त होने तक, श्रमिकों को प्रति मास 30 रुपए की तदर्थ राशि का भुगतान किया जाएगा जिसका बाद में समायोजन किया जाएगा।

(6) समिति द्वारा बम्बई की सूचना के अतिरिक्त मजदूरी की मांग की जांच की जाएगी और यह समिति उसके बारे में छः मास की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसे शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

(7) ऐसी अन्य समस्याओं के बारे में जो समिती को भेजी जाएगी या जिन पर समिति रिपोर्ट देना चाहेगी, उनके बारे में समिति सरकार को एक वर्ष की अवधि के अन्दर रिपोर्ट देगी।

ऐसे श्रमिकों को, जो सरकार के इस वक्तव्य के अनुसार पुनः कार्य शुरू कर देंगे, प्रबंधकों द्वारा पेशगी के रूप में 650 रुपए की राशि दी जाएगी, जिसे छः समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा। इस पेशगी की वसूली मन्जूरी के छः महीने के बाद शुरू होगी।

किसी भी श्रमिक को, जो काम पर वापिस आ जाएगा, हड़ताल में भाग लेने के लिए या सम्मिलित होने के लिए सताया नहीं जाएगा, सिवाय उन श्रमिकों के, जिन्होंने डराए-धमकाने या हिंसा की कार्यवाही की है या जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

सरकार की ओर से, मैं हड़ताल पर गए श्रमिकों से यह अपील करता हूं कि वे ड्यूटी पर आ जाएं और पुनः कार्य आरम्भ कर दें। काम पर लौट आने से, वे अपनी तथा उद्योग की भी सहायता करेंगे और ऐसा करने से राष्ट्र का भी हित सिद्ध होगा।

नई सीमेंट नीति का बाजार पर प्रभाव

*99 **श्री अरुण कुमार नेहरू** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई सीमेंट-नीति का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) अप्रैल, 1982 की तुलना में जून, 1982 के लिए खुले बाजार में सीमेंट का क्या मूल्य था ।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सीमेंट के आंशिक विनियन्त्रण की योजना 28-2-1982 से चलाई गई थी । इस योजना के चलने से पिछले कुछ महीनों में खुले बाजार में मूल्य तथा वितरण से मुक्त सीमेंट बिकने के कारण उपभोक्ताओं को सीमेंट मिलने की स्थिति सुधर गई है । अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को भी नियन्त्रित मूल्यों पर निरन्तर सीमेंट मिल रहा है ।

(ख) खुले बाजार में बिकने वाला सीमेंट मूल्य और वितरण सम्बन्धी नियन्त्रण से मुक्त है । किन्तु सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सी० एम० ए०) ने बताया था कि मई, 1982 से खुले बाजार में सीमेंट का अधिकतम मूल्य निम्न प्रकार होगा :—

स्थानीय उपकरों तथा बिक्री कर को छोड़कर	राज्यों का नाम
50 कि० ग्रा० की प्रति बोरी सीमेंट का मूल्य	
60 रुपये	महाराष्ट्र, केरल, जम्मू तथा काश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्य
56 रुपये	अन्य सभी राज्य

निजी गैस्ट हाउसों के लिए लाइसेंस जारी करना

*100 **श्री तारिक अनवर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, रिहायशी इलाकों में विशेष रूप से डिफेंस कालोनी ग्रेटर कैलाश तथा बसन्त बिहार में अनेक निजी गैस्ट हाउस बन गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इन इलाकों के निवासियों को इन शिकायतों की जानकारी हैं कि कथित गैस्ट हाउस जुए के अड्डे हैं तथा शराब खाने है; और

(ग) क्या सरकार का विचार निजी गैस्ट हाउसों में खोले जाने को लाइसेन्स आदि जारी करके विनियमित करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है ।

(ग) दिल्ली पुलिस अधिनियम के अधीन अतिथि गृहों, होटलों इत्यादि समेत सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों को लाइसेन्स देने और नियन्त्रित करने के लिए विनियम बनाए गए हैं ।

दिल्ली में लापता बच्चे

*101. **श्री चन्द्र प्रसाद वर्मा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में लापता बच्चों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979 1980 और 1981 के दौरान राजधानी में लापता बच्चों के कितने मामलों की रिपोर्ट की गई थी और पुलिस द्वारा कितने लापता बच्चे बरामद किए गए थे; और

(ग) शेष लापता बच्चों के बरामद न किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख) वर्ष 1979, 1980, 1981 के दौरान दिल्ली पुलिस को सूचित की गई लापता बच्चों की संख्या और उनमें से पुलिस स्टेशन के रिकार्डों के अनुसार बरामद किए गए बच्चों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	लापता सूचित किए गए बच्चों की संख्या (i)	बरामद सूचित किए गए बच्चों की संख्या (ii)
1979	5007	2571
1980	7899	2994
1981	5525	3096

(ग) बरामद किए गए बच्चों की संख्या वास्तव में उपर्युक्त (2) में बताई गई संख्या से अधिक होगी, क्योंकि माता-पिता लापता बच्चों के अपने आप लौट आने को घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस को नहीं करते । दिल्ली पुलिस एक ऐसा तरीका तैयार कर रही है जिससे ऐसे मामलों के बारे में भी सूचना एकत्र की जा सके ।

बड़े शहरों में वायु प्रदूषण पर नियन्त्रण

*102. **श्री हरीश रावत :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वायु (प्रदूषण निरोध और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 में वायु प्रदूषण पर खास तौर पर बड़े शहरों में नियन्त्रित करने के पर्याप्त प्रावधान हैं;

(ख) यदि हां, तो बड़े उद्योग और बिजली संयंत्र किस सीमा तक प्रदूषण नियन्त्रक उपकरणों और उपायों का प्रयोग कर रहे हैं; और

(ग) क्या वर्तमान अधिनियम में जल और बिजली प्रदूषण नियन्त्रण के लिए जिम्मेदार एजेंसियों और शहरी आयोजना के लिए जिम्मेदार एजेन्सियों के बीच तालमेल किए जाने की व्यवस्था की गई है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) अधिनियम 1981 में लागू हुआ। अधिनियम के अन्तर्गत नियम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अन्तिम रूप दिए जाने के अग्रिम चरण में हैं। राज्य विद्युत बोर्डों, राष्ट्रीय थर्मल विद्युत-शक्ति निगम तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणों को अधिनियम की आवश्यकताओं के सबध में सूचित किया गया है। समस्त सरकारी उपक्रमों को परियोजना लागत के अभिन्न अंग के रूप में प्रदूषण नियन्त्रण के व्यय को सम्मिलित करने का निदेश दिया गया है। विद्युत शक्ति संयंत्रों और उद्योगों को प्रदूषण उपशमन यंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) अधिनियम के अन्तर्गत, राज्यों में जल बोर्ड और केन्द्रीय बोर्ड को वायु प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों के रूप में भी नामित किया गया है, और केन्द्रीय तथा राज्य बोर्डों के बीच घनिष्ठ सम्बन्धों की व्यवस्था की गई है। उसी रूप में, समन्वय बनाये रखने में कोई में कठिनाई नहीं है। यद्यपि अधिनियम में बोर्डों और शहरी योजना प्राधिकरणों के बीच समन्वय की व्यवस्था नहीं है, तथापि, दो एजेंसियों के बीच सक्रिय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सतत सम्पर्क बनाए रखा जाता है। राज्य सरकार को राज्य बोर्डों के सदस्य के रूप में स्थानीय प्राधिकरणों में से 5 व्यक्तियों तक को मनोनीत करना होता है।

आंध्र प्रदेश में भारी पानी संयंत्र की स्थापना

906. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** :

श्री राजगोपाल नायडू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आन्ध्र प्रदेश में पहले चरण में 100 टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले तथा दूसरे चरण में 200 टन प्रति क्षमता वाले भारी पानी संयंत्र की स्थापना करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा और ये संयंत्र कहां पर लगाए जाएंगे ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) मानुगुरु, आंध्र प्रदेश में 200 मीटरी टन वार्षिक क्षमता का भारी पानी संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। आशा है कि इस परियोजना के लिए औपचारिक मंजूरी जल्दी ही दे दी जाएगी।

लेवी सीमेंट का राज्यवार आवंटन

907. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) नई सीमेंट नीति के अन्तर्गत राज्यों को सीमेंट का आवंटन करने का क्या आधार है ; और

(ख) वर्ष 1982-83 में लेवी सीमेंट का राज्यवार, माहवार आवंटन कितना है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान(श्री नारायण दत्त तिवारी): (क) सीमेंट से आंशिक नियंत्रण हटाने कि योजना को लागू करने से पूर्व राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सीमेंट का आवंटन पिछली खपत और सीमेंट की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर किया जाता था । 1981 की चौथी तिमाही से तथा 1982 की प्रथम तिमाही के दौरान राज्य/संघशासित प्रदेशों को सीमेंट का आवंटन करने के लिए जनसंख्या तथा न्यूनतम आवश्यकता वाले कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजनाएं तथा गन्दी बस्तियों में रहने वालों के लिए अवास योजनाएं और हरिजनों आदिवासियों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों कि आवश्यकताओं जैसी योजनाओं पर बल दिया गया था। सीमेंट से आंशिक नियंत्रण हटाने कि योजना लागू होमे तथा लेवी कोटा के अन्तर्गत सीमेंट के कम उपलब्ध होने के कारण राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सीमेंट की आबंटन उन्हे पहल किए गए आवटन के अनुपात में किया जाता है। ऐसा करते समय नए 20 सूत्री कार्यक्रम और ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सम्मिलित समाजोन्मुख योजनाओं की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। उन राज्यों को अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है जिनमें पहाड़ी क्षेत्रों के विकास हेतु पर्वतीय जिले स्थित हैं ।

(ख) सीमेंट का आवंटन तिमाही आधार पर किया जाता है तथा वर्ष 1982 की दो तिमाहियों (अर्थात 1982 की दूसरी और तीसरी तिमाही) के दौरान राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को किया गया आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	1982 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून)			1982 की तीसरी तिमाही जुलाई-सितम्बर)		
		मूल	तदर्थ	कुल	मूल	तदर्थ	कुल
1.	चण्डीगढ़	12.5	—	12.5	12.5	—	12.5
2.	दिल्ली	51.5	—	51.5	51.5	—	51.5
3.	हरियाणा	49.7	—	49.7	49.7	—	49.7
4.	हिमाचल प्रदेश	19.8	—	19.8	19.9	—	19.9
5.	जम्मू एण्ड कश्मीर	27.6	—	27.6	27.6	—	27.6
6.	पंजाब	72.4	—	72.4	72.4	—	72.4
7.	राजस्थान	60.6	—	60 6	60.6	—	60.6
8.	उत्तर प्रदेश	216.9	26.0	242.9	216.9	26.0	242.9
9.	आसाम	28.8	—	28.8	28.8	—	28.8

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	अरुणाचल प्रदेश	13.1	—	13.1	13.1	—	13.1
11.	बिहार	129.1	—	129.1	129.1	—	129.1
12.	मेघालय	17.6	—	17.6	17.6	—	17.6
13.	मिजोरम	6.4	—	6.4	6.4	—	6.4
14.	मणिपुर	9.2	—	9.2	9.2	2.5	11.7
15.	नागालैंड	14.0	—	14.0	14.0	—	14.0
16.	उड़ीसा	57.8	20.0	77.8	57.8	30.0	87.8
17.	सिक्किम	11.5	—	11.5	11.5	—	11.5
18.	त्रिपुरा	10.7	—	10.7	10.7	—	10.7
19.	पश्चिमी बंगाल	141.2	5.2	146.4	141.2	5.2	146.4
20.	दादरा एवं नगर हवेली	1.5	—	1.5	1.5	—	1.5
21.	गोवा, दमन एवं दिव	13.9	—	13.9	13.9	—	13.9
22.	गुजरात	122.4	—	122.4	122.4	—	122.4

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	मध्य प्रदेश	106.3	—	106.3	105.3	—	106.3
24.	महाराष्ट्र	167.5	—	167.5	167.5	—	167.5
25.	आन्ध्र प्रदेश	119.9	—	119.9	119.9	—	119.9
26.	अंडमान निकोबार	2.4	—	2.4	2.4	—	2.4
27.	कर्नाटक	78.8	—	78.8	78.8	—	78.8
28.	केरल	63.4	—	63.4	63.4	—	63.4
29.	लक्ष्यद्वीप	1.1	—	1.1	1.1	—	1.1
30.	पांडिचेरी	5.8	—	5.8	5.8	—	5.8
31.	तमिलनाडु	142.3	—	142.3	142.3	—	142.3

उत्तर प्रदेश में परिवर्तनशील और नवीकरणीय ऊर्जा संस्थानों का विकास

908. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार परिवर्तनशील और नवीकरणीय ऊर्जा साधनों के लिए उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे ऊर्जा की नवीकरणीय युक्तियों और प्रणालियों के विकास और उपयोग को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दें। इस उद्देश्य के प्रोत्साहन के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग द्वारा प्रदर्शन नवीकरणीय ऊर्जा एककों की सभी राज्यों में स्थापना की जा रही है। इस समय, किसी भी राज्य सरकार को सीधी वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। बहरहाल, सभी राज्यों में, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के तीव्र विकास और व्यापकतर उपयोग की वृद्धि के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं, जिनमें कि आर्थिक सहायता भी शामिल है।

देशी कलपुर्जों द्वारा रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण

909. **श्री सी० वी देसाई :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेटों के आयात में उदारता बरतने की अपेक्षा इनके देश में निर्माण कराए जाने के लिए सुविधाएं प्रदान करने का विचार है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेटों के काम में आने वाली पिक्चर्स ट्यूबों सहित नाजुक कल-पुर्जों का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ग) क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि केवल 15 प्रतिशत कल-पुर्जों का ही आयात करने की आवश्यकता है जबकि शेष 85 प्रतिशत पुर्जों का निर्माण देश में ही किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय से स्थानीय निर्माताओं को कितनी सहायता मिलेगी ?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के विनिर्माण के लिए दीर्घकालीन नीति का निर्माण अभी किया जाना है। किन्तु केवल एशियाड की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सरकार ने श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन-सेटों के सुस्थापित विनिर्माताओं को रंगीन दूरदर्शन सेटों का संयोजन

के लिए संघटक पुर्जों का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है। एशियाड की आवश्यकताओं के लिए नीति सम्बन्धी उपबन्धों का उल्लेख दूरदर्शन सेट के सभी विनिर्माओं को भेजे गए एक पत्र में किया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4238/82]

(ग) तथा (घ) यह बात सही नहीं है कि आयातित संघटक-पुर्जों के केवल 15 प्रतिशत संघटक-पुर्जों की आवश्यकता रंगीन दूरदर्शन-सेटों के विनिर्माण में पड़ेगी। वास्तव में रंगीन दूरदर्शन सेटों में लगभग 2500 रुपये की लागत में से, जिसमें सरकारी शुल्क तथा कर शामिल नहीं हैं, लगभग 50 प्रतिशत अर्थात् 1250 रुपये आयातित संघटक-पुर्जों के रूप में होंगे।

मद्रास में औद्योगिक न्यायाधिकरण व श्रम न्यायालय की स्थापना

910. श्री डी० एम० ए० शिव प्रकाशन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मद्रास में औद्योगिक न्यायाधिकरण व श्रम न्यायालय स्थापित करने का है क्योंकि श्रम मन्त्रालय की रिपोर्ट के पैरा 1,8 (1981-82) के अनुसार इस समय वहां ऐसा कोई न्यायालय नहीं है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) शुरू में यह प्रस्ताव था कि तीन अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-व-श्रम न्यायालय, जिसमें मद्रास में एक न्यायालय शामिल हैं, स्थापित किए जाएं। परन्तु केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालयों में विचाराधीन पड़े मामलों की स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए, अन्त में यह निर्णय किया गया केवल एक अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण व श्रम न्यायालय स्थापित किया जाएगा, ताकि केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-व-श्रम न्यायालय, नई दिल्ली को राहत दी जा सके, जहां सबसे अधिक विवाद अनिर्णीत पड़े हैं।

अशोक पेपर मिल्स के जोगिघोवा और रामेश्वर नगर यूनिटों का बन्द किया जाना

911. श्री भोगेन्द्र झा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड के जोगिघोवा और रामेश्वर नगर, दो यूनिटों को लम्बे समय से बन्द कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है और क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) यद्यपि अशोक पेपर मिल्स के जोगीघोपा और रामेश्वर नगर एककों का उत्पादन बहुत कम है पर ये एकक बन्द नहीं हैं।

(ख) कम्पनी कार्यशील पूंजी की भारी कमी का सामना कर रही है और राज्य सरकार वित्तीय संस्थानों के परामर्श में कम्पनी की वित्तीय सहायता करने और इसे पुनरुज्जीवित करने के तरीकों का पता लगा रही हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कार्य कर रहे कर्मचारी संघों की संख्या

912. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कितने कर्मचारी संघ और किन-किन नामों से कार्य कर रहे हैं;

(ख) एक ही नाम से कार्य कर रहे ग्रुपों के बारे में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) की क्या रिपोर्ट है;

(ग) गत छः महीनों के दौरान सीधी कार्यवाही कार्यक्रम के बावजूद मान्यता प्राप्त कर्मचारी, संघों के साथ कितनी बैठकें की गई हैं;

(घ) क्या सरकार एक उद्योग में एक कर्मचारी संघ और एक हीमान्यता प्राप्त यूनियन संघ के साथ समझौता वार्ता की नीति का पालन करती है; और

(ङ) यदि हां, तो मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी संघ को 18 जनवरी, 1982 की स्थगित बैठक में भी किसी विचार विमर्श के लिए क्यों नहीं बुलाया गया और गत छः महीनों के दौरान मान्यता न प्राप्त ग्रुप को किन कारणों से प्रोत्साहित किया गया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : कर्मचारी भविष्य निधि पदाधिकारियों ने सूचित किया है कि :

(क) विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रति निष्ठा का दावा करने वाले तीन फेडरेशन कार्य कर रहे हैं। ये हैं :

(1) अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फेडरेशन, नई दिल्ली।

(2) अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फेडरेशन, बंगलौर (अब बम्बई में) और

(3) भारतीय प्रोग्रेसिव भविष्य निधि कर्मचारी फेडरेशन, मद्रास।

(ख) से (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मे यूनियन के सत्यापन सम्बन्धी मुख्य श्रम आयुक्त की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने मान्यता प्राप्त फेडरेशन से 4-1-19˴2 को एक औपचारिक बैठक की। अनौपचारिक चर्चा भी समय-समय पर होती रही।

केन्द्र सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों और ड्राईवरों को टेरीकाट की वर्दी दिया जाना

913. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री केन्द्र सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों और ड्राइवरों की टेरीकाट की वर्दी के बारे में 17 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3808 उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रेणी "ग" और "घ" के किन्हीं वर्गों के कर्मचारियों को टेरीकाट की वर्दी दिए जाने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या टेरीकाट की वर्दी दिए जाने वाले व्यक्तियों की सूची में गेस्टेटनर आप्रेटरों को भी शामिल किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) पात्र सरकारी कर्मचारियों को टेरीकाट की वर्दियां दिए जाने के प्रश्न की, इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जांच की जा रही है और यथाशीघ्र कोई निर्णय ले लिया जाएगा।

लेवी सीमेंट का वितरण

914. **श्री समीमुद्दीन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान सीमेंट वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुछ सीमेंट मूल नियन्त्रण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किया जायेगा और शेष सीमेंट खुले बाजार में बिकने दिया जायेगा, यदि हां तो मूल्य नियन्त्रण प्रणाली के अन्तर्गत कितना और कितने प्रतिशत सीमेंट का वितरण किया जायेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि नयी सीमेंट वितरण प्रणाली लागू किए जाने के बाद लेवी सीमेंट का वितरण नहीं किया जा रहा है और खुले बाजार में हर जगह पर्याप्त मात्रा में सीमेंट उपलब्ध है और यह खुले बाजार में 62 रु० से 70 रु० प्रति बोरी तक बेचा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार नीति पर पुनः विचार करेगी ताकि लोगों को लेवी सीमेंट मिल सके और डीलरों द्वारा सीमेंट की मनमानी बिक्री पर रोक लगायी जा सके ?

उद्योग तथा इस्पात खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सीमेंट से आंशिक रूप से नियन्त्रण हटा लिए जाने की योजना के अन्तर्गत, वर्तमान सीमेंट एककों से अपनी अधिष्ठापित क्षमता के 66.6 प्रतिशत उत्पादन के बराबर नियन्त्रित (कन्ट्रोल) मूल्य पर लेवी सीमेंट दिया जाना अपेक्षित है। जिन नए एककों में 1 जनवरी, 1982 के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन होना शुरू हुआ है अथवा जिन एककों को रुग्ण एकक की संज्ञा दे दी गई है उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी अधिष्ठापित क्षमता का 50 प्रतिशत उत्पादन लेवी सीमेंट के रूप में दें। इस वर्ष लेवी सीमेंट के लगभग 170 लाख मीट्रिक टन तक उपलब्ध होने की आशा है।

(ख) नीति के चालू होने की पहली तिमाही की अवधि में सीमेंट उत्पादकों द्वारा 85 प्रतिशत लेवी सीमेंट उपलब्ध करा दी गई हैं और उन्होंने आगामी एक या दो महीनों में लेवी किस्म की सीमेंट की कमी को पूरा कर देने का आश्वासन दिया है। जहां तक गैर लेवी सीमेंट के मूल्य का सम्बन्ध है, सीमेंट निर्माता एसोसिएशन ने खुले बाजार में सीमेंट की बिक्री के निम्नलिखित अधिकतम मूल्य बताए हैं :

(1) महाराष्ट्र, केरल, जम्मू तथा काश्मीर उत्तर पूर्व के राज्य	60 रुपये प्रति बोरी। स्थानीय तथा बिक्रीकर इसमें सम्मिलित नहीं है।
(2) अन्य सभी राज्य	56 रुपये प्रति बोरी। स्थानीय तथा बिक्री कर इसमें सम्मिलित नहीं है।

(ग) इस स्तर पर नीति सम्बन्धी कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

राज्यों में बंधुआ मजदूर

915. **श्री ए० नील लोहिथा दसन नाडार :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें बंधुआ मजदूर प्रणाली अभी भी चल रही है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास बंधुआ मजदूर प्रणाली का उन्मूलन करने तथा उनके पुनर्वास के लिए कोई ठोस योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसे किस समयावधि के भीतर कार्यान्वित किया जाता है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के राज्यों से बंधुआ श्रम पद्धति की विद्यमानता के बारे में सूचित किया गया है।

(ख) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे सर्वेक्षण/जनगणनाओं/अध्ययनों के माध्यम से बंधुआ श्रमिकों की विद्यमानता का पता लगाने के लिए तुरन्त उपाय आरम्भ करें। बंधन से मुक्त कराए गए और पता लगाए गए बंधुआ श्रमिकों को केन्द्रीय/राज्य सरकारों की सहायता से पुनर्वासित किया जा रहा है। 50 : 50 आधार वाली बराबर वित्तीय सहायता की केन्द्र द्वारा संचालित एक योजना है। पुनर्वास कार्यक्रम में भूमि पर आधारित, भूमि पर न आधारित, या कौशल/शिल्प पर आधारित योजनाओं की व्यवस्था की गई है।

(ग) बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने तथा मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को फिर से बसाने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे समय सीमा, जिसका निर्धारण उनके द्वारा किया जाए, के भीतर मुक्त कराए बंधुआ श्रमिकों की मुक्ति तथा पुनर्वास की प्रक्रिया को पूर्ण करें।

कागज मिलों का उत्पादन और क्षमता का उपयोग

616. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 और 1981-82 में देश में कागज मिलों का कितना उत्पादन हुआ और कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी): (क) गत दो वित्तीय वर्षों का कागज और गत्ते का उत्पादन तथा क्षमता उपयोग निम्नलिखित हैं :

वर्ष	उत्पादन	क्षमता उपयोग
1980-81	11.45 लाख मी० टन	74.44 प्रतिशत
1981-82	12.42 लाख मी० टन (अनुमानित)	75 प्रतिशत

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में कागज परियोजनाएं लगाने के अलावा सरकार ने कागज विनिर्माण की क्षमता में वृद्धि करने के लिए बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित अभ्युपाय किया है :

(1) गौण कच्चा माल जिस पर विदेशी मुद्रा का व्यय निहित नहीं होता है, पर पर आधारित पेपर मिलों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(2) 31-3-1981 तक 30 मीटर टन प्रतिदिन की सेकेन्ड हैण्ड पेपर संयन्त्रों का आयात करने की सुविधा की अनुमति दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप क्षमता में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। चूंकि पर्याप्त क्षमता की स्वीकृत दी जा चुकी थी, देश में क्षमता का विकास करने की दृष्टि से योजना को 31 मार्च, 1981 के पश्चात वापिस ले लिया गया था।

(3) लुगदी के आयात को उदार बना दिया गया है।

(4) कागज तैयार करने के लिए वेस्ट पेपर पर आयात शुल्क उठा लिया गया है।

(5) छोटी पेपर मिलों को गैर-परम्परागत कच्चे माल के लिए उत्पादन शुल्क छूट देने की अनुमति दे दी गई है।

(6) कागज बनाने के लिए खोई का उपयोग करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं।

इन अभ्युपायों के परिणामस्वरूप अधिष्ठापित क्षमता में 1084-85 तक लगभग 25 लाख मीट्रिक टन तक भी बढ़ोतरी होने की आशा है जबकि छठी योजना में यह लक्ष्य 20.5 लाख मी. टन रखा गया है।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

917. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री नवीन रवाणी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में बंधुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए एक विशेष अभियान आरम्भ किया गया है;

(ख) देश के विभिन्न भागों के अब तक कितने बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया है; और

(ग) इस बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किस ढंग से किया जाता है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर): (क) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सर्वेक्षणों/जनगणना/अध्ययनों के माध्यम से बंधुओं श्रमिकों का पता लगाने के लिए तुरन्त उपाय करें।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, पता लगाए जा चुके श्रमिकों की संख्या 31-3-1982 को 1,39,494 थी।

(ग) केन्द्र संचालित एक योजना पहले से ही विद्यमान है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बंधुआ श्रमिक को पुनर्वास हेतु 4,000 रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाती है और यह खर्च 50 : 50 के आधार पर राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह सहायता पुनर्वास सम्बन्धी एक कार्यक्रम का भाग है, जिसमें भूमि-आधारित, गैर-भूमि आधारित या कौशल/शिल्प आधारित योजनाओं की व्यवस्था की गई है तथा जिसमें कृषि में प्रयुक्त होने वाले औजार तथा अन्य निवेश, मुर्गीपालन/बकरी/भेड़/सूअर-पालन एकक और बढ़ईगिरी के लिए औजार/उपकरण, इत्यादि जैसे आमदनी पैदा करने वाले आर्थिक एकक देने की व्यवस्था की गई थी।

दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को लिखे गए शिकायती पत्र

919. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या गृह मन्त्री आयुक्त, दिल्ली नगर निगम को लिखे गए शिकायतों सम्बन्धी पत्र के बारे में 6 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2793 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्तरों से मुख्यालयों को पुनः पत्र आदि न भेजे जाने के कारण आयुक्त/असेसर और कलेक्टर को सम्बधित पत्रों पर भी जब उन्हें टिप्पणी अथवा आवश्यक कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा जाता है उन पर दिल्ली नगरनिगम में ध्यान नहीं दिया जाता;

(ख) क्या परिपाटी के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय ऐसे किसी भी पत्र का उत्तर नहीं देता है;

(ग) वर्ष 1981-82 और 1982-83 (19 जून 1982 तक) सम्पत्ति के गलत बिलों के बारे में दिल्ली नगर निगम के आयुक्त/असेसर और कलेक्टर को ऐसे कितने पत्र भेजे गए जिनका 30 जून, 1982 तक जवाब नहीं दिया गया और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली नगर में प्रशासन स्थापना पर बजट का कितने प्रतिशत खर्च किया जा रहा है?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। दिल्ली नगर निगम के अनुसार जब कभी कोई सूचना मांगी जाती है, वह असेसर तथा कलेक्टर (मुख्यालय) को नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के जरिये निश्चित रूप से प्राप्त की जाती है। जब कभी अपेक्षित होती है, असेसर तथा कलेक्टर (मुख्यालय)/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भी पत्रों के उत्तर भेजे जाते हैं।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि वे उन्हें प्राप्त ऐसे पत्रों का अलग से कोई रिकार्ड या ब्यौरे नहीं रखते हैं।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 198 -82 के दौरान, असेसर तथा कलेक्टर विभाग के प्रशासन/कार्यालय पर कुल 72 लाख रुपए का व्यय हुआ जो दिल्ली नगर निगम के कुल वार्षिक व्यय के एक प्रतिशत (0·86%) से भी कम है।

उड़ीसा राज्य में नियोक्ताओं की ओर बकाया कर्मचारी भविष्य निधि को राशि

920. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में उड़ीसा राज्य के सभी नियोक्ताओं की ओर भविष्य निधि की कुल कितनी राशि बकाया थी;

(ख) उपरोक्त वर्षों में उसमें से कितनी बकाया राशि वसूल की जा चुकी है; और

(ग) जिन्होंने राशि जमा नही कराई उनके विरुद्ध सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार उड़ीसा के छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोजकों से भविष्य निधि के बकाये की कुल राशि और उनसे एकत्र की गई राशि नीचे दी गई है :

(रु० लाखों में)

वर्ष	बकाया राशि	एकत्र की गई राशि
1979-80	607./0	566.03
1980-81	717.19	684.24
1981-82	925.83	870.69

ऐसे नियोजकों के नामों सम्बन्धी विवरण संलग्न है। जिन्होंने 31-3-82 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा राज्य में एक लाख आर इससे अधिक की बकाया राशि का भुगतान करना है। कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारी कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अनुसार दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं।

विवरण

(रुपए लाखों में)

क्रमांक	नियोजक का नाम	बकाया राशि
1.	मैसर्स केदार मल एण्ड सन्स, राउरकेला	1·73
2.	मैसर्स कलिंगा इन्डस्ट्रीज, कटक	1. 4
3.	मैसर्स वी० पटनायक माईन्स लि०	2.11

1	2	3
4.	मैसर्स श्री दुर्गा ग्लास वर्क्स, लि० बरंग	2.07
5.	मैसर्स हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लि०	1.21
6.	मैसर्स उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स लि०	41.07
7.	मैसर्स उड़ीसा इन्डस्ट्रीज लि०	1.75
8.	मैसर्स उड़ीसा फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	2.60
9.	मैसर्स उड़ीसा फिशरीज डवलपमैंट कारपोरेशन, लि०	1.14
10.	मैसर्स इलैक्ट्रीकल स्टोरस डिवीजन, कटक	1.06
11.	मैसर्स उड़ीसा इन्डस्ट्रीज, लाठीकटा	4.37
12.	मैसर्स उड़ीसा रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लि० बरहामपुर	7.80
13.	मैसर्स सुन्दरगढ़, माइनिंग लेबर कन्ट्रेक्ट को-आप, सोसाइटी लि०	1.14
14.	मैसर्स बी० एस० एल० कं० लि० लाईमस्टोन बीरामीतरापुर	1.74
15.	मैसर्स प्रेसन्स (आई०) लि०, उड़ीसा	1.69
16.	मैसर्स राउरकेला कन्स्ट्रक्शन, उड़ीसा	1.14
17.	मैसर्स ओ० एफ० सी० सर मिल नुआपाडा, कटक	1.04
18.	मैसर्स हीराकुंड इन्डस्ट्रीज वर्क्स लि०	1.05

कृषिकार विधेयक, 1980

921. श्री गदाधर साहा :

श्री पी० के० कोडियन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण हैं कि ग्रामीण असंगठित श्रमिकों विषयक केन्द्रीय स्थायी समिति

की कृषि कर्मकारों के लिए केन्द्रीय विधान विषयक उप समिति द्वारा जिस कृषि कर्मकार विधेयक 480 का प्रारूप तैयार किया गया था उसे पिछले दो वर्षों से संसद के दोनों सदनों में से किसी के समक्ष पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, बावजूद इसके कि सभी पक्षों द्वारा उक्त विधान को शीघ्र पारित करने की भी मांग की गई है और सरकार द्वारा ऐसा करने का आश्वासन दिया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सत्र में इसे लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

श्रम मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) एक राज्य से दूसरे राज्य में और राज्य के भीतर विद्यमान विभिन्न दशाओं के कारण एक समान विधान को कार्यान्वित करने के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा बताई गई कठिनाइयों के परिणामस्वरूप कृषि श्रमिकों के लिए केन्द्रीय विधान के मसौदे को अन्तिम रूप देना सम्भव नहीं हुआ है। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन ने कार्यकारी दल द्वारा गहराई से अध्ययन करने की सिफारिश की थी। इस कार्यकारी दल ने पहले ही इस मामले पर विचार किया है, परन्तु वे कोई सर्वसम्मत निर्णय नहीं ले सके।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

सार्वजनिक उपक्रमों में निदेशक-मंडल का नाम निर्देशन

922. **श्री भीखा भाई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन उन सार्वजनिक उपक्रमों तथा उनकी उप-कम्पनियों की संख्या कितनी है जिनमें गैर-सरकारी निदेशक मण्डल नाम निर्देशित किए जाने हैं और उनके निदेशक मण्डलों (गैर-सरकारी) का गठन क्या है तथा उनका कार्यकाल कितना है;

(ख) इन संगठनों का गठन किस तारीख से किया गया है और उनका वर्तमान कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है;

(ग) निदेशक-मंडलों में नाम निर्देशित गैर-सरकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति निदेशकों के ब्यौरे क्या हैं;

(घ) यदि सार्वजनिक उपक्रमों तथा उनकी उप-कम्पनियों के निदेशक-मंडल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है तो क्या सरकार का विचार ऐसा करने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क), (ख) और (घ) इस्पात विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में सरकारी क्षेत्र के 13 उपक्रम और

उनकी सहायक कम्पनियां हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी निदेशक इन कम्पनियों की अन्तर-नियमावली के अनुसार नामित किए जाते हैं। जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है 4 उपक्रमों में गैर सरकारी निदेशक नामित किए गए हैं। सरकारी तथा गैर-सरकारी निदेशक उन की जाति के आधार पर नियुक्त नहीं किए जाते हैं।

(ग) इन निदेशक मंडलों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कोई गैर-सरकारी निदेशक नहीं हैं।

विवरण

इस्पात विभाग के प्रसानिक नियन्त्रण के अधीन सरकारी उपक्रमों के निदेशक मंडलों में गैर सरकारी निदेशकों की सूची

1. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड

	नाम	कार्यकाल
i.	श्री गोपेश्वर, महासचिव, इन्टक जमशेदपुर	22-1-82 से अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक
ii.	इंडियन आयरन और स्टील कंपनी	
1.	श्री गोपेश्वर, महासचिव, इन्टक, जमशेदपुर	10.12.80 से 30.9.82 तक
iii.	मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन	
1.	श्री इकबाल एस. नाथानी	26.9.80 से वर्ष 1983 में होने वाली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक
2.	श्री एन० के० राजगढ़िया	30.9.81 से वर्ष 1983 में होने वाली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक
iv.	इंडिया फायर ब्रिक्स और इन्सूलेशन कम्पनी	
1.	श्री के० के० मोहन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०)	5.4.80 से लेकर अगले आदेश दिए जाने तक

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए स्वयं सेवा संगठनों को अनुदान

923. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासियों, हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास कार्य में लगे स्वय सेवा सगठनों में से प्रत्येक संगठन को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है ; और ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं तथा उनके मुख्यालय कहां हैं ; और

(ख) किन कार्यों के लिए अनुदान दिया जाता है और उनकी वार्षिक राशि कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर): (क) और (ख) सूचना अनुलग्नक में दी गई है ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 429/82 3]

पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्यदल की स्थापना

924. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों के सहयोग से पर्यावरण के संरक्षण क लिए प्रस्तावित कार्यदल की स्थापना कर दो है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यबल का स्वरूप और और उसका संगठन क्या है उन्हें प्रत्येक राज्य में किस तिथि से स्थापित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इनकी स्थापना कब तक कर दी जायगी ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इलैट्रोनिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) पश्चिमी हिमालय में पारि-विकास के लिए कार्य बल बनाने के प्रश्न पर पर्यावरण विभाग द्वारा रक्षा मंत्रालय के साथ गहराई से विचार किया गया था और यह प्रश्न इस समय जिनके अत्यन्त सक्रिय रूप विचाराधीन है ऐसा एक बल चालू वित्त वर्ष में बनाए जाने की आशा है ।

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा उत्पादकों का विविधीकरण

925. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का विचार अपने उत्पादों का विविधीकरण करने के लिए नई स्कीमें शुरू करने का है और ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) माइक्रो प्रासेसर पर आधारित कन्ट्रोल इन्स्ट्रूमेंटेशन का निर्माण करने तथा कन्ट्रोल वाल्व श्रेणी का विस्तार करने के लिए प्रस्ताव इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के विचाराधीन हैं ।

बड़ी फर्मों द्वारा इलैक्ट्रोनिक उपकरणों का उत्पादन

926. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इलैक्ट्रोनिक उपकरण बनाने वाले छोटे एकक अपने उत्पादों का मूल्य घटाने में असमर्थ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय करने का विचार किया है कि इलैक्ट्रोनिक उपकरण सस्ते मूल्यों में तैयार हो तथा बेचे जायें;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार यह सुझाव देने का है कि बड़ी-बड़ी फर्मों को इलैक्ट्रोनिक उपकरण तैयार करना शुरू करना चाहिए; और

(घ) बाजार से सस्ते दामों पर इलेक्ट्रोनिक उपकरण उपलब्ध करने हेतु सरकार अन्य क्या कदम उठा रही है ?

इलेक्ट्रानिकी विभागों में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों के उत्पादन के लिए सरकार ने कई प्रोत्साहन तथा रियायतें प्रदान की हैं । प्रथमत एक नई औद्योगिक लाइसेंसिंग तथा विदेशी सहयोग विषयक नीति बनाई गई और वर्ष 1980 से इसे अमल में लाया गया (देखिए संलग्न विवरण) । दूसरे, औद्योगिक लाइसेंस विषयक कार्यविधियों को सुव्यवस्थित बनाया गया है और तथा इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों के उत्पादन के लिए औद्योगिक अनुमोदनों से संबधित सभी पहलुओं के शीघ्र निपटान के लिए पिछले दो साल से एक अन्य विभागीय कार्यदल कार्य कर रहा है । तीसरे, पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय बजट में कई आर्थिक तथा वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं । इनमें निम्नलिखित शामिल थे संघटक पुर्जों के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले पूंजीगत उपस्करों पर मूल्यह्रास की उच्चतर दर; वर्ष 1982-83 संघीय बजट मे ऐसे पूंजीगत उपस्करों पर मूलभूत आयात शुल्क घटाकर 25 प्रतिशत (साथ ही 10 प्रतिशत सहायक) कर दिया गया है, जो अन्य उद्योगों की अपेक्षा

बहुत कम है। चौथे, कच्ची सामग्रियां जिनमें से अधिकांश का प्रयोग संघटक-पुर्जों के उत्पादन में किया जाता है और अन्तर्गस्त सामग्री की किस्म के आधार पर जिन पर आयात शुल्क अधिकांशतः 75 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत तक अथवा उससे भी अधिक लगा करता था, अब वर्ष 1980 में 59 सामग्रियों पर, वर्ष 1981 में 60 सामग्रियों पर तथा वर्ष 1982 में 13 सामग्रियों पर घटकर 55 प्रतिशत की एक समान दर पर कर दिया गया है और इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों के विनिमिर्ताओं की उपादान पर आने वाली लागत कम हो गई है। पांचवे, तैयार संघटक-पुर्जों पर आयात शुल्क क्रमश: बढ़ा दिया गया था। इसी प्रकार जहां कुछ वर्ष पहले तैयार संघटक पुर्जों पर लगभग 120 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाता था, वहां वर्ष 1982-83 के संघीय बजट में इसे बढ़ाकर 140 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों के उत्पादन को अति उच्च शुल्क दर का संरक्षण प्रदान किया गया है।

इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा उद्योग को निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय भी उपलब्ध कराए गए हैं।

(1) नए उद्योगों, पर्याप्त विस्तार, आधुनिकीकरण, संतुलन बनाए रखने आदि के लिए आवश्यक इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों के लिए अपेक्षित अधिकांश पूंजीगत उपस्करों पर शुल्क घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है।

(2) नए पूंजी-निवेशों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा उद्योग को आयकर अधिनियम की अनुसूची-9 में शामिल किया गया है।

विवरण

भारत में इलेक्टानिक उपस्करों और प्रणालियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत पूर्वशर्त यह है कि विभिन्न किस्म के इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जे मुक्त रूप से और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। अत: इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जा उद्योग के विकास के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाने का निर्णय किया है :—

1. बड़े पैमाने तथा सुदृढ़ आधार पर और उद्यमकर्त्ताओं का एक व्यापक आधार बनाकर संघटक-पुर्जों के विनिर्माण को बढ़ावा देने/लाइसेंस प्रदान करने/सुस्थापित करने का अर्थ यह होगा कि उत्पादन हमारे विशुद्ध देशी आवश्यकताओं से कुछ अधिक होगा किन्तु जब उद्योग का संबर्धन अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से सक्षम आधार पर किया जाएगा तो निर्यात को प्रचुर सम्भावना उपलब्ध होगी।

2. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक दृष्टि से सक्षम आधार प्रदान करने और साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता (क्वालिटी) सुनिश्चित करने के लिए बड़ी उत्पादन क्षमताएं स्थापित

करना जरूरी है। स्वचालित मशीनों के प्रादुर्भाव से प्रोद्योगिकी दृष्टि से यह एक अनिवार्यता बन गयी है।। तदानुसार वर्तमान संगठित क्षेत्र के उद्योगों को मुक्त रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है।

3. मांग की स्थिति और इस कार्य को मूर्त रूप देने में लगने वाले समय को देखते हुए इस बात की सम्भावना बहुत कम नजर आती है कि वर्तमान यूनिटें अपने कार्य क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार और आधुनिकीकरण किए बगैर इस मांग की पूर्ति करने की स्थिति में होगी अतः और अधिक क्षमता का निर्माण करना जरूरी समझा गया है। इस क्षमता को केवल स्वदेशी मांग को ध्यान में रखते हैं अपितु निर्यात की सम्भावनाओं को भी मद्दे नजर रखते हैं।

4. जहां तक विदेशी प्रोद्योगिकी का प्रश्न है, इलेक्ट्रानिकी विभाग की नीति यह रही है कि आधुनिक किस्म के सघटक पुर्जों के क्षेत्र में प्रोद्योगिकी के आयात को मुक्त रूप से अनुमति दी जाए। वर्तमान निर्माणकर्त्ताओं के पास प्रोद्योगिक की दृष्टि से पर्याप्त क्षमता मौजूद नहीं है और रक्षा की दृष्टि से उपयुक्त स्तरीय सघटक पुर्जों के लिए बहुत कम अनुदान दिए गए हैं।

5. कुछ मामलों में इस समय क्षमताओं का पूर्णरूपेण उपयोग न किए जाने का कारण मांग का अभाव होना नहीं है अपितु इसके कुछ और ही कारण हैं (सामान्यतया प्रबन्धकीय असफलताएं)।

6. उपर्युक्त कारणों से लघु उद्योग क्षेत्र में संघटक पुर्जों का उत्पादन करना सर्वथा अनुपयुक्त है और इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) दोनों ही पिछले 4/5 वर्षों से लघु उद्योग के सभी उद्योग क्षेत्र में संघटक पुर्जों के निर्माण में पूंजीनिवेश करना विवेकपूर्ण नहीं होगा। और यदि वे फिर भी ऐसा करते हैं तो वे ऐसा अपने जोखिम पर करेंगे क्योंकि सहकार उन्हें संरक्षण प्रदान न कर सके।

एन० आर० डी० पी० को कुछ लाइसेंस धारियों द्वारा रायल्टी का भुगतान किया जाना।

927. श्री विश्वनाथ शर्मा : क्या विज्ञान और प्रोदयोगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के तीन लाइसेंसधारी टी० वी० डिफ्लेक्शन कम्पोनेट का उत्पादन कर रहे हैं और लाइसेंसधारी उसका उत्पादन करने वाले हैं तथा उन्होंने

एन० आर० डी० सी० को सूचित किया है कि वे उनके द्वारा सप्लाई की गई वाइंडिंग मशीनों का भुगतान करने में असमर्थ हैं,

(ख) क्या एन० आर० डी० सी ने मैं० मेट्टो इन्टरप्राइजेज श्रीनगर के विरुद्ध बकाया प्रीमियम के भुगतान के लिए कानूनी कार्यवाही की है;

(ग) क्या एन० आर० डी० सी० के अधिकारियों और सी० ई० ई० आर० आई० पिलानी के वैज्ञानिकों ने लाइसेंसधारियों के स्थानों का निरीक्षण किया है और यह टिप्पणी की कि सी० ई० ई० आर० आई० द्वारा बनाई गई वाइंडिंग मशीन बेकार पड़ी हुई थी और आयातित मशीनों का उपयोग हो रहा था और उसके बावजूद एन० आर० डी० सी० ने प्रीमियम की धनराशि बनाए रखी तथा उस फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी, और

(घ) क्या एन० आर० डी० सी की नीति यह है कि वह लाइसेंसधारी तकनीकी जानकारी करार पर हस्ताक्षर करता है किन्तु वास्तव में उसे उपयोग में नहीं लाता है तो वह प्रीमियम की धनराशि लौटा देगा, यदि हां, तो ऐसे लाइसेंसधारी का ब्योरा क्या है जिनको गत वर्ष के दौरान प्रीमियम लौटाया गया था ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कार्पोरेशन के तीन लाइसेंसधारियों ने दूरदर्शन के डिफ्लैक्शन संघटकों का विनिमाण कार्य आरम्भ कर दिया है तथा दो लाइसेंसधारी इनका उत्पादन आरंभ करने वाले हैं।

(ख) जी हां, ।

(ग) एन० आर० डी० सी० के अधिकारियों और सी० ई० आर० आई० (सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स एंड इन्जीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी कम्पनियों का दौरा किया जिन्हें लाइसेंस दिए गए है। एन० आर० डी० सी० द्वारा लाइसेंस पर दी गई वलयन मशीन प्रौद्योगिकी हाथ से चलाई जाने वाली और अर्द्ध-स्वचालित मशीनों के लिए थी। उसके डिजाइन में कोई दोष नहीं था। क्योंकि इस प्रौद्योगिकी के संतोषजनक रूप से स्थानांतरित किया गया है और इसलिए प्रीमियम की राशि एन० आर० डी सी० को दे दी गई है और इन मामलों में प्रीमियम की राशि को लौटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां पर इनका उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है वहां पर एन० आर० डी० सी० को रायल्टी देय होती है और यदि देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो इस सूरत में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाती है। कुछ पार्टियों ने जो निगम द्वारा लाइसेंस प्राप्त नहीं है उत्पादन के लिए वलयन मशीनों का आयात किया है। एन० आर० डी० सी० के कुछ लाइसेंसधारियों ने भी वलयन मशीनों का विकास किया है।

(घ) अधिकांश मामलों में, प्रीमियम तभी देय होता है, जबकि प्रौद्योगिकी को लाइसेंस के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाता है। प्रौद्योगिकी के उपाय पर रायल्टी की अदायगी उत्पादन के अनुपात में ही होती है। यह नीति एन० आर० डी० सी० और लाइसेंसधारी के बीच करार के अनुसार कुछ पार्टियों को स्थानांतरण किया जाता है और प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है, ऐसी राशि लौटाई नहीं गई है।

आटोमोबाइल डिप्लोमा और डिग्रीधारियों को रोजगार

928. श्री पी० एम० सईद : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में अनेक आटोमोबाइल डिप्लोमा और डिग्री धारियों के नाम दर्ज हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में ऐसे कुल कितने व्यक्ति के नाम दर्ज हैं ;

(ग) वर्ष 1982 के दौरान उनमें से कितने व्यक्तियों को काम दिलाया गया है :

(घ) क्या जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम ऐसी प्रमुख एजेन्सियों थी, जो अपनी ऐजेन्सियों में ऐसे डिप्लोमाधारियों को नियुक्त किया करती थीं ;

(ङ) यदि हां, तो क्या गत कुछ वर्षों से उन्होंने उन्हें नियुक्त करना बन्द कर दिया है ;

(च) यदि हां, तो क्या ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों की भारी तादाद को देखते हुए सरकार ने इन निगमों पर दबाव डाला है कि वे अपने संगठनों में इन व्यक्तियों को नियुक्त करके उनकी सेवा का प्रयोग करें, और

(छ) यदि हां तो क्या वे वर्ष 1982 में उन्हें खपाने के लिए सहमत हो गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर): (क) तथा (ख) संगत व्यवसायों के लिए दिसम्बर, 1981 के अन्त तक (नवीनतम उपलब्ध) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या (यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों) निम्न प्रकार थी :—

व्यवसाय	अखिल भारत		दिल्ली	
	डिग्रीधारी	डिप्लोमा-धारी	डिग्रीधारी	डिप्लोमा-धारी
मैकेनिकल इंजीनियर आटोमोबाइल	71	1483	निरंक	105
आटोमोटिव इंजीनियरिंग तकनिशियन	निरंक	939	निरंक	निरंक

(ग) वर्ष 1981 और 30-6-82 तक के दौरान दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत किसी भी नौकरी चाहने वाले को रोजगार पर लगाया गया।

(घ), (ङ.) (च) तथा (छ) जीवन बीमा निगम आटोमोबाइल डिग्री और डिप्लोमाधारियों को नियुक्त नहीं करता है।

"सामान्य बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय तथा अधीनस्थ स्टाफ की सेवा के वेतनमानों तथा अन्य सेवा शर्तों का युक्तिकरण तथा पुनरीक्षण (योजना 1974" को अधिसूचित करने के बाद सामान्य बीमा निगम की किसी भी नियंत्रण कम्पनी ने मोटरों के दावों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए कोई भी आटोमाबाइल डिप्लोमाधारी नियुक्त नहीं किया है। मामले के स्वरूप के अनुसार विभिन्न बीमा कम्पनियां हानि का मूल्यांकन करने के लिए स्वतन्त्र सर्वों के नियुक्त करते हैं ताकि वे दावों का शीघ्रता से निपटारा कर सकें। अन्य देशों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था मान्य है।

सीमेंट की दोहरी मूल्य नीति के कार्यकरण का मूल्याकन

29. श्री रघुनन्द लाल भाटिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट की दोहरी मूल्य नीति के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या कुछ नई सीमेंट इकाइयों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं अथवा दिये गये हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा उनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी, उनके कब तक चालू हो जाने की संभावना है यथा उन्हें कौन से लोग कहां कहां स्थापित कर रहे हैं; और

(घ) चालू योजना के दौरान उत्पादन का लक्ष्य क्या है तथा इससे देश की आवश्यकता की कितनी पूर्ति हो जाएगी ?

उद्योग स्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सीमेंट के तथा आंशिक विनियंत्रण की योजना के कार्यकरण को अभी आंका नहीं गया है। यह बताया नहीं गया है। यह बताया गया है कि कीमत और वितरण नियन्त्रण से मुक्त खुले बाजार में सीमेंट की बिक्री से उपभोक्ताओं को सीमेंट आसानी से मिल जाता है। खुले बाजार मुक्त बिक्री सीमेंट के मूल्यों से स्थिरता का ज्ञान होता है। अर्थ-व्यवस्था के उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र नियन्त्रण कीमतों पर निरन्तर लेवी सीमेंट प्राप्त कर रहे है।

(ग) सीमेंट उद्योग में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। से यह लाइसेंस कार्यान्वियन की विभिन्न स्थितियों में हैं।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रलेख में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रति वर्ष 34.5 लाख मी० टन सीमेन्ट उत्पादन के लक्ष्य की कल्पना है। उत्पादन में वृद्धि से चालू योजनावधि के अन्त तक सीमेंट की मांग और पूर्ति के अन्तर के काफी कम होने की आशा है।

विवरण

सीमेंट उद्योग में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेन्सों का विवरण।

क्र० सं०	पार्टी का नाम	स्थान	क्षमता लाख मी० टन प्रति-वर्ष
1.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	अदिलाबाद (आ० प्र०)	4
2.	उ० प्र० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लि०	चुनार (उ० प्र०)	8.4 (फेज-II)
3.	मेघालय इंड. डेव कारपोरेशन	गारो हिल्स (मेघालय)	4
4.	मालाबार सीमेंट लि०	पालघाट (केरल)	4.2
5.	राजस्थान स्टेट इण्ड० इन्वे० कारपोरेशन	कोटपुतली (राजस्थान)	0.66

1	2	3	4
6.	स्ट्रा प्रोडक्टस लि०	(राजस्थान)	5
7.	जे० के० सिन्थेटिक लि०	निम्बाहेड़ा (राजस्थान)	0.50 (सफेद सीमेंट)
8.	ए० सी० सी० लि०	गागल (हि० प्र०)	5.6
9.	मैसूर सीमेंट लि०	जरसिहगढ़ (म० प्र०)	4.0
10.	बिड़ला जूट मैन्यू० कं० लि०	सतना (म० प्र०)	8
11.	रेमण्ड वूलन मिल्स	जजगीर (म० प्र०)	4
12.	ए० सी० सी० लि०	जामूल (म० प्र०)	2 (भाग को लाइसेंस पहले ही कार्यान्वित हो चुका)
13.	नर्मदा सीमेंट कं० लि०	जाफराबाद (गुजरात)	10
14.	लारसन एण्ड टूबरो लि०	चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	11.09
15.	सोन वेली पोर्टलैंड सीमेंट लि०	जापता (बिहार)	3.3
16.	ए० सी० सी० लि०	वाजी (कर्नाटक)	104
17.	इंडियन रेयन कारपोरेशन लि०	चीतापुर (कर्नाटक)	5.40
18.	मैसूर सीमेंट लि०	अम्मासन्द्रा (कर्नाटक)	1.90
19.	ओरियन्ट पेपर मिल्स लि०	आसिफाबाद (आ० प्र०)	9
20.	कोरमण्डल फर्टिलाइजर लि०	कालामलला (आ० प्र०)	10

1	2	3	4
21	आन्ध्र सीमेंट लि०	वाडी कुडी (अ० प्र०)	2.5
22.	के० सी० पी० लि०	मछेरला (अ० प्र०)	0.96
23.	दामोदर सीमेंट एण्ड स्लेग लि०	मधुकुण्डा (प० बंगाल)	2.6
24.	ए० आर० सी० सीमेंट लि०	देहरादून (उ० प्र०)	0.60
25.	श्रीराम सीमेंट लि०	दांता (गुजरात)	0.66
26.	हरिगंगा सीमेंट लि०	राजुरा (महाराष्ट्र)	0.66
27.	ताडपत्री सीमेंट लि०	ताडपत्री (अ० प्र०)	4
28.	पणयम सीमेंटस लि०	याडिकेपन (अ० प्र०)	4
29.	नागरजगा सीमेंटस लि०	नालगोण्डा (अ० प्र०)	0.66
30.	डकान सीमेंटस लि०	नालगोण्डा (अ० प्र०)	0.66
31.	काकातीय सीमेंट	हजूर नगर (अ० प्र०)	0.66
32.	सोमेश्वर सीमेंटस एंड	रंगनघाट (अ० प्र०)	0.66

कोंकन और महाराष्ट्र के तट-दूर क्षेत्रों में पाए गए खनिज-निक्षेप

930. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :**

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान को कोंकन और महाराष्ट्र के तट-दूर क्षेत्रों में भारी मात्रा में खनिज-निक्षेपों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में कुल कितने निक्षेप होने का अनुमान है तथा इस संबंध में अन्य ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) संस्थान ने रत्नागिरी, कोंकन महाराष्ट्र के तट-दूर क्षेत्रों में भारी मात्रा में खनिज

निक्षेपों, जिनमें मुख्य रूप से इल्मेनाइट (टिटेनियम की कच्ची धातु) शामिल है, का पता लगाया है। क्षेत्रीय काम पूरा कर लिया गया है और प्रयोगशाला में अध्ययन किए जा रहे हैं।

महारानी बाग के निकट झुग्गियों पर हमला

931. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र व्यक्तियों ने महारानी बाग, नई दिल्ली के निकट झुग्गियों के समूह पर हमला किया था और तीन महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया था;

(ख) क्या सशस्त्र आक्रमण कारियों के एक समूह ने यमुना किनारे सीमापुरी क्षेत्र में 8 मई, 1982 को आक्रमण किया तथा एक व्यक्ति को मार दिया एवं अन्य सात को जख्मी किया जिनमें से तीन की हालत गम्भीर है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और प्रभावित व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया है; और

(घ) दिल्ली में कानून और व्यवस्था को निरंतर बिगड़ने वाली स्थिति को सुधारने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) 21/22-4-82 को रात को 4 व्यक्तियों ने गांव सराई काले खान के सामने यमुना के किनारे स्थित झुग्गियों पर धावा मार दिया और झुग्गी वासियों को पीटा, उनकी नकदी और चांदी के आभूषण छीन लिए। घुसपैठियों ने एक महिला के साथ बलात्कार किया और दूसरों के साथ बलात्कार करने का प्रयत्न किया।

8/9-5-1982 की रात को 8/9 बदमाशों ने थाना सीलमपुर के क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे मुज्जफरअली नामक व्यक्ति की झुग्गी में घुसपैठ की। उन्होंने उस पर और उसके परिवार पर डन्डों से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप मुज्जरफरअली घटनास्थल पर ही मर गया जबकि जख्मी लड़की अमना ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। छः अन्य व्यक्तियों को भी अस्पताल ले जाया गया। घुसपैठी 100 रुपये और कपड़े, बर्तन और चांदी के आभूषणों के दो टीन के बक्स लेकर भाग गए। अभी तक पीड़ितों को कोई राहत नहीं दी गई है।

(घ) दिल्ली में कानून तथा व्यवस्था और अपराध की स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है। दिल्ली पुलिस के कार्मिकों और वाहनों की संख्या में वृद्धि करना नए पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियां खोलने, पैदल और वाहन गश्त को तेज करने, वाहनों का अकस्मात जांच करने,

ज्ञात अपराधियों पर निगरानी रखने और महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात करने जैसे विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।

कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा अधिक क्षमता का उपयोग करना

932. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) लिमिटेड पर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उल्लंघन में लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करने के लिए मुकदमा चलाने के बारे में निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा तथ्य क्या हैं और वस्तुस्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) मे० कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) लि०, बम्बई ने वर्ष 1978 और 1979 की अपनी वार्षिक रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ टूथ पाउडर के लिए 2025 मी० टन और टूथपेस्ट के लिए 6982 मी० टन अधिष्ठापित क्षमता होने की जानकारी दी हैं। वर्ष 1980 की वार्षिक रिपोर्ट में कम्पनी ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया है कि पुराने उपकरण को बदलने पर चालू प्रौद्योगिकी तथा अन्य सम्बद्ध कारकों पर आधार पर उपकरण का पूरा उपयोग करके टूथ पाउडर की 4500 मी० टन और टूथपेस्ट की 11000 मी० टन अधिष्ठापित क्षमता होने का अनुमान लगाया है। इन तथ्यों पर 4 दिसम्बर, 1981 को कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें पूछा गया कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 13 (1) (घ) के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न की जाए। कम्पनी ने उत्तर दिया है कि इसमें उपबन्धों का उल्लंघन नहीं हुआ है। सरकार ने उत्पादक क्षमता की बढ़ोतरी सम्बन्धी तथ्यों की जांच करने के लिए 27 फरवरी, 1982 को एक तकनीकी दल का गठन किया है। दल द्वारा अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

भारतीय भू वैज्ञानिकों द्वारा महत्वपूर्ण खोज

9 4. **श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के तत्वाधान में भारतीय भू-वैज्ञानिकों ने बिहार के चाईबासा में विश्व की प्राचीनतम चट्टान का पता लगाकर महत्वपूर्ण खोज की है; यदि हां, तो इसकी सैद्धांतिक और व्यावहारिक आशय सहित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार इस प्रकार के वैज्ञानिकों को ऐसी ऐतिहासिक खोजों के लिए उन्हें पुरस्कृत करेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जून, 1981 में विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित लेख में यह कहा गया है कि कुछ भारतीय भू-वैज्ञानिकों ने, जिनमें से एक भारतीय खान स्कूल, धनबाद का था, ने मिलकर उड़ीसा तथा बिहार क्योंझर और सिंहभूम जिलों के चम्पुआ-ओलाझारी क्षेत्र में 3100 मि० वर्ष पुरानी चट्टानों का पता लगाया है। लगभग 40 वर्ष पूर्व भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधिकारियों ने भी चम्पुआ चट्टानों को अत्यन्त प्राचीन माना था। ऐसी प्राचीन चट्टानों से भूपृष्ठ की प्रारंभिक बनावट को समजने में मदद मिलती है।

(ख) महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों तथा योगदान के लिए संबंधित वैज्ञानिकों को सरकार समुचित रूप से पुरस्कृत करती है।

अल्प संख्यक आयोग के संकल्प पर की गई कार्यवाही

935. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन :** क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्प संख्यक आयोग द्वारा 29 दिसम्बर को पारित उस संकल्प पर क्या कार्यवाही की गई है; जो साम्प्रदायिक एकता के सन्दर्भ में राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता बनाए जाने के संबंध में था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : अल्प संख्यक आयोग ने राजनैतिक दलों के लिए एक आचार संहिता बनाने हेतु 29-12-1981 को कोई संकल्प पारित नहीं किया था।

इलेक्ट्रोनिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा प्राप्त प्रौद्योगिकी सम्बन्धी उपलब्धि

936. **श्री के० टी० कोशलराम :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इलेक्ट्रोनिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा अपने गठन के समय से अब तक प्राप्त की गई प्रौद्योगिकी सम्बन्धी उपलब्धियों का ब्योरा क्या है; और

(ख) निगम के गठन के समय से लेकर अब तक की अवधि के दौरान इसकी वार्षिक कुल बिक्री कितनी-कितनी रही है तथा इस वार्षिक कुल बिक्री में आयातित कल-पुर्जों का मूल्य कितना कितना था ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) अपने स्थापना काल से ही इलेक्ट्रोनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम स्वदेशी इलेक्ट्रोनिकी विनिर्माण उद्योग को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से उत्पादों के विकास कार्य में संलग्न रहा है। इस प्रक्रिया में, इसने विभिन्न उत्पादों को विकसित करने में सहायता दी है जैसे कि 12 तथा 14 इन्ची आकार के सुवाह्य दूर दर्शन-सेट, माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित व्यापार लेखांकन मशीनें; सुवाह्य तथा हल्के मिनी टेलीफोन, दो बैंड के रेडियो रिसीवर, कार स्टीरियों, कैसेट रिकार्डर, सुवाह्य टेप-रिकार्डर, मिनी प्रदीप्तकारी लालटेन आदि। इन उत्पादों के विकास के साथ-साथ कल-पुर्जों और औजारों का विकास भी किया जाता है।

(ख) अपने स्थापना काल से निगम का वार्षिक कारोबार और ऐसे वार्षिक कारोबार में आयातित संघटक-पुर्जों के मूल्य नीचे दिए अनुसार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	आयात	निर्यात	अन्य	योग
1974-75	87.63	—	—	87.63
1975-76	159.73	1.56	17.81	179.10
1976-77	472.15	50.99	125.98	649.12
1977-78	786.75	228.19	149.55	1154.49
1978-79	922.25	86.77	209.63	1218.65
1979-80	853.50	81.06	135.97	1070.53
1980-81	885.91	151.25	372.78	1409.94
*1981-82	1243.28	56.30	196.50	1495.58

*30 जून, 1982 को समाप्त होने वाले ग्यारह महीनों के लिए (आंकड़े अन्तिम हैं तथा इनकी लेखा-परीक्षा होनी शेष है)।

खुले बाजार में सीमेंट के अत्यधिक मूल्य

937. श्री एन० डेनिस : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खुले बाजार में सीमेंट के अत्याधिक मूल्यों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) खुले बाजार में बिकने वाला गैर-लेवी सीमेंट मूल्य का नियन्त्रण और वितरण नियंत्रण से मुक्त हैं। खुले बाजार में बिकने वाले गैर-लेवी सीमेंट के अधिकतम बिक्री मूल्य, सीमेंट उत्पादकों ने निम्नलिखित बताए हैं :—

महाराष्ट्र, केरल, जम्बू तथा काश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्य	60 रुपये प्रति बोरी करो के अतिरिक्त
अन्य सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र	56 रुपये प्रति बोरी करों के अतिरिक्त

लघु सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने के लिए लाइसेन्स जारी करने के मानदंड

9¨8. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए लाइसेन्स जारी करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) देश में कुल कितने लघु सीमेंट संयंत्र काम कर रहे हैं और उनकी राज्यवार संख्या क्या है और उन लघु सीमेंट संयंत्रों का वार्षिक सीमेंट उत्पादन कितना है;

(ग) क्या सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशी सहयोग से देश में लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) देश में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने में अपनाई जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों को दिनांक 3 जुलाई, 1981 के प्रेस नोट में घोषित कर दिया गया था (प्रति संलग्न है) [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4240/ 2]

(ख) इस समय देश में वाणिज्यिक आधार पर निम्नलिखित मिनी सीमेंट संयत्र काम काम कर रहे हैं :—

संयंत्र का नाम	राज्य	1981 के दौरान उत्पादन (मी० टनों में)
1. जे० एण्ड के० मिनरल्स लि०	जम्मू तथा काश्मीर	6,541
2. कच्छ सीमेंट प्राई० लि०	गुजरात	3,009
3. लोकापुर सीमेंट	कर्नाटक	743
4. बेदा सीमेंट	—वही—	उपलब्ध नहीं

(ग) और (घ) विदेशी सहयोग के साथ मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं—एक मामले में गैर आवासीय भारतीयों द्वारा 40 प्रतिशत की वित्तीय सहभागिता का प्रस्ताव किया गया है और दूसरे मामलों में विदेशी सहयोग का ब्यौरा नहीं बताया गया है।

गाजीपुर (उ० प्र०) में एक इस्पात संयत्र स्थापित करना

939. श्री जैनुल बशर : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक इस्पात सयंत्र स्थापित करने के लिए गाजीपुर को चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो सयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी और परियोजना की कुल लागत कितनी होगी;

(ग) इसमें कितने आदमियों को रोजगार मिलेगा; और

(घ) इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) गाजीपुर में इस्पात कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन देश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करने की सरकार की नीति के अन्तर्गत गाजीपुर जिले में इस्पात को प्रोसेस करने के लिए एक डाउन-स्ट्रीम इकाई लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसका ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों पर पुनर्विचार करना

940. श्री दिग्विजय सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या 20.प्रतिशत राज सहायता के लिए बाह्य औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों पर पुनर्विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां तो उनकी वर्तमान अवधि कब समाप्त होगी;

(ग) क्या उन पर पुनर्विचार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या अब उनकी घोषणा जिलेवार के स्थान पर तहसीलवार की जाएगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) 101 पात्र जिलों/क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयां 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम 15 लाख

रुपये तक की केन्द्रीय निवेश राजसहायता पाने की हकदार हैं। किन्तु पूर्वोत्तर अचल के प्रकरण में राज सहायता की यह राशि 1 मार्च, 1981 से बढ़ाकर 20% कर दी गई है जो अधिकतम 20 लाख रुपये तक हो सकती है। केन्द्रीय निवेश राजसहाय योजना वार्षिक आधार पर लागू की गई है और इसे मजूर करने की वर्तमान अवधि 30 सितम्बर, 1982 तक है। सरकार इस समय पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों की जांच कर रही है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्रों का चुनाव करने और इन्हें दी जाने वाली रियायतों तथा प्रोत्साहनों संबंधी मानदंडों में परिवर्तन करने की भी सिफारिश की है। लागू नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन करना रिपोर्ट पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करेगा।

शिक्षित युवकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी

941. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षित युवकों में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है;

(ख) क्या सरकार के पास पंजीकृत बेरोजगार सुशिक्षित युवकों के नवीनतम रिकार्ड है यदि हां तो इस सम्बन्ध में नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने अन्य मन्त्रालयों के परामर्श से देश के बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए उचित रोजगार की व्यवस्था करने हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(घ) क्या सरकार ने देश के सभी बेरोजगार युवकों को रोजगार अथवा जीवन निर्वाह के स्रोत्र उपलब्ध कराने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजनाओं का ब्योरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) रोजगार कार्यालयों में शिक्षित युवकों के पंजीकरण में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

(ख) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित (मैट्रिक और इसे ऊपर) नौकरी चाहने वालों (जिनमें से अनिवार्यतः सभी बेरोजगार नहीं हैं) की संख्या देश में जून, 1981) नवीनतम उपलब्ध) के अन्त तक 84.49 लाख थी।

(ग) से (ङ.) देश में शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी सहित सामान्य बेरोजगारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए छठी योजना (1980-85) को अन्तिम रूप दिया गया है। योजना दस्तावेज के "जनशक्ति और रोजगार" के अध्याय में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन

के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के विस्तृत ब्यौरे दिए गए हैं। कुछ योजनाएं जिनसे शिक्षितों के लिए पर्याप्त रोजगार अवसरों के सृजित होने की सम्भावना है, निम्नलिखित है : —

1. गहन कृषि पद्धति का विस्तार,

2. कृषि अनुसंधान कार्यक्रम,

3. कृषि जनगणना और फार्म प्रबन्ध अध्ययन,

4. आपरेशन फ्लड-2 के तकनीकी और इनफ्रास्ट्रक्चरल पहलू,

5. आन्तरिक मत्स्य परियोजना,

6. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि,

जनशक्ति आयोजना तथा रोजगार सृजन के विकेन्द्रीकृत नीति को जिला जनशक्ति आयोजना तथा रोजगार सृजन परिषदों की स्थापना के माध्यम से अपनाया जा रहा है तथा स्व-नियोजितों के लिए नई अर्थ व्यवस्था से शिक्षित बेरोजगारों को पर्याप्त सहायता मिलने की भी सम्भावना है।

सतन कत्था केमिकल फैक्ट्री द्वारा फैलाया गया प्रदूषण

942. श्री राम सिंह शाक्य :
श्री निहाल सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में सारंगपुर स्थान पर सतन कत्था केमिकल फैक्टरी की स्थापना की गई है और यदि हां, तो क्या इस फैक्टरी से अवशिष्ट पदार्थ पार्वती नदी में बहा दिये जायेंगे जिससे पशुओं तथा लोगों के जीवन को भारी खतरा पैदा होने की संभावना है ;

(ख) क्या सरकार भविष्य में इस प्रदूषण के कारण लोगों पर तथा पशुओं के जीवन पर होने वाले प्रभाव से उन्हें बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठायेंगी ; और यदि हां, तो कब ; और

(ग) उपरोक्त कत्था फैक्टरी द्वारा बहाये गए अवशिष्ट पदार्थों के कारण उत्पन्न प्रदूषण से अब तक जान एवं माल की कितनी हानि हुई है और भविष्य में कितनी हानि होने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी और पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) अधिनियम के अन्तर्गत, अपने बहिस्रावों को बहाने के लिए फैक्टरी को राज्य बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है परन्तु ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप, राज्य बोर्ड ने अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत फैक्टरी को एक नोटिस जारी किया है। हानि की सीमा का अध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी, जल गुणवत्ता पर बहिस्रावों के बहाव के प्रभाव का राज्य बोर्ड द्वारा प्रबोधन किया जा रहा है।

राजधानी में एक्सरे फिल्मों की भारी कमी

243. **श्री सूर्यनारायण सिंह :**

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच-छः महीनों से राजधानी में एक्सरे फिल्मों की भारी कमी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें आसानी से सुलभ कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) उत्पादन में कुछ कमी हो जाने और मांग में अकस्मात् वृद्धि हो जाने के कारण राजधानी में पिछले पांच छः महीनों से कुछ आकार की एक्स-रे फिल्मों की कमी रही है।

(ग) एक्स-रे फिल्मों का उत्पादन अब बढ़ा दिया गया है और बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए एक्स-रे फिल्म में बदले जाने हेतु जम्बों रोल्स का आयात किया गया है।

रुपये और डालर में प्रति व्यक्ति आय

944. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा की क्रय शक्ति की समान दरों के सन्दर्भ में नवीनतम वर्ष की रुपये में और डालर में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या है; और

(ख) प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत की विश्व में क्या स्थिति है?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) संयुक्त राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय तुलना परियोजना, चरण 3 से सम्बन्धित "विश्व उत्पाद एवं आय वास्तविक सकल उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाए" (जून, 82) नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम अनुमान (जिसे बाजार भाव पर सकल घरेलू उत्पाद के रूप में पारिभाषित किया गया है) जो वर्ष

1975 के लिए उपलब्ध है, निम्नवत हैं :—

(1) रुपयों में	1220
(2) सरकारी विनिमय दरों पर अमरीकी डालरों में	146
(3) वर्ष 1975 की क्रयशक्ति समानता दरों पर अन्तर्गत राष्ट्रीय डालरों में	470

(ख) वर्ष 1979 के लिए 114 देशों के लिए अमरीकी डालरों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुमान प्रस्तुत करने वाले वर्ष 1981 में प्रकाशित विश्व बैंक एटलस की नवीनतम सूचना के अनुसार भारत को 210 डालरों के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के साथ अवरोही क्रम में 103 वें स्थान पर रखा गया है।

आन्ध्र प्रदेश में सोना पाया

945. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य के कुप्पम तालुका में सोना उपलब्ध है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां खानों का विकास करने हेतु सरकार को क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य के कुप्पम तालुका के कुछ भागों में छोटे, मध्यम व निम्न ग्रेड स्वर्ण निक्षेपों का पता चला है।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा ग्रहण खोज कार्य किया जा रहा है तथा खोज परिणामों की रिपोर्ट समय समय पर मंत्रालय को मिल रही है।

(ग) सरकार ने कुप्पम तालुका सहित देश में सोने की खोज को बहुत उच्च प्राथमिकता दी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अब तक प्राप्त परिणामों के आधार पर खनिज गवेषण

निगम मालापकोंडा में तथा कुप्पम तालुका के चिकारमुन्टा क्षेत्र के दो ब्लाकों में समन्वेषी खनन कार्य कर रहा है। आर्थिक महत्व के पर्याप्त भंडारों की पुष्टि होने पर, इन निक्षेपों के विदोहन की स्कीम तैयार की जाएगी।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी का उत्पादन

94. **श्री बोलल राम सारण :**

श्री बी० डी० सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग का विचार 1985 तक चरणबद्ध तरीके से खादी का उत्पादन दोगुना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इस अधिक उत्पादन के विपणन के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ;

(ग) खादी के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ श्रमिक बल में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है, और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अधिक उत्पादन और जीवन निर्वाह-लागत में वृद्धि के साथ-साथ श्रमिकों/कताई करने वालों की मंजूरी में कितनी वृद्धि हुई है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। छठी योजनावधि के दौरान खादी का उत्पादन 1979-80 में हुए 92 करोड़ों रु० मूल्य के 820 वर्ग मीटर उत्पादन से बढ़कर वर्ष 1984-85 में 1650 लाख वर्ग मीटर हो जाने की आशा है जिसका मूल्य 200 करोड़ रुपये होगा। प्रावस्था बद्ध योजना निम्न प्रकार है।

	मात्रा (लाख वर्ग मीटर)	मूल्य (करोड़ रु०)
1980-81	902.00	110.90
1981-82	1030.00	125.00
1982-83	1190.00	145.00
1983-84	1400.00	170.00
1984-85	1650.00	200 00

खादी के बढ़े हुए उत्पादन का विपणन करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग का प्रस्ताव अपने वर्तमान वितरण व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का है जिसमें देश के दो महानगरीय शहरों में एक दर्जन खादी ग्रामोद्योग भवन, 3500 खादी ग्रामोद्योग भण्डार एवं उत्पादन स्थलों

पर 7500 बिक्री केन्द्र सम्मिलित हैं। आयोग का प्रस्ताव ब्लाक जिला और राज्य मुख्यालयों में और खादी ग्रामोद्योगों और इम्पोरियमों की स्थापना करने का भी। सरकार को खादी की अधिक बिक्री करने तथा राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने उपयोग के लिए अधिक खादी खरीदने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए जाएंगे।

(ग) खादी क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की संख्या जो वर्ष 1979-80 में 11.20 लाख थी, वर्ष 1984-85 में उससे बढ़कर 14.50 लाख हो जाने की आशा है।

(घ) कताई करने वालों (कत्तकों) और बुनकरों को देय मजदूरी का निर्धारण राज्य स्तर की प्रमाणीकरण समितियों द्वारा किया जाता है तथा इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग की केन्द्रीय प्रमाणीकरण समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान अलग अलग राज्यों में कताई और बुनाई के लिए बढ़ाई गई मजदूरी विवरण में दी गई है।

विवरण

सूतीं खादी के लिए कताई और बुनाई मजदूरी में हुई वृद्धि के प्रतिशत को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण :

राज्य का नाम	कताई मजदूरी में हुई वृद्धि			बुनाई मजदूरी में वृद्धि		
	78-79	79-80	1980-81	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5	6	7
1. तमिलनाडु	नगण्य	20 से 54 प्रतिशत	नगण्य	18 प्रति०	1 प्रतिशत	नगण्य
2. कर्नाटक	10 प्रति०	8 प्रतिशत	10.5 प्रतिशत	8 प्रतिशत	8 प्रतिशत	8 प्रतिशत
3. केरल	16 से 20 प्रतिशत तक	नगण्य	नगण्य	9 प्रतिशत	नगण्य	नगण्य
4. आन्ध्र प्रदेश	नगण्य	24 प्रतिशत	17 प्रतिशत	नगण्य	8 प्रतिशत	नगण्य
5. पंजाब, हरियाणा दिल्ली और जम्मू हिमाचल प्रदेश	20 प्रति०	नगण्य	33 प्रतिशत	15 प्रति०	नगण्य	20 प्रतिशत

1	2	3	4	5	6	7
6. उत्तर प्रदेश	नगण्य	15 प्रतिशत	नगण्य	नगण्य	25 प्रतिशत	10 प्रतिशत
7. महाराष्ट्र	60 प्रति०	नगण्य	9 प्रतिशत	18 प्रतिशत	नगण्य	16 प्रतिशत
8. राजस्थान	45 प्रति०	40 प्रतिशत	नगण्य	5 प्रतिशत	9 प्रतिशत	नगण्य
9. गुजरात	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य	22 से 30 प्रति०	18 प्रतिशत
10. बिहार	10 प्रति०	18 प्रति	नगण्य	9 प्रति०	15 से 66 प्रति०	नगण्य
11. पश्चिम बंगाल	15 प्रति०	नगण्य	नगण्य	15 प्रति०	नगण्य	नगण्य
12. मध्य प्रदेश	15 से 27 प्रतिशय	नगण्य	नगण्य	18 से 25 प्रतिशत	नगण्य	नगण्य

रंगीन टेलीविजन-सेटों का निर्माण

1947. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :**

श्री सज्जन कुमार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल कुछ ही लोगों के पास रंगीन टेलीविजन सेट हैं और ये अभी देश म नहीं बनाए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश में रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तथा ये कब तक बाजार में बिकने आ जाएंगे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने एशियाई खेलों के लिए, श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेटों के संस्थापित विनिर्माताओं से रंगीन दूरदर्शन सेटों को स्थानीय रूप से संयोजित करने का कार्य समय से पूरा कराने के लिए एक सीमित-कार्यक्रम चलाया है। इस योजना के ब्यौरे संलग्न अनुबन्ध में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4241/82] ऊपर बताया गया कार्यक्रम एक समय का संयोजन कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा कलपुर्जों तथा संघटक-पुर्जों का मानकीकरण तथा उनकी थोक मांग का पता लगाने के पश्चात उसके द्वारा इन वस्तुओं का आयात किया जाएगा तथा इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी।

रंगीन टेलीवीजन-ट्यूबों का आयात

948. **श्री स्कारिया थॉमस :**

श्री मगन भाई बारोट : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों के आयात की अनुमति देने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन कम्पनियों को आयात की अनुमति दी गई है ;

(ग) आयात के लिए लगभग कितनी धनराशि अपेक्षित होगी ;

(घ) इस कार्यवाही पर भारतीय टेलीविजन निर्माताओं की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) इन ट्यूबों का भारत में निर्माण करने के बारे में किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीव राव) : (क) जी, हां, ।

(ख) इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम, जोकि सरणोबद्ध आयात करने वाला एक अभिकरण है, द्वारा सभी आयात किए जाएंगे ।

(ग) आयात की जाने वाली लगभग 50,000 ट्यूबों पर लगभग 3 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा व्यय होगी ।

(घ) दूरदर्शन विनिर्माताओं ने उपर्युक्त व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है ।

(ङ) पंजाब राज्य सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र की एक इकाई "पंजाब डिस्प्ले डिवाइसेज" को प्रतिवर्ष 400,000 रंगीन दूरदर्शन ट्यूबों का विनिर्माण करने के लिए एक आशय-पत्र जारी किया गया है । उन्होंने इनका शुरू से लेकर आखिर तक उत्पादन की सभी प्रक्रियाओं के लिए लगभग 1 .00 करोड़ रुपए की लागत पर एक पुराने संयंत्र का आयात करने का प्रस्ताव किया है । अभी पूर्ण ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जाना है ।

इस्पात संयंत्रों में विलम्ब

949. श्री बी० डी० सिंह :

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ इस्पात संयंत्रों में भारी विलम्ब हो रहा है और योजना कार्यक्रम की गति धीमी पड़ सकती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक इस्पात संयंत्रों में कितना-कितना विलम्ब हुआ है तथा इन संयंत्रों के पूरा होने में हो रहे विलम्ब के परिणामस्वरूप इनकी लागत में कितनी वृद्धि हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इन इस्पात संयंत्रों में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी, हां । बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी और उससे इनकी लागत में होने वाली वृद्धि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

(ग) इन परियोजनाओं का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न होने का मुख्य कारण यह है कि निर्माण अभिकरण और उपस्करों के संभारक समय-सूची के अनुसार माल सप्लाई न कर सके । इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों को इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अपने संसाधनों में वृद्धि करने के लिए कहा गया है और सेल तथा सरकार दोनों द्वारा इन अभिकरणों के कार्य की प्रगति पर सतत् नजर रखी जा रही है ।

विवरण

योजना	चालू करने की तारीख		अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	
	मूल	संभावित	स्वीकृत	संशोधित
1. बोकारो इस्पात कारखाना				
1. 40 लाख टन तक विस्तार (ठन्डी बेलन मिल को छोड़कर)	जून, 1979	जुलाई, 1983	947.24 रुपए (1974 के मध्य तक)	1619.33 रुपए* (अप्रैल, 1982)
2. ठन्डी बेलन मिल सहित 40 लाख टन तक विस्तार	दिसम्बर, 1982	जून, 1984	(उपर्युक्त भी शामिल है)	
2. मेघाटाबुरू लौह अयस्क परियोजना	मार्च, 1981	सितम्बर, 1983	51.39 रुपए (1977 की प्रथम तिमाह)	116.46 रुपए (अप्रैल, 1982)
3. रक्षित बिजली संयंत्र	दिसम्बर, 1983	जनवरी, 1984	75.94 रुपए (1978 की प्रथम तिमाही	120.84 रुपए (1981 की चौथी तिमाही)

1	2	3	4	5
2. भिलाई इस्पात कारखाना				
40 लाख टन तक विस्तार चरण-1	सितम्बर, 1981	मार्च, 1984	937.70 रुपए (1974 की प्रथम तिमाही)	1600.5 रुपए (1981 की चौथी तिमाही)
चरण-11	जून, 1983	दिसम्बर, 1984	(उपर्युक्त भी शामिल है)	
3. राउरकेला इस्पात कारखाना				
सिलीकान इस्पात परियोजना	जनवरी, 1981	मार्च, 1983	109.73 रुपए (1976 की प्रथम तिमाही)	154.81 रुपए (अप्रैल 1981)
4. दुर्गापुर इस्पात कारखाना				
रक्षित बिजली संयंत्र	जून 1983	मार्च, 1984	54.91 रुपए (1978 की प्रथम तिमाही)	82.47 रुपए (1980 की द्वितीय तिमाही)

*अनुमानों का अभी अनुमोदन नहीं किया गया है।

मोपेड के लिए आशय-पत्र

950. श्री तारिक अनवर : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1882 की प्रथम छमाही में मोपेड के लिए आशय पत्र जारी करने के लिए उद्योग मंत्रालय (एस० आई० एम०) को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और इनका तारीख-वार, क्रमानुसार ब्यौरेवार पजीयन संख्यावार ब्योरा क्या है;

(ख) इनमें से किन-किन आवेदनों के लिए आशय पत्र जारी कर दिये गये है अथवा लाइसेंस देने वाली समिति द्वारा स्वीकृत कर दिये गए हैं;

(ग) ऐसे प्रस्तावों की संख्या क्या है जो समिति के विचारार्थ रखे गये किन्तु कोई कारण बताये बिना आस्थगित कर दिये ;

(घ) क्या यह भी सच है कि जो प्रस्ताव आस्थगित कर दिये गये थे उन पर विचार नहीं किया गया जबकि जो प्रस्ताव बाद में प्रस्तुत किये और जो एम० आर० टी० पी० तथा अन्य बड़ी कम्पनी द्वारा रखे गये इन पर न केवल विचार किया गया बल्कि उन्हें स्वीकृत भी कर दिया गया ; और

(ङ) 1982 के दौरान कुल कितनी क्षमता के आशय पत्र सरकार जारी करेगी और ऐसे आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है जो तकनीकी संवीक्षा के अधीन लम्बित पड़े हैं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) जनवरी-जून, 1982 में, औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय ने मोपेडों के उत्पादन के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए 9 आवेदन पंजीकृत किए गए थे। इनमें से दो आवेदन अब रद्द कर दिए गए हैं तथा शेष सात आवेदनों पर विभिन्न अवस्थाओं में विचार किया जा रहा है। अनुमोदन समिति द्वारा पर्याप्त कारणों के बिना कभी भी मामलों को आस्थगित नहीं किया जाता। लाइसेंस प्रक्रियाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सुप्रवाही बना दिया गया है कि विचाराधीन सभी आवेदनों पर विचार किया जाए तथा उन्हें यथाशीघ्र निपटाया जाए। अनिर्णीत पड़े आवेदनों का ब्यौरा सरकार द्वारा इन पर अन्तिम निर्णय लिए जाने तक प्रकट नहीं किया जाता है। स्वीकृति पत्रों, जब भी ये जारी किए जाते हैं, का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित किये जा रहे "मंथली न्यूज-लेटर" में प्रकाशित किया जाता है।

विभिन्न उद्योगों के लिए क्षमता के लाइसेंसीकरण हेतु कोई वार्षिक कोटा निश्चित नहीं किया जाता है। क्षमता का लाइसेंसीकरण, अन्य बातों के साथ-साथ मांग की स्थिति, लाइसेंस प्राप्त क्षमता को फलीभूत बनाने के स्तर और अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग को देखते हुए जारी

किए गए लाइसेंसों/आशय पत्रों के कार्यान्वित की सीमा, प्रस्ताव की तकनीकी सुदृढ़ता तथा आवेदक की क्षमता पर निर्भर करता है।

साम्प्रदायिक दंगे

951. श्री कृष्णदत्त सुल्तान पुरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री गुलाम रसूल कोचक :
श्री उत्तम भाई एच० पटेल
श्री जी० एम० बनातवाला
श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार
श्री राम विलास पासवान : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां चालू वर्ष के दौरान साम्प्रदायिक दंगे (राज्यवार) हुए और उनमें कितने व्यक्ति (राज्यवार) मरे ;

(ख) उन दंगों में अन्तर्ग्रस्त समितियों के बारे में क्या ब्योरा है ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी से मई, 1982 तक की अवधि के दौरन संलग्न विवरण में उल्लिखित राज्यों तथा संघों शासित क्षेत्रों में हिन्दू और मुसलमान समुदाय के लोगों के बीच साम्प्रदायिक प्रकार की वारदातें हुई। इन वारदातों में मारे गये व्यक्तियों की संख्या भी उक्त विवरण में दी गई है।

तमिलनाडु में हिन्दुओं और ईसाइयों के बीच हुई कुछ और वारदातों में 9 व्यक्तियों ने जान गवाई। पंजाब में हिन्दुओं और सिखों के बीच हुई वारदातों में एक व्यक्ति मारा गया।

(ग) सरकार ने राज्य सरकारों पर इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया है कि साम्प्रदायिक वारदातों की स्थितियों को सख्ती से, तत्परता से तथा कारगर ढंग से मुकाबला किया जाए और इन्हें फिर से रोका जाए। राज्य सरकारों को समय समय पर विभिन्न उपाय करने का सुझाव दिया गया है जैसे कि स्थानीय आसूचना व्यवस्था का स्तर बढ़ाना ; केन्द्रीयकृत कन्ट्रोल कक्ष स्थापित करना ; पुलिस की तैनाती को मजबूत करना ; असामाजिक तत्वों के खिलाफ विभिन्न निवारक कार्रवाइयां करना; आग्नेयास्त्रों पर कड़ा नियंत्रण रखना; अवैध हथियारों तथा गोलाबारूद का पता लगाने के लिए जोरदार उपाय करना ; महत्वपूर्ण उत्सवों तथा समारोहों आदि के अवसरों पर विशेष सावधाना बरतना। साम्प्रदायिक हिंसा के रोकने के वास्ते केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

असामाजिक तत्वों तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ निवारक कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के उपबंध भी मौजूद हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया गया है और 12 नवम्बर, 1980 को इसकी बैठक की गई है। परिषद ने साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए एक उप-समिति का गठन किया है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जनवरी से मई, 1982 तक की अवधि के दौरान हिन्दू और मुसलमानों के बीच हुई साम्प्रदायिक वारदातों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या।
आन्ध्र प्रदेश	2
असम	6
बिहार	16
दिल्ली	—
गुजरात	15
जम्मू व कश्मीर	—
कर्नाटक	6
केरल	1
मध्य प्रदेश	—
महाराष्ट्र	2
उड़ीसा	—
राजस्थान	—
तमिलनाडु	2
उत्तर प्रदेश	8
पश्चिम बंगाल	3

विदेशों में नौकरी के लिए कामगारों की भरती का नियमन

952. श्री राम स्वरूप राम :

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में विशेषकर मध्य पूर्वी देशों के लिए कामगारों की भरती

तथा वहिर्गमन को नियमित करने के लिए कोई विनियम तैयार किए हैं अथवा कोई एजेन्सी स्थापित की हैं;

(ख) यदि, हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) मध्य पूर्वी देशों में रोजगार पाने के इच्छुक कामगारों का दलालों द्वारा शोषण को रोकने के लिए सरकार उपाय कर रही है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवात झा आजाद) : (क) से (ग) संसद में पेश करने के लिए उत्प्रवास संबंधी एक विधेयक का मसौदा विचार की अन्तिम अवस्था में है, जब यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा तो उसके अधीन समुद्र-पार नोकरियों के लिए श्रमिकों के उत्प्रवास तथा भर्ती विनियमित होगी और इस प्रकार नोकरी चाहने वाले व्यक्तियों के शोषण की गुंजाइश कम रह जाएगी। इस बीच निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं :—

1. पैम्पलेट प्रकाशित किया गया है और राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है। इस पैम्पलेट में खाड़ी के विभिन्न देशों में काम करने तथा रहने-सहन की दशाओं, प्रत्याशित न्यूनतम मजदूरी दरों और इन देशों के श्रम कानूनों की विलक्षणताओं का उल्लेख है।

2. दृश्य-श्रव्य माध्यमों से विज्ञापन देने के सम्बन्ध में गौर किया जा रहा है, ताकि उत्प्रवासियों को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में शिक्षित किया जा सके।

3. इस सम्बन्ध में भी गौर किया जा रहा है कि क्या नोकरी चाहने वाले व्यक्तियों को सतर्क करने के लिए दंड प्राप्त भर्ती एजेन्टों के नाम प्रकाशित किए जा सकते हैं।

विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र सम्बन्धी कार्य में प्रगति

953. **श्री कुसुम कृष्ण पूर्ति** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को लगाने के लिए कार्य किस निकाय को सौंपा गया है;

(ख) उक्त परियोजना के कार्य में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र हेतु मूल ढांचा सुविधाएं तैयार की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के कार्यान्वयन का दायित्व एक नई कम्पनी नामत: राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० को सौंपा गया है।

(ख) स्थल समतलीकरण के लिए आवश्यक कुल 237.6 लाख घन मीटर कार्य पूरा कर लिया गया है कोक ओवन बैटरियों, उपोत्पाद संयन्त्र, सिन्टर सयंत्र, धमन भट्टी, कच्ची सामग्री के हैंडलिंग सयन्त्रों, स्टील मेल्टिंग शाप और अनुषंगी कर्मशाला क्षेत्रों के लिए सिविल निर्माण कार्य के ठेके दे दिए गए हैं। इस प्रकार मूल्य की दृष्टि से कुल कार्य में से लगभग 54 प्रतिशत के लिए ठेके दे दिए गए हैं। इस प्रकार मूल्य की दृष्टि से कुल कार्य में से लगभग 54 प्रतिशत के लिए ठेके दे दिए गए हैं। उपर्युक्त क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में लगभग 51,12,000 घन मीटर खुदाई और 80,000 घन मीटर कंक्रीट डालने का कार्य पूरा हो चुका है। धमन भट्टी न० 1 नींव में कंक्रीट डालने का काम पूरा हो चुका है।

कोक ओवन बैटरी नं० 1 के आधे ब्लाक की नींव में कंक्रीट डालने का काम पूरा हो चुका है।

उपस्करों की कुल 3,58,669 टन आवश्यकता में से 1,16,221 टन उपस्करों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। 118,479 टन अतिरिक्त उपस्करों के आर्डर देने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

संरचनात्मकों की कुल 4,35,084 टन आवश्यकता में से 1,03,694 टन संरचनात्मकों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं और 1,66,361 टन संरचनात्मकों के लिए आर्डर देने के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

32,148 टन तापसह ईंटों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। 81,841 टन अतिरिक्त तापसह ईंटों के लिन आर्डर देने के बारे में कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) जल-आपूर्ति :

निर्माण की जल संबंधी तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयन्त्र स्थल पर प्रतिदिन 10 लाख गैलन की व्यवस्था कर दी गई है। संयत्र के चारों ओर इस पानी की सप्लाई करने के लिए वितरण व्यवस्था कर ली गई है। निर्माण कार्य के लिए प्रतिदिन 35 लाख गैलन की अतिरिक्त सप्लायी के लिए आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने रायवाडा नहर निकालने का काम भी आन्ध्र प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह काम समय पर पूरा हो जाएगा।

बिजली सप्लाई :

निर्माण के लिए 1500 के० वी० ए० तक बिजली की सप्लाई संयंत्र स्थल पर पहले से उपलब्ध है। परिचालन के लिये 250 एम० वी० ए० तक बिजली की आवश्यकता आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा पूरी की जाएगी।

कच्ची सामग्री :

धमन भट्टी ग्रेड के चूना-पत्थर के लिए जागयापेट्टा, स्टील मेल्टिंग शाप ग्रेड के डोलोमाइट के लिए खम्मम और स्टील मेल्टिंग शाप के ग्रेड के चूना-पत्थर के लिए बादानपुर की रक्षित खानों का विकास कार्य हाथ में ले लिया गया है। बढ़िया किस्म के कोककर कोयले तथा संमिश्रण योग्य कोयले के लिए कोयले के स्रोतों के बारे में फैसला कर लिया गया है।

रेलवे सुविधाएं :

रेलवे ने परियोजना के लिए आवश्यक वाह्य रेल सुविधाओं की व्यवस्था करने का काम आरम्भ कर दिया है।

दिल्ली के होजरी उद्योग में संकट

954. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के होजरी उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने उनकी समस्या हल करने हेतु कोई प्रयास किया हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में बमों के झूठे समाचारों और बिना फटे बमों को रखने के मामले

955. **श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में बम रखने के झूठे समाचारों और वस्तुतः बिना फटे बम रखने के कितने मामले हुए हैं, और

(ख) क्या इन घटनाओं के सिलसिले में बमों के झूठे समाचारों अथवा बिना फटे ग्रेनेड के इत्यादि रखने के कोई सूत्र पकड़े गए हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) चार मामलों में डायनामाइट की छड़ें/देशी बम पटाखे बरामद हुए हैं और 17 काल्स झूठी साबित हुई है।

(ख) अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन जांच-पड़ताल की जा रही है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा वेस्ट जोन के एम० आई० जी० फ्लैटों पर सम्पत्ति कर लगाया जाना

956. श्री एफ० एच० मोहसिन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को मालूम है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण संविधान की धारा 12 के अन्तर्गत आता है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लोगों को बेचने के लिए बनाए गए फ्लैटों पर, जब तक सम्पत्तिकर और अन्य कर तब तक लगाए जा सकते हैं जब तब कि वे डी० डी० ए० के अधिकार में रहते हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कानून और उप-कानून क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम, वेस्ट जोन में, एम० आई० जी० फ्लैटों पर आबटियों को हस्तांतरित किए जाने से पहले के समय पर सम्पदा कर और अन्य कर लगा रहा है;

(घ) क्या वेस्ट जोन ने दिल्ली नगर निगम में अनेक स्तरों पर अनेक अभ्यावेदन देने के बावजूद भी ऐसे करों को वापस लेने से इन्कार कर दिया;

(ङ) दिल्ली नगर निगम ने यह मामला उनके मंत्रालय के पास भेजा है; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (च) तक दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि जनता को बेचने के लिए बनाये गये फ्लैटों पर जब तक वे दिल्ली विकास प्राधिकरण के कब्जे में रहते हैं तब तक उन पर सम्पत्ति कर नहीं लगाया जाता है। आबंटियों की ओर से शिकायतें हुई हैं कि जब फ्लैट उनके कब्जे में नहीं थे उस अवधि का सम्पत्ति कर भुगतान करने के लिए उनसे कहा जा रहा है। इस मंत्रालय ने पहले ही दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण को सम्पत्ति कर के सही मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के विचार से रिकार्डों की जांच करने के लिए अनुदेश दिए हैं।

बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल

957. श्री वी० एस० विजय राघवन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के हड़ताली कपड़ा मिल मजदूरों की मुख्य मांग क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उनके साथ कोई नई वार्ता शुरू की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) हड़ताल कर रहे कपड़ा श्रमिकों की

मुख्य मांगें 20 प्रतिशत बोनस, प्रत्येक श्रमिक के लिए 2 0 रुपये से 40 रुपये तक मजदूरी में वृद्धि तथा सभी अस्थायी श्रमिकों को नियमित किए जाने के बारे में है।

(ख) और (ग) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में 9 जुलाई, 1982 को श्रम मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य, जिसमें सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, सलग्न विवरण में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

1. सदन को मालूम है कि बम्बई की हड़ताल जो कि 60 सूती कपड़ा मिलों में से अधिकांश मिलों में गैर-कानूनी घोषित की गयी है, 18 जनवरी, 1982 से जारी है। इस हड़ताल का आह्वान मान्यता न प्राप्त एक यूनियन ने किया था, हालांकि सूती कपड़ा मिलों की श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधि और प्रबन्धकों के बीच एक समझौता पहले से ही विद्यमान है और यह समझौता 31 दिसम्बर, 1984 तक वैद्य है। हड़ताल का आह्वान करने से पहले न राज्य सरकार से और न प्रबन्धकों से संपर्क स्थापित किया गया। राज्य सरकार जो कि इस स्थिति से निपटने के लिये समुचित सरकार है और केन्द्रीय सरकार दोनों ने ही इस हड़ताल को समाप्त करने के लिये सतत प्रयास किये हैं। महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने यह घोषणा की है कि सामान्य स्थिति बहाल होने पर राज्य सरकार श्रमिकों की सभी वैद्य मांगों की जांच करेगी। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार द्वारा अपनाये गये इस रुख का पूर्णतः समर्थन किया है कि श्रमिकों की सभी वैध मांगों का हल सामान्य कानूनी तन्त्र के माध्यम से किया जाना चाहिए।

2. सरकार श्रमिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों से पूर्णतः अवगत है। यद्यपि कई मिलों ने अंशतः उत्पादन कार्य पुनः शुरू कर दिया है तथापि इस हड़ताल के कारण सूती कपड़े के उत्पादन में हुई हानि का भी सरकार को पता है। सरकार ने इस मामले को कभी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया और बार-बार सरकार श्रमिकों को यह बताती रही है कि जैसे ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी, उनकी उचित मांगों की जांच करने के लिये तुरन्त कार्रवाई की जाएगी और एक समय बद्ध कार्यक्रम के अनुसार उनका समाधान निकाला जाएगा।

3. केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा उठाये गये अनेक कदमों के परिणाम स्वरूप कई श्रमिक काम पर लौट आये हैं। यह बात पुनः सिद्ध करने की दृष्टि से कि, श्रमिकों के हितों का सरकार को सही मानें में अधिक ध्यान है, वह अब कुछ और कदम उठाना चाहती है।

4. इस उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति गठित करने का निर्णय

किया है जिसमें (1) केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों, (2) उद्योग और (3) सरकार के प्रतिनिधि होंगे। इस समिति के विचारार्थ प्रश्न ये होंगे :—

(क) 1. कपड़ा मिल उद्योग के कर्मकारों की समस्याओं की जांच की जाय और उनके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

2. कपड़ा मिल उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं, जिनमें उद्योग का आधुनिकीकरण तुरन्त करने की आवश्यकता भी शामिल है, की जांच की जाय और उनके बारे में रिपोर्ट दी जाए।

3. (1) और (2) पर निर्दिष्ट सिफारिशें देश के सम्पूर्ण कपड़ा मिल उद्योग से सम्बन्धित होंगी।

4. समिति अपनी रिपोर्ट एक वर्ष की अवधि के भीतर दे देगी और श्रमिकों से सम्बन्धित इसकी सिफारिशों को समय-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।

बम्बई सूती कपड़ा उद्योग कुछ विशेष समस्याओं का सामना करता रहा है। तदनुसार, समिति निम्नलिखित के सम्बन्ध में रिपोर्ट देगी :—

5. (i) बदली श्रमिकों की समस्याएं (ii) मकान किराया भत्ते के लिए श्रमिकों की मांग। यह समिति इन मामलों के संबंध में रिपोर्ट दो मास की अवधि के भीतर दे देगी और इसकी सिफारिशें यथाशीघ्र कार्यान्वित की जाएंगी। मकान किराया भत्ते और सवारी भत्ते के बारे में समिति की सिफारिश के प्राप्त होने तक, श्रमिकों को प्रति मास 50 रुपये की तदर्थ राशि का भुगतान किया जाएगा जिसका बाद में समायोजन किया जाएगा।

6. समिति द्वारा बम्बई की कपड़ा मिल के श्रमिकों की अतिरिक्त मजदूरी की मांग की जांच की जाएगी और यह समिति उसके बारे में छः मास की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

7. ऐसी अन्य समस्याओं के बारे में जो समिति को भेजी जाएगी या जिन पर समिति रिपोर्ट देना चाहेगी, उनके बारे में समिति सरकार को एक वर्ष की अवधि के अन्दर रिपोर्ट देगी।

ऐसे श्रमिकों को, जो सरकार के इस वक्तव्य के अनुसार पुनः कार्य शुरू कर देंगे, प्रबन्धकों

द्वारा पेशगी के रूप में 650 रुपये की राशि दी जाएगी, जिसे छः समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा। इस पेशगी की वसूली मन्जूरी के छः महीने के बाद शुरू होगी।

किसी भी श्रमिक को, जो काम पर वापस आ जाएगा, हड़ताल में भाग लेने के लिए या सम्मिलित होने के लिए सताया नहीं जाएगा, सिवाय उन श्रमिकों के, जिन्होंने डराने-धमकाने या हिंसा की कार्यवाही की है जिसके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

सरकार की ओर से मैं हड़ताल पर गए श्रमिकों से यह अपील करता हूं कि वे ड्यूटी पर आ जायें और पुनः कार्य आरम्भ कर दें। काम पर लौट आने से, वे अपनी तथा उद्योग की भी सहायता करेंगे और ऐसा करने से राष्ट्र का भी हित सिद्ध होगा।

आणविक क्षेत्र में भारत जर्मन सहयोग

958. श्री चित्त बसु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जर्मन जनवादी गणतंत्र के दो सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने आणविक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा के क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोगों में सहकार के एक प्रस्तावित करार पर प्रारम्भिक बातचीत के लिए जर्मन जनवादी गणराज्य से 4 सदस्यों का एक प्रतिनिधि-मंडल 6 से 9 जून, 1982 तक भारत की यात्रा पर आया था। बातचीत अनिर्णायक रही।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीविजन प्रसारण शुरू करना

959. श्री अजय विश्वास : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पूर्वोत्तर परिषद ने इस क्षेत्र में कम से कम समय और न्यूनतम खर्च पर टेलीविजन प्रसारण शुरू करने हेतु योजना आयोग से 28 करोड़ रुपये की मंजूरी मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तो इसके क्या कारण है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन के समावेशन और ध्वनि प्रसारण व्यवस्था को बढ़ाने के सम्बन्ध में एक स्कीम तैयार की गई है। छठी योजना की अवधि में रेडियो और दूरदर्शन खंडों के लिए स्कीम की धन सम्बन्धी आवश्यकता 23 करोड़ रु० है। इसमें से उत्तर-पूर्वी परिषद्‌ का भाग 7 करोड़ रु० होगा। इस प्रस्ताव का योजना आयोग ने समर्थन किया है।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बेरोजगारी कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के सेवा काल को कम करना

960. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अत्यधिक बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के सेवा काल की अवधि को 30 साल से घटाकर 20 साल या उससे कम व अधिक तक करने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने देश में बेरोजगारी की स्थिति से निबटने के लिए कोई अन्य योजना तैयार की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सेवा की किसी विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद सेवा निवृत्त नहीं किए जाते। वे कतिपय अपवादों के साथ, उस मास की अन्तिम तारीख को सेवा निवृत्त होते हैं जिसमें वे 58 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उनके सेवा काल को घटाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) छठी पंचवर्षीय योजना में अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए अनेक उपाय शामिल किए गए हैं जैसे (क) कृषि, सिंचाई, ग्रामीण तथा लघु उद्योग आदि जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए पर्याप्त व्यय की व्यवस्था (ख) लघु उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय, उत्पाद तथा अन्य प्रोत्साहन (ग) जहां कहीं व्यवहार्य हो माल के वित्तीय, उत्पादन तथा सर्विसिज के लिए श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी तथा प्रक्रियाओं को तरजीह (घ) आर्थिक सम्वृद्धि की दर में बढ़ोत्तरी (ङ) जनशक्ति योजना तथा रोजगार उत्पन्न करने के लिए गैर-एकीकृत उपाय (च) बड़े पैमाने पर स्वरोजगार को प्रोत्साहन।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में कर्मचारियों के लम्बित मामले

961. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों के अनेक मामले खादी आयोग के प्रधान कार्यालय में कई वर्ष से लम्बित पड़े हैं

(ख) यदि हां, तो वे कब से लम्बित हैं और खादी आयोग उन मामलों को कब तक निपटायेगा ; और

(ग) क्या खादी आयोग का विचार भविष्य में ऐसी समस्याओं को विभागीय तौर पर निर्धारित समय में हल करने के कुछ नियम बनाने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के केन्द्रीय कार्यालय में खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों के व्यक्तिगत मामलों को निपटाने में कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है। फिर भी आयोग में दो मामले कुछ समय से अनिर्णीत है। एक मामला कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में आंशिक रूप से संशोधन करने के सम्बन्ध में हैं और इस पर श्रम आयुक्त दिल्ली द्वारा दिये गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है। दूसरा मामला जिसके बारे में एक औद्योगिक विवाद उठाया गया है कर्मचारी की वरिष्ठता/पदोन्नति से सम्बन्धित है और यह 1979 से अनिर्णीत है।

विलम्ब को सामान्य नियंत्रण द्वारा रोकने के उपाय किए जा रहे हैं और आयोग सभी अनिर्णीत मामलों को शीघ्रता से निपटाने का प्रयत्न कर रहा है।

मारुति कारों का मूल्य :

962. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड ने मैसर्स सुजुकी (जापान) से तकनीकी सहयोग प्राप्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस सहयोग के अन्तर्गत कम मूल्य की कारों का निर्माण किया . और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जापान की मे० सुजुकी मोटर कम्पनी लिमिटेड के साथ अपने प्रस्तावित सहयोग की स्वीकृति के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड ने सरकार से आवेदन किया है।

(ख) तथा (ग) मारुति उद्योग लिमिटेड का उद्देश्य लाभकारी मूल्यों पर आधुनिक, बेहतर ईन्धन क्षमता की मोटर गाड़ियों का निर्माण करना है जिसमें निर्माण में बचत हों। गाड़ी का वास्तविक मूल्य किए जाने वाले निवेश, चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम, अन्तर-गृह निर्माण की सीमा, सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क आदि पर निर्भर होगा।

पिछले क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता की कमी के बारे में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का अध्ययन

963. **डा० सरदीश राय :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने पिछड़े क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्धता की भारी कमी होने का उल्लेख किया है ,' और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने और संचार व्यवस्था उपलब्ध कराने जैसे अन्य कार्यक्रम शुरू करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां। कार्यक्रम मूल्यांकन सगठन द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में रियायती वित्त और अन्य प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में किए गए मूल्यांकन अध्ययन से ऐसे क्षेत्रों में आधार संरचना में बहुत अधिक अन्तर दिखाई देते हैं।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में वर्तमान आधार सरचना मे अन्तरों को कम करने के लिए, नई रेल लाइनों और अन्य संचार व्यवस्थाओं जैसी परियोजनाओं पर संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं को शामिल करने के लिए समय समय पर विचार किया जा रहा है।

"एल० के० झा आन मिशन टु ग्रेट साइनटिस्ट्स बैंक" शीर्षक से समाचार

9?4. **श्री हरिनाथ मिश्र :**
श्री पी० जे० कुरियन :
श्री के० रामनूर्ति : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1982 के 'हिन्दू, में प्रकाशित 'एल० के० झा आन मिशन टू ग्रेट साइनटिस्ट बैंक' शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के चेयरमैन विदेशों में बसे भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगियों और व्यापारियों से उनके भारत लौटने और देश के विकास के लिए उनकी बचतों तथा

हुनरों का उपयोग करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका का दौरा कर रहे हैं;

(ग) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री विदेशों में कार्यरत प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों को यह समझाने के लिए अमरीका गए थे कि उन्हें अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य समझते हुए, पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक आधार पर भारत में ही शोधकार्य करना स्वीकार करना चाहिए भले ही इनके लिए उन्हें अपनी आकर्षक आय का त्याग भी करना पड़े; और

(घ) यदि हां तो विशेष तौर पर (एक) भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को भारत लौटाने और (दो) विदेशों में बसे भारतीयों की बचतों को मातृ भूमि पर ही खर्च करने के उनके प्रयास इन दौरों के क्या परिणाम निकले ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विदों की सेवा का उपयोग करने सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए, आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष, श्री एल० के० झा, ने हाल ही में, संयुक्त राज्य अमरीका, पश्चिम जर्मन और ब्रिटेन की यात्रा की।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका के वाणिज्य मन्त्री के आमन्त्रण पर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मन्त्री ने संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की और इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को, विभिन्न प्रोत्साहकों, जिनमें कि वित्तीय प्रोत्साहन भी साम्मिलित हैं, के विषय में बताया और भारत में निवेश करने के तरीकों के सरलीकरण के विषय में बताया।

(घ) इन चर्चाओं के दौरान, भारत लौटने के इच्छुक भारतीयों ने बताया है कि भारत में उपयुक्त पदों पर नियुक्ति के लिए समय पर रिक्तियों के बारे में जानकारी के अभाव में और साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अपेक्षाओं के कारण उन्हें उपयुक्त पदों के लिए आवेदन करने और उनके लिए चुने जाने के लिए कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपनी वापसी के विषय में सीमाशुल्क, कराधान, विदेशी मुद्रा विनियोग के बारे में कुछ छूट दिए जाने की इच्छा प्रकट की ताकि उनकी वापसी को सरल बनाया जा सके। विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों से तकनीकी और वित्तीय प्रवाह में संवर्द्धन करने के लिए बहुत से सुझाव पेश किए गए। किसी अन्तिम निर्णय लेने के पहले इनके बारे में विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है।

अखबारी कागज, उर्वरक, वाणिज्यिक वाहन इत्यादि जैसे प्रमुख (कोरा) उद्योगों में क्षमता का उपयोग

965. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री सूरजभान : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के संघ द्वारा पेश किए गए इस अध्ययन की ओर दिलाया गया है कि अखबारी कागज, उर्वरक वाणिज्यिक वाहन जैसे कुछ प्रमुख उद्योगों में क्षमता का उपयोग जो कि वर्ष 1970-71 में 85 प्रतिशत था, वर्ष 1980-81 में घटकर 78.6 प्रतिशत रह गया है; यदि हां, तो इन आंकड़ों की तुलना में सरकारी आंकड़े क्या है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान क्षमता में अन्तर आने से अनुमानतः कुल घाटा कितना हुआ ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) एफ० आई० सी० सी० (फिक्की) द्वारा छठी योजना में उपयोग की भूमिका सम्बन्धी कार्यशाला हेतु तैयार की गई रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि वर्ष 1970-71 में उपयोग क्षमता 85 प्रतिशत थी जो 1980-81 में घटकर 78.6 प्रतिशत रह गई है। रिपोर्ट में अध्ययन का विवरण और कार्यपद्धति की जानकारी नहीं दी गई है। इसमें वर्ष 1970-71 से 1980-81 की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में इस परिवर्तन के कारण हुई कुल अनुमानित हानि का भी विवरण नहीं दिया गया है। पिछले दशक में अनेक प्रमुख उद्योगों की क्षमता और उत्पादन में वृद्धि हुई है फिर भी कुछ उद्योगों के उत्पादन की तुलना में क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई है।

मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन को स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड से अलग करना

966. श्री वासुदेव आचार्य : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टील अथारिटी आफ इण्डिया की एक सहायक कंपनी मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन को सेल (एस. ए. आई. एल.) से अलग करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1981-82 में इस यूनिट ने नकद 3 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन को सेल के नियन्त्रण से अलग करके एक स्वतन्त्र यूनिट बनाने के बारे में क्यों सोच रही है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ग) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी—मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन 21 मई, 1982 से एक स्वतन्त्र कंपनी बना दी गई है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि दोनों कंपनियों के कार्य भिन्न-भिन्न था तथा मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन का सेल की सहायक कंपनी का दर्जा उसके काम निपटान में किसी प्रकार सहायक नहीं था। वास्तव में इससे इसे अपने कार्यों का प्रबन्ध करने में कुछ कठिनाइयां होती थीं।

(ख) वर्ष 1981-82 में मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन को 134.28 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

आन्ध्र प्रदेश में मेडक में बंधुआ मजदूर

967. श्री रेणुपद दास :

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में मेडक में इस समय 20,000 बंधुआ श्रमिक है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उन्हें मुक्त कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने आन्ध्र प्रदेश के मेडक जिले बंधुआ श्रमिकों के अस्तित्व का पता लगाने के बारे में कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र द्वारा संचालित एक योजना विद्यमान है जिसके अन्तर्गत राज्य द्वारा पता लगाए गए और स्वतन्त्र किए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन के लिए व्यक्ति 4,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और खर्च राज्यों तथा केन्द्र सरकार के बीच 50 : 50 के आधार पर बांटा जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली का विभाजन

968. श्री बनवारी लाल : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सामान्य प्रयोजन समिति ने 14-4-82 को निर्णय किया गया था कि क्षेत्रीय कार्यालय, को दिल्ली को दो भागों में विभाजित किया जाए,

(ख) क्या केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय आयुक्तों ने प्रधान कार्यालय को नेहरू प्लेस में ही रखने की सिफारिश की थी,

(ग) क्या प्रधान कार्यालय को नेहरू प्लेस में रखने की यह सिफारिश भविष्य निधि अधिकारियों द्वारा दिल्ली के अंशदाताओं और उद्योगों की बहु संख्या के आधार पर की गई थी,

(घ) क्या दक्षिण दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय कारखानों और अंशदाताओं की अल्पसंख्या के आधार पर स्थापित किया जा रहा है जबकि पश्चिम दिल्ली में उप-क्षेत्रीय कार्यालय अंशदाताओं और कारखानों की बहुसंख्या के आधार पर खोला जा रहा है, यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण हैं, और

(ङ) 31-3-1982 को दक्षिण दिल्ली उत्तर दिल्ली के कारखानों और अंशदाताओं की कितनी-कितनी और भविष्य कार्यालय को नेहरू प्लेस से किसी केन्द्रीय स्थान पर ले जाने में कितना समय लगेगा ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : कर्मचारियों भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि :

(क) सामान्य प्रोजन समिति ने सिफारिश की है :

नेहरू प्लेस में स्थिति वर्तमान क्षेत्रीय कार्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान में, जहां उद्योगों का अधिक जमाव है, स्थानीय कार्यालय खोला जाए।

(ख) उपर्युक्त सिफारिश के प्रतिकूल कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पहले क्षेत्रीय कार्यालय पूसा रोड में स्थित था परन्तु बाध्यकारी कारणों के परिणामस्वरूप फरवरी, 1980 में इस कार्यालय को नेहरू प्लेस में स्थानान्तरित किया गया। उस समय दक्षिण दिल्ली में उपलब्ध स्थान को बेहतर विकल्प समझा गया था। यह स्थान शहर के सभी भागों से परिवहन के साथ जुड़ा हुआ है और किराया भी अन्य स्थानों में विद्यमान किरायों की तुलना में अधिक नहीं है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

दिल्ली टायर ट्रेडर्स एसोसिएशन का अभ्यावेदन

969. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को दिल्ली टायर ट्रेड एसोसिएशन का दिनांक 1 जून, 1982 का कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसमें निर्दिष्ट टायर व्यापारियों की विशेष मांगे क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों को टायरों के मूल्य का प्रश्न सौंपने के अलावा कोई उपयुक्त कार्यवाही है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी): (क) और (ख) दिल्ली टायर व्यापारी संघ ने अपने दिनांक 1 जून, 1982 के अभ्यावेदन में निम्नलिखित टिप्पणी की है :

(1) टायर कम्पनियों के कदाचारों और उनके द्वारा पहले बार-बार अनुचित रूप से की गई मूल्यवृद्धि का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय स्वतन्त्र निकाय का गठन होना चाहिए जिसमें टायर व्यापारियों/परिवाहनों के प्रतिनिधि शामिल हों।

(2) भावी मूल्य वृद्धि की मोननीरिंग करने के लिए टायर व्यापारियों/परिवाहकों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक उच्च स्तरीय नामिका (पैनल) का गठन किया जाए।

(3) मैसर्स सिएट टायर्स आफ इण्डिया लि., मैसर्स डनलप इण्डिया लि. और मैसर्स गुड ईयर इण्डिया लि० की शेयरधारिता (इक्विटी) अंशपूंजी को बड़े एकाधिकारी गृहों सौंपने की अनुमति देने की बजाय उनके विदेशी सहयोगियों से उसे अभिगृहीत करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।

(4) टायर व्यापारियों और परिवाहकों को इस प्रकार की अभिगृहीत इक्विटी शेयर दिए जाने चाहिये।

(5) टायर उद्योग में व्याप्त सभी प्रकार के कदाचारों को समाप्त करने और अन्य कंपनियों पर निगरानी रखने के लिए टायर कंपनियों के प्रबन्ध में टायर व्यापारियों और उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों पर निर्णय लेते समय दिल्ली टायर व्यापारी संघ के सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

सहकारी क्षेत्र में नए कारखानों को सीमेंट के आवंटन के नियम एवं प्रक्रिया

970. **श्री शिवकुमार सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे नये कारखानों के निर्माण कार्य के लिए सीमेंट के आवंटन हेतु क्या नियम और प्रक्रिया निर्धारित की गई है?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण तिवारी) : सहकारिता क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे कारखाने लेवी सीमेंट के आवंटन के पात्र हैं। बड़े और मझौले क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कारखानों को सीमेंट नियन्त्रक संघ द्वारा पार्टियों से आवेदन पत्र मिलने पर सीधे सीमेंट आबंटित किया जाता है। आवेदन पत्र निम्नलिखित कागजातों सहित संबन्धित क्षेत्रीय सीमेंट नियन्त्रक को प्रस्तुत करने होते हैं :

(1) औद्योगिक लाइसेंस/तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण की फोटो प्रति।

(2) निर्मित किये जाने वाले भवन की स्वीकृत योजना की सत्यापित प्रतिलिपि।

(3) पंजीकृत वस्तुकार/चार्टर्ड इन्जीनियर से कार्य की प्रत्येक बड़ी मद के लिए सीमेंट की आवश्यकया तथा प्रावस्थाबद्ध त्रैमासिक आवश्यकता को प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र।

लघु क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कारखाने को सम्बद्ध राज्य सरकारों ने संघ शासित प्रशासनों से उन्हें आवंटित किए गए सीमेंट के इकट्ठे तिमाही आवंटन में से अपना आवटिन मिलता है।

बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण

971. श्री रणजीत सिंह : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रचलित बाल श्रमिकों की सख्या का कोई सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) क्या बाल श्रमिकों के संबन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सिफारिश किए गए कानूनों को लागू किया रहा है, और

(ग) उन बच्चों को न्यूनतम सुविधाए देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जो विभिन्न उपक्रमों में नियुक्त हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने रोजगार में भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सम्बन्धी अनेक अभिसमयों को स्वीकार किया है। तथापि, भारत ने कुछ अभिसमयों का समर्थन किया है। अन्य अभिसमयों का उनके व्यापक क्षेत्र विस्तार के कारण अनुसमर्थन करना सम्भव नहीं हुआ है। फिर भी कई सम्बन्धित क्षेत्र निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

(ग) विभिन्न उद्योगों में नियोजित बालकों की कार्यदशाओं में सुधार करने वाली कार्योन्मुख योजनाओं को लागू करने के लिये बाल श्रम के क्षेत्र में विख्यात स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायक अनुदान दिया जाता है।

मोटर उद्योग में वित्त की समस्या

972. **श्री भीकू राम जैन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर उद्योग को वित्त की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उसने भारतीय रिजर्व बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों की ओर से लगाये गये प्रतिबन्ध में ढील देने की मांग की है ;

(ख) मोटर उद्योग को और अधिक कार्यकर पूंजी उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) मोटर गाड़ी उद्योग बैंकों तथा वित्त जुटाने वाली संस्थाओं से मुख्य रूप से अपनी गाड़ियों के संभावित ग्राहकों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने की मांग कर रही है। उद्योग तथा अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा उनको ऋण की उपलब्धता का भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा निरन्तर अनुमान लगाया जा रहा है तथा मानीटर किया जाता है। मोटर गाड़ी उद्योग सहित उद्योग को अधिक ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से ऋण नीति में निम्नलिखित सुधारों की घोषणा की गई है :

(एक) 9 अप्रैल, 1982 से नकद रिजर्व अनुपात में 7.75 प्रतिशत से कमी।

(दो) 9 अप्रैल, 1982 से गैर-आवासी (बाहरी) रुपया खातों में जमा राशि पर नकद रिजर्व अनुपात को 7.75 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करना, तथा

(तीन) 9 अप्रैल, 1982 से खाद्य खरीद ऋणों में 2,200 करोड़ रु० से 2,200 करोड़ रुपये के मूल स्तर से अधिक पर 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तथा 2,300 करोड़ रु० के स्तर से ऊपर 100 प्रतिशत धन के पुनर्वित्त पात्रता को उदार बनाना।

बी० बी० जे० सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन

973. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लि० (बी० बी० जे०) कलकत्ता की समस्या के बारे में जांच समिति ने अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार बी० बी० जे० के बारे में जांच समिति ने अन्तिम निर्णय करने से पूर्व यूनियन के साथ विचार विमर्श कर रही है,

(ग) यदि हां तो कब, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) अधिकारियों के एक ग्रुप, जिसने बी० बी० जे० कस्ट्रक्शन कंपनी और इसके विक्टोरिया वर्क्स पश्चिम बंगाल सरकार को हस्तान्तरित करने की संभावना के मामले पर विचार किया था, ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। विक्टोरिया वर्क्स को अपने हाथ में लेने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार अभी सहमत नहीं हुई है। इस मामले में आगे की कार्यवाही करने का निर्णय संबन्धित उपक्रमों और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ही किया जायेगा।

उत्पादकता बढ़ाने के लिए मजदूर संघों के साथ बैठक

974. **प्रो० रूपचन्द पाल :**
श्री के० एन० राजन :
श्री मगन भाई बरोट : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने देश में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यवाही पर विचार-विमर्श करने हेतु हाल ही में कोई बैठक बुलाई थी ;

(ख) क्या उक्त बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय मजदूर संघों को आमन्त्रित किया गया था;

(ग) विभिन्न मजदूर संघों के कितने प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया;

(घ) क्या सरकार को कुछ मजदूर संघों से ऐसा कोई पत्र मिला था कि वे उपरोक्त बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन्होंने क्या कारण बताये हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। नियोजक संगठनों, राज्य सरकारों तथा अन्य के साथ।

(ग) चार केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के पांच प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया।

(घ) जी, हां।

(ङ) बैठक में भाग लेने सम्बन्धी उनकी असमर्थता के कारणों में ट्रेड यूनियनों से परामर्श किए बिना "उत्पादिकता वर्ष" की घोषणा, बैठक के लिए देम से आह्वान करना, भारतीय श्रम सम्मेलन आदि में औद्योगिक संबंधों संबन्धी विधेयकों पर विचार-विमर्श न करना सम्मिलित है। अतः उन्होंने यह महसूस किया कि बैठक में उनके भाग लेने से कोई उपयुक्त प्रयोजन नहीं होगा।

क्षमताओं का उपयोग

975. श्री सी० टी० दण्डपाणि : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिबन्धात्मक औद्योगिक नीतियों के कारण क्षमताओं का कम उपयोग हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय उद्योग में क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु सरकार ने औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभ्युपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है।

(1) 5 प्रतिशत वार्षिक स्वतः विकास के लिए प्रावधान जो पांच वर्ष में अधिकतम 25 प्रतिशत हो सकता है।

(2) आधारभूत तथा विशेष महत्व के उद्योगों और साथ ही निर्यातोन्मुख उद्योगों में लाइसेंसीकृत/पंजीकृत क्षमता से अधिक क्षमता को मान्यता देना।

(3) 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के लिए एक योजना बनाना।

(4) लघु उद्योगों की रक्षा के अधीन क्षमताओं के पृष्ठांकन हेतु उत्पादन को आधार मानना।

(5) "उद्योग रहित जिलों" और अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की ओर ध्यान देना।

(6) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के दोहन हेतु योजनाओं को लाइसेंस मुक्त करना।

(7) निर्यात के उद्देश्य से किए गए उत्पादन को लाइसेंसीकृत क्षमता से पृथक मानना।

(8) सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत 1982 के उत्पादकता वर्ष मे औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप में उत्पादनोंन्मुख करना संभव होगा। इस योजना की प्रमुख बातों की घोषणा पहले ही उद्योग मन्त्रालय के 21 अप्रैल, 1982 के प्रेस टिप्पण सं० 10/79/81-एल० पी० में की जा चुकी है।

गांवों में उद्योग की स्थापना के लिए आयकर में रियायत

979. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के परिपत्र जारी किए हैं कि उन उद्योगपतियों को आयकर में रियायत अथवा छूट दी जायेगी जो गांवों में उद्योग लगायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी): (क) और (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्ध 35 ग ग के अन्तर्गत कंपनी और सहकारी समितियों को निर्धारित प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए गए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के किसी कार्यक्रम पर उनके द्वारा किए जाने वाले किसी खर्च को अपने कराधान योग्य लाभ से कम करने की अनुमति है। आयकर अधिनियम के उपबन्ध 35 ग ग क के अन्तर्गत, निर्धारित प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम चलाने में उपयोग के लिए स्वीकृत एसोसिएशन और संस्थानों को भुगतान की गई राशि के व्यय को घटाने की अनुममि दी गई है।

35 ग ग के अन्तर्गत स्वीकृतियों के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रमों की स्वीकृत के मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा परिपत्र संख्या 231 दिनांक 14-11-77 द्वारा और 35 ग ग क के अन्तर्गत स्वीकृतियों के बारे में परिपत्र संख्या .44 दिनांक 13-7-78 द्वारा जारी किए गए हैं।

हरिजनो के लिए ग्राम रक्षक दल

977. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हरिजनों की रक्षा करने के लिए "ग्राम रक्षक दल" आयोजित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त दल कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) साधूपुर हत्याकांड के बाद गृह मन्त्री ने अनुसूचित जातियों के प्रति ऐसे अपराधों को रोकने के लिए किए जाने

वाले उपायों के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के साथ बैठक की। जो विचार सामने आये उनमें से एक अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधोन्मुख गांवों अथवा क्षेत्रों में एक ग्राम सुरक्षा बल बनाना है। गृह मन्त्री ने इस संबन्ध में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों को लिखा है।

टायरों के मूल्य में वृद्धि

978. श्री के० ए० राजन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से इस वर्ष मार्च में ही कह दिया था कि वह इस बात की जांच करें कि क्या टायरों के मूल्यों मे बार-बार होने वाली वृद्धि कच्चे माल की लागत से वृद्धि तथा अन्य कारणों से होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) क्या टायर निर्माताओं ने हाल ही में 5 प्रतिशत की एक और वृद्धि करने का विचार किया है; और

(ङ) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यारा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यूरों ने अपनी रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(घ) और (ङ.) सरकार को आटोमोबाइल टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन से मिली जानकारी के अनुसार हाल में हुई वृद्धि 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक अलग हुई है। इस समय मोटर गाड़ियों के टायरों/ट्यूबों आदि के मूल्य पर कोई भी कंट्रोल नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अधिकारियों के स्थानांतरण

979. श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 मार्च, 1982 को 9 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3508 के उत्तर में कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन में स्थानांतरित होने वाले उन अधिकारियों की एक सूची सभा पटल पर रखी थी जो एक स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ ऐसे अधिकारी है जिनके नाम इस सूची में हैं परन्तु वे अभी भी दिल्ली में हैं और दो बार उनके स्थानांतरण आदेश रोक गए हैं,·

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ,·

(घ) इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और इन स्थानांतरण आदेशों को लागू करने में कितना समय लगेगा ,·

(ङ·) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :

दो अधिकारियों के अभ्यावेदनों पर गौर करने के बाद सक्षम प्राधिकारियों ने उनके स्थानांतरण सबन्धी आदेशों को अस्थगित कर रखा है।

(घ) और (ङ.) प्रश्न नहीं उठते।

बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी देने में रोजगार कार्यालयों की भूमिका

980. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्ति रोजगार कार्यालयों की संख्या तथा इन कार्यालयों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से सन्तुष्ट नहीं हैं,·

(ख) क्या जिला जनशक्ति तथा रोजगार के अवसर पैदा करने वाली परिषदों ने बेरोजगारी कम करने में सहायता प्रदान नहीं की है ,·

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि स्व-रोजगार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों, ऋण देने और छोटे ऋण दाताओं को धन देने की जटिल प्रक्रिया के कारण से पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए,· और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यद्यपि 1981 के आरम्भ में जिला जन शक्ति योजना तथा रोजगार सृजन परिषदें गठित करने का अनुरोध राज्य सरकारों से किया गया था, फिर भी अधिकांश राज्य सरकारों ने

हाल ही में ऐसी परिषदें स्थापित की हैं। यह मामला कुछ राज्यों के विचाराधीन है। इस समय इन परिषदों के कार्य कलापों का कोई मूल्यांकन करना समय-पूर्व होगा।

(ग) तथा (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना में स्व-रोजगार पर बहुत अधिक जोर दिया गया है तथा वास्तव में, इसमें स्व-रोजगार शुरू करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण, ऋण, विपणन तथा सामान्य मार्गदर्शन के समान सेवाओं की पैकेज सुविधा प्रदान करके स्व-रोजगार के लिए नई अर्थव्यवस्था की व्यवस्था की गई है। इस योजना में विद्यमान प्रशिक्षण सुविधाओं, विशेषकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण को स्व-रोजगार तथा उत्पादनोन्मुख बनाने के लिए इसकी पुनः स्थिति निर्धारण करने पर विशेष रूप से जोर डाला गया है।

2. लघु स्तर क्षेत्र के एककों के लिए ऋण उपलब्धता को सरल बनाने हेतु सरकार द्वारा कई कार्रवाइयां की गई हैं। लघुस्तर उद्योग की बैंक-ऋण समस्याओं की जांच करने के लिए श्री आई० सी० पुरी की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अनपालन करते हुए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने सीमान्त अपेक्षाओं विशेषकर लघु स्तर उद्योगो के लघुतर एककों और तकनीकी रूप से अर्हता-प्राप्त तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों को विशेष रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत नामित किए गए उद्यम कर्ताओं के मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाने की सलाह बैंकों को दी। बैंकों से कहा गया है कि वे केवल सीमांतों के अभाव में किसी भी व्यवहार्य योजना को अस्वीकार न करें, यदि वह प्रस्ताव अन्यथा सही हो। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ऋणों की अवधि के बारे में पुनः भुगतान की समय-सारणियां तदर्थ ढंग निर्धारित न करके, आर्थिक सहायता प्राप्त एकक की अतिरिक्त सृजन छमता तथा "दि ब्रेक इवन प्वाइंट्स" आदि को ध्यान में रखा करें। समय-समय पर प्राप्त पुनर्निवेशन के आधार पर, लघुत्तर कर्जदारों के लिए कार्यपद्धतियों को सरल बनाने हेतु कार्रवाईयां की गई हैं। बैंक अब लघु स्तर औद्योगिक एककों के लिव आवेदन एव मूल्यांकन के दो सरलीकृत सेटों का उपयोग कर रहे हैं, एक 25,000 रुपये तक के अग्रिम तथा दूसरा 25 हजार रुपयों और 2 लाख रुपयों के बीच के अग्रिमों की अपेक्षा करने वाले एककों के लिए।

3. सरकार केवल अर्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति छोटे एककों के लिए एक सीमान्त धन योजना अत्यन्त उदार शर्तों पर चला रही रही है। जिला उद्योग केन्द्रों (ताम्बे समित) के विशेष सन्दर्भों में बैंक ऋणों का विस्तार लघु स्तर तथा कुटीर उद्योगों, कारीगरों आदि पर करने के लिए विशेष कार्रवाई करने हेतु कार्यकारी दल द्वारा दिए

सुझाओं के आधार पर बैंकों को निदेश दिए गए हैं कि वे ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों और कारीगरों को उपस्कर अर्थ-व्यवस्था तथा कार्यकारी पूंजी दोनों के लिए "कम्पोजिस्टर्म" ऋण के रूप में 25 हजार रुपये तक का ऋण सीमान्त पर जोर डाले बगैर अत्यन्त उदार शर्तों पर मंजूर करें। समय पर ऋण सुविधाओं की मंजूरी को सरल बनाने के विचार से बैंकों से यह कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि लघु क्षेत्र के एककों से प्राप्त ऋण के आवेदनपत्रों के मामलों में 1 लाख रुपये तक के सभी प्रस्ताव 30 दिनों की अवधि के भीतर निपटा जाए। इस प्रयोजन के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे अपने शाखा प्रबन्धकों को पर्याप्त विवेकशील शक्तियां प्रदान करें ताकि लघुत्तर ऋण आवेदनपत्रों पर अधिकांश निर्णय शाखा स्तर पर ही लिए जा सकें।

4. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा बैंक प्रबन्धकों द्वारा इन मार्गदर्शनों के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है। वैध कारणों के बगैर ऋण की नामंजूरी तथा इन मार्गदर्शनों का अनुपालन न करने के बारे में विशिष्ट शिकायतों की जांच करने के लिए एक पद्धति बनाई गई है तथा जहां कहीं आवश्यक होता है, उपयुक्त उपचारी कार्रवाईयां की जाती हैं।

देश में शिक्षित बेरोजगार युवक

901. श्री मूलचन्द डागा : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने शिक्षित बेरोजगार हैं तथा मैट्रिक, इण्टरमीडीएट, बी० ए० और एम० ए० : डाक्टर और इन्जीनियरी उत्तीर्ण करने वाले शिक्षित बेरोजगार का अलग-अलग ब्योरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1980-8 और 1981-82 में कितने शिक्षित बेरोजगारों को क्षेत्र-वार नौकरी दी गई ?

श्रम मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 30-9-1981 (अन्तिम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर नौकरी चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों (मैट्रिक तथा इससे ऊपर) से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1 80 और 1981 के दौरान रोजगार कार्यालय द्वारा नौकरी चाहने वाले जिन शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, उनकी संख्या नीचे दी गई है :

1980 (जनवरी — दिसम्बर)	1,79,142
1981 (जनवरी — जून)	79,205

नौकरी चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों को देने के बारे में क्षेत्र-वार सूचना एकत्र नहीं की जा रही है।

विवरण

(हजारों में)

शैक्षणिक स्तर	3-6-81 के अनुसार संख्या
1. मैट्रिकुलेट्स	4656.7
2. हायर सेकेण्डरी/इण्टरमीडिएट्स	2118.4
3. स्नातक (जोड़)	1473.3
(i) कला	718.6
(ii) औषधि	16.8
(iii) इन्जिनियरी	22.7
(iv) अन्य	715.2
4. स्नातकोत्तर (जो	137.8
(i) कला	0.7
(ii) औषधि	81.0
(iii) इन्जीनियरी	1.3
(iv) अन्य	54.8
जोड़ शिक्षित :	8449.2

टिप्पणी : 1. यह आवश्यक नहीं है कि रोजगार कार्यालयों के पास पंजीकृत सभी व्यक्ति बेरोजगार हों।

2. सभी बेरोजगार व्यक्ति अपने नाम रोजगार कार्यालयों के पंजीकृत नहीं कराते।

3. रोजगान कार्यालयों के पास पंजीकृत व्यक्ति अधिकतर ऐसे युवा हैं जो 15 से 2 वर्ष के आयु ग्रुप से संबन्ध रखते हैं।

मजदूरों को बंधुआ बनाने के कारण

982. श्री अजित बाग : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मजदूरों को बधुआ बनाने का प्रमुख कारण ग्रामीण निर्धन लोगो का आर्थिक पिछड़ापन और देश में श्रम कानून का सख्ती से लागू न करना है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण निर्धनों का आर्थिक रूप से पुनर्वास ही राज्य का एकमात्र दायित्व है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका मूलाधार क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जबकि आर्थिक पिछड़ापन और ग्रामीण गरीबी बंधुआ श्रमिकों की विद्यमानता के कारणों में एक कारण हो सकती है, फिर भी यह कहना सही नहीं होगा कि इसका कारण देश में श्रम कानूनों का असन्तोषजनक कार्यान्वयन है ।

(ख) मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों सहित ग्रामीण गरीबों का आर्थिक पुनर्वासन केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेवारी है । बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन के लिए केन्द्र द्वारा संचालित योजना है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत तक बराबर-बराबर की केन्द्रीय सहायता दी जाती है । भूमिहीन मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के लिए मकानों के लिए जगहों तथा कृषि भूमि का आवंटन, सम्पूर्ण वर्ष में पर्याप्त मजदूरी रोजगार की व्यवस्था, ऐसे अनुसूचित रोजगारों, जिनमें वे नियोजित हैं, के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी दरों की अदायगी, कृषि उपस्करों, निवेशों और पशुपालन निवेशों जैसी आय सृजन करने वाली यूनिटों की व्यवस्था दस्तकार प्रशिक्षण का विस्तार करना कुछ ठोस उपाय हैं, जिसके द्वारा मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों सहित ग्रामीण गरीबों का आर्थिक पुनर्वास संभव है । इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश समय-समय पर राज्य सरकारों को जारी किए जा रहे हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हरियाणा में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सी० आर० पी० तथा बी० एस० एफ० की तैनाती

984. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा 22 तथा 24 जून, 1982 को "प्रजातन्त्र बचाओ" आन्दोलन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सी० आर० पी० तथा बी० एस० एफ० तैनात की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हरियाणा राज्य सरकार ने इन बलों की मांग की थी; और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो हरियाणा में ये बल तैनात करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निसार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) हरियाणा सरकार को केन्द्रीय सशस्त्र बलों की कुछ यूनिटें उपलब्ध करायी गयी थीं ताकि कानून और व्यवस्था बनाए रखने में उनकी सहायता की जा सके। ऐसी यूनिटों की ठीक-ठीक संख्या बताना लोक हित में नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के भूतपूर्व आई० एन० ए० के कार्मिकों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन

984. **श्री के० कुन्हम्बू :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के भूतपूर्व आई० एन० ए० के कितने कार्मिकों के अभ्यावेदन स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पेंशन के लिए बकाया पड़े हैं; और

(ख) इन्हें कब तक पेंशन मंजूर किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : (क) 622।

(ख) इन मामलों पर आवेदक से अपेक्षित सूचना/स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य और/या अभिलेख कार्यालय, जिसे सत्यापन के लिए मामला भेजा गया है, से रिपोर्ट प्राप्त होते ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

रंगीन टी० वी० सेटों के निर्माण के लिए लाइसेंस

985. **श्री नवीन रवाणी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) रंगीन टी०वी० सेटों के निर्माण के लिए कितने लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) क्या किसी प्रतिष्ठान ने रंगीन टी० वी० सेट बनाए हैं और यदि हां, तो उसका नाम क्या है तथा यह सेट किस साइज के हैं तथा इनका मूल्य (लगभग) कितना है;

(ग) क्या यह सच है कि रंगीन टी० वी० सेट बहुत मंहगा पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने सस्ती दर पर रंगीन टी० वी० सेट उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में उप-मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) रंगीन दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण करने के लिए अभी तक नियमित रूप से कोई विनिर्माण रूप से कोई विनिर्माण लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ख) यद्यपि लघु क्षेत्र की इकाइयों द्वारा कुछेक छुट-पुट संयोजित रंगीन दूरदर्शन सेट बेचे जा रहे हैं, तथापि रंगीन दूरदर्शन सेटों का कोई प्राधिकृत विनिर्माता नहीं है।

(ग) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को रंगीन दूरदर्शन पर गठित अन्तर्विभागीय कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रंगीन दूरदर्शन रिसीवर का मूल्य 7,500 रुपये होगा और इस पर कम लागत वाले श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेटों पर लगने वाली रियायती सीमा-शुल्क की दर लागू होगी। तथापि, नियमित आधार पर स्वदेशीय विनिर्माण आधार पर स्थानीय विनिर्माण की लागत क्या होगी इसका अन्दाजा अभी लगा पाना सम्भव नहीं है।

(घ) उपयुक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए तथा चूंकि सरकार ने रंगीन दूरदर्शन सेटों का नियमित रूप से विनिर्माण करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए नए मार्ग निर्देश

986. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए राज्य सरकारों को जारी किए गए नए मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उस राज्य का नाम क्या है जिसमें पिछले एक वर्ष में बहुत अधिक साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और उस राज्य से मांगे गए स्पष्टीकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) साम्प्रदायिक एकता मजबूत करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ग) सरकार ने अक्तूबर, 1980 में सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को साम्प्रदायिक दंगों को रोकने और नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में व्यापक मार्गदर्शी निदेश भेजे हैं। इन मार्गदर्शी निदेशों में विभिन्न पहलू जैसे आसूचना प्रबन्ध निवारक कार्रवाई में गैर-सरकारी लोगों का भाग लेना, आकस्मिक योजना, आग्नेय-शस्त्रों पर नियन्त्रण, कार्मिक नीति, जांच पड़ताल मामलों का अभियोजन और विचारण तथा पुनर्वास आदि समेत प्रशासनिक उपाय शामिल हैं। साम्प्रदायिक असहिष्णुता और हिंसा को अधिक प्रभावी रूप से रोकने तथा उससे निपटने के उपायों पर जुलाई, 1981 में केन्द्र और राज्य सरकारों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया था। राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनर्गठित किया गया था और प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में इसकी प्रथम बैठक 1980 में आयोजित की गई थी। इसकी तीन समितियां स्थापित की गई जिनकी

बैठकें 1981 और 1982 में हुई थी तथा साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए कुछ सिफारिशें की थीं। इनका केन्द्रीय सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों में तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है।

(ख) साम्प्रदायिक हिंसा की कुछ गम्भीर स्वरूप की घटनाएं पिछले एक वर्ष के दौरान बिहार, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हुई हैं। कुछ घटनाएं जिसमें भिन्न-भिन्न समुदाय अन्तर्ग्रस्त थे, पंजाब और तमिलनाडु में भी हुई हैं। ऐसे मामलों में राज्य सरकारों से ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता है। केन्द्र सामान्यतः दंगों को नियंत्रित/रोकथाम करने में उनकी सहायता करने के विचार से राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए रखता है।

उत्पादकता के सम्बन्ध में त्रिपक्षीय बैठक

987. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय ने उत्पादककता के सम्बन्ध में 15 जून, 1982 को त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया था;

(ख) क्या इस बैठक में वर्ष 1982 को "उत्पादकता वर्ष" मनाने के प्रधान मन्त्री के आह्वान के सन्दर्भ में उत्पादकता पर चर्चा की जानी थी; और

(ग) यदि हां, तो "उत्पादकता वर्ष" आधी अवधि गुजर जाने पर यह बैठक बुलाने के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) यह बैठक, प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित उत्पादकता वर्ष के दौरान उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, इस सम्बन्ध में विचारों के आदान-प्रदान के लिए बुलाई गई थी।

(ग) प्रधान मन्त्री के आह्वान के तुरन्त बाद भारत सरकार के नियोजक मन्त्रालयों ने अपने नियन्त्रणाधीन उद्यमों में उत्पादकता के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया और उपयुक्त निर्णय लिए। अतः श्रम मन्त्रालय ने उचित समझा कि इस सम्बन्ध में और आगे की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों, नियोजन संगठनों, राज्य सरकारों आदि के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया जाए।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 67वें अधिवेशन इंटक के प्रतिनिधियों को भेजने के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक के समक्ष विरोध प्रकट करना

988. **श्री नीरेन घोष :**
श्री अजय विश्वास : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के 67वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए केवल इंटक के प्रतिनिधियों को भेजने के सरकार के निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए आठ नेशनल ट्रेड यूनियनों केन्द्रों और ट्रेड यूनियनों की अभियान समिति के संघटकों ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघठन के महानिदेशक को एक तार भेजा है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां। आठ ट्रेड यूनियन संगठनों जिनमें से कुछ ट्रेड यूनियनें थीं, के नेताओं ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को इस मामले में शिकायत की थी।

(ख) भारत सरकार सन्तुष्ट है कि अपनाई गई प्रक्रिया पूर्णतया अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार है। इसका 18 जून, 1982 को प्रत्यायक समिति के अन्तिम निर्णय द्वारा समर्थन किया गया है, जिसमें उन्होंने इस अभ्यावेदन को अस्वीकार किया हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम का तेजी से क्रियान्वयन

989. **श्री मगन भाई बरोट :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने मुख्य मन्त्रियों पर 20-सूत्री सामाजिक –आर्थिक कार्यक्रम को तेजी से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो बिजली की स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकारों ने क्या विशेष उपाय किए हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए राज्य और केन्द्रीय दोनों ही स्तरों पर सावधानी पूर्वक प्रबोधन किया जा रहा है तथा राज्यों की राजधानियों में तथा प्रमुख उपस्कर पूर्तिकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। इसके अलावा वर्तमान संयन्त्रों के प्रचालन में सुधार करने

के लिए चुने हुए तापीय बिजलीघरों के लिए एक नवीकरण कार्यक्रम और संयन्त्रों को अधिक अच्छा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया है।

बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल

990. **डा० वसन्त कुमार पंडित :**

श्री ए० टी० पाटिल : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल की ओर दिलाया गया है, और यदि हां, तो कितने मजदूर हड़ताल पर हैं और कुल कितने श्रम दिवसों की हानि हुई; और

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मिलें चालू हो गई हैं, यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं तथा कितने मजदूर काम पर लौट आए हैं ?

श्रम मन्त्रालय मे उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : जी, हां। लगभग 2.25 लाख श्रमिक हड़ताल पर है। श्रम ब्यूरो द्वारा राज्य सरकार से 5-7-82 तक प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, 1982 के दौरान बम्बई सूती कपड़ा मिलों में 6,03,177 श्रम दिनों की हानि हुई।

(ख) जी, हां। साठ मिलों में से 47 मिलों ने आंशिक हाजिरी के साथ कार्य करना शुरू कर दिया है। इन मिलों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

3 जुलाई, 1982 की स्थिति के अनुसार, जो श्रमिक काम पर लौट आए थे, उनकी कुल संख्या 16,886 थी।

विवरण

क्रमांक	मिल का नाम
1.	बाम्बे डाइंग (स्प्रिंग)
2.	बाम्बे डाईंग (टैक्सटाइल)
3.	सेंचुरी
4.	डान
5.	ऐल्फिनस्टोन

1	2
6.	गोल्ड मोहर
7.	हिन्दुस्तान "ए"
8.	हिन्दुस्तान (बी)
9.	हिन्दुस्तान (डिविज क्राउन मिल्स)
10.	हिन्दुस्तान (प्रोसेस हाऊस)
11.	जाम मिल संख्या 1
12.	कमला
13.	मफतलाल सं० 2
14.	मफतलाल सं० 3
15.	मैतुल्य
16.	माडर्न
17.	मोरारजी सं० 1
18.	मोरारजी सं० 2
19.	फ्रोनिक्स
20.	पिरामल
21.	पोदार मिल
22.	पोदार प्रोसेर्स
23.	रघुवंशी
24.	रूबी
25.	श्री निवास
26.	श्री राम
27.	सिम्पलैक्स
28.	स्टैण्डर्ड (प्रभादेवी)
29.	स्टैण्डर्ड (न्यू चाइना)

1	2
30.	स्वान.
31.	स्वान (यूनिट : कूरला)
32.	स्वान प्रोसेस
33.	टाटा
34.	विक्टोरिया
35.	मफतलाल सं० 4
36.	कोहिनूर सं० 1 और 2
37.	कोहिनूर सं० 3
38.	खटाऊ
39.	श्री मधुसूदन
40.	स्वदेशी
41.	फिनले
42.	इन्द्र सं० 1
43.	इन्द्र सं० 2 व 3
44.	इन्द्र सं 4
45.	इन्द (डाई वर्क्स)
46.	जुपिटर
47.	न्यू ग्रेड

कोको परिष्करण संयंत्र

991. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोको परिष्करण संयंत्र आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलवाये जा सकें;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार का कोको परिशोधक संयंत्र चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, सगठित क्षेत्र में पांच कोको परिशोधक संयंत्र पहले से ही है। इसके अलावा, कोको परिशोधन के लिए चार आशय पत्र/ औद्योगिक लाइसेन्स और जारी किए गए हैं जो कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

कोको परिशोधन सम्बन्धी नई योजना के कार्यान्वियन से यह आशा की जाती है कि कृषकों को कोको के लिए लाभप्रद मूल्य मिलने लगेगा।

गुजरात में स्पंज लोहे के संयंत्र की स्थापना करना

992. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात औद्योगिक विकास निगम ने गुजरात में स्पंज लोहे के एक संयंत्र की स्थापना करने की कोई मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकार किया जाएगा और इसमें हुई प्रगति का ब्योरा क्या है?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) मैसर्स गुजरात इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ने गैस के इस्तेमाल से स्पंज लोहे का उत्पादन करने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के बारे में औद्योगिक लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र पर विचार करते समय इस सम्बन्ध में कुछ शकाएं उठीं कि क्या स्पंज लोहे का उत्पादन करने के लिए गैस को अपचायक के रूप में प्रयोग करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा। यह मामला अभी विचाराधीन है और आशा है कि आवेदन-पत्र पर निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की प्रगति

993. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) वर्ष 1982 में अब तक दी गई राशि और खर्च की गई राशि का ब्योरा क्या है;

(ग) वर्ष 19 3, 1984 और 1985 के लिए अनुमानत: कितना व्यय निर्धारित किया गया; और

(घ) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र इस्तात संयंत्र का कार्य पूरा करने और इसके कार्यान्वयन के कार्यक्रम का ब्योरा क्या है और उसे पूरा करने का अनुमानित समय और अन्य सभी ब्योरे क्या हैं?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क)

1980-81	52.66 करोड़ रुपये
1981-82	142.23 करोड़ रुपये

(हिसाब-किताब को अन्तिम रूप दिए जाने पर)

(ख) वर्ष 1982-83 के बजट में इस कारखाने के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें से 30.6.82 तक 49.86 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे।

(ग) खर्च का प्रावस्था-भाजित अनुमान इस प्रकार है :—

1983-84	932.46 करोड़ रुपये
1984-85	864.49 करोड़ रुपये
1985-86	738.81 करोड़ रुपये

(घ) कारखाने का निर्माण दो साथ-साथ चलने वाले चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में 12 लाख टन तथा दूसरे चरण में 34 लाख टन द्रव इस्पात का उत्पादन होने लगेगा। समय-सूची के अनुसार पहला चरण 1-2-1986 तक तथा दूसरा चरण 31-12-1987 तक पूरा जाएगा। अब तक हुए कार्य की प्रगति को देखते हुए आशा है कि प्रथम चरण तथा 34 लाख टन चरण समय-सूची के अनुसार पूरा हो जाएगा।

डा० बी० आर० अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षति

594. श्री आर० एन० राकेश : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली गेट, नई दिल्ली में डा० बी० आर० अम्बेडकर स्टेडियम में स्थित बाबा साहेब डा० बी० आर० अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षति पहुंचाई गई थी,

(ख) क्या दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संघ (पंजीकृत), अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली जैसी कुछ एसोसियेशनों ने स्टेडियम में उपयुक्त स्थान पर क्षतिग्रस्त प्रतिमा के स्थान पर शीघ्र धातु की एक नयी प्रतिमा की मांग की है;

(ग) क्या वहां पर अभी तक कांसे की नयी प्रतिमा लगाने में विलम्ब के क्या कारण है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) क्षति सामान्य टूट फूट से हुई है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) अभी नहीं, श्रीमान।

(घ) डा० बी० आर० अम्बेडकर की कांसे की नयी प्रतिमा को तैयार करने का कार्य मैसर्स एस० डी० साठे को संशोधित निविदाओं के आधार पर 16 मई, 1982 को सौंपा गया है। प्रतिमा के तैयार होते ही स्थापित कर दिया जाएगा।

उड़ीसा में इस्पात संयन्त्र की अवधारणा में परिवर्तन

995. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में ब्रिटिश दूतावास द्वारा दिए गए इस आशय के वक्तव्य की ओर गया है कि उड़ीसा में 35 लाख टन क्षमता वाले प्रस्तावित इस्पात संयन्त्र की अवधारणा में कुछ परिवर्तन हुए हैं और परिवर्तित स्थितियों में भारत और ब्रिटेन के बीच बात-चीत चल रही है; और

(ख) उड़ीसा में 35 लाख टन क्षमता वाले प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की अवधारणा में किए गए परिवर्तनों का ब्योरा क्या है और अब यह प्रस्तावित इस्पात संयंत्र किस स्थिति में है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय भारत में ब्रिटन के उच्चायुक्त के वक्तव्य से है जो दिनांक 18 मई, 1982 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ था। यह वक्तव्य इस विषय पर भारत सरकार के विचारों का प्रतीक नहीं है। आशय-पत्र को रद्द करने के पश्चात् न तो ब्रिटेन के मैसर्स डेवी नेकी से कोई पेशकश प्राप्त हुई है और न ही इस परियोजना के लिए उनके साथ कोई बातचीत चल रही है।

समुद्र के तल में खनिज नाड्यूल

996. **श्री रामसिंह यादव :**

श्री ए० के० राय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मेगनीज लोहा, निकल, कोबाल्ट और तांबे के खनिज वाले नाड्यूल के समृद्ध निक्षेप समुद्र के तल में उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार ने महासागर तल के खनन के क्षेत्र में जोर-शोर से कार्य करना शुरू कर दिया है, यदि हां, तो अब तक इसकी उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या महासागर विभाग ने इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड से कहा है कि वह नाड्यूल खनन प्रौद्योगिकी के बारे में आंकड़ों के आधार पर प्रारम्भिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार करेंगे, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) हिन्द महासागर में भंडारों का पता लगाने के लिए महासागर विकास विभाग ने गहन सर्वेक्षण का काम शुरू किया है और समुद्री कानून के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा भारत को "अग्रणी निवेशक" के रूप में मान्यता दी गयी है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खेल-कूद संघों के पदाधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या

997. **श्री जमीलुर्रहमान** : क्या गृह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारियों की संख्या और ब्यौरा क्या है जो खेल-कूद संघों अथवा खेल-कूद संघों की शासी निकायों के पदाधिकारी हैं ;

(ख) क्या सरकार के नोटिस में यह बात आयी है कि इनमें से कुछ अधिकारी ऐसे संघों के पदाधिकारियों अथवा सदस्यों के रूप में कार्य करते हुए सरकारी सेवा में अपने पद का दुरुपयोग करते हैं ; और

(ग) यदि हां तो सत्ता के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वकट सुब्बय्या) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) तथा (ग) सरकार की जानकारी में पद का दुरुपयोग करने के मामले आए हैं और इस मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है ।

देश में परमाणु बिजलीघर

998. **श्री रविन्द्र वर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पूरे देश में इस समय कितने परमाणु बिजलीघर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उनकी क्षमता कितनी है और यूनिट वार प्रतिदिन इनके द्वारा बिजली का कितना उत्पादन किया जाता है;

(ग) इन बिजलीघरों में बिजली उत्पादन की लागत क्या है;

(घ) इस समय कौन-कौन से परमाणु बिजलीघरों स्थापना/निर्माणाधीन हैं;

(ङ) इन बिजलीघरों को पूरा करने की निर्धारित तारीखें क्या हैं और इन्हें कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और

(च) प्रत्येक मामले में लागत में कितनी वृद्धि हुयी है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासगर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सिंह) : (क) इस समय देश में दो परमाणु बिजलीघर काम कर रहे है।

(ख) इन बिजलीघरों की यूनिट वार निधारित क्षमता, पैदा हुई बिजली को दैनिक सकल मात्रा तथा प्रति यूनिज ऊर्जा की लागत निम्नलिखित है :

	स्थापित क्षमता (मेंगावट)	दैनिक सकल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	प्रति यूनिट ऊर्जा की लागत (पैसे प्रति किलो-वाट घंटा)
तारापुर परमाणु बिजलीघर			
पहला यूनिट	210	2.4)	18.77
दूसरा यूनिट	210	2.4)	
राजस्थान परमाणु बिजलीघर			
पहला यूनिट	220	3.0)	2'.24
दूसरा यूनिट	220	3.0)	

(ग) तथा (घ) प्रत्येक निर्माणाधीन परियोजना के बारे में नीचे यह बताया जा रहा है कि उसके लिए संस्वीकृति देते समय उसके पूरा होने के लिए निर्धारित तारीख क्या थी और अब उसके किस तारीख तक पूरा होने की आशा है :

परियोजना	परियोजना संस्वीकृत करते समय उसके पूरा होने के लिए निर्धारित तारीख	वह तारीख जिस तक परियोजना पूरी होने की आशा है
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना		
पहला यूनिट	दिसम्बर, 1973	1982-83
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना		
दूसरा यूनिट	नवम्बर, 1976	1984-85
नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना	—	
पहला यूनिट	मार्च, 1981	1986-87
दूसरा यूनिट	मार्च, 1982	1987-88
ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना		
पहला यूनिट	1990-91	1990-91
दूसरा यूनिट	1991-92	1991-92

(ड.) प्रत्येक परियोजना की लागत में हुई वृद्धि नीचे बतायी गयी है :—

परियोजना	लागत में वृद्धि (करोड़ रुपए)
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना	
पहला यूनिट	38.59
दूसरा यूनिट	32.39
नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना	
पहला तथा दूसरा यूनिट	166.53
ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना	
पहला तथा दूसरा यूनिट	—

लागत में हुई इस वृद्धि के कारण हैं —मूल्य वृद्धि, डिजायनों में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में वृद्धि और काम की मात्रा में वृद्धि ।

"विशेष घटक योजना" के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि

999. **श्री सूरज भान** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में अलग-अलग उनके मन्त्रालय में "विशेष घटक योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की भलाई और विकास के लिए कुल कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) उपरोक्त दो वर्षों के दौरान अलग-अलग उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वास्तव में कितनी राशि खर्च की गयी है; और

(ग) प्रत्येक वर्ष व्यय न करने/कम करने के क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभागों में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) इलेक्ट्रानिकी उद्योग एक प्रौद्योगिकी उन्मुख उद्योग है, जिसमें विशिष्ट जनशक्ति, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है तथा न्यूनतम तकनीकी मूल संरचना की भी आवश्यकता होती है। तकनीकी एवं आर्थिक कारणों से इलेक्ट्रानिक उद्योग सामान्यतः प्रमुख शहरों/कस्बों के नजदीक स्थित है। फिर भी इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में संयोजन की प्रक्रियाएं ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करती है, जहां अनुसूचित जाति के लोग आबादी के एक बड़े प्रतिशत के रूप में होते हैं। किन्तु, इसके लिए न केवल विशेष योजनाएं बनानी होंगी अपितु कुछ उपाय भी करने होंगे जैसे कि ऐसी पार्टियों को औद्योगिक अनुमोदन जारी करने में प्राथमिकता देना जो ऐसे क्षेत्रों में यूनिटें स्थापित करना चाहते हों। ऐसे यूनिटों को उनके इलेक्ट्रानिक उत्पादों पर उत्पादन शुल्क तथा बिक्री कर से पूर्णतः छूट के रूप में प्रोत्साहन देकर भी सहायता मिल सकती है। किन्तु इस बात का सुनिश्चय भी करना होगा कि इन उपायों का दुरुपयोग न हो। अतः प्रचालनात्मक तथा अन्य दृष्टियों से इस मामले को विस्तार से जांच करना जरूरी है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा रजत जयंती मनाया जाना

1000. **श्री एन० के० शेजवलकर :**
श्री बाबू राव पराजंपे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं;

(ख) क्या इस अवसर के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी इलैट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(घ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की रजत जयन्ती, 1982 के उपलक्ष्य में बधाई-पत्र छपवाए जा चुके हैं तथा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से सम्बन्धित विभिन्न संस्थानों, वैज्ञानिकों तथा अन्य लोगों को भेजे जा रहे हैं। रजत जयन्ती को मनाने के लिए इस वर्ष भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में विज्ञान विषयक कई सभायें आयोजित की गई। विज्ञान विषयक अन्य सभाएं भी आयोजितकरने की योजना बनाई जा रही है।

आम लोगों के लिए रंगीन टेलीविजन सेट

1001. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अक्तूबर-नवम्बर रंगीन से प्रसारण शुरू किए जाने को ध्यान में रखते हुए आम लोगों को किफायती मूल्यों पर रंगीन टेलीविजन सेट उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० को कोई निदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) सरकार ने एशियाई खेलों के लिए श्याम तथा श्वेत (ब्लेक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेटों सुस्थापित विनिर्माताओं से रंगीन दूरदर्शन सेटों को स्थानीय रूप से संयोजित करने का कार्य समय से पूरा कराने के लिए एक सीमित कार्यक्रम चलाया है। इस योजना के ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4242/82] ऊपर बताया गया कार्यक्रम एक समय का संयोजन-कार्यक्रम है; जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा कल पुर्जों तथा संघटक-पुर्जों का मानकीकरण तथा उनकी थोक मांग का पता लगाने के पश्चात उसके द्वारा इन वस्तुओं का आयात किया जाएगा तथा इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर पर परमाणु विद्युत केन्द्र की स्थापना किया जाना

1002. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर में 460 मेगावाट क्षमता वाले एक परमाणु बिजली संयंत्र (230 मेगावाट वाले दो) की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू किया जाएगा ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने देश के पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों म परमाणु तथा बिजलीघर लगाने के लिए उपयुक्त स्थलों का चुनाव के करने वास्ते एक स्थल-चयन समिति नियुक्त की है। दक्षिणी क्षेत्र में, जिसमें आन्ध्र प्रदेश भी शामिल है, परमाणु बिजलीघर लगाने के प्रश्न पर विचार इस समिति द्वारा पेश कर दी जाने के बाद किया जायेगा।

ऊर्जा के पुनः प्रयोगनीय स्रोतों का वाणिज्यिकीकरण करने का प्रस्ताव

1003. **श्री बाला साहब विखे पाटिल :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मिनी' और माइक्रो हाइडल बायोगैस फोटो वोल्टोटिक्स, विंड तथा एनर्जी पलान्टेशन जैसे ऊर्जा के पुनः प्रयोग में लाये जा सकने वाले स्रोतों का वाणिज्यिकीकरण करने तथा उसे कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों में कहां तक सहायता मिली है अथवा मिलेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) पिछले वर्ष के दौरान, नये और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में औद्योगिक और वाणिज्यिक क्रिया-कलाप में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, तथा कयी विनिर्माण एकक अब नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और प्रणालियों के विकास और विनिर्माण मे सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं, इनमें से कुछ का अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों के आयोग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत वाणिज्यीकरण किया गया है अथवा कुछ वाणिज्यिक उत्पादन की अवस्था तक पहुंचने वाले हैं, इनमें निम्नलिखित शामिल है—सौर जल तापन प्रणालियां, और फसल शुष्क, सौर इमारतो लकड़ी की भट्टियां, सौर कुकर, सौर आसवान एकक, जल पम्पन और अन्य अनुप्रयोगों के लिये सौर प्रकाश वोल्टीय सैल, जैव गैस संयंत्र तथा पवन पम्प भी आ

जाते हैं। देश भर में क्षेत्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है जो इन उपकरणों और प्रणालियो को व्यापक स्तर पर वाणिज्यिक उत्पादन और अपेक्षाकृत विशाल पैमाने पर उपयोग के लिए बढ़ावा दे रहा है।

जो औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए वित्तीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, उनमें वर्द्धमान मूल्य ह्रास छूट, उत्पादन शुल्क से उन्मुक्ति, आसान शर्तों पर ऋण, विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में बिक्रीकर से उन्मुक्ति भी आ जाते हैं। जैव गैस संयत्रों, सौर कुकरों, और लल पम्पन उपकरणों के लिए भी उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा उपस्करों के उत्पादन के लिए लाइसेन्स लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और इसे अब केवल साधारण पंजीकरण के पश्चात प्रारम्भ किया जा सकता है।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां अब विशेषकर, घरेलू, कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। जैसे-जैसे विकास में वृद्धि होगी और लागतों में कमी आएगी, ये प्रौद्योगिकियां लघु एकक साइजों में बिजली प्रदान करके तथा उन आवश्यकताओं के लिए जिनमें अन्यथा पारम्परिक ग्रामीण विद्युतीकरण की आवश्यकता होती है, की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा प्रदान करके, ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में, अत्यधिक सहायता प्रदान करने में सहायक होंगी।

खाड़ी के देशों में भारतीय श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार

1004. श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि खाड़ी के देशों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती की गई जनशक्ति, जहां पर बड़ी राशि वसूल की जाति है और श्रमिकों को ठेके के अनुसार न तो वेतन ही दिया जाता है और न ही उन्हें बताई गई नौकरी दी जाती है, के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेषकर बिचौलियों के हाथों गरीब लोगों के शोषण को ध्यान में रखते हुए सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन देशों में स्थित हमारे मिशनों में इस आशय की शिकायतें भी दर्ज कराई गयी हैं; और

(घ) पिछले छः महीनों के दौरान खाड़ी के देशों से कितने को वापिस भेजा गया और विदेशों में श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार की कितनी शिकायतें मिलीं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) समय-समय पर इस किस्म की केवल वैयक्तिक शिकायतें ही प्राप्त हुई हैं और सरकार की यह गम्भीर इच्छा है कि पर्याप्त विनियामक पद्धतियों के माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं पुनरावृत्ति की सम्भावनाओं को समाप्त किया जाए। उत्प्रवास क्रियाविधि को विनियमित करने सम्बन्धी एक विधेयक का मसौदा विचार की अन्तिम अवस्था में है।

(ग) और (घ) जी हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार गत छह माह के दौरान ओमन, यू० ए० ई०, कुवैत और कातार में स्थित भारतीय दूतावासों से अलग-अलग व्यक्तियों से दुर्व्यवहार आदि के बारे में 420। शिकायतें प्राप्त हुई और इस अवधि के दौरान 619 श्रमिकों का विवासित किया गया। दूतावासों ने इन शिकायतों के सम्बन्ध में स्वयं अपने ही स्तर पर कार्यवाही की हैं और उन्होंने सरकार को जो शिकायतें अग्रेषित की है, वे ऐसी है जिनका निपटारा सोहार्दपूर्ण ढंग से पक्षों के बीच तथा श्रम न्यायालयों के माध्यम से नहीं हो पाया। सितम्बर, 1981 और जून, 1982 के बीच की अवधि में श्रम मन्त्रालय में 158 शिकायतें प्राप्त हुई।

केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र

1005. श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रम मन्त्री अपने मन्त्रालय की 1981-82 की रिपोर्ट के पैरा 1.7 की ओर ध्यान देने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय औद्योगिक संबध तन्त्र द्वारा किए निरीक्षण के दौरान किस प्रकार की प्रमुख अनियमितताएं पायी गयी हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : एक विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण

पकड़ी गई मुख्य अनियमितताओं का स्वरूप

1. मजदूरी संदाय अधिनियम (खानें)

i. रजिस्टर न रखना।

ii. रजिस्टर ठीक ढंग से न रखना।

iii. मजदूरी का भुगतान न करना।

iv. मजदूरी का भुगतान देर से करना।

v. पैमाइश पर्चियां (मेजरमेंट स्लिप्स) जारी न करना और किए गये उजरती दर कार्य का अभिलेख न करना।

vi. अनुचित कटौतियां।

vii. अनुचित जुर्माने लगाना।

viii. पेशगियों संबंधी अनियमितातायें।

ix. नोटिस न लगाना।

2. मजदूरी संदाय अधिनियम (रेलवे)

i. रजिस्टर न रखना।

ii. रजिस्टर ढंग से न रखना।

iii. मजदूरी का भुगतान न करना।

iv. मजदूरी का देरी से भुगतान करना।

v. अनुचित कटौतियां।

vi. अनुचित जुर्माने लगाने और क्षति या हानि की बाबत कटौतियां।

vii. अनुचित मजदूरी की पेशगी संबंधी अनियमितताएं।

viii. नोटिस न लगाना।

मजदूरी संदाय अधिनियम (हवाई परिवहन सेवाएं)

i. रजिस्टर न रखना।

ii. रजिस्टर ढंग से न रखना।

iii. नोटिस न लगाना।

vi. जुर्माने लगाने, क्षति अथवा हानि की बाबत कटौतियों और अनर्जित मजदूरी की पेशगियों के भुगतान के सम्बन्ध में अनियमितताएं।

4. मजदूरी संदाय अधिनियम (मुख्य पत्तन)

i. रजिस्टर न रखना।

ii. रजिस्टर ठीक ढंग से न रखना।

iii. मजदूरी का भुगतान न करना।

iv. नोटिस न लगाना।

5. **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम**

i. रजिस्टर न रखना।

ii. रजिस्टर ढंग से न रखना।

iii. न्यूनतम मजदूरी दरों से कम दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना।

iv. साप्ताहिक विश्राम दिवसों के लिए मजदूरी का भुगतान न करना।

v. समयोपरि भत्ते का भुगतान न करना।

vi. मजदूरी स्लिप्स जारी न करना।

vii. नोटिस न लगाना।

6. **बोनस संदाय अधिनियम**

i. बोनस का भुगतान न करना।

ii. सांविधिक समय-सीमा के भीतर बोनस का भुगतान न करना।

iii. बोनस का कम भुगतान करना।

iv. कार्य दिनों की संगणना सम्बन्धी अनियमितता।

v. रजिस्टर ठीक ढंग से न करना।

vi. रजिस्टर अभिलेख, आदि पेश न करना।

7. **बालक नियोजन अधिनियम, 1938**

i. बालकों का नियोजन।

ii. रजिस्टर न रखने।

iii. नोटिस न लगाना।

8. **नियोजन के घंटों संबंधी विनियम**

i. रोस्टरों का न होना।

ii. त्रुटिपूर्ण रोस्टर।

iii. रोस्टरों का प्रदर्शित न करना।

iv. विनियम प्रदर्शित न करना ।

v. रोस्टरों में उल्लिखित ड्यूटी के घंटों से भिन्न समय में कार्य करना ।

vi. विश्राम दिवसों में कार्य करना ।

vii. लगातार रात्रि ड्यूटी कराना ।

viii. बिना विश्राम के 14 से अधिक दिन काम कराना ।

ix. छोड़ दिए गए विश्राम-दिवस के बदले एवजी छुट्टी न देना ।

x. समयोपरि कार्य के लिए भुगतान न करना ।

xi. समयोपरि कार्य का रजिस्टर न रखना/ढंग से न रखना ।

xii. उपस्थिति रजिस्टर (मस्टर रोल) ढंग से न रखना ।

xiii. अनुचित वर्गीकरण ।

9. एम० ई० एस० ठेकेदारों के श्रमिकों सम्बन्धी विनियमों की उचित मजदूरी संबंधी धारा ।

i. कार्य घंटों सम्बन्धी नोटिस न लगाना ।

ii. मजदूरी-स्लिपें जारी न करना ।

iii. रजिस्टर न रखना ।

10. ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम

i. वैद्य लाइसेन्स के बगैर ठेका कार्य करना ।

ii. प्रतिसिद्ध स्वरूप के कार्य में ठेका श्रमिकों को नियोजित करना ।

iii. अपेक्षित रजिस्टर न रखना ।

iv. रोजगार कार्ड जारी न करना ।

v. कल्याण संबंधी सुविधाएं तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध न कराना ।

vi. पंजीकरण प्रमाणपत्र में परिवर्तन किए जाने के बारे में सूचना न देना ।

viii. ठेका कार्य शुरू करने और उसके पूरा हो जाने की सूचना न देना ।

11. **सामान पारिश्रमिक अधिनियम**

i. प्रपत्र "डी" में रजिस्टर न रखना ।

12. **उपदान संदाय अधिनियम**

उपदान का भुगतान न करना या उसका कम भुगतान करना ।

13. **कोयला खान बोनस योजना**

i. कोयला खान बोनस का भुगतान न करना या उसका कम भुगतान करना ।

ii. बोनस कार्ड जारी न करना ।

मधुबनी तथा पालामाऊ, बिहार में उद्योगों की स्थापना

1006. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या उद्योग मन्त्री मधुबनी तथा पालामाऊ बिहार में उद्योगों की स्थापना के बारे में 24 फरवरी, के अतारांकित प्रश्न संख्या 630 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मधुबनी तथा वातामाऊ जिलों के लिए न्यूक्लियस संयत्र के एक अंश के रूप में सहायक तथा छोटे उद्योगों से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए कार्यदल ने अपना कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इस निश्चित कार्यक्रम क्या हैं ; और

(ग) इस परियोजना में सरकारी गैर-सरकारी, मध्यम, छोटे मिलों, तथा कुटीर क्षेत्रों और स्वयं रोजगार के लिए क्या-क्या कार्य सौंपे गये हैं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) मधुबनी और पालामाऊ से सम्बन्धी कृतिक बल द्वारा दी गई रिपोर्ट की सरकार जांच कर रही है।

इस्पात संयंत्रों तथा खानों में वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या

1007. **श्री निहाल सिंह** : इस्पात और खान मन्त्री इस्पात संयंत्रों तथा खानों में अधिकारियों की संख्या के बारे में दिनांक 17 मार्च, 1982 अतारांकित प्रश्न संख्या 3871, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयत्रों तथा खानों में काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां, ।

(ख) दिनांक 17.3.1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3871 के उत्तर के सम्बन्ध में लिए गए आश्वासन की पूर्ति में लोक सभा को भेजी गई जानकारी विवरण में दी गई है ।

विवरण

प्रश्न मे पूछा गया था कि :

(क) मन्त्रालय के अधीन इस्पात संयंत्रों तथा खानों में वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनके वर्तमान वेतनों, ग्रेडों सम्बन्धी ब्यौरे क्या है ;

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनको सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्ति के बाद इन संस्थाओं में पिछले तीन वर्षों में पुनः रोजगार दिया गया ; और

(ग) मन्त्रालय द्वारा अपने अधीन सभी वरिष्ठ अधिकारियों के वेतनमानों के बीच विसंगति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही रही हैं ?

उत्तर

(क) प्रश्न अस्पष्ट होने के अलावा इससे प्राप्त होने वाला परिणाम इसमें लगे श्रम के अनुरूप नहीं होगा ।

(ख) इस्पात विभाग

1) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

भिलाई इस्पात कारखाने में वायु सेना के एक सेवा-मुक्त विंग कमाण्डर जाने फिलिपोज को 24.10.1979 से पायलट अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था । इसके अलावा गत तीन वर्षों में किसी भी इस्पात कारखाने में सेवा-निवृत्त किसी भी सरकारी अधिकारी को वरिष्ठ स्तर के पद पर पुन. रोजगार नहीं किया गया है ।

2. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन० एम० डी० सी०)

कर्नाटक सरकार के भविज्ञाम तथा खनन विभाग के सेवा मुक्त निदेशक, श्री जी०

शिवशंकर को 21.3.79 से 14.9.81 तक की अवधि के लिए मुख्य परियोजना अधिकारी के पद पर पुनः नियुक्त किया गया था।

मैंगनीज़ ओर (इण्डिया) लि० (मायल)

कर्नाटक सरकार के भूविज्ञान तथा खनन विभाग के सेवा मुक्त निदेशक, श्री जी० शिवशंकर को 1.2.82 से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थापित सलाहकर के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है।

(ख) खान विभाग

1. नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि०

श्री एम० एच० भटनागर को 17.3.81 से कम्पनी में विशेष कार्य अधिकारी (वित्त) के पद पर पुनः नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 30.6.82 तक है।

2) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

ब्रिगेडियर जे० एन० अरोड़ा का, जिन्हें 21.6.1.977 से कम्पनी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है, 8.2.1981 को देहान्त हो गया था।

ब्रिगेडियर ए० जयचन्दरन को, जिन्हें 10.9.1978 से कम्पनी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था, 5.3.80 से 4.3.81 तक की अवधि के लिए सलाहकर (चिकित्सा सेवाएं) के पद पर रख लिया गया था।

(ग) वेतन के ग्रेड सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा निर्धारित किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार निश्चित किये जाते हैं।

दिल्ली में जलने के कारण मौतें

1008. श्री ई० बाला नन्दन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली में जलने के कारण हुई मौतें के कितने मामले दर्ज किए गए ; और

(ख) उनमें से कितने मामले दहेज के कारण आत्महत्या और हत्या के थे ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख)

अपेक्षित आंकड़े नीचे दिये गए हैं :—

वर्ष	जलने के कारण मौतों की सं० (इन आंकड़ों में महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं)	इनमें उन मामलों की संख्या जिन्हें दहेज के कारण आत्महत्या करने के लिए उकसाने के रूप में दर्ज किया गया।	इनमें, दहेज के कारण हत्या के रूप में दर्ज मामलों की संख्या
1980	453	13	3
1981	595	18	5
1982	294	10	6
(30.6.1982 तक)			

काली बाड़ी दिल्ली में चोरी

1009. **श्री सनत मंडल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 मई, 1983 के नई दिल्ली के प्रकाशित हिन्दुस्तान टाइम्स "में काली बाड़ी टेम्पिल डेटी रोब्ड आफ ज्वैल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अपराधियों को पकड़ लिया गया है और यदि नहीं, तो उन्हें पकड़ने के लिए क्या विशेष प्रयत्न किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ;

(ग) क्या हाल में राजधानी में लूटपाट तथा सड़क पर नेकलस खींचने की घटनायें काफी बढ़ गई है ,· और

(घ) यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिए और आम जनता मे सुरक्षा की भावना बनाये रखने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। कई संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और अपराधियों को पकड़ने के प्रयत्न जाती है।

(ग) अपराध आंकड़ों से यह प्रकट नहीं होता कि राजधानी में लूटपाट और सड़क पर नेकलेस खींचने की घटनाओं में कोई वृद्धि हुई है।

(घ) विभिन्न उपायों, जैसे दिल्ली पुलिस जनशक्ति और वाहनों की संख्या में वृद्धि करने, नये थाने तथा पुलिस चोकियां खोलने, पैदल तथा चलती फिरती गश्त तेज करने, वाहनों की अकस्मात जांच करने, ज्ञात अपराधियों पर निगरानी रखने, और संवेदनशील स्थलों पर पुलिस टुकड़िया तैनात करने से दिल्ली में विधि व व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।

टायरों के मूल्यों पर एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय का गठन

1010. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन मालिकों ने टायर निर्माताओं द्वारा टायरों की बार-बार और अनपेक्षित मूल्य वृद्धि का अध्ययन करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय की स्थापना की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) सितम्बर, 1981 में सरकार को कलकत्ता की ट्रक ओपरेटर्स एसोसियेशन से टायर उद्योग के लिए मूल्य आयोग गठित करने का सुझाव प्राप्त हुआ था। वि दिल्ली टायर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी अपने 1 जून, 1982 के अभ्यावेदन में टायर व्यापारियों/परिवाहकों (ट्रांसपोर्टरों) के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए बारंबार और अनावश्यक रूप से होने वाली मूल्य वृद्धि की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय नियुक्त करने का सुझाव दिया था। चूंकि औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो से पहले ही विनिर्माताओं के इस दावे की कि मूल्य वृद्धि अपरिहार्य लागत तत्वों के कारण की गई है कि जांच करने का व सरकार को उचित कदम उठाने की सलाह देने का अनुरोध किया गया इसलिए सरकार को इस स्तर पर अब एक अन्य समिति गठित करने में कोई विशेष लाभ परिलक्षित नहीं होता।

कागज नियन्त्रण आदेश, 1974 तथा कागज (विनियमन और उत्पादन) आदेश, 1978 के उपबन्ध का उल्लंघन

1011. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कागज मिलें कागज नियंत्रण आदेश, 1974 और कागज (विनियमन और उत्पादन) आदेश, 1978 का उल्लंघन कर रही है जिनके अन्तर्गत उन्हें सरकार को अथवा उसके नामजद व्यक्तियों को कागज के उत्पादन 30 प्रतिशत, 42,000 रुपये प्रति टन के निर्धारित मूल्य पर देना होता है,

(ख) यदि हां, तो वे मिलें कौन सी है, और

(ग) सरकार ने उपयुक्त आदेश और विनियमों के उपबन्धों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) छपाई के सफेद कागज का उत्पादन करने के बारे में कागज मिलें उक्त आदेशों के उपबन्धों का कभी न कभी उल्लंघन करती रही हैं। वे अभ्यावेदन देती रही हैं कि वित्तीय कठिनाइयों, कोयला, विद्युत और जल की कमी, कच्चे माल की लागत में वृद्धि एव अन्य कठिनाइयों से छपाई के सफेद कागज का उत्पादन प्रभावित हुआ है।

(ग) मिलों के कार्य निष्पादन की समय समय पर समीक्षा की जा रही है तथा आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों के साथ विचार विमर्श किया जाता।

मोपेड, स्कूल और मोटर साइकिल के निर्माण हेतु लाइसेंस

1012. श्री दिगम्बर सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े औद्योगिक घरानों और उनकी सहयोग कम्पनियों के नाम क्या हैं ; जिन्हें वर्ष 1981-82 और 1982-83 (15 जून, 1982 तक) मोपेड, स्कूटर और मोटर साइकिल के निर्माण हेतु इकाइयों की स्थापना करने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(ख) कितनी उत्पादन क्षमता स्वीकृत की गई है; यूनिट कहां स्थापित किए जाएँगे, उसमें विदेशी जानकारी या तकनीकी सहयोग का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये यूनिटें कब से उत्पादन करना शुरू कर देंगी और उनका बाजार में अनुमानित मूल्य होगा तथा बाजार में अन्य उपलब्ध ब्रांडों से उनकी तुलना किस प्रकार की जाएगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1981-82 और वर्ष 1982-83 (15 जून, 1982 तक) में मोपेडों, स्कूटरों या मोटर साइकिलों के निर्माण हेतु एकक स्थापित करने के लिए एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 20 (क) के अधीन पंजीकृत किसी भी बड़े औद्योगिक गृह को आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में श्रमिक हिंसा तथा अशांति

1013. श्री बी० वी० देसाई : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1981 के दौरान श्रमिक हिंसा में तेजी से वृद्धि हुई ;

(ख) यदि हां, तो 1979-80 की अपेक्षा यह वृद्धि कितनी थी ;

(ग) इस श्रमिक हिंसा के कारण क्या थे ;

(घ) इससे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं ;

(ङ) 1982 में स्थिति क्या है ;

(च) श्रमिक अशांति तथा हिंसा को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने हैं ; और

(छ) क्या स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा अनेक श्रम सम्मेलन बुलाये गये हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर वह सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(च) और (छ) ट्रेड यूनियन नेताओं, नियोजकों की परिषद के प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों और अन्य पक्षों के साथ समय-समय पर सरकार जो विचार-विमर्श कर रही है, उसे ध्यान में रखते हुए कानूनी तथा स्वैच्छिक व्यवस्थाओं की लगातार पुनरीक्षा की जाती रही है। सरकार ने 2?.4.82 को लोक सभा में औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1982 पेश किया था और इस विधेयक की धारा 16 में "अनुचित श्रम व्यवहार" नामक नये अध्याय को शामिल करने की व्यवस्था की गई है और प्रस्तावित पांचवी अनुसूची के भाग-2 के क्रमांक 8 में बल प्रयोग तथा हिंसा के कार्यों को निषिद्ध किया गया है।

कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मंजूरी और उन पर अन्य कल्याण श्रम कानून लागू करना।

1014. **श्री गदाधर साहा :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि न्यूनतम मन्जूरी अधिनियम 19-8 के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मंजूरी कृषि मजदूरो को मिले और बोनस अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, वर्कर्स कम्पन्सेशन एक्ट, 1923, प्लान्टेशन लेबर एक्ट, 1951, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, मेटरनटी बेनीफिट एक्ट, 1961 आदि जैसे श्रमिको को राहत देने के उद्देश्य से दिए गये अन्य अधिनियमों उपबंधों और निदेशों को समूचे देश मे कृषि मजदूरी पर लागू ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : यह सुनिश्चिय करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबन्धों का कड़ाई से पालन किया

जाए और श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान न किया जाए। इनमें राज्य सरकारों को अपना प्रवर्तनतत्र मजबूत करने, कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन समितियां स्थापित करने, निरीक्षण अभियोजन की सीमा संबधी आवाधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने पर बल देना भी सम्मलित है।

बोनस सदाय अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 कृषि श्रमिकों को लागू होते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और प्रसुविधा अधिनियम, 1961 का ऐसे रोजगारों पर विस्तारण किया जा सकता है। बागान श्रम अधिनियम 1951 में चाय, काफी, रबड़, सिनकोना तथा इलायची बागानों में नियोजित श्रमिक आते हैं।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है कि विकास के लाभ स्वास्थ्य देख-रेख, परिवार कल्याण, आवास, ग्रामीण ऋण और शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों को, जिनमें से अधिकांश श्रमिक कृषि श्रमिक हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि उनकी आर्थिक-सामाजिक दशाओं में सुधार किया जा सके। नया 20 सूत्री कार्यक्रम इन पहलुओं पर विशेष जोर डालता है।

दिल्ली ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को औद्योगिक शेडों का आवंटन

1015. श्री भाखा भाई : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग निदेशालय, दिल्ली द्वारा इलैक्ट्रानिक्स वस्तुओं के लिए कुछ प्लाट आवंटित किये जाने हैं और उसके लिए 20 जून, 1982 तक आवेदन पत्र मांगे गये हैं; यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए कितने प्लाट आवंटित हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार कुल कितने प्लाट/औद्योगिक शेड आबंटित किये गये; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए प्लाटों/औद्योगिक शेडों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या यह भी सच है कि जब अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लोग एक मुश्त आधार पर खरीदने की स्थिति में न हो तो उनको प्लाटों/औद्योगिक शेड़ों का आवटन किस्तों के आधार पर नहीं किया जाता यदि हां, तो इन समुदायों के प्लाटों/औद्योगिक शेडों का आवटन किस्तों के आधार पर न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों से इलैक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्माण हेतु प्लाटों के आवंटन के लिए कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसके लिए आखरी तारीख 20 जून, 1982 थीं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। 15 प्रतिशत प्लाट अनुसूचित जातियों/के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं।

(ख) 1981-82 के दौरान कुल 344 औद्योगिक शैडों का आवंटन किया गया था जिनमें से 62 शैडों का आवंटन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को किया गया है।

1979-80 और 1980-81 के दौरान शैडो का कोई भी आवंटन किया गया था, पिछले तीन वर्षों में औद्योगिक/प्लाटो का कोई भी आवंटन नहीं किया गया है।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के लिए भिन्न-भिन्न योजनाओं में आरक्षण किया गया है।

(घ) औद्योगिक उपयोग के लिए शैडों फ्लैट वाले कारखानो का आवंटन केवल किराये के आधार पर किया है। पिछले तीन वर्षों में औद्योगिक प्लाटों का कोई भी आवंटन नहीं किया गया है।

(ङ) 23।

आई० ई० एस०/आई० एस० एस० के लिए फीडर सूची का बनाया जाना

1016. **श्री भीखा भाई :** गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विभिन्न मन्त्रालयों में इकानामिक इन्वेस्टिगेटर संवर्ग में उनके पदोन्नति की स्पष्ट नीति न होने के कारण विद्यमान अशांति और गतिरोध के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या वे उनके बारे में नीति स्पष्ट करेंगे ;

(ग) क्या आई० ई० एस०/आई० एस० एस० की फीडर सूची, जो वर्ष 1967 के बाद से नहीं बनी है, को अब बनाया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : (क) तथा (ख) आर्थिक अन्वेषकों तथा सांख्यिकी अन्वेषकों के बहुत से पद, जो निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते हैं, भारतीय अर्थ सेवा तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड—iv की रिक्तियों पर उनके नियमित पदधारियों की पदोन्नति के प्रयोजन के लिए स्वीकार किए गए हैं।

(ग) तथा (घ) भारतीय अर्थ सेवा तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-iv में

पदोन्नति कोटा की रिक्तियों पर पदोन्नति के लिए प्रवर सूचियां संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तैयार की जा रही हैं और उनके शीघ्र ही तैयार होने की आशा है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार

1017. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां 1 जनवरी, 1980 से 15 जून 1982 की अवधि के दौरान तिथिवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार किए गए और इन समुदायों के मारे गए लोगों की स्थान वार संख्या क्या हैं ;

(ख) ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस आशय के निर्देश दिए थे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार को रोकने की दृष्टि से इन समुदायों के लोगों को पुलिस बल में अधिकाधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस निर्देश को कार्यान्वित किया है ; और

(घ) क्या सरकार अनुसूचित जातियों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को आत्मरक्षा के लिए निशुल्क हथियार उपलब्ध कराए जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

डाक्टरों, इन्जीनियरों और वैज्ञानिकों द्वारा आत्महत्याएं

1018. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान 19 डाक्टरों, 10 इन्जीनियरों और 5 वैज्ञानिकों ने आत्महत्या की ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की गहराई से अध्ययन किया है कि देश के बुद्धिजीवियों द्वारा इस प्रकार सामूहिक रूप से आत्महत्या करने के क्या कारण हैं ;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) यदि नहीं तो कोई जांच न कराने के इस तथ्य सहित कि क्या इस प्रकार की व्यापक पैमाने पर आत्महत्याओं से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है विस्तृत कारण क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (घ) तक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1978, 1979

तथा 1980 के दौरान 19 डाक्टरों, 10 इन्जीनियरों और 5 वैज्ञानिकों ने आत्महत्या की। इन आंकड़ों से इन वर्षों के दौरान देश में बुद्धिजीवियों द्वारा सामूहिक रूप से आत्महत्या करने का संकेत नहीं मिलता। आत्महत्या के मुख्य कारण थे घरेलू/पारिवारिक समस्याएं, पागलपन, सांसारिक मामलों से विरक्त, औषध व्यसन, उच्च रक्तचाप इन परिस्थितियों में, सरकार इस समस्या की गहराई से कोई अध्ययन करना नहीं समझती।

ऐसे आदिवासी परिवारों का पुनर्वास जिनकी भूमि बैलाडिला-लोह अयस्क परियोजना के लिए अर्जित की गई थी

1019. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने आदिवासी परिवार हैं जिनकी भूमि बैलाडिला लोह अयस्क परियोजना, मध्य प्रदेश के लिए अर्जित की गई थी और अर्जित की गई भूमि का क्षेत्र कितने एकड़ है ;

(ख) उनमें से कितने परिवारों को बसाया गया है और प्रत्येक परिवार को कितना मुआवजा दिया गया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) बैलाडिला लोह-अयस्क परियोजना के लिए 91 आदिवासी परिवारों की 160.85 एकड़ भूमि अर्जित की गई थी।

(ख) और (ग) किसी भी परिवार की पूरी भूमि का अर्जन नहीं किया गया अतः परिवारों को फिर से बसाने की कोई समस्या नहीं थी। इन लोगों को दिए गए मुआवजे का ब्योरा विवरण 1 और 2 में दिया गया है।

विवरण-1

बैलाडिला लोह अयस्क परियोजना के लिए आदिवासी परिवारों की अर्जित की गई भूमि

बैलाडिला-14

क्रम सं०	नाम	क्षेत्रफल (एकड़)	दिया गया मुआवजा (रुपये)
1	2	3	4
1.	श्री मासा	7.70	3,320.00
2.	श्री बुध तथा चार अन्य	11 50	6,726.00
3.	श्री कादती पंडरु तथा दो अन्य	5.05	2,293.00

1	2	3	4
4.	श्री खोटला अयटु	2 58	898.00
5.	श्री कोया तथा अयटू	9.56	3,436.00
6.	श्री चुल्ला	4.88	1,782.00
7.	श्री कटि तथा जुंगा	5.9	3,038.00
8.	श्री कोयाचुल्ले	0.98	514.32
9.	श्री मगलु मुक्का	11.50	8.524.92
10.	श्री चुल्ले कोसा	2.69	1,865.75
11.	श्री खटला डोले	4.59	3,089.54
12.	श्री टामो गुड्डी	2 10	553.03
13.	श्री टोरगा	1.00	336.25
14.	श्री चुल्ले	0.22	57.86
13.	श्री तेलम कुडा	3.27	1,334.23
16.	श्री टामो मासा	5.44	2,206.74
17.	श्री टामो कुंडा	0.80	210.68
18.	श्री टामो चुल्ले	0.09	30.32
19.	श्री भांडा	2.58	953.13
20.	श्री कोडा हिरमा	1.03	419.35
21.	श्री कोडा डोरा	0.65	271.24
22.	श्री मंगू सानू	3.48	916.29
23.	श्री हर्रा डर्रा	1.46	384.40
24.	श्री सुकालू डोंगा	1.35	355.42
25.	श्री पांडू हिंगा	0.32	157.87
26.	श्री पोदिया पांड	0.70	432.74
27.	श्री मोडा टोका	1.40	663.09
28.	श्री किरबा सोदमा	1.81	476.66

2	2	3	4
29.	श्री लकम हिन्डा	1.07	381.78
30.	श्री टोका लाटी	4.27	1,140.31
31.	श्री बुधु कोसा	1.00	263.35
32.	श्री कोटला थोट	6.00	1,580.10
33.	श्री मन्न बोडका	1.06	279.15
34.	श्री जोगा मल्लु	1.22	321.29
35.	श्री मंडी मासा	1.4 [illegible]	864.00
36.	श्री विट्टा बोडा	2.10	1,510.00
37.	श्री मीला बारी	0.43	147.00
38	श्री कामा बुल्ले	1.29	417.00
39.	श्री कंजिनी बुधु पेरपा	0.86	516.00
40.	श्री सुकलु मोंडा पेरपा	0.65	390.00
41.	श्री गुडरू थोकड़ पेरपा	0.87	261.00
42.	श्री चैंट गुजा पेरपा	0.67	201.00
43.	श्री बुरजी हांडा पेरपा	0.96	288.00
44.	श्री गुन्डा हिरगा पोरनार	0.47	471.00
45	श्री कुंजामी पांडू पीरनार	0.45	435.00
46.	श्री हुर्रा मासा पीरनार	0.88	264.00
		121.21	54,976.78

विवरण-2

बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना के लिए आदिवासी परिवारों की अर्जित की गई भूमि ।

बैलडिला-5

क्रम सं०	नाम	क्षेत्रफल (एकड़)	दिया गया मुआवजा (रुपये)
1	2	3	4
1.	बोडा सुपुत्र कन्ना	4.00	5196.00
2.	छकदा सुपुत्र मुंडा	1.09	1368.00
3.	सुकलु पुत्र ड्रमा	0.42	952.00
4.	कोवा सुपुत्र माटा	0.45	908.00
5.	पांडा सुपुत्र चेवा	1.37	4074.00
6.	कोसा सुपुत्र पांडु	0.21	250.00
7.	हुडगे/फंड	0.55	914.00
8.	भीमा सुपुत्र कोला	0.68	1094.00
9.	कोया सुपुत्र हुरा	0.13	194.00
10.	मासा सुपुत्र डूमा	0.29	354.00
11.	बोडा सुपुत्र इरमा	0.53	530.00
12.	सनका सुपुत्र तांगरा	0.67	1138.00
13.	जागु सुपुत्र हुररा	0.16	160.00
14.	डुला सुपुत्र देवा	0.25	250.00
15.	धुरवा सुपुत्र कोंडा	0.20	200.00
16.	डोरा सुपुत्र गुजे	0.42	660.00
17.	लिंगा/पांडु	0.30	400.00

1	2	3	4
18.	झोला सुपुत्र माटा	2.48	3472.00
19.	चामरू सुपुत्र काटे	0.02	20.00
20.	लकमा सुपुत्र पांडु	3.70	5162.00
21.	सिलोचन्द सुपुत्र उदय सिंह	0-20	200.00
22.	पांडु सुपुत्र माटा	0.22	49.50
23.	पांडु सुपुत्र गुटा	0.40	346.00
24.	धुरवा सुपुत्र मुंडा	0.12	197.80
25.	लाखा सुपुत्र बेहरा	4.92	4324.75
26.	पांडु सुपुत्र हिरमा	3.21	2730.50
27.	देसरू सुपुत्र बेहा	0.25	62.50
28.	झोला सुपुत्र माटा	8.65	4826.55
59.	उन्डा सुपुत्र मुंडा	0.20	300.00
30.	सुकलु सुपुत्र गुडी	0.10	150.00
31.	कोवा/माटा	0.33	465.00
32.	कोसा/पांडु	0.28	420.00
33.	डोगे/पांडु	031	465.00
34.	भीमा/कोला	0.32	480.00
35.	कोया/हुर्रा	0.10	150.00
36.	मासा/डोरी	0.17	255.00
37.	जिम्मी	0.33	495.00
38.	टुका/टंकरा	0.40	600.00
39.	जागु/हुररा	0.09	135.00
40.	कोडा/धुरवा	0.09	135.00

1	2	3	4
41.	डुला देवा	0.16	240.00
42.	सोनू/डोरा	0.55	825.00
43.	पांडु/हिरमा	0.09	135.00
44.	हिरगा/कोटा	0.07	105.00
45.	नान्ड/लक्मा	0.15	1540.00
		39.64	46,957.00

पुलिस के साथ मुठभेड़ में मरे व्यक्ति

1020. **श्री सुनील मैत्रा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 1980-1981 तथा 1982 के पहले तीन महीनों में पुलिस के साथ मुठभेड़ों में क्रमश: कितने व्यक्ति मरे;

(ख) राज्य सरकारों अथवा केन्द्र सरकार को इस आरोप की कितनी शिकायतें मिली हैं कि मुठभेड़ विशेष नकली थी और सम्बद्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस द्वारा मार दिया गया था;

(ग) सम्बद्ध सरकारों द्वारा इन शिकायतों पर क्या कदम उठाए गए हैं और इनमें कितनी शिकायतें सच पायी गयी; और

(घ) क्या किसी पुलिस अधिकारी को दंड दिया गया और यदि हां, तो किस ढंग से ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन विधि व व्यवस्था बनाये रखने, अपराधों की रोकथाम करने और अपराधों से सम्बन्धित कानून लागू करने के उत्तरदायी हैं। इसलिए 1980 और 1981 के दौरान तथा कथित "मुठभेड़ों" में पुलिस द्वारा मारे गए व्यक्तियों की संख्या, ऐसी मुठभेड़ों की संख्या, उन राज्यों के नाम जिनमें ये मुठभेड़ें हुई, प्रत्येक मुठभेड़ में मारे गए डकैतों/विचाराधीन कैदियों इत्यादि की संख्या के बारे में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किये जाते क्योंकि ये सभी मामले राज्यों से सम्बन्धित हैं।

(ख) से (घ) पुलिस के विरुद्ध शिकायतें और अन्य संबंधित आपराधिक मामले मूलत: राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। भारत सरकार राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देती रही है कि पुलिस बल को हमेशा मानवीय ढंग से व्यवहार करना चाहिए और पुलिस की तथाकथित ज्यादतियों के मामलों पर, जब कभी वे होते हैं, गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए और दृढ़ता से निपटना चाहिये। आपराधिक मामलों में पुलिस के विरुद्ध अभियुक्त की विशिष्ट शिकायतों की छानबीन न्यायालयों और राज्य सरकारों द्वारा उचित की जाती है।

"कलर टी० वी० सेट्स बिल बी० ए० कास्टली अफेयर" समाचार

10~~1~~1. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जून, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स' में "कलर टी० वी० सेट्स बिल बी० ए० कास्टली अफेयर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि स्थानीय निर्माताओं द्वारा जापानी फर्मों के साथ सहयोग में जोड़े गये सेटों का मूल्य 19,000/-रुपये से 26,000/-रुपये है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने लागत मूल्य, जिस पर लोगों को ये सेट उपलब्ध कराये जाएंगे, का अनुमान लगाया है; और

(घ) रंगीन टी० वी० सेटों के मूल्य को कम करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्य-वाही करने का है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने घरेलू बाजार के लिए रंगीन दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण करने के लिये किसी जापानी फर्म के साथ सहयोग करने से सम्बन्धित किसी कार्यक्रम को अनुमोदन प्रदान नहीं किया है।

(ग) तथा (घ) सरकार ने एशियाई खेलों के लिए, श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूर दर्शन सेटों के सुस्थापित विनिर्माताओं से रंगीन दूर दर्शन सेटों को स्थानीय रूप से संयोजित करने का कार्य समय से पूरा कराने के लिए एक सीमित-कार्यक्रम चलाया है। इस योजना के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं। ऊपर बताया गया कार्यक्रम एक समय का संयोजन कार्यक्रम है; जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा कल-पुर्जों तथा

संघटक-पुर्जों का मानवीकरण तथा उनकी थोक मांग का पता लगाने के पश्चात उसके द्वारा इन वस्तुओं का आयात किया जाएगा तथा इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की भारी बचत होगी।

विवरण

एशियाड के लिए दूरदर्शन सेटों का संयोजन

देश के श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेटों के सुस्थापित निर्माताओं को एशियाई खेलों के लिए रंगीन दूरदर्शन सेटों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से सरकार ने उन्हें रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए संघटक पुर्जों के आयात के लिए सुविधाएं देने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए, रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबें, विक्षेपण (डिफ्लेक्शन) संघटक पुर्जे और एकीकृत परिपथ इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। निगम इन वस्तुओं को कतिपय सीमित किस्मों के थोक आयात की व्यवस्था करेगा, जिसके बारे में सरकार निर्णय लेगी और इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम उसकी शीघ्र घोषणा करेगा। उन सभी विद्यमान अनुमोदित/लाइसेन्स शुदा दूरदर्शन सेटों के निर्माताओं को प्रति रंगीन दूरदर्शन सेट 1250/-रुपये की सीमा तक वास्तविक प्रयोगकर्ता आयात सहायता दी जाएगी, जिन्होंने वर्ष 1981-82 में कम से कम 5000 सेटों का उत्पादन किया हो। प्रत्येक अनुमोदित/लाइसेन्स शुदा विनिर्माण यूनिट में वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान उत्पादित तथा उत्पादन-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेटों की संख्या के 25% की सीमा तक रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए वास्तविक प्रयोगकर्ता को हकदारी की मात्रा निर्धारित की जाएगी।

इस योजना के अन्तर्गत आयात सहायता के लिए 15 जुलाई, 1982 से पूर्व इलेक्ट्रानिकी विभाग के पास अनुरोध प्राप्त हो जाने चाहिए और इसके साथ निम्नलिखित संलग्न भेजे जाने चाहिए:—

(क) श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेट के विनिर्माण के लिए विधिवत् प्रमाणित औद्योगिक लाइसेन्स/लघु क्षेत्र में उत्पादन-क्षमता के अनुमोदन की प्रतिलिपि,

(ख) वित्तीय वर्ष 1981-82 में श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेटों के उत्पादन का विवरण-पत्र,-जिसके साथ उत्पादन शुल्क के प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये अनुमति पत्रों की प्रमाणित-प्रतिलिपियां संलग्न की जाएं।

(ग) रंगीन दूरदर्शन सेट के लिये प्रति सेट 1250 रुपये के पैक मूल्य की सीमा तक इलेक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जों तथा अन्य पुर्जों के आयात के लिये और वित्तीय वर्ष 1981-1982 में दूरदर्शन सेटों की 25% की अधिकतम सीमा के लिये प्रपत्र 'क' में मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात, आवेदन-पत्र पर विचार करने के पश्चात् या तो आयात लाइसेन्स जारी करेंगे अथवा

इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम से आवश्यकताओं के कुछ भाग की पूर्ति के लिये अनुमति प्रदान करेंगे ।

(घ) मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात को भेजे गए प्रपत्र 'क" के साथ आवेदन-शुल्क से सम्बन्धित चालान और अन्य अनुलग्नक भेजें जाएं ।

3. संघटक पुर्जों तथा अन्य पुर्जों के लिए आयात लाइसेंन्स को अनुमति प्रदान करते समय इस बात का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि 30 नवम्बर, 1982 से पूर्व कितने सेटों का उत्पादन किया जा सकेगा ।

4. रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के विनिर्माण के लिये दीर्घकालीन लाइसेन्स नीति बनायी जा रही है और इसकी घोषणा शीघ्र कर दी जायेगी । इस पत्र में, जो कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है उससे किसी भी अवस्था में दीर्घकालीन लाइसेन्स नीति के सम्बन्ध में न तो कोई अधिकार हासिल हो सकेगा अथवा दायित्व हो ।

5. इस योजना के अन्तर्गत प्रदान किये गये आयात लाइसेन्स का उपयोग इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम से रंगीन दूरदर्शन के पुर्जों तथा संघटक-पुर्जों को प्राप्त करने में किया जायेगा जो दो प्रकार के पैक उपलब्ध करायेगा, अर्थात् :—

(क) सुदूर पूर्व के देशों से 123/128 अमरीकी डालर के पैक । ये टरेट किस्म के अति-उच्च आवृत्ति समस्वरियों (वी० एच० एफ० ट्यूनरों) पर आधारित होंगे ।

(ख) यूरोपीय स्रोतों से 128 अमरीकी डालर (लगभग) के पेक जिनमें इलेक्ट्रानिक ट्यूनर शामिल है ।

6. उपर्युक्त दो श्रेणियों में 50-50 प्रतिशत के आधार पर वितरण किया जायेगा ।

7. इस योजना के अन्तर्गत उत्पादित किये जाने वाले रंगीन दूरदर्शन सेट पूर्णतया इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रोद्योगिकी विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली किटों पर आधारित होंगे तथा आयातित संघटक-पुर्जों पर आधारित कोई भी अतिरिक्त सहायक या फ़िल नहीं जोड़े जा सकेंगे ।

8. दिल्ली में ग्राहकों को बेचे जाने वाले सेटों का बिक्री-मूल्य दिल्ली में लागू सभी करों सहित नीचे दिये अनुसार होगा :—

(क) टरेट ट्यूनर सहित रंगीन दूरदर्शन सेट	7,500 रुपये
(ख) इलेक्ट्रानिक ट्यूनर सहित रंगीन दूरदर्शन सेट	8,000 रुपये

अन्य शहरों में स्थानीय रूप से लगने वाले करों के आधार पर इन मूल्यों में घट-बढ़ हो सकती है।

9. इस योजना के अन्तर्गत सभी सेट 30 नवम्बर, 1982 तक उत्पादित करने होंगे।

10. इस कार्यक्रम से बाहर रंगीन दूरदर्शन सेट अथवा रंगीन दूरदर्शन मानीटरों के निर्माण के लिये कोई अन्य आयात सुविधा का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

एशियाई खेलों के लिए रंगीन टी० वी० सेटों की मांग

1022. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिक्स विभाग ने एशियाई खेलों की मांग करने के लिये रंगीन टी० वी० सेटों को बनाने के बारे में विचार-विमर्श के लिये सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र टी० वी० सेटों के निर्माताओं की जून, 1982 में बुलाई गई बैठक स्थगित कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार से, उनके द्वारा प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन दिये जाने के बाद, दोनों गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के निर्माताओं को शामिल करके इंडियन टी० वी० मैन्युफेक्चर्स एसोसियेशन के साथ विस्तृत चर्चा शुरू की थी थी; और

(घ) यदि हां, तो प्रधान मन्त्री को दिये गये ज्ञापन का ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां।

(ख) एशियाई खेलों के लिये रंगीन दूरदर्शन सेटों के संयोजन के लिये जून के प्रथम सप्ताह में कुछ प्रस्ताव बनाये गये थे। यह आशा की जाती थी कि दूसरे सप्ताह में किसी भी समय अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा। निर्णय की घोषणा तुरन्त करने के बाद इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि विभिन्न ऐसी समस्याओं पर विचार करने की दृष्टि से, जिनका समाधान होना जरूरी है, दूरदर्शन उद्योग के साथ तत्काल विचार विमर्श किया जाए। अतः अनौपचारिक तौर पर और मौखिक अनुदेशों के माध्यम से 14 जून, को एक बैठक आयोजित की गई। किन्तु चूंकि 14 के पहले न तो निर्णय लिया जा सकता था और न ही उसकी घोषणा की जा सकती थी, अतः बैठक स्थगित कर दी गई।

(ग) जी, हां ।

(घ) 29 अप्रैल, 1982 को भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ (आ० टी० एम० ए०) ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसका आधार निम्नलिखित था :—

1. एशियाई खेलों के समय रंगीन दूरदर्शन लागू करने का सरकारी निर्णय नोट किया गया ।

2. आज भारतीय श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) विश्व में कहीं भी उपलब्ध बेहतरीन सेटों का मुकाबले करते हैं ।

3. भारतीय श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन उद्योग के यूनिटों राष्ट्र व्यापी स्तर पर बिक्री के बाद उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा का जाल बिछा रखा है ।

4. भारतीय दूरदर्शन उद्योग एशियाई खेलों के लिए न केवल समय पर रंगीन दूरदर्शन सेट बनाने के लिये पूर्णतः तैयार है अपितु उसके लिए उसके पास सामर्थ्य भी है ।

5. दूरदर्शन सेटों के स्वदेशी विनिर्माताओं के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी की जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी ।

6. आयातित पिक्चर ट्यूब के अलावा विदेशी मुद्रा की आवश्यकता प्रति रंगीन दूरदर्शन सेट केवल लगभग 60 अमरीकी डालर होगी ।

7. रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के क्षेत्र में बहुराष्ट्रिक/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

18 मई, 19.2 को भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ ने रंगीन दूरदर्शन सेटों के स्वदेशी उत्पादन के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तो उन्होंने सुस्थापित क्षमता, बिक्री के बाद की सेवा सम्बन्धी व्यवस्थाओं से सम्बन्धित मुद्दे पर बल दिया, जैसाकि पिछले पैराग्राफ में बताया गया है । उन्होंने यह भी कहा कि रंगीन दूरदर्शन के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास के रूप में वर्तमान श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) यूनिटों ने काफी कार्य किया है । अतः अनुरोध किया गया कि बिना किसी विलम्ब के लाइसेन्स विषयक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं और एशियाई खेलों के लिए मौजूदा दूरदर्शन सेटों के उत्पादन की अनुमति दी जाए और एशियाई खेलों के लिए मौजूदा दूरदर्शन यूनिटों को रंगीन दूरदर्शन सेटों के उत्पादन की अनुमति दी जाए । यह भी अभ्यावेदन दिया गया कि यदि वर्तमान विनिर्माताओं रंगीन दूरदर्शन

संघटक-पुर्जों के आयात की अनुमति दी जाए तो अपने अनुमोदित विनिर्माण कार्यक्रम के लिए उन्हें पहले से ही दिए गए विभिन्न आयात लाइसेंसों/हकदारियों का वे सहर्ष परित्याग करने को तैयार होंगे ।

प्रधान मन्त्री के निवास के बाहर ड्राइवर की लाश सहित टैक्सी

1023. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा 13 और 14 मई, 1982 को समाचार पत्रों में समाचार, प्रकाशित हुआ था, किन परिस्थितियों में, कड़े सुरक्षा उपायों के बावजूद 8 मई, 1982 को प्रधान मंत्री निवास के बाहर ड्राइवर की लाश सहित एक टैक्सी कई घंटे तक खड़ी हुई थी ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है और यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या प्रधान मन्त्री निवास के चारों ओर सुरक्षा में कोई त्रुटी रही है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) उत्तर प्रदेश के तीन विधायकों के एक दल को हिमाचल प्रदेश ले जाने के लिए कांग्रेस (आई) पार्टी ने एक कार किराए पर ली थी । वाहन के मालिक एवं ड्राइवर ने, जो हिमाचल प्रदेश में बीमार पड़ गया था, दिल्ली वापस लाए जाने की इच्छा प्रकट की । वह रास्ते में ही मर गया । चूंकि उसका रिहायशी पता मालूम नहीं था, अतः 9-5-1982 को प्रातः दिल्ली पहुंचने पर उसका पता प्राप्त करने के लिए कार को कांग्रेस (आई) पार्टी के कार्यालय, 12 विलिंगडन क्रिसेन्ट पर ले जाया गया । कार्यालय बन्द था, इसलिए दल ने कार को प्रधान मन्त्री निवास के नजदीक टैक्सी स्टेंड पर खड़ा कर दिया और दिन निकलने पर उसका पता मालूम करने के लिए आगे और पूछताछ करने के उद्देश्य से उस स्थान से चला गया ।

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत मृत्यु की जांच और शव परीक्षा की गयी । किसी प्रकार का कोई संदेह होने का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि शव-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण हृदय गति का रुक जाना था ।

(ग) सुरक्षा की दृष्टि से कोई गलती नहीं हुई है । तथापि, संबंधित उप-निरीक्षक और निरीक्षक, जो कार में शव की उपस्थिति के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने में असफल रहे, के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गयी है ।

विदेशी सहयोग समझौते

1024. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान स्वीकृत किए गए विदेशी सहयोग समझौतों की संख्या कितनी है,

(ख) 1981-82 में निर्यात क्षेत्र में कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई थी; और

(ग) उपरोक्त क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए क्या उठाए जाने का विचार है अथवा उठाए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1981-82 में स्वीकृत विदेशी सहयोग के प्रस्तावों की कुल संख्या 443 थी।

(ख) 1981-82 में स्वीकृत 443 विदेशी सहयोग के प्रस्तावों मे से 2578.77 लाख रु० की विदेशी भागीदारी वाले 15 प्रस्ताव ऐसे हैं जो शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजनाओं के लिए है।

(ग) निर्यातोन्मुख योजनाओं में विदेशी निवेश प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को उपलब्ध रियायतें और सुविधाएं, विशेष रूप से पूंजीगत माल पुर्जों और कच्चे माल का निःशुल्क आयात करने, प्रोद्योगिकी का उदारता पूर्वक आयात करने तथा 40 प्रतिशत से अधिक की विदेशी इक्विटी भागीदारी के बार में है।

(2) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा सांताक्रुज इलेक्ट्रानिक्स निर्यात देख रेख क्षेत्र एककों के मामले में घोषित विशेष कर रियायतों सहित इकट्ठे प्रोत्साहन दिए गए हैं।

सौर पम्प सेटों का लगाया जाना

1025. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक, राज्यवार, कितने सौर पम्प सेट लगाए हैं और 1982-83 के वर्ष के दौरान कितने पम्प सेट लगाए जाने की संभावना है ; और

(ख) सौर पम्प सेट लगाने के लिए अब तक किए गए प्रयोगों के क्या परिणाम रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) विभिन्न राज्यों में अब तक चालीस सौर प्रकाश वोल्टीय पम्प सेट लगाये जा चुके हैं। 17 और पम्प सेटों के संस्थापन के लिए जगहों का अभिनिर्धारण किया जा चुका है। 198 -83 के दौरान लगभग 100 पम्प सेट लगाने का प्रस्ताव है, इसके अभी तक राज्य वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ख) पम्पों द्वारा छोटे फार्मों व पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। सामान्य रख रखाव की उपयुक्त देखभाल हो वे संतोषजनक कार्य कर रहे हैं।

फिरोजाबाद, आगरा कांच उद्योग में संकट

1026. **श्री गुलाम मोहम्मद खान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा जिले में फिरोजाबाद का कांच उद्योग अच्छे किस्म के कोयले और आरसेनिक ट्रिऑक्साइड और सेलेनियम धातु चूर्ण जैसे अन्य आवश्यक कच्चे माल के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण संकट का सामना कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कच्चे माल की सप्लाई के परिणामस्वरूप खाड़ी देशों से मिले क्रिया देशों को पूरा नहीं किया जा सका; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) फिरोजाबाद के कांच उद्योग को बढ़िया किस्म के आर्सेनिक ट्रिओक्साइड और सेलेनियम धातु के चूरे की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण किसी गम्भीर समस्या का सामना नहीं करना पर रहा है।

(ख) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ग) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आर्सेनिक ट्रिओक्साइड के आयात की अनुमति है तथा हिन्दुस्तान कौपर लिमिटेड के पास सेलेनियम धातु का पर्याप्त भण्डार उपलब्ध हैं।

जहां तक कोयले का सम्बन्ध है प्राथमिकता प्रणाली के आधार पर कोयला लाया-ले जाया जाता है जिसमें की जाने वाली सप्लाई में इस उद्योग का स्थान बहुत नीचे हैं। किन्तु कोयले का एक भण्डार खोल दिया गया है, जहां से अतिरिक्त सप्लाई उपलब्ध कराई जाती है।

देश में आर्थिक और औद्योगिक विकास

1027. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक विकास पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए गठित योजना आयोग की समिति ने किसी भी क्षेत्र में आर्थिक और औद्योगिक विकास की कमी के प्रमुख कारण के रूप में "परिवहन आधारभूत ढांचे" की कमी का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के क्षेत्रों में रेल और सड़क परिवहन आधारभूत ढांचे के विकास हेतु धन के पर्याप्त प्रावधान हेतु योजना आयोग ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या योजना आयोग द्वारा इस प्रकार का कोई कदम उठाया जाएगा और कितनी जल्दी ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण : (क) पिछले क्षेत्रों में आर्थिक और औद्योगिक विकास की कमी के लिए अनेक कारणों में से परिवहन आधार संरचना की कमी को एक कारण माना गया है।

(क) पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक और औद्योगिक विकास की कमी के लिए अनेक कारणों में से परिवहन आधार संरचना की कमी को एक कारण माना गया है।

(ख) और (ग) ऐसे क्षेत्रों में वर्तमान आधार संरचना में अन्तरों को कम करने के लिए नई रेल लाइनों और अन्य संचार व्यवस्थाओं जैसी परियोजनाओं पर संस्थानों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं को शामिल करने के लिए समय-समय पर विचार किया जा रहा है।

काजू प्रोसेसिंग संयंत्रों की स्थापना

1028. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मन्त्रालय ने कुछ राज्यों को उनके राज्यों में काजू प्रोसेसिंग संयंत्रों की स्थापना किए जाने हेतु अनुमति दी है ;

(ख) क्या उड़ीसा में काजू प्रोसेसिंग संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुमति दे दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां काजू प्रोसेसिंग संयंत्र स्थापित किये जाने वाले हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) विगत तीन वर्षों की अवधि में इस मन्त्रालय ने किसी भी राज्य को काजू परिशोधन के नए संयंत्र की स्थापना करने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यटन वीसा को समाप्त किया जाना

1029. श्री वी० वी० देसाई :
श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :
श्री गुफरान आजम :
श्री अशफाक हुसैन :
श्री के० टी० कोसलराम : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पर्यटन वीसा समाप्त करने का निर्णय किया है,

(ख) क्या यह निर्णय मंत्रालय से प्राप्त अधिनियम और होटल तथा ट्रैवल व्यवसाय से सम्बन्धित लोगों के विरोध को नजरअन्दाज करके लिया गया था,

(ग) क्या पर्यटन मन्त्रालय ने भी इस कदम का विरोध किया है,

(घ) पर्यटन वीसा समाप्त करने के क्या मुख्य कारण हैं,

(ङ) क्या यह भी सच है कि हाल में कुछ विदेशी भारत में अवैध गतिविधियों में संलग्न हुए हैं, और

(च) यदि हां, तो इसकी रोकथाम कहां तक की जा सकती है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) सरकार ने पर्यटन वीसा समाप्त करने का कोई निर्णय नहीं किया है।

(ङ) और (च) हाल में ऐसे समाचार प्राप्त नहीं हुए हैं कि जिनसे यह संकेत मिलता हो कि कुछ विदेशी नागरिक अवैध गतिविधियों में संलग्न हैं। यदि कोई प्रतिकूल बात ध्यान में आती है। तो उपयुक्त कार्रवाई जाती है।

खादी ग्रामोद्योग भवन में चोरियां

1020. श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री जगपाल सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खादी ग्रामोद्योग भवनों में चोरियों के मामले बढ़े हैं,

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान चोरियों के कितने मामलों का पता लगा, इनमें कितने मूल्य के सामान चोरी गए ; और

(ग) इन चोरियों को रोकने और संबधित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए क्या उपाय किए गए है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान (श्री नारायण दत्त तिवारी): (क) और (ख) वर्ष 1979 तथा 1980 के दौरान खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में चोरी के 5 मामलों का पता लगाया गया था। 1981 में चोरी के 9 मामलों का पता लगा। विगत छः महीनों की अवधि में जनवरी से जून 1982 में चोरी का कोई मामला नहीं पकड़ा गया।

(ग) भीड़ के साथ बिक्री पटल काउन्टर पर बैठने वाले सेलसमैनों को और अधिक सतर्क रहने के निर्देश दे दिये गये हैं। निवेश रिपोर्ट वाली बिक्री की अवधि में जबकि ग्राहकों की भारी भीड़ होती है, काउन्टर पर और अधिक व्यक्ति काम पर लगा दिये जाते हैं। दरवाजे पर ग्राहकों पर निगरानी रखने तथा उठाईगीरी को रोकने के लिए एक संतरी की तैनाती कर दी गई। इसके अलावा, ग्राहकों की सहायता करने तथा उन पर निगरानी रखने के लिए भवन के नीचे के तल पर दो या तीन व्यक्ति रखे जाते हैं।

सीमेंट के वितरण हेतु निदेश और मार्गदर्शी सिद्धान्त

10**5**1. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा (एक) उचित नियन्त्रण मूल्यों पर और (दो) दोहरी मूल्य नीति के अन्तर्गत खुले बाजार में सीमेंट मूल्यों पर सीमेंट के वितरण हेतु क्या निदेश और मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं ; और

(ख) उचित दर की सीमेंट को खुले बाजार में बेचे जाने को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) दिनांक 27 फरवरी, 1982, 21 अप्रैल, 82 तथा 7 मई, 1982 के प्रेस टिप्पणी की एक-एक प्रति जिसमें लेवी सीमेंट प्राप्त करने के पात्र उपभोक्ताओं का उल्लेख है, अनुबन्ध 1, 2 और 3 में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखें गये। देखिए एल० टी० संख्या 4213/82] जहां तक गैर लेवी सीमेंट का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा घोषित की गई नई नीति के अन्तर्गत सीमेंट के निर्माता इस श्रेणी की सीमेंट को जिस तरीके से चाहें उसे बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं, अतः उनके लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) खुले बाजार में लेवी की सीमेंट न जाने देने के लिए सीमेंट उत्पादक लेवी सीमेंट को विशेष रंग के चिन्ह वाले जूट के बोरों में पैक करने के लिए सहमत हो गये हैं।

ग्रामीण विकास योजनाएं

1032. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न विभागों के अन्तर्गत ग्रामीण विकास योजनाओं के निकट रूप से समृद्ध करने और सामान्य ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने हेतु कदम उठाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) सामान्य ग्रामीण विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं से सम्बन्धित छठी पचवर्षीय योजना के परिव्ययों की राशि 32,135 करोड़ रु० है। जिसका ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अलावा उर्वरक, विद्युत और पेट्रोलियम जैसे अन्य क्षेत्रकों से सम्बन्धित परिव्ययों का भी सामान्य ग्रामीण विकास पर प्रभाव पड़ता है।

विभिन्न ग्रामीण वि ास कार्यक्रमों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे जिला और राज्य स्तरों पर इन कार्यक्रमों के बीच में प्रभावी सहलग्नताएं स्थापित करें तथा सभी योजनागत स्कीमों के प्रबोधन के लिए जिला स्तर पर व्यवस्था और तन्त्र स्थापित करें।

विवरण

		(करोड़ रु०)
1.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	56656
2.	कृषि	5695
3.	ग्रामीण विकास	5364
4.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1480
5.	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	12160
6.	ग्राम और लघु उद्योग	1780
	जोड़	32135

'एशियाड-82' के लिए स्वदेशी टेलीविजन सेट

1033. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में कितने रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण किया गया है, जो 'ऐसियाड-82 के समय उपलब्ध होंगे ;

(ख) क्या सरकार का विचार 'ऐसियाड-82' के लिए रंगीन टेलीविजन सेटों का आयात करने का है, यदि हां, तो कितने और किन शर्तों पर और ये बाजार में कब तक उपलब्ध होंगे और उनका मूल्य तथा सप्लाई का तरीका क्या होगा ; और

(ग) क्या रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माण हेतु कोई विस्तृत योजना बनाई गई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रंगीन टेलीविजन सेटों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/जायेंगे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम०एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) सरकार ने एशियाई खेलों के लिए श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेटों के सुस्थापित विनिर्माताओं से रंगीन दूरदर्शन सेटों को स्थानीय रूप से संयोजित करने का कार्य समय से पूरा कराने के लिए एक सीमित-कार्यक्रम चलाया है। इस योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

ऊपर बताया गया कार्यक्रम एक समय का संयोजन कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा कल-पुर्जों तथा संघटक-पुर्जों का मानकीकरण तथा उनकी थोक मांग का पता लगाने के पश्चात उसके द्वारा इन वस्तुओं का किए जाने वाले आयात किया जाएगा तथा इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा को भारी बचत होगी। संलग्न नोट में ब्यौरे दिए गए हैं।

रंगीन दूरदर्शन सेटों का आयात करने के सम्बन्ध में अनेक प्रस्ताव किए गए हैं किन्तु सरकार ने अभी तक इन पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

विवरण

एशियाड के लिए दूरदर्शन सेटों का संयोजन :

देश के श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेटों के सुस्थापित निर्माताओं को एशियाई खेलों के लिए रंगीन दूरदर्शन सेटों को तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से सरकार ने उन्हें रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए संघटक पुर्जों के आयात के

लिए सुविधाएं देने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए, रंगीन दूरदर्शन-पिक्चर ट्यूबें, विक्षेपण (डिफ्लेक्शन) संघटक पुर्जे और एकीकृत परिपथ इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। निगम इन वस्तुओं को कतिपय सीमित किस्मों के थोक आयात की व्यवस्था करेगा, जिसके बारे में सरकार निर्णय लेगी और इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम उसको शीघ्र घोषणा करेगा। उन सभी विद्यमान अनुमोदित/लाइसेंस-शुदा दूरदर्शन सेटों के निर्माताओं को प्रति रंगीन दूरदर्शन सेट 1250/-रु० की सीमा तक वास्तविक प्रयोगकर्त्ता आयात सहायता दी जाएगी, जिन्होंने वर्ष 1981-82 में कम से कम 5000 सेटों का उत्पादन किया हो। प्रत्येक अनुमोदित/लाइसेंसशुदा विनिर्माण यूनिट में वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान उत्पादित तथा उत्पादन-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेटों की संख्या के 25% की सीमा तक रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए वास्तविक प्रयोगकर्त्ता की हकदारी की मात्रा निर्धारित की जाएगी।

इस योजना के अन्तर्गत आयात सहायता के लिए 15 जुलाई, 1982 से पूर्व इलेक्ट्रानिकी विभाग के पास अनुरोध प्राप्त हो जाने चाहिए और इसके साथ निम्नलिखित संलग्नक भेजे जाने चाहिए :—

(क) श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेट के विनिर्माण के लिए विधिवत् प्रमाणित औद्योगिक लाइसेंस/लघु क्षेत्र में उत्पादन-क्षमता के अनुमोदन की प्रतिलिपि।

(ख) वित्तीय वर्ष 1981-82 में श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेटों के उत्पादन का विवरण-पत्र, जिसके साथ उत्पादन-शुल्क के प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुमति-पत्रों को प्रमाणित-प्रतिलिपियां संलग्न की जाएं।

(ग) रंगीन दूरदर्शन सेट के लिए प्रति सेट 1250 रुपए के पोत-पर्यन्त-निःशुल्क मूल्य की सीमा तक इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों तथा अन्य पुर्जों के आयात के लिए और वित्तीय वर्ष 1981-82 में उत्पादित दूरदर्शन सेटों को 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के लिए प्रपत्र "क" में मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात को सम्बोधित आवेदन-पत्र। मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात, आवेदन-पत्र पर विचार करने के पश्चात या तो आयात लाइसेंस जारी करेंगे अथवा इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम से आवश्यकताओं के कुछ भाग की पूर्ति के लिए अनुमति प्रदान करेंगे।

(घ) मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात को भेजे गए प्रपत्र "क" के साथ आवेदन-शुल्क से सम्बन्धित चालान और अन्य अनुलग्नक भेजे जाएं।

3. संघटक पुर्जों तथा अन्य पुर्जों के लिए आयात लाइसेंस की अनुमति प्रदान करते समय

इस बात का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि 30 नवम्बर, 1982 से पूर्व कितने सेटों का उत्पादन किया जा सकेगा।

4. रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के विनिर्माण के लिए दीर्घ कालीन लाइसेंस नीति बनाई जा रही है और इसको घोषित शीघ्र कर दी जाएगी। इस पत्र में जो कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है उससे किसी भी अवस्था में दीर्घकालीन लाइसेंस नीति के सम्बन्ध में न तो कोई अधिकार हासिल हो सकेगा अथवा दायित्व हो।

5. इस योजना के अन्तर्गत प्रदान किए गए आयात लाइसेन्स का उपयोग इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम से रंगीन दूरदर्शन के पुर्जों तथा संघटक-पुर्जों को प्राप्त करने में किया जाएगा जो दो प्रकार के पैक उपलब्ध कराएगा, अर्थात :—

(क) सुदूर पूर्व के देशों से 123/128 अमरीकी डालर के पैक। ये टरेट किस्म के अति-उच्च आवृत्ति समस्वरित्रों (वी० एच० एफ० ट्यूनरों) पर आधारित होंगे;

(ख) यूरोपीय स्रोतों से 128 अमरीकी डालर (लगभग) के पैक जिनमें इलेक्ट्रानिक ट्यूनर शामिल हैं।

6. उपर्युक्त दो श्रेणियों में 50-50 प्रतिशत के आधार पर वितरण किया जाएगा।

7. इस योजना के अन्तर्गत उत्पादित किए जाने वाले रंगीन दूरदर्शन सेट पूर्णतया इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली किटों पर आधारित होंगे तथा आयातित संघटक-पुर्जों पर आधारित कोई भी अतिरिक्त सहायक या फ़िल नहीं जोड़े जा सकेंगे।

8. दिल्ली में ग्राहकों को बेचे जाने वाले सेटों का बिक्री-मूल्य दिल्ली में लागू सभी करों सहित नीचे दिए अनुसार होगा :

(क) टरेट ट्यूनर सहित रंगीन दूरदर्शन सेट	7,5000 रुपए
(ख) इलेक्ट्रानिक ट्यूनर सहित रंगीन दूरदर्शन सेट	8,000

अन्य शहरों में स्थानीय रूप से लगने वाले करों के आधार पर इन मूल्यों में घट-बढ़ हो सकती है।

9. इस योजना के अन्तर्गत सभी सेट 30 नवम्बर, 1982 तक उत्पादित करने होंगे।

10. इस कार्यक्रम से बाहर रंगीन दूरदर्शन सेट अथवा रंगीन दूरदर्शन मानीटरों के निर्माण के लिए कोई अन्य आयात सुविधा का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

आयातित टी० वी० ट्यूबों की सप्लाई

1034. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्माताओं को सप्लाई की जाने वाली आयातित टी० वी० ट्यूबों की लागत कम करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) देश में कितनी टी० वी० ट्यूबों का निर्माण होता है और सप्लाई में कितनी कमी है ; और

(घ) आयातित टी० वी० ट्यूबों से यह कमी कहां तक पूरी होगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) सरकार इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम के माध्यम से श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन ट्यूबों का आयात करती है तथा दूरदर्शन बिनिर्माताओं को उनकी आपूर्ति करती है। इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम एक सरणीकरण अभिकरण की हैसियत से, विभिन्न विनिर्माताओं की मांग को इकट्ठा करके विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से निरन्तर बातचीत करने का प्रयास करता है ताकि पिक्चर ट्यूबें कम कीमत पर प्राप्त की जा सकें। इस प्रयास के फलस्वरूप जैसे ही कोई लाभकारी सौदा होता है उसका लाभ दूरदर्शन सेटों के विनिर्माताओं को आगे दे दिया जाता है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 3.50 लाख श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन ट्यूबों का देशी उत्पादन होने का अनुमान है। देशी स्रोतों से पूर्ति किए जाने के पश्चात अनुमानतः 4.50 लाख ट्यूबों क कीमी रह जाएगी। इसके अलावा बाजार में बदलाई जाने वाली लगभग 0.5 लाख ट्यूबों की मांग अलग होगी।

(घ) इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम इस अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए दूरदर्शन ट्यूबों के आयात की व्यवस्था कर रहा है।

सौर, वायु और बायोगैस ऊर्जा के स्रोत

1035. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सौर, वायु और बायोगैस ऊर्जा स्रोतों का विकास करने के लिए अब तक उठाए गए और उठाए जाने वाले कदमों का ब्योरा क्या है ; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक ऊर्जा के उपरोक्त स्रोतों के पृथक-पृथक विकास हेतु क्या लक्ष्य निश्चित किए गए हैं और किस सीमा तक इन लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सरकार ने नये और नवीकरण ऊर्जा के स्रोतों के प्रयोग, समन्वयन और नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करने हेतु ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग की स्थापना की है। आयोग द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रिया कलापों में अनुसंधान और विकास को तीव्र करना, पूर्ण रूप से विकसित टेक्नालोजी का क्षेत्र प्रतिष्ठापन और प्रदर्शन करना औद्योगिक उत्पादन को तेज करने के लिए वित्तीय और संवर्द्धनात्मक उपाय करना, समयबद्ध, उद्देश्य अभिमुख अनुसधान व विकास और उत्पाद आदिप्रारूप विकास के लिए केन्द्रों की स्थापना करना तथा इन टैक्नालोजियों के बारे में जागरुकता का सृजन करने के लिए जनता सूचना कार्य क्रम समहित है। जिन नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियो को पहले ही विकसित किया जा चुका है उनके अन्तर्गत सौर जल तापन प्रणाली, सौर फसल शुष्कक, सौर इमारती लकड़ी को भट्टी, सौर पम्प, सौर कुकर, आसवान एकक, पानी निकालने व अन्य प्रयोगों के लिए सौर प्रकाश वोल्टीय सैल, पवन पम्प, परिवार, समुदायों संस्थाओं के लिए उपयुक्त बायोगैस संयंत्र, बैटरी से सचालित गाड़ियां तथा नयी सूक्ष्म जल एककों के नए डिजाइन आते हैं। देश व्यापक क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है जिससे इन युक्तियों और प्रणालियों को बड़े पैमाने पर व्यापारिक उत्पादन और व्यापक उपयोग में प्रोत्साहन दे रहा है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के प्रत्येक जिले में नवीकरणीय ऊर्जा प्रदर्शन एककों की स्थापना का प्रस्ताव है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग द्वारा, विभिन्न राज्यों के 75 जिलों में सौर, पवन और जैव गैस पर आधारित 240 से भी अधिक प्रदर्शन एककों को पहले से ही स्थापित किया गया है। और अधिक स्थलों के चुनाव के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों से बातचीत चल रही है।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पानेंट योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति

1030. **श्री अनादि चरण दास :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों के लिये विशेष कम्पोनेंट योजना के अधीन वित्तीय सहायता से अनुसूचित जातियों के कितने लोगो को सीधे ही लाभ पहुंचा ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या हैं ; और

(ग) उड़ीसा में वर्ष 1982-83 के दौरान अनुसूचित जाति कम्पोनेंट योजना के अधीन क्या क्या कार्यक्रम हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहाल रंजन लस्कर) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1980-81, 1981-82 के दौरान और मई, 1 8 के अन्त तक 1982 83 के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना के अन्तर्गत 1,28,974 अनुसूचित जाति परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए है।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए राज्य की विशेष कम्पोनेंट योजना दस्तावेज में विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रम शामिल हैं, विशेष कम्पोनेंट योजना में योजनाओं कार्यक्रमों की संख्या बहुत है। फिर भी राज्य योजना के महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनके अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम विशेष कम्पोनेंट योजना में शामिल किए गए है वे इस प्रकार हैं समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम, गरीब ग्रामीणों का आर्थिक पुनर्वास, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, कृषि, बागवानी, सिंचाई, भू-संरक्षण, खादी और ग्राम उद्योग, हथकरघा, रेशम उद्योग, चमड़ा मत्स्य उद्योग।

विवरण

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना के अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या
1	2	3
1.	समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम	40,227
2.	गरीब ग्रामीणों का आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम	27,850
3.	कृषि कार्यक्रम	164
4.	बागवानी सम्बन्धी कार्यक्रम	4,357
5.	पिछवाड़े में बागवानी सम्बन्धी पेड़-पौधे लगाना	16,000
6.	मत्स्य उद्योग कार्यक्रम	3,720
7.	भू-संरक्षण कार्यक्रम	312
8.	समुदाय शैलो नलकूप तथा खोदे गए कुओं को विद्युत चलित करना	1,200
9.	कच्ची खालों को एकत्र करने समेत चमड़ा उद्योग	2,442

1	2
10 हथकरघा कार्यक्रम	12.171
11. पशुपालन कार्यक्रम	2,966
12. रेशम उद्योग कार्यक्रम	1,080
13. खादी और ग्रामीण उद्योग	137
14. अन्य आय पैदा करने वाली योजनाएं	16,030
	1,28,674

समेकित जनजाति विकास परियोजना में उड़ीसा को दी गई आर्थिक सहायता।

1037. **श्री अनादि चरण दास :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा से समेकित जन जाति विकास परियोजना क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं (अलग-अलग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं) के अन्तर्गत दी गई आर्थिक सहायता केवल जनजातियों के लिए हैं अथवा समाज के अन्य कमजोर वर्ग भी वे लाभ प्राप्त कर सकते हैं ;

(ख) क्या अलग-अलग लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए इस प्रकार की आर्थिक सहायता देने में समेकित जनजाति विकास परियोजना कार्यक्रमों में अन्य राज्यों में क्या पद्धति अपनायी जाती है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उड़ीसा में समेकित जनजाति विकास योजना क्षेत्रों में व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता जनजातियों के साथ साथ समाज के अन्य कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को भी दी जाती है।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्यों में एक समान नीति नहीं अपनायी जाती है। बिहार, हिमाचल प्रदेश और प० बंगाल जैसे कुछ राज्यों में आर्थिक सहायता समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए भी ग्राह्य हैं, जबकि कर्नाटक मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में और संघ शासित क्षेत्र अन्डमान और निकोबार में व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं, जनजाति उप-योजना क्षेत्रों में केवल जनजातियों के लिए बनाई गयी है आर्थिक सहायता की प्रतिशतता अलग-अलग राज्यों और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए भिन्न-भिन्न है।

बंधुआ श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम का कार्यान्वयन

1038. **श्री राम विलास पासवान :**

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बन्धुआ श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति के बारे में सरकार द्वारा कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) बन्धुआ श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति के असन्तोषजनक पाये जाने के स्थानों पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

श्रम मत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) योजना आयोग ने अब तक 9 राज्यों के सम्बन्ध में मूल्यांकन अध्ययन पूर्ण कर लिए हैं और उनकी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। सरकार ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली से 1978-76 में उत्तर प्रदेश टिहरी गढ़वाल जिले और 1979-0 में बिहार में मुंगेर जिले, मध्य प्रदेश में जबलपुर तथा उड़ीसा में कोरापुर जिले के सम्बन्ध में मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने के लिए अनुरोध किया था। उनकी रिपोर्ट सरको को प्राप्त हो चुकी है। विभिन्न सरकारों द्वारा बन्धुआ श्रम प्रणाली (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में की गई प्रगति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और इस प्रयोजन के लिए वह राज्य सरकारों से आवधिक रिपोर्टें मंगाती है।

(ग) राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता उचित कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है। बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने और स्वतन्त्र किए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के महत्व और आवश्यकता पर राज्य श्रम मन्त्रियों तथा श्रम सचिवों के सम्मेलनों में राज्य सरकारों पर बार-बार जोर दिया जाता रहा है और राज्य सरकारें अधिनियम के उपबन्धों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए सभी कदम उठा रही है। इसके अलावा, बन्धुआ, प्रवासी तथा नैमित्तक श्रमिकों संबंधी एक केन्द्रीय स्थायी समिति स्थापित की गई है जो कि अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखेगी।

वाहनों के मूल्यों में वृद्धि

1039. **श्री नारायण चौबे** : क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस वर्षों के दौरान स्वचालित वायनों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दस वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण ब्रांड के वाहनों के मूल्यों की भिन्नता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) कुछ निर्माताओं ने बताया है कि गाड़ियों के माडलों में 1972 से परिवर्तन आ गया है या इस समय जो लोकप्रिय माडल हैं वे दस वर्ष से कम समय पहले प्रारम्भ किए गए थे। अतः पिछले पांच वर्षों अर्थात् 1977 और 1982 के बीच मूल्य वृद्धियों की तुलना करना अधिक यथार्थ होगा। इस आधार पर कुछ प्रमुख गाड़ियों के मूल्यों में वृद्धि नीचे दी जाती है :—

गाड़ी	निर्माताओं द्वारा बनाई गई मूल्य वृद्धि (लगभग रुपये)
1. टाटा	72100
2. अशोक लैलेंड	83600
3. स्टैन्डर्ड	20500
4. महीन्द्रा एण्ड महीन्द्रा	27500
मैटाडोर गाड़ियां	27500
कारें	
1. अम्बेसेडर	26500
2. प्रीमियर पद्मिनी	3 300
स्कूटर	
1. बजाज	1800
2. विजय सुपर	1800
3. लम्ब्रो	1800

(ग) सरकार ने मूल्य नियंत्रण और मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए निर्माताओं पर बल दिया है। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो, जिसे सरकार ने मामले को जांच करने के लिए कहा था, ने वाणिज्यिक गाड़ियों, यात्री कारों आदि के बारे अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। इन रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

राजस्थान के उद्योगों में संकट

1040. श्री जयनारायण रौत : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बड़े और लघु उद्योग बिजली संकट के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इससे उद्योगों के उत्पादन में अनुमानत कितनी हानि होगी और इस समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ,

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) राजस्थान को वर्तमान वर्ष के दौरान एटोमिक पावर स्टेशन (आर० ए० पी० एस०) के मुख्यत: दोनों की न्यूक्लियर एककों के, जो राज्य की बिजली की जरूरतों के लगभग 40 प्रतिशत को पूरा करते हैं, बिगड़ जाने से बिजली के संकट का सामना करना पड़ा है। भिन्न-भिन्न श्रेणी के उद्योग भिन्न-भिन्न स्तरों तक बिजली की कटौतियों से प्रभावित हुए हैं। राजस्थान में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर थरमल पावर स्टेशन से राज्य को बिजली की सप्लाई कर सहायता की गई है। 27 जून, 1982 को आर० ए० पी० एस०—2 के चालू हो जाने से बिजली सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य में बिजली संकट होने के परिणामस्वरूप हुए औद्योगिक उत्पादन के परिमाण का पता नहीं लग पाया है।

उड़ीसा में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए यू० के० की डेवी मेकी के साथ समझौते का समाप्त होना।

1041. प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री रशीद मसूद :
श्री विजय कुमार यादव : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उड़ीसा में—"टर्न—की" आधार पर इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए यू० के० की डेवी मेकी के साथ समझौते को समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और समझौते को समाप्त करने के क्या कारण हैं और परियोजना को शुरू करने में हुए विलम्ब के फलस्वरूप कितनी अनुमानित लागत के बढ़ने की संभावना है ;

(ग) क्या सरकार का सम्बन्धित फर्म से, उसके वायदे से फिर जाने के कारण हुई हानि का दावा करने का विचार है ; और

(घ) इस्पात संयंत्र के निर्माण हेतु सरकार द्वारा यदि कोई अन्य व्यवस्था की गई है तो वह क्या है?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी, हां। चूंकि ब्रिटेन के मेसर्स डेवी मेकी अपनी अगस्त, 1981 की पेशकश से, जिसके आधार पर उन्हें आशय-पत्र जारी किया गया था, फिर गए थे अतः भारत सरकार ने आशय-पत्र रद्द कर दिया था। इस परियोजना की लागत में वृद्धि के बारे में कोई अनुमान लगाना समय-पूर्व होगा।

(ग) चूंकि पार्टी के साथ कोई औपचारिक करार नहीं किया या अतः पार्टी पर किसी नुकसान के लिए दावा करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड इस परियोजना बेकार को उसी प्रकार्यान्वित करेगा जिस प्रकार विशाल पत्तन इस्पात कारखाने का निर्माण राष्ट्रीय इस्पात निगम द्वारा किया जा रहा है।

अधिकारियों के निवास स्थानों से गोपनीय दस्तावेज बरामद होना

1042. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्री दिगम्बर सिंह :
श्री दौलत राम सारण : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विभिन्न मन्त्रालयों से सम्बन्धित गोपनीय दस्तावेजों की कुछ प्रतियां कुछ अधिकारियों तथा एक गैर सरकारी कम्पनी के जनसम्पर्क अधिकारी के निवास स्थानों से बरामद की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों के निवास स्थानों से बराबद किए दस्तावेज किस प्रकार के थे यह बताते हुए तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा 12-5-1982 को दर्ज किए दो मामलों की जाच के सम्बन्ध में केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा कुछ सरकारी अधिकारियों और प्राइवेट कम्पनी के रिहायशी प्रबन्धक के रिहायशी और कार्यालय परिसरों की तलाशी के दौरान कुछ मंत्रालयों से सम्बन्धित कुछ गुप्त/गोपनीय दस्तावेजों सहित सरकारी दस्तावेजों की प्रतियां बरामद की गयी हैं। दोनों मामलो का जांच कार्य प्रगति पर है।

कम्प्यूटर विज्ञान में उच्च पाठ्क्रम की शुरूआत

1043. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इन्स्टच्यूट आफ इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन इन्जीनियर्स (आई० ई० टी० ई) का विचार, कम्प्यूटर इन्जीनियरिंग और कम्प्यूटर प्रणाली में कमी को पूरा करने के लिए कम्प्यूटर विज्ञान में उच्च पाठ्यक्रम शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं और कब तक इसके कार्य शुरू कर देने की संभावना है ; और

(ग) इस दिशा में इससे कहां तक आवश्यकतायें पूरी होंगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) यह कम्प्यूटर-विज्ञान तथा उसके अनुप्रयोग पर एक तीन वर्षीय अंशकालीन (सांय 6 बजे से सांय 8-30 बजे तक) डिप्लोमा कार्यक्रम है तथा जिसमें इन्जीनियरों में स्नातक उपाधि भारतीय इलेक्ट्रानिकों दूरसचार इन्जीनियरों स्नातकों विज्ञान निष्णात (भौतिकी/गणित) तथा अन्य किसी समकक्ष उपाधि के व्यक्तियों को दाखिला दिया जाता है। प्रत्यायोजित उम्मीदवारों को वरीयता दी जाती है। पाठ्यक्रमों में कम्प्यूटर प्रणालियां आयोजन प्रोग्रामन, अंकीय तथा सांख्यिकीय पद्धतियां, परिचालन अनुसधान, डी० बी० एम० एस०, आंकड़ा संचार तथा कई अन्य कम्प्यूटर अनुप्रयोग शामिल हैं। यह कार्यक्रम मई, 1982 में आरम्भ कर दिया गया है तथा इसमें प्रतिवर्ष लगभग 90 विद्यार्थी लिए जाएंगे।

(ग) इससे कम्प्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में मौजूदा कमी को आंशिक रूप से पूरा किया जा सकेगा तीन वर्ष के पश्चात् लगभग 90 विद्यार्थी सफल होकर निकलेंगे।

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में बार-बार खराबी आना

1044. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा के समीप राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में बार-बार खराबी होने का कारण उपकरणों में मूल खराबी का होना है ;

(ख) क्या यह सच है कि कनाडा द्वारा इन उपकरणों को अपने सयंत्रों में इस्तेमाल किए जाने से पहले ही हमारे यहां सप्लाई की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस परियोजना के 9 वर्ष पहले शुरू होने से लेकर अब तक यूनिट-एक में 251 बार खराबी हुई और 2 वर्ष से कम समय की अवधि में यूनिट-दो 24 बार खराबी आई और अब यह परियोजना 4 मार्च, 1982 से बन्द पड़ी है ;

(घ) इन दो यूनिटों की उत्पादन क्षमता तथा उनका उपयोग क्या है ; और

(ङ) इन दो यूनिटों को बार-बार खराब होने से बचाने और ठीक स्थिति में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह०) : (क) कनाडा द्वारा दिए गए उपकरणों में कोई मौलिक दोष नहीं थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पहला यूनिट चालू किए जाने के बाद 255 बार तथा दूसरा यूनिट 43 बार बन्द हो चुका है।

(घ) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के प्रत्येक यूनिट की क्षमता 220 मेगावाट है। पहले यूनिट का क्षमता गुणक कुल मिलाकर 41.8 प्रतिशत है और दूसरे यूनिट का 35.11 प्रतिशत।

(ङ) बिजलीघर के कार्य का मूल्यांकन तकनीकी दृष्टि से करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई है।

हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत समाहित कार्यक्रम की उपलब्धियां

1045. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले मदों के सम्बन्ध मे क्या-क्या मुख्य उपलब्धियां हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा व्यय की गई राशि और राज्य सरकार द्वारा उपयोग में लाई गई राशि क्या है ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य को आवंटित की जा रही राशि क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हान) : (क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में आने वाली विभिन्न मदों के अन्तर्गत वास्तविक उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण 1 में दिए गए हैं।

(ख) इन मदों के लिए परिव्यय संलग्न विवरण 2 में बताया गया है।

(ग) 1982-83 के वित्त वर्ष में आवंटित धनराशि संलग्न विवरण 3 में बताई गई है।

विवरण-1

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-वास्तविक उपलब्धि

कार्यक्रम	इकाई	1979-80	1980-81	1981-82 (अनुमानित)
1	2	3	4	5
1. ग्रामीण विद्युतीकरण	संख्या	113	186	200
2. ग्रामीण सड़कें	कि० मी०	373	436	437
3. प्रारंभिक शिक्षा	000			
(1) निम्नलिखित कक्षाओं में नामांकन :—				
(क) कक्षा 1-5	,,	512	526	535
(ख) कक्षा 6-8	,,	176	187	198
(2) प्रौढ़ शिक्षा				
भाग लेने वाले (15-35) प्रौढ़ों की संख्या		19787	20000	22000
4. ग्रामीण स्वास्थ्य				
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	56	77	77
उप-केन्द्र	संख्या	810	810	960
5. ग्रामीण जलपूर्ति				
समाविष्ट गांव — पाइप द्वारा जलपूर्ति	संख्या	1301	1315	1009

1	2	3	4	5
6. ग्रामीण भूमिहीनों के लिए आवास				
लाभान्वित व्यक्ति	लाभान्वित व्यक्ति	19	44	80
7. पोषणाहार				
लाभग्रावी—				
मध्याह्न भोजन	संख्या	22500	37500	17500

स्रोत—प्रारूप वार्षिक योजनाएं– हिमाचल प्रदेश—हिमाचल प्रदेश सरकार।

विवरण-2

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-व्यय

कार्यक्रम	1979-80 अनुमोदित	(वास्तविक)	1980-81 अनुमोदित	(वास्तविक)	1981-82 अनुमोदित	(परिशोधित)
1	2	3	4	5	6	7
ग्रामीण विद्युतीकरण	60.00	46.27	60.00	75.28	60.00	60.00
ग्रामीण सड़कें	530.00	746.30	600.00	600.00	640.00	640.00
प्रारंभिक शिक्षा	115.00	113.83	185.00	163.55	160.00	242.00
प्रौढ़ शिक्षा	5.00	5.00	7.00	2.54	4.00	4.00
ग्रामीण स्वास्थ्य	69.000	48.38	110.00	83.30	137.00	163.00
ग्रामीण जलपूर्ति	415.00	665.00	650.00	607.00	717.00	707.00
ग्रामीण भूमिहीनों के लिए मकान बनाने की जगहें	15.00	8.00	20.00	0.22	5.00	0.50

1	2	3	4	5	6	7
गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	—	5.00	5.00	5.00	8.00	5.00
पोषाहार	30.00	30.65	37.00	70.23	27.00	27.00

विवरण-3

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

(लाख रुपये)

कार्यक्रम	1982-83 अनुमोदित परिव्यय
ग्रामीण विद्युतीकरण	66.00
ग्रामीण सड़कें	640.00
प्रारंभिक शिक्षा	350.00
प्रौढ़ शिक्षा	3.0[illegible]
ग्रामीण स्वास्थ्य	139.50
ग्रामीण जलपूर्ति	844.00
ग्रामीण भूमिहीनों के लिए मकान बनाने की जगहें	0.70
गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	5.00
पोषाहार	42.00

भाषा आयोग की स्थापना

1046. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हर दस वर्ष के पश्चात संविधान की धारा 344 के अन्तर्गत एक भाषा आयोग और संसद सदस्यों को शामिल करके एक समिति गठित करने का विचार किया गया है।

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने भाषा आयोग स्थापित किए गए और किन-किन तारीखों को उनकी स्थापना की गई और प्रत्येक आयोग के चेयरमैन तथा अन्य सदस्यों के क्या नाम है ;

(ग) प्रत्येक आयोग द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई ; और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ; और

(ङ) नया भाषा आयोग किस तारीख तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : जी नहीं । संविधान के अनुच्छेद 344 (1) में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति आदेश जारी कर के संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद पहला और 10 वर्ष बाद दूसरा राजभाषा आयोग नियुक्त करेंगे । संविधान के अनुच्छेद 344 (4) और (5) में संसदीय राजभाषा समिति के गठन तथा आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों की परीक्षा करने की व्यवस्था की गयी हैं ।

(ख) अब तक एक राजभाषा आयोग गठित किया गया है । यह राजभाषा आयोग 7 जून, 1955 को गठित किया गया था । इस आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम अनुबन्ध 1, में दिए गए हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4244/82]

(ग) प्रथम राजभाषा आयोग द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशों की सूची अनुबन्ध-2 में दी गई है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4244/82]

(घ) संविधान के अनुच्छेद 344 (4) और (5) में की गई व्यवस्था के अनुसार 1957 में एक संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई जिसने 1959 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल, 1960 को आदेश जारी किया जिसमें अन्य बातों के साथ राजभाषा विधायी आयोग का गठन, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन, सांविधिक और असांविधिक अनुवाद की व्यवस्था केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना आदि मदें थीं ।

(ङ) प्रथम राजभाषा आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रपति द्वारा 27 अप्रैल, 1960 को आदेश जारी किए गए तथा आदेश में दी गयी मदों पर अमल किया जा रहा है । इस अवस्था में दूसरे राजभाषा आयोग के गठन की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं समझी गई ।

स्वाधीनता सेनानियों की पेन्शन

1047. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक स्वतंत्रता सम्मान पेन्शन मंजूर करने के लिए कोई मामले निपटाये गये है,

(ख) यदि हां, तो उन स्वाधीनता सेनानियों की संख्या क्या है जिन्हें राज्यवार (जिले के नाम सहित) यह पेन्शन मंजूर की गई है,

(ग) प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितने मामलों में दावों को अस्वीकार कर दिया गया और अस्वीकार करने के आधार क्या हैं, और

(घ) राज्यवार कितने मामले निर्णय के लिए लम्बित पड़े हैं क्या उनके निपटारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। मंजूर की गई सम्मान पेन्शनें राज्यवार विवरण-1 के अनुसार हैं।

(ग) 1972 में योजना के शुरू होने बाद अस्वीकृत दावों को राज्यवार संख्या विवरण 11 में दी गई है। दावों को निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जाता है :—

(1) योजना के उपबन्धों के अन्तर्गत स्वीकार्य दस्तावेजों द्वारा समर्थित न किया गया यातना का दावा।

(2) कैद/नजरबन्दी का छः महीने से कम होना (1-8-80 से लागू उदार बनाई गई योजना के अन्तर्गत महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अवेदकों के मामले में 3 महीने) यातना का स्वतंत्रता आन्दोलन के सम्बन्ध में न होना।

झूठे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना।

क्षमा याचना करने पर समय से पूर्व रिहा किया जाना।

राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के भाग के रूप में मान्यता न दिए गए आन्दोलनों/विद्रोह मे भाग लेना।

(घ) निर्णय के लिए अभी लम्बित पड़े मामलों की राज्यवार संख्या विवरण 3 के

अनुसार है । ये मामलों राज्य सरकारों से जांच रिपोर्टों के प्राप्त न हो होने के कारण लम्बित पड़े हैं और उनके प्राप्त होते ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा । इन में अधिकांश दावे 1-8-80 से लागू उदार बनाई गयी पेन्शन योजना के अन्तर्गत दायर किये गये हैं ।

विवरण-1

स्वीकृत किए गए मामलों की संख्या

राज्य का नाम	1980-81	1981-82	31-5-82 तक चालू वित्तीय वर्ष
1. अण्डमान और निकोबार	1	22	1
2. आन्ध्र प्रदेश	16	78	15
3. अरुणाचल प्रदेश	—	2	—
4. असम	7	27	10
5. बिहार	68	467	4
6. चंडीगढ़	—	14	1
7. दिल्ली	34	94	3
8. गोवा	10	46	1
9. गुजरात	25	60	74
10. हरियाणा	5	53	2
11. हिमाचल प्रदेश	8	6	1
12. जम्मू और कश्मीर	9	32	3
13. केरल	9	20	2
14. कर्नाटक	40	490	99
15. मध्य प्रदेश	13	88	2
16. महाराष्ट्र	83	413	190
17. मणिपुर	—	—	—
18. मेघालय	—	1	—

1	2	3	4
19. मिजोरम	—	—	—
20. नागालैंड	—	—	—
21. उड़ीसा	11	41	5
22. पांडिचेरी	1	24	2
23. पंजाब	39	209	17
24. राजस्थान	4	36	4
25. तमिलनाडु	18	123	5
26. त्रिपुरा	27	32	—
27. उत्तर प्रदेश	64	399	99
28. पश्चिम बंगाल	154	61	74
29. भू० पू० आ० हि० फोज के कार्मिक	943	575	393
कुल	1579	3422	1007

टिप्पणी :—31-3-1982 अन्तिम तारीख तक 1-8-80 से लागू उदार बनाई गई पेन्शन योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुए आवेदनों को कुल संख्या 1,74,896 है।

विवरण-2

राज्य का नाम		अस्वीकृत मामलों की संख्या (31-5-82 तक योजना के शुरू होने पर प्राप्त कुल आवेदनों में)
1	2	3
1.	अण्डमान और निकोबार	32
2.	आन्ध्र प्रदेश	7900
3.	अरुणाचल प्रदेश	10

1	2	3
4.	असम	9225
5.	बिहार	32434
6.	चंडीगढ़	36
7.	दिल्ली	823
8.	गोवा	1482
9.	गुजरात	2944
10.	हरियाणा	650
11.	हिमाचल प्रदेश	499
12.	जम्मू व कश्मीर	1106
13.	केरल	9182
14.	कर्नाटक	3366
15.	मध्य प्रदेश	3755
16.	महाराष्ट्र	8790
17.	मणिपुर	44
18.	मेघालय	35
19.	मिजोरम	—
20.	नागालैंड	3
21.	उड़ीसा	3970
22.	पांडिचेरी	963
23.	पंजाब	5965
24.	राजस्थान	606
25.	तमिलनाडु	3861
26.	त्रिपुरा	737
27.	उत्तर प्रदेश	4344
28.	पश्चिम बंगाल	9687
29.	भ० आ० हि० फोज के कार्मिक	10358
	कुल	121348

टिप्पणी—31-3-1982 तक 15-8-1972 से योजना के शुरू होने के बाद प्राप्त हो हुए आवेदनों की कुल संख्या 424090 है।

विवरण-3

1	2 राज्य का नाम	3 लम्बित पड़े मामलों की संख्या (31-5-82 तक योजना के शुरू होने पर प्राप्त कुल आवेदनों में से)
1.	अन्डमान और निकोबार	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	7850
3.	अरूणाचल प्रदेश	
4.	असम	9743
5.	बिहार	39572
6.	चंडीगढ	25
7.	दिल्ली	184
8.	गोवा	816
9.	गुजरात	53
10.	हरियाणा	434
11.	हिमाचल प्रदेश	216
12.	जम्मू और काश्मीर	1029
13.	केरल	18002
14.	कर्नाटक	5348
15.	मध्य प्रदेश	611
16.	महाराष्ट्र	12661
17.	मणिपुर	38
18.	मेघालय	16
19.	मिजोरम	—
20.	नागालैंड	10

1	2	3
2 .	उड़ीसा	6494
22.	पांडिचेरी	506
23.	पंजाब	1906
?4.	राजस्थान	1655
25.	तमिलनाडु	689
26.	त्रिपुरा	5863
27	उत्तर प्रदेश	50195
28.	पश्चिम बंगाल	3061
29.	आ० हि० फो० कार्मिक	
	कुल	170844

टिप्पणी—31-3-1982 तक 15-5-1982 के योजना के शुरू होने के बाद प्राप्त हुए आवेदनों की कुल संख्या 424090.

बिरला भवन, नई दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के बलिदान स्थल को अपवित्र किया जाना

1048. **श्री उत्तम राठोड़** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिन पहले बिरला भवन, नयी दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के पवित्र बलिदान स्थल पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा मूत्र त्याग किया गया था;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) दिल्ली पुलिस को ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है। गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, बिरला भवन को भी इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पुलिस को कहा गया है कि वे ऐसी कोई शरारत न होने देने के लिए बिरला भवन के प्रबन्धकों से बनाए रखें ।

मण्डल आयोग का प्रतिवेदन

1049. **श्री उत्तम राठौर :**

श्री अमर राय प्रधान :

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंडल आयोग का प्रतिवेदन सभी राज्यों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो यह कब भेजा गया था और राज्य सरकारों से कब तक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि राज्य सरकारों ने प्रतिवेदन पर अब तक कोई कार्यवाही की है तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले में राज्य सरकारों द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए कोई तिथि निर्धारित की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) से (घ) मण्डल आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए 15-4-1982 को भेजी गई थी। राज्य सरकारों से अपनी टिप्पणियां शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया था । राज्य सरकारों से उत्तर की प्रतीक्षा है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को अनुस्मारक भेजे गए हैं ।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग

1050. **श्री उत्तम राठौर :**

श्री अशफाक हुसैन : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का निर्धारण करने के लिए, क्या सामान्य मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) इस समय गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने लोग हैं; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाये जाने की संभावना है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) गरीबों का निर्धारण करने के लिए योजना आयोग ने वर्ष 1977 में "न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभारी उपभोग मांग के अनुमान से संबंधित एक कायकारी दल" बनाया था जिसने गरीबों की परिभाषा ऐसे व्यक्तियों के रूप में की थी जिनका प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय ऐसे मासिक प्रतिव्यक्ति व्यय वाले वर्ग के मध्य बिन्दु से नीचे होता है जिनकी प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी की खपत ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 है और शहरी क्षेत्रों में 2100 है, कैलोरी की खपत का अनुमान संबधित वर्गों के खाद्य उपभोग संख्या से तथा खाद्य वस्तुओं की कैलोरी की मात्रा से लगाया जाता है। इस प्रकार इस प्रतिव्यक्ति उपभोग व्यय को गरीबी के स्तर के रूप में माना जाता है। कुल जनसंख्या मे आयु, पुरुष या स्त्री और व्याव-सायिक अन्तरों को ध्यान में रखते हुए ऊपर चुने गए कैलोरी के मानकों का अनुमान लगाया जाता है।

(ख) वर्ष 1977-78 यह अद्यतन वर्ष है जिसके लिए सूचना उपलब्ध है, उक्त वर्ग में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोग अनुमानतः ग्रामीण क्षेत्रों में 2527.70 लाख थे और शहरी क्षेत्रों में 510.40 लाख थे।

(ग) छठी पंचर्षीय योजना के शुरू में, अर्थात् वर्ष 1979-80 में अनुमानतः गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाली जनसंख्या 3168.40 लाख थी छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी को दूर करने के कार्यक्रम और अन्य सम्बद्ध कार्यक्रमों के जरिए गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाली जनसंख्या को कम करके 2151.60 लाख तक कर देने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 1016.80 लाख व्यक्तियों को गरीबी के स्तर से ऊपर ले आने की आशा है।

सरकारी अधिकारियों को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में विदेशों में तैनात किया जाना

1051. श्री बी० डी० सिंह :
श्री दौलतराम सारण : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने सरकारी अधिकारियों को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में विदेशों में तैनात किया गया और कितने अधिकारी वहां अपना कार्यकाल पूरा करके अपने-अपने मूल मंत्रालयों/विभागों में लौट आए;

(ख) कितने अधिकारी अपने निश्चित कार्यकाल के बाद भी वहां के बने रहे और कितने अधिकारी अन्यत्र कार्य भार पाने में सफल हो गए; और

(ग) कितने लोगों को विदेशों में कार्य भार उनकी सेवा निवृत्ति के समीप अथवा सेवा-निवृत्ति के तुरन्त बाद ही दे दिया गया और ऐसा कार्य भार सौंपने के लिए क्या मान दण्ड अपनाए गए?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) सूचना एकत्र एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में बावरिया और सांसी जनजातियों की गतिविधियां

1052. श्री जगपाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में बावरिया सांसी जन जातियों की हिंसक और आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी आपराधिक गतिविधियों को रोकने और उन्हें दण्ड देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख) यद्यपि अधिकांश बावरिया और सांसी अब स्थाई जीवन व्यतीत करते है, पर उनमें से कुछ घिनौने अपराध करते हैं। बावरियों और सांसियों पर, जो पुलिस के रिकार्डों में है पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है। उनकी गतिविधियों के बारे में आसूचना भी एकत्र की जाती है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा डेरी मशीनरी उत्पादन

1053. श्री एच० एन० नंजे गौड़ा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स डेरी मशीनरी को शामिल करने हेतु अपने उत्पादन आधार में परिवर्तन लाएगी ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन से कोई विस्तृत योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) औरंगाबाद में डेयरी मशीनों का निर्माण करने के लिए एच० एम० टी० ने एक औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त किया है। परियोजना पर 487.50 लाख रु० की लागत होने का अनुमान है। परियोजना का कार्यान्वयन पहले ही आरम्भ हो चुका है।

दिल्ली रेलवे स्टेशन से बरामद किए गए विस्फोटक पदार्थ

1054. श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :
श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1982 के महीने के दौरान दिल्ली मुख्य रेलवे स्टेशन के हावड़ा गोदाम में चार विस्फोटकों युक्त एक पार्सल तथा एक पत्र बरामद हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह पार्सल भागलपुर से किन्हीं श्री बी० पी० जैन द्वारा राजधानी में अत्यन्त विशिष्ठ व्यक्तियों के निवास स्थानों को उड़ाने के लिए भेजा गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय फारेन्सिक प्रयोगशाला के प्रक्षेपास्त्र विशेषज्ञों ने उसकी जांच की है; और

(ङ.) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और इसमें अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) तक 28-4-82 को, दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन के शैड क्लर्क ने पुलिस को सूचित किया कि ए० पी जैन नामक व्यक्ति को भेजा गया, बोरी में बंधा लकड़ी का बक्सा, 1-4-82 को प्राप्त हुआ और कोई भी व्यक्ति इसे लेने नहीं आया। उसने आगे बताया कि बक्से में कुछ गोल वस्तुएं हैं जो संदेहास्पद प्रतीत होती है। पुलिस ने बक्से को अपने कब्जे में ले लिया और इसे खोलने पर इसके अन्दर से 4 देशी बम और हिन्दी में लिखा एक पत्र बरामद किया। हिन्दी पत्र में आनन्द मार्ग का अभिवादन बाक्स लिखा हुआ था। और समझा जाता है कि यह नार्य मार्ग, भागलपुर (बिहार) के सर्व श्री मनु जैन, धनु जैन और अयोध्या प्रसाद जैन, द्वारा लिखा गया है इस पत्र में आगे कहा गया था कि ये बम प्रधान मन्त्री की सभा को उड़ा देने के लिए पर्याप्त है।

(ख) से (ङ.) तक विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है और दिल्ली स्पेशल ब्रांच और पुलिस के सहयोग से मामले की जांच की जा रही है। केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के प्रादेशिक विशेषज्ञों ने मत प्रकट किया है कि ये 4 देशी बम है, जो चार नारियल के खोलों से बनाए गए हैं, जिनमें ब्लैक पाउडर, रद्दी कागज, शीशे के टुकड़े और छिलके थे और उसके बाहर लकड़ी की तख्तियां लगी थीं। आगे जांच-पड़ताल की जा रही है।

बिक्री योग्य इस्पात का संचित भंडार

1055. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण में 1.1 मिलियन टन से भी अधिक बिक्री योग्य इस्पात का संचित भण्डार पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बिक्री योग्य इस्पात के संचित भंडार के उचित उपयोग और वितरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) 1-7-1982 को सेल के कारखानों और स्टाकयार्डों में विक्रय इस्पात का स्टाक 11.49 लाख टन था। (आंकड़े स्थायी है)।

(ख) इन स्टाकों में कुछ भाग के लिए पेशकश पत्र और सुपुर्दगी आर्डर जारी किए गए हैं। बिक्री में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है : —

1. बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेल के कारखानों के प्राड्क्ट मिक्स में परिवर्तन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

2. कच्चे लोहे के अलावा इस्पात सामग्री के अन्ततः उपयोग के लिए लोहा और इस्पात नियन्त्रण आदेश की धारा-7 के अन्तर्गत घोषणा करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है;

3. वितरण व्यवस्था में ढील दी गई है;

4. सूचना पट्टों पर पुराने/अनबिके स्टाक की स्थिति दर्शाकर इसे ग्राहकों को बेचा जा रहा है, (ग्राहकों में व्यापारी भी शामिल है);

5. मुख्य उत्पादकों द्वारा कुछ प्रकार के माल के मूल्य में छूट दी जा रही है;

6. ग्राहकों को कुछ प्रकार का माल उधार पर भी दिया जा रहा है;

7. दोषयुक्त न बिकने योग्य मदों को टेंडर मंगवाकर बेचा जाता है,

8. निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है, और

9. ग्राहकों से सम्पर्क बढ़ाने का काम तेज कर दिया गया है।

इसके अलावा केन्द्रीय विपणन संगठन से कहा गया है कि वे इस्तेमाल के आधार पर देश और विदेश दोनों में बाजार तैयार करें और जिन मदों का आयात किया जा रहा है उन मदों के देश में उत्पादन को बढ़ावा दें।

देश के बाहर इस्पात संयंत्रों की स्थापना

1056. श्री एच० एन० नंजे गौड़ा :
श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बाहर इस्पात संयन्त्रों की एक श्रृंखला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो इसके लिए पेशकश करने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के अधीन केन्द्रीय विपणन संगठन लोहा और इस्पात नियन्त्रण संगठन तथा इस्पात राज्य उद्योग निदेशालय मांग आंकलन और मांग योजना के कार्य में लगे हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसका पूरा ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) संयुक्त संयंत्र समिति मांग का वर्षानुवर्ष अनुमान लगाने के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के केन्द्रीय विपणन संगठन, इस्पात नियन्त्रण संगठन और मुख्य उपभोक्ताओं के साथ आवधिक आधार पर बैठकें करती है। वर्ष 1982-83 के लिए संयुक्त संयंत्र समिति ने इस्पात की अनुमानित मांग 106.5 लाख टन तथा अनुमानित उपलब्धि 98.2 लाख टन आंकी है। इस्पात की विभिन्न श्रेणियों की कमी आयात द्वारा पूरी की जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश के तन्दुर में सीमेंट संयंत्र परियोजना

1057. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के तन्दुर में एक सीमेंट संयन्त्र परियोजना की स्थापना के लिए भारतीय सीमेंट निगम प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी सहायता का ब्यौरा और शर्तें क्या हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि उस परियोजना का क्रियान्वयन जापान की एक कम्पनी के साथ मिलकर किया जायेगा;

(च) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के कहने पर दो पिछले दावेदारों की उपेक्षा कर दी गई थी; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार ने 1980 में आन्ध्र प्रदेश के तेन्दुर में सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा 56.77 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से 10 लाख मी० टन सीमेंट के एक संयंत्र की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव के लिए स्वीकृति दे दी थी।

(ग) और (घ) इस परियोजना को स्थापित करने के लिए विश्व बैंक की सहायता लेने का विचार था। किन्तु, चूंकि योजना के कार्यान्वियन में देर हो रही थी, अतः इस विचार को छोड़ देने का निर्णय लिया गया था।

(ङ) और (च) मैसर्स ए० सी० सी० बैबकाक लिमिटेड को हाल ही में क्लिंकर पैकेज के लिए संयन्त्र तथा मशीनों के वास्ते आर्डर दे दिए गए हैं। मै० ए० बी० एल० ने जापान के मैसर्स मितशुबिशी के साथ सहयोग किया है। कारपोरेशन इस परियोजना के लिए कोई भी विदेशी सहयोग नहीं किया है।

(छ) चूंकि सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया विश्व बैंक से सहायता लिए बिना स्वयं ही परियोजना का कार्यान्वियन कर रहा है, अतः विश्व बैंक के कहने पर निविदाओं को स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत को प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए भारत अमरीकी समझौता

1058. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारत को प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु कुछ समझौतों पर बातचीत करने के लिए हाल ही में अमरीका की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके मिशन के मुख्य लक्ष्य क्या हैं;

(ग) उन्हें कहां तक प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) क्या एकदम प्रारम्भ से ही प्रौद्योगिकी को खरीदा जाना है अथवा निर्यात प्रयोजनों से गैर सरकारी अमरीकी कम्पनियों द्वारा निर्माण के लिए लगाया जाना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) संयुक्त राज्य अमरीका के वाणिज्य मंत्री के आमन्त्रण पर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मन्त्री हाल ही में अमरीका गए। उनके प्रवास के अवसर का उपयोग ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों जैसे प्रकाश-वोल्टीय, पवन ऊर्जा, कोयला गैसीकरण, साथ-साथ इलैक्ट्रानिकी और कम्प्यूटरों में नए परिवर्तनों से सम्बन्धित प्रमुख अनुसंधान

और विकास प्रयोगशालाओं और प्रौद्योगिकी संस्थानों में जाने के लिए भी किया गया। राज्य मन्त्री, संयुक्त राज्य अमरीका के विभिन्न भागों में स्थित भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के समूहों से भी मिले।

राज्य मन्त्री वाशिंगटन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अमरीकी कम्पनियों के प्रतिनिधियों से भी मिले।

राज्य मन्त्री ने, उपरोक्त क्षेत्रों में विद्यमान परिवर्धनों से अवगत होने के साथ-साथ इस अवसर का उपयोग भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए जो भारत में पूंजी निवेश करने का इरादा रखते हैं, प्रदान कराए जाने वाले नए वित्तीय प्रोत्साहनों और सरल क्रियाविधि के सम्बन्ध में सूचित करने के लिए भी किया। कई भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसे पूंजी निवेश, विनिर्माण अथवा भारत से साफ्टवेयर के निर्यात में रुचि और सम्भावना प्रकट करने के साथ-साथ, आधारभूत, और अनुप्रयुक्त विज्ञानों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत में कार्यरत वैज्ञानिकों के साथ सम्पर्क बनाने में अत्यधिक रुचि दिखाई प्रौद्योगिकी की सीधी खरीद के लिए अथवा अमरीकी कम्पनियों द्वारा भारत में विनिर्माण में अनुप्रयोग के लिए कोई करार नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश में इस्पात सप्लाई केन्द्रों की स्थापना

1059. श्री हरीश रावत : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश में कितने इस्पात सप्लाई केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) क्या सरकार बरेली अथवा हल्दवानी या मुरादाबाद में एक और इस्पात सप्लाई केन्द्र बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि उत्तर प्रदेश, रोहेलखण्ड, गढ़वाल तथा कुमाऊं डिविजनों की मांग को पूरा करने हेतु नियमित तथा निर्बाध रूप से सप्लाइ की जा सके;

(ग) यदि हां, तो यह केन्द्र सम्भवतः कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इन डिविजनों की मांग को पूरा करने हेतु नियमित एवम् उचित समय पर इस्पात की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक उपाय किए जा रहे है।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) उत्तर प्रदेश में सेल के चार स्टाक यार्ड हैं (कानपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद और आगरा में एक-

एक स्टाकयार्ड है)। इसको कर, जो सेल की एक सहायक कम्पनी है, एक स्टाकयार्ड गाजियाबाद में है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उत्तर प्रदेश के रुहेलखण्ड, गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रों की आवश्यकताएं गाजियाबाद और कानपुर स्थित स्टाकयार्डों से पूरी की जा रही हैं।

स्टेनोग्राफी कार्य में सुधार

1060. **श्री हरीश रावत** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक विशेषज्ञ ने स्टेनोग्राफी कार्य पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय को कुछ सुझाव दिए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्योरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित से सम्बन्धित थे;

1. आशुलिपि तथा टाइपिंग में विशिष्ट प्रशिक्षण।
2. आशुलिपि की पद्धतियों की शिक्षण प्रणालियों में सुधार।
3. व्यवसाय के लिए उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकें।
4. पाठ्य-विवरण और परीक्षा की योजना की संक्षिप्त रूप रेखाएं।
5. प्रशिक्षण अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करना, आदि।

ये सुझाव अधिकांश रूप से पालिटेकनिकस में सचिवीय पाठ्य क्रमों से अभिप्राय रखते थे। तथापि, आशुलिपि व्यवसाय के लिए पाठ्य-विवरण का अन्तिम रूप देते समय व्यवसाय समिति द्वारा इन सुझावों पर ध्यान दिया गया था।

भारतीय उपग्रह कार्यक्रम का पुनरीक्षण

1061 **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्सैट 1-ए० में हो रही कतिपय गड़बड़ियों के कारण भारत के उपग्रह कार्यक्रम को पुनरीक्षित किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपग्रहों के जरिए देश में संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारा देश अगले 2-3 वर्षों में दो और उपग्रह छोड़ने जा रहा है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्टोनिकी और पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) कक्षा संवर्धन के दौरान उपग्रह में रखे गए ईन्धन अधिक मात्रा में खर्च होने के कारण तथा सौर पट्टी के न खुलने के परिणामस्वरूप ईन्धन के अतिरिक्त मात्रा में खर्च होने के कारण इन्सैट-1 ए० उपग्रह के उपयोगी कक्षीय जीवन के लगभग 2.5 वर्ष रहने की सम्भावना है। इसके परिणामस्वरूप, इन्सैट-1 ए० के लिए स्थानापन्न अन्तरिक्ष यान को स्थापित करने से सम्बन्धित कार्यों का अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) मूल समय-अनुसूची के अनुसार द्वितीय इन्सैट-1 अन्तरिक्षयान (इन्सैट-1 बी०) को जुलाई, 1983 में छोड़ा जाना है। इन्सैट-1 बी० उपग्रह की संकल्पना कक्षा में एक अतिरिक्त सक्रिय उपग्रह के रूप में की गई थी। फिर भी, इन्सैट-1 ए० की कालावधि में कमी होने के कारण, अब इन्सैट-1 बी० उपग्रह द्वारा इन्सैट-1 उपग्रह के कार्यों के किए जाने की सम्भावना है तथा इन्सैट-1 बी० के प्रमोचन के बाद इन्सैट-1 ए० उपग्रह अतिरिक्त हो जाएगा। इन्सैट-1 ए० की कालावधि में कमी के सन्दर्भ में उठाए जाने वाले अन्य कदमों से संबंधित प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी नीति

1062. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजुरी नीति को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या सरकार का विचार इसे देश के सभी भागों में लागू करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसको क्रियान्वित किया जाएगा; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सरकार ने अभी तक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) सलाहकार बोर्ड की बैठक में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की अनुसूची के अन्तर्गत न आने वाले रोजगारों में श्रमिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित न्यूनतम मजदूरी की परिकल्पना का पूर्ण समर्थन किया गया था। इस परिकल्पना को ठोस रूप देने के प्रश्न पर अभी निर्णय लिया जाना है।

रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माण हेतु पिक्चर ट्यूबों आदि का आयात करने के लिए सुविधाएं

1063. **श्री मोहन लाल पटेल :**
श्री दिगम्बर सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माण एककों को पिक्चर ट्यूब और अन्य पुर्जों के आयात करने के बारे में क्या सुविधाएं दी गई हैं;

(ख) आयात किए जाने वाले कल-पुर्जों का अनुमानित मूल्य क्या है और ये किन-किन देशों से आयात किए जाएंगे और इस कार्य के लिए कितनी विदेशी मुद्रा अलग से रखी गई है; और

(ग) 'एशियाड' के लिए रंगीन टेलीविजन सेटों की अनुमानित मांग कितनी है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) केवल एशियाड की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सरकार ने श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूर दर्शन सेटों के सुस्थापित विनिर्माताओं को रंगीन दूरदर्शन सेटों का संयोजन करने के लिए संघटक-पुर्जों का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है। एशियाड की आवश्यकताओं के लिए नीति सम्बन्धी उपबन्धों का उल्लेख दूरदर्शन सेट के सभी विनिर्माताओं को भेजे गए गए पत्र में किया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-4245/82]

(ग) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, एशियाई खेलों के लिए रंगीन दूरदर्शन सेटों की मांग लगभग एक लाख होगी।

लघु उद्योग

1064. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1981-82 में राज्यवार भारत में कितने लघु उद्योग कार्यरत है;

(ख) लघु उद्योगों की औसत वृद्धि की दर क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसे जिलों की संख्या क्या है जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं; और

(घ) जिलों में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और उन्हें क्या सुविधाएं दी जा रही है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या इस प्रकार है :—

30 नवम्बर, 73 को 1,59,321

31 दिसम्बर, 81 को 5,22662

राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) 30 नवम्बर, 1973 से 31 दिसम्बर, 1981 की अवधि में अनेक एककों में औसतन वार्षिक वृद्धि लगभग 28 प्रतिशत थी।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा देश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए 247 जिलों का पता लगाया गया है। राज्यवार ब्योरा विवरण-2 में संग्लन है।

(घ) इन जिलों में लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन तथा सुविधाएं दी जा रही हैं :—

1. वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायती दर पर वित्त।

2. विशेष रूप से पिछड़े हुए 101 जिलों में अचल निवेश पर 75 प्रतिशत की पूंजीगत राज सहायता जिसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थापित एककों के लिए बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

3. कच्चे माल तथा हिस्से पुर्जों का आयात करने के लिए विशेष सुविधाएं।

4. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा उदारीकृत शर्तों पर किराया खरीद के आधार पर मशीनों का संभरण।

5. तकनीकी परामर्श सेवाओं पर राज सहायता।

6. आयकर के लिए कुल आय की गणना करते समय लाभ में से 20 प्रतिशत की छूट।

7. जिन वस्तुओं पर देश के अन्य भागों में प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, उनके उद्योगों की स्थापना करने में ढील देना।

8. व्यापक रूप से विस्तार सेवा तथा सहायता की उपलब्धता।

9. कच्चे माल की परिवहन लागत पर तथा कुछेक दूरदराज के व पहाड़ी क्षेत्रों आदि में 50 प्रतिशत की राज सहायता।

विवरण

पंजीकृत एककों की संख्या

क० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लघु उद्योग विकास संगठन एककों की संख्या-२ 30-11-7 को	31-12-1981 को
1.	आन्ध्र प्रदेश	8999	25047
2.	असम	1739	4152
3.	बिहार	6368	2506
4.	गुजरात	11599	31676
5.	हरियाणा	5361	23492
6.	हिमाचल प्रदेश	1729	6087
7.	जम्मू और कश्मीर	1232	7824
8.	कर्नाटक	7062	20174
9.	केरल	6930	19498
10.	मध्य प्रदेश	8727	39723
11.	महाराष्ट्र	17338	37250
12.	मणिपुर	518	3422
13.	मेघालय	179	393
14.	नागालैंड	49	366
15.	उड़ीसा	2163	9586
16.	पंजाब	14823	40735
17.	राजस्थान	8055	30359
18.	तमिलनाडु	18547	36666
19.	त्रिपुरा	275	1188
20.	उत्तर प्रदेश	13939	38853
21.	पश्चिम बंगाल	16904	104099x

1	2	3	4
22.	सिक्किम	—	36
23.	अण्डमान और निकोबार	--	137
24.	अरुणाचल प्रदेश	12	189
25.	चंडीगढ़	349	1090
26.	दादरा और नगर हवेली	36	132
27.	दिल्ली	5327	12107
28.	गोवा, दमन दिव	641	1666
29.	लक्षदीव, मिनिकाय और मिनिदिव द्वीप समूह	—	—
30.	मिजोरम	84	599
31.	पंडिचेरी	362	1150
	x31-3-81 को योग	159321	522662

विवरण

वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्त के लिए अर्ह बनने हेतु औद्योगिक रूप से पिछड़े चुने गए जिलों की सूची

राज्य का नाम	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	14	
		1. अनन्तपुर
		2. चित्तूर
		3. कुडप्पा
		4. करीम नगर
		5. खमाम
		6. कुरनूल

1	2	3
		7. महबूब नगर
		8. मेडक
		9. नालगोंडा
		10. नेलोर
		11. निजामाबाद
		12. अंगोले (प्रकाशम)
		13. श्री काकुलम
		14. वारंगल।
असम	7	
		1. कछार
		2. गोलापुर
		3. कामरूप
		4. मिकिरहिल्स
		5. नार्थ कछार हिल्स
		6. नोगांव
		7. लखीमपुर
बिहार	16	
		1. भागलपुर
		2. चम्पारन
		3. दरभंगा
		4. मुजफ्फरपुर
		5. पालामउ
		6. पूर्णिया
		7. सहरसा
		8. सन्थाल परगना

1	2	3
		9. सारन
		10. नालन्दा
		11. औरंगाबाद
		12. नवादा
		13. गया
		14. भोजपुर
		15. बेगूसराय
		16. मुंगेर
गुजरात	10	
		1. अमरोली
		2. बनासकंठा
		3. भावनगर
		4. भड़ोच
		5. जूनागढ़
		6. कच्छ
		7. मेहसाना
		8. पंचमहल
		9. साबरकंठा
		10. सुरेन्द्र नगर
हरियाणा	4	
		1. भिवानी
		2. हिसार xx
		3. जींद
		4. मोहिन्दरगढ़ xx

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	8	
		1. चम्बा
		2. कांगड़ा
		3. किन्नौर
		4. कुल्लू
		5. लाहौर और स्पिति
		6. सोलन
		7. सिरमूर
		8. ऊना
जम्मू और काश्मीर	10	
		1. अनन्तनाग
		2. बारामूला
		3. डोडा
		4. जम्मू
		5. कठुआ
		6. लद्दाख
		7. पुंछ
		8. राजौरी
		9. श्री नगर
		10. ऊधमपुर
केरल	5	
		1. एलेप्पी
		2. केनान्नोर
		3. मालापुरम
		4. त्रिचूर
		5. त्रिवेन्द्रम

1	2	3
कर्नाटक	11	
		1. बेलगांव
		2. बीदर
		3. बीजापुर
		4. कथाड़वार
		5. गुलबर्गा
		6. मैसूर
		7. हसन
		8. नार्थ कनारा
		9. रायचूर
		10. साउथ कनारा
		11. तुमकूर
मध्य प्रदेश	36	
		1. बालाघाट
		2. बस्तर
		3. बेतूल
		4. बिलासपुर
		5. भिण्ड
		6. भरतपुर
		7. छिन्दवाड़ा
		8. दमोह
		9. दतिया
		10. धार
		11. देवास
		12. गुना
		13. होसंगाबाद

1	2	3
		14. झबुआ
		15. खारमोन
		16. मंडला
		17. मन्दसौर
		18. मुरेबा
		19. नरसिंहपुर
		20. पन्ना
		21. रायगढ़
		22. रायपुर
		23. राजनन्दगांव
		24. राजगढ़
		25. रायसेन
		26. रतलाम
		27. रीवास
		28. शिवानी
		29. शाजापुर
		30. शिवपुरी
		31. सोधी
		32. सरगुजा
		33. टीकमगढ़
		34. विदिशा
		35. सीहोर
		36. सागर
महाराष्ट्र	13	
		1. औरंगाबाद
		2. भंडारा
		3. भीर

1	2	3
		4. बुलढाना
		5. चांदपुर
		6. कोलाबा
		7. धुलिया
		8. जलगांव
		9. नांदेड़
		10. उस्मानाबाद
		11. परभनी
		12. रत्नागिरी
		13. यवतमाल
मणिपुर	5	सभी पांचों जिले
मेघालय	3	गैरो हिल्स, यूनाइटेड खासी और जयन्तिया हिल्स।
नागालैंड	3	1. कोहिमा, 2. कचुंग, 3. त्येनसांग
उड़ीसा	8	1. बालासार
		2. बोलगिर
		3. ढेनकनाल
		4. कालाहांडी
		5. क्योंझर
		6. कोराण्ट
		7. मधूरगंज
		8. फूलबनी
पंजाब	5	1. भटिण्डाx
		2. फिरोजपुर

1	2	3
		3. गुरदासपुर
		4. होशियारपुर
		5. संगरूर
राजस्थान	16	
		1. अलवर
		2. बांसवाड़ा
		3. बाड़मेर
		4. भीलवाड़ा
		5. चुरू
		6. डूंगरपुर
		7. जैसलमेर
		8. जालोर
		9. झुनझुन
		10. झालावाड़
		11. जोधपुर
		12. नागोर
		13. सीकर
		14. सिरोही
		15. टोंक
		16. उदयपुर
सिक्किम		
		1. गंगटोक
		2. मांगन
		3. ग्यालसिंह
		4. नामची

1	2	3
तमिलनाडु	9	
		1. धरनपुर
		2. कन्याकुमारी
		3. मदुरे
		4. नार्थ आरकोट
		5. रामानाथपुरम
		6. साउथ आरकोट
		7. तंजोर
		8. तिरुचिरापल्ली
		9. पुडुकोट्टाई
त्रिपुरा	3	
		सभी तीनों जिले
उत्तर प्रदेश	38	
		1. अल्मोड़ा
		2. आजमगढ़
		3. बदायू
		4. बहराइच
		5. बलिया
		6. बांदा
		7. बाराबंकी
		8. बस्ती
		9. बुलन्दशहरx
		10. चमोली
		11. देवरिया
		12. एटा
		13. इटावा

1	2	3
		14. फैजाबाद
		15. फरुखाबाद
		16. फतेहपुर
		17. गढ़वाल
		18. गाजीपुर
		19. गोंडा और
		20. उत्तर काशी
		21. हमीरपुर
		22 हरदोई
		23. जालौन
		24. जौनपुर
		25. झांसी
		26. मैनपुरी
		27. मथुरा
		28. मुरादाबाद
		29. पीलीभीत
		30. पिथारागढ़
		31. प्रतापगढ़
		32. रायबरेली
		33. रामपुर
		34. शाहजहांपुर
		35. सीतापुर
		36. सुलतानपुर
		37. टिहरी गढ़वाल
		38. उन्नाव
		गाजियाबाद जिले की दादरी तहसील

1	2	3
पश्चिम बंगाल	13	
		1. बांकुरा
		2. बीरभूम
		3. बर्दवान
		4. कूंच बिहार
		5. दार्जिलिंग
		6. हुगली
		7. जलपाइगुड़ी
		8. मालदा
		9. मिदनापुर
		10. मुर्शिदाबाद
		11. नाडिया
		12. पुरुलिया
		13. पश्चिम दीनाजपुर
अण्डमान और निकोबार	1	समस्त क्षेत्र
अरुणाचल प्रदेश	1	समस्त क्षेत्र
दादरा और नगर हवेली	1	समस्त क्षेत्र
गोवा, दमन और दिव	1	समस्त क्षेत्र
लक्षदीप	1	समस्त क्षेत्र
मिजोरम	1	समस्त क्षेत्र
पांडिचेरी	1	समस्त क्षेत्र

xजिला जैसी कि उसकी स्थिति हाल ही में किए गए पुनर्गठन के पूर्ण विद्यमान थी।

xxजिला जैसा कि हाल ही में पुनर्गठित किया गया है।

दिल्ली में दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि

1065. श्री दिगम्बर सिंह :
श्री माधव राव सिंधिया :
श्री मूलचन्द डागा :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री जगपाल सिंह :
प्रो० पी० जे० कुरियन :
श्री इशफाक हुसैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कुछ समय से दहेज के कारण होने वाली मौतों की संख्या मे वृद्धि हुई है, यदि हां, तो गत छः महीनों में हुए ऐसे मामलों की संख्या क्या क्या है और इस मामले मे क्या कार्यवाही की गई गई है;

(ख) क्या कुछ मामलों में पुलिस अभागी लड़कियां जो दहेज का शिकार होती है, सास-ससुर सांठ-गांठ करके कार्यवाही करती हैं; और

(ग) इस स्थिति को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों और पिछले दो वर्षों की इसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों से, जैसा नीचे दिया गया है, यह प्रकट होता है कि दिल्ली पुलिस को सूचित दहेज के कारण हुई मौत के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है :

अवधि	दहेज के कारण मौतों की संख्या
1-1-1982 से 3-6-82 तक	19
1-1-1982 से 30-6-81 तक	11
1-1-1980 से 30-6-80 तक	9

1982 के सभी मामलों की जांच-पड़ताल का कार्य हाथ में है।

(ख) और (ग) इस बात से इंकार किया जाता है कि पुलिस अभियुक्त से सांठ-गांठ करके कार्रवाई करती है। इस सम्बन्ध में शिकायतें उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उच्च पुलिस प्राधिकारियों अथवा दिल्ली प्रशासन के ध्यान में लाई जा सकती हैं।

जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा राज्य सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं से अलग करना

1066. **श्री के० लकप्पा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं से अलग करने का निर्णय किया है; और

(ख) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इन्सैट-1 ए० काम करने लगना

1067. **श्री के० लकप्पा** :
श्री पी० राजगोपाल नायडू :
श्री एस० एम० कृष्ण : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्सैट-1 ए० के सोलर सेल ने अभी भी काम करना बन्द किया हुआ है और इसके परिणामस्वरूप उपग्रह की संभावित जीवनावधि काफी कम हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्सैट उपग्रह पूरी तरह से काम करने लगेगा और जैसा कि आशा है इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन से सम्बन्धित संचार और मौसम भविष्य वाणी आदि मामले में किया जाएगा ; और

(ग) इन्सैट 1 ए० का काम कब से आरम्भ हो जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपग्रह प्रचालन में है तथा संचार, रेडियो/दूरदर्शन, मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणी के लिए इसका उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के विरुद्ध शिकायतें

1068. **श्री के० लकप्पा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को संसद सदस्य सहित अनेक व्यक्तियों से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ शिकायतों में उसके विरुद्ध विशिष्ट अभियोग लगाए गए हैं तथा उनमें संस्थानों और स्थानों के नाम दिए हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और ये अभियोग क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ऐसे गम्भीर अभियोगों की जांच करेगी और इस कदाचरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भी सजा देगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये आरोप स्टाफ कार के दुरुपयोग, कुछ प्रतिष्ठानों को अधिनियम की परिधि से बाहर निकालना, दाण्डिक हर्जानों में कमी, ठेकेदारों के प्रतिष्ठानों को अलग-अलग कोड नम्बरों का आबंटन आदि से सम्बन्धित है।

(घ) शिकायतों की जांच पड़ताल की जा रही है।

कर्नाटक में इस्पात मिलों की स्थापना

1069. **श्री के० लकप्पा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात की कितनी मिलें कार्यरत हैं और नाम क्या हैं;

(ख) क्या इस्पात मिलें स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी उपक्रमों से सरकार के पास कुछ और आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका पूरा ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) कर्नाटक में लाइसेंस-प्राप्त 9 लघु इस्पात कारखाने काम कर रहे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :

1. मैसर्स आन्ध्र स्टील कारपोरेशन, बंगलौर
2. मैसर्स भोरुका स्टील लिमिटेड, बंगलौर
3. मैसर्स बृन्दावन एलायस लिमिटेड, बंगलौर
4. मैसर्स केनरा स्टील लिमिटेड, मंगलौर
5. मैसर्स केनरा वर्कशाप लिमिटेड, मंगलौर
6. मैसर्स केप स्टील लिमिटेड, बंगलौर

7. मैसर्स नव कर्नाटक स्टील्स लिमिटेड, बंगलौर

8. मैसर्स सरोज एलायस एण्ड स्टील लिमिटेड, हास्पेट

9. मैसर्स शिमोगा स्टील लिमिटेड, बंगलौर

(ख) और (ग) कर्नाटक में नया लघु इस्पात कारखाना लगाने के लिए गैर सरकारी पार्टियों का कोई आवेदन पत्र सरकार के पास अनिर्णीत नहीं पड़ा हुआ है ।

आसूचना विभाग के कार्मिकों का स्थानान्तरण

1070. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसूचना विभाग के 170 से अधिक व्यक्तियों का स्थानान्तरण देश के विभिन्न भागों में हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या आसूचना ब्यूरो कर्मचारियों ने इस बीच एक एसोसिएशन बना ली है ;

(घ) क्या इस एसोसिएशन को मान्यता मिल गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) आसूचना ब्यूरो की सेवा में पूरे भारत में स्थानांतरण किया जा सकता है । आसूचना ब्यूरो में स्थानांतरण लोक हित में प्रशासनिक तथा कार्यचालन दृष्टि से किया जाता है । सहानुभूति के कारणों पर भी उचित ध्यान दिया जाता है ।

(ग), (घ) और (ङ) आसूचना ब्यूरो के कुछ कर्मचारियों ने तथाकथित "आसूचना ब्यूरो कर्मचारी एसोसिएशन" बना ली है । इस एसोसिएशन को मान्यता नहीं दी गई है और यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है । दूसरी ओर, सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए मुख्यालय तथा क्षेत्रीय यूनिटों दोनों में स्टाफ कांउसिलों का गठन किया है ।

रोजगार कार्यालयों को पुनः सक्रिय बनाना

1071. **श्री के० टी० कोसल राम** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रोजगार कार्यालयों को पुनः सक्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का का विचार है; और

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी क्षेत्र के एककों में रोजगार के अवसर रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रदान करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) इस समय रोजगार कार्यालय अपनी अपनी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण के अधीन हैं। भारत सरकार केवल रोजगार कार्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली नीति तथा प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण की जांच करने तथा इस सम्बन्ध में उपयुक्त उपचारी सुझाव देने के लिए स्थापित की गई मंध्यू समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित हेतु पहले ही राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

(ख) रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के उपबन्धों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सरकारी क्षेत्र में सभी नियोजकों द्वारा अपनी रिक्तियों को स्थानीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित कराना अपेक्षित है। तथापि, रिक्तियों की भर्ती कार्यकारी अनुदेशों द्वारा शासित की जाती। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने ऐसे पदों की रिक्तियों को जिनका अधिकतम वेतनमान 800 रुपये है, रोजगार कार्यालयों से भरना अपेक्षित है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को केवल सब-स्टाफ की रिक्तियां रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरनी होती हैं।

आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही

107?. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भी राज्य या संघ शासित प्रदेश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत आर्थिक अपराधियों जैसे जमाखोरों, काला बाजारियों, भविष्य निधि जमा न करने वालों, अस्पृश्यता, मिलावट करने वालों, तस्करी करने वालों, अविश्वस्त लोगों आदि के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी कार्यवाही शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी नहीं श्रीमान। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत की गई कार्रवाईयों का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ का नाम	निम्नलिखित वर्षों में द० प्र० सं० की धारा 101 के अन्तर्गत की गई कार्रवाईयां		
		1979	1980	1981
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	1	6	2
2.	मणिपुर	2	7	शून्य
3.	उड़ीसा	21	17	उपलब्ध नहीं
4.	पंजाब	87	113	86
5.	राजस्थान	1	9	5
6.	उत्तर प्रदेश	388	372	182
	संघ शासित क्षेत्र			
	गोवा, दमण और दीव	शून्य	शून्य	1

श्रमिक बिलों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा किया गया आह्वान

1074. श्री अजय बिश्वास : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा संसद के मानसून सत्र के प्रथम दिन को श्रमिक विरोधी काले विधेयक मनाने के आह्वान की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या सरकार ने इस संशोधित विधेयकों को लाने से पूर्व ट्रेड यूनियनों के साथ विचार-विमर्श किया था ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) ट्रेड यूनियनों सहित सभी सम्बन्धित पक्षकारों के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गई।

मोपेड और स्कूटरों के लिए चीन के साथ सहयोग

1075. श्री एम० राम गोपालन रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारतीय तकनीकी, विशेष रूप से देश में सस्ते मोपेड और स्कूटरों के सम्बन्ध में अपनी गहरी रुचि प्रदर्शित की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दोनों देशों की तकनीकी का आदान-प्रदान और आम पारस्परिक लाभ के बारे में सहयोग के लिए किन्हीं संयुक्त प्रस्तावों पर सहमत हुए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) यह बताया जाता है कि भारत चीन वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के तीन सदस्यीय शिष्ट मण्डल ने मई-जून, 1982 में चीन की यात्रा की थी और दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और संयुक्त सहयोग के विस्तार सम्बन्धी चीन की अन्तरराष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद के साथ विचार विमर्श किया। अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय पक्ष ने चीनी पक्ष के सामने भारतीय पूंजी और जानकारी से मोपेडों और स्कूटरों के निर्माण हेतु चीन में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की सम्भावना का प्रस्ताव रखा। यह बताया जाता है कि चीनी पक्ष प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।

(ख) जी, नहीं। भारी उद्योग मन्त्रालय को मण्डल से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है।

दिल्ली में धार्मिक स्थानों पर देवद्रोहिता

1076. **श्री एम० रामगोपलन रेड्डी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में दिल्ली में धार्मिक स्थानों पर देव द्रोहिता के कितने मामले सामने आए हैं;

(ख) इनके पीछे मन्शा क्या था; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) पिछले तीन महीनों में दिल्ली पुलिस को इस प्रकार के ९ मामले सूचित किए गए थे।

(ख) इसके पीछे विभिन्न समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करने की मन्शा प्रतीत होती है।

(ग) धार्मिक पूजा स्थानों के नजदीक सादे वस्त्रों में और वर्दी में पुलिस तैनात की गई है।

सागर का उपयोग

1077. **श्री एम० राम गोपालन रेड्डी :**
श्रीमती संयोगिता राणे :
श्री नवीन रवाणी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या बिजली उत्पादन, मछली पकड़ने में सुधार करने, लाइमोनाइट जैसे खनिज

पदार्थों के खनन तथा समुद्री खपतवार के उपयोग के लिए 3,000 कि० मी० लम्बे तटीय समुद्र के उपयोग के लिए सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्टोनिकी और पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण किये जा रहे है और महासागर विकास की विस्तृत रूप रेखा तैयार की जा रही है ।

भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के सहवर्ग की पुनरीक्षा

1078. **श्री एम० राम गोपालन रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के भावी विकास को ध्यान में रखते हुए उनके संवर्ग की पुनरीक्षा करने का काम हाथ में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आई० पी० एस० अधिकारियों को सचिवालीय पदों पर नियुक्त करने पर विचार किया जायेगा;

(ग) इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम 1954 के नियम 4 (2) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से त्रैमासिक संवर्ग समीक्षा करती है, ताकि सम्बन्धित संवर्गों की संख्या और गठन में अपेक्षित परिवर्तन किए जा सकें। तथापि, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य संवर्ग प्राधिकारियों को सुझाव दिया है कि वे मध्य-अवधि समीक्षा के जरिये उच्च पदों को संवर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव भेजे ।

(ख) और (ग) भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को भी भारत सरकार में उपर्युक्त सचिवालीय पदों पर तैनात किया जाता है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह भी सुझाव दिया है कि वे भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को राज्य के सचिवालीय पदों पर भी तैनात करें ।

भारत में 'रीजनल रिसर्च लेबारेटरी ऑन रबर यूटिलाइजेशन की स्थापना

1079. **श्री मोहम्मद असरार** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० पी० एस० भकूनी और अब अमरीका में बसे हुए एक भारतीय वैज्ञानिक को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा उसे भारत में 'रीजनल

रिसर्च लेबोरेटरी ऑन रबर यूटिलाइजेशन' की स्थापना करने के सम्बन्ध में सलाह लेने के लिए आमन्त्रित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो डा० भकूनी की सिफारिशें क्या है और इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) उक्त लेबोरेटरी कब स्थापित की जाएगी और उस पर प्रारम्भ में कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) डा० भकूनी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार यह लेबोरेटरी कहां स्थापित की जाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद ने 1975-76 के दौरान डा० आर० एस० भकूनी को प्रस्तावित आटोमोबाईल टायर रिसर्च डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर (टी० आर० डी० एण्ड डी० सी) का प्रबन्ध निवेश प्रतिवेदन तैयार करने के लिए अल्पकालीन समनुदेशन के लिए आमन्त्रित किया गया था, उन्होंने अपना प्रतिवेदन जून, 1976 में प्रस्तुत किया।

(ख) से (ग) प्रतिवेदन की जांच की गई और विभिन्न विभागों और संगठनों को उनकी टिप्पणी के लिए भी भेजा गया था, प्राप्त टिप्पणियों की विस्तृत रूप से जांच की गई और जनवरी, 1978 में यह प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालय में भेजा गया, उद्योगों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित और सरकार से अंशीय सहायता प्राप्त बहुत सी औद्योगिक अनुसंधान एसोसिएशन अब उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिकों को परेशान किए जाने से सम्बन्धित शिकायतें

1080. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी० ए० आर० सी०) के कर्मचारियों के ट्राम्बे नामक प्रकाशन की ओर दिया गया जिसमें वैज्ञानिकों को परेशान करने की शिकायत की गई है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अनेक वैज्ञानिकों ने बार्क से त्यागपत्र दे दिया है; और

(ग) त्याग पत्र देने वालों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां। भाभा एटामिक रिसर्च सेन्टर आफीसर्स एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित "BARCOA" नामक बुलेटिन के अप्रैल, 198? अंक में "भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों में निराशा के कारण" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ है।

(ख) जी नहीं। 1979, 1980 तथा 1981 के वर्षों में क्रमशः 69,82 तथा 98 वैज्ञानिक अधिकारियों/ अभियन्ताओं ने त्याग पत्र दिए, जबकि इन वर्षों में वैज्ञानिक अधिकारियों/ अभियन्ताओं की कुल संख्या क्रमशः 3309, 3424 तथा 3512 थी। तीन वर्षों में त्याग पत्रों की प्रतिशतता क्रमशः 2.1 प्रतिशत 2.4 प्रतिशत तथा 2.8 प्रतिशत रही है। सरकारी कार्यालयों से भिन्न क्षेत्रों में रोजगार के बढ़े हुए अवसरों को ध्यान में रखते हुए यह संख्या अधिक नहीं समझी जाती।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4246/82]

कागज के कन्ट्रोल में ढील

1081. श्रीमती किशो सिन्हा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग ने सरकार से आग्रह किया है कि कागज पर लगे नियन्त्रण में ढील दी जाये ताकि वह मांग को पूरा कर सके; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) कागज उद्योग से सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि छपायी के सफेद कागज का 4200 रुपये प्रति मी० टन के कानूनी मूल्य पर उत्पादन करने में वित्तीय कठिनाई पैदा हो रही है।

(ख) आदेश के अधीन आने वाले बड़े एकीकृत लुग्दी तथा कागज मिलों के सन्दर्भ में कागज और कागज के गत्ते (पेपर बोर्ड) के कुल उत्पादन के केवल 30 प्रतिशत पर ही यह मूल्य नियन्त्रण लागू होता है। प्राप्त अभ्यावेदनों की बराबर जांच की जा रही है।

बड़ौदा भारी जल संयंत्र का बंद किया जाना

1082. श्री बी० वी० देसाई :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 18 मई, 1982 में प्रकाशित इस समाचार

का सत्यापन कर लिया है कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यवस्थित ढंग से बिफल करने के प्रयास किए जा रहे हैं,

(ख) यदि हां तो क्या बड़ौदा स्थित भारी जल संयन्त्र को बन्द किया जाना संशय पैदा करने वाली इस प्रकार की नवीनतम घटना है,

(ग) क्या बड़ौदा भारी जल संयन्त्र को लगभग 2 मास तक बन्द किए जाने के कारण मद्रास परमाणु ऊर्जा विद्युत सयन्त्र के पहले रिएक्टर को चलाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की योजनाओं को भारी धक्का लगेगा,

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है, और

(ड.) बड़ौदा भारी जल संयन्त्र द्वारा कब तक कार्य पुनः आरम्भ किया जाना है और सरकार द्वारा इस बात को देखने के लिए क्या सुरक्षात्मक कदम उठाये गए हैं कि विदेशी तत्वों द्वारा हमारे ऊर्जा सयन्त्रों में तोड़ फोड़ न की जा सके ?

विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सरकार को समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की जानकारी है लेकिन सरकार समाचार में व्यक्त इस मत से सहमत नहीं है कि भारत के परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योजना बद्ध तरीके से ठप्प करने की कोशिश की जा रही है ।

(ख) जी, नहीं । भारी पानी संयन्त्र, बड़ौदा लगातार बनी रही श्रमिक अशान्ति के कारण बन्द रहा था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

(ड.) बड़ौदा स्थित भारी पानी संयन्त्र, जिसमें जुलाई, 1982 के अन्त तक फिर से उत्पादन आरम्भ होने की आशा है, में सामान्य रख रखाव का काम शुरू कर दिया गया है— सभी महत्वपूर्ण संस्थापनों और संयन्त्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था विद्यमान है ।

छोटे इस्पात संयन्त्रों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कदम

1083. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे इस्पात संयन्त्र इस समय, उसके आदानों की लागत में वृद्धि होने, क्षमता का कम उपयोग, उनके उत्पादों के लिए मन्द मांग के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं ।

(ख) यदि हां, तो क्या इसके अतिरिक्त बिजली और कोयला की कमी से भी इन इस्पात संयन्त्रों की समस्याएं बढ़ी हैं;

(ग) क्या छोटे इस्पात संयन्त्रों ने अपनी उत्पादन क्षमता में की की है';

(घ) इन छोटे संयन्त्रों को उत्पादन बढ़ाने और उनकी क्षमता कमी पूरे उपयोग के लिए सहायता देने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ङ.) किन-किन छोटे इस्पात संयन्त्रों की समयस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) सरकार को कब तक इन समस्याओं के हल हो जाने की आशा है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (च) इस्पात उद्योग तथा अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के कच्चे माल के मूल्यों में सामान्य रूप से वृद्धि हुई है। बिजली की कमी के कारण लघु इस्पात कारखानों के उत्पादन पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा है। लेकिन कोयले की कमी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि कुछ राज्यों की इकाइयों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध न होने के कारण उनके उत्पादन में गिरावट आई है तथापि जैसा कि नीचे बताया गया है, गत दो वर्षों में देश के लघु इस्पात कारखानों के कुल उत्पादन में समग्र रूप से वृद्धि हुई है :—

1980-81	19,53,656
1981-82	20,31,907
अप्रैल-मई, 1981 (कच्चे आंकड़े)	3,45,230

सरकार ने लघु इस्पात कारखानों में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख कच्चे माल अर्थात् फेरस मेल्टिंग स्क्रेप तथा स्पंज लोहे के आयात मे उदार नीति अपनाई है ताकि लघु इस्पात कारखाने अपना उत्पादन बढ़ा सकें। इसके अलावा इन कारखानों को अपने उत्पादन मे विधिवता लाकर सभी प्रकार के कार्बन तथा मिश्र इस्पात का उत्पादन करने और अपनी बेलन मिलें लगाने की भी अनुमति दे दी गई है।

इण्डियन एल्युमिनियम कम्पनी की हीराकुण्ड यूनिट का बन्द होना

1084. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी की हीराकुण्ड यूनिट के जून, 1982 के आरम्भ से अस्थाई रूप से बन्द हो जाने की जानकारी है जिसके कारण लगभग 350 श्रमिक जबरन बेरोजगार हो गए हैं, और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत एल्यूमिनियम की भारी क्षति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं जबकि अधिक उत्पादन और उत्पादकता के लिए नारा दिया गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिंहा): (क) और (ख) इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी लि० का हीरा कुण्ड स्थित एल्यूमिनियम कारखाना बिजली की कमी के कारण, 1 जून, 1982 को बन्द हो गया था । कम्पनी के अनुसार 300 श्रमिकों की जबरी छुट्टी की गई, इस संख्या में 1 अप्रैल, 1982 को छुट्टी पर भेजे गए 80 श्रमिक भी शामिल थे । जबरी छुट्टी बारी-बारी से की गई ताकि श्रमिकों को कम कठिनाइयां हों ।

भारत सरकार ने राज्य सरकार से इस कारखाने को यथाशीघ्र बिजली की पूर्ति शुरू करने का अनुरोध किया है । बिजली पूर्ति शुरू होने की आशा में कम्पनी ने 21, जून, 1982 से जबरी छुट्टी की कार्रवाई पूरी तरह वापस ले ली हैं ।

देहरादून (उ० प्र०) में बन्धुआ मजदूर पुनर्वास कार्यालय

1085. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्धुआ मजदूर पुनर्वास कार्यालय (देहरादून) और जनजाति कल्याण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी·,

(ख) उसके बाद से प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि खर्च हुई है ।

(ग) बन्धुआ मजदूर और जनजाति कल्याण के पुनर्वास तथा स्थापना पर कितनी धन राशि खर्च हुई है·,

(घ) देहरादून उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल, इन तीन जिलों के आठ विकास खण्डों में कितने बन्धुआ मजदूर हैं, जहां कि पुनर्वास कार्यालय खोला गया था और योजना चलाई गई थी तथा वर्ष 1981 के अन्त तक कितने बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया है·, और

(ङ) प्रत्येक बन्धुआ मजदूर को उसके पुनर्वास के लिए कैसी सहायता और कितनी धन राशि दी गई ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

स्वतन्त्र सेनानियों की लड़कियों और बहिनों के लिए विवाह अनुदान

1086. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 जनवरी से 15 जुलाई, 1982 तक स्वतन्त्रता सेनानियों की लड़कियों और आश्रित बहिनों के विवाह के लिए कितनी धनराशि विवाह अनुदान के रूप में दी है ;

(ख) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसे अनुदान दिए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन) : (क) (ग) से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विदेशी मिशनों के लिए सुरक्षा प्रबन्ध

1087. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 1982 को इण्डियन एक्सप्रेस में "सीक्यूरिटी फार फारेन मिशन इनएडीक्वेट" से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शुक्रवार दिनांक 4 जून, 1982 को अपने निवास पर गोली से मारे जाने से पूर्व कुवैत के प्रथम सचिव मुस्तफा अल मार्जूक पर इससे पहले भी प्राण घातक हमला किया गया था ;

(ग) क्या प्रथम सचिव ने 1 मई को उस समय दिल्ली पुलिस में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी जब एक सशस्त्र व्यक्ति ने उनके मकान में घुसने की चेष्टा की थी ;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ; और

(ङ) राजधानी में स्थित विदेशी मिशन/राज दूतावास की सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था का ब्योरा क्या है तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि 4 जून जैसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो । क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) से (घ) तक 9-5-82 को कुवैत दूतावास में प्रथम सचिव, श्री मुस्तफा अल मरज़ूक ने अपने निवास में एक घुसपैठिये की उपस्थिति के विषय में पुलिस नियन्त्रण कक्ष को सूचित किया था । यह सूचना प्राप्त होने पर मालवीय नगर पुलिस स्टेशन से एक उप-निरीक्षक उनके निवास स्थान पर पहुंचा । उस मकान के एक खानसामा ने उसे बताया कि लगभग 9 बजे प्रातः

जब वह रसोई में था, उसने एक युवक को जो विदेशी दिखता था, हाथ में पिस्तौल लिए हुए घर के पिछले दरवाजे पर देखा था। घुसपैठिया दरवाजा खुलवाना चाहता था। लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया।

पुलिस स्टेशन होज खास में 9-:-82 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 451/506 के तहत एक मामला दर्ज किया गया। क्षेत्र में खोज बीन की गई लेकिन अथक प्रयत्न के बावजूद घुसपैठिया का पता नहीं लगाया जा सका।

(घ) वाहन और पैदल गश्त को गहन किया गया है और विदेशी मिशनों और राजनियकों की आबादी वाले क्षेत्रों में सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियों को तैनात किया गया है। जिन विदेशी मिशनों/राजनियकों के निवास स्थानों को किसी खतरे की सम्भावना है, वहां पर पुलिस गार्ड तैनात कर दिए गए हैं।

वेल्लूर न्यूज प्रिण्ट फैक्टरी के सामने कठिनाइयां

1088. **श्री स्कारिया थोमस** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की सप्लाई में गड़बड़ी होने के कारण वेल्लूर, कोट्टायम में न्यूजप्रिंट फैक्टरी किसी कठिनाई का सामना कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो फैक्टरी को कच्चे माल की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कागज के उत्पादन और मांग के बीच का अन्तर

1089. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागज के उत्पादन और मांग के बीच कितना अन्तर है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) वर्तमान कागज और कागज बोर्ड का देशी उत्पादन उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। छठी पचवर्षीय योजना के दौरान देशीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता कार्यान्वित हो जाने की संभावना है।

अनेक श्रमिक संघों द्वारा श्रमिक विधेयकों का विरोध

1060. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि उनके द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद श्रमिक संघों से परामर्श लिए बिना ही सी० आई० टी० यू०, ए० आई० टी० यू० सी०, एच० एम० एस०, बी० एम० एस० यू० टी० यू० सी० और टी० यू० सी० सी० ने श्रम मन्त्रालय के सचिव को एक संयुक्त पत्र लिखकर संसद के गत सत्र में रखे गए 4 श्रमिक विधेयकों का विरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो उन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां ।

(ख) ये संशोधन प्रस्ताव सरकार के उन विचार-विमर्शों के नतीजे हैं, जो वह फरवरी, 1980 से ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ करती रही थी और यदि वे संशोधन करीब-करीब कानून के केवल उन पहलुओं से सम्बन्धित हैं, जिनके बारे में सम्बन्धित पक्षकारों के विचारों में लगभग सर्वसम्मति थी ।

हलवारा स्थित भारतीय वायु सेना अड्डे के निकट अमरीकी जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ की गतिविधियां

1091. **श्री सुनील मैत्रा :**
श्री सुभाष यादव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हलवारा स्थित भारतीय वायु सेना अड्डे के निकट एक अमरीकी जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, जिसकी गतिविधियां, 1974 में गृह मन्त्रालय द्वारा बन्द कर दी गई थीं, अनेक सरकारी एजेन्सियों की सहायता से अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं और उसने उच्च स्तर की बैठकों में भी भाग लिया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, एक अमरीकी वैज्ञानिक जिला लुधियाना (पंजाब) में नारंगवाल के आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य सम्बन्धी एक अनुसंधान परियोजना पर कार्य कर रहे वैज्ञानिकों के दल का नेतृत्व कर रहा था । परियोजना 1974 में बन्द कर दी गई थी । उसके बाद अमरीकी वैज्ञानिक भारत आया है । उसने वैज्ञानिक बैठकों में भाग लिया और वैज्ञानिकों और सरकारी अधिकारियों से मिला ।

1979 और 1980 के दौरान निपटाए गए हड़ताल और तालाबन्दी के मामले

1092. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 और 1980 में अलग-अलग, राज्य वार हड़ताल और तालाबन्दी के कुल कितने प्रतिशत मामले राज्य सरकारों के हस्तक्षेप से समझौते द्वारा निपटाए गए ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : अपेक्षित सूचना सम्बन्धी प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

बन्धुआ मजदूरों का पता लगाना

1093. **श्री सुनील मैत्रा :**

श्री आनन्द पाठक : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कितने बन्धुआ मजदूरों का पता लगा है, और

(ख) विभिन्न राज्यों में और बन्धुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : राज्य सरकारों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार विभिन्न राज्यों में पता लगाए गए बन्धुआ श्रमिकों की कुल संख्या 31-3-1982 की स्थिति के अनुसार 1,39,494 है ।

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे निम्नलिखित के माध्यम से बन्धुआ श्रमिकों के अस्तित्व का पता लगाने के लिए तत्काल कार्यवाही करें ।

1. उपलब्ध अभिकरणों की सहायता से राजस्व विभाग द्वारा घरेलू सर्वेक्षणों के माध्यम से,

2. आवास-स्थलों/मकानों के आबंटन के लिए लक्ष्य वर्गों का पता लगाने हेतु किये जा रहे सर्वेक्षण/जनगणना के माध्यम से,

3. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण योजनाओं को तैयार करने के लिए सर्वेक्षणों के समाकलन द्वारा तथा ।

4. पत्थर को खानों और भट्टों के बारे में किए गए गहन अध्ययनों और सर्वेक्षणों द्वारा ।

सहकारी क्षेत्रों में नए कारखानों को इस्पात का नियतन करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं

1094. **श्री शिव कुमार** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे नये कारखानों के निर्माण के लिए इस्पात का नियतन करने हेतु क्या नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : सहकारी क्षेत्र की नई फैक्ट्रियों को इस्पात की अपनी मांग उत्पादकों के स्टाक यार्डों के पास दर्ज करवानी होती है। लघु क्षेत्र की सहकारी इकाइयों को अपनी मांग राज्य लघु उद्योग निगमों के पास दर्ज करवानी होती है।

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित किया जाना

1095. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : खंडवा जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित नहीं किया गया है। पिछड़े जिलों क्षेत्रों की सूची में परिवर्तन करना, यदि कोई हुआ तो, सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में बनाई गई राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी औद्योगिक छितराव सम्बन्धी रिपोर्ट जो सरकार के विचाराधीन है, पर सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा।

उड़ीसा में धायत्री स्थान पर दूसरे इस्पात संयन्त्र की स्थापना करना

1096. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में धायत्री स्थान पर दूसरे इस्पात सयन्त्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस्पात संयन्त्र की स्थापना का कार्य करने का प्रभार ग्रहण करने वाली कम्पनी के कार्य सम्बन्धी शर्तें क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) उड़ीसा में नया इस्पात कारखाना हैतारी के स्थान पर लगाया जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को सौंपा गया है और मेकान परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगी कारखाने के लिए स्थल का चयन कर लिया गया था और भूमि अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गयी थी। मिटटी की जांच करने और आवश्यक कच्ची सामग्री के स्रोत निश्चित करने के कार्य में भी प्रगति हुई है। शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

पांचवीं योजना के अंत तक ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या

1097. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों की अनुमानित संख्या कितनी थी ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा चुके हैं और क्या कदम उठाये जाने का विचार है : और

(ग) उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किये गये अथवा शुरू किये जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी०चव्हाण): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 32 वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1977-78 में 5 + आयु-वर्ग में ग्रामीण बेरोजगारी (सामान्य स्थिति) अनुमानित 66.40 लाख थी ।

(ख) और (ग) कृषि, सिंचाई, ग्राम और लघु उद्योग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत छठी योजना में शामिल विभिन्न स्कीमों से ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के कम होने की आशा है । विशेष रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की आशा है । ये कार्यक्रम सभी राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं ।

छतरपुर, उड़ीसा में सिलीकन-एल्युमिनियम मिश्र धातु संयंत्र

1098. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छतरपुर जिला गंजम, उड़ीसा में सिलीकन-एल्युमिनियम मिश्र धातु संयंत्र के निर्माण के मूल्यांकन करने का कार्य संयुक्त राज्य औद्योगिक विकास निगम की ओर से सोवियत विशेषज्ञ दल ने ले लिया है :

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन कार्य संभवतः कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) इस सम्बध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)। (क) से (ग) संयुक्त राज्य औद्योगिक विकास संगठन द्वारा छतरपुर, उड़ीसा में इंडियन रेअर अर्थ लि० द्वारा उत्पादित सिलिमिनाइट सान्द्र पर आधारित एक सिलिकन-एल्युमिनियम मिश्र धातु

संयंत्र के लिए एक साध्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु सोवियत विशेषज्ञ दल नियुक्त किया गया है। साध्यता रिपोर्ट अक्तूबर, 1982 तक प्रस्तुत कर दिये जाने की आशा है।

बैंकों के लिये संरक्षा बल

1099. श्री भीकूराम जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश बैंक शाखाओं के परिसरों में संरक्षा बल तैनात नहीं हैं और बड़े शहरों में दिन दहाड़े भी डकैती पड़ना एक आम बात हो गई है, :

(ख) क्या बैंकों पर हुए अपराधों के स्वरूपों, उनकी आकृति और मारी गई डकैतियों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) इस परेशान करने वाले रवैये को रोकने, प्रभावशाली सुरक्षा प्रणाली नियुक्त करने तथा कानून और व्यवस्था प्रशासन को सख्त बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बहुत सी बैंक शाखाओं के परिसरों में सुरक्षा बल तैनात नहीं है। लूट पाट और डकैतियों, जिनमें बैंक भी अन्तग्रस्त है, में वृद्धि हुई हैं।

(ख) और (ग) बैंक सुरक्षा बल के सृजन के संबंध में अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए एक समिति स्थापित कि गई है। समिति ने बैंकों की लूट पाट की घटना और उनकी जांच के परिणाम के सबंध में सामग्री एकत्र की है। वित्त मंत्रालय ने सुरक्षा के संबध में बैंकों को समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं तथा पुलिस सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करने के लिए बैंक प्राधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

प्लाईवुड के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के परिणामस्वरूप असम में प्लाईवुड श्रमिकों की दशा

1100. श्री आनन्द पाठक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान असम में प्लाइवुड उद्योग में लगे लगभग उन 25,000 कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की दशा की ओर दिलाया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य सरकारों द्वारा असम के प्लाईवुड उद्योगों को प्लाइवुड दिये जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप, एक बार पुनः धनाभाव और भुखमरी के शिकार हो गए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) सूचना जो कि संबंधित राज्य सरकार से मांगी गई, यथा-समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

कुद्रेमुख आयरन और माइन्स कर्नाटक के छंटाई किए गए कर्मचारियों को बेदखली के नोटिस

1101. **श्री आनन्द पाठक :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि जबकि कुद्रेमुख आयरन और माइन्स (कर्नाटक), हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि०, के छटाई किए गए कर्मचारियों को अन्य परियोजनाओं खपाने का प्रश्न अभी निर्णयाधीन है, कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड कुद्रेमुख के सम्पदा अधिकारी ने कर्मचारियों को बेदखली के नोटिस जारी कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चणजीत चानना) : (क) और (ख) मेसर्स कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० ने कुद्रेमुख में निर्माण कार्य के लिए ठेका मेसर्स हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लि० (एच०एस०सी० एल० को दिया था। कार्य समाप्त होने पर मेसर्स एच०एस०सी०एल० ने सितम्बर, 1980 में फालतू श्रमिकों/की छंटनी कर दी थी। 91 श्रमिकों को छोड़कर छंटनी किये गये सभी श्रमिकों ने कुद्रेमुख परियोजना में उन्हें दिये गये क्वार्टर खाली कर दिये थे। जिन श्रमिकों ने क्वार्टर खाली नहीं किये थे, उन्हें सम्पदा अधिकारी ने बेदखल करने के लिए नोटिस जारी किये थे। इन श्रमिकों को एच० एस० सी० एल० की अन्य इकाइयों में खपाए जाने का कोई मामला उनके पास अनिर्णीत नहीं पड़ा हुआ है। 36 और व्यक्तियों ने क्वार्टर खाली कर दिए हैं। बाकी लोगों के लिए यह उचित होगा कि वे क्वार्टरों का अनधिकृत कब्जा छोड़ दें और उन्हें खाली कर दें।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को बाल श्रम पर लागू करना

1102. **प्रो० रूपचन्द पाल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बाल श्रम को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की परिसीमा के भीतर लाने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय में इस आशय का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है। तथापि, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में किसी भी अनुसूचित रोजगार में नियोजित बच्चों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण हेतु व्यवस्था पहले से मौजूद है इस प्रकार की मजदूरी दरें अनेक मामलों में निर्धारित की गई हैं।

बन्धुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण

1103. **प्रो० रूप चन्द्र पाल :**
श्री अजीत बाग :
श्री सूर्य नारायण सिंह :
श्री नवीन रवाणी :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि बन्धुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण किए जाए;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उन बन्धुआ मजदूरों का पता लगाने के बाद किस प्रकार उनको मुक्त कराने तथा पुनः बसाने का है और इस बारे में यदि कोई योजनाएं हैं तो उनके ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) यदि ऐसी कोई योजनाएं नहीं हैं तो क्या सरकार का विचार घर-घर जाकर सर्वेक्षण करके बन्धुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए बाद में उनके पुनर्वास की कोई योजना बनाएगी, और तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) हमने हाल ही में राज्यों को सलाह दी है कि वे बन्धुआ श्रमिकों, जिसमें बन्धुआ बाल श्रमिक शामिल हों, का विभिन्न अभिकरणों द्वारा सर्वेक्षणों/जन गणनाओं/अध्ययनों के माध्यम से पता लगाने के नए प्रयास करें। राज्य सरकारें अपने 38वे दौर (जुलाई, 1983-जून, 1984) के दौरान रोजगार और बेरोजगारी सम्बन्धी प्रस्तावित पंचवर्षीय सर्वेक्षण में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के साथ सहयोग भी करेगी और उन्हें सलाह दी गई है कि वे बन्धुआ श्रमिकों की विद्यमानता के बारे में आंकड़े एकत्र करने के अवसर का लाभ उठाए।

(ख) बन्धुआ श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के द्वारा समाप्त कर दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए जिला न्यायाधीशों को अधिकार दिए गए है कि बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन), अधिनियम के उपबन्धों को उचित रूप से लागू किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा उप मण्डल और जिला स्तरों पर समितियां स्थापित की गई है, जो अधिनियम के उपबन्धों का कार्यान्वयन करने में उप-मण्डलीय न्यायाधीश तथा जिला न्यायाधीश को सहायता देती है, कार्यान्यवन में बन्धुआ श्रमिकों को मुक्त कराना, उसके आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्वास, आदि के लिए व्यवस्था करना भी शामिल है।

मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों को फिर से बसाने के लिए 1978-79 से 50:50 आधार पर बराबर-बराबर की केन्द्रीय सहायता के साथ केन्द्र द्वारा संचालित योजना पहले से ही विद्य-

मान है। पुनर्वास कार्यक्रम में भूमि पर आधारित/भूमि पर न आधारित या कौशल/शिल्प पर आधारित योजनाओं और कृषि उपस्करों तथा निवेशों, पशु पालन निवेशों अर्थात् दूध देने वाली गाय/भैंस, बकरियों, भेड़ों, सुअरों, खच्चरों आदि जैसे आय सृजन करने वाली यूनिट देने की व्यवस्था की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी

1104. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश दिया है कि वे सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में मजदूरों की भागीदारी सम्बन्धी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से औद्योगिक सद्भाव स्थापित करे; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने केन्द्र के निदेशों को स्वीकार कर लिया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) अनेक बैठकों के दौरान और लिखित अपीलों के माध्यम से भी केन्द्रीय सरकार सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को इस बात की आवश्यकता पर बार-बार बल देती आ रही है कि वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित उन सभी उपक्रमों में, जिन पर 19 5 और 1977 की योजनाएं लागू होती है, प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता सम्बन्धी योजना कारगर ढंग से लागू करवाएं।

(ख) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों ने प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता सम्बन्धी योजना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली है।

वर्ष 1982 का उत्पादिकता वर्ष के रूप में मनाया जाना

1105. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 को उत्पादिकता वर्ष के रूप में मनाये जाने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : "उत्पादकता वर्ष" के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है जो औद्योगिक अर्थव्यवस्था को निश्चयात्मक उत्पादन उन्मुख बनाने वाली है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं 21 अप्रैल, 1982 के उद्योग मन्त्रालय के प्रेस टिप्पण संख्या 10/97/81-एल० पी० में दी गई है। इनका संक्षिप्त रूप में यहां पुनः उल्लेख किया जा रहा है :—

1. सभी औद्योगिक एकक 1981-82 को सम्मिलित कर अपने पांच वित्तीय वर्षों के उत्पादन की सूचना देंगे और यदि इनमें से किसी भी वर्ष उनका अधिकतम उत्पादन

जमा उस उत्पादन का एक तिहाई उनकी लाइसेन्स की कुल क्षमता जमा इसके 25 प्रतिशत से अधिक होता है तो उनके लाइसेन्स पर उनके अधिकतम उत्पादन जमा इस उत्पादन के एक-तिहाई की मात्रा की क्षमता पुनः पृष्ठांकित कर दी जाएगी।

2. यदि ये एकक वर्ष 1982-83 में पुनः पृष्ठांकित क्षमता से अधिक उत्पादन करते हैं तो उन्हें 31-3-83 को अपनी क्षमता को और आगे पुनः पृष्ठांकित करने का अवसर मिल जायेगा।

3. यह योजना लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित प्रकार के उत्पादन एवं कीटनाशक सम्मिश्रणों के साथ ही उन उद्योगों जो कि विशेष विनियमनों के अधीन हैं तथा जिनके लिए ढांचा कच्चे माल (वनस्पति दुग्धाहार पेय आदि) होने के नहीं है।

4. सभी औद्योगिक एकक 1973 के प्रथम प्रबन्ध के अनुबन्ध 1 में दिए गए उद्योगों के सम्बन्ध में योजना का लाभ उठा सकते हैं, जहां उनकी भागीदारी को राष्ट्रीय नीति का एक अंग बना दिया गया है।

5. क्षमता का इस प्रकार पुनः पृष्ठांकन करने सम्बन्धी सभी आवेदनों को 30 जून, 1982 तक सरकार को प्रस्तुत किया जाना था।

2. जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है सरकार ने "राष्ट्रीय उत्पादकता वर्ष के रूप में 1982" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं:—

(क) मुख्य कार्यकारियों के साथ मिलकर कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, जिनमें क्षमता का बेहतर उपयोग करने, उपयोग प्रबन्ध में सुधार करने तथा आन्तरिक संसाधन उत्पादन करने से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाता है।

(ख) सरकार क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम के कार्यक्रम में कार्य निष्पादन नियन्त्रण को दर्शाने के लिए संशोधित फार्म निर्धारित कर दिए गए हैं।

(ग) मानीटरिंग बैठकें नियमित रूप से की जाती है जिनमें उत्पादन सम्बन्धी रुकावटों, उत्पादन श्रेणी में विभिन्न प्रकार की पारस्परिक निर्भरता का पता लगाने और उनमें सामंजस्य स्थापित करने जैसे पहलुओं की जांच की जाती है तथा उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। सरकार क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्य-योजना के विश्लेषण सहित उत्पादन कार्यक्रमों की सामायिक समीक्षा की जाती है।

(घ) श्रमिकों को इसी प्रकार के उद्योगों में तल चिन्ह के बारे में इसकी उत्पादकता से अवगत कराने के लिए महत्व दिया गया है।

डाकुओं के गिरोहों का सफाया करना

1106. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तथा आस-पास के अन्य क्षेत्रों में सक्रिय डाकुओं के गिरोहों का सफाया करने के सम्बन्ध में पिछले तीन महीने में क्या प्रगति हुई; और

(ख) डाकू-विरोधी अभियान में केन्द्रीय सरकार ने क्या भूमिका निभाई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) कानून और व्यवस्था बनाए रखना और डकैती सहित अपराधों को रोकना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है । तथापि केन्द्र सरकार डकैत-विरोधी अभियानों के लिए राज्य सरकार के साधनों में बढ़ोतरी करने के लिए राज्यों से प्राप्त अनुरोधों पर उन्हें केन्द्रीय बल, वाहन इत्यादि उपलब्ध कराकर राज्यों की सहायता करती रही है । समय-समय पर तीनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अन्तर्राज्यीय डकैती-आंतक को नियन्त्रित करने में की गई प्रगति को भी पुनरीक्षित किया जाता है ।

आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स, कटिहार (बिहार) के मजदूरों की मजदूरी

1107. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स, कटिहार (बिहार) के मजदूरों को इस मिल के राष्ट्रीयकरण से पूर्व भी बंगाल पंचाट की सिफारिशों के अनुसार मजदूरी मिल रही थी;

(ख) क्या बंगाल पंचाट के अधीन 23 फरवरी, 1979 से मजदूरी बढ़ा दी गई है और मजदूरी में इस वृद्धि को आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स, कटिहार में अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ग) क्या बंगाल पंचाट के अधीन बढ़ाई गई मजदूरी राष्ट्रीयकृत जूट मिलों में से पांच जूट मिलों के मजदूरों को दी जा रही है, और यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं; और

(घ) बंगाल पंचाट के अधीन बढ़ाई गई मजदूरी को आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स कटिहार (बिहार) के सम्बन्ध में कब तक कार्यान्वित किया जाएगा और यदि ऐसा करने का विचार नहीं है तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ग) बिहार सरकार, जो इस मामले में सम्बन्धित प्राधिकरण है, से सूचना मांगी गई है। इसे यथा समय सभा की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(घ) आर० बी० एच० एम० यूनिट की अत्याधिक कम उत्पादकता तथा मिल द्वारा उठाए जा रहे लगातार नकद नुकसानों को देखते हुए, मिल पर बंगाल पंचाट को लागू करने के सम्बन्ध में विचार केवल यूनिट के उपयुक्त अभिनवीकरण आधुनिकीकरण के साथ-साथ ही किया जा सकता है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा बिहार में ठेकेदारों को कोड सख्या आबंटित करना।

1108. श्री रामावतार शास्त्री : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में टिस्को, टेल्को, बोकारो इस्पात संयन्त्र, उत्कल आटोमोबाइल्स नोआ मंडी आयरन और माइन्स, इन्डियन ट्यूब कम्पनी इण्डियन कबल कम्पनी तथा अन्य कम्पनियों में नियुक्त बड़ी सख्या में ठेकेदारों को क्षेत्रीय आयुक्त की निजी सुविधा के लिए अलग-अलग कोड संख्या आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो 1980 से आज तक, ऐसे ठेकेदारों के ब्यौरे, उनके यहां नियोजित कर्मचारियों की सख्या तथा उनके ब्योरे क्या है। अब तक भविष्य निधि में अंशदान देने वालों की सख्या क्या है;

(ग) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने स्वय अभिलेखों की जांच की है और वह प्रत्येक मामले में जहां उसने 7 क के अधीन नोटिस जारी किए हैं सदस्यता को प्रतिशतता से सन्तुष्ट है, यदि हां, तो 1980 से, प्रत्येक मामले का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या आयुक्त ने पात्रता के प्रश्न की जांच किए बिना ही धारा 7 के अधीन सभी मामलों पर कार्यवाही समाप्त कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो ठेकेदारों के प्रत्येक मामले की जांच करने के लिए और साथ ही आयुक्त के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ङ.) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग के प्रतिवेदन

1109. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय पुलिस आयोग के प्रतिवेदन प्रस्तुत प्राप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : जी, हां श्रीमान् ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने कुल आठ प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं । पहले प्रतिवेदन पर 6 जून, 1979 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था । सम्मेलन में हुए निष्कर्षों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजा गया था । "शेष रिपोर्टों में निहित सिफारिशें/निष्कर्ष सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन हैं ।"

इस्पात उद्योग के विकास की योजना

1110. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 2000 ईस्वी तक इस्पात उद्योग के विकास के लिए दीर्घावधि योजना तैयार करने हेतु एक कार्यकारी दल गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) इस्पात की मांग के बारे में दीर्घकालीन रूपरेखा और इस शताब्दी की समाप्ति तक (अर्थात 2000 ईस्वी) इस्पात उद्योग के विकास का कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है । यह कार्यकारी दल निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगा : —

1. इस शताब्दी की समाप्ति तक देश में इस्पात उद्योग के विकास के लिए एक संदर्श योजना बनाना । यह योजना बनाते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा :—

i. भावी मांग तथा उसका स्वरूप,

ii. अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता,

iii. कच्ची सामग्री, बिजली, परिवहन सुविधाएं जैसी अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं, जिनकी आवश्यकता पड़ेगी और विकास योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक वित्तीय संशाधन।

iv. उपलब्ध हो सकने वाले प्रौद्योगिक विकल्प और भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलतम योजना।

2. ऐसे उपाय सुझाना जो इस प्रकार के उत्पादन के विकास के लिए अपनाए जाए और प्रौद्योगिकीय और प्रबन्धकीय क्षमताओं के बारे में सुझाव देना जो विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।
कार्यकारी दल की दो बैठकें हुई हैं।

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार (केन्द्रीय) बोर्ड की दिल्ली में बैठक

1111. **श्री के० ए० राजन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजदूरी सलाहकार (केन्द्रीय) बोर्ड की 11वीं बैठक 25.3.1982 को दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने उस बैठक में भाग लिया था; और

(ग) उस बैठक में क्या निर्णय/सिफारिशें की गई ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दो विवरण संलग्न है, जिनमें बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम और बोर्ड के मुख्य निष्कर्ष दिए गए हैं।

विवरण

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की नई दिल्ली में 25 मार्च, 1982 को हुई 11वीं बैठक के मुख्य निष्कर्ष।

1. राज्य सरकारों और केन्द्र द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण, संशोधन, और उनके कार्यान्वयन के बारे में एक रिपोर्ट बोर्ड के सदस्यों को परिचालित की जाए।

2. न्यूनतम मजदूरी की दर से अदायगी के लिए ब्याज लेने हेतु उपबन्ध होना चाहिए।

3. न्यूनतमम मजदूरी अधिनियम की अनुसूचो के अन्तर्गत न आने वाले रोजगारों के सम्बन्ध में श्रमिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जानी चाहिए।

4. परिवर्ती महगाई भत्ते को निर्वाह लागत में वृद्धि होने के कारण समायोजन के लिये न्यूनतम मजदूरी दरों के साथ जोड़ना चाहिये। ये फार्मूला सम्पूर्ण देश के लिये एक जैसा होना जरूरी नहीं है। प्रत्येक राज्य सरकार अपना फार्मूला तैयार कर सकती है।

5. न्यूनतम मजदूरी दरों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय एवं साधन तलाश किये जाने चाहिये।

6. राज्य सरकारों को स्थानीय स्तरों पर त्रिपक्षीय समितियां स्थापित करने के लिए सलाह दी जाये, ताकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

7. 500 रुपये प्रतिमास या 17 रुपये प्रतिदिन की दन से न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण होने तक अन्तरिक सहायता देने की सुझाव को सम्भव नहीं समझा गया।

8. ऐसे रोजगारों को, जिनमें मजदूरी दरें अधिकारतय सामूहिक सौदाकारी द्वारा निर्धारित की जाती है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची से हटाया नहीं जाना चाहिए, ताकि सामूहिक सौदाकारी समझौतों के अन्तर्गत न आने वाले कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन प्राप्त लाभों से वंचित न हो जाएं।

9. जहां किसी अनुसूचित रोजगार के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं, वहां यह पक्षकारों पर निर्भर होना चाहिए कि वे वार्ताएं करें और उच्च मजदूरी दरों के लिए समझौता करें।

विवरण-2

25 मई, 1982 को हुई न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) सलाहकार बोर्ड की 11वीं बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची।

1. श्री भागवात झा आजाद — अध्यक्ष
   श्रम मन्त्री, नई दिल्ली

श्रम मंत्रालय

1. श्री धर्मवीर — उप श्रम मन्त्री

2. श्री बीस बी० देशमुखा — सचिव

3. श्री आर० के० ए० सुब्रह्मण्या — अपर सचिव

4. श्री के० एम० त्रिपाठी — निदेशक

5. श्री मदन मोहन सिंह — उप सचिव

6. श्री पी० एन० राजदान — मुख्य श्रमायुक्त (कें)

7. श्री सी० एल० कलसी — सूचना अधिकारी

बोर्ड के स्वतन्त्र सदस्य

1. डा० के० एन० प्रसाद,
प्रोफेसर तथा अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष,
पटना विश्व विद्यालय,
पटना-800005,

2. न्यायाधीश सी० टी० दिघे (सेवा-निवृत्त)
भूतपूर्व पीठासीन अधिकारी,
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-
व-श्रम न्यायालय,
शलाका, 9वीं मंजिल, फ्लैट सं० 109,
महर्जिकर्वे रोड, को-आपरेज के सामने,
बम्बई-400021,

3. श्री बिमल सिन्हा,
सदस्य,
त्रितुरा विधान सभा ।
पो० आफिस कमालपुर, नार्थ त्रिपुरा जिला, त्रिपुरा

4. श्री अजीत निम्बलकर,
श्रम आयुक्त,
कामर्स सेन्टर,
तारदेव,
बम्बई-400034

5.　श्री बी॰ के॰ मजोतरा,
श्रम आयुक्त,
मध्य प्रदेश सरकार,
इन्दौर ।

6.　श्री धर्मवीर,
श्रम आयुक्त,
श्रम विभाग,
राजस्थान विभाग,
जयपुर ।

7.　श्री मुख्तयार सिंह,
संयुक्त सचि, बिहार सरकार,
श्रम रोजगार विभाग,
पटना ।

II. नियोजकों के प्रतिनिधि

1.　श्री जगदीश कपूर,
कार्यकारी निदेशक,
एटनस साई-कल इन्डस्ट्रीज लि॰
ऐटलस नगर, ऐटलस रोड
सोनीपत-30001, (हरियाणा)

2.　डा॰ वाई॰ आर॰ सिंह
द्वारा दुजोदवाला इन्डस्ट्रीज लि॰
821/813, तुलसियानी चैम्बर्स,
212, नारीमन पाईन्ट,
बम्बई-400021,

3.　श्री आर॰ वी नवेटिया,
हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि॰
बजाज भवन (दूसरी मंजिल)
226, नारीमन पाईन्ट,
बम्बई-400021,

4. श्री टी॰ एस॰ गोपालन,
17, लक्षमन चेट्टी स्ट्रीट,
मद्रास-600017,

5. श्री के॰ एन॰ सरकार,
सलाहकार, इण्डियन टी॰ एसोसिएशन,
रायल एक्सचेंज, 6 नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता-110049,

6. सरदार अमरजीत सिंह चौधरी,
मैसर्स सलवान कन्सट्रक्शन कम्पनी,
डी-21, एन, एन॰ डी॰ एस॰ ई॰ पार्ट सं॰ II,
नई दिल्ली-100049

7. श्री आर॰ के॰ शर्मा,
द्वारा मैसर्स एस॰ के॰ सारावानी एण्ड कम्पनी (प्रा॰) लि॰,
डाक पेटी सं॰ 117, 25-8-156, नेन रोड,
विशाखापत्तनम-53000-1

8. श्रीमती रुखसाना शहीन अलक्बादरी,
उप-सचिव, भारत सरकार,
निर्माण तथा आवास मन्त्रालय, नई दिल्ली।

9. श्री॰ टी॰ नायर,
उप-सचिव, भारत सरकार
खान विभाग,
नई दिल्ली।

III. कर्मचारियों के प्रतिनिधि

1. श्री एस॰ वी॰ भोले,
महा सचिव
इण्डियन नेशनल म्युनिसिपल एंड लोकल
बाडीज वर्क्स फेडरेशन,
कामगार कार्यालय, टोपी वाला लेन,
लेमिंगटन रोड,
बम्बई-400007,

2. श्री एम० वीराराघवालु,
अध्यक्ष,
चिन्गलपुत डिस्ट्रिक्ट टेनरी वर्कर्स यूनियन,
2, पोली चेट्टी स्ट्टी,
पालावरम, मद्रास-600 043.

3. श्री वी० पी० मरक्कर,
अध्यक्ष,
ईरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट टिम्बर एन्ड प्लाईवुड,
वर्कर्स यूनियन, इडापल्ली,
कोचीन-682024 (केरल)

4. श्री प्रभात कुमार,
संयुक्त सचिव,
विश्को इम्पलाईज यूनियन,
द्वारा डी० एच० अन्सारी,
170, फराशी तोला,
गुरुद्वारे के पास, बरेली।

5. श्री मागीलाल जोशी,
महासचिव,
इन्टक मध्य प्रदेश ब्रांच,
मुक्ति मार्ग सं 2, देवास,
मध्य प्रदेश।

6. डा० राज बहादुर गौड़
अध्यक्ष,
आन्ध्र प्रदेश स्टेट कमेटी आफ
आल, इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
3-5-912 मखदूम मोहीउद्दीन मार्ग,
हैदराबाद-500 029

7. श्री करतार सिंह,
अध्यक्ष,
पंजाब स्टेट कमेटी आफ आल इन्डिया

ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
29 एम० एल० ए० फ्लेटस, सेक्टर 3,
चन्डीगढ़।

8. श्री प्रेम नाथ शर्मा,
भारतीय मजदूरी संघ,
श्री जी सदन, शंकर लेन,
कांडीविलो,
बम्बई-400 067,

9 श्री आर० उमानाथ, एम० एल० ए०,
तिरुचिरापल्ली-3,
तमिलनाडु,

10. श्री समेन्द्र कुन्डु,
सोयलपुर स्ट्रीट,
पोस्ट आफिस/डिस्ट्रिक्ट बालासोर,
उड़ीसा।

11. श्री बृज मोहन तूफान,
सचिव,
हिन्द मजदूर सभा,
नमीनदास चैम्बर्स,
167, पी० डी० मैलो रोड,
बम्बई-400 038.

असंगठित क्षेत्र में नियोजित बच्चों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करना।

1112. श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र में नियोजित बच्चों को शोषण से बचाने के लिए उनके संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) अधिनियम में अनुसूचित रोजगारों में नियोजित बच्चों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण हेतु व्यवस्था वस्तुतः मौजूद है। अनेक मामलों में इस प्रकार की मजदूरी दरें पहले ही निर्धारित की जा चुकी हैं।

सरकारी उपक्रमों में घाटा

1113. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के ऐसे बड़े उपक्रमों के नाम क्या हैं जो पिछले चार वर्ष से लगातार घाटे में चल रहे हैं और प्रत्येक को कितना घाटा हुआ और उसके कारण क्या हैं ; और

(ख) उनमें से प्रत्येक में सरकार द्वारा अब तक कितना पूंजी निवेश किया गया है और उन्होंने ऋण के रूप में कितनी राशि ली हुई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) उद्योग मन्त्रालय के अधीन पांच बड़े उपक्रम हैं जिनका ग्रास ब्लाक 50 करोड़ रु० से अधिक है। ये उपक्रम हैं-भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एच० एम० टी० लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एच० ई० सी०), सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन। ईनमें से केवल हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को पिछले चार वर्षों से लगातार घाटा हो रहा है। हानि की राशि और हानि के कारण निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	एच० ई० सी० को हुई हानि (करोड़ रु० में)
1978-79	27.75
1979-80	34.78
1980-81	51.13
1981-82 (अनंतिम)	34.00

हानि के कारण

1. श्रमिकों की कम उत्पादकता।
2. प्रबंधकीय कमियां तथा त्रुटियां।
3. बिजली की अपर्याप्त तथा रुक-रुक कर सप्लाई।
4. धन की कमी।
5. प्रणालियों सम्बन्धी त्रुटियां।
6. कम/असंतुलित क्रयादेश स्थिति।

(ख) सरकार ने 31-3-1981 तक हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में 308.88 करोड रु० का अनुमानित निवेश किया गया है । इसमें से 147.09 करोड़ रु० कम्पनी द्वारा सरकार से लिए गए ऋणों के लिए हैं ।

वैज्ञानिकों में बेरोजगारी को कम करने के प्रयास

1114. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यवहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान ने देश में वैज्ञानिकी और प्रौद्योगिकी जनशक्ति के बढ़ाते हुए अन्य अल्प-रोजगार, बेरोजगार और अल्प-उपयोग की ओर संकेत किया है ;

(ख) क्या सरकार ने प्रतिवेदन का अध्ययन किया हैं और वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों की बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किए हैं ; और

(ग) देश में वैज्ञानिक प्रतिभा की बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार का कौन से अवसर उपलब्ध कराने और कार्यक्रम बनाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) सरकार को देश में, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक कार्मिकों के बीच बेरोजगारी की समस्या की जानकारी है । वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्मिकों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए कई उपाय किए गए हैं । इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

सरकार ने एक राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति बोर्ड का गठन किया है । बोर्ड की कार्यकारी समिति में अभिकरणों के प्रमुख तथा पूंजी निवेश बैंकों और राज्य उद्योग संवर्धन निगमों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं । यह आशा की जाती है कि बैंक और अन्य वितीय संस्थान, अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी कौशल और जानकारी के माध्यम से उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक कार्मिकों को सुदृढ़ समर्थन प्रदान करेंगे । यह आशा भी की जाती है कि ये संस्थान इन प्रयोजनों के लिए निर्धारित कुछ विशेष क्रियाविधि और निधि का निर्माण करेंगे ।

छठी पंचवर्षीय योजना में, प्रत्येक राज्य में, वहां के मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय परिषद का गठन करने का प्रस्ताव है । केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र-प्रदेश आदि जैसे कुछ राज्यों ने पहले से ही इन परिषदों का गठन कर लिया है । अभी तक गठित की गई परिषदों की कुल सख्या 12 है । आशा की जाती है कि ये परिषदें राज्य के लिए

लाभप्रद विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं का पता लगायेंगी और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक कार्मिकों के लिए अवसर जुटाएंगी। यह आशा भी की जाती है कि वे ऐसे संसाधन भी प्रदान करेंगी ताकि राज्य में उपलब्ध कच्चे माल को संसाधित करके उच्चतर मूल्य के माल के रूप में तैयार किया जा सके। इन कार्यों से वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक कार्मिकों के लिए और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने की सम्भावना है।

भारत सरकार ने उद्योगों के लिए, अनुसंधान तथा विकास करने के लिए और इसके साथ-साथ ऊर्जा की बचत करने वाले उपायों में प्रायोगिकी संयंत्रों में पूंजी निवेश प्रदान करने के लिए कई एक प्रोत्साहन शुरू किए हैं। इन सभी मामलों में पूंजीगत व्यय को शत प्रतिशत बट्टे खाते में डाला जा सकता है। कई मामलों में 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट भी उपलब्ध करायी जाती है। राष्ट्रीय प्रयोग-शालाओं और विश्व विद्यालयों में उद्योगों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं पर व्यय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जांच करने के पश्चात वास्तविक व्यय पर 133 प्रतिशत तक की कटौती प्रदान की जा सकती है। उद्योगों में अनुसधान तथा विकास एककों के पजीकरण की योजना द्वारा अनुसंधान उपस्कर के आयात के लिए विशेष रियायतें दी गई हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप, 717 अनुसंधान एककों को पजीकृत किया जा चुका है और इनकी संख्या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ये उपाय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में, ऊर्जा के लिए 25,000 करोड़ रुपये के पूंजी-निवेश, सिंचाई के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपये और सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 9 ,000 करोड़ रुपये के पूंजी-निवेश की व्यवस्था है, अवसंरचना में सामाजिक सेवाओं में पर्याप्त विस्तार की भी परिकल्पना की भी जा रही है। निर्माण तथा नए औद्योगिक क्रियाकलापों में इंजीनियरों तथा वैल्डिंग बढ़ईगिरी, पाइप फिटिंग, बिजली-मिस्त्रियों, और यंत्रीकरण जैसे कौशलों से सम्बन्ध व्यक्तियों के बड़ी संख्या में खपाए जाने की संभावना है।

सभी वैज्ञानिक विभागों को विद्यमान रिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को भरने के लिए एक निदेश जारी किया गया था।

छठी योजना के दौरान विज्ञान और प्रोद्योगिकी पर कुछ परिव्यय की राशि, 1974-75 से 197 -79 तक की अवधि के लिए 1809 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में 3367 करोड़ रु० है। बढ़े हुए आवन्टन से वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों के लिए अपेक्षाकृत अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने की आशा है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा चलाई गई वैज्ञानिक पुल की स्कीम में उच्च शैक्षणिक रिकार्ड वाले वैज्ञानिकों, प्रोद्योगिकीविदों आदि के लिए उस समय के लिए अस्थायी रोजगार की व्यवस्था है, जबकि वे स्थायी रोजगार की तलाश कर रहे हैं।

सरकार ने, जनवरी, 1981 में वाराणसी में हुए इन्डियन साइन्स कांग्रेस एसोसिएशन के 68 वें अधिवेशन में इंस्टीट्यूट आफ एप्लायड मैन पावर रिसर्च द्वारा प्रस्तुत किया गया लेख देख लिया है। इस रिपोर्ट पर कोई विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

औद्योगिक क्षमता का उपयोग करने के लिए राजस्थान सरकार का अधिक निवेश का अनुरोध

1115. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी औद्योगिक क्षमता का उपयोग करने और इसके औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने अधिक निवेश करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) पिछले कुछ समय में राजस्थान सरकार से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में अधिक निवेशों के लिए समय समय पर अनुरोध करती रही हैं।

पंचवर्षीय योजना के समग्र आधार स्वरूप और प्राथमिकताओं के भीतर हरेक राज्य की औद्योगिक क्षमता/संभाव्यता और ससाधनों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के परामर्श से औद्योगिक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। राज्यों की योजनाओं और केन्द्रीय योजनाओं में उपलब्ध समग्र वित्तीय ससाधनों के भीतर हरेक राज्य में औद्योगिक क्षमता/संभाव्यता और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने का प्रयत्न किया जाता है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की संवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट स्कीमें तैयार की गई हैं।

अवैध शास्त्रों और गोला बारूद की वृद्धि

1116. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विदेशी निर्मित तस्करी द्वारा लाए गए तथा विदेश निर्मित अवैध, गैर-लाइसेंस शुदा आग्नेयास्त्रों, गोला- बारूद और अन्य हथियारों की संख्या में तीव्र वृद्धि की जानकारी है ;

(ख) जून, 1982 तक पिछले तीन वर्षों में अभी तक कितने विदेश निर्मित तस्करी द्वारा लाए गए और स्वदेश निर्मित अवैध, गैर लाइसेंसशुदा आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और हथियार जब्त किए गए या बरामद किए गए और उनका राज्यवार ब्योरा क्या है ?

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कितने मामलों में कानूनी कार्यवाही की गई और उसके परिणाम क्या निकले ; और

(घ) जब्त किए गए अवैध शास्त्रों का निपटान कैसे किया गया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

संघटक योजना कार्यकारण के लिए राजस्थान का धन का नियतन

1117. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में संघटक योजना कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 1981-82 में उस राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई थी ;

(ख) 1981-82 में सघटक योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजनों और अन्य कमजोर वर्गों के विकास के लिए राजस्थान में क्या प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किये गये ; और

(ग) संघटक योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982-83 में राजस्थान को नियतन की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अनुमान है कि माननीय सदस्य 1981-82 के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा विशेष कम्पोनेंट योजना में धनराशि की गई व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं। 1981-82 के लिए राजस्थान की विशेष कम्पोनेंट योजना में लाया गया और योजना आयोग में विचार विमर्श के बाद अन्तिम रूप दिया गया परिव्यय 30.68 करोड़ रुपए हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए राज्यों की विशेष कम्पोनेंट योजना दस्तावेज में विभिन्न क्षेत्र के कार्यक्रम होते हैं। विशेष कम्पोनेंट योजना में योजनाओं/कार्यक्रमों की संख्या अनेक होती है। परन्तु राज्य योजना, जिसके अधीन विभिन्न कार्यक्रम विशेष कम्पोनेंट योजना में लाये गए हैं, के महत्वपूर्ण क्षेत्र इस प्रकार हैं :—

समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, कृषि, बागवानी, सिंचाई, भू-संरक्षण, खादी तथा ग्रामोद्योग, हथकरघा, रेशम उद्योग, चमड़ा, मत्स्य उद्योग।

(ग) रास्थान द्वारा 1982-83 के लिए अपनी विशेष कम्पोनेंट योजना में 38.00 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान की विशेष कम्पोनेंट योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का अस्थायी आवंटन 5.92 करोड़ रुपए हैं, लेकिन इसमें मानदण्ड पर आधारित प्रयास के आधार पर अन्तर हो सकते हैं।

डकैती विरोधी कार्यवाही सबंधी संयुक्त समन्वय समिति

1118. श्री सुभाष यादव :

श्री भोला भाई : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार डकैती विरोधी कार्यवाही सम्बन्धी एक सयुक्त समन्वय समिति के गठन के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल होंगे ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) इसके वित्तीय आशय क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अन्तर्राज्यीय डकैती आतंक से निपटते समय उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए तीनों राज्यों के अधिकारियों की एक सयुक्त समन्वय समिति गठित की गई है और डकैती विरोधी अभियानों का पुनरीक्षण करने के लिए समय-समय पर समिति की बैठकें होती रही हैं। अतः डकैती विरोधी अभियानों के सम्बन्ध में संयुक्त समन्वय समिति स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त "क" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

असम समस्या

1119. श्री सुभाष यादव : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लम्बे समय से चली आ रही असम समस्या को सुलझाने के लिए कोई नए कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या हाल ही में हिंसात्मक घटनाएं काफी बढ़ गई ; और

(ग) राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) असम में विदेशियों के मामले का संतोषजनक हल ढूढने के प्रयास जारी हैं। सरकार के प्रतिनिधियों, संसद मे विपक्षी दलों के नेताओं और अखिल असम छात्र संघ/अखिल असम गण संग्राम परिषद की संयुक्त बैठक जल्दी ही होने की सम्भावना है।

(ख) 9 जून, की घटना में गोहाटी में पत्तासील अम्बारी बाजार में बम बिस्फोट के परि-

णामस्वरूप 19 व्यक्ति मारे गए और 35 व्यक्ति जख्मी हुए, इसके अतिरिक्त तोड़ फोड़, डराने धमकाने, आक्रमण और हिंसा की भी कई घटनाएं सूचित की गई हैं।

(ग) सरकार स्थिति से पूर्णतः अवगत है और राज्य में सुरक्षा और कानून और व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाना

1120. श्री के० कुन्हम्बु : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, अनेक अभिकरण जैसे खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, कयर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, विकास आयुक्त (हथकरघा), अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड तथा रेशम बोर्ड देश के ग्रामीण देशों में उपयुक्त कुटीर एव लघु उद्योगों की स्थापना करने में सहायता पहुंचाने के विकास परक कार्यक्रम चलते हैं। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं, उनके लिए एक स्थान पर अनेक सेवा कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए केन्द्र सरकार ने जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम प्रायोजित किया है। उद्योगों के अलावा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के, सेवा और व्यवसाय पक्ष गरीबी की रेखा से नीचे के पात्र लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। जहां तक जिला उद्योग केन्द्रों का सम्बन्ध है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए एककों का प्रतिशत 1979-1980 में 80.35 था जब कि 1980-81 में 74.73 रहा।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा गैर कृषि व्यवसायों की की गई गणना

1121. श्री के० कुन्हम्बु : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा हाल ही में गैर कृषि व्यवसायों की राष्ट्र-व्यापी गणना के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : भारत के महापंजीकार तथा राज्य अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों के सहयोग से सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में (असम को छोड़कर) वर्ष 1980 में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संचालित गैर कृषि व्यवसायों की गणना के अनंतिम परिणामों के अनुसार 1 ̇1 लाख गैर कृषि व्यवसाय है तथा उनमें सामान्यतः 495.8 लाख

व्यक्ति कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का अंश गैर कृषि व्यवसायों के 58.7 प्रतिशत तक का है जिनसे सामान्यतः कार्य करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या के 43.7 प्रतिशत को रोजगार मिलता है। कम से कम एक कामगार को मजदूरी पर रखने वाले 26.7 प्रतिशत व्यवसाय है तथा शेष 73.3 प्रतिशत स्व-निर्भर प्रकृति के हैं। गैर कृषि व्यवसायों में उत्तर प्रदेश का अंश सबसे अधिक (12.2 प्रतिशत) है। संख्या तथा सामान्य रोजगार दोनों ही रूपों में गैर कृषि व्यवसायों का लगभग 65 प्रतिशत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, और कर्नाटक राज्यों में संकेन्द्रित हैं।

देश में चल रहे सीमेंट के कारखाने

1122. श्री के० कुन्हम्बू : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक राज्य में चल रहे सीमेंट कारखानों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो सीमेंट की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी): (क) विवरण इस प्रकार है :—

	राज्य का नाम	मिनी सीमेंट संयंत्रों तथा सफेद सीमेंट संयत्रों सहित सीमेंट के कारखानों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	9
2.	आसाम	1
3.	बिहार	6
4.	गुजरात	8
5.	हरियाणा	2
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्बू एवं कश्मीर	2
8.	कर्नाटक	8
9.	केरल	1

1	2	3
10.	मध्य प्रदेश	9
11.	मेघालय	1
12.	महाराष्ट्र	2
13.	उड़ीसा	2
14.	राजस्थान	6
15.	तमिलनाडु	8
16.	उत्तर प्रदेश	3
17.	पश्चिम बंगाल	4

(ख) सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों में सीमेंट की सामान्य कमी है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आवंटन

1123. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के बजट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं हेतु कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया था;

(ख) उक्त राशि में से कुल कितनी राशि को खर्च नहीं किया गया, कितनी राशि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की योजनाओं के बजाय अन्य योजनाओं पर लगा दी गयी और कितनी राशि व्ययगत हो गई; और

(ग) उसके कारण क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) 1981-82 के बजट अनुमानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं वास्ते कुल 45 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई । इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों के लिए राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की विशेष कम्पोनेंट योजनाओं के लिए 110 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की जनजाति उप योजनाओं के लिए 85 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है ।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के वास्ते 45 करोड़ रुपये की राशि के बदले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 48.18 करोड़ रुपये की राशि दी गई। अनुसूजित जनजातियों के लिए विशेष कम्पानेट योजना के वास्ते राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता के तौर पर कुल 110 करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी और जनजाति योजना उपयोजना की 85 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता में से 80.80 करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी। अनुसूचित जातियों तथा अनुचित जनजातियों के लिए योजनाओं से इतर अन्य किन्हीं योजनाओं पर कोई धनराशि खर्च नहीं की गई।

(ग) दो संघ शासित क्षेत्रों द्वारा जनजाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की 0.20 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग नहीं किया ज सका।

उद्योग स्थापित करने के लिए डालमिया को लाइसेंस

1120. श्री राजेश कुमार सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) डालमिया औद्योगिक गृह को उद्योग स्थापित करने के लिए पिछले पांच वर्षों में कितने लाइसेंस/आशय पत्र जारी किए गए हैं ;

(ख) एम० आर० टी० पी० अधिनिनियम का उल्लंघन करके सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के निर्माण हेतु डालमिया को लाइसेंस/आशय पत्र देने के क्या कारण हैं जिससे डालमिया की परिसम्पत्तियां लगभग दुगुनी हो गई है;

(ग) क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि डालमिया को किन परिस्थितियों में लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) कंपनी ला बोर्ड के मत से उनके आदेश दिनांक 8-2-1980 के अनुसार नियन्त्रण श्री जयदयाल डालमिया के परिवार के सदस्यों के नियन्त्रणाधीन 23 उपक्रम हैं। परन्तु इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में चुनौती दी गई है। इनमें अन्तरिक्त स्थगत स्वीकृत किया गया है और दोनों न्यायालयों में अभी इसकी कार्यवाही स्थगित है। डालमिया ग्रुप के सदस्यों के नियन्त्रणाधीन बतलाने वाली किसी भी कंपनी के पंजीकरण को एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया गया है। अतएव इस सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना देना सम्भव नहीं हैं।

टाटा बन्धुओं को उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया जाना

1125. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान टाटा इंडस्ट्रियल हाउस को उद्योग स्थापित करने के लिए कितने लाइसेंस/आशयपत्र जारी किए गए ;

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन करते हुए सरकारी क्षेत्र द्वारा निर्माण के लिए आरक्षित ऐसी वस्तुओं का निर्माण करने के लिए टाटा इंडस्ट्रियल हाउस को लाइसेंस और आशय-पत्र दिए जाने जाने के क्या कारण हैं जिसमें टाटा बंधुओं की परिसम्पत्तियां दुगनी हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या भारत सरकार का इस बात की जांच करवाने का विचार है कि किन परिस्थितियों में टाटा बन्धुओं को लाइसेंस जारी किए गए, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत टाटा ग्रुप के स्वामित्व के उपक्रमों को उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम), 1951 के अन्तर्गत 1977 से 1981 के दौरान 23 आशयपत्र और 14 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अतिक्रमण में पूर्णरूपेण सरकारी क्षेत्र में विकास के लिए आरक्षित मदों के उत्पादन के लिए 1977 से 1981 के दौरान, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाले किसी भी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार उपक्रम को कोई भी आशयपत्र अथवा औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किए गए।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बिरला को उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंस जारी किया जाना

1126. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान उद्योगों की स्थापना करने के लिए बिरला औद्योगिक गृह को कितने लाइसेंस/आशय पत्र जारी किए गए हैं ;

(ख) एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन करते हुए सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के निर्माण के लिए लाइसेंस और आशय पत्र देने में बिरला

औद्योगिक गृह का किन कारणों से पक्ष लिया जा रहा है, जिससे बिरला की सम्पत्ति दुगुनी हो जाने की सम्भावना है,

(ग) क्या सरकार का विचार इस बात की जांच करने का है कि बिरला को किन परिस्थितियों के अन्तर्गत लाइसेंस जारी किए गए थे, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत बिड़ला ग्रुप के स्वामित्व के उपक्रमों को उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम) 1951 के अन्तर्गत 1977 से 1981 के दौरान 38 आशय पत्र और 21 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गये थे ।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अतिक्रमण में पूर्णरूपेण सरकारी क्षेत्र में विकास के लिए आरक्षित मदों के उत्पादन के लिए 1977 से 1981 के दौरान, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत बिड़ला ग्रुप के स्वामित्व वाले किसी भी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार उपक्रमों को कोई भी आशयपत्र अथवा औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किए गए ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

हरिजनों पर हमला

1127. **श्री ए० नीलालोहिथा दसन नाडार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में, राज्यवार, जनवरी, 1980 से आज तक हरिजनों पर हमला किए जाने की कितनी घटनाएं हुई है,

(ख) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(ग) पुनः ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यदि केन्द्र सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रेषित सूचना पर आधारित एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय गृह मन्त्री के 10 मार्च 1980 आ०शा० पत्र में अनूचित जातियों के प्रति अपराधों के कारगर ढंग से निपटने के लिए व्यापक मार्गदर्शी निदेश, जिनमें एतिहाती निरोधात्मक, दण्डात्मक, पुनर्वासात्मक और कार्मिक नीति सम्बन्धी उपाय शामिल हैं, राज्य सरकारों को भेजे जा चुके हैं और इन मार्गदर्शी निदेशों पर राज्य सरकारों के साथ प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, इनमें से बहुत से अपराधी के सामाजिक आर्थिक मूल कारणों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों के आर्थिक तथा अन्य विकास और हाल में संशोधित 20-सूत्रीय कार्यक्रम, जिसमें 7-सूत्री कार्यक्रम सम्मिलित है, जो "अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों की गति तेज" करने के लिए है, पर विशेष बल दिया जा रहा है।

विवरण

जनवरी 1980 से 1982 तक प्रत्येक राज्य के सामने दिए गये महीने तक हरिजनों के प्रति अपराधों की कुल संख्या का राज्य-वार विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1980	1981	1982	महीना - जिसके तक के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचना प्रेषित की गई
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	152	206	73	अप्रैल
2.	बिहार	1890	1983	717	अप्रैल
3.	गुजरात	498	654	160	मई
4.	हरियाणा	78	74	39	अप्रैल
5.	हिमाचल प्रदेश	58	69	17	मई
6.	जम्मू तथा कश्मीर	120	124	—	प्राप्त नहीं हुई
7.	कर्नाटक	377	397	158	अप्रैल
8.	केरल	478	260	63	अप्रैल
9.	मध्य प्रदेश	3877	4033	826	फरवरी

1	2	3	4	5	6
10.	महाराष्ट्र	518	695	178	मार्च
11.	उड़ीसा	80	80	57	मई
12.	पंजाब	79	51	31	मई
13.	राजस्थान	1180	1562	595	मई
14.	तमिलनाडु	140	199	65	अप्रैल
15.	त्रिपुरा	—	18	2	मार्च
19.	उत्तर प्रदेश	4279	3865	1457	मई
17.	पश्चिम बंगाल	33	23	शून्य	मार्च
	संघ शासित क्षेत्र				
1.	दिल्ली	3	3	—	प्राप्त नहीं हुई
2.	पांडिचेरी	16	8	शून्य	मई
	कुल	13866	14308	4439	

टिप्पणी : अन्य/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के बारे में सूचना शून्य है।

दिल्ली में अपराधों का बढ़ाना

1128. श्री पी० के० कोडियन :

श्री ए० नीलालोहिता दसन नाडार : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में राजधानी दिल्ली में अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान कितने और किस तरह के अपराध हुए ;

(ग) इनमें से कितने अपराधों में अपराधियों का पता नहीं चला ; और

(घ) राजधानी में कानून और व्यवस्था तन्त्र को मजबूत बनाने के लिए कौन से अतिरिक्त उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वेंकट पी० सुब्बय्या) : (क) से (ग) चालू वर्ष के तथा पिछले वर्ष के पहले 6 महीनों के तुलनात्मक आंकड़ों से, जैसे कि वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं, यह पता चलता है कि राजधानी में अपराध की घटनाओं में काफी गिरावट आयी है संलग्न विवरण में उन मामलों की संख्या दी गयी है, जिनमें अपराधियों का पता नहीं लगाया जा सका है।

(घ) दिल्ली पुलिस की जनशक्ति तथा वाहनों की संख्या में वृद्धि करने, नई पुलिस चौकियां खोलने, पैदल और वाहन गश्त को तेज करने, वाहनों की अचानक जांच-पड़ताल करने, ज्ञात में अपराधियों की निगरानी करने तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस पिकेट तैनात करने जैसे विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप दिल्ली से कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।

विवरण

	1-1-81 से 30-5-81 तक	1-1-82 से 30-6-82 तक	1982 के उन मामलों की संख्या जिनमें अपराधियों का पता नहीं लगाया जा सका और मामलों को, लापता मामलों के रूप में फाइल कर दिया गया है
डकैती	14	10	—
हत्या	103	125	2
हत्या का प्रयास	125	108	2
लूठ	97	75	5
दंगे	94	64	5
छीना झपटी	84	54	6
चोट पहुंचाना	923	854	—
सेंधमारी	853	670	254
साइकिल चोरी	2210	1420	870

1	2	3	4
विविध चोरियां	5750	4418	2107
मोटर वाहन चोरी	1263	1041	461
विविध भा०दं०सं०	4680	4567	484
जोड़	16166	13407	4496

बंगाल पाटरीज का राष्ट्रीयकरण

1129. श्री नीरेन घोष : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बंगाल पोटरीज के राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) मैसर्स बंगाल पाटरीज लिमिटेड, कलकत्ता को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1981 के उपबन्धों के अधीन 15.9.1976 को अधिकार में ले लिया गया था। उपक्रम का अन्तिम रूप से निपटान करने के तरीके के बारे में अभी निर्णय लिया जाता है।

मारुति-सुजुकी के सहयोग की रूप रेखा

1130. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता कार निर्माण करने के लिए सुजुकी नामक एक जापानी फर्म के साथ मारुति के सहयोग को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत रूपरेखा तथा उसका वित्तीय परिव्यय क्या है;

(ग) इस कार की फैक्टरी से निकासी कब तक होने की सम्भावना है और इसका वार्षिक उत्पादन क्या होगा; और

(घ) इसे बाजार में किस प्रकार लाया जायेगा?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) जापान की मै० सुजुकी के साथ अपने प्रस्तावित सहयोग की स्वीकृति के लिए मारुति उद्योग लि० ने सरकार से आवेदन किया है। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) तथा (घ) मारुति उद्योग लिमिटेड को 1983 के अन्त तक प्रारम्भिक उत्पादन शुरू कर देने की आशा है। कम्पनी अपने वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्धारित करेगी।

केरल में परमाणु ऊर्जा संयन्त्र

1131. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक परमाणु ऊर्जा संयन्त्र शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने देश के पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में परमाणु तथा बिजलीघर लगाने के लिए उपयुक्त स्थलों का चुनाव करने के वास्ते एक एक स्थल-चयन समिति नियुक्त की है। दक्षिणी क्षेत्र पर, जिसमें केरल भी शामिल है, इस समिति की रिपोर्ट अभी मिलनी है।

धर्म परिवर्तन करने वाले हरिजनों को अनुसूचित जातियों की सूची में मिलाना

1132. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या गृह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उन हरिजनों को अनुसूचित जातियों की सूची में मिलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो अपना धर्म परिवर्तित करके ईसाई धर्म, इस्लाम और अन्य कोई धर्म अपना लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर निर्णय लेने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान। अद्यतन संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के अनुसार पैरा 3 में स्पष्ट रूप उल्लेख किया गया है कि कोई व्यक्ति जो हिन्दू अथवा सिक्ख धर्म भिन्न किसी धर्म को मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति के उन

व्यक्तियों को जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तित करके ईसाई धर्म, इस्लाम और अन्य धर्मों को अपना लिया है, अनुसूचित जातियों नहीं माना जा सकता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1982 के दौरान सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति

1133. श्री कुंवर राम : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना आयोग द्वारा कितनी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति किया गया;

(ख) उन परियोजनाओं की राज्यवार सूची क्या है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की लागत और अधिकतम उत्पादन लक्ष्य क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) चालू वित्त वर्ष में योजना आयोग ने दस सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं का अनुमोदन किया है।

(ख) और (ग) परियोजनाओं राज्यवार की सूची तथा हरेक परियोजना की लागत और संभावित लाभ संलग्न विवरण में दिखाए गए हैं।

विवरण

चालू वित्त वर्ष (1982-83) में योजना आयोग द्वारा अब तक अनुमोदित सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की संख्या का विवरण

क्रम संख्या	राज्य/स्कीम का नाम	मंजूरी की तारीख	अनुमानित लागत (लाख रु०)	क्षमता में सम्भावित बढ़ोतरी वार्षिक सिंचाई (हे०)	प्रतिष्ठापित क्षमता (मे० वा०)
1	2	3	4	5	6
1.	बहु-उद्देश्यी परियोजनाएं पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान				

1	2	3	4	5	6
	1. थीन बांध बहु-उद्देश्यीय परियोजनाएं और उ० बा० दो० न० चरण-2	27.4.82	26315	3,48,796	525
2. सिंचाई परियोजनाएं					
	राजस्थान				
	2. परवान उद्वहन सिंचाई	7.4.82	379	5.976	
	महाराष्ट्र				
	3. पंझन सिंचाई परियोजना	15.4.82	250.11	2,011	
	गुजरात				
	4. माक्षम सिंचाई परियो-योजना गोवा, दमन और दीव	16,4.82	1099.75	5,259	
	5. सालोली परियोजना का परिशोधित अनुमान	5.6.82	3529.03	21,244	
	3. विद्युत परियोजनाएं				
	हिमाचल प्रदेश				
	6. थिरोट पन-बिजली परियोजनाएं (3 × 1 मे०वा०)	1.5.82	434.50	3	
	7. गज पन-बिजली परि-योजना (3 × 3.5 मे०वा०)	1.5.82	1286.00	10.5	
	कर्नाटक				
	8. घाट प्रभा पन-बिलजी परियोजना (2 × 16 मे०वा०)	25.82	1882,00	32	

1	2	3	4	5	6
	मिजोरम				
9.	सरलुई "क" एकल पन-बिजली स्कीम (1 × 500 कि॰वा॰ और 2 × 250 कि॰ वा॰)	3.6.82	102.62	1	
	तमिलनाडु				
10.	कुंदाह पन-बिजली परियोजना चरण-5 विस्तार (1 × 30 मे॰ वा॰)	26.6.82	1373.00	30	

गोहाटी में बम विस्फोट

1134. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी के एक भीड़भाड़ वाले बाजार बम विस्फोट से हाल ही में बड़ी संख्या में लोग मारे गये थे, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) इस घटना की सरकार द्वारा की गई जांच के परिणाम क्या है;

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) असम सरकार के अनुसार 9 जून, 1982 को लगभग 19.45 बजे, दो व्यक्तियों ने गोहाटी में पलासिल एम्बरी बाजार में कपड़े के एक परित्यक्त थैलों में एक टाइम बम (डिवाइस) देखा। उनमें से एक पुलिस से सम्पर्क स्थापित करने के लिए गया। इसी दौरान उत्सुकतावश, थैलों के चारों तरफ भीड़ एकत्र हो गई। उसके तुरन्त बाद बम का बिस्फोट हो गया, परिणामस्वरूप 19 व्यक्ति मारे गए और 35 व्यक्ति जख्मी हुए। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/120 के साथ पठित विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच प्रभावशाली रूप से की जा रही है। मजिस्ट्रेट द्वारा भी मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 5,000 रुपये की अनुग्रहपूर्वक अनुदान और जख्मी व्यक्तियों को 1,000 से 4,000 रुपये तक का अनुदान देने की घोषणा की है।

धार्मिक स्थानों में अपराधियों को शरण दिया जाना

1135. श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात की जानकारी है कि कुछ अपराधी धार्मिक स्थलों पर शरण लेते हैं या उन्हें शरण दी जा रही है जिसके परिणामस्वरूप पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) तक कानून के अधीन पूजा स्थल में शरण लेने की कोई संकल्पना नहीं है और कोई आपराधिक कानून की प्रक्रिया से बच नहीं सकता। साथ ही, पुलिस पूजा स्थलों में प्रवेश करने में सावधानी बरतती है ताकि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए राज्य पुलिस प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई करेगी ;

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्र वृत्तियां

1136. श्री प्रो० पी० दण्डपाणि : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करने की प्रक्रिया को नियमित करने हेतु एक योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करने की प्रक्रिया को नियमित बनाने के लिए न तो कोई पृथक योजना तैयार की गई है और न विचाराधीन है। परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना केन्द्र द्वारा प्रायोजित वर्तमान स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां योजना के अन्तर्गत आ जाता है।

अंटार्कटिका के लिए दूसरा अभियान

1137. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के पास अंटार्कटिका के लिए शीघ्र ही दूसरा अभियान दल भेजने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और उसके लिए अब तक क्या व्यवस्थायें की गई हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी और पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अगला अंटार्कटिका अभियान ग्रीष्म काल में शुरू किया जाएगा। इसके लिए पोत की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है और अभियान कार्यक्रम का ब्योरा अभी तैयार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे। श्री नारायण दत्त तिवारी।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, हमने एक एडजोनमेंट मोशन दिया है कि बिहार में पटना में पांच सौ हरिजनों के घर जला दिये गए। उनके रिहेबलिटेशन के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : पटना में ऐक्सरे फिल्म नहीं मिल रही है मैंने उसके बारे में आपको नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर कार्य मन्त्रणा समिति में चर्चा करने जा रहे हैं।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं आदि :

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन अधिनियम 1951 की धारा) 8 तक की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 263 (अ), जो 8 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, और जो मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मन्युफक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्धग्रहण की अवधि को पांच वर्ष से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० अ० 297 (अ), जो 23 अप्रैल, 1782 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, और जो मैसर्स कार्टर पूरलर एक कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पाच वर्ष से आगे बढ़ाने के बारे में है तथा अधिसूचना संख्या का० आ० 438 (अ) में प्रकाशित अधिसूचना के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र।

(तीन) का० आ० 278 (अ), जो 26 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, और जो मैसर्स प्लाईबोर्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, पम्पोर, जम्मू और काश्मीर के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को पांच वर्ष से आगे बढ़ाने के बारे में हैं।

(चार) का० आ० 293 (अ), जो 1 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को पांच वर्ष से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(पांच) का० आ० 343 (अ), जो 24 मई, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, और जो मैसर्स इण्डिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि को पांच वर्ष से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(छः) का० आ० 344 (अ), जो 24 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, और जो मैसर्स पुलगांव काटन मिल्स लिमिटेड, पुलगांव के प्रबन्धग्रहण की अवधि को पांच वर्ष से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(सात) का० आ० 437 (अ), जो 22 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, और जो मैसर्स कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, पुदुकोटाई के प्रबन्धग्रहण की अवधि को पांच वर्ष से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी०-4173/82]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टैनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1980-1981 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में गई। देखिए संख्या एल० टी०-4174/82]

(ख) (एक) एन्ड्र्‌य यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) एन्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त मद (2) के (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-4175/82]

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इण्डियन रबड़ मैन्युफक्चर्स रिसर्च एसोसिएशन, थाणे का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा ।

(दो) इण्डियन रबड़ मेन्युफक्चर्स रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-4176/82]

(6) उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 9 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 315 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 11 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा कागज तथा गत्ते के विनिर्माण पर उपकार की वसूली सम्बन्धी 27 अक्तूबर, 1080 की अधिसूचना संख्या का० आ० 862 (अ) में संशोधन किया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 4177/82]

(7) केन्द्रीय लुग्दी और कागज अनुसंधान संस्थान के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे, लेखावर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 4178/82]

भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड की वर्ष 1980-81 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, लिमिटेड की वर्ष 1980-81 की समीक्षा और प्रतिवेदन आदि।

उद्योग तथा इस्पात और खनिज मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारत रिफेक्टरीज लिमिटेड के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत रिफेक्टरीज लिमिटेड का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०4179/82]

(ख) (एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी०-4180/82]

(ग) (एक) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी०-4180-82]

(ग) (एक) इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी०-4181-82]

दामोदर घाटी निगम का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि और वर्ष 1982-83 के लिए दामोदर घाटी निगम के बजट प्राक्कलन।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपयुक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1982-83 के बजट प्राक्कलनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी०-4182/82]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं, डिस्कशन आ रहा है, आ रहा है।

केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे आदि, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन और समीक्षा तथा टाटा इंस्टीच्यूट और फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई का वर्ष 1979-80 का प्रतिवेदन और समीक्षा ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी०-4183/82]

(2) (एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये : देखिए सं० एल० टी०-4184/82]

(4) टाटा इंस्टीच्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) (एक) टाटा इंस्टीच्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा; और

(दो) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी०-4185/82]

गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली और केन्द्रीय सिविल सेवा नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के प्रतिवेदन और समीक्षा; संविधान के अधीन अधिसूचना और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं आदि।

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल रखता हूं :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी-4186/82]

(तीन) केन्द्रीय सिविल सेवा नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(चार) केन्द्रीय सिविल सेवा नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी०-4187/82]

(2) संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति हिन्दी तरा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 480 (अ), जो 9 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनमें 23 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 73 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1982 जो 29 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 481 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए सं० एल० टी०-4188/82]

(२) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन), दूसरा संशोधन विनियम, 1982, जो 26 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 254 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1982 जो 26 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 355 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन, विनियम, 1982, जो 27 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 356 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1982, जो 27 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 357 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशो-विनियम, 1982, जो 8 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 419 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1982 जो 8 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 420 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1982, जो 8 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 421 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1982, जो 8 मई, 1982 में भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 4.2 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1982, जो 29 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 478 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1982, जो 29 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 479 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1982, जो 31 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ नि० 438 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1982, जो 31 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 439 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1982, जो 5 जून, 1982 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 510 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियमन, 982, जो 5 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 511 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय मे रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-4189/82]

(4) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 954/स्पेशल सेल/पी० एच० क्यू० की एक प्रति (हिन्दी तथा सस्करण), जो 30 अप्रैल, 1982, के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों के अनुरक्षण सम्बन्धी विनियम 1980 में कुछ संशोधन किये गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-4190/82]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मई डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन के लिए कर रहे हैं।

(व्यवधान)

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम आदि के वार्षिक लेखे आदि

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं श्री धर्मवीर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

( ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 952 की धार 7 की उपधार (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1982, जो 17 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 393 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1982, जो 8 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 437 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 4191/82]

(2) कर्मचारी परिवार पेंशन स्कीम, 1971, के वर्ष 1971-72 से 1980-81 तक के और कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के वर्ष 1976-77 से 1980-81 तक के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०4192/82]

(3) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 4193/82]

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय के उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (1) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 286 के अन्तर्गत आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 2 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 472 (क) मे प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4194/82]

(2) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1976 की धारा 2 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) दिल्ली विक्रय कर (पहला संशोधन) नियम, 1982, जो 31 मई, 1982 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 4(7) /82-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली विक्रय कर (दूसरे संशोधन) नियम, 1982 जो 30 जून, 1982 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 4 (40)/80-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4195/82]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 144 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 375 (अ) से 380 (अ), जो 11 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो विशेष उत्पाद-शुल्कों से छूटों को जारी रखने के बारे में हैं।

(दो) सा० का० नि० 381 (अ) से 383 (अ), जो 11 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो ट्रांसफार्मर आयल, लिक्विड पैराफीनों तथा व्हाइट आयल की शुल्क देयता को उनके अपने-अपने मूल्य भंडारों को अन्तरित करने के बारे में हैं।

(तीन) सा० का० नि० 384 (अ), जो 11 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा वित्त विधेयक के अधिनियमित होने के परिणाम-स्वरूप 1 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या 26/81-के० उ० शु० में संशोधन किया गया है।

(चार) सा० का० नं० 385 (अ), जो 11 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 24 फरवरी, 1982 की अधिसूचना संख्या 64/82 के० उ० शु० में संशोधन किया गया है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि डुप्लेक्स पेपर बोर्ड को निम्न घनत्व के पोली-थीन लेमीनेटेड बोर्ड के निर्माण में इस्तेमाल किये जाने पर, जिसे दूध पैकिंग के काम में लाया जाए, सम्पूर्ण छूट मिलेगी।

(पांच) सा० का० नि० 386 (अ), जो 11 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा कतिपय अधिसूचनाओं को रद्द किया गया है।

(छः) सा० का० नि० 387 (अ), जो 11 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो अधिसूचना संख्या 73/82-के० उ० शु० के अधिलंघन तथा मद संख्या 18 के अन्तर्गत आने वाले मानव निर्मित विनिर्दिष्ट तन्तु तथा धागों की दर नियत करने के बारे में हैं।

(सात) सा० का० नि० 388 (अ), जो 11 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो वित्त विधेयक के अधिनियमित होने के बाद टैरिफ मद संख्या 68 के अंतर्गत आने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं पर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वर्तमान छूटों को जारी रखने के बारे में हैं।

(आठ) सा० का० नि० 389 (अ) जो 11 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 1982 के बजट में वैक्यूम फलास्कों और उनके हिस्सों पर सम्पूर्ण छूट देने के फलस्वरूप 19 जून, 1980 की अधिसूचना संख्या 80/80-के उ० शु० के अधीन दी जाने वाली लघु छूट योजना से वैक्यूम फलास्कों और उनके हिस्सों को वंचित रखने के बारे में है।

(नौ) सा० का० नि० 446 (अ), जो 3 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो कतिपय ताप स्थापित राल और इंजीनियरी प्लास्टिक के माल पर मूल शुल्क को घटा कर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार करने के बारे में है।

(दस) सा० का० नि० 447 (अ), जो 5 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कैपरोलेक्टम पर मूल उत्पाद शुल्क में करने के बारे में हैं।

(ग्यारह) सा० का० नि० 458 (अ) और 459 (अ), जो 19 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो वाटर फिल्टरों को उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में हैं।

(बारह) सा० का० नि० 457 (अ), जो 18 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो हाथ से चलाई जाने वाली मशीनों की मदद से तैयार किए गए सूती वस्त्र के लिए उत्पाद शुल्क की छूट की योजना में संशोधन के बारे में है।

(तेरह) सा० का० नि० 470 (अ), जो 25 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा कतिपय किस्मों के सूती कपड़े के लिए शुल्क की रियायती दरें निर्धारित की गई हैं ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 4196/82]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 390 (अ), जो 11 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 28 फरवरी, 1982 की अधिसूचना संख्या 54/82-सी शु० को रद्द किया गया है ।

(दो) सा० का० नि० 391 (अ) से 409 (अ), जो 11 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो उपसंगी सीमा शुल्क की वर्तमान छूटों को जारी रखने के बारे में है ।

(तीन) सा० का० नि 410 (अ), जो 11 मई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की संगत मद में किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 228-सीशु में प्रयुक्त "प्लास्टिक" शब्द की पुनः परिभाषा की गई है ।

(चार) सा० का० नि० 444 (अ), जो 3 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो कतिपय रालों और प्लास्टिकों पर मूल सीमा शुल्क में वृद्धि करने के बारे में है ।

(पांच) सा० का० नि० 445 (अ), जो 3 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो एक्रीलोनीट्राइल बेताडीन स्टाइरीन, स्टाइरीन एक्रोनीट्राइल, पोली कार्बोनेट पोलीएसीटलस और पोली टेट्रा फ्लोरोथीलीन पर मूल सीमा शुल्क को 60 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 100 प्रतिशत मूल्यानुसार करने के बारे मे है ।

(छः) सा० का० नि० 448 (अ), जो 5 जून, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कैपरोलैक्टम पर प्रभावी सीमा शुल्क (मूल जमा उपसंगी) को मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 55 प्रतिशत करने के बारे में है ।

(सात) सा० का० नि० 489 (अ), जो 21 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना के अधिलघन में 7 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में सपरिवर्तित करने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है।

(आठ) सा० का० नि० 485 (अ), जो 5 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो काफी पर निर्यात शुल्क की दर को 120 रुपये प्रति क्विटल से बढ़ाकर 190 रुपये प्रति क्विटल करने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4197/82]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अलाऊ कर दिया है। फिर बाकी क्या रह गया है? (व्यवधान) आप चिल्ला क्यों रहे हैं कृपया बैठ जाइये।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (1981-82) की बैठकों के निम्नलिखित कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) तेल कम्पनियां-खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात और गैस के वितरण के बारे में 47वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(2) भारतीय पर्यटन विकास निगम के बारे में 48वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(3) सरकारी उपक्रम प्रबन्ध तथा नियन्त्रण प्रणालियों के बारे में 49वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(4) इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड के बारे में 50वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(5) प्रक्रिया तथा विविध मामलों से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नोटिस दीजिए, सबके नोटिस आते हैं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : बहुत गंभीर मामला है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है । कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल न किया जाए । मैंने इन्हें अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)*

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के चेयरमैन सभा-पटल पर विभिन्न कार्यवाही-सारांश रख रहे हैं । नियम 273 के उपनियम (5) के अनुसार सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की कार्यवाही एव साक्ष्यों का शब्दश: विवरण सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए। एक परिभाषा के अनुसार···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा कार्य है । क्या कर रहे हैं आप ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, कृपया मुझे मेरा निवेदन पूरा कर लेने दीजिए । मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा था ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी व्यास ने कहा है, उसे सभा की कार्यवाही वृतांत में शामिल न किया जाए । मैंने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ क्यों नहीं जाते ?

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रोसीडिंग कभी ले नहीं करते ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री व्यास, कृपया बैठ जाइये । क्या यह अच्छी बात है ?

(व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर दिल्ली सदर) : श्रीमन्, वह एक महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं। जोकि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है । श्रीमन्, इन्हें बोलने दिया जाय ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक मूलभूत प्रश्न उठा रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको अनुमति नहीं दी है । यदि कोई पुराना सदस्य इस तरह का व्यवहार करेगा । तो फिर मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न पर आ रहा हूं । कृपया मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुनें । अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो इसे रद्द कर सकते हैं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कई एक विपक्षी सदस्यों ने अपने संयुक्त पत्र में आपसे अनुरोध किया है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की कार्यवाही का शब्दशः विवरण पेश किया जाए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बात समझ में नहीं आती कि आप स्पीकर कब से बन गए ? आप बैठ क्यों नहीं जाते ? आप इस तरह व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम 273 के उपनियम (5) के अनुसार यह प्रावधान है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का शब्दशः विवरण सभा-पटल पर रखा जाए ।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : वह क्या कर रहे हैं संसदीय कार्य मन्त्री महोदय? अगर वे इसी तरह सदन की कार्यवाही को रोकना चाहते हैं तो हम भी जानते हैं कि जब आप भाषण दे रहे हों तो, वैसे बाधा नहीं डाली जाए। वह ऐसा नहीं कर सकते । आप

कृपया उन्हें बता दें । वे ऐसा नहीं कर सकते । वे सदन की कार्यवाही में इस प्रकार की बाधा नहीं डाल सकते । (व्यवधान)

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : ये लोग रोज सदन में समय बर्बाद करते हैं, उनको आप कुछ नहीं कहते । आप उनकी बात सुनते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वर नीखरा : इस तरह से जोर-जोर से बोलकर आप हमको दबा नहीं सकते हैं । आप रोज इस तरह से समय खराब करते हैं । अध्यक्ष महोदय, आप भी उनकी बात सुनते हैं। हमारी नहीं सुनते हैं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : फालतू बातों के लिए तो आप समय दे देते हैं, हमें नहीं देते हैं...

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसे बोलते जाना क्या शोभा देता है ? बुजुर्ग आदमी को ऐसे नहीं करना चाहिए ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैंने भी...

अध्यक्ष महोदय : मैं अब इस व्यक्ति का 'नाम' पुकारने जा रहा हूं । मन्त्री महोदय, अब मैं इनका 'नाम' पूकारने जा रहा हूं । मैंने उनको व्यवस्था का प्रश्न रखने की अनुमति दी है और वह व्यवस्था का प्रश्न रख रहे हैं । मैं उसे अस्वीकार कर सकता हूं या नहीं भी पर यह कोई तरीका नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन्, वे कह रहे हैं क्यों ? व्यवस्था का प्रश्न रखने के लिए मुझे उनकी अनुमति की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए ? श्रीमन्, मैं तीसरी दफा पुनः व्यवस्था का प्रश्न रख रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : श्रीमन्, कृपया उन्होंने नियम का हवाला देने के लिए कहें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको रद्द कर दूंगा । आप क्यों बाधा डाल रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नाडार को क्या हो गया है ?

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन्, मैं श्री भोले को बताना चाहता हूं कि मैंने शुरूआत ही नियम से की थी। श्रीमन्, मैंने पहले ही कह दिया है कि...

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है, आगे कहिए।

प्रो० मधु दंडवते : लेकिन आप भूल गए होंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं भूलता नहीं हूं। भूलना मेरी आदत नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है। श्रीमन्, मैं आपकी स्मरण शक्ति का बड़ा आदर करता हूं। नियम 273 के उपनियम (5) में जो कि पृष्ठ 128 पर हैं, लिखा है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की बैठकों की कार्यवाही का शब्दशः विवरण रखा जा सकता है। क्योंकि सभा-पटल पर दस्तावेज रखने के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं हो सकती, इसलिए मैं व्यवस्था के प्रश्न के जरिए केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बाधा डाल रहे है ? मैं उनके व्यवस्था के प्रश्न को अभी रद्द कर दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : इसलिए मैं तो केवल प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न उठा रहा हू क्योंकि हमने यहां पढ़ा है कि बैठक का कार्यवाही सारांश यहां सभा-पटल पर रखा जा रहा है। क्या वे बैठक का सिर्फ कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रख रहे हैं या कि इसमें, विपक्षी सदस्यों द्वारा मांग की गई वस्तु भी शामिल है अर्थात क्या सरकारी उपक्रमों सबधी समिति की बैठकों की कार्यवाही शब्दशः विवरण, विशेषकर 2 अप्रैल की बैठक में हुई कार्यवाही का, जिसमें पैट्रोलियम पदार्थों के सौदों पर चर्चा हुई थी, भी सदा-पटल पर रखा जा रहा है ? मैं सिर्फ यही जानकारी चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह वैसे ही किया गया है, जैसे कि हमेशा आम तौर पर किया जाता रहा हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : लेकिन श्री अरुण शौरी ने बैठक के शब्दशः विवरण से उद्धृत दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उसे रद्द करना होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन्, जो कुछ बाहर के लोगों को प्राप्त है, उसे संसद सदस्यों को देने से मना नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन श्री वाजपेयी, यह देखना होगा कि क्या यह गोपनीय है या इसे अनुचित तरीके से तो प्राप्त नहीं कर लिया गया। हमें इस बात का फैसला करना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन्, गोपनीय क्या है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : या तो आप श्री शोरी को दंड दें या इन कागजातों को सभा पटल पर रखने दें।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं निर्णय दूंगा, तब हम फैसला करेंगे कि बात क्या है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमन् हमें कब तक इन्तजार करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं निर्णय नहीं दे देता, तब तक आपको इन्तजार करना पड़ेगा। बड़ी आसान और स्पष्ट बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन्, आपका निर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि होता आया है, यह केवल बैठकों की कार्यवाही-सारांश ही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शब्दशः प्रतिवेदन के बारे में क्या निर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : शब्दशः प्रतिवेदन, कभी भी पेश नहीं किया जाता।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन्, मैंने आपको एक पत्र लिखा था...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उसका जबाव कल दूंगा। अभी तो मिनिट्स आ रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने पत्र लिखा है कि मैं वरबेटिम रिकार्ड देखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कल मैं आपको जवाब दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जिस चीज को अरुण शोरी देख चुके हैं उसे हम आप देखने से मना नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता दूंगा । और मुझे आशा है आप सन्तुष्ट होंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, क्या हमें उसका भी जवाब मिलेगा ? सात विपक्षी दलों ने आपको लिखा था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको जवाब दूंगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमन्, आप इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखने की अनुमति क्यों नहीं देते ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमन्, मैंने आपको एक सूचना दी है । जब 47वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया था, तभी बैठकों के कार्यवाही सारांश भी रखे जाने चाहिए थे । पर ऐसा नहीं किया गया । कल हमने, इस संबंध में आपको एक पत्र लिखा था । और हम चाहते है कि कम से कम आप हमें शब्दशः विवरण (रिकार्ड) उपलब्ध करवायें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया है, और कल मैं इस पर निर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

नहीं, नहीं । कृपया बैठ जाइये । अब मैंने श्री तिवारी को बोलने की अनुमति दी है ।

श्री राम विलास पासवान : इस पर आप डिस्कशन क्यों नहीं करवाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । मैं अपना निर्णय कल दे रहा हूं ।

अब आप गलत काम कर रहे हैं । अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी मैंने नहीं ली है जो अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं ।

श्री राम विलास पासवान : दूसरे लोग देख सकते हैं और सदन के सदस्य उसको नहीं देख सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : चोरी भी लोग करते हैं जो कानून के खिलाफ होता है । मैं उसकी जिम्मेदारी नही लेता हूं । वह सरकार करेगी, या सदन करेगा ।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाना होता...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। बैठ जाइए, मैंने श्री तिवारी को बोलने की अनुमति दी है।

मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

प्रो० के० के० तिवारी : प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाते हैं..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नाहार, बैठ जाइए, बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड (वित्तरण) के बारे में निर्णय कल दूंगा। वह मैंने आपको बता दिया है।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : हमने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। वे हमारा मुंह बन्द करना चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई प्रश्न नहीं। यह असंगत नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं समझता हूं कि श्री दंडवते द्वारा उठाया गया प्रश्न अत्यन्त असंगत है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही उसे रद्द कर दिया है, आप क्या करना चाहते हैं ? मैंने पहले ही उसे रद्द कर दिया है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन्, क्या आपने अपनी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर दिया है ? वह कैसे निर्णय दे सकते हैं ? किस नियम के अन्तर्गत वह ऐसा कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इसकी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी अनुमति के बिना मत बोलिए।

प्रो० के० के० तिवारी : प्रतिवेदन सभा पटल पर रखना होता है। सभा-पटल पर रखने से पहले...

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इसे रद्द कर दिया है। आप क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं ? श्री तिवारी आप मेरे निर्णय पर निर्णय नहीं दे सकते। क्या आपको मेरे निर्णय से ऊपर कोई विशेष शक्तियां प्राप्त हैं ? नहीं।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं ? यह एक नितान्त असम्भव बात है। जिस पर आप चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, वह असंगत है, इसको कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाए।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह बातें समाचार पत्रों में छप चुकी हैं। "इंडियन एक्सप्रेस" ने इन्हें छापा है। आपको इस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए—विपक्षी दल ऐसा चाहते है।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : अध्यक्ष जी, 25 करोड़ रुपए का घपला है। 7 अप्रैल को "दैनिक जागरण" में जिक्र था और मैंने 27 अप्रैल को यहां उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मधुसूदन वैराले।

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (1981-82) की बैठकों के निम्नलिखित कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) तेल कम्पनियां-खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात और गैस के वितरण के बारे में 47वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(2) भारतीय पर्यटन विकास निगम के बारे में 48वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(3) सरकारी उपक्रम-प्रबन्ध तथा नियन्त्रण प्रणालियों के बारे में 49वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(4) इन्जिनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के बारे में 50वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(5) प्रक्रिया तथा विविध मामलों से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौवालीसवां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन् (मद्रास उत्तर) मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 49वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

श्री आर० एन० राकेश : 250 करोड़ रु० का घपला हुआ है ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया, अब आप बैठ जाइए ।

समिति के लिए निर्वाचन

लाभ के पदों सम्बन्धी समिति

श्री गुलशेर अहमद (सतना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, लाभ के पदों सम्बन्धी समिति के शेष कार्यकाल के लिए, श्री जगन्नाथ कौशल, जिन्होंने समिति से त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, लाभ के पदों सम्बन्धी समिति के शेष कार्यकाल के लिए, श्री जगन्नाथ कौशल, जिन्होंने समिति से त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनको अनुमति नहीं दी गयी है। आप बैठते क्यों नहीं ? क्या आपको मर्यादा का कोई ध्यान है ? कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

संविधान (46वां संशोधन) विधेयक – जारी

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 13 जुलाई को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव को सभा द्वारा मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मैं प्रत्येक सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि वह अपनी निर्धारित सीट पर बैठे। प्रत्येक सदस्य से निवेदन है कि वह अपने मत का शुरू में ही 'हां' या 'नहीं' या तटस्थता को जैसा भी हो ठीक तरीके से रिकार्ड करें ताकि संशोधन का कोई मौका ही न मिले।

मैं संक्षेप में बता दूं कि अध्यक्षपीठ द्वारा 'अब मत विभाजन" की घोषणा किए जाने पर स्वचालित मत रिकार्डिंग मशीन के सक्रिय होते ही एक घड़ियाल की आवाज होगी जो कि सदस्यों के लिए मतदान करने का दृश्य होगा। प्रत्येक सदस्य को पुश स्वीच दबाना है और इसके बाद 'हां' 'नहीं' या तटस्थ में से एक पुश बटन को संचालित करना है। पुश स्विच को और पुश बटन को साथ-साथ दबाकर रखा जाना चाहिए जब तक कि दस सैकेन्ड बाद दोबारा घन्टे की आवाज न हो।

सदस्यों का सहयोग वांछनीय है।

चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है, सभा के समक्ष इस पर विचार करने का प्रस्ताव रखे जाने से पूर्व इस पर विभाजन द्वारा मतदान किया जाना।

प्रकोष्ठों को खाली कर दिया जाय—

प्रकोष्ठ खाली हो गये हैं।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 2 12.26 बजे

पक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील

अब्दुल समद, श्री

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

अमरीन्द्र सिंह, श्री

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

एन्थनी, श्री फ्रैंक

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियार

असमाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालानन्दन, श्री ई०

बालेश्वर राम, श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

बन्सी लाल, श्री

बैरो, श्री ए० ई० टी०

बरवे, श्री जे० सी०

बसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भट्टाचार्य, श्री सुशील

भीखाभाई, श्री

भोई, डा० कृपा सिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भूरिया, श्री दलीप सिंह

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

बोड्डेपल्ली, श्री राज गोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दन कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्रशेखर सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा श्री टी० वी०

चरणजीत सिंह, श्री

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री त्रिदिव

चह्वाण, श्री यशवन्त राव

चह्वाण, श्री एस० बी०

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिमबांग कोनयक, श्री

चिन्नास्वामी, श्री सी०

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्री चित्तूरी सुब्बा राव

चौधरी, श्री के० बी०

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चौहान, फतेहभान सिंह

डाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दलवीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दत्त, श्री कमल

दास, श्री अनादि चरण

देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस०

देसाई, श्री बी० वी०

देव, श्री सन्तोष मोहन

देवराजन, श्री बी०

दण्डपाणि, श्री सी० टी०

दिगम्बर सिंह, श्री

दिग्विजय सिंह, श्री

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ईरा अनाबारासु, श्री

ईरा मोहन, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गधावी, श्री भेरावदन

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतू भाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गाबित, श्री मनिकराव होडल्या

गहलोत, श्री अशोक

घारपाड़े, श्री आर० वाई

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गिरि, श्री सुधीर

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौंडर, श्री ए० सेनापति

गोजगिन, श्री एन०

गोडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गोडा, श्री एच० एन० नन्जे

गुलशेर अहमद, श्री

हेमब्रम, श्री सेत

होरो, श्री एन० ई०

इम्बीचीबावा, श्री ई० के०

इन्द्रवेश, स्वामी

इन्द्रा कुमारी, श्रीमती

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जगपाल सिंह, श्री

जयदीप सिंह, श्री

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जमीलुर्रहमान, श्री

जटिया, श्री सत्यनारायण

जैना, श्री चिन्तामणि

झा, श्री कमल नाथ

जिनेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कलानिधि, डा० ए०

कामाक्षैया, श्री डी०

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कंडास्वामी, श्री एम०

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

केन, श्री लालाराम

केयर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री महमूद हसन

खां, श्री मलिक एम०एम०ए०

खां, श्री जल्फिकार अली

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोन्नियन, श्री पी० के०

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस०एम०

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

कुवंर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन्, श्री जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

लारेंस, श्री एम० एम०

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महाटा, श्री चित्त

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मंडल, श्री धनिक लाल

मीणा, श्री रामकुमार

मेहता, डा० महिपतराय एम०

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्री समर

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम०वी० चन्द्रशेखर

मुरुगैयन, श्री एस०

मुथु कुमारन, श्री आर०

नगीना राय, श्री

नहाटा, श्री बी० आर०

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

उराव, श्रीमती सुमति

पदायाची, श्री एस०एस० रामास्वामी

पाल, प्रो० रूप चन्द

पांडे, श्री केदार

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पासवान, श्री राम विलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री अमृत

पटेल, श्री मोहन भाई

पटेल। श्री उत्तम भाई एच०

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री बसन्त राव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव श्री एस० बी० पी०

पत्तुस्वामी, श्री बी०

पवार, श्री बालासाहिब

पेंचलैया, श्री पसाला

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ता राम

प्रभु, श्री आर०

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलसुया, श्री दारूर

पुष्पा देवी सिंह, कुमारी

काजी सलीम, श्री

कादरी, श्री एस० टी०

रहीम, श्री ए० ए०

राय, श्री एम० रामन्ना

राजामल्लू, श्री के०

राजन, श्री के० ए०

राजू, श्री पी० वी० जी०

राजू, श्री राम स्वरूप

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति श्री, के०

रणवीर सिंह, श्री

राणे, श्रीमती संयोगिता

रंगा, प्रो० एन० जी०

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जगन्नाथ

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० एस० संजीवी

रशीद मसूद, श्री

राठौर, श्री उत्तम

रावत, श्री भोला

रावाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ओबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० बायपा

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

राय, श्री ए० के०

राय, डा० सरदीश

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री शिव प्रसाद

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशंकरन

सतियेन्द्रन, श्री एम० एस० के०

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सईद, श्री पी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेलवाराजू, श्री एन०

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी० सी०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शाक्य, श्री दयाराम

शंक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री चिरन्जी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा श्री नवल किशोर

शर्मा श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री रामावतार

शिणडा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री वी० डी०

सिंह, डा० बी० एन०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिंहा, श्रीमती रामदुलारी

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोनकर, श्री कल्पनाथ

सोरन, श्री हरिहर

स्पेरो, श्री आर० एस०

श्री निवास प्रसाद, श्री वी०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुब्बा, श्री पी० एम०

सुब्बुरमण श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्यनारायण सिंह, श्री

सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० वी०

तारिक अनवर, श्री

तेइयेग, श्री सोबेंग

तैयब हुसन, श्री

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाऊसाहिब

थुंगोन, श्री पी० के०

तिरकी, श्री पीयूस

तिवारी श्री चन्द्रभान मणि

तिवारी, श्री नारायण दत्त

त्रिलोक, चन्द्र, श्री

त्रिपाठी, श्री कमलापति

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

बैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जयराम

बेलू, श्री ए० एम०

बेंकटरामन श्री आर०

बेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

वर्मा, श्री शिव शरण

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

वीरभद्र सिंह, श्री

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वास, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बाल कृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री विजय कुमार

याजदानी, डा० गोलम

यूसफ, श्री मोहम्मद

जायनल अबेदिन, श्री

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

भीम सिंह, श्री

चतुर्भुज, श्री

दण्डवते, श्रीमती प्रमिला

*हरिकेश बहादुर, श्री

मण्डल. श्री सनत कुमार

निहाल सिंह श्री

पंडित, डा॰ वसन्त कुमार

पाटिल श्री जगन्नाथ

परुलेकर, श्री बापूसाहिब

राही श्री राम लाल

राजदा, श्री रतन सिंह

राकेश, श्री आर॰ एन॰

रामन्ना, श्री टी॰ आर॰

शेजबलकर, श्री एन॰ के॰

सोरन, श्री शिबु

तुर, श्री लहना सिंह

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत-विभाजन का* परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 364

विपक्ष में : 16

प्रस्ताव सभा को समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

*गलती से विपक्ष में मत-दान किया।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत-विभाजन में भाग लिया।

खण्ड 2

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं। चूंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है। खण्ड 2 पर मतदान करने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि मतदान विभाजन द्वारा किया जाना है। प्रकोष्ठ खाली हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 3 12-29 बजे

पक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील

अब्दुल समद, श्री

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

अमरीन्द्र सिंह, श्री

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

एन्थनी, श्री फ्रैंक,

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

पक्ष में : श्री मगनभाई बारोट, श्री बी० एन० गाडगिल, श्री रामायण राय, श्री प्रभु नारायण टंडन, श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी, श्री आर० एन० त्रिपाठी०, श्री सैयद मुजफ्फर हुसैन, श्री के० बी० एस० मणि, श्री नाथू राम सिंधी, श्रीमती गीता मुखर्जी, श्री एन० सुन्दर राजन, श्रीमती गायत्री देवी, श्री मोहम्मद इस्माइल तथा श्री हरिकेश बहादुर :

विपक्ष में : श्री बाबूराव परांजपे।

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डमूर लाल

वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालानन्दन, श्री ई०

बालेश्वर राम, श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

बन्सी लाल, श्री

बरोट, श्री मगनभाई

बैरो, श्री ए० ई० टी०

बरवे, श्री जे० सी०

बसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरन्जन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भट्टाचार्य, श्री सुशील

भीम सिंह, श्री

भोई डा० कृपासिंधु

भोले श्री आर० आर०

भुरिया, श्री दिलीप सिंह

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधान

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्रशेखर सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी॰ वी॰

चरणजीत सिंह, श्री

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्भुज, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री त्रिदिब

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चव्हाण, श्री एस॰ बी॰

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिगवांग कोनयक, श्री

चिन्नास्वामी, श्री सी॰

चौबे श्री नारायण

चौधरी श्री के॰ बी॰

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी, श्री ए॰ बी॰ ए॰ गनी खान

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दत्त श्री० प्रमल

दास, श्री अनादि चरण

देव, श्री बी० किशोर चन्द्र एस०

देसाई, श्री बी० बी०

देव, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री बी०

दन्डपाणि, श्री सी० टी०

दिगम्बर सिंह, श्री

दिग्विजय सिंह, श्री

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ईरा अनावारासु, श्री

ईरा मोहन, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इंदिरा

गांधी, श्री राजीव

गावित, मतिकराव होबल्य

गहलोत, श्री अशोक

घारपाड़े, श्री आर० वाई०

गुफरान आजम श्री

गिरिराज सिंह

गिरि, श्री सुधीर

गोहिल, श्री जी० बी०

गांमांगो, श्री गिरिधर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौंडर, श्री ए० सेनापति

गोजगिन, श्री एन०

गोडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गोडा, श्री एच० एन० नन्जे

गुलशेर अहमद, श्री

हेमब्रम, श्री सेत

होरो, श्री एन० ई०

इम्बीचीबावा, श्री ई० के०

इन्द्रवेश, स्वामी

इन्द्रा कुमारी, श्रीमती

जाफर शरीफ, श्री सी० के

जगपाल सिंह, श्री

जयदीप सिंह, श्री

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जमीलुर्रहमान, श्री

जटिया, श्री सत्यनारायण

जेना, श्री चिन्तामणि

झा, श्री कमलनाथ

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहुनडोल, श्री झेड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कलानिधि, डा० ए०

कामाक्षैया, श्री डी०

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कन्डास्वामी, श्री एम०

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

कैयर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री महमूद हसन

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जल्फिकार अली

किदवई, श्रीमती, मोहसिना

कोडियन, श्री पी० के०

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कूचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदवेलु, डा० वी०

कुंवर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन् श्री जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

लारेंस, श्री एम० एम०

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजना श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महाटा, श्री चित्त

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मकवाना, श्री नरसिंह

मालान्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मंडल, श्री धनिक लाल

मणि, श्री के० बी० एस०

मीणा, श्री रामकुमार

मेहता, डा० महिपतराय एम०

मिर्धा, श्री नथूराम

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

महन्ती, श्री ब्रजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखर्जी, श्री समर

मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुरूगैयन, श्री एस०

मुथु कुमारन, श्री आर०

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नहाटा' श्री बी० आर०

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

निहाल सिंह, श्री

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

उरांव, श्री सुमति

पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी

पांडे, श्री केदार

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो॰ नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर॰

पार्थसारथी, श्री पी॰

पासवान, श्री राम विलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री अमृत

पटेल, श्री मोहन भाई

पटेल, श्री उत्तम भाई एच॰

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए॰ टी॰

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री बी॰

पाटिल, श्री उत्तम राव

पाटिल श्री बसत राव

पाटिल, श्री बीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन॰

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री एस॰ बी॰ पी॰

पत्तु स्वामी, श्री डी॰

पवार, श्री बालासाहिब

पेंचालैया, श्री पसाला

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलस्या, श्री दारुर

पुष्पा देवी सिंह, कुमारी

काजी सलीम, श्री

कादरी, श्री एस० टी०

रहीम, श्री ए० ए०

राय, श्री एम० रामन्ना

राजामल्लू, श्री के०

राजन, श्री के० ए०

राजू, श्री पी० वी० जी०

राम, श्री राम स्वरूप

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति, श्री के०

रणवीर सिंह, श्री

राणे, श्रीमती संयोगिता

रंगा, प्रो० एन० जी०

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जगन्नाथ

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० एस० संजीवी

रशीद मसूद, श्री

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के ओबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपालन

रेड्डी, श्री पी० बायपा

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रोथूआमा, डा० आर०

राय, श्री ए० के०

राय, डा० सरदीश

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजीत कुमार

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशकरन

सतियेन्द्रन, श्री एम० एस० के०

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सईद, श्री पी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेलवाराजू श्री एन०

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी० सी०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शाक्य, श्री दयाराम

शक्यवार, नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री चिरञ्जी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री रामावतार

शिंगडा, श्री डी० बी०

शिवशंकर श्री पी०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंगारावा डोवेल, श्री एस०

सिंह, श्री बी० डी०

सिंह, डा० बी० एन०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सोलंकी श्री बाबूलाल

सोलंकी, श्री कल्पनाथ

सोनकर, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एम०

स्पेरो, श्री आर० एस०

श्री निवास प्रसाद, श्री बी०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुब्बा, श्री० पी० एम०

सुब्बुरमण्यु, श्री० ए० जी०

सुखबन्सकौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० बी०

टन्डन, श्री प्रभुनारायण

तारिक अनवर, श्री

तेहर्बेम, श्री सोबेंग

तैयब हुसन, श्री

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाईसाहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिवारी, श्री नारायण दत्त

त्रिलोक, चन्द्र, श्री

त्रिपाठी, श्री कमलापति

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

टुन्डु, मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोट लाल

वराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जय राम

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटरामन, श्री आर०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

वर्मा, श्री शिव शरण

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

वीरभद्र सिंह, श्री

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री राम सिंह

तादव श्री बिजय कुमार

याजदानी, डा० गोलम

यूसफ, श्री मोहम्मद

जैल सिंह, श्री

जायनल अबेदिन, श्री

जेनल बशर, श्री

विपक्ष में

*केन, श्री लाला राम

मण्डल, श्री सनत कुमार

पंडित, बसन्त कुमार कुमार

परुलेकर, श्री बापूसाहिब

पाटिल, श्री जगण्नाथ

राजदा श्री, रतन सिंह

राकेश, श्री आर० एन०

शमन्ना, श्री टी० आर०

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन विभाजन* के परिणाम इस प्रकार हैं :

पक्ष : 365

विपक्ष में : 8

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड दो विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 8 से 11 का लोप कर दिया जाये। (10)

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : यह संविधान में समर्थकारी प्रावधान है। विभिन्न राज्य सारकारें अपने बिक्री कर कानून बनायेंगी। परन्तु कुछ श्रेणियों में विशेष रूप से परेषण स्थानान्तरण और भारक क्रम के लिए हम महसूस करते हैं, कि कुछ समरूपता होनी चाहिए क्योंकि हमें व्यापारियों तथा अन्यों से शिकायतें मिल रही हैं कि इनमें कोई समरूपता नहीं है। कुछ राज्यों में कुछ अधिक है और कुछ में ऐसा नहीं है।

---

*गलती से विपक्ष में मत-दान किया।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत विभाजन में भाग लिया :

कराधान के सिद्धान्त से भी यही, आप किसी सीमा तक जायें तो उदाहरण के लिए यदि कुछ राज्य सरकारें 20 प्रतिशत तक बिक्री कर लगाती हैं तो निश्चित रूप से इसे अत्यधिक ही कहा जायेगा। इसीलिए मैं महसूस करता हूं कि संसद को ऐसी श्रेणियों के सम्बन्ध में एक रूपता लाने के लिये कुछ शक्ति होनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : स्थिति यह है। अन्य सभी वस्तुओं पर सामान्य बिक्री कर लगाने के सम्बन्ध में राज्य विधान मडल ही कर लगाने के तरीके तथा कर की दरों का निर्धारण करती हैं। अब मन्त्री परेषण स्थानान्तरण व भाटक क्रय करने वाले लोगों के लिए चिन्तित हैं जो कि अश्लाघनीय तरीके से कुछ लाभ उठा रहे हैं जो उनको उपलब्ध नहीं है। जब वस्तुओं संकर्म संविदा की बिक्री या खरीद की परिभाषा को उपखण्ड 29 क के अन्तर्गत जिसको कि संविधान के अनुच्छेद 366 में अन्त: स्थापित किया जाना है, विस्तृत कर दिया जाता है तो यह सौदों पर बिक्री कर लगाने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की शक्तियों का विस्तार हो। यहां बिक्री कर विधान में एक रूपता लाने के बहाने वे कर की दरों के सम्बन्ध में भी शक्ति लेना चाहते हैं। यह राज्य विधान मडल को फैसला करना है। कि बिक्री कर की उचित दर क्या होनी चाहिए। उन्होंने कर की वसूली करनी है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनके लिए श्रेष्ठ क्या है।

हम इस धारणा को नहीं मानते कि ज्ञान सबसे अधिक दिल्ली में ही उपलब्ध है या सारी बुद्धिमानी दिल्ली में ही केन्द्रित है। राज्य सरकारों को पता होता है कि कितनी आवश्यकता होगी। उनको पता होता है कि कितने सौदे हो रहे हैं और कितनी मात्रा में कर लगाये जाने चाहिए। कोई राज्य विधान मण्डल कर अनुचित की दर क्यों लगाये उनको कोई लाभ नहीं मिलता। यदि दरें बहुत अधिक हों तो यह समयहारी हो जाता है। परन्तु उस समय कानून के अन्दर इसके लिए उपाय हैं। श्री पी० शिव शंकर भी उन्हें सलाह देंगे। इसलिए राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये करों की दरों का समयहारी होने की कोई उचित आशंका नहीं है।

ये धन वसूल करना चाहती हैं परन्तु केन्द्र सरकार के साथ मुकदमे बाजी पर झगड़े में उलझना नहीं चाहती। संविधान के निर्माताओं ने जिनकी बुद्धि इतनी विस्तृत थी जितनी वर्तमान स्थापना की है, कभी यह नहीं सोचा होगा कि जो मामले राज्य सरकारों पर राज्य विधान मडलों

पक्ष में : श्री चित्तूरी सुब्बाराव चोधरी, श्री सतीश प्रसाद सिंह; श्री राज गोपाल राव बोड्डेपल्ली, श्रीमती माधुरी सिंह, श्री एच० एन० नन्जे गोडा, श्री रामायण राय, श्री बिन्देश्वरी दुबे, श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी, श्री आर० प्रभु, श्री आर० पी० सारंगी, श्रीमती गायत्री देवी, श्रीमती सुशीला गोपालन, मोहम्मद इस्माल, डा० ए० कलानिधि, प्रो० रूपचन्द पाल और श्री लीला राम केन।

विपक्ष में : श्रीमती किशोर सिन्हा, श्री प्रमिला दंडवते, श्री शिब्बू सोरन, तथा श्री बाबू राव परांजपे

के लिए छोड़ दिये गये हैं, अन्तर्राजीय व्यापार तथा वाणिज्य के अतिरिक्त केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसलिए जब इसको संविधान के निर्माताओं ने राज्य सरकारों के लिए छोड़ा है तो अब संसद उन शक्तियों को जो सामान्य रूप से राज्य सरकारों को होती है अनधिकार से क्यों अपनाना चाहती है, अब हम जो कर रहे हैं वह केवल यह है कि बिक्री की परिभाषा का विस्तार किया जा रहा है ताकि कुछ सौदे जो अभी तक कराधान के जाल के बाहर थे अब उनको कानून का स्पष्टीकरण करके तथा अदालत के कुछ ऐसे फैसलों से मुक्ति पाकर जो संविधान के पुराने प्रावधानों के आधार पर दिये गये थे, कराधान के अन्तर्गत लाया जा सके। अतः मैं प्रधान मन्त्री से जो यहां पर उपस्थित हैं अपील करता हूं कि यह कोई प्रतिष्ठा का मामला नहीं है और इसलिए इसको राज्य प्राधिकारियों पर ही छोड़ दिया जाये कि वे अपने लिए स्वयं निर्णय लें कि उनके लिए सबसे अधिक अच्छा क्या होगा। संसद अनावश्यक रूप से इस शक्ति को क्यों लें? अतः मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह मेरा संशोधन मान ले।

श्री प्रणब मुखर्जी : दर बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक केन्द्रीय विधान न हो, आप एक समान दरें कैसे रख सकते हैं? यह सम्भव नहीं है। 'क' राज्य की कोई एक विशेष दर हो सकती है, 'ख' की कोई दूसरी और 'ग' की कोई और दर हो सकती है। अतः यदि एक रूपता लाती है...

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह सभी वस्तुओं पर लागू होगा।

श्री प्रणब मुखर्जी : यह शक्ति संसद को पहले भी दी गई थी। अन्यथा अधिनियम में विशेष महत्व की वस्तुओं की क्या आवश्यकता है? अतः संसद को यह निर्णय करने की शक्ति दी गई है कि किन वस्तुओं को विशेष महत्व की वस्तु माना जाना चाहिए और कहां पर इस प्रकार की एक रूपता की आवश्यकता है। इसीलिए हमने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मुझे खेद है कि मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के संशोधन को नहीं मान सकता।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किए गये संशोधन संख्या 10 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 10 सभा में मतदान के लिए रखा तथा अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : प्रकोष्ठ खाली किए जा चुके हैं। अब मत विभाजन होगा। चूंकि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, अतः खण्ड 3 को सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि मतदान विभाजन के आधार पर होगा।

अब प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 4 12-37 बजे

पक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील

अब्दुल समद, श्री

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

अमरीन्द्र सिंह, श्री

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

एन्थनी, श्री फ्रैंक

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकले, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम: श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

बन्सी लाल, श्री

बरोट, श्री मगनभाई

बैरो, श्री ए० ई० टी०

बरवे, श्री जे० सी०

बसु, श्री चित्त

बहेरा, रास बिहारी

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भट्टाचार्य, श्री सुशील

भीम सिंह, श्री

भोई, डा० कृपा सिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

बीरेन्द्र सिंह, राव

बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कोर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्रशेखर सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी

चरणजीत सिंह, श्री

चतुर्भुज, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, मनफूल सिंह

चौधरी, श्री त्रिदिव

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चव्हाण, श्री एम० बी०

चिंगवांग कोनयक, श्री

चिन्नास्वामी, श्री सी०

चौबे श्री, नारायण

चौधरी, चितूरी सुब्बा राव

चौधरी, श्री के० बी०

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस०

देसाई, श्री बी० वी०

देव, श्री सन्तोष मोहन

देवराजन, श्री बी०

दन्डपाणि, श्री सी० टी०

दिग्विजय सिंह, श्री

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

दुबे, श्री विन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ईरा मोहन, श्री

फलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतू भाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गहलोत, श्री अशोक

घारपाड़े, श्री आर० वाई०

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गिरि, श्री सुधीर

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गौडर, श्री ए० सेनापति

गोजगिन, श्री एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्त

गौडा, श्री एच० एन० नन्जें

गुलशेर अहमद, श्री

हेमब्रम, श्री सेत

होरो, श्री एन० ई०

इन्द्रा कुमारी, श्रीमती

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जयदीप सिंह, श्री

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जमीलुर्रहमान, श्री

जटिया, श्री सत्यनारायण

जेना, श्री चिन्तामणि

झा, श्री कमलनाथ

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, जेड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कलानिधि, डा० ए०

कामाक्षैया, श्री डी०

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कंडास्वामी, श्री एम०

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कोशल, श्री जगन्नाथ

केयूर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री महमूद हसन

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, जुल्फिकार अली

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोडियन, श्री पी० के०

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

कुंवर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन्, श्री० जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

*लारेन्स, श्री एम० एम०

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर पी०

महाटा, श्री चित्त

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु; श्री अनन्त रामुलु

मणि; श्री के० बी० एस०

मीणा, श्री रामकुमार

मेहता, डा० महिपतराय एम०

मिर्धा, श्री नाथूराम

मिश्र, श्री मार्गी शंकर

मिश्र, श्री राम नगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

मिश्र, श्री सत्य गोपाल

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्त राव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

*गलती से पक्ष में मतदान किया

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुरुगैयन, श्री एस०

मुथु कुमारन, श्री आर०

नगीना राय, श्री

नहाटा, श्री बी० आर०

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेताम, श्री अरविन्द

निहाल सिंह, श्री

नीखरा, श्री रामेश्वर

पाल, प्रो० रूपचन्द

पाण्डे, श्री केदार

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पासवान, श्री राम विलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री अमृत

पटेल श्री मोहन लाल

पटेल, श्री उत्तम भाई एच०

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री बसन्त राव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री ए० बी० पी०

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पवार, श्री बालासाहिब

पेंचालैया, श्री पसाला

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रभु, श्री आर०

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलय्या, श्री दारूर

काजी सलीम, श्री

कादरी, श्री एस० टी०

रहीम, श्री ए० ए०

*राय, श्री एम० रामन्ना

राजामल्लू, श्री के०

राजन, श्री के० ए०

राम, श्री राम स्वरूप

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति, श्री के०

रामुलु, श्री एच० जी०

रणवीर सिंह, श्री

राणे, श्रीमती संयोगिता

रंगा, प्रो० एन० जी०

राव, श्रीमती बी० राधाबाई

राव, श्री जगन्नाथ

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० एस० संजीवी

रशीद मसूद, श्री

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री जी० एस०

आनन्द रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

रेड्डी, श्री एम॰ राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी॰ वेंकट

रेड्डी, श्री टी॰ दामोदर

रोथूआमा, डा॰ आर॰

राय प्रधान, श्री अमर

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री शिव प्रसाद

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी॰ ए॰

सतियेन्द्रन, श्री एम॰ एस॰ के॰

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो॰

सावन्त, श्री टी॰ एम॰

सईद, श्री पी॰ एम॰

सेबस्तियन, श्री एस॰ ए॰ दोराई

सेलवाराजू, श्री एन॰

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी॰ सी॰

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो॰ निर्मला कुमारी

शाक्य, श्री दयाराम

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी॰

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री कालीचरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री रामावतार

शिगडा, श्री डी० बी०

शिव शंकर, श्री पी०

सिदनलाल, श्री एस० बी०

सिंगाराव डोवेल, श्री एस०

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी

सिंह, श्री बी० डी०

सिंह, डा० बी० एन०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एन०

स्पैरो, श्री आर० एस०

श्री निवास प्रसाद, श्री वी०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुब्बा, श्री पी० एम०

सुब्बुरमण्यम्, श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दरसिंह, श्री

सूर्य नारायण सिंह, श्री

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह

स्वामीनाथन, श्री आर० वी०

तारिक अनवर, श्री

तेइयेंग, श्री सोबेंग

तैयब हुसन, श्री

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाऊसाहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिरकी, श्री पीयूष

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री नारायण दत्त

त्रिलोक, चन्द्र, श्री

त्रिपाठी, श्री कमलापति

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जयराम

वेंकटरामन, श्री आर०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री शिव चरण

विजयराघवन, श्री वी० एस०

वीरभद्र सिंस, श्री

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री रामसिंह

यादव, श्री विजय कुमार

गाजदानी, डा० गोलम

यूसफ, श्री मोहम्मद

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

*अहमद, बेगम आबिदा

बालानन्दन, श्री ई०

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बीरबल, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चौधरी, श्रीमती उषा प्रकाश

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दत्त, श्री अमल

ईरा अनबारासु, श्री

क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई

गंडल, श्री सनत कुमार

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

उरांव, श्रीमती, सुमति

पदायची, श्री एस० एस० रामा स्वामी

परांजपे, श्री बाबू राव

राही, श्री रामलाल

राकेश, श्री आर०

राव, श्री एम० नागेश्वर

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

रेड्डी, श्री बी० बायरपा

राय, श्री ए० के०

साहा, श्री अजीत कुमार

संखवार, श्री आशकरन

सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोनकर, श्री कल्पनाथ

सोरन, श्री शिबु

तुर, श्री लहना सिंह

उइके, श्री छोटे लाल

वेलू, श्री ए० एम०

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत विभाजन का* परिणाम इस प्रकार है ।

पक्ष में—325

विपक्ष में—31

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने मत विभाजन में भाग लिया :

पक्ष में : श्रीमती शीला कौल, श्रीमती ऊषा वर्मा, श्री भीखा भाई, श्री अनादि चरण दास, श्रीमती माधुरी सिंह, श्री लालाराम केन, श्री दीनबन्धु वर्मा, श्री बागुन सुम्बरुई, श्री भीखू राम जैन, श्री रामायण राय, श्री प्रभु नारायण टन्डन, श्री के० ओबुल रेड्डी, श्री के० ए० स्वामी, श्री आर० एन० त्रिपाठी, श्री अरुण कुमार नेहरू, श्री जी० एस० निहालसिंह वाला, श्री डूंगर सिंह, श्री आर० बी० सारंगी, बेगम आबिदा अहमद श्री बाबूलाल सोलंकी, श्री छोटे लाल उइके, श्रीमती सुमति उरांव, श्री एस० एस० रामा स्वामी पदायची, श्रीमती केसरबाई क्षीरसागर, श्री आसकरन शंखवार, श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी, श्री दिलीप सिंह भूरिया, श्रीमती विद्या चेन्नुपति, श्री कल्पनाथ सोनकर, श्री सैयद मुजफ्फर हुसैन, श्री ईरा अनबारासु, श्री ए० एम० वेलू, श्री बीरबल, श्री सनत कुमार मंडल तथा श्री फतेहभान सिंह चौहान

विपक्ष में : श्रीमती किशोरी सिन्हा, श्रीमती प्रमिला दंडवते, श्री समर मुखर्जी, श्रीमती सुशीला गोपालन, श्री इ० के० इम्बीचीबावा, डा० सरदीश राय, श्री मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० एम० लारेंस तथा श्री एम० रमन्ना राय ।

खंड 3 विधेयक का अंग बना।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलोर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पृष्ठ 4—

पंक्ति 42 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तस्थापित किया जाये :

"परन्तु यह कि क्रय या विक्रय पर कर के अन्तर्गत ऐसा माल सम्मिलित नहीं होगा, जो निम्नलिखित के लिए हो—

(1) सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल;

(2) धमार्थ संस्थायें, स्कूल, कालिज और निराश्रित पुरुषों और महिलाओं आदि के लिए गृह;

(3) सरकार द्वारा अनुमोदित कुछ प्रकार के उपहार; और

(4) सरकार द्वारा समय-समय पर कर मुक्त किया गया कोई अन्य प्रयोजन।"

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री टी० आर० शमन्ना द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 11 को मतदान के लिए सभा में रखता हूं।

संशोधन संख्या 11 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : संविधान संशोधन विधेयक होने के नाते खंड 4 को मतदान के लिए सभा में रखने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि मतदान विभाजन द्वारा किया जाएगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"।

लोक सभा में मतदान विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 5   12-41 बजे

पक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील

अब्दुल समद, श्री

अहमद, मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अल्लरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

अमरीन्द्र सिंह, श्री

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

एन्थनी, श्री फ्रैंक,

अनवर अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० के० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालानन्दन, श्री ई०

बालेश्वर राम, श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

बन्सी लाल, श्री

बरोट, श्री मथनभाई

बैरो, श्री ए० ई० टी०

बरवे, श्री जे० सी०

बसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री एच० के एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भट्टाचार्य, श्री सुशील

भीखाभाई, श्री

भीम सिंह श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भोले, श्री रेशमा मोतीराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

विश्वास, श्री अजय

वोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्रशेखर सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चरणजीत सिंह, श्री

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्भुज, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मरफूल सिंह

चौधरी, श्री त्रिदिब

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चव्हाण, श्री एस० एस० बी

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिगवांग कोनयक, श्री

चिन्नास्वामी, श्री सी०

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्री चित्तूरी सुब्बा राव

चौधरी श्री के० बी०

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी, श्री ए० बी० ए० ग़नी खान चौधरी

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दलवीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजीभाई

दत्त, बेन अमल

दास, श्री अनादि चरण

देव श्री० बी० किशोर चन्द्र एस०

देसाई श्री० बी० वी०

देव, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री वी०

दंडपाणि, श्री सी० टी०

दिगम्बर सिंह, श्री

दिग्विजय सिंह, श्री

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

दुबे श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ईरा अनावारासु, श्री

ईरा मोहन, श्री

फेलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गंधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री० आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इंदिरा

गांधी, श्री राजीव

गावित, श्री मानिकराव होडल्य

गहलोत, श्री अशोक

घारपाड़े, श्री आर० वाई०

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह, श्री

गिरि, श्री सुधीर

गोहिल, श्री० जी० बी०

गामांगो, श्री गिरिधर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौंडर श्री ए० सेनापति

गौजगिन, श्री एन०

गौडा श्री डी० एम० पुत्ते

गोडा, श्री एच० एन० नन्जे

गुलशेर अहमद, श्री

हरिकेश बहादुर, श्री

हैमब्रम, श्री सेल

होरो, श्री एन० ई०

इम्बीचीबावा, श्री ई० के०

इन्द्रवेश स्वामी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जयदीप सिंह, श्री

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जमीलुर्रहमान, श्री

जटिया, श्री सत्यनारायण

जैना श्री चिंतामणि

झा, श्री कमल नाथ

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जैड० एम

कैलाशपति, श्रीमती

कलानिधि, डा० ए०

कामाक्षैता, श्री डी० ए०

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कंडास्वारी, श्री एम०

कर्मा श्री लक्ष्मण

कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

कैयूर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री महमूब हसन

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जल्फिकार अली

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोडियन, श्री पी० के०

कोसलराम श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्णन् श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

कुंवर राम श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कुसुम कृष्ण मूर्ति श्री

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन् श्री जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

लारेंस, श्री एम० एम०

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महाटा, श्री चित्त

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मंडल, श्री धनिक लाल

मण्डल, श्री सनत कुमार

मणि, श्री के० वी० एस०

मीणा, श्री रामकुमार

मेहता, डा० महिपतराय एम०

मिर्धा, श्री नाथूराम

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मोहम्मद इस्माल, श्री

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखर्जी, श्री समर

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति श्री चन्द्रशेखर

मुरुगैयन, श्री एस०

मुथु कुमारन, श्री आर०

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नहाटा, श्री बी० आर०

नायक, श्री जी० देवराज

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

निहाल सिंह, श्री

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

ओडेदरा, श्री मालदेवजी एम०

उरांव, श्रीमती सुमति

पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी

पाल० प्रो० रूप चन्द

पलानी अप्पल, श्री सी०

पांडे, श्री केदार

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पंडित, डा० वसन्त कुमार

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द्र

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पासवान, श्री राम बिलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री अमृत

पटेल, श्री मोहन लाल

पटेल, श्री उत्तमभाई एच०

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वसन्त राव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री एस०बी०पी०

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पवार, श्री बालासाहिब

पेंचालैया, श्री पसाप्पा

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइटल, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रभु, श्री आर०

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलय्या, श्री दारूर

पुष्पा देवी सिंह, कुमारी

काजी सलीम, श्री

कादरी, श्री एस० टी०

रहीम, श्री ए० ए०

राय, श्री एम० रामन्ना

राजामल्लू, श्री के०

राजन, श्री के०ए०

राजू, श्री पी०वी०जी०

राम, श्री राम स्वरूप

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति श्री, के०

राणे, श्रीमती संयोगिता

रंगा, प्रो० एन०जी०

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जगन्नाथ

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० एस० संजीवी

रशीद मसूद, श्री

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री जी०एस०

रेड्डी, श्री जी०नर सिम्हा

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० ओबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम०राम० गोपाल

रेड्डी, श्री पी० बायपा

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

राय, डा० सरदीश

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सेट, श्री ईब्राहीम सुलेमान

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशकरन

सतियेन्द्रन, श्री एम० एस० के०

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम

सईद, श्री पी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी० सी०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शाक्य, श्री दयाराम

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री रामावतार

शिगडा, श्री डी० बी०

शिव शंककर, श्री पी०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिगारावा डीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री बी० डी०

सिंह, डा० बी० एन०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोनकर, श्री कल्पनाथ

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एन०

स्पैरो, श्री आर० एस०

श्री निवास प्रसाद, श्री बी०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुब्बा, श्री पी० एम०

सुब्बुरमण, श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्य नारायण सिंह, श्री

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह

स्वामीनाथन, श्री आर० बी०

टन्डन, श्री प्रभुनारायण

तारिक अनवर, श्री

तेप्रर्येम, श्री सोबेंग

तैयब हुसन, श्री

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाऊसाहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिरकी, श्री पीयूष

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री नारायण दत्त

त्रिलोक, चन्द्र, श्री

त्रिपाठी, श्री कमलापति

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जय राम

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटरामन, श्री आर०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयरावघवन, श्री वी० एस०

वीरभद्र सिंह, श्री

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री विजय कुमार

याजदानी, डा० गोलम

यूसफ, श्री मोहम्मद

जायनल अबेदिन, श्री

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

दंडवते श्रीमती प्रमिला

जगपाल सिंह, श्री

पंडित, डा० बसन्त कुमार

परूलेकर, श्री बापूसाहिब

पाटिल, श्री जगन्नाथ

राजदा, श्री रतनसिंह

राम अवध, श्री

रामन्ना, श्री टी० आर०

सोरन, श्री शिबु

तुर, श्री लहना सिंह

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 371

विपक्ष में : 10

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

खण्ड 4 विधेयक का अंग बना।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5

अध्यक्ष महोदय : संविधान (संशोधन) विधेयक होने के नाते खण्ड 5 को मतदान के लिए सभा में रखने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि मतदान विभाजन के द्वारा किया जायेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 6 12-44 बजे

पक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील

अब्दुल समद, श्री

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत विभाजन में भाग लिया :

पक्ष में : श्री छोटे लाल उइके, श्री लाल राम केन, श्री पी० राजगोपाल नायडू, श्री रामायण राय, श्री एम० अरुणाचलम, श्री रणवीर सिंह तथा श्री एन० सिलबरराजू ;

विपक्ष में : श्रीमती किशोरी सिन्हा, तथा श्री बाबूराव परांजपे।

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

अमरीन्द्र सिंह, श्री

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

एन्थनी, श्री फ्रैंक,

अनवार अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अराकल, श्री जेवियर

अरूणाचलम, श्री एम

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालानन्दन, श्री ई०

बालेश्वर राम, श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

बन्सी लाल, श्री

बरोट, श्री मगनभाई

बैरो, श्री ए० ई० टी०

बरवे, श्री जे० सी०

बसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भट्टाचार्य, श्री सुशील

भीखभाई, श्री

भीम सिंह, श्री

भोई, डा० कृपा सिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्रशेखर सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चरणजीत सिंह, श्री

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्भुज, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री त्रिदिव

चव्हाण, श्री एम० बी०

चव्हाण, श्री यशवन्त राव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगवांग कोनयक, श्री

चिन्नास्वामी, श्री सी०

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बा राव

चौधरी, श्री के० बी०

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

दत्त, अमल

दास, श्री अनादि चरण

देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस०

देसाई, श्री बी० बी०

देब, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री बी०

दन्डपाणि, श्री सी० टी०

दिगम्बर सिंह, श्री

दिग्विजय सिंह श्री

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ईरा अनाबारासु, श्री

ईरा मोहन, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री वी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतू भाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गहलोत, श्री अशोक

घारपांडे, श्री आर० वाई०

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गिरि, श्री सुधीर

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौंडर, श्री ए० सेनापति

गोजगिन, श्री एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्त

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

गुलशेर अहमद, श्री

हरिकेश बहादुर, श्री

हेमब्रम, श्री सेत

होरो, श्री एन० ई०

इम्बीचीबावा, श्री ई० के०

इन्द्रवेश, स्वामी

इन्द्रा कुमारी, श्रीमती

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जगपाल सिंह, श्री

जयदीप सिंह, श्री

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जमीलुर्रहमान, श्री

जटिया, श्री सत्यनारायण

जैना, श्री चिन्तामणि

झा, श्री कमल नाथ

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जेड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कलानिधि, डा० ए०

कामाक्षैया, श्री डी०

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कंडास्वामी, श्री एम०

कर्मा, श्री लक्ष्मण

केन, श्री लालाराम

कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

कैयर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री महमूद हसन

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जुल्फिकार अली

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोडियन, श्री पी० के०

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

कुंवर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री

लकप्पा, श्री के०

लक्ष्मनन्, श्री जी०

लास्कर, श्री निहार रंजन

लारेंस, श्री एम० एम०

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महाटा, श्री चित्त

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मंडल, श्री धनिक लाल

मंडल, श्री सनत कुमार

मणि, श्री के० बी० एस०

मीणा, श्री रामकुमार

मेहता, डा० महिपतराय एम०

मिर्धा, श्री नाथूराम

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

मिश्र, श्री सत्य गोपाल

मोहम्मद इस्माल, श्री

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखर्जी, श्री समर

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० बी० चन्द्रशेखर

मुरगैयन, श्री एस०

मुथु कुमारन, श्री आर०

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नगीना राय, श्री

नहाटा, श्री बी० आर०

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

निहाल सिंह, श्री

निहाल सिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

उरांव, श्रीमती सुमति

पाल, प्रो० रूप चन्द

पांडे, श्री केदार

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

परांजये, श्री बाबूराव

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पासवान, श्री राम विलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री अमृत

पटेल, श्री मोहन लाल

पटेल, श्री उत्तमभाई एच०

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वसन्त राव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०

पत्तु स्वामी, श्री डी०

पवार, श्री बालासाहिब

पेंचालैया, श्री पसाला

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रभु, श्री आर०

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलसुया, श्री दारूर

पुष्पादेवी सिंह; कुमारी

काज़ी सलीमा श्री

कादरी, श्री एस॰ टी॰

रहीम, श्री ए॰ ए॰

राम, श्री एम॰ रामन्ना

राजामल्लू, श्री के॰

राजन, श्री के॰ ए॰

राजू, श्री पी॰ वी॰ जी॰

राम, श्री रामस्वरूप

राम अवध, श्री

रामलिंगम, श्री एन॰ कुदन्तई

राममूर्ति श्री, के॰

रणबीर सिंह, श्री

राणे, श्रीमती संयोगिता

रंगा, प्रो॰ एन॰ जी॰

रावा श्रीमती बी॰ राधाबाई आनन्द

राव, श्री जगन्नाथ

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम॰ नागेश्वर

राव, श्री एम॰ एस॰ संजीवी

रशीद मसूद, श्री

राठोर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री जी॰ एस॰

रेड्डी, श्री जी॰ दरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० ओबुल

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० बायपा

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

रोथुआमा, डा० आर०

राय, डा० सरदीश

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशंकरन

सतियेन्द्रन, श्री एम० एस० के०

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्येदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सईद, श्री पी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेलवाराजू, श्री एन०

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी० सी०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शाक्य, श्री दया राम

शक्तवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, बी०

शर्मा, श्री चिरन्जी लाल

शर्मा, श्री कालीचरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री रामावतार

शिगडा, श्री डी० बी०

शिवशंकर, श्री पी०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिंगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री बी० डी०

सिंह, डा० बी० एन०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोनकर, श्री कल्पनाथ

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एन०

स्वैरो, श्री आर० एस०

श्री निवास प्रसाद, श्री वी०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुब्बा, श्री पी० एम०

सुब्रमण्य, श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्य नारायण सिंह, श्री

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, श्री आर० वी०

टन्डन, श्री प्रभुनारायण

तारिक अनवर, श्री

तेइयेंग, श्री

तैयब, हुसन, श्री सोबेंग

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, श्री० के० के०

थोरट, श्री भाऊसाहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिरकी, श्री पीयूष

तिवारी, श्री चन्द्रभानु मणि

तिवारी, श्री नारायण दत्त

त्रिलोक चन्द्र, श्री

त्रिपाठी, श्री कमलापति

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

टुडु, श्री मनमोहन

उइके, श्री छोटे लाल

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जयराम

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटरामन, श्री आर०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीन बन्धु

वर्मा, श्री शिवशरण

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

वीरभद्र सिंह, श्री

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री चन्द्रजी

यादव, श्री रामसिंह

यादव, श्री विजय कुमार

याजदानी, डा० गोलम

यूसफ, श्री मोहम्मद

जायनल अबेदिन, श्री

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

दंडवते, श्रीमती प्रमिला

पंडित, डा० बसन्त कुमार

परुलेकर, श्री बापूसाहिब

पाटिल, श्री जगन्नाथ

राजदा, श्री रतनसिंह

राकेश, श्री आर० एन०

सिन्हा, श्रीमती किशोरी

सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण

सोरन, श्री शिबु

तुर, श्री लहनासिंह

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 379

विपक्ष में : 10

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

"खण्ड 5 विधेयक का अंग बना"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6

अध्यक्ष महोदय : श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी श्री बापूसाहिब परुलेकर, क्या आप अपने संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री जी० नरसिम्हा राव : जी नहीं।

श्री बापू साहिब परुलेकर : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि संविधान संशोधन होने के नाते मतदान विभाजन द्वारा किया जायेगा।

प्रश्न यह है :

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया।

श्री एस० एस० रामा स्वामी पदायची, श्री रामायण राय, श्री जगदीश टाइटलर, श्री गुलाम नबी आजाद तथा श्री आर० पी० सारंगी।

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

मत विभाग संख्या 7 12-46 बजे

पक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील

अब्दुल समद, श्री

अहमद, मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

अमरीन्द्र सिंह, श्री

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

एन्थनी, श्री फ्रेंक,

अनवर अहमद, श्री

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० ए०

अराकल, श्री जेवियर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशफाक हुसैन, श्री

आजाद, श्री भागवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालानन्दन, श्री ई०

बालेश्वर राम, श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

बन्शी लाल, श्री

बरोट, श्री मगनभाई

बैरो, श्री ए० ई० टी०

बरवे, श्री जे० सी०

बसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भट्टाचार्य, श्री सुशील

भीखभाई, श्री

भीम सिंह, श्री

भोई, डा० कृपा सिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भोये, श्री रेशमा मोतीलाल

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

विश्वास, श्री अजय

बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

बार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्रशेखर सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चरणजीत सिंह, श्री

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री त्रिदिव

चव्हाण, श्री एम० बी०

चव्हाण, श्री यशवन्त राव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगवांग कोनयक, श्री

चिन्नास्वामी, श्री सी०

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बा राव

चौधरी, श्री के० बी०

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

दत्त, श्री अमल

दास, श्री अनादि चरण

देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस०

देसाई, श्री बी० वी०

देब, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री बी०

दन्डपाणि, श्री सी० टी०

दिगम्बर सिंह, श्री

दिग्विजय सिंह श्री

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

दुबे, श्री राममाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ईरा अनाबारासु, श्री

ईरा मोहन, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतू भाई

गावित, श्री मानिकराव होडल्य

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गायत्री देवी, श्रीमती

गहलोत, श्री अशोक

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गिरि, श्री सुधीर

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौंडर, श्री ए० सेनापति

गोजगिन, श्री एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

गुलशेर अहमद, श्री

हरिकेश बहादुर, श्री

हेमब्रम, श्री सेत

होरो, श्री एन० ई०

इम्बीचीबावा, श्री ई० के०

इन्द्रवेश, स्वामी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जगपालसिंह, श्री

जयदीप सिंह, श्री

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जमीलुर्रहमान, श्री

जटिया, श्री सत्यनारायण

जेना, श्री चिन्तामणि

झा, श्री कमल नाथ

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जेड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कलानिधि, डा० ए०

कामाक्षैया, श्री डी०

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कंडास्वामी, श्री एम०

कर्मा, श्री लक्ष्मण

केन, श्री लालाराम

कौल, श्रीमती शीला

कोशल, श्री जगन्नाथ

केयूर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री महमूद हसन

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, श्री जुल्फिकार अली

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोडियन, श्री पी० के०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

कुंवर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री

लकप्पा, श्री के०

लास्कर, श्री निहार रंजन

लारेंस, श्री एम० एम०

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महाटा, श्री चित्त

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मडल, श्री धनिक लाल

मंडल, श्री सनत कुमार

मणि, श्री के० बी० एस०

मीणा, श्री रामकुमार

मेहता, डा० महिपतराय एम०

मिर्धा, श्री नाथूराम

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मोहम्मद इस्माल, श्री

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्री समर

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मुर्ति, श्री एस०बी० चन्द्रशेखर

मुरुगैयन, श्री एस०

मुथु कुमारन, श्री आर०

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नाडार, श्री ए० नीलालोहिथादसन

नगीना राय, श्री

नहाटा, श्री बी० आर०

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराव

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

निहाल सिंह, श्री

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

उरांव, श्रीमती सुमति

पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी

पाल० प्रो० रूप चन्द

पांडे, श्रा केदार

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

परांजपे, श्री बाबूराव

पराशर, प्रो० नारायण चन्द्र

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पासवान, श्री राम बिलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री अमृत

पटेल, श्री मोहन लाल

पटेल, श्री उत्तमभाई एच०

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वसन्त राव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री एस०बी०पी०

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पवार, श्री बालासाहिब

पेंचालैया, श्री पसाला

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रभु, श्री आर०

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलप्पा, श्री दारूर

पुष्पा देवी, सिंह कुमारी

काजी सलीम, श्री

कादरी, श्री एस० टी०

रहीम, श्री. ए० ए०

राय, श्री एम० रामन्ना

राजामल्लू, श्री के०

राजन, श्री के० ए०

राजू, श्री पी० वी० जी०

राम, श्री राम स्वरूप

राम अवध, श्री

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति, श्री के०

रणवीर सिंह, श्री

राणे, श्रीमती संयोगिता

रंगा, प्रो० एन० जी०

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जगन्नाथ

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० एस० संजीवी

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री जी॰ एस॰

रेड्डी, श्री जी॰ नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के॰ ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के॰ ओबुल

रेड्डी, श्री के॰ विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम॰ राम॰ गोपाल

रेड्डी, श्री पी॰ बायपा

रेड्डी, श्री पी॰ वेंकट

रेड्डी, श्री टी॰ दामोदर

राय, डा॰ सरदीश

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सेट, श्री ईब्राहीम सुलेमान

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी॰ ए॰

संखवार, श्री आशकरन

सतियेन्द्रन, श्री एम॰ एस॰ के॰

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो॰

सावन्त, श्री टी॰ एम

सईद, श्री पी॰ एम॰

सेबस्तियन, श्री एस॰ ए॰ दोराई

सेलवाराजु, श्री एन॰

सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी० सी०
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शाक्य, श्री दयाराम
शक्यवार, श्री नाथूराम
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शर्मा, डा० शंकर दयाल
शास्त्री, श्री धर्मदास
शास्त्री, श्री रामावतार
शिगडा, श्री डी० बी०
शिव शककर, श्री पी०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंगारावा डीवेल, श्री एस०
सिंह, श्री बी० डी०
सिंह, डा० बी० एन०
सिंह, श्री सी० पी० एन०
सिंह, देव, श्री के० पी०
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोलंकी, श्री बाबू लाल
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एन०

स्पैरो, श्री आर० एस०

श्री निवास प्रसाद, श्री वी०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुब्बा, श्री पी० एम०

सुब्रमण, श्री ए० जी०

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्य नारायण सिंह, श्री

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह

स्वामीनाथन, श्री आर० वी०

टन्डन, श्री प्रभुनारायण

तारिक अनवर, श्री

तेप्रर्येम, श्री सोबेंग

तैयब हुसन, श्री

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाऊसाहिब

थुंगोन, श्री पी० के०

तिरकी, श्री पीयूष

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, नारायण दत्त

त्रिलोक, चन्द्र, श्री

त्रिपाठी, श्री कमलापति

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटे लाल

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जय राम

वेलू, श्री ए० एम०

वेंकटरामन, श्री आर०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

वर्मा, श्री शिव शरण

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजयराघवन, श्री वी० एस०

वीरभद्र सिंह, श्री

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री विजय कुमार

याजदानी, डा० गोलम

यूसफ, श्री मोहम्मद

जायनल अबेदिन, श्री

जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

दंडवते श्रीमती प्रमिला

पंडित, डा० वसन्त कुमार

परूलेकर, श्री बापूसाहिब

पाटिल, श्री जगन्नाथ

राही, श्री राम लाल

राजदा, श्री रतनसिंह

राकेश, श्री आर० एन०

सिन्हा, श्रीमती किशोरी

तुर, श्री लहना सिंह

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है ;

पक्ष में : 376

विपक्ष में : 9

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 1 पंक्ति 4

"1981" के स्थान पर "1982" प्रतिस्थापित किया जाए (2) (श्री प्रणव मुखर्जी)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्री

पृष्ठ 1 पंक्ति 4

(संशोधन किया गया ।)

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया :

श्री आर० वाई० घोरपड़े, श्री रामायण राय, श्री के० टी० कोसलराम, श्री आर० पी० सारंगी, श्री जी० लक्ष्मणन तथा श्री रशीद मसूद

"32 वां" के स्थान पर "33 वां" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री प्रणाव मुकर्जी)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, **विधेयक में जोड़** दियः गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) महोदय, **खंड** 1 भी।

अध्यक्ष महोदय : ओह, **खंड** 1 ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : **खंड** 1 पर आपने मत विभाजन नहीं कराया।

अध्यक्ष महोदय : हमने मौखिक मतदान द्वारा मत विभाजन किया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह मौखिक मतदान से स्वीकृत किया गया।

संविधान संशोधन विधेयक में आप ऐसा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : इसमें विशेष बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री प्रणव मुकर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ;

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

श्री टी० आर० शामन्ना : महोदय, इस विधेयक के संबंध में मेरे कुछ अपने विचार है। विधेयक का प्रवर्तन करने की वजह से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए सबसे पहले राजा श्री ने बिक्रीकर आरंभ किया। मुझे बहुत दुःख है कि यद्यपि हमने गांधी जी के सिद्धातों को स्वीकार किया है, लेकिन हमारे विचार बहुत ऊंचे नहीं उठे हैं और इसी से देश का विनाश हो

रहा है। अत: मैं पुरजोर बिक्री कर तथा उत्पाद शुल्क लगाने का विरोध करता हूं, जिसे सौगुना बढ़ा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, बिक्री-कर राजस्व वसूली में बहुत सी चोरी होती हैं। अधिकारियों में इस तरह के भ्रष्टाचार के कारण, बिक्री कर की वसूली 50 से 60 प्रतिशत तक कम हो गई है। ऐसा इसलिए भी है कि हमारी व्यवस्था बहुत जटिल है।

जब कभी भी राज्य सरकारों को धन की आवश्यकता होती है, तो वे या तो कुछ अतिरिक्त वस्तुओं पर बिक्रीकर लगा देती है या बिक्री कर की दर बढ़ा देती हैं वे ऐसा इसलिए करती हैं कि उन्हें यह तरीका बहुत आसान लगता है। अतः इस प्रणाली का आश्रय लेना राज्य सरकारों की आदत बन गई है। बिक्री कर में इस तरह की वृद्धि से उपभोक्ताओं के साथ-साथ उत्पादकों पर भी विपरित प्रभाव पड़ रहा है अत: यह बहुत आवश्यक है कि बिक्री कर के उपायों की सावधानी-पूर्वक जांच की जाए तथा कर वसूली की कार्यप्रणाली को सरल और कारगर बनाया जाए। साथ ही इसे उचित और सरल भी बनाया जाना चाहिए। अत: मैं पुरजोर निवेदन करता हूं कि बिक्री-कर प्रणाली को सरल तथा प्रभावी बनाने के लिए और यह देखने के लिए कि बिक्री कर की वसूली से उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों को कोई तकलीफ न हो शीघ्र ही एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।

मैं समझता हूं इन शब्दों के माध्यम से मैंने अपने विचार प्रस्तुत कर दिये हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय माननीय सदस्य को अधिकांश बातें सामान्य चर्चा में आ गई हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि बिक्री-कर प्रशासन में गड़बड़ी नहीं, लेकिन साथ ही यह भी ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, कि राज्य के राजस्व की वसूली 50 प्रतिशत से बढ़कर 57 प्रतिशत हो गई है, 5-6 वर्षों में 965 करोड़ रुपये से बढ़कर यह 4000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अत: राज्य सरकारों के लिए राजस्व की इतनी राशि छोड़ देना इतना आसान नहीं है। और जब हम योजनाओं के लिए अधिक से अधिक संसाधन बांटने की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिये उन्हें यह कहना उचित नहीं होगा कि उन्हें बिक्री-कर समाप्त कर देना चाहिए अथवा उन्हें और बिक्री कर नहीं लेना चाहिए। लेकिन निश्चय ही यह केन्द्र और राज्य दोनों के लिये ही वाँछनीय होगा कि वे पूरी कर प्रणाली को सरल और कारगर बनाकर देखें कि वसूली अधिक हो और उत्पीड़न कम। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : सविधान (संशोधन) विधेयक होने के नाते विधेयक को संशोधित रूप में मतदान के लिए सभा द्वारा पारित किए जाने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि मतदान मत विभाजन से किया जायेगा। प्रकोष्ठ पहले ही खाली हैं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 8 12.55 बजे

पक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलली
अब्दुल समद, श्री
अहमद, श्री मोहम्मद असरार
अहमद, बेगम आबिदा
अहमद, श्री कमलुद्दीन
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अमरीन्द्र सिंह, श्री
आनन्द सिंह, श्री
अंकिनीडू, श्री एम०
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी०
अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान
एन्थनी, श्री फ्रैंक,
अनवार अहमद, श्री
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एम०
अराकल, श्री जेवियर
अरुणाचलम, श्री एम०
अशफाक हुसैन, श्री
आजाद, श्री भागवत झा
आजाद, श्री गुलाम नबी
बागुन सुम्बरुई, श्री
बेरवा, श्री बनवारी लाल
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी डा० राजेन्द्र कुमारी
बालानन्दन, श्री ई०
बालेश्वर राम, श्री
बनातवाला, श्री जी० एम०

बन्सी लाल, श्री

बरोट, श्री मगनभाई

बैरो, श्री ए० ई० टी०

बरवे, श्री जे० सी०

बसु, श्री चित्त

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री एच० के एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भट्टाचार्य, श्री सुशील

भीखाभाई, श्री

भीम सिंह श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्रशेखर सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चरणजीत सिंह, श्री

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्भुज, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्री त्रिदिब

चव्हाण, श्री यशवन्तराव

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चिंगवांग कोनयक, श्री

चिन्नास्वामी, श्री सी०

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्री चित्तुरी सुब्बा राव

चौधरी श्री के० बी०

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

दत्त, श्री अमल

दास, श्री अनादि चरण

देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस

देसाई, श्री बी० बी०

देव, श्री संतोष मोहन

देवराजन, श्री बी०

दन्डपाणि, श्री सी० टी

दिगम्बर सिंह, श्री

दिग्विजय सिंह, श्री

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री बिन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का, श्री क्रिस्टोफर

ईरा अनावारासु, श्री

ईरा मोहन, श्री

फ़ैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल श्री बी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री आर० पी०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित, श्री छीतूभाई

गावित, श्री मानिकराव होडल्य

गांधी, श्रीमती इंदिरा

गांधी श्री राजीव

गायत्री देवी, श्रीमती

गहलोत, श्री अशोक

घारपांडे, श्री आर० वाई

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गिरि, श्री सुधीर

गोमांगो, श्री गिरिधर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौंडर श्री ए० सेनापति

गोजगिन, श्री एन०

गौडा श्री डी० एम० पुत्ते

गोडा श्री एच० एन० नन्जे

गुलशेर अहमद, श्री

हरिकेश बहादुर, श्री

हैमब्रम, श्री सेल

होरो, श्री एन० ई०

इम्बीचीबावा, श्री ई० के०

इन्द्रा कुमारी, श्रीमती

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जगपाल सिंह, श्री

जयदीप सिंह, श्री

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द

जमीलुर्रहमान, श्री

जटिया, श्री सत्यनारायण

जेना श्री चिंतामणि

झा, श्री कमल नाथ

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

काहनडोल, श्री जेड० एम०

कैलाशपति, श्रीमती

कलानिधि, डा० ए०

कामाक्षैया, श्री डी०

कमल नाथ, श्री

कमला कुमारी, कुमारी

कंडास्वामी, श्री एम०

कर्मा, श्री लक्ष्मण

कोशल, श्री जगन्नाथ

केयूर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

खां, श्री महमूद हसन

खां, श्री मलिक एम० एम० ए०

खां, जुल्फिकार अली

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कोडियन, श्री पी० के०

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

कृष्णन, श्री जी० वाई

क्षीरसागर, श्रीमती केशर बाई

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

कुंवर राम, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जे०

लकप्पा, श्री के०

कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री

लक्ष्मनन्, श्री० जी०

लास्कर, श्री निहाल रंजन

माधुरी सिंह, श्रीमती

महाबीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाजन, श्री वाई० एस०

महाला, श्री आर० पी०

महाटा, श्री चित्त

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मंडल, श्री धनिक लाल

मंडल, श्री सनत कुमार

मीणा, श्री रामकुमार

मेहता, डा० महिपतराय एम०

मिर्धा, श्री नाथूराम

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

मोहम्मद इस्माल, श्री

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखर्जी, श्री समर

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री एम० बी० चन्द्रशेखर

मुरुगैयन, श्री एस०

मुथु कुमारन, श्री आर०

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नाडार, श्री ए० नीलालोहियादसन

नगीना राय, श्री

नहाटा, श्री बी० आर०

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायकर, श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लेया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

निहाल सिंह, श्री

निहाल सिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

उरांव, श्रीमती सुमति

पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी

पाल, प्रो० रूप चन्द

पांडे, श्री केदार

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

परांजपे, श्री बाबू राव

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पासवान, श्री राम विलास

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री अमृत

पटेल श्री मोहन लाल

पटेल, श्री उत्तम भाई एच०

पाठक, श्री आनन्द

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री बसन्त राव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री ए० एस० बी० पी०

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पवार, श्री बालासाहिब

पेंचालैया, श्री पसाला

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पोटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रभु, श्री आर०

प्रधानी, श्री के०

प्रेमी, श्री मंगल राम

पुलय्या, श्री दारूर

पुष्पादेवी सिंह; कुमारी

काजी सलीम, श्री

राही, श्री रामलाल

रहीम, श्री ए० ए०

राजामल्लू, श्री के०

राजन, श्री के० ए०

राजू, श्री पी० वी० जी०

राम, श्री रामस्वरूप

राम अवध, श्री

रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई

राममूर्ति श्री, के०

रणबीर सिंह, श्री

राणे, श्रीमती संयोगिता

रंगा, प्रो० एन० जी०

रावा श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जगन्नाथ

राव, श्री जलगाम कोन्डाला

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० एस० संजीवी

रशीद मसूद, श्री

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला

रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री जी० एस०

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० ओबुल

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल

रेड्डी, श्री पी० बायपा

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

राय, श्री ए० के०

राय, डा० सरदीश

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशकरन

सतियेन्द्रन, श्री एम० एस० के०

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्येदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सईद, श्री पी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेलवाराजू, श्री एन०

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी० सी०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो॰ निर्मला कुमारी

शाक्य, श्री दयाराम

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी॰

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री कालीचरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा॰ शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, श्री रामावतार

शिगडा, श्री डी॰ बी॰

शिव शंकर, श्री पी॰

सिदनाल, श्री एस॰ बी॰

सिंगारावाडीवेल, श्री एस॰

सिंह, श्री बी॰ डी॰

सिंह, डा॰ बी॰ एन॰

सिंह, श्री सी॰ पी॰ एन॰

सिंह, देव, श्री के॰ पी॰

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सोलंकी, श्री बाबू लाल

सोनकर, श्री कल्पनाथ

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एन॰

स्पैरो, श्री आर० एस०

श्री निवास प्रसाद, श्री वी०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुब्बा, श्री पी० एम०

सुब्बुरमण, श्री ए० जी

सुखबन्स कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह श्री

सूर्य नारायण सिंह, श्री

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह

स्वामी, श्री के० ए०

स्वामीनाथन, आर० बी०

टन्डन, श्री प्रभुनारायण

तारिक अनवर, श्री

तेइयेंग, श्री सोबेंग

तैयब हुसन, श्री

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाऊसाहिब

थुंगोन, श्री पी० के०

तिरकी, श्री पीयूष

तिवारी, श्री चन्द्रभाल मणि

तिवारी, श्री नारायण दत्त

त्रिलोक चन्द्र, श्री

त्रिपाठी, श्री कमलापति

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश
उइके, श्री छोटे लाल
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जयराम
वेलू, श्री ए० एम०
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
वर्मा, श्री दीन बन्धु
वर्मा, श्री शिवशरण
वर्मा, श्रीमती ऊषा
विजयराघवन, श्री वी० एस०
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री चन्द्रजी
यादव, श्री रामसिंह
यादव, श्री विजय कुमार
याजदानी, डा० गोलम
यूसफ, श्री मोहम्मद
जायनल अबेदिन, श्री
जैनल बशर, श्री

विपक्ष में

दंडवते, श्रीमती प्रमिला
पंडित, डा० बसन्त कुमार
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पाटिल, श्री जगन्नाथ

राजदा, श्री रतन सिंह

सिन्हा, श्रीमती किशोरी

सोरन, श्री शिबु

सुर, श्री लहना सिंह

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत-विभाजन *परिणाम इस प्रकार है :—

पक्ष में : 377

विपक्ष में : 8

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ। विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार अपेक्षित बहुमत से यथा संशोधित पारित हो गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री बी० शंकरानन्द द्वारा 8 जुलाई, 1982 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार, करेंगे अर्थात्।

"कि मृत व्यक्तियों के नेत्रों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री व्यास

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2 बजकर 7 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पक्ष में मतदान किया :

श्री रामायण राय, श्री जी० बी० गोहिल, श्री के० बी० एस० मणि, श्री बनवारी लाल बैरवा, डा० आर० रोथूआमा, श्री आर० एन० राकेश, श्री राम लाल राही, श्री आर० पी० सारंगी, श्री एम० एम० लारेंस तथा श्री एम० रामन्ना राय।

(नेत्र चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री व्यास ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण 5 बजे होगा । 5 बजे के बाद । ध्यानाकर्षण के बाद । आप केवल 1 मिनट ले सकते हैं। आप वृद्ध सज्जन हैं। मैं समझता हूं कि बूढ़े व्यक्ति बच्चों की भांति होते हैं आप अब बच्चे हैं। आपने 11 मिनट लिए हैं। समाप्त कीजिए ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : (भीलवाड़ा उपाध्यक्ष) महोदय, इस देश में एक अन्धे आदमी पर एक साल में आठ हजार एक सौ रुपये खर्च किये जाते हैं। हमारे देश में 90 लाख अन्धों पर इस देश में हर साल दस हजार आठ सौ मिलियन रुपया खर्च होता है । अगर इस रुपये को हम इस बिमारी के लिए प्रिवेन्टिव मैजर्स लेने पर लगाएं तो बहुत अच्छा होगा । क्योंकि इस से लोग अन्धे नहीं हो सकेंगे ।

इस साल हमारी प्रधान मंत्री जी ने जो बीस सूत्री कार्यक्रम दिया है उस में भी इसका जिक्र किया है कि हम इस देश में अन्धेपन को रोकेंगे और जो लोग अन्धे हो गए हैं उनको आंखें देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि हम प्रिवेन्टिव मैजर्स बहुत बड़े पैमाने पर अडोप्ट करेंगे । इस तरह की व्यवस्था आज सरकार कर रही है ।

मैं अपने मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि ये प्रिवेन्टिव मेजर्स थ्री टायर परयानी ब्लाक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर—लिये जाएं। ब्लाक लेवल पर तो हमारे हेल्थ सेन्टर्स में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल्स में और स्टेट लेवल पर हमारे मेडिकल कालिजिज से ये मेजर्स अडोप्ट किये जाने चाहिए । इस देश में 55 से 58 परसेंट लोग केटेरेक्ट की बीमारी से अफेक्टेड हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक अन्धेपन को समाप्त करने के लिए नहीं है । यह किसी अन्य उद्देश्य के लिए है । कृपा विषय पर आइये । अब आपको अपनी बात समाप्त कर देनी चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अगर यह सारी व्यवस्था आप करेंगे तो अन्धापन नहीं आएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से संशोधन भी हैं । केवल 1 घंटे का समय दिया गया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : केवल दो मिनट ।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : ट्रेकोमा एण्ड एसोसिएटेड इनफेक्सन-20 प्रतिशत, स्मालपॉक्स-3 प्रतिशत, मेलन्यूट्रिशन-2 प्रतिशत, इन्जूरीज-1.25 प्रतिशत, स्क्विंट-1.25 प्रतिशत, ग्लाउकोमा-0.5 प्रतिशत, और अन्य 18 प्रतिशत।

इस तरह से इन कारणों से लोग अन्धे होते हैं। अगर इनके लिए ठीक व्यवस्था की जाए या प्रिवेंटिव मेजर्स लें तो निश्चित तरीके से लोग अन्धे होने से बच जाएंगे और बड़े पैमाने पर काम होगा। ब्लाक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर, इस तरह से थ्री टायर सिस्टम शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा।

आइज बैंक की स्थापना भी आप बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि बड़े-बड़े शहरों में करने जा रहे हैं, इनको ब्लाक लेवल पर खोलना चाहिए, ताकि गांवों के जो लोग नेत्र दान करना चाहते हैं, वे कर सकें शहरों में खोलने से तो थोड़े-बहुत लोगों को ही लाभ होगा। गांवों में जो लाखों की तादाद में लोग नेत्र दान करना चाहते हैं, उनका क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : दो मिनट हो गए हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसलिए मेरा निवेदन है कि ब्लाक लेवल पर इस तरह के बैंकों की स्थापना करें। इन शब्दों के साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरि) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधान का समर्थन करता हूं, लेकिन समर्थन करते हुए में कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं और मैं इस विषय पर मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के बारे में भी पूछूंगा।

मैं यह महसूस करता हूं कि यद्यपि यह विधान अच्छा है, लेकिन इस भव्य सभा के समक्ष जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है। वह अपूर्ण है। मैंने यह जानने का प्रयत्न किया है कि इस विधान को केवल संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर ही क्यों लागू किया गया है। लेकिन उद्देश्यों और कारणों के कथन में कोई कारण नहीं बताया गया है कि ऐसा क्यों किया गया है। मुझ से पहले बोलने वाले मेरे बहुत से सहयोगियों ने इस ओर संकेत किया, लेकिन अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। इस विधेयक में मुझे इसके कारण का पता नहीं चला। मैं मन्त्री महोदय से यह चाहता हूं कि क्या यह सच है कि यह सरकार समझती है कि अच्छी आंखें केवल दिल्ली में ही उपलब्ध हैं? क्या यही कारण है? यदि इस विधान को इस देश के कोने-कोने में नहीं तो कम से कम राज्यों की राजधानी में क्यों नहीं लागू किया जा सकता? मैं यह समझता हूं कि सभी गांवों तथा जिलों में अपेक्षित योग्यता प्राप्त डाक्टर नहीं हैं लेकिन मैं नहीं जानता कि आप इसे केवल संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तक ही क्यों सीमित कर रहे हैं। यदि मंत्री महोदय इस स्थिति को स्पष्ट कर सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किस प्रवातिट के अंतर्गत ?

श्री बापूसाहिब पारूलेकर : हम उसमें संशोधन कर सकते हैं । जहां तक बम्बई का संबंध है, बम्बई में अधिनियम है। कुछ निर्देश अथवा कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । चूंकि समय कम है ; मैं केवल प्रश्नों का उल्लेख करुंगा, मेरे लिए इतना समय नहीं है कि मैं उन प्रश्नों को विस्तार से बना सकूं ।

दूसरा प्रश्न जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है । प्रत्येक अंग के लिए अलग-अलग कानून क्यों बनाए जा रहे हैं ? आज हम आंख के लिए कानून बना रहें हैं, कल कान के पर्दे के लिए बनाया जाएगा, अगले सत्र में गुर्दे के लिए कानून बनाया जाएगा और बजट सत्र में हृदय के लिए क्योंकि हमारे यहाँ हृदय रोपज भी होता है और गुर्दा रोपण भी । मैं नहीं जानता कि आपने विभिन्न अंगों के लिए विभिन्न कानून क्यों बनाए हैं । सभी अंगों के लिए एक ही व्यापक कानून क्यों नहीं बनाया जाता जिनका लाभ सभी लोग उठा सकें ?

एक मुख्य प्रश्न की ओर हमारा ध्यान नहीं गया है कि आप निकाली गई आंखों का प्रयोग किस तरह करने जा रहे हैं । जो आंखों निकाली जाएंगी, आप उनका प्रयोग किस तरह करेंगे । इस बात का विधेयक में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । आप कहेंगे कि खंड 11 नियम बनाने अधिकार का उल्लेख करता है । लेकिन यदि आप उसे भी पढ़ें, पृष्ठ 4 में कहा गया है कि लावारिस शवों से किस तरह आंखें निकाली जा सकती है, निकाली गई आखों की सुरक्षा, जो प्रचार किया जाएगा, और अन्य कोई मामला जो आवश्यक है आदि के संबंध में नियम बनाए जाएंगे । यह बहुत व्यापक परिणाम है । उसमें वह प्रश्न नहीं आता जो मैं बना रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्यों कि मेरा निर्धन लोगों से बहुत संबंध है । के क्या आप आंखें का प्रत्यारोपण करने पर उनसे पैसा वसूल करेंगे ? तब केवल धनी लोग ही इस अवसर का लाभ उठा सकेंगे ? अतः विधेयक में इस बारे में कोई ठोस सुझाव दिया जाना चाहिए कि आप मृत व्यक्तियों की आंखें निकालने के बाद उन्हें किस तरह से प्रयोग करने जा रहे हैं । यदि आप उस पर प्रभार लगाने जा रहें हैं तो कितनी राशि ली जाएगी ? कम से कम इस बारे में कुछ संकेत दिया जाना चाहिए । विधेयक में कुछ उपबन्ध बनाए जाने चाहिए । इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने वाले व्यक्ति अथवा अधिकारी को कुछ निर्देश दिये जाने चाहिये तथा कुछ संकेत दिए ही जाने चाहिए ।

तीसरा मुद्दा जिनकी ओर मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान, आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह कि पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी (रजिस्टर्ड मेडीकल प्रेक्टीशनर) की परिभाषा से उनका क्या अर्थ है । क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि इस परिभाषा का अर्थ यह हो कि वे डाक्टर जो सरकारी सेवा में हैं क्योंकि खण्ड (ङ) में इस बात का उल्लेख है कि जिनके पास मान्यता प्राप्त चिकित्सा संबधी योग्यता है और जिनके नाम राज्य के "मैडीकल प्रेक्टीशनरों" के रजिस्टर

में दर्ज हैं, वे ही इसके पात्र हैं और उनके लिए किसी अस्पताल से सबंध होना आवश्यक नहीं है। वे इस परिभाषा के अन्तर्गत आ जाते हैं। यदि आप परिभाषा को वर्तमान की भांति रखेंगे तो प्राईवट मेडीकल प्रेक्टीशनरों को आंखें निकालने का अधिकार होगा। इस बात को स्पष्ट किया जाना है। अन्यथा अधिक जटिलताएं पैदा हो जाएंगी।

चौथी बात, जिसका में उल्लेख करना चाहूंगा, यह है कि विभिन्न स्थानों पर आप ने इस शब्दों का प्रयोग किया है कि नेत्र चिकित्सीय प्रयोजनाओं के लिए निकाले जा सकते हैं। आप का इससे क्या अर्थ है? आपने इनकी परिभाषा नहीं की हैं? नेत्रों का प्रयोग प्रत्यारोपण, विच्छेदन तथा विश्लेषण आदि के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। इसको स्पष्ट किया जाना है। मैं नहीं जानता की माननीय मन्त्री महोदय इस शब्द के शब्द को षीय अर्थ पर कैसे निर्भर रहेंगे मैं पूर्व सम्मान के साथ कहता हूं कि इसकी परिभाषा की जानी चाहिए, अन्यथा मृतक व्यक्ति की निकाली गई आंखों का दुरुपयोग हो सकता है। अतः मैं यह कहता हूं कि कृपया इस तत्य विशेष की ओर ध्यान दिया जाए।

एक दूसरी बात यह है कि जब में विधेयक के खण्ड 3 को पढ़ता हूं तो पता चलता है कि इस खण्ड विशेष में उल्लिखित शर्तों के अधीन रजिस्ट्रड मेडिकल प्रेक्टीशनरों को आंखें निकालने का अधिकार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विधान नेत्र दान करने वाले कवित को ग़ैर-सरकारी नेत्र बैंक को नेत्र दान करने से रोकता है। यदि ऐसी बात है तो मैं इस संबंध में बहुत गम्भीर हूं। मान लीजिए मैं अपने नेत्र एक ऐसे नेत्र बैंक को देना चाहता हूं जो कमजोर वर्गों और निर्धन व्यक्तियों को प्रत्यारोपण के लिए आखें देता है, परन्तु यदि मैं अन्य खण्डों के साथ खण्ड 3 को पढ़ता हूं तो मुझे महसूस होता है कि इस पर प्रतिबन्ध है। यदि कोई व्यक्ति अपने नेत्र दान करना चाहता है तो उसे विधेयक में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। मैं पूर्व सम्मान के साथ यह कहना चाहता हूं कि इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। धनी लोग विदेश जा कर नेत्र प्रत्यारोपण करा लेंग। परन्तु उन लाखों गरीब लोगों का क्या होगा जिनको इन नेत्रों की आवश्यकता है, जिनको नेत्र प्रत्यारोपण की आवश्यकता है? अतः मैं यह अनुरोध करत हूं कि इस विधेयक में इस प्रकार के उपबन्ध किए जाएं कि यदि कोई व्यक्ति इस विधेयक के उपबन्धों का लाभ नही उठाना चाहता तो उसे अपने नेत्र किसी भी प्राईवेट बैंक को दान करने के लिए तथा अपने प्राइवेट मेडीकल प्रेक्टीशनर को मृत्यु उपरान्त आंख निकालने का अधिकार देने के लिए स्वतन्त्र होना चाहिए मेरा यह विस्वास है कि ऐसा करने का उसे अधिकार है। वह विधि अनुसार ऐसा कर सकता है। परन्तु आप इसके लिए उसे रोक रहे हैं क्योंकि यह उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति बन जाती है। अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस पहलू की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

महोदय मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान खण्ड २ (2) की ओर दिलाना चाहता हूं।

जब मृतक द्वारा कोई इच्छा व्यक्त न की गई हो तो कानूनी रूप से शरीर का अधिकारी व्यक्ति एक डाक्टर अथवा रजिस्टर्ड मेडीकल प्रेक्टीशनर से आंख निकालने के लिए कह सकता है। इसका क्या अर्थ हुआ ? मैं इसके ठोस पहलू की सराहना करता हूं अर्थात यदि दो साक्षियों की उपस्थति में अपने मृतक शरीर के कानून अधिकारी अपने किसी सबंधी अथवा व्यक्ति को मौखिक या लिखित रूप से यह प्राधिकार देता है कि उसकी मृत्यु के उपरान्त उनके नेत्र निकाल लिए जाएं। यदि अपने जीवन काल में उसने यह नहीं कहा है कि उनके नेत्र निकाले आएं अथवा नहीं तब कानून प्राधिकृत व्यक्ति को मृतक के नेत्र सरकार को देने का अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आपको यह देखना है कि क्या उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ कहा था कि उसके नेत्र दान किए जाएं अथवा नहीं। अतः यह मृतक के कानून से बंधियों को भी सम्मिलित कर लेना है कानून प्राधिकृत व्यक्ति' से आपका क्या अर्थ है। सबंधियों के अतिरिक्त। आपने एक दुर्घटना के ऐसे मामले की कल्पना की है जिसमें मृतक शरीर को शव-परीक्षा के लिए भेजा गया है। आपने एक ऐसे मामले की कल्पना की है जिसमें कोई व्यक्ति जेल में अथवा अस्पताल में मर जाता है। परन्तु तीसरे मामले में, सबंधियों के अतिरिक्त, अस्पताल प्राधिकारी के अतिरिक्त, जेल प्राधिकारी के अतिरिक्त तथा उस डाक्टर के अतिरिक्त जो शव-परीक्षा करता है, कानूनन प्राधिकृत व्यक्ति कौन है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से इसे स्पष्ट करने का अनुरोध करूगा। खण्ड 3 (2) में अस्पष्टता घटना है। इसमें यह उल्लिखित है कि मृतक का सबंधी कानूनन प्राधिकृत है। खण्ड 3 (2) एक अनिवार्य उपबन्ध है।

खण्ड 6 के सबंध में मेरा अनुरोध उस संशोधन के बारे में है जिसका मन्त्री महोदय ने सुझाव दिया है। मैं उनके संशोधन को पढ़ रहा हू, क्योंकि उन्होंने मूल खण्ड (6) पर जोर नहीं दिया। इसमे लिखा है :

> "......जहां किसी व्यक्ति का शव चिकित्सा विधि परक प्रयोजनों के लिए शव-परीक्षा के लिए भेजा गया है, वहां ऐसे शव से नेत्र निकाले जाने का प्राधिकरण देने के लिए इस अधिनियम के आधीन सक्षम व्यक्ति आदि उसे यह विश्वास करने का कारण है कि नेत्रों की उस प्रयोजन के लिए अपेक्षा नहीं होगी, जिनके लिए ऐसा शव शव-परीक्षा के लिए भेजा गया है, तो वह ऐसे मृत व्यक्ति के नेत्रों को चिकित्सीय विधिपरक प्रयोजनों के लिए निकाला जाना प्रधिकृत कर सकेगा......"

अतः सबंधी इसमें सम्मिलित नहीं है।

अतः किसी व्यक्ति या कैदी जिसकी मृत्यु जेल में हुई है अथवा एक रोगी जिसकी मृत्यु अस्पताल मे हुई है यदि उसके शव को शव-परीक्षा के लिए भेजा जाता है तो इस खण्ड 6 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति स्वतः ही नेत्रदान करने का अधिकारी हो जाएगा। क्या ऐसे मामलों में निकट सबंधी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है ? मेरा यही अनुरोध है कि डाक्टर को

शव से कोई लगाव न हो परन्तु पत्नी पुत्र, माता अथवा पिता को उस शव से कोई लगाव न हो। अत: महोदय, यह प्राधिकार किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति को देना उचित नहीं है जो उससे कभी जीवन काल में नहीं मिला है अतः मैं इस खण्ड विशेष का विरोध करता है।

मैं खण्ड 5 का उल्लेख करता हूं। ऐसे मामलों में जिनमें कोई व्यक्ति अस्पताल में मरता है या कोई कैदी जेल में मरता है और उसके संबंधी आधे घन्टे में अथवा दो घन्टों में नहीं आते है तो डाक्टर अथवा जेलर को नेत्र दान करने का प्राधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि कोई तिहाड़ जेल में अथवा कोई दुर्घटना के पश्चात् अस्पताल में मर जाता है तो शव आधे घन्टे अथवा 2 घन्टे में प्राप्त करना होता है। पृष्ठ 3 पर आते हुए, उपधारा (2) में उल्लिखित प्राधिकार सिवाए आधे घन्टे अथवा दो घन्टों आदि के पश्चात्, नेत्र निकालने के लिए नहीं दिया जाए। अत: इस विधान के सम्पूर्ण प्रभाव पर विचार करने पर मैं यह महसूस करता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है। उद्देश्य बहुत अच्छा है। यह आवश्यक है कि कुछ कदम उठाये जाएं परन्तु यदि इस विधेयक को इसी रूप में पारित कर दिया गया तो मैं यह अनुरोध करता हूं कि कई जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी और आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अन्त में, पुनः अपनी बात को दोहराते हुए मैं केवल यही कहता हूं कि मृतक शरीर से निकाले गए नेत्रों के उपयोग के संबंध में सावधानी बरती जाए, क्योंकि इस सम्पूर्ण विधान में मुझे एक भी ऐसा शब्द नहीं मिला है कि इन नेत्रों का उपयोग निर्धन व्यक्तियों के लाभ के लिए किया जा सकेगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से सविनय यह अनुरोध करता हूं कि वह इस पहलू पर विचार करें और यदि वह अनुभव करें कि मैं सही हूं तो वह इस विधेयक को वापस ले लें उन्हें सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त से एक सम्पूर्ण विधेयक लेना चाहिए। धन्यवाद।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए इस विचार से सहमत हूं कि इस अधिनियम को संपूर्ण भारत में लागू किया जाए। माननीय मन्त्री महोदय ने विधेयक को पुन: स्थापित करते हुए कहा है कि हमारे देश में कुछ राज्यों ने पहले ही अपने-अपने कानून बनाए हुए हैं महोदय, नेत्रों का प्रत्यारोपण एक बहुत ही तकनीकी मामला है और इसके लिए अत्यधिक कुशलता और सुविधाओं की आवश्यकता होती है और विभिन्न राज्यों में बने कानून एक दूसरे से भिन्न भी सकते हैं। अत: मैं यह महसूस करता हूं कि सारे देश के लिए एक समान कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि यह सम्मानित सभा इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर तथा विभिन्न राज्यों की समस्याओं पर विचार कर सके और उसके परिणामस्वरूप एक उपयोगी कानून बनाया जा सके। मैं व्यक्तिगत रूप से यह भी अनुभव करता हूं कि यद्यपि इस सम्मानित सभा द्वारा बनाए नए प्रत्येक कानून को जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू नहीं

किया जा सकता, फिर भी ऐसा कोई कारण नही है कि इस लाभ प्रद अधिनियम को जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू न किया जाए।

दूसरी बात यह है कि मैं प्रत्येक मैडीकल प्रेक्टीशनर को यह अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूं। इस अधिनियम के अन्तर्गत आपने मृतक व्यक्ति के नेत्र निकालने के सम्बन्ध में कतिपय उपबन्ध किए हैं। मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है कि एक मैडीकल प्रेक्टीशनर अपनी मैडीकल डिग्रियों के आधार पर योग्य हो सकता है परन्तु वह इतना विशेषज्ञ नहीं हो सकता कि नेत्र निकाल कर उनका प्रत्यारोपण कर सके। उदाहरण के लिए, हमारे देश मे ऐसे बहुत से मैडीकल प्रेक्टीशनर हैं जो अपने क्लिनिकों मे मोतियाबिन्द के आपरेशन करते हैं परन्तु कई असफल भी हुए हैं।

इसी प्रकार, एक वर्ष पहले कुल्लू घाटी एक मेडीकल प्रेक्टीशनर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्र जान्सकर में गया और वहां उस डाक्टर ने बहुत ज्यादा पैसे लेकर कुछ आपरेशन किए। परन्तु परिणाम 100 प्रतिशत असफल रहा। यह एक अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए। अतः ऐसी बाते होती रहती हैं। इस मामले में भी ऐसी बात हो सकती है। एक डाक्टर के पास अपना क्लिनिक हो सकता है वह प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। परन्तु उसे इस उच्च-कुशलता पूर्ण आपरेशनों को करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जैसाकि आपने इस अधिनियम में दी है। मैं यह महसूस करता हूं कि प्रत्यक मैडीकल प्रेक्टीशनर को ऐसा करने की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक उच्चतम निकाय-भारतीय चिकित्सा परिषद आदि उनको प्रभावित न कर दे, ताकि निर्धन लोगों का इस प्रकार शोषण होने से रोका जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुए दो बाते कहना चाहता हूं। पहली बात तो कई सदस्यों ने कही है कि इस विधेयक का व्यापक बनाना चाहिए, केवल बम्बई और दिल्ली तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए इस तरह के कानून की आवश्यकता तमाम जगह जहां है वह अच्छी बात है और जहां नहीं है वहां के लिए भी भारत सरकार को कहना चाहिए कि इस तरह का कानून बनाया जाए।

यह कैसी विडम्बना है कि एक तरफ हम इस कानून के जरिए मरने के बाद मरने वालों की आंखों को लेकर जिन्दा लोगों को लगाना चाहते हैं, जिनके पास रोशनी नही है और दूसरी तरफ कुछ समाज बिरोधी तत्वों द्वारा जिन्दा लोगों की आंखों को निकाला जा रहा हैं। हमारे सूबे के भागलपुर जिले में एक जमाने में अन्खफोड़वा लोगों का धन्धा बड़े जोरों से चल रहा था।

तो इस प्रकार के समाज-विरोधी लोगों की तरफ भी हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिए, जो कि क्रिमिनल्स है, क्रूरता करते है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि किसी के मरने के बाद हम उसकी आंख चाहते हैं, हम मरने वाले के वारिस से मरने वाले की आंखें मांग लेंगे और उसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। लेकिन आपको स्मरण होगा कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने, जबकि वे जिन्दा थे तभी नेत्रदान की घोषणा कर दी थी। मैं समझता हूं जिन्दा लोगों के बीच में ही उनके दिमाग में यह विचार पैदा किया जाना चाहिए कि वे अपने नेत्रदान की घोषणा पहले से ही कर दें। इसका मतलब यह नहीं है कि अभी उनकी आंख निकाल ली जाए, मरने के बाद आप उनकी आंखें ले सकते है। इस तरह की भावना सरकार लोगों में पैदा क्यों नहीं करना चाहती। अगर इस पहलू से भी सरकार सोचे तो बहुत अच्छा होगा।

देश की प्रधान मन्त्री, हमारे स्वास्थ्य मन्त्री तथा अन्य मंत्रीगण और संसद सदस्य यह एलान कर दें कि हमारी मौत के बाद, यदि हमारी आंखें इस्तेमाल के लायक हो उनको तो निकाल लिया जाए।

इस पहलू पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि इस तरह का वातावरण देश में पैदा किया जाए कि मरने के पहले लोग कहें कि ठीक है, मरने के बाद यदि समाज को हमारी आंखों की जरूरत हो और उपयोगी हो तो हमारी आंख निकालने का हक होना चाहिए। हमारा देश अभी बहुत अशिक्षित है और उसमें तरह-तरह के लोग है, कोई इस बात के लिए तैयार होगा और कोई इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर इस तरह का वातावरण पैदा करना चाहिए कि उनके मरने के बाद उनकी आंख को निकालने का हक हो।

दूसरी बात, माननीय सदस्य श्री परुलेकर जी ने ठीक ही कही और मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि गरीब, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, निर्धन है, उनकी आंख की मदद मिलनी चाहिए, यह नहीं कि इस तरह का फायदा केवल बड़े लोगों को ही मिले। एक सुझाव मैं यह भी देना चाहता हूं और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि यदि गरीब की आंख अच्छी है और मरने के बाद आप उसकी आंख ले रहे हैं, तो क्या आप इस पहलू पर भी विचार करेंगे कि उस परिवार के लोगों को उस आंख को लेने के बाद आर्थिक मदद दे दी जाए। इसका नाम आप चाहे मुआवजा रखिए या जो भी आप उचित समझे रखिए। इस पहलू पर भी आपको विचार करना चाहिए। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि देश में इस तरह का वातावरण पैदा किया जाए कि लोग मरने के पहले कहें कि आप हमारी आंख देश के हित में निकाल सकते हैं। मेरी दृष्टि में इस बिल का विरोध कोई नहीं करेगा, कोई पागल होगा जो विरोध करेगा या जिसका दिमाग खराब होगा और बाकी सारे लोग इसका समर्थन करेंगे...(व्यवधान)...मेरे कहने का

तात्पर्य है कि जैसे हमारी आंख खराब हैं, तो उसको लेकर क्या कीजिएगा। इसके जो एक्सपर्ट हैं, जिनका कि इन्होंने जिक्र किया है...

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह घोषणा क्यों नहीं करते कि आप अपने नेत्र दान में दे देंगे ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं इस सम्बन्ध में घोषणा करने जा रहा हूं। परन्तु मेरे नेत्रों का लाभ लेने वालों को नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : तब भी आप घोषणा कर सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : जी हां, मैं इस सम्बन्ध में प्राधिकृत करने जा रहा हूं।

दिल्ली में मर गए तो कोई असंभव बात नहीं है। दिल्ली में रोज ही मर रहे हैं। एम० पी० भी मरते हैं, तो एक दिन की छुट्टी भी हो जाती है। मरने के बाद आंख ले लीजिए। आंखों की जरूरत है, तो मार डालिये, वह भी हमको मन्जूर है। इसलिये मैं कह रहा हूं कि 5 2 संसद सदस्यों और जिनमें प्रधान मन्त्री को लीड लेनी चाहिए कि वे एनाउन्स करें और अब तो नए राष्ट्रपति महोदय कल बन रहे हैं, उनको भी इस बात का एलान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए बहुत सी बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि वे राष्ट्रपति बन गये, तो पहला काम उनको राष्ट्रपति बनने के बाद यह करना चाहिए कि वे कहें कि मैं अपनी आंख दान करता हूं और डा० राजेन्द्र प्रसाद के पद-चिन्हों का अनुसरण करें। मैं तो मन्त्री महोदय से भी कहना चाहता हूं कि यदि वे कहने की स्थिति में हों तो वे पहले दे दें और हमारा दूसरा नम्बर हो जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूं। इस बिल का उद्देश्य बहुत ही पुण्यात्मक है और बहुत ही लाभकारी है तथा इससे देश को फायदा होगा। इस बिल से केवल दिल्ली वालों को ही फायदा मत पहुंचाइए, इस बारे में राज्यों से भी विचार-विमर्श करना चाहिए।

श्री रामलाल राही (मिसिरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, नेत्रदान से सम्बन्धित जो बिल माननीय मन्त्री जी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है यह वास्तव में इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, बड़े उपकार का काम किया है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि बड़ी जल्दबाजी में किया है। जो भी इस बिल को पढ़ेगा और समझने की कोशिश करेगा, उसे ऐसा लगेगा कि इसमें बड़ी जल्दबाजी की गई है, बड़े उतावलेपन से यह बिल पेश किया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा अगर वे थोड़ा सब्र कर लें, हफ्ते-दो हफ्ते या 10 दिन के बाद, उन तमाम

सुझावों का समावेश करते हुए जिनका उल्लेख यहां पर किया गया है, पेश करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

जैसे इसमें सीमा-क्षेत्र का जिक्र किया गया है, इसमें दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के अन्दर की सीमा निर्धारित की गई है, जो यहां पर मरेंगे उनसे ही नेत्रदान लिया जाएगा, यहां पर ही नेत्र बैंक बनेगा क्योंकि शोध संस्थान यहां पर ही है। आपने शायद यह जानने की कोशिश नहीं की कि दिल्ली और बम्बई के अतिरिक्त भी देश के विभिन्न भागों में अच्छे-अच्छे नेत्र-चिकित्सालय हैं, इस विज्ञान के जानने वाले लोग, निजी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं—हमारे सीतापुर मे एशिया का सबसे बड़ा नेत-चिकित्सालय के नाम से जाना जाता है और वह पद्मश्री डा० मेहरा की देन है, जो एक बहुत साधारण से व्यक्ति थे लेकिन इतना आलीशान अस्पताल खड़ा कर दिया, जहां अन्य देशों के लोग भी चिकित्सा करवाने के लिये आते हैं। मैंने कई बार इस सदन में इस प्रश्न को उठाया है कि सरकार उस अस्पताल को अधिगृहीत करे तथा वहां पर भी नेत्र-बैंक या चक्षु बैंक कायम किया जाये। यदि सरकार ऐसा कर दे तो उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत अच्छा नेत्र-बैंक बन जायेगा तथा वहां पर प्रदेश के लोग, उसका लाभ उठा सकेंगे। जो लोग समझते हैं कि मरने के बाद यह शरीर बेकार हो जाता है, यदि उसका कोई अंग किसी के काम आ सके, तो वे खुशी से उसका दान कर सकेंगे और उससे इलाके के लोगों को लाभ मिल सकेगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं—आप इस पर विचार करें, इसका जो सीमा-क्षेत्र निर्धारित किया गया है उसको बढ़ाया जाय। ऐसा करने से पूरे देश के लोगों को लाभ हो सकेगा।

दूसरी बात, कई सम्मानित सदस्यों ने, जैसे शास्त्री जी, पारुलेकर साहब ने कहा है और मैं भी कहना चाहता हूं—आज देश में जो ब्लड बैंक बनाये गये हैं उनमें लोग अपने खून का दान करते हैं, लेकिन वह खून गरीब व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति अस्पताल के दरवाजे पर जाता है और उसको एक बोतल खून की जरूरत होती है तो उसको नहीं मिल पाता, उसको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, पैसा खर्च करने पर भी नही मिल पाता, लेकिन बड़े आदमियों को फौरन मिल जाता है। इसलिये कहीं ऐसा न हो कि आप जो नेत्र-बैंक बनाने जा रहे है उसमें जो लोग नेत्र-दान करेंगे उसका बड़े-बड़े लोग फायदा उठा ले जायें। इसके लिये सुनिश्चित होना चाहिये कि जो आंखें दान में आयेंगी वे गरीबों के नेत्रों को सुधारने में लगाई जायेंगी। आप इस बात का आश्वासन सदन में दें, तब मैं समझूंगा कि जो बिल आप सदन में लाये हैं वह वास्तव में जनहित में है और जैसा आपकी सरकार कहती है कि हम सब कुछ गरीबों के लिये कर रहे हैं, ऐसी घोषणा इस बात को जाहिर करेगी कि आप वास्तव में गरीबों के लिये कुछ करने की कोशिश कर रहें हैं। आप रोटी नहीं दे पा रहे हैं, रोजी नहीं दे पा रहे हैं, कपड़ा

नहीं दे पा रहे हैं, मकान नहीं दे पा रहे हैं, इससे कम-से कम अन्धे लोगों को आंखें मिल जायेगी और वे अपनी रोटी कमा सकेंगे। इसलिए यह बड़े उपकार की बात होगी धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब डा० कुलनदई वेलु भाषण करेंगे। प्रत्येक सदस्य केवल 1 या दो मिनट तक बोलेगा।

डा० वी कुलनदईवेलु (चिदम्बरम) : मैं अपने बुद्धिजीवी दल डी० एम० के (द्रमुक) की ओर से मृत व्यक्ति के नेत्रों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने वाले विधेयक का स्वागत करता हुआ चर्चा में भाग लेता हूं।

इस विधेयक का स्वागत करने के कई कारण हैं। माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के बारे में काफी कुछ कहा है और इस प्रयोजना के लिए नेत्र इकट्ठे करने पर बल दिया है। एक पेशेवर डाक्टर होने के नाते मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जब तक नेत्र समय रहते, यानि उस व्यक्ति की मृत्यु के 6 घन्टे के अन्दर न निकाल लिये जांए, तब तक कोई लाभ नहीं होगा उस व्यक्ति के लिए जिसका चक्षुपटल बदलना है, उस चक्षुपटल (कोनिया) की सशक्तता सुनिश्चित करने के लिए जिस को पुन: लगाया जाना है, व्यक्ति को मृत्यु के छ: घन्टे के अन्दर ही नेत्र प्राप्त कर लिये जाने चाहिए। साथ ही उनका संरक्षण भी आप्रेशन के सही समय तक यानि शल्य प्रक्रिया तक उचित प्रकार से होना चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि नेत्र इकट्ठा करने वाले नेत्र बैंकों की संख्या बहुत कम है। सारे देश में केवल 1 या दो नेत्र-बैंक हैं एक मद्रास में और एक बम्बई में। एक का मालिक निजी डाक्टर है। यह सुविधा सभी प्रशिक्षणों संस्थाओं और प्रसिद्ध अस्पतालों में प्राप्त होनी चाहिए।

कोलम्बो में एक सुव्यस्थित नेत्र बैंक है। उस नेत्र बैंक की तकनीकी जानकारी और मार्गदर्शक सिद्धान्तों को हमारे जानकारी डाक्टरों और तकनीकी लोगों को प्राप्त करानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हमें अपने लोगों को उस संस्थान में भेजना चाहिए। तब हम अपने देश में कई नेत्र बैंक खोल सकते हैं ताकि जरूरतमंद लोगों की सेवा की जा सके।

इसके अलावा चक्षुपटल की जीव्यता को निर्धारित करने के लिए······

(व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : मुझे मालूम हुआ है कि भारत में 42 नेत्र-बैंक हैं।

डा० वी० कुलनदईवेलु : उनमें से कितने सही ढंग से कार्य कर रहे हैं ? शल्य चिकित्सा के लिए कितने सरकारी अस्पतालों में नेत्र-बैंकों की सुविधा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि डा० कुलनदईवेलु सरकारी नियंत्रण वाले अस्पतालों के बारे में बोल रहे हैं।

डा० वी० कुलनदईवेलु : हम गरीब जनता के बारे में चिन्तित हैं । एक गरीब व्यक्ति प्राइवेट संस्थान में कैसे जा सकता है ? इसलिए सरकार को इस बारे में अधिक सावधान होना चाहिए । उसको नेत्र बैंक खोलने के लिए तैयार रहना चाहिए । चक्षुपटल बदलने के लिए अनुभवी डाक्टर होने चाहिए । जूनियर डाक्टर जैसे एम०बी० बी० एस योग्यता वाले डाक्टरों को भी इस तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है, जिनसे कि वे जिस नेत्र को प्राप्त कर रहे हैं उसके चक्षुपटल की सशक्तता का पता लगा सकें । सभी सरकारी अस्पतालों में इस प्रायोजना के लिए डाक्टरों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । इस सुविधा को अन्य महानगरों में भी दिया जाना चाहिए ।

हमारी जनता अन्धविश्वासी और धार्मिक रूढ़ियों से ग्रस्त है । मेरे से पहले वाले सदस्य ने कहा कि हमें नेत्र दान के लिए रजामंद होना चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं एक बुद्धिजीवी दल से संबंध रखता हूं । डा० कलानिधि मैंने और हमारे दल के अन्य कई सदस्यों ने नेत्र दान के लिए अपने नाम दर्ज करवा रखे हैं । नेत्रदान के संबंध में हमें समाज में जागरूकता लेनी चाहिए और इसके लिए कोई धार्मिक कट्टरता समाप्त होनी चाहिए । इस नेत्र कार्य के लिए यह धर्मान्धता बाधा नहीं बननी चाहिए । अपनी मृत्यु के बाद, अपने नेत्रों का दान किसी अन्य व्यक्ति को देकर हम उसे नया जीवन प्रदान कर रहे हैं इस तरह से अपनी मृत्यु के बाद हम उसके माध्यम से देख सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं ।

मैं भगवान् में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को नेत्रदान में देते हैं तो यह एक अच्छा कार्य है । अगर हम केवल निजी संस्थानों को चक्षुपटल बदलने की अनुमति और प्रोत्साहन देते हैं तो इनमें अमीर व्यक्तियों को ही लाभ होगा, गरीबों को नहीं । इस बात को माननीय मंत्री महोदय को ध्यान में रखना चाहिए और सरकार द्वारा एक संगठन बनाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० कुलनदईवेलु आपको एक विशेष स्थिति में बोलने की अनुमति दी गई है, आपके दल को पहले ही समय दे दिया है, ईरा मोहन वहां बैठे हुए हैं ।

डा० वी कुलनदईवेलु : मैं धर्मान्धता के बारे में उल्लेख कर रहा था । बुद्धिवाद की भावना पैदा करने के लिए हमें समाज में शिक्षा का प्रसार करना होगा । हमारे रेडियो तथा टेलिविजनों को बुद्धिवादी सिद्धांन्तों का प्रसार करना चाहिए हमें अपने लोगों को शिक्षित बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी हैं । इस प्रवृत्ति को खत्म किया जाना चाहिए । हमें लोगों को इस तरह से समझाना चाहिए की उन्हें अपने नेत्र दान करने में झिझक न

हो। एक दफा हम मर गये, तो सब खत्म हो गया। जो परिवार नेत्रदान करें उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष जी, यह बिल समर्थन योग्य है और सभी ने इसका समर्थन किया है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं। लेकिन एक ही निवेदन शंकरानन्द जी से करना चाहूंगा कि एक आंख लगाइये, हजार आंख खराब करिये, यह नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आंख लगाने में जितने साधन, जितनी रिसर्च चाहिए और उस पर जितना खर्च होगा, उसके मध्य में एक हजार आंख खराब न हो जाएं और इसको देश की जनता ताकती न रहे। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

कहा जा रहा है कि 70-80 लाख लोग आई डिसीज से पीड़ित हैं। कितने अंधे हैं, यह संख्या तो हमारे पास नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो अंधे हो गए हैं, उनके लिए तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भाषण दे सकते हैं, लेकिन जिनको अंधा होने से रोका जा सकता है, उनके लिए हमको नेशनल कैंपेन चलाना होगा। इसके बगैर आप ये समझें कि ग्राफ्टिंग बैंक, लिब बैंक या कितनी बैंक बनाने से राष्ट्रीय समस्या का समाधान हो जाएगा। यह नहीं होने वाला है।

एक मेरा निवेदन यह है कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है, उसमें ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो कानून का नाजायज फायदा उठाते हैं। आई डोनेशन लीगल होना चाहिए, लेकिन इनमें एक्सपलाइटेशन नहीं होना चाहिए। लोगों से झूठा लिखवा लिया जाएगा और उनकी आंखें निकाल ली जाएंगी। 10-20 हजार के लिए किसी भी गरीब आदमी को पकड़ा जाएगा और क्लोरोफार्म सुंघाकर उसकी आंखें निकाल लेंगे। इसलिए इनमें इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि जिस आदमी की आंखें दान में ली जाएं, उसका नाम और पता जरूर आपके पास रहे नहीं तो एक्सपलाइटेशन हो सकता है। ये दो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं।

तीसरी बात यह है कि आप आई बैंक बनाने जा रहे हैं, लेकिन डा० राजेन्द्र प्रसाद आप्थामालाजिकल इंस्टीट्यूट की क्या हालत है? इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा किया है।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : क्या जिन्दा व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में ही नेत्रदान किये जाने का प्राविधान भी है?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री राम सिंह यादव : इसका प्राविधान यहां नहीं है।

श्री डी० पी० यादव : जो भी हो यह प्रावीजन भी हो सकता है । डा० राजेन्द्र प्रसाद आप्थामालाजिकल इंस्टीट्यूट की हालत देखिए । इतनी बदतर हालत है । आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की हालत देखिए । मैं आज ही वहां से लौटा हूं । 70 बैड प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड में एक साल से बनकर पड़े हुए हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है । इस तरह से जो हमारे रिसोर्सेस हैं, उनका प्रापर यूटीलाइजेशन नहीं हो रहा है । उनके लिए टेक्नीकल और डिवोटेड मैन पावर चाहिए।

इन सब बातों की ओर ध्यान दिलाते हुए मैं इनका समर्थन करता हूं।

श्री एम० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : श्रीमन, मुझे समय दिए जाने का धन्यवाद । मैं विधेयक का स्वागत करता हूं । यह एक बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति, जिसकी आंखें नहीं रही आंखों की ज्योति दुबारा प्राप्त कर लें । नेत्र दान से, हालांकि, थोड़े से रोगों का ही इलाज किया जा सकता है । उदाहरण के तौर पर, इस मामले में कोर्निया के बदलने से काफी सहायता मिल सकती है, अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो, जैसा कि मेरे माननीय दोस्त ने कहा है, देश में नेत्र इकट्ठे करने वाले दो संस्थान हैं ।

18 दिसम्बर, 1972 को एक प्रश्न संख्या 4684 पूछा गया था । जिसका उत्तर माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने दिया था, कि देश में 42 नेत्र-बैंक हैं, मैं सारी सूची नहीं पढ़ना चाहता । लेकिन मुझे विश्वास है वे सभी निजी अस्पताल नहीं है, ज्यादातर सरकारी अस्पताल हैं । वे हैं; एम० आई० अस्पताल, इन्दौर जो कि मध्य प्रदेश सरकार का अस्पताल है, राजेन्द्र संस्थान, पटियाला, चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़, सरोजिनी देवी नेत्र अस्पताल, हैदराबाद, दिल्ली प्रशासन नेत्र अस्पताल, दिल्ली, प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र; केन्द्रीय नेत्र विज्ञान का नेत्र बैंक ; न्यू सिविल अस्पताल, अहमदाबाद और अन्य कई । मुझे आशंका है क इस सूची में कोई भी निजी संस्थान नहीं है ।

मन्त्री महोदय शायद बता सकते हैं कि क्या इन पर नेत्र बैंकों की संख्या में और वृद्धि हुई है । 1972 में दिया गया यही उत्तर हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 10 वर्षों में यह संख्या दुगनी हो गयी होगी । मुझे नहीं मालूम कि वहां का प्रबन्ध संतोषजनक है या नहीं । लेकिन मैं माननीय मन्त्री से जरूर पूछना चाहता हूं कि इन केन्द्रों में कितने नेत्रों का दान मिला और कितने नेत्रों का प्रभारोपण के लिए सफलता पूर्वक उपयोग किया गया । अगर मन्त्री महोदय हमें यह सूचना प्रदान करा दें तो इससे काफी सहायता मिल सकती है ।

इस विधेयक का क्षेत्राधिकार दिल्ली प्रशासन तक ही सीमित है । अगर मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि सभी राज्यों में इसी प्रकार के कानून बनाये जाएं तो यह अच्छा होगा। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में इस प्रकार के कानून बनाये गए हैं । अगर इस प्रकार कानून सारे देश में बनाया जाए तो, इससे राष्ट्र को काफी लाभ होगा ।

अगर चक्षुपटल (कोर्निया) खराब हो जाय तो इसे बदला जा सकता है । राज्यों में इस प्रकार के कई एक सफल आप्रेशन हुए हैं । मुझे नहीं मालूम भारत में अब तक कितने सफल आप्रेशन हुए हैं हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि कितने नेत्र बैंक अच्छी तरह से नेत्रों को रख रहे हैं ।

हालांकि जो विषय में उठाने जा रहा हूं वह, इस विधेयक से सीधे सम्बन्धित नहीं है, फिर भी यहां यह कहना असंगत न होगा कि 5-6 वर्ष की आयु के हजारों युवा लड़के, विटामीन 'ए' और 'डी' की कमी के कारण अपनी नेत्र ज्योति खो देते हैं । चेचक से भी आंखों को काफी नुकसान होता है । खुशी का विषय है कि इस कारण बहुत कम नुकसान हुआ है । हमारे पास पूरी रिपोर्ट नहीं हैं, क्योंकि गांवों में अब भी ऐसे लोगों की संख्या काफी हैं, जो अन्धे हो गये हैं । हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंखें को बचाने के लिए और एहतियाती उपाय अपनाने चाहिए ।

नई आंख केवल दुर्घटना, जल जाने अथवा आंख को क्षति होने की दशा में ही लगाई जा सकती है । मुझे नहीं मालूम कि इस प्रकार भारत में जो अनेक अन्धे व्यक्ति हैं उनको इससे कोई लाभ मिलने वाला है । इस उपाय द्वारा, मेरे द्वारा बताई गई आपातकालीन स्थिति में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है । लेकिन फिर भी मैं कहना हूं कि यह एक सराहनीय कदम है ।

एक अन्य बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो नेत्र निकालने के लिए उसके रिश्तेदारों की अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है ? हम सब राष्ट्र की सम्पत्ति है । अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो राज्य के अधिनियम द्वारा इसके नेत्र क्यों नहीं निकाले जा सकते ? हम इस तरह के कानून बना सकते हैं । मैं इस सीमा तक जाने के लिए तैयार हूं । आखिरकार यह राष्ट्र की सम्पत्ति है । अगर मेरी मृत्यु हो जाती है और मेरे नेत्र दान में देने वाला कोई नहीं है तो उन्हें व्यर्थ क्यों जाने दिया जाय ? अगर ऐसा कानून लाया जाता है, तो मैं इसका स्वागत करने वाला पहला व्यक्ति हूगा । यह कोई भावना की बात नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कुछ सुमदाय ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आयेगा, जब वे फिर से उठ खड़े होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब वे फिर से उठ खड़े होंगे, तो उनके देखने के लिए आंखें भी होनी चाहिए ।

श्री एन० के० शेजबलकर : मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री और सम्भावित सभी मेरे विचारों को समझेंगे ।

मुझे समय देने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री मनोरञ्जन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : उपाध्यक्ष महोदय, मानव को होने वाले सभी दुखों में अन्धेपन का दु:ख सबसे भयानक है और अगर आप विवरणों पर नजर दौड़ायें तो, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे देश में अन्धेपन के शिकार लोगों की संख्या सबसे अधिक है। (व्यवधान) हाल ही में मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नेत्र कैम्प लगाने का अवसर मिला है और उससे पता लगता है कि डा० जी० के० सराफ, भारत के विख्यात नेत्र चिकित्सा, जिन्हें इस वर्ष पदम भूषण से विभूषित किया गया है, इस कैम्प में आपरेशन करने वाले सर्जन थे। उन्होंने कार निकोबार जिले के, जहां अधिकांश आबादी उन भोले भाले खूबसूरत जन जाति के लोगों की है, लोगों को नेत्रों की जांच करने के बाद रक्षा मन्त्री श्री आर वेंकटरामन, जिन्होने कैम्प का उद्घाटन किया था, कि उपस्थिति मे कहा कि निकोबारी जन जाति लोगों लोगों की बच्चों से लेकर बूढ़े व्यक्तियों तक-आंखों की स्थिति रोहे, कोर्निया अल्सर आदि से इतनी खराब है कि अगर शीघ्र ही कदम उठाये गये तो निकोबार की सारी आबादी, इस देश में अन्धी हो जायेगी। यह तथ्य हमारे सामने एक आश्चर्यजनक सूचना और उसके बाद मैंने अपने माननीय स्वास्थ्य मन्त्री से स्थिति के बारे में एक पत्र लिखा। मुझ खुशी है कि उन्होने मुझे उत्तर दिया है कि उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को आदेश दिया है कि उसके अधिकारी वहां जा कर हालत का जायजा लें और उपचारात्मक उपाय करें। लेकिन साथ ही मुझे कहते हुए दुःख हो रहा है कि इतना गम्भीर मामला होते करते हुए भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को वहां जाने और हालात का जायजा लेने का अभी तक समय ही नहीं मिला है। फिर भी मैं समझता हूं कि भविष्य में मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

बात यह है कि यह विधेयक विशेष ऐसा विधेयक है जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। इसमें वास्तविकता को नकारा नहीं गया है। परन्तु मुख्य बात यह है—इस सम्बन्ध में मैंने संशोधन भी दिया है—कि यह सारे भारत पर लागू होना चाहिए विशेष कर से दिल्ली संघी राज्य क्षेत्र यह ही नहीं। परन्तु यदि यह प्रश्न उठता है कि यह संपद की समक्षता के अन्तर्गत नहीं आता क्योंकि यह राज्य का विषय है और इसमें कुछ कठिनाईयां आयेंगी, उस स्थिति में भी मैं नहीं समझ सकता कि सारे संघ राज्य क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत क्यों नहीं लाया गया। और विशेष रूप से केवल दिल्ली को ही क्यों लिया गया। दूसरे केन्द्र शासित प्रदेश भी हैं जिनको इसको सम्मिलित किया जा सकता था। परन्तु इस कानूनी कठिनाईयां कमी के कारण वह नहीं किया जा सका।

मैं श्री डी० पी० यादव से पूर्ण रूप से सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं जो अन्धे हो चुके है - यह एक बात है —और कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनको अन्धेपन से हम बचा सकते हैं। परन्तु हम उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ जब हम कोई कपि करना चाहते हैं तो हमें उनके बारे में पूर्ण रूप मे सावधान रहना चाहिए और उसके सभी गुणावगुणों को देखना चाहिए क्योंकि आखिर संघ सरकार ने या भारत सरकार ने इस विधेयक को इस

सम्मानित सभा के सामने प्रस्तुत किया है। इसीलिए सभी गुणावगुणों के बारे में सोचा जाना चाहिए। लक्षद्वीप, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह या नागलैंड या अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम तथा सभी दूरस्थ क्षेत्रों में जहां लोग अन्धेपन से पीड़ित हैं, उनके मामलों पर भी तुरन्त विचार किया जाना चाहिए।

इन सभी विचारों के साथ, मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह मेरे द्वारा दिये गये संशोधनों पर विचार करें तथा उन दूरस्थ क्षेत्रों में भी भविष्य में कार्यवाही करने के लिए विचार किया जाये।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक जो यहां प्रस्तुत हुआ है, उसके बारे में मैं कुछ सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मैंने इस बिल के क्लाज 5 और 6 का अच्छी तरह से अध्ययन किया है। क्लाज 6

जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से या किसी अन्य अप्राकृतिक चिकित्सा-विधि-कारण से होती है।

इस क्लाज के अन्तर्गत किसी रिलेटिव की या अन्य किसी की कोई भी कन्सेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। इस क्लाज का हिन्दुस्तान की जनता पूरा विरोध करेगी। एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो गई, उसने कोई ओबजेक्शन न किया हो, नेचरली कौन ओबजेक्शन करता है? इस क्लाज 6 में यह प्रावीजन होना चाहिये कि यद्यपि उसकी डेट एक्सीडेंट से या अन-नेचुरल काज से हुई हो तो भी नीअरेस्ट रिलेटिव्ज की कन्सेंट लेनी चाहिए। अगर उसके बिना आप ऐसा करेंगे तो उसका बहुत विरोध होगा।

इसी प्रकार क्लाज 5 में जो प्रावीजन लिखा गया है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकार तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि निम्नलिखित समय समाप्त नहीं हो जाता :—

(1) जहां अस्पताल या कारागार में शव के लिए कोई शीतागार सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां सम्बद्ध व्यक्ति की मृत्यु के समय से आधा घन्टा ; या

(2) जहां अस्पताल या कारागार में शव के लिए शीतागार सुविधा उपलब्ध है वहां सम्बद्ध व्यक्ति की मृत्यु के समय से दो घंटे।

इसके अन्दर भी यह प्रावीजन बिल्कुल कन्सेंट के बिना नहीं होना चाहिये। अगर डेथ हस्पताल में या जेल में हुई हो, उनकी कन्सेंट के लिये अगर कोई रिलेटिस न हो और अन्य कोई

न अवेलेबल हो, यह ठीक है कि अज कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है, लेकिन 2 घंटे में कौन पहुंच सकता है और कौन कन्सेंट दे सकता है ? इसलिये इस क्लाज 5 (2) का कोई भी स्वागत नहीं करेगा। और कोई इसे पसन्द नहीं करेगा।

अगर किसी की डैथ हस्पताल में हो जाती है और उसकी कन्सेंट के लिये कोई व्यवस्था नहीं है तो उसकी आंख निकालने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिये। बिना कन्सेंट के आंख निकालने की अगर आपने कोशिश की तो उसका विरोध किया जायेगा।

अभी भी हमारे देश में यह परिपाटी है कि कोई भी पोस्ट-मार्टम कराना पसन्द नहीं करता। यहां तक कोशिश की जाती है कि अगर सोसाइड का केस हो या और अचानक मौत का केस हो तो भी उसका पोस्ट-मार्टम न किया जाये, उसके लिये ब्राइब देकर भी पोस्ट-मार्टम रोकने की कोशिश लोग करते हैं, क्योंकि इसमे बड़ा भारी अपमान होता है।

जब हमारे यहां इस प्रकार की रिलीजस भावना है, कोई भी अपनी आंख और कान निकलवाकर नहीं देना चाहता तो अभी आपने यह कानून दिल्ली में लागू किया है, मैं जानना चाहता हूं कि पहले भी यह बम्बई में लागू रहा है. इसका पिछले दो साल में किन-किन लोगों ने लाभ उठाया है, आप इसकी लिस्ट पेश करें। लाभ उठाने में इसका दुरुपयोग तो नहीं हुआ है या मनी का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, यह जानकारी भी हमें प्रस्तुत करें।

लैजिस्लेशन वैज्ञानिक दृष्टि कोण से बहुत ही अच्छा माना जा सकता है, परन्तु हमें प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में जो कानून प्रस्तुत किया गया है, मैंने जो अपने सजेश्चन्स दिये हैं, मेरा निवेदन है कि मन्त्री जी गौर से इनका जवाब देकर संतुष्ट करें।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा तथा उन सदस्यों के प्रति जिन्होंने पूरे दिल से विधेयक का समर्थन किया है बहुत ही कृतज्ञ हूं। मुझे खुशी है कि उनके पास गरीब लोगों के कष्टों को देखने के लिए आंखें हैं। मैं यह भी विश्वास करता हूं कि जब उनकी आंखें देखती हैं तो उनका हृदय भी द्रवित होता है, क्योंकि केवल आंखों से देखने का बिना दिल से महसूस किये कोई लाभ नहीं है। परन्तु यहां मैंने देखा है कि जिन माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया है उनके पास गरीबों का दुख देखने के लिए आंखें और दिल दोनों हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उनको भी जिन्होंने भाग नहीं लिया।

श्री बी० शंकरानन्द : आंखें भगवान की ऐसी देन जिन्हें उनके बिना जिन्दगी तबाह हो जाती और यह वाद-विवाद भी अन्धा होता। लोगों के पास आंखें है। परन्तु कभी जान-बूझकर और कभी अनजाने में वे देख नहीं पाते। और हम यह नहीं कह सकते कि जिन लोगों के आंखें

नहीं होतीं वे देख नहीं सकते, क्योंकि वे अपने दिल से महसूस करते हैं। ऐसा है मानव जीवन। हां, वास्तव में यदि आंखें हों तो मानव जीवन की व्यवस्थाओं को और अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसीलिए यह विधेयक सभा के सामने लाया गया है।

कुछ सदस्य, जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है, दूर क्षितिज तक चले गये हैं जिससे इस विधेयक का बिलकुल भी सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने अन्वेषण को रोकने के पहलुओं की समस्याओं अन्वेषण के नियन्त्रण तथा अन्य पहलुओं पर बात की है जिनका विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु वास्तव में कुछ सदस्यों ने विधेयक के उपबन्धों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया है।

कुछ सदस्यों के अनुसार मूल आपत्ति यह है कि यह विधेयक केवल संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए ही क्यों पूरे देश के लिए क्यों नहीं ? शायद मुझे पता नहीं कि विधेयक के उद्देश्यों व कारणों के कथन में जो लिखा गया है उसको देखने के लिए उनके पास आंखें हैं या नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : आप कृपया विधेयक को पढ़ें, केवल वही नहीं जो उद्देश्यों व कारणों के कथन में लिखा है, क्योंकि लोग विधेयक को देखेंगे इसमें केवल नेत्रों को निकालना लिखा है और कुछ नहीं और इसलिए यह राज्य का विषय नहीं।

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे खुशी है कि आपकी नजर को ठीक रखने के लिए श्री डागा नजर का चश्मा पहनते हैं...

श्री मूलचन्द डागा : इसकी विधि विभाग द्वारा जांच की जानी चाहिये।

श्री बी० शंकरानन्द : काश उद्देश्यों और कारणों के कथन में जो लिखा है उसे पढ़ने के लिये उनके पास नेत्र होते। मैं इसे पढ़कर सुनाऊंगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने इसे सावधानीपूर्वक पढ़ा है।

श्री बी० शंकरानन्द : यदि आपकी आंखें अच्छी हैं तो आपको चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंखें ही बोल सकती हैं।

एक माननीय सदस्य : आंखें प्राय देखती ही हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं पैरा 3 को पढ़कर सुनाता हूं।

"दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित मुम्बई अधिनियम के स्थान पर एक स्वतन्त्र विधान बनाने के इस अवसर का लाभ उठाकर उपर्युक्त प्रस्तावों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

इसमें कहा गया है कि 1957 बम्बई अधिनियम, जो दिल्ली पर भी लागू होता था, के स्थान पर यह विधान बनाया जा रहा है ।

जब मैंने इस विधेयक को सभा में विचार हेतु प्रस्तुत किया तो मैंने पहले ही कहा था कि बहुत से राज्यों में पहले ही यह विधेयक अधिनियमित किया जा चुका है और मैंने राज्यों के नाम भी बताये । उस समय श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह कहकर कि पश्चिमी बंगाल में भी यह विधेयक पारित हो चुका है मेरी बात में शुद्धि की थी । ये राज्य हैं—मैं पुनः दोहरा देता हूं—जहां पर ऐसे विधेयक पारित किए गए हैं । गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में राज्य है । जिन्होंने यह विधेयक पारित किया है ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : संघ राज्यों क्षेत्रों के बारे में क्या है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं पुनः बताता हूं कारण यह है कि विधेयक का क्षेत्र सीमित है । बम्बई अधिनियम, जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होता था, कि स्थान पर विधान बनाया जा रहा है । शायद माननीय सदस्य उस समय यहां पर नहीं थे जब मैंने विधेयक को पुरः स्थापित किया था और जब मैंने उसके बारे में बोला था । मैंने कहा था कि बम्बई अधिनियम में कुछ कमियां थी जिनका मैंने उल्लेख भी किया था और उनको ठीक करने के लिए मैं इस विधेयक को लाया हूं ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : संघ राज्यों क्षेत्रों के बारे में क्या है ? यह केवल दिल्ली के लिए हैं । अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने पहले ही कहा है कि जिन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक विधेयक पास नहीं किया है उनको इसका अनुसरण करना चाहिए जिस पर संसद विचार कर रही है । मैंने पहले भी यह कहा है जिन राज्यों ने ऐसा विधेयक पारित नहीं किया है उनको पारित करने का अधिकार है और वे इसको पारित कर सकते हैं ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : किसको पारित करना है ?

एक माननीय सदस्य : संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केवल संसद ही पारित कर सकती है ।

श्री बी० शंकरानन्द : संसद को पूरे देश के लिए ऐसा विधेयक पारित करने का वैध अधिकार है और वह इसके लिए सक्षम है । मैं कहूंगा कि विधेयक मुख्यतः संविधान की सप्तम अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 6 सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालयों से सम्बद्ध है ।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : "चूंकि विधेयक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को लागू होने के लिए हैं और यह संविधान के अनुच्छेद 246 (1) के अन्तर्गत है, अतः संसद को विषय पर दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधेयक में दिए गये कानून बनाने की विधायी शक्ति प्राप्त है। जब तक राज्य के विधायक संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत इस आशय के संकल्प पारित नहीं करते कि उपर्युक्त मामले के सम्बन्ध में संसद को इस कार्य के लिए कानून बनाने की सक्षमता होती है जो कि जम्मू और काश्मीर राज्य के सिवाय पूरे भारत पर लागू होगा।"

यही कारण है कि यह विधेयक, जो केवल दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र पर लागू होने के लिए है, पुरःस्थापित किया गया है।

मुझे दो माननीय विद्वान सदस्यों श्री रोजवलकर और श्री बापूसाहिब परुलेकर द्वारा दिये गये तर्क परस्पर-विरोधी लगते हैं।

श्री रोजवलकर ने यहां तक कहा कि राष्ट्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिये शरीर का कोई भी अंग उपयोग में लाया जाना चाहिए। श्री रोजवलकर, का यह विचार है जो राष्ट्र की उन्नति विकास, भविष्य और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वागत योग्य है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर ने कहा है "नहीं, यह कौन व्यक्ति है जिसे किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद बिना किसी प्राधिकार के उसके नेत्र देने का प्राधिकार है" और उन्होंने और भी कई बातों को चुनौती है यहां तक कि राष्ट्रपति को भी कि "वह कौन सा सक्षम व्यक्ति है ?"

मैं यह कहूंगा कि जिस संशोधन का आपने उल्लेख किया है तथा जिसे मैं शीघ्र ही उस व्यक्ति के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो कि विधेयक के उपबन्धों के अधीन सक्षम है, जिसका उल्लेख किया जा चुका है, और उसके अनुसार भी, वह कौन सा व्यक्ति होगा जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद इसे देने के लिए सक्षम होगा ? अगर व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पूर्व नेत्र दान के लिए अपनी सहमति नहीं दी है तो जो व्यक्ति उसका शव की जिम्मेदारी लेगा वही सक्षम है और उसकी ही यहां परिभाषा दी गई है। वह उसका निकट सम्बन्धी है। वह सक्षम व्यक्ति है। उसके अलावा मुझे कोई व्यक्ति नजर नहीं आता जिसे प्राधिकार दिया गया है।

(व्यवधान)

अधिनियम को पूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप खण्डों को ध्यान में रखे बिना स्वतन्त्र रूप से पढ़ें। अधिनियम को पूरा मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। अधिनियम के अन्तर्गत निकट सम्बन्धी ही सक्षम व्यक्ति हैं।

डा० बी० कुलनदेई वेलु (चित्तम्बरम) : सक्षम व्यक्ति कौन है ?

श्री बी० शंकरानन्द : वह व्यक्ति, जिसे अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकार दिया गया है। इसके अलावा और कौन हो सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : डा० कुलनदेई वेलु के लिए, श्रीमती कुलनदेई वेलु सक्षम व्यक्ति है।

श्री बी० शंकरानन्द : किसी माननीय सदस्य द्वारा एक अन्य आपत्ति यह उठाई गई है कि नेत्र के प्रयोग के बारे में विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं हैं। विधेयक के उद्देश्य में ही कहा गया है कि नेत्र कार्निया ग्राफ्टिंग के लिए लिये जा रहे हैं, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह बात विधेयक में नहीं है। क्या आप मुझे वह खंड दिखा सकते हैं जिसमें यह कहा गया है कि नेत्र का प्रयोग ग्राफ्टिंग के लिए किया जाएगा ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, उनकी आंखें हैं लेकिन मैं उन्हें दृष्टि नहीं दे सकता। मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री मूलचन्द डागा : मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है ? मैं यह बड़ा आसान सा प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या आप वह खंड पढ़कर सुना सकते हैं जिसमें यह कहा गया है कि नेत्र का प्रयोग ग्राफ्टिंग के लिए किया जाएगा ? क्या आप वह दिखा सकते हैं ? विधेयक में ऐसा नहीं हैं। कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। मुझे यह देखना होगा कि जब किसी विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाए और वह संसद के समक्ष रखा जाये। तो वह मूलचन्द डागा को स्वीकार्य हो। श्री डागा का कहना है कि सारे विधेयकों को बड़े खराब तरीके से बनाये जा रहे हैं। अब उनकी संतुष्टि कैसे होगी ?

श्री बी० शंकरानन्द : उनके पास आंखें हैं, लेकिन मैं उन्हें दृष्टि तो नहीं दे सकता।

बहुत से सदस्यों ने नेत्र-बैंकों के बारे में कहा है। माननीय सदस्य श्री शेजवलकर ने कुछ आंकड़े उद्धृत किए हैं। मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार, देश में करीब 72 नेत्र-बैंक है जिनमें से अधिकतर मेडिकल कालेजों में तथा विशेष संस्थानों में हैं। लेकिन उनमें से केवल 12 बैंक ऐसे हैं जो बड़ी तत्परता से नेत्र एकत्रित करने तथा कार्निया ग्राफ्टिंग कार्य में लगे हुए हैं। अत: किसी निजी संकाय अथवा व्यक्ति द्वारा नेत्र बैंक चलाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह प्रश्न बिल्कुल नहीं उठता।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : मद्रास में श्री अग्रवाल का आई रिसर्च फाउन्डेशन नामक एक निजी बैंक है।

श्री बी० शंकरानन्द : मेरे पास तमिलनाडु की सूची है। यदि मेरी गलती होती तो मैं उसको ठीक करूंगा। तमिलनाडु में तीन नेत्र बैंक हैं : सरकारी नेत्र अस्पताल, मद्रास सरकारी एर्सकिन अस्पताल, मदुराई, मेडिकल कालेज, वेल्लोर। मेरे पास यही सूचना है। यदि मेरी जानकारी गलत होगी तो मैं उसे ठीक करूंगा।

डा० ए० कलानिधि : डा० अग्रवाल आई रिसर्च फाउन्डेशन नामक एक निजी बैंक चला रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने कहा है कि यदि मेरी सूचना गलत होगी तो मैं उसे सही कर लूंगा मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार, केवल तीन नेत्र-बैंक हैं। ये नेत्र बैंक स्वयं सेवकों द्वारा नेत्र-दान के लिए प्रचार करते हैं और उनमें से कुछ स्वयं-सेवक नेत्र-दाताओं का पंजीकरण करते हैं। मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि इस देश की प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी पहले ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र केन्द्र को अभी नहीं बल्कि 12 वर्ष पूर्व को अपने नेत्र दान का पंजीकरण करवा चुकी हैं।

श्री एन० शेजवलकर : हममें से बहुत लोग ऐसा कर चुके हैं। (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : मेरे पास यही सूचना है वह मैंने सदन में दे दी है। मेरी इच्छा है रामावतार शास्त्री ने जो यह निवेदन किया है कि संसद सदस्यों और मंत्रियों द्वारा नेत्र दान किया जाना चाहिये उस पर हम सब अमल करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : जो लोग पहले ही अपनी आंखें दान कर चुके हैं उनको वह सूचना मन्त्री महोदय द्वारा दी जाएगी।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई अन्य आपत्ति पंजीकृत डाक्टरों की परिभाषा के बारे में है जिन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत यह अधिकार दिया गया है। परिभाषा बहुत स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि :

> "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (नेत्र)" से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 2956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखता हो और नेत्र विज्ञान की स्नातकोत्तर अर्हता रखता हो या जो ऐसा प्रमाण-पत्र रखता हो जिससे यह दर्शित हो कि उसने केन्द्रकहरण प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त किया है...

आप जानते हैं कि केन्द्रकहरण प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। यह साकेट से आंखें निकालने अथवा शल्य चिकित्सा करने की एक कला है। उसे केन्द्रकहरण कहते हैं। मैं उद्धृत करता हूं :

..."या जो ऐसा प्रमाण-पत्र रखता हो जिससे यह दर्शित हो कि उसने प्रशासक द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी अस्पताल या चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए शिक्षण संस्था के नेत्र विज्ञान विभाग में केन्द्रकहरण प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।"

वह ही इस अधिनियम के खंड (ग) के अधीन प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी है। बम्बई

अधिनियम में यह नहीं है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकारी अस्पतालों में कार्य कर रहे डाक्टरों से ही सम्बन्धित है अथवा इसमें गैर सरकारी व्यवसायी चिकित्सक भी शामिल हैं? क्या वे भी इस अधिनियम के अधीन आते हैं?

श्री बी॰ शंकरानन्द : इस परिभाषा में सरकारी सेवा में कार्यरत डाक्टरों अथवा गैर सरकारी डाक्टरों के बीच कोई भेद नहीं रखा गया है। हम डाक्टर की योग्यता और अनुभव वाले पहलू को अधिक महत्व देते हैं। इस कार्य में कार्य कुशल किसी भी डाक्टर के साथ हम भेदभाव नहीं करते चाहे वह सरकारी सेवा में कार्यरत हो अथवा कहीं और बाहर काम करता हो।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि इसका मानदण्ड केवल योग्यता ही है।

श्री बी॰ शंकरानन्द : इसके अतिरिक्त, श्री डी॰ डी॰ यादव ने भी, वह इस समय यहां नहीं है, कुछ कहा था। मैं उन्हें उसके लिए धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमें सावधान किया है कि नेत्र दान का इस कार्य में रुचि रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग भी किया जा सकता है जिसे निर्धन लोगों द्वारा दान किए गये नेत्र खरीदने का और फिर उनसे पैसा बनाने का प्रलोभन हो। महोदय, माननीय सदस्य द्वारा दी गई इस चेतावनी को हमने नोट कर लिया है। हम पूरी सावधानी रखेंगे कि इस तरह की कोई शरारत न हो। अन्य सदस्यों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि नेत्र केवल उन धनी लोगों को ही नहीं दिए जाएं जो नेत्र खरीदने की समझ रखते हों सदन द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गए सुझाव को भी हम ध्यान में रखेंगे। और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धनों के और अन्य ऐसे लोगो के मामलों को प्राथमिकता की जाए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ, इस विधेयक को पारित करने की सिफारिश करता हू। उसे इस विषय पर और कुछ नहीं कहना है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रथमत: उन्होने मेरे इस एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि क्या इस अधिनियम में नेत्र दान द्वारा किसी गैर सरकारी संस्था को नेत्र दान करना निषिद्ध किया गया है। यदि कोई व्यक्ति विशेष किसी संस्था विशेष को नेत्र दान करना चाहता है, तो क्या इस अधिनियम में इस पर रोक लगाई गई

है ? इस अधिनियम के अन्तर्गत, क्या उन्हें केवल दिल्ली में ही निर्धनों के लाभ के लिए प्रयुक्त किया जाएगा ? यदि इसकी अनुमति होती तो इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो नेत्र दान करना चाहता है उसे अपने नेत्र इसी संस्थान को देने होंगे । इस अधिनियम के अनुसार, नेत्र केवल दिल्ली में रहने वाले व्यक्तियों को ही उपलब्ध होंगे अथवा दिल्ली से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को भी ? कृपया इन बातों को स्पष्ट कीजिए ।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, यह प्रश्न केवल नेत्र दान करने अथवा मृत व्यक्तियों के नेत्र निकालने का ही नहीं है, बल्कि प्रश्न नेत्रों को नेत्र बैंक में सुरक्षित रखने का भी है । दिल्ली में हमारे पास नेत्र बैंक हैं । आप इस राजेन्द्र प्रसाद नेत्र केन्द्र द्वारा किए गए आंकड़ों से अन्दाज लगा सकते हैं कि यहां 1977 में कुल केवल 76 मामलों में कोर्निया ग्राफ्टिंग किया गया । परन्तु 1981 में कोर्निया प्रत्यारोपण के मामलों की संख्या 189 थी । माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या किसी व्यक्ति पर निजी नेत्र बैंक को नेत्रदान पर रोक है । प्रश्न यह है कि कोई निजी नेत्र बैंक हैं ही नहीं ।

हम स्वयं कल्पना कर लें और फिर चर्चा करते चले जाएं ऐसा तो नहीं होना चाहिए । जब किसी नेत्र बैंक हो जाएंगे तब हम देखेंगे । इसमें संशोधन करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

डा० बी० कुलनदईवेलु (चिदम्बरम) : महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान नेत्र निकालने की समय सीमा की ओर आकर्षित कर रहा था । माननीय मन्त्री महोदय ने समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया है । यह समस्या तब खड़ी हो सकती है जब नेत्र निकालने के लिए नेत्र विज्ञानी की आवश्यकता हो और वह उपलब्ध न हो । हम दूरस्थ गांवों इत्यादि में जाने के लिए नेत्र विज्ञानी कैसे ढूढेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, माननीय सदस्य ने कोई नई बात नहीं कही है । ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक मृत्यु होती है परन्तु नेत्र विज्ञानी के न मिलने से नेत्र नहीं मिल पाते । तो क्या किया जा सकता है ? महोदय, मैं पुनः एक बार अनुरोध करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये ।

डा० ए० कालानिधि (मद्रास मध्य) : महोदय, नेत्र छः घण्टों के अन्दर-अन्दर निकाल लिए जाने चाहिए अन्यथा करनिया को नुकसान पहुंचेगा और वह किसी काम का नहीं रहेगा ।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने नेत्र एकत्रित किए गए ; कितने मामलों में कोरनिया प्रत्यारोपित किए गए और उनमें से कितने सफल रहे ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, डाक्टर की कुशलता के अतिरिक्त कोरनिया प्रत्यारोपण

की सफलता अन्य कई बातों पर भी निर्भर करती है, जैसे कि नेत्र की क्षमता इत्यादि जहां तक डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र केन्द्र का सम्बन्ध है 1977 में 96 नेत्र प्राप्त हुए थे और 76 मामलों में प्रत्यारोपण किया गया ; 1978 में 147 नेत्र प्राप्त हुए थे 114 मामलों में नेत्र प्रत्यारोपित किए गए ।

1979 में 198 नेत्र प्राप्त हुए और प्रत्यारोपण के 140 मामले निपटाए गए । 1980 में 174 नेत्र प्राप्त हुए और 141 मामलों में कोरनिया प्रत्यारोपण किए गए । 1981 में 259 नेत्र प्राप्त हुए और 189 कोरनिया प्रत्यारोपित किए गए । जून, 1981 तक 104 नेत्र प्राप्त हुए और 2 कोरनिया प्रत्यारोपित किए गए ।

श्री एन० के० शेजवलकर : जितने कोरनिया प्रत्यारोपिय किए गए आप को उससे अधिक नेत्र प्राप्त हुए हैं, तो शेष नेत्रों का क्या हुआ ? प्रत्यारोपण आपरेशनों का परिणाम क्या रहा ? कितने आपरेशन सफल हुए ? कितने मामलों में नेत्रों का उपयोग किया गया ? इन मुद्दों का आपने उत्तर नहीं दिया है ; यदि आपके पास इस समय यह सूचना न हो तो आप बाद में दे सकते हैं ।

श्री बी० शंकरानन्द : यह एक संगत प्रश्न है और इसका उत्तर भी दिया जाना चाहिए । मेरे पास इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है कि कितने आपरेशन सफल रहे और कितने असफल और कितने अस्वीकृत हुए आदि-आदि । ऐसी बात नहीं है कि दान की किए गए सभी नेत्र प्रत्यारोपित किए जाते हों यदि आप यह पूछते हैं कि उन्हें अस्वीकृत क्यों किया गया तो इसका उत्तर विस्तार से देने की आवश्यकता होगी । मेरे पास सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मृत व्यक्तियों के नेत्रों का चिकित्सीम प्रयोजनों के लिए उपयोग का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपलब्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं ।

खण्ड 2

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 13,—"से" के पश्चात

"सरकार अस्पताल में कार्यरत" अन्तःस्थापित किया जाए । (6)

पृष्ठ 2,

पंक्ति 22 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

'(ङ) "चिकित्सीय प्रयोजन" से नेत्र की निःशुल्क ग्राफ्टिंग या इसके अध्ययन और अनुसंधान से सम्बन्धित कोई प्रयोजन अभिप्रेत हैं।" (7)

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) :

पृष्ठ 1, पंक्ति 10,—

"प्रशासक" के पश्चात "और संघ राज्य क्षेत्र की अधिकारिता के बाहर का जिला मजिस्ट्रेट" अंतस्थापित किया जाये। (16)

पृष्ठ 2, पंक्ति 1,—

"तथा,' के पश्चात

"इनकी अनुपस्थिति में" अन्तःस्थापित किया जाए। (17)

श्री मनोरन्जन भक्त (अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह) :

पृष्ठ 1,—

पंक्ति 9 और 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये।

'(क) "सम्बन्धित सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तगत संघ राज्यक्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (60) के अन्तर्गत परिभाषित राज्य सरकारें अभिप्रेत हैं।" (25)

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) :

पृष्ठ 1,—

पंक्ति 9 और 10 का लोप किया जाए। (26)

श्री मनोरन्जन भक्त :

पृष्ठ 2, पंक्ति 18,—

"प्रशासक" के स्थान पर "सम्बन्धित सरकार" प्रतिस्थापित किया जाये। (27)

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने संशोधनों के बारे में बोलना चाहता हूं। मुझे विधेयक में कहीं चिकित्सीय प्रयोजन की परिभाषा नहीं मिली। कहीं भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है।

सम्पूर्ण विधेयक में 'नेत्र निकालने' के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा गया है। नेत्रों के प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है, इसकी कहीं परिभाषा नहीं दी गई है। आपने यह नहीं बताया है कि नेत्रों का उपयोग कैसे किया जायेगा। आपने यह नहीं बताया है कि चिकित्सीम प्रयोजन का क्या अर्थ है। आक्सफोर्ड शब्द कोष में शब्द 'थेरप्यूटिक पर पड़ा' के पन्द्रह अर्थ दिए गए हैं। नेत्रों का उपयोग अनुसंधान प्रतोजन के लिए भी हो सकता है। उन्हें बेचा जा सकता है मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या प्रयोजन रहेगा वह आपने नहीं बताया है। सम्पूर्ण विधेयक में कहीं भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है।

यह कोई राज्य का विषय नहीं है। यह राज्य के विषयों की सूची में नहीं आता। स्वास्थ्य का सम्बन्ध जीवित व्यक्तियों से है। मृत व्यक्ति से सम्बन्ध केवल तब होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके नेत्र निकाले जाते हैं। स्वास्थ्य का सम्बन्ध जैसा कि मैंने कहा है, जीवित व्यक्ति से है। यह राज्य सूची में नहीं आता। यह राज्य का विषय नहीं है। यह मेरा सविनय निवेदन है। मैं इस मुद्दे पर उन्हें चुनौती देता हूं। विधि विभाग को इसकी जांच करने दो। यह विषय सम्पूर्ण देश से सम्बन्धित है। यह सविधान की सप्तम अनुसूची की मद 97 के अन्तर्गत आ सकता है। इस विधेयक में 'नेत्रों को निकालना' के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा गया है। इसमें यह नहीं बताया गया कि उन्हें कैसे निकाला जा सकता है। इसमें केवल यही लिखा है कि केवल सुयोग्य मैडीकल प्रेक्टीशनर ही नेत्र निकाल सकते हैं। इसमें यह कहीं नहीं बताया गया है कि इन नेत्रों का उपयोग इन-इन प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। यह नहीं कहा गया है कि किन प्रयोजनों के लिए इनका उपयोग होगा। कहीं भी इनकी परिभाषा नहीं दी गई है यह मेरा सादर निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं खंड 2 के सभी संवोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखा सकता हूं ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं अपने सशोधन के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए एक घन्टा आबंटित किया गया था। हमें दो घन्टे से अधिक हो गए हैं। अगला विधेयक भी है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर ज्यादा डिश्कशन नहीं करना चाहूंगा और केवल दो बातें कहना चाहता हूं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : कल हमने संविधान (संशोधन) विधेयक पर मतदान करने का निर्णय लिया था। यदि हमने उसे कल कर लिया होता तो आज हमें उस विधेयक पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय कृपया शान्ति रखिये ! एक घन्टे का समय आबंटित किया गया था। हमने सही एक बटा 2 घन्टे लगा दिए हैं। श्री अजित कुमार मेहता। कृपय एक मिनट में समाप्त कर दीजिए।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए। इस विधेयक की क्लाज तीन की सबक्लाज तीन में कहा गया है कि—

"किन्तु ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (नेत्र) से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा नेत्र इस प्रकार नहीं निकाले जाएंगे···कि वह शव निष्प्राण है।"

आज जब विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि शरीर के हर अंग का ट्रांसपलान्टेशन हो सकेगा तब हमें इस विधेयक में मृत्यु की परिभाषा तो देनी ही पड़ेगी जो कि इसमें कहीं भी नहीं दी गई है। आदमी मर सकता है लेकिन उसका अंग नहीं मरेगा। अगर अंग भी मर जाएगा तो इसका ट्रांसपलान्टेशन कैसे होगा। इसलिए इसमें मृत्यु की परिभाषा भी कहीं होनी चाहिए।

इसमें एक बात यह है कि अगर कोई आदमी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पर है जब तक उसकी कृत्रिम श्वास प्रक्रिया को चालू रखा जाएगा तब तक तो वह जिन्दा रहेगा लेकिन जैसे ही वह प्रक्रिया बंद हो जाती है तो वह आदमी मर जाता है। लेकिन उसका अंग नहीं मरता है। इसलिए अगर मृत्यु की परिभाषा नहीं की जाएगी तो कैसे कहा जाएगा कि वह जिन्दा है या मर गया है और उस अवस्था में उसके अंग का ट्रांसप्लान्टेशन कैसे हो सकता है। इसलिए मृत्यु की परिभाषा इस बिल में आवश्यक है। इसीलिए मैंने अपना संशोधन पेश किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान मूलचन्द डागा जी, आप पहले ही बोल चुके है। श्री विखे पाटिल भी बोल चुके हैं। अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं श्री डागा को पहले ही उत्तर दे चुका हूं परन्तु मैं उन्हें एक फिर बता सकता हूं कि जिन प्रयोजनों के लिए नेत्र निकाले जाते हैं वे स्वयमेव खण्ड 3 में दिए गए हैं। इसमें कहा गया है :—

> "3 (1) यदि किसी व्यक्ति ने, दो या अधिक साक्षियों की उपस्थिति में,···लिखित रूप में या मौखिक रूप में···उसकी मृत्यु के पश्चात उसके नेत्रों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग···।"

अत:, यहां पर यह प्रयोजन बताया गया है जिसके लिए आंख निकाली जाती हैं और मैं विशिष्ट रूप से कह सकता हूं कि आक्सफोर्ड शब्द कोश में यह अर्थ नहीं दिया गया है कि··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान डागा जी, क्या आपने आक्सफोर्ड शब्द कोश का नवीनतम संस्करण देखा है ?

श्री बी• शंकरानन्द : प्रो• अजित कुमार मेहता ने यह कहा है कि विधेयक में 'मृत्यु' शब्द को परिभाषित किया जाना चाहिए। इस बात का कोई कारण मेरी समझ में तो आता नहीं है कि इस विधेयक में इस शब्द की परिभाषा क्यों परिभाषित दी जाए।

प्रो• अजित कुमार मेहता : 'मृत्यु' शब्द की परिभाषा अनिवार्य है क्योंकि व्यक्ति तो मर सकता है, परन्तु शरीर के अन्य अंगों का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 2 के सभी संशोधनों को इकट्ठे ही सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखें गयें तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 25,—

"या मौखिक रूप से" का लोप किया जाये। (8)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 3 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(4) जो कोई भी उपधारा (3) के उपबन्धों का उलंघन करके नेत्र निकालेगा वह तीन वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय होगा।" (9)

प्रो• अजित कुमार मेहता : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 27—

"किया जाए" के पश्चात

"या अपने जीवन काल में ऐसे उपयोग के बारे में कम से कम कोई आपत्ति नहीं की थी" अन्तःस्थापित किया जाये। (18)

पृष्ठ 2,

(i) पंक्ति 37,—

"रखने वाला व्यक्ति" के पश्चात

"ऐसी युक्तियुक्त जांच, जो व्यवहारिक हो, कर लेने पर" अन्तःस्थापित किया जाये।

(ii) पृष्ठ 38,—

"निकट" के स्थान पर

"निकटतम उपलब्ध" प्रतिस्थापित किया जाये। (19)

पृष्ठ 3, पंक्ति 2 और 3,—

"कि वह निष्प्राण है" के स्थान पर

"कि दाता को को प्रमस्तिष्कीय मृत्यु हो चुकी है" प्रतिस्थापित किया जाये। (20)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 3 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये —

"(4) दाता की मृत्यु की पुष्टि दो चिकित्सक करेंगे जिनमें से एक चिकित्सक को कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होगा। ये चिकित्सक प्रतिरोपण दल के सदस्य नहीं होंगे।

(5) यदि दाता को कृत्रिम श्वसन या आक्सीजन दी जा रही हो, तो संवातक को बन्द करने का निर्णय करने के लिए प्रतिरोपण की अपेक्षाओं का कोई सम्बन्ध नहीं होगा परन्तु यह निर्णय, यथास्थिति, रोगी (दाता) की क्षति या उसके रोग का उपचार करने वाले चिकित्सकों के दृष्टकोण से पूर्णतया निष्पक्ष आधारों पर किया जायेगा और कर्ण पटह और कर्ण अस्थि के सम्भावी प्रतिरोपण के मामले पर दाता के नातेदारों से विचार-विमर्श केवल तभी किया जायेगा जब संवातन बन्द करने का निर्णय किया जा चुका हो।

(6) प्रतिरोपण के लिए कर्ण पटह और कर्ण अस्थि निकालने वाले शल्य-चिकित्सक की एक और जिम्मेदारी यह होगी कि वह इसकी पुष्टि कर ले कि मृत्यु

शल्यक्रिया आरम्भ करने से पूर्व हो चुकी है और कि यह अवधारित करने के लिए सही प्रक्रिया अपनाई गई है कि नातेदारों ने मन्जूरी दे दी है और मृतक को अपने जीवनकाल में कोई आपत्ति नहीं थी।

(7) जहां मृतक ने अपना कर्ण पटह और कर्ण अस्थि दान करने की निश्चित इच्छा व्यक्त की हो, वहां निकट नातेदारों की घोर आपत्ति होने पर इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। (21)

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 3 के पश्चात निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

(4) उपधारा 3 के उपबन्धों का उलंघन करके नेत्र निकालने वाला कोई भी व्यक्ति दो वर्ष से अनधिक कारावास की अवधि से दंडनीय होगा। (29)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान मूलचन्द डागा जी, आप तो पहले ही बहुत कुछ बोल चुके हैं। मेरे विचार से हम यह मान लेते हैं कि आप इस पर बोल चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं, महोदय, मैं अभी कुछेक मिनट और बोलना चाहता हूं। खण्ड 3 में कहा गया है :

"यदि किसी व्यक्ति ने, लिखित रूप में या मौखिक रूप में..."

मौखिक क्यों ? इसमें आगे कहा गया है :

"दो या अधिक साक्षियों की उपस्थित में..."

यदि कोई व्यक्ति अपने नेत्र अपनी मृत्यु के पश्चात दान में देना चाहता है तो यह किसी भी साक्षी की उपस्थिति में इसका प्राधिकार दे सकता है। मौखिक साक्षियों से आपका क्या मन्तव्य है? यदि कोई व्यक्ति अपने नेत्र देना चाहता है तो वह ऐसा लिखित में दे। "मौखिक" शब्द को निकाल दिया जाना चाहिए।

और फिर खंड 3 के उप खंड (3) में कहा गया है।

(3) यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन दिया गया प्राधिकार, मृत व्यक्ति के शव से नेत्र चिकित्सीय प्रयोजना के लिए निकाले जाने के लिए पर्याप्त आधार होगा; किन्तु ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (नेत्र) से भिन्न किसी

व्यक्ति द्वारा नेत्र इस प्रकार नहीं निकाले जाएंगे जिसने नेत्र इस प्रकार निकालने के पूर्व उस शव की, जिसमें से नेत्र निकाले जाते हैं, स्वयं परीक्षा करके अपना यह समाधान कर लिया था कि वह निष्प्राण है ।

यदि जीवन लीला समाप्त नहीं हुई है और चिकित्सकीय व्यवसायी नेत्र निकाल देता है तो उसके लिए किस दंड का प्रावधान किया गया है ? उसके लिए भी आपको कानून बनाना चाहिए । इसी कारण मैंने पृष्ठ 3, पंक्ति 3 के बाद निम्नलिखित पंक्तियां स्थापित करने का सुझाव दिया है :

"जो कोई भी उपधार (3) के उपबन्धों का उल्लंघन करके नेत्र निकाले वह तीन वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय होगा ।"

यदि इसके लिए इस विधेयक में किसी दंड का प्रावधान नहीं किया जाता है तो यह एक अपूर्ण कानून होगा । ऐसा लगता है कि न तो विधि मन्त्रालय ने और न ही स्वास्थ्य मन्त्रालय ने अपने मस्तिष्क का उपयोग किया है । आपको विधि में यह बात उपबन्ध करना चाहिए यदि कोई व्यक्ति शरीर में प्राणों के रहते हुए नेत्र निकाल लेता है तो उसे तीन वर्ष से अनधिक कारावास का दंड मिलना चाहिए । वह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है ।

परमात्मा के वास्ते हमारे उचित एवं न्याय संगत सशोधनों को अस्वीकार न करते जाइये उन कुछ संशोधनों को स्वीकार करने का प्रयास कीजिए जो कि उचित और न्यायसंगत हैं । अन्यथा आप हमारे संशोधनों को स्वीकार न करने के हमें कुछ स्वीकार्य कारण बताइये, और हमें यह भी समझाइये कि आप इन बातों पर उपयुक्त ढंग से ध्यान दे रहे हैं ।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं इस विधेयक को भारतीय दंड संहिता में परिवर्तित करना नहीं चाहता हूं । भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों के अधीन इन सब बातों का ध्यान रखा जायेगा ।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : महोदय, हमारा भय यह है कि यदि हम एक बार मौखिक साक्ष्य या साक्षियों को स्वीकार कर लेते हैं तो उससे अनेक अनियमितताओं को जन्म मिलेगा । जिस प्रकार से मौखिक साक्ष्य का प्रावधान किया गया है, हो सकता है उससे कुछ समस्याएं उठ खड़ी हों और इसीलिए मैं सुझाव देता हूं कि लिखित रूप में कुछ होना चाहिए ।

और फिर, यह प्रावधान किया गया है कि इस खंड के उपबन्धों के उल्लंघन की सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 297 के अनुसार होगी यह पर्याप्त नहीं है, दंड और भी कठोर होना चाहिए और उसके लिए मैंने अपना संशोधन कर दिया है । जब राज्य सभा में इस पर एक

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी तो बहुत-सी अनियमितताओं पर प्रकाश डाला गया था। इस कानून के पास हो जाने के बाद उन बातों की कहीं पुनरावृत्ति न हो।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मुझे और कुछ नहीं कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 3 के सभी संशोधनों को मतदान के लिए सभा में रखता

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 17 से 19,—

"या ऐसे अस्पताल के किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा, जिसे उसके प्रबन्ध या नियंत्रण के भारसाधक व्यक्ति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है" का लोप किया जाये। (10)

पृष्ठ 3, पंक्ति 33-34,—

"परिचागृह" का लोप कर दिया जाए। (11)

यह खंड क्या कहता है ? इसमें कहा गया है;

"ऐसे लावारिस शव से नेत्र निकाले जाने का प्राधिकार, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे अस्पताल या कारगार के प्रबन्ध या नियन्त्रण के तत्सम भारसाधक व्यक्ति द्वारा या ऐसे अस्पताल या कारगार के ऐसे व्यक्ति द्वारा···।"

वह चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो सकता है, उसकी अनुपस्थिति में कौन अनुमति दे सकता है? मानलो कि प्राधिकारी वहां नहीं है, चतुर्थ कर्मचारी वहां है तो···

श्री बी० शंकरानन्द : आपको अगला नियम भी पढ़ लेना चाहिए । "इस सम्बन्ध में प्राधिकृत" आपको यह पढ़ना चाहिए ।

श्री मूलचन्द डागा : ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं । इसमें कहा गया है कि एक कर्मचारी, तो कर्मचारी कौन होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3, पंक्ति 17 से 19,—

"या ऐसे अस्पताल या कारागार के किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा, जिसे उसके प्रबंध या नियन्त्रण के भारसाधक व्यक्ति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है,"
का लोप किया जाए । (10)

पृष्ठ 3, पंक्ति 33-34—

"परिचागृह" का लोप कर दिया जाए । (11)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

मत विभाजन संख्या 9 16.02 बजे

पक्ष में

दंडवते, श्रीमती प्रमिला

कुलनदईवेलु, डा० वी०

मेहता, प्रो० अजित कुमार

पंडित, डा० बसन्त कुमार

परांजपे, श्री बाबूराव

पंवार, श्री बालासाहिब

राय, श्री ए० के०

त्रिपाठी, श्री आर० पी०

यादव, श्री आर० पी०

आचार्य, श्री बसुदेव

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस

अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एन०

बागुन सुम्बरुई, श्री

बैठा, श्री डूमर लाल

बालानन्दन, श्री ई०

बनातवाला, श्री जी० एन०

बहेरा, श्री रास बिहारी

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दनलाल

भीखाभाई, श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बीरबल, श्री

बीरेन्द्र सिंह, राव

बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री

चक्रधारी सिंह, श्री

चन्द्रशेखर सिंह, श्री

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

दाभी, श्री अजीत सिंह

दलबीर सिंह, श्री

देव, श्री संतोष मोहन

दंडपाणि, श्री सी० टी०

दिगम्बर सिंह, श्री

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री रामनाथ

ईरा अनाबारासु, श्री

ईरा मोहन, श्री

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री वी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गुफरान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गौडर, श्री ए० सेनापति

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन श्री वृद्धि चन्द

जैना, श्री चिन्तामणि

झारखंडे राय, श्री

कैलाशपति, श्रीमती

कालानिधि, डा० ए०

कर्मा, श्री लक्ष्मण

केन, श्री लालाराम

कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

केयर भूषण, श्री

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

कोसलराम, श्री के० टी०

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुलनदईवेलु, डा० वी०

महावीर प्रसाद, श्री

महाला, श्री आर० पी०

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोतीलाल सिंह श्री

मुखर्जी, श्री समर

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायक, श्री जी० देवराय

नामग्याल, श्री पी०

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द्र

परुलेकर, श्री बापूसाहिब

पाठक, श्री आनन्द

पाटिले, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री उत्तम राव

पाटिल, श्री विजय एन०

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पुलसूय्या, श्री दारूर

राजामल्लू, श्री के०

राम, श्री राम स्वरूप

राममूर्ति श्री, के०

रणवीर सिंह, श्री

राणे, श्रीमती संयोगिता

रंगा, प्रो० एन० जी०

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जगन्नाथ

राव, श्री एम० नागेश्वर

रथ, श्री रामचन्द्र

राठोर, श्री उत्तम

रवाणी, श्री नवीन

रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

राय, डा० सरदीश

साही, श्रीमती कृष्ण

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री कालीचरण

शर्मा, श्री नन्द किशोर

शर्मा, श्री नवल किशोर

शास्त्री, श्री हरि कृष्ण

शुक्ल, श्री विद्या चरण

सिदनाल, श्री एस० बी०

सोनकर, श्री कल्पनाथ

स्पैरो, श्री आर० एस०

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह

तारिक अनवर, श्री

तिवारी, प्रो० के० के०

थोरट, श्री भाऊसाहिब

थुंगोन, श्री पी० के०

उन्नी कृष्ण, श्री के० पी०

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जयराम

वेंकटरामन, श्री आर०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीनबन्धु

वर्मा, श्रीमती ऊषा

विजय राघवन, श्री वी० एस०

वीरभद्र सिंह, श्री

वाघ, डा० प्रताप

यादव, श्री राम सिंह

जैनल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धिय के अध्याधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है ;

पक्ष में : 9

विपक्ष में : 132

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 को विधेयक) में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 6 *

(संशोधना किया गये)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 36 से 42 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये —

"6. जहां किसी व्यक्ति का शव,

(क) ऐसें व्यक्ति सी मृत्यु दुर्घटना से या किसी अन्य अप्राकृतिक कारण से हो जाने के कारण, चिकित्सा- विधिपरक प्रयोजनों के लिए, या

(ख) विकृति विज्ञान सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए, शव-परीक्षा के लिए भेजा गया है, वहां ऐसे शव से नेत्र निकाले जाने का प्राधिकार देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सक्षम व्यक्ति, यदि उसे यह विश्वास करने का कारण है कि नेत्रों की उन प्रयोजन के लिए अपेक्षा नहीं होगी, जिसके लिए ऐसा मृत शव-परीक्षा के लिए भेजा गया है, तो वह ऐसे मृत व्यक्ति के नेत्रों का चिकित्सीय

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत विभाजन में भाग लिया :

पक्ष में : श्री हरीश कुमार गंगावार,

विपक्ष में : श्री इन्द्रजीत गुप्ता, श्री रामलाल राही, श्री बालासाहिब पंवार, तथा श्री आर० एन० त्रिपाठी

*सभा द्वारा स्वीकृत खण्ड 6 के संशोधन को ध्यान में रखते हुए खण्ड 6 के सामने उपान्तीय शीर्षक में आने वाले "अथवा वैकृत" शब्दों को अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रत्यक्ष ग़लती के रूप में अन्तःस्थापित किया गया ।

के लिए निकाला जाना प्राधिकृत कर सकेगा : परन्तु प्रयोजनों यह तब जब कि उसका"। (3)

(श्री बी० शंकरानन्द)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 7 से 10

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 7 से 10 में कोई भी संशोधना नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड न से 10 विधेयक का भंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 से 10 विधेयक में जोड़ दिया गये।

खण्ड 11

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 11 में मैं समझता हूं, 3 अथवा 4 संशोधन हैं। मेरे विचार से कोई भी सदस्य बोलने को उत्सक नहीं है। श्री डागा जी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मनोरंजन भक्त जी, क्या अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

मनोरजंन भक्त : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालासाहिब विखे पाटिल जी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री बाल साहिब विखे पाटिल : (सोपर गांव) नहीं।

उपाध्यक्षक महोदय : श्री नरसिन्हा रेड्डी जी क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 विधेयक में सम्मिलित जोड़ दिया गया।

खण्ड 1

(संशोधन किया गया)

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,

"1980" के स्थान पर "1982"

प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

(श्री पी० शंकरानन्द)

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 5, —

"दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र" के स्थान पर "भारत" प्रतिस्थापित किया जाए। (14)

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

"प्रशासक या जिला मजिस्ट्रेट" प्रतिस्थापित किया जाये।(15)

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं अपने संशोधनों को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : मैं अपने संशोधनों को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो० अजित कुमार मेहता द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 14 तथा 15 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 14 और 15 सभा मे मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1 को संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र,

(संशोधन कियागया)

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"इकतीसवें" के स्थान पर "33 वां" प्रतिस्थापित किया जाए । (1)

(श्री वी० शंकरानन्द)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र को संशोधित रूप में निधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई भी संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि शीर्षक विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री वी० शंकरानन्द : मैं प्रस्ताव करता हूं ;

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कर्ण पतह और कर्ण अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक

श्री बी० शंकरानन्द : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि मृत व्यक्तियों के कर्णों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।'

कर्ण पतह और कर्ण अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्राधिकार) विधेयक । अगस्त, 1980 को पुर:स्थापित किया गया था ।

कर्ण पतह और कर्ण अस्थि निकालने और लगाने का यह बहुत ही नाजुक कार्य अनेक देशों में बड़ी खूबी से किया जा रहा है। हमारे देश में ई० एन० टी० के बहुत से सुप्रशिक्षित शल्य-चिकित्सक मौजूद हैं जो इस प्रकार के कार्य करने में सक्षम हैं । और वे इस प्रकार श्रवण शक्ति को बहाल करने में सहायता करते हैं । जब तक कि कर्ण पतह तथा कर्ण अस्थि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती हैं तब तक इस सुविधा का लाभ उपलब्ध नहीं कराया जा सकता । वर्तमान विधेयक को कर्ण पतह और कर्ण अस्थि निकालने के लिये कानूनी स्वीकृति । संरक्षण देने तथा कर्ण पतह तथा अस्थियों को निकालने तथा लगाने से सम्बन्धित मामलों से निपटने के लिये पुर:स्थापित किया गया है । जैसा कि आपने विधेयक में देखा होगा यह उस व्यक्ति के मृत शरीर से कर्ण पतह तथा अस्थियों को निकालने का उपाबन्ध करता है जिसने यदि अपनी मृत्यु से पूर्व किसी भी समय लिखित में अथवा मौखिक रूप से अपेक्षित संरक्षणों के अध्याधीन ऐसा करने के लिये प्राधिकृत किया हो । किसी भी अस्पताल, जेल, नरसिंग होम अथवा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं मे ऐसे मृतक शरीरों से जिन का कोई दावा न किया गया हो, अपेक्षित संरक्षणों के अध्याधीन यह विधेयक कर्ण पतह तथा कर्ण अस्थियों को निकालने का प्राधिकार भी देता है ।

(श्री चिंतामणि पाणिग्रिह पीठासीन हुए)

यह विधेयक ऐसे व्यक्ति के शरीर से भी कर्ण तथा कर्ण पतहों को निकालने का अधिकार प्रदान करता है, जिसकी मृत्यु किसी दुर्घटना वश अथवा किसी अप्राकृतिक कारण से हुई हो तथा मृतक शरीर चिकित्सा विधिकारक उद्देश्यों के लिये शव-परीक्षा को लिए भेजा गया है । इस प्रकार के सभी मामलों में आवश्यक संरक्षणों का भी प्रावधान किया गया है । यह भी उपाबन्ध किया गया है कि इनको निकालने तथा लगाने का कार्य केवल ऐसे मेडिकल प्रेक्टीशनर द्वारा ही किया जाना चाहिये, जिस के पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा-अर्हता हो । इस प्रकार निकाले गये कर्ण पतहों तथा

कर्ण अस्थियों के संरक्षण के लिये भी विधेयक में उपबन्ध किया गया है। अतः यह आवश्यक है कि एक कर्ण बैंक की स्थापना की जाये तथा लोगों से मृत्यु के पश्चात कर्ण पतहों तथा कर्ण अस्थियों का स्वैच्छिक रूप से दान करने को कहा जाये।

इस विधेयक का क्षेत्र दिल्ली का सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र होगा तथा यह उस तारीख को लागू होगा जो प्रशासन द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाये। ऐसे व्यक्तियों को भी आवश्यक संरक्षण देने का प्रावधान है जो उसके उपाबन्धों के अनुसार सदभावना से कार्य करते हैं। प्रस्तावित विधेयक के अधिनियमित हो जाने से कानूनी स्वीकृति देना सम्भव होगा तथा संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन भी कर्ण पतहों तथा कर्ण अस्थियों को निकालने के लिये प्रभावकारी-कदम उठाने में समक्ष हो सकेगा।

अतः सभापति महोदय; मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये तथा उसके पास किया जाये।

श्री सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि मृत व्यक्तियों के कर्णों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : सभापति महोदय, मैं डी० एम० के० पार्टी की ओर से कर्ण पतह और कर्ण अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक का स्वागत तथा समर्थन करता हूं।

मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली ने उत्साहवर्धक परिणाम निकाले हैं। प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में किये गये, प्रशंसनीय कार्य के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह की गई सर्जरी तथा प्राप्त किये गये परिणामों के ब्यौरे भी मुझे भेजने की कृपा करें। जब तक हमारे पास कर्ण अस्थियों तथा कर्ण पतहों का पर्याप्त भण्डार नहीं होगा, तब तक तक हम मेरे विचार से गरीब लोगों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकेंगे। अतः यह बहुत ही आवश्यक है कि एक व्यापक गतिशील योजना अथवा व्यापक गतिशील कार्य प्रारम्भ किया जायें ताकि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अथवा कर्ण पतहों तथा कर्ण अस्थियों को अधिक मात्रा में एकत्रित किया जाये ताकि उनको चिकित्सीय प्रयोजनों के उपयोग में लाया जा सके और हम वास्तव में जरूरत मन्द वाले तथा गरीब लोगों को श्रवण शक्ति दे सकें।

जहां तक इसके क्षेत्राधिकार का सम्बन्ध है, यह विधेयक संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर

लागू है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि मन्त्री महोदय को यह नहीं सोचना चाहिये कि केवल दिल्ली के लोगों के पास ही काम है। इस विधेयक का विस्तार अन्य क्षेत्रों तक भी किया जाना चाहिये।

रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर्स के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि मेडिकल प्रैक्टीशनर के पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता होनी चाहिये। एम० बी० बी० एम० पूरी करने के पश्चात तथा एक वर्ष का हाऊस सर्जरी का कोर्स पूरा करने के पश्चात एक व्यक्ति स्वय को एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर के रूप में पंजीकृत कराने का हकदार है। लेकिन केवल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर ही कर्ण, कर्ण पतह अथवा कर्ण अस्थियों को अच्छे ढंग से निकालने की स्थिति में नहीं होगा। मेरा यह सुझाव है कि ऐसा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टीशनर होना चाहिये जो विशेष क्षेत्र अर्थात ओटो-लारीन जीयोलाजी में डिप्लोमा की न्यूनतम योग्यता रखता हो अथवा ई० एन० टी० में मास्टर आंख सर्जरी की योग्यता रखता हो। जब तक किसी के पास ओटोलारीन जीओलाजी में डिप्लोमा अथवा पोस्ट-ग्रेजुएट की योग्यता न हो तब तक उसको कर्ण अस्थि अथवा कर्ण पतह को निकालने की अनुमति नहीं दी जाये। यदि वह इस क्षेत्र में सक्षम नहीं है अथवा यदि साधारण व्यक्तियों अथवा सामान्य प्रैक्टिस करने वाले साधारण व्यक्तियों को इसकी अनुमति दी जाती है, तो इसके उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बेशक मैं पोस्ट ग्रेज्युएट डाक्टर हूं, मैं नहीं समझता कि केवल एक पंजीकृत डाक्टर ही इस काय के लिए सक्षम नहीं होगा और कानो के हटाने के लिए यही कसौटी नहीं होनी चाहिए। वह एक पंजीकृत डाक्टर होना चाहिए और कम से कम उसके पास कर्ण विज्ञान में एक डिप्लोमा होना चाहिए या उसे इस क्षेत्र विशेष में शल्य चिकित्सा में मास्टर की डिग्री होना चाहिए। अनाधिकृत तथा बिना दावे वाले शवों को तथा जो शव जांच के लिए सरकारी अस्पतालों में आते हैं उनको कर्ण पतह या कर्ण अस्थि निकालने के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कर्ण पतह तथा कण अस्थि शरीर के अन्दर होते हैं और जब वे निकाल लिए जाते हैं तो वे शरीर के बाहर दिखाई नहीं पड़ते।

कर्ण बैंक खोलने के सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री को बधाई देता हूं। इसको भारतीय कान बैंक का नाम दिया जा सकता है भारत के विभिन्न भागों से एकत्र किये गये कर्ण पतह तथा कर्ण अस्थि का दिल्ली में एक केन्द्रीय पूल में संग्रह किया जा सकता है ताकि हम और अधिक कर्ण पतहों तथा कर्ण अस्थियों का संग्रह कर सकें। परन्तु इस कार्य के लिए आबंटित की गयी राशि बहुत कम है। छोटी मोटी शल्य चिकित्सा की लागत भी 4000 रु० से 5000 रु० तक आती है मैं माननीय मन्त्री से इस राशि को बढ़ाने के लिए निवेदन करता हूं यदि हम इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्राईवेट डाक्टरों को ले आते हैं तो वे डाक्टर जिनके अपने चिकित्सालय हैं इसका शोषण कर सकते हैं वे उपलब्ध कर्ण पतहों तथा कर्ण अस्थियों का उपयोग कर सकते हैं। वे कर्ण पतह तथा कर्ण अस्थियों के प्रतिरोपण के लिए भारी धनराशि की मांग कर सकते हैं।

अत: कर्ण पतहों तथा कर्ण अस्थियों को शिक्षण संस्थाओं या सरकारी अस्पतालों में निकाला जाना चाहिए ताकि जो गरीब लोग इस कार्य के लिए सरकारी अस्पतालों में आते हैं उनको लाभ मिल सके।

आंखों व कर्ण पतह तथा कर्ण अस्थियों को निकाले जाने का अधिकतम प्रचार करने के लिए आकाशवाणी तथा दूर दर्शन का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी आंखों तथा कर्ण पहव व कान की अस्थियों का दान करने के लिए आगे आ सकें और जिन लोगों के कर्ण पतह कान की हड्डियां तथा आंखें खराब हो जाती हैं वे अपने कान तथा दृष्टि पुनः प्राप्त कर सकें।

इन कुछ सुझावों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, विधेयक की जो भावना है उसका तो हर एक व्यक्ति स्वागत करता है। लेकिन मैं साथ ही नम्रतापूर्वक एक अर्ज करना चाहता हूं कि जब विधेयक बनाया जाए तो या तो ला डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लिया जाय या उसको पूरी तरह से बनाया जाए ताकि उसका लाभ सबको मिल सके। उसका लाभ किसको मिलेगा, किस तरह मिलेगा किस तरह से ये कान के परदे हटाए जाएंगे और हटाने के बाद उनका उपयोग किस तरह से होगा, ये सारी बातें इसमें होनी चाहिए थीं। मैं इस बिल के अन्दर काफी कमियां पाता हूं। अगर कोई केवल भावना पढ़ता है तो ठीक है अच्छा लगता है। लेकिन पहले तो माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी मेहरबानी करके यह बताएं कि हिन्दुस्तान में कितने लोगों ने यह काम किया है, कितने लोगों ने ड्रम्स और ईयर बोन्स अपनी भेंट कर दी हैं ?

आज मैंने कहीं पढ़ा कि 68 करोड़ से कुछ ज्यादा लोग हिन्दुस्तान में हैं, उनमें से कितने लोगों ने अपनी आंखें डोनेट कीं, उसकी फीगर थी दो हजार से भी कम। इसमें आपने कान के परदे हटाने के लिए कहा है। लेकिन पहले आप इसके परपज को देखें, इसमें आपने लिखा है फार थेराप्यूटिक परपजेज, लेकिन यह थेराप्यूटिक परपज है क्या यह कहीं डिफाइन नहीं किया है। इस बिल मे यह डिफाइन होना चाहिए। अगर यह डिफाइन नहीं किया है। इस बिल में यह डिफाइन होना चाहिए। अगर यह डिफाइन नहीं होगा तो ये किस काम आएगे यह कैसे निश्चय होगा ? कहीं भी बिल में यह डिफाइन नहीं किया हुआ है कि ये थेराप्यूटिक परपजेज हैं क्या ? आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ये रिसर्च परपज के लिए काम में आ सकते हैं, दूसरे काम मे ले सकते हैं लेकिन इसमें कहीं डेफनीशन नहीं दी है। जो बिल आप बना रहे हैं उसमें जो सब्जेक्ट है उसकी डेफनीशन बिल मे होनी चाहिए लेकिन इसमें कोई डेफनीशन नहीं है।

मैं समझता हूं यह सब्जेक्ट जो है वह स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। हेल्थ का जो सब्जेक्ट है वह स्टेट सब्जेक्ट होता है लेकिन हेल्थ का सम्बन्ध उसी से है जोकि जिन्दा है। यहां पर तो मरे हुए

आदमी के ईयर ड्रम्ज और ईयर बोन्स हटायेंगे जिसका कि हल्थ से कोई भी सम्बन्ध नहीं है इसलिए यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है।

मैं पुनः एक बार चैलेन्ज करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य का जो विषय है वह जीवित व्यक्तियों से ही सम्बन्ध रखता है, मृत व्यक्तियों से नहीं। इसलिए इसमें जो रिमूवल आफ ईयर ड्रम्ज एण्ड ईयर बोन्स लिखा हुआ है यह स्टेट सब्जेक्ट नहीं है और इसको सारे देश में लागू होना चाहिए। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा है कि इस बिल को सारे देश में लागू किया जाना चाहिए, केवल दिल्ली या यूनियन टेरिटरी में ही नहीं।

दूसरी बात इसमें यह कही गई है कि कोई भी व्यक्ति जो दान करता है यह या तो लिखित दे सकता है या जबानी कह सकता है। लेकिन जबानी कहने वाला तो चला गया उसके बाद कैसे होगा, इसके लिए आपने कहा है कि दो गवाह होंगे लेकिन आप जानते हैं कि आजकल गवाहों की क्या कीमत है? इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जब आपने राइटिंग में देने का प्राविजन रखा है फिर ओरल एविडेन्स की बात क्यों रखी है? मैं समझता हूं राइटिंग में देने की जो व्यवस्था आपने रखी है वही ठीक है, जबानी देने की व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी।

तीसरी बात यह है कि अगर कोई जिन्दा व्यक्ति था और उसके ईयर ड्रम्स और बोन्स हटा दिए गए तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा? आपने कहा है कि आई० पी० सी० में पनिशमेंट दिया हुआ है लेकिन वह कौन सा सेक्शन है? आप कहते हैं सेक्शन (325) है। लेकिन अगर दो साल के बाद कोई कम्प्लेन्ट लाज की जाएगी तो वह आकर कह देगा कि हां, आदमी मरा तो नहीं था लेकिन मैंने अच्छे फेथ में यह काम किया था। आपने इसमें लिखा हुआ है :

> "इस अधिनियम के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।"

इसके अलावा इसमें आपने लिखा है कि हास्पिटल में इन्चार्ज जो होगा वह इस काम के लिए किसी को एथारिटी दे सकता है। आपने कहा है कि एनी एम्पलाई अथराज्ड बाई हिम। मान लीजिए एक एस० पी० है वह अथराइज करेगा किसी एच० ओ० न कि किसी कांसटेबल को। जिसको भी अथराइज किया जाए उसकी भी तो कोई हैसियत होनी चाहिए।

इसके अलावा ईयर ड्रम्ज और ईयर बोन्स को हटाने के बाद उनका क्या उपयोग किया जाएगा? आपने कहा इसमें यह नहीं लिखा है। मैं समझता हूं ऐसी कोई व्यवस्था हो जिससे कि गरीब लोगों को इन्सेन्टिव मिल सके।

इन्सैंटिव के आधार पर कुछ दे सकते हैं कि हमारे कान देने के बाद इतना पैसा मिलता है। आपने कह दिया एक्सीडेंट हो गया और कोई आदमी पीछे नहीं होगा, तो उसके कान आप हटा देंगे। तुरन्त हटा दिए गए और बाद में एक आदमी आ गया और कहने लगा कि यह मेरा लड़का है और आपने कान पहले ही हटा दिए हैं, तो क्या होगा। इसमें आप कितने समय तक इन्तजार करेंगे। रेल एक्सीडेंट में सैकड़ों आदमी मर जाते हैं। एक गाड़ी के एक्सीडेंट में पचासों आदमी मर जाते हैं और सबके कान हटा दिए जाएं, क्योंकि पीछे कोई नहीं आने वाला है यदि कोई पीछे आ गया, तो इस बात को भी समझने की जरूरत है। कुछ लोग इस प्रकार का विश्वास करते हैं कि मरने के बाद यदि कोई आदमी दफना दिया जाता है, तो एक समय ऐसा आने वाला है कि वह फिर खड़ा होगा, तो क्या वह बिना कान के खड़े होंगे और बिना आंख के खड़े होंगे।

एक माननीय सदस्य: यह गलत विश्वास है।

श्री मूलचन्द डागा: यह गलत है या सही है, यह आप बता सकते हैं। ऋषि दयानन्द अब पैदा होंगे। मुझे पता नहीं है कि यह गलत है या सही विश्वास है। लेकिन ऐसा कुछ लोग विश्वास करते हैं। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह बिल जब लाते हैं, तो ला-डिपार्टमेंट से इसको एग्जामिन कराना चाहिए। कहा जाता है कि सारे कानून नियमों के अन्तर्गत हैं, मैं कहना चाहता हूं कि कब नियम बनेंगे। इसमें ज्यादा पावर सबोर्डिनेट लेजिसलेशन को दे दी है.. (व्यवधान)...एक बात मैं और कहना चाहता हूं। डाक्टर साहब ने कहा कि केवल मैडिकल प्रैक्टिशनर डाक्टर का सवाल नहीं है। यदि कोई डाक्टर एम० बी० बी० एस० कर लेता और दुकान खोल लेता है, तो वह भी चलेगा। यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट अस्पताल में हो, थोड़ा एक्सपीरियेंस हो, क्वालिफाइड हो, उसमें थोड़ी स्पैशिलिटी होनी चाहिए। आपने हर एक आदमी को पावर्स दे दी है, यह मेरी दृष्टि में बिल्कुल ठीक नहीं है। इस बिल को फिर कन्सीडर करना चाहिए और जो हमने एमेंडमेंट्स दी हैं, उनको सरकार को विचार करना चाहिए।

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति जी, साधारणतया कोई भी इस विधेयक का समर्थन करेगा और मैं भी इसका समर्थन करता हूं। मगर इस बिल में दो-चार बातें ऐसी हैं, जिनकी ओर मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जैसा कि मेरे से पूर्ववक्ताओं ने कहा कि इस विधेयक को सम्पूर्ण देश में लागू होना चाहिए, न कि केवल दिल्ली में। अगर अन्य जगहों में प्रावधान नहीं है, तो अब प्रबन्ध किया ही जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि अब चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि शरीर के विभिन्न अंगों का भी ट्रांसप्लानटेशन हो सकता है। तो क्या आप

हर अंग के लिए अलग-अलग बिल लाएंगे इस मायने में यह विधेयक अपूर्ण हैं। मेरा सुझाव है कि आप एक ऐसा काम्प्रिहैंसिव विधेयक, एक ऐसा विस्तृत विधेयक लायें, जो शरीर के विभिन्न अंगों के ट्रांसप्लान्टेशन में काम आए, न कि हर अंग के लिए अलग-अलग विधेयक प्रस्तुत करें। उसमें लूपहोल (छिद्र) की संभावना रह जाएगी ।

सभापति महोदय : श्री डागा वे आपका समर्थन कर रहे हैं। आपको उनकी बात सुननी चाहिए।

प्रो॰ अजीत कुमार मेहता : मै उनका उस मुद्दे पर समर्थन कर रहा हूं जहां पर उन्होंने खण्ड 2 (ङ) में दी गयी उस चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा व्यवसायी की अर्हताओं पर आपत्ति उठायी है जो कर्ण पटह या कर्ण अस्थि निकालेगा...

> "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) ने यथा परिभाषित कोई मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता रखता हो और जो उस धारा के खंड (ट) में यथा परिभाषित राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ठ हो।"

सम्भावना यह है कि कोई भी आदमी इस काम को अपने हाथ में ले सकता है, उसका केवल उचित क्वालिफिकेशन के साथ रजिस्टर्ड मैडिकल प्रेक्टीशनर होना जरूरी है। कोई भी आदमी जो उचित क्वालिफिकेशन रखता है इस अंग को निकालकर प्रीजर्व करके रख सकता है। आपने यह बन्धन कहीं भी नहीं लगाया है कि एक खास स्थान पर ही यह काम हो सकता है, यानी गवर्नमेंट मैडिकल कालेज में या सरकारी अस्पताल में ही इसको प्रीजर्व करके रख सकते हैं। ऐसी अवस्था में यह कानून कदाचार को भी प्रश्रय दे सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा बन्धन लगाया जाये जिसमें जो ईयर-ड्रम या ईयर बोन हटाये जाएं वे केवल सरकारी संस्थान में ही उनको प्रीवर्ज किया जा सके तथा इस काम को आथोराइज्ड मैडिकल प्रेक्टीशनर ही कर सके, न कि कोई भी मैडिकल प्रेक्टीशनर।

मैं डागा साहब की एक बात का और समर्थन करता हूं—क्लाज 10 में आपने कहा है कि सारे रूल्ज एडमिनिस्टेटर बनाएगा। आप पहले से ही उसकी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं ? किन-किन नियमों की आवश्यकता होगी और उसके लिए भी इसमें कुछ निदेश दीजिए, गाइड-लाइन्ज दीजिए, न कि सारा भार एडमिनिस्ट्रेटर पर छोड़ दें। आप जानते हैं इस तरह के रूल्ज पार्लियामेंट की टेबिल पर ले किए जाते हैं और उन पर कितने सदस्य ध्यान दे पाते हैं। मनों कागज रोज यहां से मिलते हैं, क्या यह सम्भव है कि संसद सदस्य सबको पढ़ जाय ? इसलिए कुछ न कुछ गाइड-लाइन्ज इसमें देनी चाहिए।

इस विधेयक में इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि मृत्यु की परिभाषा क्या होगी।...

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) जन्म की परिभाषा होनी चाहिए।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : अब यह सम्भव है कि मनुष्य मर जाय, लेकिन उसका अंग न मरे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक किसी आदमी की मृत्यु हुई है या नहीं, यह उसकी हार्ट-बीटिंग से जाना जाता था। लेकिन अब तो हार्ट का भी ट्रांस्प्लांटेशन हो सकता है। अगर मृत्यु हुई है या नहीं, यह उसकी हार्ट-बीटिंग से जाना जाता था। लेकिन अब तो हार्ट का भी ट्रांस्प्लांटेशन हो सकता है। अगर मृत्यु की परिभाषा नहीं होगी तो इसमें भी कदाचार के पनपने की सम्भावना है। मैं इसका उदाहरण इस प्रकार से दूंगा—मान लीजिए कहीं किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए ईयर-बोन के ट्रांस्प्लांटेशन की जरूरत है और कोई पर्सपेक्टिव डोनर आर्टीफिशयल-रेस्पिरेशन पर है। ऐसी सम्भावना हो सकती है कि विशिष्ट व्यक्ति वे ट्रांस्प्लांटेशन के लिए आर्टीफिशियल-रेस्पिरेशन पर है। ऐसी सम्भावना हो सकती है कि विशिष्ट व्यक्ति के के ट्रान्स्प्लांटेशन के लिए आर्टीफिशियल रेस्पिरेशन को ही बन्द कर दिया जाय। नतीजा यह होगा कि उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान परिभाषा के अनुसार हार्ट-बीटिंग बन्द हो जाय तो उस आदमी की मृत्यु मान ली जाती है...

सभापति महोदय : उस समय तक दूसरे लोग मर सकते हैं। वे केवल अपने कर्ण पटह तथा कर्ण अस्थि लेने के लिए ही ऐसा क्यों करें ?

प्रो० अजीत कुमार मेहता : मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि इसका पहले वाले विधेयक तक भी विस्तार किया जाना चाहिए था इसका विस्तार किसी भी विधान तक किया जा सकता है जो भी यहां प्रस्तुत किया जाए। एक तो प्रमस्तिकीय मृत्यु होती है जिसमें व्यक्ति सभी व्यवहारिक क्रियाओं के लिए मृत हो जाता है दूसरी आणविक मृत्यु जिसमें व्यक्ति के ऊतक मृत हो जाते हैं। ऐसे मामले में यहां पर मृत्यु की परिभाषा दी जानी आवश्यक है।

सभापति महोदय : यह एक सम्पूर्ण मृत्यु होनी चाहिए।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : आप कहेंगे कि मृत्यु हो गयी लेकिन किस आधार पर यह कहेंगे क्योंकि अब तक हार्ट बीट के बन्द होने पर मृत्यु मानी जाती थी लेकिन अब तो हार्ट का भी ट्रांसप्लान्टेशन हो जाता है। तब मृत्यु की क्या परिभाषा होगी ?

इसी प्रकार से पिछले विधेयक की भांति इस विधेयक की धारा 6 में भी यह कहा गया है :

"जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में या किसी अन्य अप्राकृतिक कारण से होती है और उसका शव, चिकित्सा विधिपटक प्रयोजन के लिए शव परीक्षा के लिए भेजा जाता है वहां ऐसे शव से कर्ण निकाले जाने का प्राधिकार देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सक्षम व्यक्ति को, यदि उसे यह विश्वास करने का कारण है कि किसी चिकित्सा विधिपरक प्रयोजन के लिये, कर्णों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये निकाला जाना प्राधिकृत कर सकेगा : परन्तु यह तब किया जावेगा जब कि उसका यह समाधान हो जाये कि मृत व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पूर्व इस बात पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके कर्णों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जाये या जहां उसने इस बात के लिये प्राधिकार दे दिया था कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके कर्णों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाए, वहां ऐसा प्राधिकार उसने अपनी मृत्यु के पूर्व वापस नहीं लिया था।"

अब इसमें पिछले विधेयक की भांति यह त्रुटि मौजूद है कि मृतक के संबंधी का कहीं नाम नहीं लिया गया है। अगर मृतक का सम्बन्धी इस बारे में आपत्ति करता है, तो इस धारा के अनुसार उसको सुनने के लिये कोई तैयार नहीं होगा।

आपने बार-बार कहा है कि सम्पूर्ण विधेयक को एक साथ देखा जाना चाहिये किन्तु अगर यह सम्भव हो, तो इस धारा में ही इसका प्रावधान क्यों नहीं कर देते जिससे किसी प्रकार के सन्देह की कोई गुंजाइश ही न रह जाए।

अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी तो दिल्ली के एक अस्पताल में ही इस तरह के ट्रान्सप्लान्टेशन का प्रावधान है। तो कहीं ऐसा न हो कि केवल विशिष्ठ व्यक्तियों के लिए ही इयर-बोन और इयर ड्रम के ट्रांसप्लान्टेशन की व्यवस्था हो जाए और जो गरीब लोग हैं, उनके लिये कुछ न हो। मैं समझता हूं कि अच्छा यह होगा कि यह सरकार कोई एक ऐसा सिस्टम बना ले कि अस्पताल में ऐसे सभी मरीजों के नाम सिलसिलेवार रिकार्ड हो जाएं और फिर उनको उसी हिसाब से बुला-बुलाकर इनके ट्रान्सप्लान्टेशन की व्यवस्था की जाये न कि इस बात का ख्याल किया जाये कि जो विशिष्ट व्यक्ति हैं या धनवान व्यक्ति हैं, उनके लिये प्रबन्ध हो जाए।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में 50 प्रतिशत के करीब लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं। ऐसी अवस्था में अगर किसी निर्धन व्यक्ति या असहाय परिवार के लोगों को आपत्ति न हो, तो उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का कुछ न कुछ प्रावधान हो, जिससे थोड़ा-बहुत उनका काम चल सके। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आपत्ति की बात होगी क्योंकि जब रेल दुर्घटना होती है या हवाई जहाज की दुर्घटना में लोगों की मृत्यु होती है, तो उसके लिये मुआविजे का आप प्रावधान करते हैं और उस मृतक के परिवार के लोग मुआविजा

ले लेते हैं। तो इसके लिये भी अगर थोड़े बहुत मुआविजे का प्रावधान किया जाए, तो कोई अनुचित बात नहीं होगी।

इन्हीं सभी मुद्दों की ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि ऐसा विस्तृत विधेयक यहां आना चाहिए जिसमें शरीर के सभी अंगों के ट्रांसप्लान्टेशन की व्यवस्था हो और जो कि सम्पूर्ण देश पर लागू हो।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, यह जो कर्ण पटह और कर्ण अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक 1980 बिल प्रस्तुत किया गया है, उसके सम्बन्ध में, आपके समक्ष अपने विचार रखना चाहता हूं। इस बिल में मेडिकल प्रेक्टिशनर की जो डिफाइन किया गया है वह इस प्रकार है।

'रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी' से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथा परिभाषित कोई मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता रखता हो और जो उस धारा के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ठ हो'

नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) विधेयक 1980

बिल में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर की दी गई है, उसमें और इस ईयर ड्रम्स वाले बिल में दी गई डेफिनिशन में अन्तर है। इस बिल के द्वारा किसी भी आरडिनरी मेडिकल प्रेक्टिश करने वाले को वह राईट है कि वह आप्रेशन कर के इयर ड्रम ले सकता है। इस बारे में मेरा मत है कि आईज बिल में जो डेफिनिशन दी गई है वही कि वही डेफिनिशन इस बिल में दी जानी चाहिए और वही की वही प्रीकाशंस ईयर्स के बारे में भी ली जानी चाहिएं। ईयर्स के लिए भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर्स होने चाहिएं और वे एक्सपर्टस होने चाहिएं। जो एक्सपर्ट्स हों उन्हीं को ईयर ड्रम्स के बारे में आप्रेशन करने का अधिकार होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि किस थेराप्युटिक परपजिज के लिए यह लिये जा रहे हैं, इट मस्ट बी डिफाइंड इन द बिल। डागा साहब जी भी यह बात कह रहे थे, मैं भी यही कहता हूं कि कौन-कौन से थेराप्युटिक परपजिज के लिए ईयर्स का उपयोग होगा, यह डिफाइन किया जाना चाहिए। जब तक यह डिफाइन नहीं होगा जब तक यह क्लीयर नहीं होगा तो जो व्यक्ति मरने के बाद अपनी आंख या कान दान करना चाहता है उसके दिमाग में एक शंका बनी रहेगी क्योंकि इस बिल से प्रयोजन के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए थेराप्युटिक परपज डिफाइन होना चाहिए। डेफिनिशन के अन्दर वह सब इन्कलुड कर दिया जाना चाहिए कि किस किस परपज के लिए लिये जा रहे हैं

यह आईज वाला कानून दिल्ली के लिए लागू किया गया है। यों हरियाणा सरकार ने भी इस प्रकार का कानून बनाया है, पंजाब की सरकार ने भी बनाया है, वेस्ट बंगाल ने भी बनाया है पर जहां तक इस ईयर ड्रम्स एण्ड ईयर बोंस थेराप्युटिक परपज बिल का सम्बन्ध है मेरा ख्याल है कि यह बिल्कुल एक नया ही कानून है और किसी भी राज्य सरकार ने इसको नहीं बनाया है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का कानून सभी राज्यों में अवश्य बनना चाहिए। जिस तरह से यह काम दिल्ली के लिए डिफिकल्ट नहीं है। उसी प्रकार राज्यों की राजधानियों के लिए भी यह डिफिकल्ट नहीं है इसलिए मैं चाहता हूं कि आईज और ईयर्स वाले बिल सभी स्टेटस में लागू होने चाहिएं और सभी स्टेट्स को इनका अनुकरण करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सभी स्टेट्स को इस प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है।

यह जो कानून के अन्दर दिया हुआ है—

मृतक व्यक्तियों के कर्ण निकाले जाने का प्राधिकार :

यदि किसी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसी भी समय दो या दो से अधिक साक्षियों की उपस्थिति में लिखित में या मौखिक रूप में का यह प्रोविजन इसमें होना चाहिए।

यह चीज राइटिंग में होनी चाहिए। इसके बिना उचित नहीं होगा और राइटिंग का प्रावीजन स्पष्ट होना चाहिए। क्लाज फाइव के अनुसार लिखा है कि प्रिजन में अस्पताल में डैथ हो जाती है तो इंचार्ज को अधिकार होगा। इस अधिकार का दुरुपयोग होगा। इस संबंध में विचार होना चाहिए और इस प्रकार का अधिकार देना उचित नहीं होगा। इयर्स या आइज निकालने की कार्यवाही जब तक नियरेस्ट रिलेटिव की कसर्न न हो, तब तक नहीं कि जानी चाहिए। नियरेस्ट रिलेटिव को भी डिफाइंड किया जाना चाहिए, जैसे वाइफ है, लड़का है।

ये सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो बाद में समस्याएं पैदा हो जाएंगी।

इन सारी बातों पर विचार करने के लिए इसको सलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिए और सलेक्ट कमेटी उनको एग्जामिन करे। जल्दी में कोई कानून पास करके हम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते। इसको सलेक्ट कमेटी में देना चाहिए और सारी बातों पर गौर करने के बाद इस बिल को सदन में आना चाहिए और पास करना चाहिए।

श्री बापू साहिब पारुलेकर (रत्नगिरि) : महोदय मैं इस विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन करता हूं। मगर मैं उस तरीके पर अपनी नाराजगी प्रकट करता हूं जिससे इसको इस महान सभा के सामने लाया गया है। दूसरे विधेयक से भिन्न जो हम महान सभा के मृतक की आंखें निकालने के बारे में पारित किया गया था यह विधेयक किसी अधिनियम के स्थान पर नहीं लाया गया और यह एक नया कानून है इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि यह विधेयक केवल

दिल्ली के केन्द्र शासित प्रदेश पर ही क्यों लागू किया जा रहा है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वह कह सकते हैं कि स्वाथ्य राज्य का विषय होने के कारण इस विधान को राज्यों पर भी लागू करना सम्भव नहीं है इस बात पर यह आवश्यक हो जाता है कि माननीय मंत्री हमें सही रूप में यह बतलायें कि क्या यह उचित वैधानिक स्थिति है। मैं अपने माननीय मित्र श्री मूलचन्द डागा द्वारा प्रस्तुत किये गये विचारों का पूरा समर्थन करता हूं जहां तक सातवीं सूची में अर्थात् राज्य का सम्बन्ध है उनका क्रम संख्या छ: लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय में उल्लेख किया गया है मृतक के कानों का निकाला जाना लोक स्वास्थ्य की समस्या नहीं कही जा सकती क्योंकि मृतक का कोई सार्वजनिक सुझाव नहीं हो सकता है अतः यह कहना ठीक नहीं होगा कि आंख या कान को निकालने या शरीर के किसी भी अंग को निकालने की समस्या सातवीं अनुसूचि की दूसरी सूची, राज्य सूची की मद संख्या 6 के अन्तर्गत आती है महोदय जब कोई वस्तु किसी भी सूची के अन्तर्गत नहीं आती तो हम पहली सूची की 97वीं प्रविष्टि पर आते हैं। अन्य कोई मामला जो दूसरी या तीसरी सूची में उल्लिखित नहीं किया गया वह पहली सूची, अर्थात, संघ सूची के अन्तर्गत आता है। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले पर विचार करें और इसकी विधि मंत्रालय द्वारा जांच करायें कि क्या यह लाभ राज्यों में रहने वाले सभी लोगों को दिया जा सकता है। मेरे विचार से यदि यह ठीक है तो इसका राज्य का विषय होने की वजह से इसका विस्तार नहीं किया जा सकता मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस विधान के लाभ को अण्डमान निकोबार, द्वीप समूह और जैसे अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों को भी देना आवश्यक क्यों नहीं समझती।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से इस यह बताने के लिए निवेदन करूंगा कि यह कानून केवल दिल्ली पर ही लागू क्यों किया गया है। दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि यह केवल दिल्ली पर ही लागू होगा। माननीय मंत्री कृपया इस महान सभा को बतायें कि क्या ये कर्ण परह तथा कर्ण अस्थियां केवल उन्हीं लोगों को उपलब्ध करायी जायेगी जो दिल्ली मे रहते हों या उनको भी जो देश के अन्य भागों में रहते हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्रीमन, इसलिए मैं एक प्रासंगिक प्रश्न पूछता हूं। जब मैं पहले विधेयक पर बोल रहा था तो, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि माननीय मन्त्री महोदय ने मेरे एक महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात क्या दिल्ली में रहते हुए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई अंग निकाल लिया जाता है तो क्या वह अंग दिल्ली से बाहर रहने वालों को भी उपलब्ध होगा। मुझे यह स्पष्ट नहीं हूं।

तीसरी बात, जो कि मन्त्री महोदय की सूचना में लाना चाहता हूं वे यह है। अगर आप इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन पर नजर डालें तो देखेंगे कि इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि यह विधेयक मृत देह के प्राधिकारी को यह अधिकारी देता है कि मृत व्यक्ति के कानों

दान कर दिया जाय। यह सिवाय उस हालत में जब मृत व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले इस प्रकार के दान पर एतराज किया हो या मृत व्यक्ति का कोई नजदीकी रिश्तेदार इस प्रकार के दान पर एतराज करता है, नही किया जा सकता है उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार यदि मृत व्यक्ति का कोई नजदीकी रिश्तेदार इस प्रकार के दान पर एतराज करता है तो वे अंग नहीं निकाला जा सकता। यह आपका उद्देश्य है। क्या आप मुझे किसी भी धारक का कोई भी वाक्य दिखायेंगे जिसमें यह कहा गया हो कि अगर कोई रिश्तेदार आपत्ति करता है तो, डाक्टर अंग नहीं निकाल सकता है। मैंने इस धारा में संशोधन पेश किया है। अगर कोई नजदीकी नातेदार आपत्ति करता है तो वह विशेष अंग नहीं निकाला जा सकता है।

आपका यह विशेष उद्देश्य सभी तीनों धाराओं-धारा 3,5 और 6 में दिया जाना चाहिए। धारा 3 की उपधारा (6) उन व्यक्तियों के बारे में कहती है जो कानूनी रूप से शव प्राप्त करने में अधिकारी है। खण्ड 5 अस्पतालों के बारे में कहता है। खंड 6, उन व्यक्तियों के बारे में कहता है जितनी मृत्यु कारगारों में हुई है। यहां नजदीकी नातेदारो और नातेदारों द्वारा ऐतराज करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जहां तक खंड 6 का प्रश्न है, इसको पेश किया जाना चाहिए था। इसलिए मैंने एक संशोधन पेश किया है। इस बारे में कहूंगा कि कर देना संशोधन पेश किये जाने के समय मेरे लिए बोलना आवश्यक नहीं होगा। धारा 6 में मेरा संशोधन इस प्रकार है : "जहां किसी व्यक्ति का शव, शव-परीक्षा के लिए भेजा जाता है..."

यहां स्वास्थ्य मन्त्री इस प्रावधान पर विचार करें :

> "बशर्ते कि यह प्राधिकार नहीं दिया जायेगा अगर सक्षम प्राधिकारी को यह मानने का है कि मृत व्यक्ति द्वारा अपने मरने से पहले इस प्रकार का प्राधिकार नहीं दिया गया है या मृत व्यक्ति के नजदीकी नातेदार उसे निकालने के लिए एतराज करते हैं।"

इस प्रावधान के बिना, अगर आप धारा 6 पढ़ें, तो देखेंगे कि नातेदारों द्वारा एतराज किये जाने के बावजूद या इस बात के बावजूद कि मृत व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु से पहले इस प्रकार का एतराज करने का प्रमाण है कि उसके शरीर का कोई अंग किसी संस्थान को दे दिया जाये, तो उन हालातों में प्राधिकार मृत्यु व्यक्ति कौन होगा जिसको कर्ण पटह और कर्ण अस्थि निकालने का अधिकार हो ? कृपया इसे पढ़ें।

"जहां किसी व्यक्ति का शव, चिकित्सा-विधिपरक प्रयोजन के लिए शव परीक्षा के लिए भेजा गया है, वहां सम्बन्धित व्यक्ति द्वार ऐसे शव से कर्ण निकाले जाने का प्राधिकार दिया जाना चाहिए।"

इससे जाहिर होता है कि संबन्धित व्यक्ति को यह प्राधिकार मिल जाता है, चाहे उसके नजदीकी नातेदार या अन्य व्यक्ति कर्ण पटह और कर्ण अस्थि दान करने पर एतराज भी करें। क्या यह उचित है और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे इस संशोधन पर विचार करें और इसे धारा 6 में यह उपलब्ध जोड़ें।

श्रीमन, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान नियम बनाने की शक्तियों की तरफ दिलाता हूं। मैं श्री डागा द्वारा पेश किये गये प्रस्तावों का समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही मैं ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है न कि इस शक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रशासक को, निकाले गये अंगों यानि कर्ण पटह और कर्ण अस्थि के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है। वहां इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। इस नियम के अन्तर्गत धारा 10 में यह स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि इन कर्णों को किस प्रकार दिया जा सकता है। प्रश्न यह है कि क्या इन कर्ण पटहों और कर्ण अस्थियों को गरीब व्यक्तियों को दिया जायेगा या इनकी कोई कीमत की जायेगी या इन्हें सिर्फ अमीर व्यक्तियों को ही दिया जायेगा। इसी संदर्भ में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस बात पर विचार करें कि क्या यह बताना आवश्यक है क्योंकि हम नियम बनाने की शक्ति को प्रशासकों को सौंप रहे है।

श्रीमन, प्रो० अजित कुमार मेहता ने एक बात की ओर ध्यान दिलाया है और मैं भी उसे दोहराना चाहता हूं। प्रथम दृष्टि में कुछ माननीय सदस्य ऐसा सोचते थे कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें कोई वजन नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने 'मृत्यु' की परिभाषा नहीं दी है। यहां धारा 3 की उप धारा (3) में आपने कहा है कि कर्ण इस प्रकार नहीं निकाले जाएंगे जब कि डाक्टर, जिसने कर्ण-निकाले जाने हैं, स्वयं परीक्षा करके यह संतुष्टि न कर ली हो कि वह निष्प्राण है।

श्रीमन, शरीर से प्राण निकल गये हैं लेकिन जिस अंग को हम निकाल रहे हैं वे जीवित हैं। अगर उस अंग में प्राण नहीं हैं तो उस अंग को निकालने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि इसे कही भी काम में नहीं लाया जा सकता। इसलिए कृपया उनके द्वारा दिए गए सुझाव पर ध्यान दें मैं समझता हूं कि उनके सुझाव में काफी वजन है और इस पर अच्छी प्रकार से गौर किया जाना चाहिए, नहीं तो अधिनियम के पास हो जाने के बाद कई एक मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।

श्रीमन, उन्होंने एक और बात का उल्लेख किया है कि अगर किसी व्यक्ति को कृत्रिम एक्शन पर रखा जाता है और डाक्टर यह अनुभव करता है कि उसकी पीड़ा को खत्म कर जाये तो वह कृत्रिम एक्शन को ही बन्द वह कर सकता है। इसके बन्द करने से हृदय गति बन्द हो जायेगी लेकिन कुछ समय तक शरीर के अन्य अंगों में जीवन रहेगा। क्या इस पहलू पर विचार किया गया है। मैं समझता हूं कि आपने नहीं किया है। मैं पुन: कहता हूं कि आप चिकित्सीय प्रयोजनों को परिभाषित करें, इसके लिए मैंने संशोधन स० 22 पेश की है। श्री डागा ठीक ही कहते हैं

कि "चिकित्सीय प्रयोजन' को कई प्रकार से पारिभाषित किया जा सकता है, इसको प्रत्यारोपण के अलावा कई अन्य प्रयोजनों के लिए भी उपयोग लिया जा सकता है। अगर निकाले गए अंग को उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाता जिसके लिए इसे निकाला गया है तो इसे भारतीय दंड संहिता का कोई भी उपबन्ध इस पर लागू नहीं होता। इसलिए इस तरह की रोक के लिए इस विधेयक में कोई प्रावधान जरूरी होना चाहिए, मैं श्री डागा के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि किसी व्यक्ति के जीवित रहते ही उसके कर्ण पटह और कर्ण अस्थि निकालने का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि मैं समझता हूं कि यह भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में निहित है। निकालने के बाद अगर इसका दुरुपयोग किया जाता है तो इस बारे में इनमें प्रावधान नहीं है, इस लिए, मैं समझता हूं कि इसके लिए प्रावधान बनाना जरूरी है। चूंकि आपने घंटी बजा दी है, मैं अपने सुझावों को अपने संशोधन पेश किए जाने के समय प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं, किन्तु साथ ही समझता हूं कि पर्सनल-ला मिनिस्ट्री या स्वास्थ्य मन्त्रालय से परामर्श करने के पश्चात ही इसको पेश करना चाहिए था, क्योंकि कुछ अभाव व त्रुटियां इसने महसूस की जा रही हैं, जो कि वास्तव में अपने आप एक महत्व लिए हुए हैं।

सर्वप्रथम इस विधेयक में जो आपने नीअर रिलेटिव की परिभाषा दी है वह अपने आप में अपूर्ण और अव्यावहारिक है। अपूर्ण इस मामले में हैं कि नीअर रिलेटिव को डिफाइन करते हैं, जो कि पर्सनल-ला से गवर्न होता है...

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पश्चिम बंगाल के पटसन मिलों का बन्द होना

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं वाणिज्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"पश्चिम बंगाल में सत्रह पटसन मिलों के बन्द हो जाने, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गये हैं तथा किसानों के कच्चे पटसन का मूल्य और अधिक गिर गया है।"

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : जूट उद्योग देश का परम्परागत उद्योग है। प्रमख रूप से निर्यात अभिमुख उद्योग की स्थिति से यह उद्योग इन वर्षों में प्रमख रूप से घरेलू बाजार अभिमुख उद्योग बन गया है ऐसा पाया गया है कि यह उद्योग मशीनरी उपस्कर के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाया है जिसके परिणामस्वरूप इस उद्योग को नुकसान पहुंचा है और वह घरेलू बाजार और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में लागत प्रतियोगी क्षमता की समस्याओं का सामना कर रहा है। कुछ समय से जूट उद्योग विशेष रूप से कालीन अस्तर कपड़े के सम्बन्ध में निर्यात मांग में मन्दी से उत्पन्न होने वाले संकट का सामना करता रहा है जिसके परिणामस्वरूप इसको अपनी उत्पादन क्षमता को अधिक भारी निर्माण कार्यों में लगाना पड़ा है और उसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है जो मांग की तुलना में अधिक है। परिणामस्वरूप काफी समय से जूट माल की बाजार कीमतें गिर कर गैर-लाभकारी स्तर पर आ गई हैं और जूट मिलों को, जिनमें राष्ट्रीयकृत क्षेत्र की मिलें भी शामिल हैं, प्रतिकूल व्यापार परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के महीनों में विदेशों में जूट माल की मांग वास्तव में संश्लिष्ट स्थापनापन्न वस्तुओं तथा जूट माल का उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख देशों से प्रतियोगिता के कारण गम्भीर रूप में कम हो गई है। औद्योगीकृत विश्व में मन्दी की प्रवृतियों और साथ साथ भवन निर्माण गतिविधियों में कमी के कारण कालीन अस्तर कपड़े की आयात मांग को काफी सीमित कर दिया है। घरेलू बाजार में भी मांग में कमी दिखाई दी। इसका सचयी प्रभाव यह हुआ कि उद्योग बहुत ही कठिन आर्थिक परिस्थितियों में पड़ गया। बिक्री से अपर्याप्त लाभ के कारण कई मिलों के लिये नकदी की समस्या पैदा हो गई और उनमें से कितनी ही मिलों ने काम करना बन्द कर दिया है जिससे हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं।

2. 1 जुलाई, 1982 को विद्यमान स्थिति के अनुसार 17 मिलें तालाबन्दी-बन्दी के अन्तर्गत पड़ी हुई हैं जिनमें 54,940 कामगार अन्तर्ग्रस्त हैं।

३. उपर्युक्त 17 मिलों में से एक मिल अर्थात नस्करपारा को कलकत्ता उच्च न्यायलय के आदेश के अन्तर्गत 28 जून, 1982 से बंद कर किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य दो मिलें अर्थात श्रीराम और प्रेम चन्द स्थायी रूप से बन्द कर दी गई है। अन्य तीन मिलों अर्थात लूडलो, गेंगेज और बजरंग के सम्बन्ध में कामगारों की ओर से हिंसा और अनुशासनहीनता के कार्यों से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट औद्योगिक विवादों के समाचार है। इन तीन मिलों के मामले में राज्य सरकार के श्रम निदेशालय ने समझौते की कार्यवाही आरम्भ की है किन्तु प्रमुख रूप से यूनियन की आपस की प्रतिद्वंद्विता के कारण अभी तक कोई समझौता सम्भव नहीं हो पाया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 947 की धारा 10 (३) के अन्तर्गत जारी किये गये एक आदेश से 4 मिलों अर्थात गेंगेज, बलहोओ, एम्पायर और केल्विन

में तालाबन्दी के जारी रखे जाने का मुख्य रूप से इस आधार पर प्रतिषेध किया है कि इन मिलों में कामगारों की संख्या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई कार्यभार समिति के मूल्यांकन के अनुसार 1972 से लेकर 1979 की अवधि के बीच कम की गई। उपरोक्त 4 मिलें रिट पर कलकत्ता के उच्च न्यायालय में गई हैं और उन्होंने राज्य सरकार के आदेशों के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

4. केन्द्रीय सरकार जूट उपजकर्ताओं और साथ ही जूट उद्योग दोनों को मदद करने की पूरी कोशिश करती रही है। पालेकर फार्मूले के आधार पर लागत कीमत पर जूट माल के लिये पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की मांग की पूर्ति करने की दृष्टि से अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का सहारा लेकर जूट माल की मांग बढ़ाने के लिए समम समय पर अनेक उपाय किये गये हैं। सरकार ने सितम्बर, 1981 में जूट माल के निर्यात के लिये नकद मुआवजा सहायता भी आरम्भ की। एच० ओ० पी० ई० या पालीप्रोपोलीन के बने हुए थैलों की बजाय जूट के बोरों में अनाज, उर्वरक, चीनी, सीमेंट, पैकेज करने के लिये अन्य प्रयोक्ता विभागों के साथ बेहतर तालमेल भी रखा गया। उद्योग मंत्रालय ने सीमेंट पैक करने के लिये अक्तूबर, 1982 से शत-प्रतिशत जूट के नए बोरों का प्रयोग करने का निश्चय किया है। एस्केप और अंकटाड के तत्वावधान में सरकार द्वारा क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरीकरण के उपाय भी किये जा रहे है ताकि जूट माल की निर्यात आय में कमी को रोका जा सके और जूट मिलों में बेहतर कार्य प्रणाली के लिए वातावरण बनाया जा सके। संयुक्त विपणन नीति तैयार करने के लिए बंगला देश के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी चल रही हैं।

5. जूट उद्योग ने कार्यकारी पूंजी की अपनी समस्याओं और साथ ही दीर्घावधि स्वरूप के वित्तीय ऋण के सम्बन्ध में लिखा है। जैसे ही जूट आयुक्त से, जो कि इस सम्बन्ध में विचार कर रहा है, अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों प्रकार की आवश्यकता के स्वरूप और उसकी गुंजाइश के बारे में विस्तृत ज्ञापन प्राप्त हो जाएगा, सरकार इस पर विचार करेगी। जूट आयुक्त राज्य सरकार के श्रम निदेशालय से भी सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि समझौते की उन विशिष्ट कार्यवाहियों के बारे में विचार किया जा सके जो जूट मिलों के फिर से खुलने के लिए अभी तक समझौतों में परिणत नहीं हुई है।

6. जहां तक कच्चे जूट की कीमत पर प्रभाव का सम्बन्ध है पिछले मौसम में कच्चे जूट की कीमत में मन्दी का कारण यह रहा है। कि उद्योग में भारतीय जूट निगम को, जिसने 1981-82 के सीजन में अपनी खरीद बढ़ाकर 17.55 लाख गाठें कर दी थी जब कि 1980-81 में 10.62 लाख गांठों की खरीद की थी, कच्चे जूट के सम्बन्ध में खरीद के मामले में बराबरा का समर्थन नहीं दिया। 1982-82 में कच्चे जूट के बाजार में व्यापार और उद्योग के लगभग अनुपस्थित रहने का ही यह परिणाम था कि कच्चे जूट की सप्लाई और मांग में असन्तुलन पैदा हो गया जिससे सबसे अधिक आवक वाली अवधियों में विशेष रूप से निम्न ग्रेडों के सम्बन्ध में कीमतें कानूनी न्यूनतम कीमतों से नीचे आ गई।

तथापि, सरकारी क्षेत्र की एजेंसी के रूप में भारतीय जूट निगम ने अपनी बाजार कवरेज को काफी बढ़ाकर कच्चे जूट कीमत में समर्थन देने की पूरी कोशिश की, और यदि भारतीय जूट निगम इतने बड़े पैमाने पर बाजार में हस्तक्षेप न करता तो कच्चे जूट के उपजकर्ताओं की स्थिति और भी खराब हो जाती। सरकार 1982-83 के मौसम के लिए कीमत समर्थन कार्य के लिए भारतीय जूट निगम को उत्तरदायी बनाए रखेगी। राज्य सरकारों को भी नियमति बाजारों का विकास करने, उपजकर्ताओं की सहकारी समितियों का विकास करने सहकारी समितियों के लिये उपयुक्त स्टोरेज गोदाम स्थापित करने की कोशिश करके भारतीय जूट निगम को सहायता देनी होगी तथा अवस्थापना सम्बन्धी अन्य कार्य करने होंगे ताकि भारतीय जूट निगम के हाथ मजबूत हो जाएं और बड़े पैमाने पर कीमत समर्थन कार्य के लाभ पूरी तरह से उपजकर्ताओं को मिल सकें।

7. सरकार जूट उद्योग की आर्थिक क्षमता को फिर से स्थापित करने और ऐसा वातावरण बनाने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरुक है जो कि उसके सामान्य कार्यचालन में सहायक हो ताकि तालाबन्दी की हुई और बन्द की हुई सभी मिलें यथाशीघ्र फिर स खुल सकें या काम कर सकें।

सरकार ने कई सुधारात्मक उपाय किये हैं और जब तक जूट उद्योग के सामान्य कार्यचालन के उपयुक्त परिस्थितियां नहीं बन जाती और जब तक जूट उद्योग के कामगार और जूट उपजकर्ता उचित रोजी अर्जित करने के लायक नहीं हो जाते तब तक वह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नए जोश के साथ उन पर कार्यवाही करती रहेगी।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : श्रीमन, मन्त्री महोदय और उनके वक्तव्य के प्रति आदन प्रकट करते हुये, मैं कहना चाहता हूं कि, मुझे ऐसा लगता है कि उनके वक्तव्य का पहला भाग आई० जे० एम० ए० से प्रभावित है।

अब कल ही श्री अशीष बर्मन का एक एक लेख 'नेशनेलाइजेशन ओवरडियू' (राष्ट्रीयकरण में अत्याधिक दिलाना) शीर्षक से समाचार पत्र में छपा है। मन्त्री महोदय ने भी अपने वक्तव्य में कहा है :—

> "ऐसा पाया गया है कि यह उद्योग मशीनरी/उपस्कर के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया है जिसके परिणामस्वरूप इस उद्योग को नुकसान पहुंचा है और वह घरेलू बाजार और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में लागत प्रतियोगी क्षमता की समस्याओं का सामना कर रहा है।"

श्री अशीष वर्मन ने अपने लेख में कहा है :—

"196 से ही निर्यात में कमी आई है। लेकिन मुख्यतः यह कमी हमारे पटसन के बड़े व्यापारियों के स्थानीय खरीददारी के प्रवृति की वजह से आई है। पटसन उद्योग

पर अधिकार प्राप्त करने के बाद उन्होंने इसका नवीनीकरण भी नहीं किया और अनुसधान और विकास के प्रयासों को भी बन्द किया है और किस्म नियन्त्रण की भी अवहेलना की है। इसके विपरीत भिन्न उत्पादों की व्यापक सप्लाई कर और कप बीजम बनाकर विदेशों में भारतीय माल की खपत को धक्का पहुंचा है। ये इससे विदेशों में पैकिंग के लिए संश्लिष्ट पदार्थों का व्यापक पैकिंग प्रयोग हुआ है। पर इनके पैट्रो रसायन पदार्थों पर आधारित होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय पैट्रोलियम संकट के आने पटसन उत्पादों की प्रतियोगिता को सहारा मिला भी भारतीय उद्योग, जैसी कि इसकी स्थिति है अपनी हानि पूरी करने में असफल रहा है।"

पटसन उद्योग को भारतीय कृषि का स्वर्ण उद्योग कहा जाता है, लेकिन पटसन मे संबंधित हमारी सारी अर्थ-व्यवस्था संकट में है, और संकट अपने आप ही नहीं आया है, लेकिन संकट पटसन के धनी व्यक्तियों और केन्द्रीय सरकार द्वारा और सहायता प्राप्त आई० जे० एम० ए० द्वारा पैदा किया गया है।

काफी समय से हमारे पटसन उत्पादकों को सही मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है। हर दफा सस्ते दामों पर पटसन बेचनी पड़ती है। पटसन के जागीरदारों—करीब छः परिवारों ने पटसन उद्योग को इस प्रकार कब्जे में कर रखा है—यह महाराष्ट्र में कपास पैदा करने वालों जैसे नहीं हैं—पटसन उत्पादकों को मजदूर होकर पटसन को काफी सस्ते दामों में बेचना पडता है। टंडन समिति की सिफारिशों के तहत पटसन उद्योग हर वर्ष रिजर्व बैंक से पटसन खरीदने के लिए पैसा लेता है। पिछले वर्ष जून माह तक 'भारतीय रिजर्व बैंक से पटसन खरीदने के लिए 92 करोड़ रुपये का कर्ज लिया, जिसमें से काफी पैसा दूसरों कामों में लगा दिया गया इस पर भारत सरकार ने कोई रोक भी नहीं लगाई हैं। टंडन समिति ने न केवल यह सिफारिश की थी कि पटसन खरीदने के लिए पटसन उद्योग को दान दिया जाये बल्कि इसने पटसन उद्योग को यह करने के लिए भी कहा था कि वे अपने पास कम से कम वार्षिक उत्पादन के हिसाब से 14 दिनों के लिए पटसन का भण्डार रखे। तथापि इस उद्योग ने इस सिद्धांत का कभी भी अनुपादन नहीं किया। जब पटसन बाजार में आता है तो वे इसे नहीं खरीदते। जे० सी० आई० भी कोई अच्छी भूमिका अदा नहीं कर रही है। इसलिए पसन के भाव गिर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के किसान आन्दोलन के सभी पक्षों—किसान सभा, सी० पी० आई०, सी० पी० एम०, फारवर्ड ब्लाक, सबनें मिलकर यह मांग की है कि पटसन का भाव 300/-रु० प्रति क्विंटल रखा जाये। हमारे राज्य की वाममंथी सरकार ने पिछले वर्ष 250 रु० प्रति क्विंटल पटसन के भाव की सिफारिश की थी जबकि केन्द्र में हमारी सरकार ने इसे 175/-रु० प्रति क्विंटल ही लागू किया। आज यह स्थिति है। मन्त्री महोदय के व्यक्तव्य का यह भाग बिल्कुल सही है:

"1981-82 में कच्चे जूट के बाजार में व्यापार और उद्योग के लगभग अनुपस्थित रहने का ही यह परिणाम था कि कच्चे जूट की सप्लाई और मांग में असन्तुलन पैदा हो गया......।"

उन्होंने एक बहुत ही सुन्दर शब्द प्रयोग किया है। यह मांग असन्तुलन ही नहीं।

मै कहना चाहता हूं कि भाव काफी कम हुये हैं। मिलों द्वारा पटसन न खरीदने और गरीब किसानों द्वारा पटसन का भण्डारण न करने की क्षमता के कारण, इसके भाव गिरकर प्रति क्विटल तक आ गये हैं।

पटसन कारखानों के मलिक उद्योग के हितों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। उद्योगपत्तियों ने मिलों के सुव्यवस्थित करने तथा उनका विविधीकरण करने के लिये कोई भी प्रस्ताव नहीं दिये हैं। वे पुरानी प्रक्रिया के अनुसार चल रहे हैं और वे पुरानी विदेशी मार्केटों पर ही निर्भर कर रहे हैं। आपने ठीक ही कहा है कि हम संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि हमारी निर्यात मार्केट संयुक्त राज्य अमरीका से जुड़ी है जहां बहुत मन्दी है और जहां वर्तमान रेगन प्रशासन ने लोगों की कल्याणकारी जरूरतों को बहुत कम कर दिया है और जहां निर्माण उद्योग गम्भीर संकट में है।

गृह निर्माण कार्यों में भी बहुत कमी हुई है। हमारी वहां कोई भी मार्किट नहीं हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि एक दूसरी मार्किट बनाने जा रही हैं। 1979 में हमने केवल 3.72 लाख टन का निर्यात किया। अब 1980 में निर्यात बढ़कर 5.58 लाख टन हो गया है। इसमें से 1979 में हमने 1.08 लाख टन का निर्यात सोवियत रूस को किया और 1980 में 2.18 लाख टन का निर्यात किया। 1979 में हमने संयुक्त राज्य अमरीका के 87,000 टन निर्यात किया अतः हमारी सयुक्त राज्य अमरीका की मार्किट कुछ सिकुड़ सी रही है जबकि सोवियत रूस की मार्किट में वृद्धि हो रही है और अन्य समाजवादी देशों में भी सम्भवतः इसमें वृद्धि हो रही है।

लेकिन पटसन उद्योग के मालिकों के अपने हित हैं। वे इस उद्योग से पैसा लेते हैं और किसी अन्य उद्योग पर खर्च करते हैं। उनका उद्देश्य उन कारखानों को आधुनिक बनाना नहीं तथा उद्योग के हितों के लिए कोई अनुसंधान करना नहीं है। वे इस उद्योग से केवल पैसा कमाते हैं और यह देखते हैं कि उस पैसे को अन्य उद्योगों पर कैसे खर्च किया जाये।

इन्डियन जूट मिल एसोसिएशन के अपराधों के कारण 17 पटसन मिलों में तालाबन्दी घोषित की गयी है और उनमें से कुछ को हमेशा के लिए बन्द किया जा रहा है, और लगभग साठ हजार श्रमिक बेकार हो गये हैं और भूखे मर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं अभी हाल में इन्डियन जूट मिल एसोसिएशन ने घोषणा की है कि वे प्रति दिन मिलों को चार घन्टों के लिए

बन्द रखेंगे और वे अपने जेनरेटरों से बिजली है को श्रमिकों के महीने में कई दिनों तक बेकार रहने के लिए बाध्य किया जायेगा और पटसन मिलों के मलिक अधिक हो गये हैं क्योंकि उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। पटसन मिलों के मालिक सरकार को अधिक लाभ देने के लिए बाध्य करना चाहते हैं, किसानों को कम मूल्य पर पटसन बेचने के लिए बाध्य करना चाहते हैं और श्रमिकों को भुखमरी के लिए बाध्य करना चाहते हैं, पटसन कारखानों के मालिकों ने राष्ट्र को एक चुनौती दी है और हम कहते हैं कि चुनौती को स्वीकार किया जाना चाहिये। उद्योग का राष्ट्रीयकरण किये बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। इसका राष्ट्रीयकरण बहुत पहले किया जाना चाहिये था।

पश्चिम बंगाल विधान सभा में न केवल वामपंथी मोर्चा सरकार के समय बल्कि कांग्रेस सरकार के समय भी सभी दलों—सी० पी० एम०, सी० पी० आई० आर० एस० पी०—न केवल वामपंथी पार्टियों बल्कि कांग्रेस (आई०), कांग्रेस (एस०) सभी ने मिलकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी ताकि इस उद्योग की रक्षा हो सके, राष्ट्र की रक्षा हो सके और पश्चिमी बंगाल की अर्थ-व्यवस्था की रक्षा हो सके, सभी राजनैतिक दलों ने यही एक मात्र नारा दिया था। इस प्रश्न पर कोई भी मतभेद नहीं था। पश्चिम बंगाल की सरकार तथा मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु ने कहा है कि उद्योग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। संकट प्रति वर्ष बढ़ रहा है और किसानों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। इसकी खेती धीरे-धीरे कम होती जा रही है। 1980-81 में पटसन 9.47 लाख हेक्टेयर में बोया गया जबकि वर्ष 1981-2 में यह खेती घटकर 8.27 लाख हेक्टेयर हो गयी।

आप देखें कि हम कहां जा रहे है। मैं नहीं जानता।

इस वर्ष पश्चिम बंगाल में गम्भीर सूखा रहा है। काफी क्षेत्रों में पटसन की खेती को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसलिए मैं आपके सामने कुछ विशेष प्रश्न रखना चाहता हूं: क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल के सभी राजनैतिक दलों की मांग का समर्थन करेगी? क्या सरकार विधान सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव का समर्थन करेगी? क्या सरकार पश्चिम बंगाल सरकार तथा कामरेड ज्योति बसु की इस मांग का समर्थन करेगी कि पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किए जायें? अन्यथा आप इस उद्योग को संकट से नहीं बचा सकते और आप इस उद्योग को पूरी तरह से नष्ट होने से नहीं बचा सकते।

अभी तक हम यह नहीं जानते कि आप पटसन उत्पादकों के लिए क्या मूल्य निश्चित करने जा रहे हैं। दूसरे, क्या आप पश्चिम बंगाल के समूचे विधान आन्दोलन की मांग के अनुसार पटसन के मूल्य 300 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करने जा रहे हैं ताकि इनके किसानों के हितों की रक्षा हो सके और उद्योग समाप्त होने से बच सके।

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : माननीय सदस्य ने उद्योग के संकट तथा पटसन उत्पादकों की कठिनाइयों पर प्रकाश डाला है । उद्योग क्यों संकट में है ? इसके कई कारण हैं ? मैं इनके कारणों की चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन मैं कहूंगा कि भारत सरकार ने इस बात का ध्यान रखने के लिए बहुत कुछ किया है कि उद्योग चलते रहें और उद्योग काम करते रहें ।

उद्योग चलाने के लिए धन तथा वित्त चाहिए । हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं उद्योग में तैयार किए गए माल के लिये मार्केट भी होनी चाहिए । भारत सरकार ने मार्केट उपलब्ध करने के लिये कदम उठाये हैं । उद्योग चलाने के लिए देश से बाहर भी मार्केट होनी चाहिए जिसके लिए भारत सरकार ने उचित कदम उठाये हैं । इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ और भी काम किए हैं ।

स्थानीय सरकार द्वारा भी कुछ किया जाना जरूरी है । भारत सरकार द्वारा ये सब कदम उठाये जाने के बाद, उद्योग को आवश्यक वित्त की व्यवस्था प्रदान किए जाने के बाद, मार्केट की व्यवस्था किए जाने के बाद, अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट की व्यवस्था किए जाने बाद, इस उद्योग द्वारा उद्योग को चलाना जरूरी है । यदि उन्होंने लाभ कमाया है तो उन्हें हानि उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए । हानि तथा लाभ दोनों का भागीदार बनना चाहिए । इस समय यदि वे कठिनाई में हैं, तो उन्हें इसका सामना करना चाहिए और उद्योग को चलाना चाहिए। उन्हें इसमें ताला नहीं लगाना चाहिए । बल्कि उन्हें उद्योग को चलाना चाहिए । उन्होंने लाभ कमाया है तो इसे किसी और को नहीं दिया गया । यह उन्हीं के पास रहा । अब उनके लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि यदि वे इस वर्ष कठिनाई में हैं तो अगले वर्ष वे लाभ कमा सकते हैं क्योंकि पहिया घूमता जा रहा है । ऐसा करना उनके लिए जरूरी है । मुझे ध्यान रखना चाहिये कि यह हो जाये । इसके लिए आवश्यक कानून भी है । औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा अन्य कई कानून हैं और स्थानीय सरकारों को इन कानूनों को कार्यान्वित करने तथा इस बात का ध्यान रखते कि उद्योग में तालाबन्दी न हो और वे बन्द न हों, की शक्तियां प्राप्त हैं ।

प्रश्न यह है कि कानून का कार्यान्वयन क्या स्थानीय सरकार करती है । यदि स्थानीय प्राधिकरण ने नहीं किया – मैं दोष नहीं लगाऊंगा लेकिन ऐसा न करने के कारण सभा को बताना मेरे लिए जरूरी है । यदि इसे नहीं किया गया और यदि वे कहें : कि हम न्यायालय में चले गए हैं, और न्यायालय ने रोका देश दे दिए हैं ।" आप एक ख्याति प्राप्त वकील हैं और आप जानते हैं कि न्यायालय के आदेश अन्तिम आदेश नहीं होते । आप अपील कर सकते हैं, आप पुनरीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं । आप उच्च न्यायालय के आदेश से लेकर उच्चतम न्यायालय का आदेश ले सकते हैं । क्या आपने ऐसा किया है ? यदि आपने वैसा नहीं किया तो क्या आप किसी और को दोषी ठहरा सकते हैं ? यदि आपको ये सब सुविधायें मिल रही हैं लेकिन फिर भी यदि आप, चुप रहे, और यदि आप इसके बावजूद भी विधान सभा में प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि आपके

पास कुछ अधिकार हैं, तो ऐसी स्थिति में पास किए गए प्रस्ताव को कितना महत्व दिया जाए। आपके पास अधिकार हैं। आप इनका उपयोग नहीं करते और आप केवल प्रस्ताव पास करते हैं और दोष को किसी और के माथे पर मढ़कर कहते हैं, आपको इसे करना चाहिए। क्या वह ठीक होगा ?

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय, क्या आपको मालूम है कि तालाबन्दी सम्बन्धी औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान को उच्चतम न्यायालय ने नियम विरुद्ध घोषित कर दिया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं कानूनी बारीकियों में नहीं पड़ूंगा क्योंकि जब तक मैं उन कानूनों तथा बातों का जिक्र नहीं करूंगा तब तक मैं कुछ अधिक नहीं बोल पाऊंगा (व्यवधान) लेकिन यहां अधिकार प्राप्त है। आपको इसका उपयोग करना चाहिये। और यदि आप इसका उपयोग नहीं करते तो आप लोगों के प्रति उत्तरदायी होंगे।

सभापति महोदय : आप यह नहीं कहना चाहते कि उन्होंने तालाबन्दी इस कारण की कि सरकार आदेश को रद्द करार देने के लिए न्यायालय में नहीं गयी।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं केवल उतना ही नहीं कह रहा हूं, मैंने इसका केवल एक ही उदाहरण दिया है। जहां चाह होगी वहां राह भी मिलेगी जब तक पटसन उत्पादकों को दिए जाने वाले मूल्यों का सम्बन्ध है, इसके लिए अब भारतीय पटसन निगम है। भारतीय पटसन निगम खरीद कर रहा है। 70 लाख गांठों का उत्पादन होता है। पिछले वर्ष 17 लाख गांठें खरीदी गयीं और शायद इस वर्ष 20 लाख गांठें खरीदी जायेंगी। केन्द्रीय सरकार यह कुछ कर रही है। लेकिन आपको अनुभव करना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा दूर दराज के क्षेत्रों में खरीद करना बहुत कठिन होगा। यदि हमें खरीद करनी है तो हमें उसके लिए कोई उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमें उस काम के लिए कुछ लोगों को रोजगार पर लगना पड़ेगा और तत्सम्बन्धी प्रशासन पर बहुत व्यय होगा। उन खर्चों को सहना तथा साथ-साथ लाभप्रद मूल्य देना बहुत कठिन होगा। लेकिन यथा सम्भव गरीब पटसन उत्पादकों को सुरक्षण देने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार उनके लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है। महाराष्ट्र सरकार की बात लीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने कपास उत्पादकों के लिए कुछ किया है। महाराष्ट्र कपास उत्पादक राज्य है। बंगाल पटसन उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र में कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए एक कपास एकाधिकार योजना बनायी गयी है। उस योजना के अन्तर्गत राज्य मे पैदा हुई सारी कपास की खरीद राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के परामर्श से निश्चित मूल्य पर करती है और साधारणत: वह मूल्य लाभप्रद मूल्य होता है, लाभप्रद मूल्य से भी कुछ अधिक होता है। यदि महाराष्ट्र सरकार के लिए ऐसा करना सम्भव है तो श्रमिकों किसानों, दलित वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान रखने वाली एक सरकार के लिए ऐसा करना क्यो संभव नहीं है ?

अब आप कहते हैं कि इस काम के लिए सहकारिता आन्दोलन नहीं है। सहकारी समितियां बनाने से आपको कौन रोकता है? यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या आप किसी और को दोषी ठहरा सकते हैं? हम यहां है; हम अपनी जिम्मेवारी से जी नहीं चुराते। हम यह नहीं कहते कि हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और हम निश्चय ही अपनी जिम्मेदारियों को निभायेंगे। हम जितना भी हो सके, उनकी सहायता करेंगे लेकिन साथ-साथ राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ प्रभावशाली कदम उठाकर कुछ करना होगा। यदि आप ऐसा न करें तो केवल विधान सभा में प्रस्ताव पास करने से काम न चलेगा।

सभा में राष्ट्रीयकरण की बात हर कोई करते रहते है। मैं इसका भी उत्तर देता आ रहा हूं, इस पर बार-बार चर्चा होती रहती है क्या सरकार के लिए राजकोष से करदाताओं का पैसा निकालकर उसे ऐसे कारखानों को अपने अधिकार में लेने पर खर्च करना, जो चल नहीं सकते, उचित होगा (व्यवधान)?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण): आपने मारुति कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कैसे किया? आप उसकी बात को लागू करें (व्यवधान)। आपने मारुति का राष्ट्रीयकरण क्यों किया?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: हम पूरे दिल से इस बारे में स्पष्ट चर्चा कर रहे हैं। हमें इसे किसी दल का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। मैंने ये सब बातें यह कहने के बाद कही है कि यह हमारा कर्त्तव्य है और हम इसे निभायेंगे। मैं उन्हें अपना कर्त्तव्य निभाने के लिए कह रहा हूं। मैं उनसे अपना कर्त्तव्य निभाने का अनुरोध कर रहा हूं। हर मामले में राष्ट्रीयकरण सम्भव नहीं होगा। हमें कुछ अन्य बातों के लिए भी धन चाहिए बिजली पैदा करने के लिए, सिंचाई के लिये परिवहन प्रणाली को सुसंगठित करने के लिए, कुछ अन्य बातों के लिए तथा नये उद्योग लगाने आदि के लिए धन चाहिए।

क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि हमें उस उद्योग का अधिग्रहण कर लेना चाहिए जिसे पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता? परन्तु इस प्रकार का वक्तव्य आप नहीं दे सकते। केवल एक संकल्प पारित कर देने से हम यह नहीं कह सकते कि ऐसा किया जा सकता है और ऐसा नहीं किया जा सकता। अब हमने सदैव यह कहा है कि यदि किसी उद्योग को पुनरुज्जीवित किया जा सकता है और यदि किसी उद्योग को इस ढंग से चलाया जा सकता है, जो कामगारों के लिए उपयोगी और उद्योग के लिए लाभकारी हो तो उसे चलाया जाएगा। परन्तु ऐसा करने की बजाये आप सदैव नए उद्योगों का सुझाव देते रहते हैं। पहले बुनियादी उद्योगों में इससे भी अधिक धन लगाया जाएगा। अन्य उद्योगों को भी चलाया जाना है। अब हम सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते। हमारे पास, सरकार के पास पहले ही बहुत से उद्योग हैं जिन पर हम धन व्यय कर रहे हैं। परन्तु एक भाग ऐसा है जहां हम उद्योग चला रहे हैं।

हमने कानून में प्रावधान किया है, हमने धन उपलब्ध कराया है। अब यह स्वर्गीय लोगों का ही काम है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन सुविधाओं का लाभ उठाया जाएगा और यदि आपको और कुछ चाहिए तो उसकी मांग बाद में ही करें। परन्तु यदि आप इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठाते और सदैव यह कहते रहते हैं कि 'कुछ किया जाना है' 'कुछ किया जाना है' तो हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति आपकी कठिनाई को अथवा आपके इरादे को या आपकी कुछ भी करने की अनिच्छा को न समझें। आप क्यों नहीं कर रहे हैं, यह स्पष्टीकरण देना आपका काम है। आप मुझे अथवा इस सभा को स्पष्टीकरण न देना चाहें न सही परन्तु आपको लोगों को यह स्पष्टीकरण देना है कि आप कानून को क्रियान्वित क्यों नहीं कर रहे, आप पटसन उत्पादकों के लिए कुछ भी क्यों नहीं कर रहे। आप सदैव किसी और को कुछ करने के लिए क्यों नहीं कहते रहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : नहीं, ऐसी बात नहीं हैं...(व्यवधान)

सभापति महोदय। इसका अनुसरण करने वाले अन्य सदस्य हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यदि आप नहीं करते हैं तो लोग आपके बारे में स्वयं अन्दाजा लगा लेंगे। इन सभी बातों को कहते हुए मैं अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं रहा हूं। हमने बहुत कुछ किया है। हमारा इरादा बहुत कुछ करने का है। जो कुछ भी सम्भव है किया जाएगा। हमने बहुत कुछ किया भी है। इन उद्योग के लिए जो योजना हमने बनाई है, वह हमारे पास है। और हम निश्चय ही इसे सभा के समक्ष रखेंगे और आपको भी जानकारी हो जाएगी। परन्तु इसके साथ ही मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हम एक दूसरे पर दोषारोपण न करें और हम मिलकर उत्तरदायित्व निभाएं। आपकी भी लोगों के प्रति उतनी जिम्मेवारी है जितनी आप सरकार को, जितनी आप हमें बताते हैं। आपका सुझाव देने हेतु स्वागत है। परन्तु इसके साथ ही आप यह सुनिश्चित करें कि आप आपकी सरकार से बात करेंगे और आप उनसे पूछेंगे तथा आप उनसे एक ऐसी योजना बनाने के लिए कहेंगे जिससे पटसन उत्पादकों तथा अन्य लोगों को सहायता मिले।

जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, प्रत्येक दिशा का स्वागत है और हम दक्षिण, उत्तर, पश्चिम या पूर्व को जाते हैं। किसी भी दिशा की उपेक्षा करने की हमारी कोई मन्शा नहीं है। इसके विपरीत प्रत्येक जगह जहां बाजार उपलब्ध है हम वहां जाकर अपने उत्पादकों को बेचते हैं। आप कृपया ऐसा कोई सन्देह न करें कि हम केवल एक दिशा में ही जाते हैं और दूसरी में नहीं जाते हम प्रत्येक उस दिशा में जाना चाहते हैं जहां बाजार उपलब्ध है।

बाजार जहां कहीं भी उपलब्ध है हम उसका अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। यदि बाजार उपलब्ध नहीं है तो हम प्रत्येक बाजार में अपने माल को बेचने की सम्भावनाओं का पता लगाएंगे।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : सभापति महोदय, इससे पूर्व कि मैं अत्यन्त प्रासंगिक और महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को सभा में लिया गया है आपत्ति अथवा रोष प्रकट करना चाहता हूं । इसे बहुत ही लापरवाही से तथा दिन के बिल्कुल अन्त में लिया जा रहा है । मैं यदि सही हूं तो इस सभा में इससे पूर्व कभी भी ऐसे महत्वपूर्ण मामले को इतनी लापरवाही से नहीं लिया गया है । इसे सभा के कार्य में एक महत्वपूर्ण मद के रूप में रखा जाना चाहिए था । इससे इस मामले के प्रति सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता है । मै यह कहना चाहता हूं कि यह... (व्यवधान) । हम इस मामले पर इस पृष्ठभूमि में चर्चा कर रहे हैं जिसमें सम्पूर्ण बंगाल मजदूर संघ, चाहे वह किसी से भी सम्बद्ध है, इसकी राष्ट्रीयकर की मांग कर रहा है । न केवल इतना ही पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में पहले ही यह कहा है कि इस उद्योग का एक ही इलाज राष्ट्रीयकरण है । हम अब जब पटसन उद्योग पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे समक्ष ये दो पहलू हैं । मन्त्री महोदय ने अपने नेक इरादों और आशाओं तथा सम्पूर्ण योग्यता के साथ कुछ उपचारात्मक उपाय सुझाए हैं जिन्हें कोई भी क्रियान्वित नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

मूल प्रश्न यह है कि अब हम इसलिए संकट का सामना नहीं कर रहे हैं कि 17 मिल को बन्द कर दिया गया है और 40, 000 या 60, 000 मजदूर बेकार हो गए हैं । यहां तो सम्पूर्ण उद्योग का प्रश्न है । हम पिछले कई वर्षों से यह अनुभव कर रहे हैं और यदि में सही हूं तो, इस सभा को प्रत्येक वर्ष पटसन उद्योग के संकट, सरकार के दृष्टिकोण, मिल मालिकों के दृष्टिकोण, उत्पादकों के मूल्य ढांचे और उनकी दयनीय दशा के बारे में सुनने का अवसर मिलता है । यदि मेरी जानकारी सही हो तो इस उद्योग का संचालन छः या सात परिवार कर रहे हैं । क्रम से लेकर निर्यात तक सम्पूर्ण व्यापार इनके हाथों में है । यदि हम पिछले सात वर्षों के उनके तुलन-पत्र को देखें तो हमें यह चौंका देने वाला परिणाम मिलेगा कि उन्हें केवल दो वर्ष लाभ हुआ है । उन्हें निर्माण की अवस्था पर लाभ कमाने की आवश्यकता नहीं है । सम्पूर्ण लाभ खरीद के समय कमाया जाता है । इस प्रकार वे सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से अनुचित लाभ उठाते हैं । उन्होंने सरकार को धोखा दिया है । 1981 में रिजर्व बैंक ने उन्हें 92 करोड़ रुपये दिये । इस धन का निवेश किस क्षेत्र में किया गया है ? किस मिल का आधुनिकीकरण किया गया है ? किस सयन्त्र का नवीकरण किया गया है? उस धन का उपयोग उन्होंने कैसे किया ।

मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में आधुनिकीकरण का उल्लेख किया है । आधुनिकीकरण की चिन्ता किसे है ? वे आधुनिकीकरण क्यों करें ? उन्हें इन बातों की चिन्ता नहीं है । वे क्रय के समय किसानों को मूंड कर लाभ कमाते हैं । भारतीय पटसन निगम जो कि एक सार्वजनिक उपक्रम है, उचित समय पर बाजार में नहीं आता । वह उस समय बाजार में आता है जब निर्धन किसानों को अपने माल को मन्डी की स्थिति में बेचना होता है । इस प्रकार वे देश के गरीब किसानों का शोषण करना चाहते हैं । यह स्थिति है ।

अब वे क्या मांग रहे हैं ? वे अब कार्यचालन पूंजी की मांग कर रहे हैं । यदि उन्हें कार्यचालन पूंजी उपलब्ध कराई जाती है तो वे उसका उपयोग किसी और उद्देश्य के लिए करेंगे । इस उद्योग का यही अनुभव है ।

मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उद्योग के निकट की बात कही है । उन्होंने दो कारण बताए हैं । एक तो विदेशी बाजार में मन्दी तथा दूसरे देश के बाजार में गिरावट । मैं नहीं जानता कि मन्त्री महोदय किस सीमा तक देश के बाजार के प्रति आशावादी हैं । हम आजकल देश में मन्दी के बारे में सुन रहे हैं । सरकार और उद्योगपतियों के बीच में यह विवाद चला हुआ है कि देश में मन्दी की स्थिति है या नहीं । मेरे पास जो तथ्य हैं उनसे पता चलता है कि सरकार द्वारा आयात को उदार बनाने तथा निर्यात-मूलक उत्पादन के संबंध में जिन नीतियों की घोषणा की गई है उनमें गलत बातों का अनुसरण करने के कारण देश में मन्दी की स्थिति है । मुझे देश के बाजार की क्षमता के बारे में चिन्ता है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस उद्योग की सभी बीमारियों का रामबाण इलाज इसका राष्ट्रीयकरण है । आपकी सरकार द्वारा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिए क्या मापदण्ड रखा गया है ? मैं मंत्री महोदय से इसे स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं ताकि लोगों को उनके बारे में पता चल सके । प्रबन्धकों को इन सब बातों की कोई चिन्ता नहीं है । वे अपने पुराने यूनिटों को रुग्ण बनाना चाहते हैं ताकि सरकार उनका अधिग्रहण कर ले और जब वे सक्षम हो जाएं तो उन्हें वापस सौंप दिए जाएं इन सभी बातों के पीछे यह राज है । हम इसी सन्दर्भ में राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे हैं । और कोई रास्ता नहीं है । हम जूट उद्योग के लगभग 2 1/2 लाख मजदूरों, लाखों जूट उत्पादकों तथा सबधित उद्योगों में लगे लोगों के कष्टों के अनुभव से बोल रहे हैं ।

सभापति महोदय : अब आप प्रश्न पूछिए ।

श्री के० ए० राजन : राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है । अतः सर्वप्रथम में राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित स्वीकृत नीति अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में जानना चाहता हूं । दूसरा कार्यभार समिति की सिफारिशों के संबंध में क्या किया गया है । मेरी सूचना के अनुसार कार्यभार में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है और कई कामगारों की छंटनी कर दी गई है । इस उद्योग के लागत ढांचे पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वे देशी बाजार के विस्तार का प्रयास कर रहे हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि देशी बाजार का विस्तार हो और देश में पटसन की अधिक खपत हो कौन-कौन से ठोस कदम उठाये गए हैं अथवा संबंधित सरकारों अथवा अन्य संगठनों को क्या निदेश जारी किए गए हैं ?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल : पहले वक्ता को उत्तर देते समय मैंने जो बातें कही थीं उन्हें दोहराना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। माननीय सदस्य कहते हैं कि हमने उद्योग के साथ गठ जोड़ कर रखा है। कानून मौजूद है। यदि उद्योग में ताला बन्दी है, यदि आपकी सरकार मौजूद है और वह कुछ नहीं कर रही है तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि गठ जोड़ किसने कर रखा है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या आप स्पष्ट शब्दों में निदेश देंगे? आप बताइये सरकार को क्या करना चाहिए। मन्त्री महोदय को स्पष्ट होना चाहिए।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय को प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल : संभवत: मैंने मर्म स्थान पर चोट की है······

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे विश्वास है कि आपने यह कहा है कि मिलें बन्द नहीं होनी चाहिए थी।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल : मैंने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। परन्तु मैं क्या कर सकता हूं? मुझे यहां अपना कर्त्तव्य पूरा करना है। वे यहां इसी सभा में खड़े होकर कहते हैं और महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध यह आरोप लगाते हैं कि उसने हड़ताल खतम करने के लिए कुछ नहीं किया है। परन्तु वे अपनी सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते जो तालाबन्दी समाप्त करने तथा मिलों को खुलाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। हम इस पक्षपात पूर्ण रवैये का कैसे स्वीकार कर सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है? आपको हमें बाताना चहिये क्यं कि आप मन्त्री हैं·········(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह ध्याना कर्षण प्रस्ताव है। मन्त्री महोदय को पूछे गये प्रश्न का उत्तर देने हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : केवल उनकी अज्ञानतों ने ही मुझे उत्तेजित किया है।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल : मैं उनकी टिप्पणियों का बुरा नहीं मानता हूं। वह मेरे एक अच्छे मित्र हैं। मैं उनसे सदन के बाहर बात करूंगा।

सभापति महोदय : आप केवल श्री राजन के प्रश्न का ही उतर दीजिए।

श्री शिवराज वी॰ पाटिल : यह बात ध्यान में रखनी होगी कि एक राज्य में जहां हड़ताल होती है ये लोग राज्य सरकार के विरुद्ध दोषारोपण करते हैं कि वह हड़ताल के मामले में कुछ

नहीं कर रही है और एक अन्य राज्य में, जहां उनकी अपनी सरकार होती है, यदि वहां तालाबन्दी और कारखाने बन्द होते हैं तो वे इस तथ्य के बावजूद कि उनको उपाय उपलब्ध हैं, सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कहते हैं ।

उनका प्रश्न था : आप इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर देते हैं ? उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए आपके क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं ? यही वे हमसे जानना चाहते थे । हम यह कहते रहे हैं और हमने यह देखने के लिए कि मजदूरों को नुकसान न हो कुछ कदम उठाए हैं परन्तु उसके साथ वह उद्योग चलता रहना चाहिए । जो उद्योग चलाया न जा सके, उसका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने में क्या तुक है । आप यह नहीं कह सकते हैं कि भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग में कुछ मिलों को राष्ट्रीयकरण नहीं किया है । उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण आनन्द और मनोरंजन के लिए नहीं अपितु यह यह देखने के लिए किया जाता है कि वहां के श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाए और हम यह कह रहे हैं कि यदि किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया ही जाना है तो हमें पहले यह पता होना चाहिए कि उस उद्योग को उभारा जा सकता है । उसका राष्ट्रीकरण करना तभी ठीक रहेगा । अन्यथा, उसका प्रबन्ध अपने हाथ लेने और कर दाताओं के धन को किसी अन्य व्यक्ति को देने और उसके बाद यह देखने कि उद्योग चल नहीं पा रहा है, इससे तो श्रमिकों को कोई लाभ मिलता है और न ही उद्योग को कोई सहायता पहुंचती है । दो वक्तव्य दिये गये हैं, जिनमें से एक में कहा गया है कि उद्योग का राष्ट्रीयकरण करो और दूसरा है जूट उत्पादकों को सहायता दो । मेरा यह कहना है कि महाराष्ट्र में एक खरीद योजना चालू है । इसका स्वरूप एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण जैसा ही है । मैं आपकी सरकार से कुछ करने के लिए कह रहा हूं । हम भारतीय जूट निगम को वहां से जूट की खरीद करने से नहीं रोकेंगे । परन्तु क्या जूट उत्पादकों के प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व है या नहीं ? यह भी वही बात हुई । आपको इसमें इतने धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जितना कि राष्ट्रीयकरण के लिए चाहिए । आपको तो बस सरकारी समितियों, एक प्रणाली, इच्छा और कार्योद्देश्य की ईमानदारी की आवश्यकता है और यदि आप वैसा नहीं कर रहे हैं तो क्या आप उसी मुंह से राष्ट्रीयकरण की मांग कर सकते है ? क्या आप एक ही समय में दोगली बातें कर सकते हैं ? एक ओर तो आप उद्योग के राष्ट्रीय करण की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर कुछ कर भी नहीं रहे हैं वैसा कुछ जो कि किया जा सकता है, जैसा कि अन्य राज्यों में किया गया है । आप उस प्रकार का रवैया कैसे अपना सकते हैं ? अतः यह एक परिपाटी हो गई है कि उत्तरदायित्व को किसी और के गले मढ़ दो । हमारी उसमें रुचि नहीं है । मैं आरम्भ में ही कह चुका हूं : और उसे अब फिर दोहरा देता हूं अपना उत्तरदायित्व हम अपने कन्धों पर उठाएं, आप अपना उत्तरदायित्व अपने कन्धों पर उठाओ । इकट्ठे होकर हम समस्या को निपटा सकते हैं । परन्तु यदि आप मुकरते हैं और यदि आप कुछ नहीं करते हैं और दूसरों को ही दोष देते रहते हैं तो ठीक है, आपने जो आरोप लगाए हैं हम उनका उत्तर देंगे, परन्तु समस्याएं तो वैसी ही रहेंगी । आपके यहां स्थानीय सरकार है,

आपका उत्तरदायित्व है और आपके पास तन्त्र भी हैं, आप यह सब कर सकते हैं। केवल इस प्रकार के कामों के लिए ही स्थानीय, राज्य सरकारें होती हैं आपको वह सब करना चाहिए।

यदि आप यह चाहते हैं कि मैं गांव-गांव जाकर जूट एकत्र करूं, खरीदूं तो यह तो संभव नहीं है इस काम के लिए तो मैं केवल अधिकारियों की नियुक्ति ही कर सकता हूं। परन्तु आपके पास गांवों में अधिकारी हैं, आप क्रय कर सकते हैं और इस उद्देश्यार्थ आप कारी करों को घटा सकते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं ? मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपसे निवेदन, अपील कर रहा हूं। वैसा कुछ करिए और समस्या हल हो जायेगी। (व्यवधान)

माननीय सदस्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के बारे में जानना चाहते थे। मैंने संक्षेप में उन नियमों का वर्णन किया है। पालन किया जाता है। जहां कहीं जिनका आमतौर से यह आवश्यक होता है, यह किया जाता है परन्तु जहां आवश्यक नहीं होता है वहां नहीं किया जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सभापति महोदय, यह मामला एक बहुत ही गम्भीर मामला है, जिसमें मैं किसी प्रकार का छिछोरापन लाना नहीं चाहता हूं विशेषकर जबकि यह पश्चिम-बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और आन्ध्र-प्रदेश के कुछेक लाखों लोगों के जीवन और रोजी-रोटी को प्रभावित करता है। मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के अतिरिक्त तथा जूट व्यापार से सम्बद्ध लाखों ही लोगों के अतिरिक्त लाखों किसान परिवार जीवनयापन हेतु इस उद्योग पर निर्भर करते हैं और संयोगवश मिलों में काम करने वाले सभी श्रमिक पश्चिम बंगाल के नहीं हैं, पश्चिम बंगाल की तो एक बहुत ही छोटी ही संख्या है, शेष बिहार, उत्तर प्रदेश उड़ीसा आदि के हैं। कृपया इन बातों को भी ध्यान में रखिये।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मान लो बहुसंख्या पश्चिम-बंगाल की है तो इसमें कोई खराबी नहीं है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : रेड्डी महोदय, यदि मैं कहूं तो आपका दिमाग कुत्ते की पूंछ की तरह है यदि आप खींचें तो यह फिर से टेढ़ी हो जाती है और सीधी नहीं रह सकती है। कृपया इस प्रकार की छछोरी बातें करने का प्रयास न कीजिए। मैं आपको छिछोरा देखना पसन्द नहीं करता। यह एक गम्भीर मामला है। मैं तो यह सोचता था कि मन्त्री महोदय वाणिज्य मन्त्री होने के नाते और 5,600 करोड़ रुपये का व्यापार घाटा होते हुए शायद इस वर्ष उससे भी अधिक हो, उन्हें विदेशी मुद्रा कमाने वाले इस उद्योग के प्रति और अधिक चिन्तित होना चाहिए। उन्हें स्वयं अपने ही मन्त्रालय में इस संकट का सामना करना पड़ रहा है और स्पष्टतया वह इसे हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक भारी समस्या है जिसके साथ अनेकानेक अन्तर्राष्ट्रीय कारण जुड़े हैं। जिस उद्योग को किसी समय हमारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला मुख्य उद्योग होने का गौरव प्राप्त था, उसी जूट उद्योग को अब स्पष्टतया एक ऐसी अवस्था तक गिरा दिया गया

है जहां कि मन्त्री महोदय यह अनुभव करते हैं —ऐसा उन्होंने अधिक शब्दों में नहीं कहा है—और उनकी बातों से मुझे ऐसा ही लगा है कि इस उद्योग का कोई भविष्य ही नहीं है । हम उस उद्योग के राष्ट्रीकरण में ही क्यों पैसा लगाये जिसका पुनरुद्धार नहीं हो सकता । उन्होंने यही कहा कहा था । यदि मैंने उन्हें गलत समझा है तो कृपया फिर से स्पष्ट कीजिए । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ही उन्हें यह विश्वास है कि इस उद्योग का कोई भविष्य नहीं है ? उन्हें यह इस सदन को बताना चाहिए । कल यह समाचार-पत्रों में छा जायेंगे । मैं नहीं जानता कि भारतीय जूट मिल संघ के उनके मित्र कैसा अनुभव करते हैं और कलकत्ता में इसके प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? यदि उनका विश्वास है कि इस उद्योग का काई भविष्य नहीं है तो फिर वह मिल मालिकों को कुछ अधिक धनराशि, भारी धनराशि देने को क्यों तैयार हैं ? वह पहले ही यहां कह चुके हैं :—

"जूट उद्योग ने अपनी कार्यकारी पूंजीगत समस्याओं तथा दीर्घकालिक स्वरूप की वित्तीय सहायता के बारे में भी अभ्यावेदन दिया है ।"

वे उन पर विचार करने जा रहे हैं । उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि वे अपनी आवश्यकताएं पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं । उनके कनिष्ठ मन्त्री महोदय श्री संगमा ने पांच दिन पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देते समय 9 जुलाई को कहा था—

"केन्द्रीय वित्त मन्त्री और पश्चिम-बंगाल के मुख्य मन्त्री 1. 7. 1982 को सम्बद्ध अधिकारियों और भारतीय जूट मिल संघ के प्रतिनिधियों से मिले थे । इस बैठक के अनुसरण में भारतीय जूट मिल्स संघ को अपनी आवश्यकता के अनुरूप वित्तीय सहायता की प्रकृति और सीमा के बारे में एक विस्तृत ज्ञापन देना होगा ।"

तो क्या वे पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं या उनसे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, यह तो मैं नहीं जानता हूं । इसमे यहां कुछ कुछ दो विरोधाभासी बातें कही गई हैं । कुछ भी हो जहां तक ऐसे उद्योग का सम्बन्ध है, ऐसे उद्योग के लिए जिसका कायाकल्प नहीं हो सकता है, जिसके लिए आप राजकोष से धन बर्बाद करने के लिए नहीं दे सकते हैं, जब कि इसकी कहीं अधिक महत्व पूर्ण कामों के लिए आवश्यकता है और यदि हमारी चिन्ता उनसे यही पूछना है कि कृपया हमें यह बताइये कि अपनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए आपको कितनी वित्तीय सहायता चाहिए आदि-आदि और सरकार उनको सहायता देगी । मैं जानता हूं कि सरकार उनको सहायता देगी । वह गत वर्षों में भी उनको सहायता देती रही है । गत वर्ष एक धोखाधड़ी ने की बात हो गई थी जिसका कि मेरे सहयोगियों ने उल्लेख किया है । यह केवल उस 92 करोड़ की धनराशि की ही बात नहीं है, जो उन्हें कच्चा-जूट खरीदने के नाम पर गत वर्ष दिया गया था: उनका कहना था कि उनके पास नकद पूंजी नहीं है । अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें 2 करोड़ रुपए का ऋण दिया परन्तु वे संतुष्ट नहीं थे । कुछ थोड़ा

सा अधिक दबाव पड़ने पर उनके पूर्ववर्ती ने उन्हें 27 करोड़ रुपये और दे दिए। इस प्रकार कच्चा पटसन खरीदने के लिए उनको राजकोष से कुल 119 करोड़ रुपए की राशि मिल गई और अब श्री प्रणव मुखर्जी और श्री ज्योतिर्मय बसु दोनों ने ही सार्वजनिक रूप में कहा है यह सभी समाचार-पत्रों में आ चुका है—कि इस धन का प्रयोग कच्चा-पटसन खरीदने के लिए नहीं किया गया है। इसको किसी और ही काम में लगाया गया था। (व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इन अपराधियों का क्या करना चाहते हैं। क्या आप किसी को राजकोष के साथ धोखाधड़ी करने और एक सौ करोड़ लेकर हजम कर जाने देंगे? वे अपराधी हैं। उनको इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। आप उस धन को वसूल नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूं कि आप वह धन मुझे नहीं दे सकते हैं। परन्तु आप उसे वसूल नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें दण्डित भी नहीं कर सकते है। (व्यवधान)

मैं यह आशा नहीं करता कि आप मुझसे सहमत हों या मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दें, परन्तु आप कम से कम जो कुछ मैं कह रहा हूं उस पर गौर तो करें। मुझे यह कहने दीजिए कि इस उद्योग का यह इतिहास रहा है कि यह सरकार और भूतपूर्व सरकारें भी, जो कुछ कहानियां मन्दी और संकट आदि की ये मिल मालिक गढ़ते रहे हैं, वैसा ही वे मानती रही हैं। मैं इससे सम्बद्ध रहा हूं, इस उद्योग के लिए कुछ करने और कम से कम इसके श्रमिकों के लिए गत चालीस वर्ष सलग्न हूं। मैंने 194 -42 में इस उद्योग में एक मजदूर नेता के रूप में अपना जीवन आरंभ किया था। मैं उन पटसन क्षेत्रों में रहा हूं और मुझे उसके बारे में कुछ ज्ञान है। मैंने संकट, मन्दी बाजार की कठिनाइयों आदि के अलावा भारतीय पटसन मिल संघ के लोगों से और कुछ नहीं सुना है।

अब मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है :

> "कृत्रिम वैकल्पिक वस्तुओं और अन्य प्रमुख माल उत्पादक देशों से प्रतियोगिता के कारण एक बड़े ही दु:खद ढंग से हमारे पटसन के माल की मांग हाल के महीनों में विदेशों में घट गई है।"

क्या यह सत्य है? मेरा केवल उनसे विनम्र निवेदन है कि जब वह यहां से वापस जाएं तो वह सरकारी आंकड़ों को देखें और अपने आपको इस बात से संतुष्ट करें कि क्या यह सत्य है या यह केवल प्रचार मात्र किया जा रहा है। मांग में कुछ गिरावट आई है और अमरीका की मण्डियों में मन्दी आई है। मैं मानता हूं कि वह सत्य है। कई वर्षों से हम कहते आ रहे हैं "केवल एक ही बाजार पर इतना निर्भर न कीजिए, जिस पर आपका नियन्त्रण नहीं है अमरीका के उस बाजार पर बहुत अधिक निर्भर न कीजिए। मामलों कि अमरीका में सकट आता है या मन्दी आती है तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अत: आप विविध बाजार ढूंढने का प्रयास करें।" वे ऐसा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यह एक ऐसा बाजार था जहां उन्हें भारी मुनाफा मिल रहा था और वे पूर्णतया अमरीका के बाजारों पर निर्भर थे।

आज क्या हुआ है ? वहां उसमें गिरावट आई है । वे गलीचा-अस्तर-वस्त्र लेते थे जिसकी उन्हें मुख्यतया असम क्षेत्र में आवास परियोजनाओं फर्नीचर आटोमोबाइल उद्योग आदि के लिए आवश्यकता पड़ती थी । निस्संदेह, राष्ट्रपति रीगन के मानस में और भी विचार थे उनकी रुचि अधिकतर राकेटों और प्रक्षेपास्त्रों, सुपर बम्ब कर्षको आदि में है । अतः आवास परियोजनाओं और मोटर उद्योग पर खर्च की जाने वाली राशि में कटौती कर दी गई है । अमरीका संकट में है । सभी को इसका पता है । जिस बात की हमने वर्षों पूर्व चेतावनी दी थी यह अब सामने आ रही है ।

गलीचा अस्तर-वस्त्र के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । इस बात से मैं इन्कार नहीं करता । अमरीका को हमारे पटसन के माल निर्यात 1979-80 के 87,900 टन से घटकर 1980-81 में 74,000 टन हो गया है । मैं इससे सहमत हूं । अन्य सभी जगहों पर क्या हुआ है ? बहुत से आंकड़े प्रस्तुत करके मैं सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं । ब्रिटेन में, शेष पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ में, अफ्रीका में, शेष पूर्वी यूरोप में पटसन के माल के उपभोग में नाटकीय वृद्धि हुई है और हमारे यहां से विश्व के विभिन्न भागों में पटसन बनी वस्तुओं का निर्यात 12,000 टन से 17,000 टन, 29,000 टन से 78,000 टन 1,02,000 टन से 2,17,000 23,000 टन से 34,000 टन 1,000 टन से 34,000 टन हो गया है । केवल संयन्त्र राज्य अमरीका में पटसन से बनी वस्तुओं की खपत में कमी हुई है । आन्तरिक खपत 5,6,700 टन से बढ़कर, 9,8,400 टन हो गई कुल मिलाकर यदि आप अमरीका सहित समस्त निर्यात को लें तो 1979-80 में 3,7,00 टन का निर्यात किया गया और 1980-81 में वह 5,57,000 टन तक पहुंच गया ।

अमरीका के बाजार में 10,000 टन से 15,000 टन तक मांग कम हुई है । मैं उससे इन्कार नहीं करता । परन्तु क्या यह उस भयानक संकट, ऐसी मन्दी, ऐसे विनाश की सही तस्वीर है जिसका कि इस उद्योग को सामना करना पड़ रहा है कि न केवल 17 मिलों को बन्द करना और सरकार से यह भी मांग करना कि उन्हें सभी मिलों को प्रतिमास एक सप्ताह तक बिल्कुल बन्द रखने की अनुमति दी जाए, उचित है । भगवान का शुक्र है कि सरकार ने यह बात नहीं मानी । मेरे विचार से उनकी यह मांग अनुचित है ।

अब उन्होंने यह कहकर कि 6 बजे सांय से लेकर 10 बजे रात तक कोई मिल कार्य नहीं करेगी, स्पष्टतया बिजली की बचत करने और गैर-कानूनी रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम के खण्ड 2 (धारा के) अधीन श्रमिकों को उनके वेतन से वंचित करने के लिए उन्होंने अब प्रतिदिन चार घण्टे उत्पादन बन्द करने का निर्णय लिया है । सम्भवतः मन्त्री महोदय को इस अधिनियम की अधिक जानकारी नहीं है । वे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो पूर्णतया गैर-कानूनी हैं । उन्हें श्रमिकों को चार घण्टे की पूरी मजदूरी देनी पड़ती है । मुझे पता है कि वह कहेंगे "इसमें राज्य सरकारें कुछ क्यों नहीं करती हैं ? हम करेंगे, चिन्ता न कीजिए । वह तो होगा ।

परन्तु महोदय, जैसा कि आप और हम जानते हैं, मैं कहूंगा कि जबकि तालाबन्दी के विनियम के बारे में मैंने आप ही से सुना है कि इसे विधि बार घोषित कर दिया गया है औद्योगिक विवाद अधिनियम में कुछ पबन्ध है कि आप सरकार को सूचित किए बिना तालाबन्दी नहीं कर सकते हैं: तालाबन्दी के बारे में ऐसा नियामक उपबन्ध नहीं है। वे निरन्तर कहते आ रहे हैं कि अधिनियम तो हैं ही, शक्तियां भी हैं। वह कहते हैं, "आपकी सरकार कुछ क्यों नहीं करती है? मैं कहता हूं कि कृपया घर जाइये और सावधानीपूर्वक औद्योगिक विवाद अधिनियम को पढ़िए और कल हमें बताइये कि अधिनियम के किस उपबन्ध के अधीन—यह एक केन्द्रीय अधिनियम है जिसे संसद ने यहां पारित किया है इस अधिनियम के अधीन इस तालाबन्दी को समाप्त करने के लिए शक्तियां प्राप्त करने की कोई सम्भावना है।

उसको सावधानीपूर्वक तथा बड़ी कुशलता से छोड़ दिया गया है। इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

सभापति महोदय : जबरी छुट्टी सम्बन्धी उपबन्ध को भी न्यायालय में चुनौती दी जा रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपने भाषण को शीघ्र ही समाप्त करना चाहता हूं। मैंने निर्यात आंकड़ों का उल्लेख किया है जिनमें अमेरिका को छोड़कर अन्य सभी जगह वृद्धि हो रही है।

मैं एक उदाहरण देता हूं क्या मन्त्री जी को इस बात का पता है कि अभी हाल ही में एक सरकारी शिष्ट मण्डल आस्ट्रेलिया तथा जापान गया जिसने वहां के बाजार में जूट की वस्तुओं का सर्वेक्षण करना था? इसमें इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन के सभापति जूट कमिश्नर तथा जूट फैबरिकस शियर्स एसोसियेशन के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इनमें कोई भी व्यक्ति विपक्षी दलों का नहीं था। वे आस्ट्रेलिया तथा जापान से वापस आ गए हैं तथा उन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वहां पर हमारे जूट की वस्तुओं की मांग कम हो रही है। उसके अनुसार इसके तीन कारण हैं।

पहला कारण भारतीय जहाज नाविकों के बीच भारी स्पर्धा है। आप वाणिज्य मन्त्री है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ भी विनियमित नहीं कर सकते।

दूसरी बात यह है कि सप्लाई नियमित रूप से नहीं की जाती है। वे वस्तुओं की समय पर उचित ढंग से सप्लाई नहीं करते हैं।

तीसरी बात यह है कि निम्न स्तर की वस्तुओं की सप्लाई की जाती है। वस्तुओं की किस्म का नियन्त्रण नहीं किया जाता है। वस्तुओं का जहाज में लदान करने से पूर्व निरीक्षण नहीं किया जाता है।

यह मेरी नहीं उनकी रिपोर्ट है।

सभापति महोदय : क्या सदन की इच्छा है कि हम कार्यवाही 6 बजे के बाद भी जारी रखें ?

कई माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस विषय पर पांच बजे चर्चा करने के कारण हमको कुछ और समय दिया जाना चाहिए। यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है।

सभापति महोदय : गुप्ता जी ठीक है।

प्रो एन० जी० रंगा : कितनी देर तक ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती अपने जीवन में कम से कम एक अच्छा भाषण तो सुनिये।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आस्ट्रेलिया तथा जापान के बारे में सरकारी शिष्ट मण्डल ने कहा है कि यह एक ऐसा उदाहरण है जिसके द्वारा भी अपना बाजार समाप्त किया जा सकता है।

मन्त्रालय के सचिव, श्री ए० के दत्त को अभी हाल ही में इण्डियन जूट मिल एसोसियेशन की वार्षिक बैठक को सम्बोधित करने के लिए कलकत्ता भेजा गया है।

मुझे यह जानकर खुशी है कि इस बैठक का भी प्रकार महत्व कम कर दिया गया है। मुझे याद है कि इस वर्ष बैठक को सम्बोधित करने वित्त मन्त्री अथवा वाणिज्य मन्त्री जाया करते थे। एक बार प्रधान मन्त्री जी भी गये थे।

शुक्र यह है कि इस बार मन्त्रालय के सचिव वहां गये। अपनी टिप्पणियों में उन्होंने जो कुछ कहा वह सभी समाचार पत्रों में श्री दत्त ने कहा :

> "खुशी की बात यह है कि अमेरिका में भारतीय गलीचे के पेकिंग कपड़े की मांग में बढ़ोतरी हुई है जो इस वर्ष 1982 के अन्त तक पूरी तरह से प्रतिलक्षित होनी चाहिये।
>
> शायद संकट का यह अन्तिम चरण जो अभी समाप्ति पर है तथा उद्योग में आने वाले महीनों में धीरे-धीरे उत्पाद बढ़ने लगेगा।"

इसके अलावा श्री दत्त ने बड़े ही तर्कसंगत ढंग से भी मैं अब उनको उद्धृत नहीं करूंगा दीर्घ कालीन योजना की आवश्यकता पर कई बार नोट दिया। क्या आप यह समझते हैं कि 'आई

जे० एम० ए०' दीर्घ काल योजना को कियान्वित करने के लिए सक्षम है ? आप स्वयं ही यह कहते हैं कि उन्होंने आधुनिकी करण अथवा विविधी करण की आवश्यकता के प्रति कोई रुचि नहीं दिखलाई यह बात कोई नई नहीं है, यह बहुत से वर्षों से जारी है। वे दीर्घ-कालीन योजना के पक्ष में नहीं है। इसमें बिरला, गोयंका बांगुर कनोड़िया, मेहता तथा बाजोरिया आदि काम हैं ये सट्टेबाज लोग हैं और उन्हें इन मिलों की स्थिति खराब होने की चिन्ता नहीं है।

और आपको सचिव कलकत्ता में उनको दीर्घ-काल योजना बनाने के लिए भाषण दे रहे है।

हम राष्ट्रीयकरण के लिये इसलिये कह रहे हैं क्योंकि केवल राज्य नियत्रंण के अधीन ही इस दीर्घ-कालीन योजना को लागू किया जा सकता है। जो इस उद्योग के दीर्घ-कालीन विकास के लिए आवश्यक है।

आप इसको इन लोगों पर छोड़ देते हैं। उनको प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। जूट खरीदने के लिए उनको धन दिया जाता है, जिसे वे नहीं खरीदते तथा आपको धोखा देते हैं।

आप इस उद्योग को कैसे बचा सकते हैं ? 'आपसे' मेरा तात्पर्य सरकार से है। क्या आप हमें वास्तव में यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस उद्योग में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। और यदि यह समाप्त भी हो जाता है तो आपको कोई चिन्ता नहीं होगी ?

मैं अधिक समय नही लेना चाहूंगा क्योंकि मेरे दूसरे साथियों ने बहुत सी बातों का जिक्र किया है। मैं केवल यह चाहता हूं··· ··

सभापति महोदय : प्रश्न पूरा कीजिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं उनके प्रमुख प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस उद्योग की सफलता में विश्वास रखते हैं अथवा नहीं।

दूसरी बात जो उन्होंने कही है वह कच्चे जूट के बारे में है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि जो कुछ किया जा चुका है उससे अधिक किया जा सकता है तथा किया जाना चाहिये मैं स्वयं भी यह महसूस करता हूं कि हमारा भी अर्थात ट्रेड यूनियनों, कृषकों, संगठनों तथा राज्य सरकार का भी निश्चय रूप से कुछ दायित्व होता है। यह कहा जाता है कि भारतीय जूट निगम स्थिति से निपटने की स्थिति में कभी भी नहीं होगा। यह बात स्पष्ट है। हम इसके कार्य को बहुत से वर्षों से दे रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि सहकारी समितियों आदि को इसके साथ सम्मिलित करने की आवश्यकता है। लेकिन आप जानते ही हैं कि सम्पूर्ण पूर्वी भारत में सहकारी आन्दोलन की क्या स्थिति है। इसके कारण भी मौजूद हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि मै उन कारणों को बताऊं ? महाराष्ट्र गुजरात, तथा तमिलनाडु में सहकारी आन्दोलत प्रगति पर क्यों है

जबकि सम्पूर्ण पूर्वी राज्यों में यह पिछड़ा हुआ है ? इसके भी कुछ कारण हैं। क्या यह लोगों के स्वभाव पर निर्भर है ? आपको इस सम्बन्ध कुछ सहानुभूति से काम लेना चाहिये। मान लीजियें हम इस प्रकार की सहकारी समितियों का गठन करते हैं, इसके लिए हमको वित्तीय संशोधनों की आवश्यकता होगी। जिसको कि आई० जे० एम० ए० आपसे आसानी से प्राप्त कर लेता है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हम देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 'हम देंगे' से आपका क्या तात्पर्य है ? कृपया सदन में एक वक्तव्य दीजिये।

इस वक्तव्य में आपने यह स्वीकार किया है कि इन लोगों के बाजार में लगभग उपस्थित न होने के कारण मूल्यों को स्थिर नहीं रखा जा सकता। अपने वक्तव्य में ऐसा ही कहा है। वे जानबूझ कर बाजार में नहीं जाते हैं तथा मूल्यों में गिरावट लाने को बाध्य करते हैं। ऐसा वे प्रत्येक वर्ष करते हैं। जूट का मालिक निर्धन कृषक इतना निर्धन होता है कि वह अपने माल को अपने पास रखने की स्थिति में नहीं होता है। अब उनका जूट तैयार हो जाता है तो वह तुरन्त ही अपने माल को जिस मूल्य पर भी बिकता है बेच देता है। वह इसको अपने पास नहीं रख सकता। अतः हमारा यह पक्का विश्वास है तथा मैं उनसे अब यह पूछता हूं कि क्या आप महाराष्ट्र को कुछ समय के लियें भूल जाइये यदि उन्होंने कुछ कार्य किया है; तो यह बहुत अच्छा है महाराष्ट्र को इसका श्रेय जाता है कच्चे जूट के व्यापार के सम्पूर्ण विषय पर विचार करने को तैयार है। ताकि इनको इन मुनाफाखोरों मध्यस्थों व्यापारियों आदि के हाथों से बचाया जा सके तथा उत्पादन में विविधता लाने के लिये इन मिलों को आवश्यक ढंग से चलाया जा सके। तीसरे निर्यात बाजार अनुसंधान आदि पर भी विचार किया जा सके। यदि वे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाहते हैं, तो वाणिज्य मन्त्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिये।

यदि ये तीनों क्षेत्रों की निजी क्षेत्र में रहने दिया जाता है तो इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपको इस सम्बन्ध मे पर्याप्त अनुभव प्राप्त है। जूट व्यापार निजी क्षेत्र में है, मिलें निजी क्षेत्र में हैं तथा निर्यात व्यापार भी निजी क्षेत्रों में है। इससे बदतर स्थिति जो आपने उत्पन्न की है वह यह है। पांच अथवा छः जूट मिलों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा अभी हाल ही में कलकत्ता में हमें यह अश्वासन दिया गया था कि वे राष्ट्रीयकृत जूट मिलें जो एन० जे० एम० सी० के अन्तर्गत थी उनको अपनी सदस्यता समाप्त करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने अपनी सदस्यता समाप्त कर ली है तथा इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन में सम्मिलित हो गई है। श्री प्रणव मुखर्जी ने बताया कि वह इस ओर ध्यान देंगे कि वे इण्डियन जूट मिल एसोसियेशन से कोई सम्बन्ध न रखे। तथा इस ओर भी ध्यान दिया जायेगा कि वे उत्पादन तथा कच्चे जूट की खरीद आदि के सम्बन्ध में इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन की नीतियों का अनुसरण न करें। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि मिलों के संचालन को 6 बजे म० प० से० 10 बजे न० प० तक चार घंटों तक बन्द करने के इस समस्त कार्य में तथा

कच्चे जूट को खरीदने के तरीके आदि के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत मिलें पूर्णतः इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन के कार्यों के सिवाय कुछ भी नहीं कर रही है तथा पूर्णतः उसके पद चिन्हों पर ही चल रही है। ऐसा क्यों किया गया है? जब अपने पांच अथवा छः मिलों का राष्ट्रीयकरण किया था, तब हमने इसका स्वागत किया था। लेकिन इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र का ही दूसरा रूप नहीं होना चाहियें। इनको जनता को यह प्रदर्शित करना चाहिये कि कुछ भिन्न नीति अपनाना तथा कुछ भिन्न तरीके से कार्य करना भी संभव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में जिसमें कि केवल पांच अथवा छः मिलें सम्मिलित हैं आप कम से कम यह प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे कि आप कुछ भिन्न परिपेक्ष्य के साथ कुछ भिन्न नीति अपनाने के लिए भी सक्षम हैं। इसके लिए कामगारों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये तथा इस ओर ध्यान दिया जाये कि जूट के मालिक कृषकों को जूट का उचित मूल्य दिया जाये, जिसको कि आप राष्ट्रीयकृत मिलों के लिये खरीदते हैं। यह प्रश्न केवल राष्ट्रीयकरण के नाम का ही नहीं है। यदि इस उद्योग का कोई भविष्य नही हैं, तो ठीक है। यदि ऐसा है, तो कृपया कहिये। हमें घर जाने दीजिये तथा आराम करने दीजिये।

क्या आप में ऐसा कहने का साहस है? यदि आप यह महसूस करते हैं कि इस उद्योग का कुछ भविष्य है तो ऐसी स्थिति में यदि कच्चे जूट से लेकर तैयार माल को बाजार में भेजने तक का कार्य यदि निजी लोगों के हाथों में रहता है तो यह उद्योग कभी भी पनप नहीं सकता। क्योंकि उनका कार्य केवल धन कमाना है। इसी कारण से हम इसके राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय इस विषय को सदन में इस समय इसलिए उठाया गया क्योंकि इसी विषय पर राज्य सभा में भी चर्चा की गई है। दोनों ही सदनों में इस विषय पर एक ही समय पर चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि यहां पर सदन में पूछे गये प्रश्नों का मैं उत्तर देना चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम इसके लिये आप को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह मैंने माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये एक मुद्दे के उत्तर में कहा है। मेरे विचार से हो सकता है कि माननीय सदन कुछ थके हुए हों लेकिन यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, वे सदन में बैठ सकते हैं तथा इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हम पूरी रात्रि तक बैठने के लिये तैयार है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय क्या बीच-बीच में व्यवधान न करने की कृपया की जायेगी?

सभापति महोदय : कृपया उनको भविष्य में व्यवधान न डालें ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : कोई भी माननीय सदस्य मुझसे संसद से बाहर बातचीत कर सकता है। महोदय, हम इस पर निरर्थक रूप से विचार नहीं कर रहे हैं । हम इस पर बड़े ही सद्भाव से चर्चा कर रहे हैं । लेकिन यदि आपको कोई बात असचिकर तथा निरर्थक लगती है। तो इस सम्बन्ध में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं ।

महोदय, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि इस उद्योग का सुधार नहीं हो सकता ? मैंने ऐसा नहीं कहा है । हम अपनी ओर से अपूर्णनिष्ठा से कार्य करेंगे और आप भी अपना सहयोग दें । मैं ऐसा ही कहता रहा हूं । पहले लगभग 60 से 65 मिलें कार्य कर रही थीं । इनमें से 17 मिलें बन्द पड़ी हुई हैं । तथाये । कार्य नहीं कर रही हैं जबकि अन्य कार्य कर रही हैं हमारे पास अन्य योजनायें भी हैं तथा उस मुद्दे पर मैं बाद में आऊंगा । हम इन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं । लेकिन इसके साथ ही उद्योग के कम से कम एक वर्ग द्वारा जिन कठिनाईयों का सामना किया जा रहा है, उनको संभालने की भी जरूरत है । और उस मुद्दे पर हम यथार्थवादी होने का प्रयास कर रहे हैं ।

महोदय, वर्ष 1981 में पश्चिमी बंगाल में पांच इकाइयों तथा बिहार में एक इकाई का राष्ट्रीयकरण किया गया । ऐसा नहीं है कि हम उनकी कठिनाइयों से खिलवाड़ कर रहे हों अथवा हम कामगारों की कठिनाइयों आदि को ध्यान में नहीं रख रहे हैं । यदि यह बात होती तो हम 1981 में राष्ट्रीयकरण नहीं करते । लेकिन यदि आप यह चाहते हैं कि बिना कोई विचार किए ही हम राष्ट्रीयकरण कर दें, चाहे उस मिल का पुनरुद्धार किया जा सके अथवा नहीं चाहे वह चल पाये अथवा नहीं और चाहे वह रोजगार उपलब्ध कराये अथवा नहीं तो वह अच्छी बात नहीं होगी यदि मैं दोबारा महाराष्ट्र राज्य का उल्लेख करता हूं तो कृपया मुझे इसके लिए क्षमा करें । मैं महाराष्ट्र से आता हूं लेकिन मैं इसी वजह से ही उसकी बात नहीं कर रहा हूं । वहां पर कुछ किया गया है इसलिए मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं । मैं केवल यह स्पष्ट करने की चेष्ठा कर रहा हू कि यही कार्य देश के किसी अन्य भाग में भी किया जा सकता है यदि महाराष्ट्र सरकार आठ टेक्सटाइल मिलों का राष्ट्रीयकरण करके उनको चला सकती है तो पश्चिमी बंगाल की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती ? यदि महाराष्ट्रीय सरकार एक कपास वसली योजना लागू कर सकती है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते ?

अब वे सारी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं । ऐसी मिलें भी हैं, जिनका राष्ट्रीयकरण किया, गया ऐसी भी हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं; और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली मिलें भी हैं । आपके लिए ऐसा करना क्यों सम्भव नहीं है? मेरा यह प्रश्न है । सिर्फ इसको ही करने का प्रश्न नहीं है लेकिन अन्य प्रश्न भी हैं ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (दक्षिण) : महाराष्ट्र सरकार को कितनी राशि आबंटित की गई है ? आप मुझे बतायें । श्रीमन, यह एक महत्वपूण मामला है ।

सभापति महोदय : आपको उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। श्री चक्रवर्ती, कृपया अपना स्थान लीजिए। इस प्रश्न को उनसे कोई अन्य माननीय सदस्य पूछ सकता है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जैसे कि पश्चिम बंगाल से आये मित्र जानते हैं, वे अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। मुझे आशा है कि अगर वे कुछ समय तक चुप रहेंगे तो वे आप उन पर गुस्सा नहीं होंगे।

श्रीमन, यह सिर्फ राष्ट्रीय का प्रश्न ही नहीं है। मैं इस बात पर इसलिए जोर डाल रहा हूं कि जब तक स्थानीय सरकार से कुछ सहायता नहीं मिलती तब तक यह बड़ा मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब तक पश्चिम बंगाल में कोई नियमित बाज़ार नहीं होता तो आप वैसे आशा कर सकते हैं कि बिना किसी को मौका दिये, जिससे वे कुछ गलत कर सके, भारतीय पटसन निगम सही तरीके से परसन खरीद सकता है। आपको पश्चिम बंगाल में नियन्त्रित बाजार बनाने के लिए कौन रोक सकता है? नियन्त्रित बाजार ऐसी प्रणाली है जिनमें उत्पादक अपना उत्पादन बाजार में ला सकता है और इसे वहां अधिकारियों के मार्गदर्शन और नियन्त्रण के अधीन बेचा जाता है और इसमें धोखा करने का कोई मौका नहीं होता। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि आपके यहां नियन्त्रित बाजार नहीं है और ये नियन्त्रित बाजार राज्य सरकार द्वारा ही स्थापित किये जाते हैं।

(व्यवधान)

नारों से समस्या हल नहीं होती है। यह तो पद्धति है जिससे समस्या का हल हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि हम कुछ करने को तैयार हैं लेकिन मैं यह कह रहा हूं जो कि स्थानीय करना है, स्थानीय सरकार द्वारा। अगर वहां कोई नियन्त्रित बाजार नहीं है और आप उसे स्थापित नहीं करते है तो क्या इसके लिए आप केन्द्रीय सरकार को दोष देंगे।

श्रीमन, राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उठाया गया है और वे कह रहे हैं कि हम मिल मालिकों को धन देते हैं। जब हम उन्हें कुछ पैसा कर्ज के रूप में देते हैं तो यह हमें वापिस मिल जाता है, लेकिन राष्ट्रीय करण का मतलब है, बजट से पैसा जाना। क्या उधार में पैसा देने और बजट से पैसा खर्च करने में कोई अन्तर नहीं है? इस पर ध्यान देना होगा।

श्रीमन, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने वस्त्र सचिव द्वारा कुछ बैठकों में भाग लेने का उल्लेख किया है। मुझे बताया गया है कि उन बैठकों में पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री भी शामिल थे। मुख्य मन्त्री द्वारा बैठकों में उपस्थित होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वस्त्र सचिव द्वारा इनमें शामिल होने पर एतराज क्यों······

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह कभी नहीं कहा कि यह गलत बात है। मैंने तो सिर्फ यही

उद्धृत किया था जो कुछ उन्होंने उस बैठक में कहा था और मैंने उसका स्वागत भी किया था।

श्री शिवराज वी० पाटिल : तब यह ठीक है, श्रीमन, एक माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि केन्द्रीय सरकार उत्पादन खरीदने के लिए क्या कदम उठा रही है। मैं कहना चाहूंगा कि :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत, पूर्ति और निपटान महा निदेशालय द्वारा बी-ट्विल वाली एक लाख गांठों की आपातकालिन खरीद और इतना ही माल राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाना है ताकि पटसन का कम स्टाक जमा हो।

(2) वर्तमान में सिमेंट की पैकिंग के लिए 90 प्रतिशत तक और 1-10-1982 से 100 प्रतिशत नये करों का उद्योग आवश्यक बनाना।

(3) अन्य विभागों को उर्वकों, चीनी और खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए कृत्रिम रेशे से बने बोरों की बजाय पटसन के बोरों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कहना।

(4) पूर्ति और निपटान वह महा निदेशालय द्वारा अप्रैल 1 जून 1982 में बी-ट्विल वाली एक लाख गांठों की लागत जमा खर्चे के भाव पर वसूली करना और इसे भारतीय पटसन निगम से कच्ची पटसन खरीदने के बाद सम्बन्धित करना। यह नवम्बर/दिसम्बर, 1981 में आपातकालिन खरीद की गई बी-ट्विल की एक लाख गांठों के अतिरिक्त हैं।

श्रीमन, यह ठोस कदम हमने उठाए हैं। समने यहीं पर बस नहीं कर दी है। इस उद्योग को संकट से उभारने के लिए हमने और योजनाएं बराई हैं। एक समित का गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। हम पर देखने की कोशिश कर रहे है कि क्या पटसन उपकर कोष की स्थापना की जा सकती है, जिसके कि उद्योग का आधुनिकीकरण किया जा सके और उद्योग का कार्याकल्प किया जा सके। ये लम्बे समय की योजनाएं हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि यह उद्योग एक खत्म होने वाला उद्योग है, ये उद्योग कभी फले फूलेगा नहीं और ऐसी ही अन्य बातें। ये उद्योग-वस्त्र और पटसन उद्योग दोनों ही इस देश में काफी अर्से से स्थापित किए गए थे ; उनकी मशीनें पुरानी पड़ गई हैं, यहां पर आधुनिक प्रणाली के साथ-साथ वे चल नहीं पाई हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाभ कमायें, अगर आप चाहते हैं कि ये उद्योग कार्यों में चले। अगर आप चाहते हैं कि मजदूरों को अधिक वेतन मिले, तो इसके लिए आवश्यक है कि उद्योग का आधुनिकीकरण किया किया जाय। इस ओर भी हम कुछ ठोस कदम उठा रहे है। जो कदम हम उठा रहे हैं, उन पर बाद में सदन में बताया जाएगा लेकिन अब भी हम चुप नहीं बैठे हैं। जब हम कुछ कदम उठा रहे हैं तो हम यह स्थानीय सरकार को भी कुछ कदम उठाने के लिए कह रहे हैं। कृपया इस बात को समझें। किसी पर केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं बनता। हमें यह देखना है कि समस्या का समाधान कैसे हो। असलीयत में हम समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। अगर

यह अपील भी आपको निरर्थक लगती है तो मुझे दुःख है। हमें इसे गम्भीरता से ले रहे हैं। हम इस सदन में और इस सदन द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को यह बताना चाहते है कि मुश्किलों हैं और इन्हें हल किया जाना है और यह तभी हल हो सकती है जब हम कोई ठोस कदम उठायें हम ये कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा दृष्टिकोण है।

मैं समझता हूं कि मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाये गए सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अगर कोई बात रह गई हो जिसका मैंने उत्तर नहीं दिया तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा।

उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, वे यह है। उन्होंने मेरे वक्तव्य के हवाले से यह बताने की कोशिश की है कि मैंने कहा है कि यह उद्योग खत्म हो रहा है, कुछ भी नहीं किया जा सकता, फिर भी हम पैसा दे रहे हैं।

यह हमारा विचार नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा है मेरे द्वारा रहे गए प्रत्येक शब्द को मेरे अभिन्न मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त देख व उनको जांच कर सकते हैं और उसके बाद वे किसी दूसरे नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा है। मेरा वक्तव्य के इस प्रकार का अभिप्राय नही निकाला जा सकता। मैंने कहा है कि मुश्किलें हैं। ये अल्पकालिक मुश्किलें हो सकती हैं। ये दिक्कतें एक या दो कारखानों की हो सकती है। सभी कारखानों की ये दिक्कतें पेश नहीं आ रही है। अगले वर्ष शायद ये मुश्किलें न आयें। मैंने तो यहां तक कहा था कि जो उद्योग आज घाटे में चल रहे हैं अगले वर्ष उनसे शायद फायदा हो और जब उनमें लाभ होना है तो उन्हें घाटा सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मजदूरों के हितों में उन्हें कारखानों को चालू रखना चाहिए। इस तरह का वक्तव्य मैंने दिया था।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री ए० के० राय : मेरा व्यवस्था का यह प्रश्न है कि…

श्री शिवराज पाटिल : आप स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री ए०के० राय : मैं बाधा नहीं डालना चाहता। मैं जानता हूं कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। अभी-अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने यह कभी भी नहीं कहा कि यह उद्योग खत्म हो रहा है और इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन उन्होंने शुरू में ही यह कहा है, हम सभी सुन

रहे थे। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अनजाने में या अन्य प्रकार से अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाला जा सकता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : (मवेलीकार) : किस नियम के अन्तर्गत वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ? (व्यवधान)

जवाब देते समय मन्त्री महोदय इसका ध्यान रखेंगे। आप इसे ध्यान में रखें। आप इसका बाद में उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने पहले ही निर्णय दे दिया है कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं तो सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि यह किस नियम के अन्तर्गत है...

सभापति महोदय : श्री कुरियन, आपको अपने आप आपको मुश्किल में डालने की आवश्यकता नहीं है। श्री कुरियन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए। श्री राय मैंने आपको बता दिया है कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो० पी० जे कुरियन : नियम नियम होना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप ठीक कहते है। नियम नियम होना चाहिए।

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन, मुझे याद नहीं कि मैंने इस प्रकार की कोई बात कही है। अगर ऐसा है, अगर मेरे कहे हुए किसी शब्द से ऐसा अर्थ निकलता है।

लेकिन मैं उनको इसके लिए धन्यवाद करता हूं। मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कभी कहा मुझे शक है कि मैंने ऐसा कहा था। यह मेरे मुंह से नहीं निकल सकता है। फिर भी मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। मैं इस बात पर बल दे रहा था कि हम निराशावादी नहीं है, लकिन साथ ही हमें बहुत ज्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए। हम उनकी असली समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुश्किलें अल्पकालिक हो सकती हैं। कुछ कारखानों में ये मुश्किलें एक वर्ष या इससे ज्यादा समय तक भी चल सकती हैं। लेकिन हमने कदम उठाए हैं और हमें यह देखना है कि और कौन से उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। हम इसके प्रति वचनबद्ध हैं।

सभापति महोदय : लेकिन आपने नहीं कहा है कि उद्योग को पुन: जीवित नहीं जा किया सकता।

श्री शिवराज बी० पाटिल : मैंने ऐसा नहीं कहा है।

सभापति महोदय : शायद ऐसा समझा गया हो।

श्री शिवराज बी० पाटिल : अगर कोई ऐसा समझता है तो, मैं क्या कर सकता हूं।

सभापति महोदय। अब श्री हन्नान मोल्लाह बोलेंगे।

उस शब्द को निकाला जा सकता है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : श्रीमन, जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है, मैं कहना चाहता हूं कि इनमें से पटसन की कुछ कारखानें काफी पुराने हैं और यह पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। पश्चिम बंगाल की अर्थ व्यवस्था और सारे राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था काफी हद तक इस उद्योग पर निर्भर है क्योंकि इससे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। लेकिन इस उद्योग की स्थिति क्या है ? श्रीमन, आप इसे जानते हैं। 1947 में पश्चिम बंगाल में 102 परसन की मिलें थीं, जिनमें 3, 0,000 मजदूर कार्य करते थे। अब इस उद्योग की स्थिति क्या है। एक-एक करके कारखानें बन्द होते गए और अब केवल 62 पटसन कारखानें रह गए हैं। इन 62 कारखानों में करीब 2, 0,000 मजदूर कार्य करते हैं। लेकिन इन कारखानों का उत्पादन क्या है ? 1947 से साढ़े 3 गुणा है। आज इस उद्योग की यह स्थिति है। हर वर्ष 2,3,4 या 5 कारखानें बन्द हो रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पटसन के 5 कारखाने हैं, जिनमें से दो तालाबन्दी और बन्द होने की बजह से बन्द हैं। एक है प्रेम चन्द पटसन मिल जो कि पिछले पांच वर्ष से तालाबन्दी के कारण बन्द हैं और अब यह बिल्कुल बन्द हो गया है। 200 से अधिक मजदूर भूखों मर गए हैं। मैं कह सकता हूं कि पहले ही 200 मजदूर भूख से मर गए हैं। कारखानों का मालिक जो कि सट्टेबाज है, न कि उद्योगपति, एक अन्य कारखाने-श्रीराम पटसन मिल का भी मालिक है। वे भी बन्द पड़ी हैं और उससे काला धन कमा रहा है और वह मजदूरों को भविष्य निधि और अन्य देनदारियां नहीं अदा कर रहा है। पिछले पांच वर्ष से इस पटसन मिल के मजदूरों को उनकी बकाया राशि नहीं दी जा रही है। वे भूखों मर रहे हैं। एक अन्य पटसन मिल नस्कर पाडा, प्रत्येक वर्ष या दो या तीन वर्षों में यह बन्द हो जाती थी, फिर खुल जाती थी। लेकिन अब यह हमेशा के लिए आत्म हत्या ली है। ताकि सभी पटसन मिलों में जो कि बन्द होने वाली है उनमें यही स्थिति है। जब मजदूरों की यह दशा है कि वे या तो भूखें हैं या भूख से मर रहे हैं, तो इस पर सरकार का रवैया क्या है ?

माननीय मन्त्री के प्रारम्भिक बयान तथा भाषण को देखकर हमें बहुत दुःख हुआ। उनकी मजदूरों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है और उन्होंने केवल मजदूरों के मुद्दे को राजनैतिक

रंग देने का प्रयत्न किया है उसमें यह इशारा भी नहीं किया कि इस कठिनाई से किस प्रकार मुक्ति पायी जा सकती है और किस प्रकार से इस समस्या का समाधान हो सकता है। इससे भी हमें बहुत दुख हुआ और मैं दुख के साथ कहता हूं कि इस विवरण में इन पांच छः जूट सामन्तों की आवाज ही है। मुझे नहीं पता कि मन्त्री इन पांच छः अपराधियों का पक्ष क्यों ले रहे हैं जो लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं देश को लूट रहे हैं। और देश को धोखा दे रहे हैं। वे आधुनिकीकरण आदि की आवश्यकताओं के प्रति जागरुक नहीं हैं। क्यों? वे जूट उद्योग से प्राप्त पूंजी तथा लाभों को पश्चिमी बंगाल से बाहर दूसरे उद्योगों स्थान्तरित कर रहे हैं। इस प्रकार की सभी बातें चल रही है। वे भारी मुनाफा कमा रहे हैं वे इससे मजदूरों की कीमत पर फालतू धन कमा रहे हैं। आज पटसन उद्योग की यह हालत है।

मैं दूसरे पटसन मिल यानि लुडलों पटसन मिल के बारे में जिक्र करना चाहूंगी जिसके सम्बन्ध में एक गलत बयान दिया गया मजदूरों पर हिंसा तथा अनुशासन हीनता के आरोप लगाये गए हैं इस सरकार की यही प्रकृति है कि वे मजदूरों पर बिना किसी गलती के आरोप लगाती है और सामन्तों व मिल मालिकों को बचाती है वह मजदूरों की बात कर रहे हैं बम्बई में सूती-वस्त्र उद्योग के मजदूर छः महीनों से हड़ताल पर हैं परन्तु सरकार ने उनके प्रति कोई सहानुभूति प्रकट नहीं की वह जूट सामन्तों, इन अपराधियों के प्रति सहानुभूति रखती हैं। जूट उद्योग की यह स्थिति है यद्यपि मैं जूट उद्योग की बहुत सी बातें बता सकता हूं परन्तु मैं और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, और केवल कुछ विशेष प्रश्न पूछना चाहूंगा।

सभी सदस्यों ने, जो बोले हैं, एक प्रश्न पूछा है कि क्या माननीय मन्त्री इस बात की जांच करायेंगे कि ये जूट सामन्त पिछले 14 सप्ताहों मे कच्चे जूट के भन्डारों के सम्बन्ध में टंडन समिति द्वारा दिये गये अनुबन्धों का किस प्रकार उल्लंघन कर रहे हैं। वे कच्चा जूट खरीदने के लिए पैसा लेते जा रहे हैं परन्तु ये उसको उस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मगर मन्त्री चतुरता से प्रश्न का उत्तर देने से बच रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन्हे किसका डर है मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

आगे मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार जूट उद्योग के समूचे कार्य कलापों की जांच करने के लिए एक संसदीय निकाय का गठन करने पर विचार करेगी। और मिल मालिकों से तालाबन्दी को समाप्त करके बन्द मिलों को पुनः खुलवाने के लिए तुरन्त कदम उठायेगी।

मैं आशा करता हूं कि माननीय इसका राजनैतिक लाभ नहीं उठायेंगे और मन्त्री इन प्रश्नों का उत्तर उचित प्रकार से देंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मेरी कठिनाई यह है कि जो कुछ कहा जाना आवश्यक था वह कहा जा चुका है। और यदि वही प्रश्न मुझसे विशिष्ट प्रश्न के रूप में पूछा जाये तो मैं उसका उत्तर उसी भाषा में दूंगा और मुझ पर पुनरावृत्ति का आरोप लगाया जायेगा।

मेरे लिए यह दिखाने के किए कि यह सरकार मजदूरों के साथ है, उदाहरण प्रस्तुत काल आवश्यक नहीं है ।

यदि हम वास्तव में मजदूरों की सहायता न करना चाहते तो हमने 112 वस्त्र उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न किया होता ; हमने कुछ पटसन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न किया होता ; हमने ऐसी योजनायें न बतायी होती जिनसे किसानों मजदूरों तथा अन्यों को भी सहायता मिली है । केवल विधान सभाओं में राष्ट्रीयकरण के लिए संकल्प पास करने तथा मामले की जांच करने के लिए संसदीय समिति की नियुक्ति करने से उद्योगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा । आपको कुछ उद्देश्य पूरक तथा ठोस कदम उठाने होंगे और उन सरकारात्मक तथा ठोस कदमों से ही समस्या का समाधान हो सकता है ।

उद्योगों में कुछ कठिनाईयां हैं और ये कठिनाईयां मैं दोबारा बता रहा हूं । अन्तर्राष्ट्रीय तथा आन्तरिक बाजार की वजह से पैदा हुई है । परन्तु मैं नहीं सोचता कि ये कठिनाईयां उसी प्रकार से जारी रहेंगी ।

जहां तक आधुनिकीकरण का सम्बन्ध है भिन्न-भिन्न बातें......

श्री नारायण चौबे : महोदय मेरा प्रश्न बहुत ही सीधा प्रश्न है । क्या उद्योग ने जूट खरीदने के लिए निर्धारित किये गये धन का अन्यत्र उपयोग किया गया है ।

सभापति महोदय : उनको प्रश्न का उत्तर देने दीजिए । आप केवल श्री मोल्लाह के प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय हम किसी को संरक्षण नहीं देना चाहते । उद्योग को सहायता देने तथा धन देने में भी हमारा इरादा यही होता है कि उद्योग चलता रहे, कोई अन्य इरादा नहीं । जब उद्योग न चले तो हम रोजगार प्रदान नहीं कर सकते । उद्योगों को चलाकर हम रोजगार प्रदान कर सकते हैं और उन्हें लाभकारी मजदूरी उपलब्ध करा सकते है ।

महोदय महाराष्ट्र की हड़ताल का जिक्र किया गया था । मैंने महाराष्ट्र में हड़ताल या मिलों के बन्द होने के बारे में कुछ नहीं कहा । परन्तु संकल्प प्रस्तुत करने में माननीय सदस्यों ने मुझे स्थानीय सरकार से इस मामले में कुछ करने की अपील करने का मौका दिया है । साथ ही साथ उन्होंने मुझे दो राज्यों की स्थिति की तुलना करने का अवसर दिया है । एक राज्य में हड़ताल है दूसरे राज्य में तालाबन्दी व मिल बन्द है । एक राज्य में आप राज्य सरकार को हड़ताल को समाप्त न करने के लिए दोष दे रहे हैं और दूसरे राज्य में आप तालाबन्दी को समाप्त न कराने के लिए राज्य सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं । कौन किसकी मदद कर रहा

है ? आप दोष कैसे दे सकते हैं ? क्या इसको विस्तार मे कहना मेरे लिए आवश्यक है ? कौन किसकी मदद कर रहा है। यह आप ही देखें। आप सभी मजदूर संघ नेता हैं, आपको सारी स्थिति का पता है। आप स्वयं देख सकते हैं कि कौन किसकी मदद कर रहा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय हमने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है और आप उसका उत्तर एक मिनट में दे सकते हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय उन्होंने कहा है कि हम उनके साथ सांठगांठ कर रहे हैं। उनके साथ गुप्त रूप से सहयोग कौन कर रहे हैं—वे जो यह कह रहे हैं कि तालाबन्दी समाप्त हो गयी है या बन्दी समाप्त हो गयी है ? वे पुनः मुझ पर यह आरोप लगायेंगे कि मैं हंस रहा हूं और बात कर रहा हूं। मैं गाली देकर बात नहीं कर सकता और मैं स्थिति को सुखद बनाकर बात करने का प्रयत्न करूंगा। मैं गाली देकर बात नहीं करता रह सकता क्योंकि यह अच्छा नहीं है और पृथ्वी पर किसी के लिए भी अच्छा नहीं हैं। परन्तु कौन किसकी मदद कर रहा है इसके बारे में सदस्यों को यहां पर तथा जनता को बाहर तुलना करनी चाहिए और मुख्यतः मजदूरों संघ के नेताओं द्वारा इस प्रकार की तुलना की जानी चाहिए जो मजदूरों के साथ है और यह जानते हैं कि कौन किसकी मदद कर रहा है। वहां पर हम हड़ताल को समाप्त कराने का प्रयत्न करेंगे और यहां पर हम नहीं कह सकते......

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : आप शब्दों से खिलवाड़ कर रहे है। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें क्या आप धन के अन्यत्र उपयोग के बारे में जांच करायेंगे? आप स्पष्ट कहें। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप में ही यह स्पष्ट करें।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय यदि उसके पास कोई तर्क नहीं होगा तो वे मेरे साथ झगड़ा नहीं कर सकते। यदि वे मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो मैं चुप रहूंगा। मैं कहता रहा हूं कि हम मजदूरों की सहायता करना चाहते हैं। हम उद्योग की सहायता करना चाहते हैं ? यदि आवश्यक हो तो हम धन प्रदान करने के लिए भी तैयार हैं। हम बाजार उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे और यदि कुछ धन किसी के द्वारा उपयोग नहीं किया गया तो हमारे लिए यह भी आवश्यक होगा कि वह भी करायें और यदि आवश्यक हुआ तो उचित कार्यवाही भी की जायेगी हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते परन्तु किसी पर आरोप भी नहीं लगाना चाहते। हम बिना सच्चाई जाने आलोचना करना और जो कुछ आप कहते हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। यदि यह साबित हो जाता है तो कार्यवाही की जायेगी।

परन्तु साथ ही साथ गाली देकर या दूसरों के लिए गलत शब्दों का इस्तेताल करके समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता।

मैं सदस्यों को इस मामले को सभा में उठाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। इससे मुझे वास्तव में महसूस की जा रही कठिनाईयों को स्पष्ट करने का तथा यह कहने का मौका मिला है कि जो कार्य स्थानीय स्तर पर किये जा सकते हैं किये जाने चाहिये।

श्री इन्द्र जीत गुप्ता : सदस्य उनके द्वारा इस बात को कि 119 करोड़ रुपये जो जूट खरीदने के लिए दिये गये थे उनका क्या हुआ, बताने से मना किये जाने से अपना निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करेंगे।

सभापति महोदय : मैं मन्त्री को उत्तर देने या देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता अब सदस्य अपने निष्कर्ष स्वयं निकाल सकते हैं।

अब नियम 377 के अधीन मामले, श्री कृष्ण प्रताप सिंह। वे उपस्थित नहीं हैं **(व्यवधान)** कृपया बैठ जाइये।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय एक स्पष्टीकरण।

सभापति महोदय : किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय किसी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी जाती।

अब श्री आर० पी० पनिका।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और अन्य जिलों में सिंचाई निर्माण कार्यों को पुनः आरंभ करने की आवश्यकता।

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्टसगंज) : सभापति महोदय, सम्प्रति मिर्जापुर जनपद में पिछले वर्ष "इण्डियन फारेस्ट एक्ट" में संशोधन के कारण प्रदेश सरकार द्वारा जो सिंचाई के निर्माण कार्य वन भूमियों में चल रहे थे अब बन्द हो गए हैं। इसी प्रकार बहुत सी सड़कों का भी निर्माण कार्य बन्द हो गया। प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उक्त निर्माण कार्यों के लिए शीघ्र उचित आदेश पारित करने के लिए निवेदन किया है परन्तु काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक केन्द्रीय सरकार ने वन भूमि में रुकी हुई बन्धियां, नहरों तथा सड़क के निर्माण चालू करने के लिए आदेश नहीं दिए हैं। इससे जहां पर एक ओर देरी होने के कारण परियोजनाओं के खर्चे में वृद्धि हो रही है वहीं पर दूसरी ओर हजारों मजदूरों को जो कार्य मिलता वह भी नहीं मिल पा रहा है। फलस्वरूप हजारों खेतीहर भूमिहीन एवं आदिवासी हरिजन श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं। अभी पिछली रबी की फसल पूर्ण रूप से ओले से नष्ट होने के कारण जैसा कि सरकार को जानकारी है स्थिति और भी भयंकर हो गई है। इधर मानसून में देरी के कारण भी

कठिनाई बढ़ गई हैं और काम के अभाव में बेरोजगारी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। उपर्युक्त परिस्थिति में सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश सरकार को मिर्जापुर तथा इसी प्रकार अन्य जिलों में जहां पर वन भूमियों पर कार्य रोक दिया गया है तत्काल चालू करने के लिए आदेश दें।

(दो) उन जाली एजेंसियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता जो लोगों को विदेशों के रोजगार का लालच देकर लोगों को धोखा देती पाई गई

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : दिल्ली तथा देश के कुछ अन्य बड़े शहरों में ऐसी फर्जी संस्थाओं तथा धोखाधड़ी करने वाले लोगों के गिरोहों का जाल बिछा हुआ है जो विदेशों में नौकरी का लालच देकर भोले-भाले लोगों को ठगते हैं। आए दिन अखबारों में इस प्रकार के समाचार पढ़ने को मिलते हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि हमारे देश में बेरोजगारी की एक बड़ी भयंकर समस्या है और लाखों-करोड़ों लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। यही कारण है कि हमारे देश से भारी संख्या में मजदूर दूसरे देशों विशेषकर अरब तथा खाड़ी के दूसरे देशों में जाकर रोजी-रोटी कमाते हैं। मैन पावर को निर्यात करने के नाम पर जो फर्जी एजेन्सियां और जालसाज लोग सक्रिय हैं वे नौकरी के जरूरतमन्द लोगों से रोजकार का झांसा देकर लाखों रुपए एंठ लेते है। अभी पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने एक महिला सहित चार सदस्यों के गिरोह को गिरफ्तार किया है जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के पचास से अधिक लोगों को दुबई व मस्कल में रोजगार दिलाने का लालच देकर उनके पांच लाख रुपए ठग लिए और उन्हें बम्बई ले जाकर छोड़ दिया। इस प्रकार का धंधा करने वाले जालसाज जाली पासपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज भी तैयार करते हैं जो एक भयंकर अपराध है। ये लोग आव्रजक प्रोटेक्टर के जाली हस्ताक्षर पासपोर्टों पर करते हैं और सरकार की आंखों में धूल झोंकते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन जुर्मों में जो लोग पकड़े जाएं उनको सख्त सजा दी जाए तथा इस प्रकार के गलत एवं अवैधानिक धंधों में संलग्न फर्जी एजेंसियों तथा लोगों का पता लगाकर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए।

(तीन) पुरी-हावड़ा एक्सप्रेस के रेलवे सार्टिंग सेक्सन को बन्द करने का कथित प्रयास

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्न विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। दिल्ली के डाक प्राधिकारियों ने उड़ीसा के महाडाक पाल को पुरी हावड़ा एक्सप्रेस से सम्बन्धित रेलवे सार्टिंग सेक्सन को बन्द करने के निर्देश दिए हैं जो कि उड़ीसा की सबसे पुरानी गाड़ी है तथा राज्य की पहली एक गाड़ी है। शाम को पुरी से छूट कर यह अगले दिन सुबह कलकत्ता पहुंचती है तथा कलकत्ता तथा देश के अन्य राज्यों की डाक की पूरे दिन

की सार्टिंग को सुगम बना देती है। हावड़ा स्टेशन पर सुबह-सुबह पहुंचने वाली डाक को कलकत्ता मे विभिन्न स्थानों को जाने वाले विमान से भी आसानी मे भेज दिया जाता है जिससे उड़ीसा को डाक उड़ीसा से बाहर दूर दराज के क्षेत्रों में जल्दी पहुंच जाती है।

उडीसा की डाक की सार्टिंग का कार्य भी पुरी-हावड़ा एक्सप्रेस की वापसी से सुगम हो जाती है। गाड़ी हावड़ा स्टेशन से 9 बजे रात को चलती है। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों तथा विदेशों की भी डाक होती हैं और सुबह बालासोट, भद्रक, जाजपुर कि ओनकार रोड़ कटक भुवनेश्वर और खुर्दा रोड़, होती हुई रात को अगले दिन सुबह पुरी पहुंचती है। इसलिए डाक ले जाने वाली बसों के लिए डाक लेना आसान होता है और राज्यों में अपने स्थानों पर कम समय में पहुंच जाती है।

पुरी-हावड़ा एक्सप्रेस का रेलवे सार्टिंग सेक्शन में पहली रेलवे डाक सेवा है। कार्य भार अधिक होने की वजह से बिजली से परचालित किया जाता है यदि इस सेक्शन को बन्द कर दिया गया तो आने वाली तथा जाने वाली दोनों प्रकार की डाकों में असमान्य रूप से विलम्ब होगा। और उससे उड़ीसा के लोगों को बड़ी परेशानी होगी इसके अतिरिक्त काफी डाक कर्मचारियों की नोकरी चली जाएगी और 20 कर्मचारियों को पदोन्नति सम्भावना खत्म हो जाएंगे।

पुरी हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी के सार्टिंग सेक्सन को बन्द करने का प्रस्ताव उड़ीसा के लोगों के हितों पर प्रत्यक्ष प्रहार होगा। उड़ीसा में डाक को शीघ्र तथा सुगमता से वितरण किये जाने के लिए न केवल इस सेक्शन को जारी रखना चाहिए बल्कि इसको बिना विलम्ब से सशक्त बनाया जाना चाहिए तथा इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

(चार) : उत्तर प्रदेश के कतिपय गांवों में पुलिस द्वारा महिलाओं पर अत्याचारों की कथित घटनाओं को रोकने के उपाय करने की आवश्यकता।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर और अत्याचार किये जा रहे हैं। दहेज की बलिबेदी पर चढ़ने के अतिरिक्त महिलाएं अन्य प्रकार के भी आक्रमणों का शिकार हो रही हैं। इस अभिशाप का सबसे दुभाग्यपूर्ण पहलू यह है कि पुलिस के कर्मचारी अपना उत्तरदायित्व निष्ठापूर्वक नहीं निभा रहे हैं।

ऐसे समाचार मिले हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मचारी भी कुछ मामलों में महिलाओं पर भयंकर एवं अत्यन्त वीभत्स अत्याचार करने में संलग्न रहे हैं, जो कि शर्म की बात है। उदाहरण के लिए अखबारों में प्रकाशित समाचार के अनुसार अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के सिसवा बेलीहा गांव में पुलिस के कर्मचारियों ने गुंडा तत्त्वों के साथ मिलकर इसी प्रकार की घटनाओं के होने के समाचार बिहार, मध्य प्रदेश और अनेक अन्य जगहों से भी मिले हैं।

ऐसी घटनायें किसी सभ्य समाज और जिम्मेदार सरकार के लिए कलंक की बात है। इस प्रकार के पाशविक आचरण की जितनी भी निन्दा की जाय कम है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि सिसवा बेलीहा कांड तथा देश में हुई ऐसी घटनाओं की न्यायिक जांच कराई जाए, ताकि उनकी पुनरावृत्ति न होने पाए। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों को प्रधान मन्त्री सहायता कोष से अनुदान भी दिया जाने और संविधान में ऐसा उपबन्ध किया जाए कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वालों को कम से कम दस वर्ष की कैद या मृत्यु दण्ड दिया जाय। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक हम समाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग को संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार को इस दिशा में शीघ्र कदम उठाने चाहिए।

(पांच) : कोचीन कार्यालय से पासपोर्ट जारी करने में होने वाला कथित विलम्ब

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैं कोचीन कार्यालय से पासपोर्ट जारी किए जाने में होने वाले अत्यधिक विलम्ब की ओर आपकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हजारों आवेदन महीनों से निलम्बित पड़े हैं और ऐसे भी आवेदन हैं जो एक वर्ष से अधिक अवधि से निलम्बित है। ऐसे विलम्ब उन आवेदकों के लिए वास्तव मे समस्या पैदा कर रहे है जिनको खाड़ी देशों से अचानक नियुक्ति पत्र प्राप्त होते हैं बहुत से मामलों में मैंने देखा है कि समय पर पासपोर्ट पर देने की वजह स उनके नियुक्ति प्रस्ताव रद्द कर दिए जाते हैं। बहुत से आवेदक समय पर जाकर अपना कार्य भार नहीं संभाल सके।

पूछ ताछ करने पर पता चला कि यह पासपोर्ट पुंजिकाओं के अभाव तथा कोचीन कार्यालय में कर्मचारियों के अभाव की वजह से हैं। मैं विदेश मन्त्री स निवेदन करता हूं कि कोचीन कार्यालय में पर्याप्त मात्रा मे पासपोर्ट बुक उपलब्ध करायें तथा आवश्यक मात्रा में कर्मचारी लगाए।। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि आवेदन देने के बाद एक महीने के अन्दर पासपोर्ट जारी करने के सख्त अनुदेश दिए जाएं।

(छः) राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रभावी कार्यकरण के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : सभापति महोदय, हमारे देश में अपने स्थापना वर्ष 1948 से ही राष्ट्रीय कैडेट कोर की, विद्यार्थियों को सैनिक प्रशिक्षण देने में प्रशंसनीय भूमिका रही है। इस संगठन के माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, कर्तव्य परायणता, सेवाभाव, समयबद्धता नेतृत्व आदि गुणों का समावेश होता है। यह संगठन नवयुवकों की शक्ति को राष्ट्रोत्थान के कार्यक्रमों में प्रेरित करने का एक माध्यम है। अनेक अवसरों पर राष्ट्रीय आपदाओं के समय संगठन के नवजवानों ने महत्वपर्ण भूमिकायें निभाई हैं, परन्तु क्षोभ का विषय है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की प्रणाली वर्तमान समय में बड़ी दयनीय यस्थिति में पहुंच चुकी है। सीनियर तथा गर्ल्स डिवीजन

के प्रथम वर्ष लगभग दो लाख 20 हजार कैडेट नामांकित होते हैं, परन्तु आश्चर्य है कि बी० एवं सी० ग्रेड सर्टिफिकेट की परीक्षाओं में मात्र लगभग 50 हजार कैडेट सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार दूसरे वर्ष ही एक लाख सत्तर हजार से अधिक कैडेट संगठन छोड़ जाते हैं। यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। नामांकन को फर्जी तरीके से अधिक प्रदर्शित किया जाता है। कैडेट की उपस्थिति मात्र लगभग 25 प्रतिशत होती है। जब कि फर्जी तरीके से उनकी उपस्थिति 85 प्रतिशत तक दिखाई जाती है। बहुत सी शिक्षण संस्थाओं में परेड बिल्कुल होती ही नहीं।

राष्ट्रीय कैडेट कोर पर प्रति वर्ष 110 करोड़ रुपये का व्यय किया जाता है। इस धनराशि का लगभग 8 प्रतिशत भाग अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों पर व्यय होता है शेष मात्र लगभग 11 प्रतिशत कैडेट तथा एन० सी० सी० अधिकारियों पर व्यय होता है। शिक्षा संस्थाओं में एन० सी० सी० अधिकारियों का भी बड़ा अभाव है और इस प्रकार लगभग दो हजार इकाइयों में बहुत कम ही प्रशिक्षण का कार्य हो पाता है। कैडेट की पोशाकों और शास्त्रों आदि का भी बहुत अधिक अभाव पाया जाता है। एक लम्बी अवधि के पश्चात भी राष्ट्रीय कैडेट कोर की राष्ट्रीय सलाहकार समिति की बैठक हुई है। वर्तमान परिस्थितियों में इस संगठन की कार्य प्रणाली का पुनर्निरीक्षण होना अति आवश्यक है।

मैं माननीय रक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान राष्ट्रीय कैडेट कोर में व्याप्त अव्यवस्थाओं की ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध करूंगा कि वे ऐसे महत्वपूर्ण संगठन की कार्य प्रणाली में रुचि लेकर तत्काल आवश्यक प्रभावकारी कदम उठाए, जिससे इस संगठन को एक स्वस्थ एवं सशक्त रूप में विकसित किया जा सके तथा इसका अधिक से अधिक प्रसार किया जा सके वर्तमान समय में विद्यार्थियों में बढ़ रही उच्छृंखलता को रोक कर राष्ट्रीय कैडेट कोर के माध्यम से उन्हें शिष्ट नागरिक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

(सात) दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किए गए कतिपय आदेशों के कारण दिल्ली में फिल्में दिखाने के सम्बन्ध में फिल्म सोसाइटियों की समस्याएं

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) फिल्म समितियां सस्ती दरों पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मनोरंजन करें राजधानी में उपयोगी भूमिका अदा कर रहीं हैं। ये फिल्म समितियां ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम हैं जिनके द्वारा उच्च कलात्मक फिल्में प्रसिद्ध होती हैं? सूचना और प्रसारण मन्त्री ने अवसरों पर उनके द्वारा इस सम्बन्ध में किए जा रहे कार्य की सराहना की है और कहा हैं कि उनके मन्त्रालय की नीति उन्हें प्रोत्साहन करना है।

दुर्भाग्य से दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में जारी किए गए अपने एक आदेश से फिल्म समितियों के लिए फिल्मों को प्रदर्शित करना असंभव बना दिया है। आदेश में यह कहा गया है कि कोई भी संस्था, जो फिल्म प्रदर्शित करना चाहती है उसे फिल्म प्रदर्शित करने से 15 दिन पूर्व पुलिस उपायुक्त 250 रु० की अदायगी कर एक लाइसेंस प्राप्त करना होगा तथा कम से कम

तीन दिन पहले फिल्म के सेंसर प्रमाण-पत्र की एक फोटोस्टेट प्रति जमा करानी होगी। यह आदेश फिल्म समितियों को प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति के विपरीत है।

प्रत्येक फिल्म की लाइसेंस फीस के लिए 250 रु० देना सभव नहीं है क्योंकि फिल्म समितियां सदस्यता फीस पर चलाई जाती हैं जो सदस्यों से प्रतिवर्ष एकत्र की जाती है फिल्मों के सेंसर प्रमाण पत्र की एक इस धन राशि से मुश्किल से आडोटोरियम के ऊंचे भाड़े और फिल्मों का फोटो स्टेट प्रति फिल्म के प्रदर्शित करने से तीन दिन पहले आदेश में कहा गया है पुलिस उपयुक्त के कार्यालय में देने के लिए जो इसमे भी बहुत सी व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आती हैं क्यों कि कई बार दिखाई आने वाली ठीक उसी दिन पहुंचती है जिस दिन इसे दिखाया जाता है और कई बार निश्चित फिल्म के न पहुंचने के कारण उसके स्थान पर अन्य फिल्म प्रदर्शित करनी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में यदि यह नियम लागू कर दिया गया तो कोई भी फिल्म नहीं दिखाई जा सकेगी। स्पष्ट है कि जब तक वर्तमान नियम जारी रहेगा फिल्म समितियां फिल्में दिखाने में समर्थ नहीं होगी।

अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि दिल्ली प्रशासन को यह परामर्श दें कि वह तत्काल पंजीकृत फिल्म समितियों को उपरोक्त नियम से छूट दें।

सभापति महोदय : सभा कल 11 बजे मध्याह्न पूर्व तक के लिए स्थगित होती है।

6.55 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा बृहस्पतिवार 15 जुलाई 1982/24 आषाढ़ 1904 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : ए० जे० प्रिंटर्स, प्रताप भवन, नई दिल्ली-2